



छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
दिसम्बर, 2024 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

आदिम जाति कल्याण विभागान्तर्गत संचालित आश्रम/ छात्रावासों में घटित घटनाओं से बच्चों की मौत

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

1. (*क्र. 780) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) छ.ग. राज्यान्तर्गत आदिम जाति कल्याण विभागान्तर्गत ऐसे कौन-कौन से आश्रम/छात्रावास हैं, जहां विगत 12 महीनों के अंतराल में बीमारी से अथवा अन्य कारणों से बच्चों की मौत हुई हो? मृत्यु के कारण सहित पूरी जानकारी देवें? (ख) इन प्रकरणों में विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 07 अनुसार है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छात्रावासों में आवश्यक व्यवस्था एवं पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने बाबत जारी दिशा-निर्देशों अनुसार समस्त छात्रावास अधीक्षकों को निवासरत विद्यार्थियों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क स्थापित कर उनके स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

विधानसभा क्षेत्र सिहावा में वन अधिकार पट्टा वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 765) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र सिहावा में वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक कितने वन अधिकार पट्टे (पत्र) वितरित किये जा चुके हैं? व्यक्तिगत (वर्गवार-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग) तथा सामुदायिक का पृथक-पृथक वर्षवार बताएं एवं रकबा भी बताएं? (ख) कितने पात्र व्यक्ति तथा समुदायों को वन अधिकार पट्टा (पत्र) दिया जाना प्रक्रियाधीन है? कितने प्रकरण अपात्रता के कारण अस्वीकृत किये गये हैं? (ग) क्या शासन द्वारा वन अधिकार पट्टा वितरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है? अगर नहीं तो कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधानसभा क्षेत्र सिहावा में वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक 131 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 519 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) वर्तमान में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने हेतु कोई भी दावा प्रक्रियाधीन नहीं है। अपात्रता के कारण कोई भी प्रकरण अस्वीकृत नहीं किए गए हैं। (ग) वन अधिकार अधिनियम एवं नियमों के तहत पात्रतानुसार वन अधिकार पत्र वितरित किए जाते हैं एवं वन अधिकार पत्रों का वितरण एक सतत प्रक्रिया है। इसमें पृथक से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। अतः वितरण की समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है। [संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में प्राप्त एवं व्यय राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

3. (*क्र. 760) श्री मोतीलाल साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक कितनी राशि का बजट आबंटन किया गया? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** कितने किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया एवं उक्त योजना में व्यय राशि की जानकारी वर्षवार एवं जिलेवार देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक बजट आबंटन राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	वित्तीय वर्ष	आबंटित राशि (रू. करोड़ में)
1	2020-21	5627.89
2	2021-22	5552.45
3	2022-23	7028.53
4	2023-24	5607.32

(ख) राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक किसानों को भुगतान की गई राशि एवं लाभान्वित किसानों की संख्या का वर्षवार, जिलावार विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीन" \]](#)

कांकेर जिले का मास्टर प्लान

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (*क्र. 777) श्री आशा राम नेताम : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कांकेर जिले का मास्टर प्लान बना है? **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि नहीं, तो कब तक बनाकर लागू किया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी हां, कांकेर जिले में 02 निवेश क्षेत्र की विकास योजना (मास्टर प्लान) बनी है (1) कांकेर विकास योजना 2031 (मास्टर प्लान) एवं (2) भानुप्रतापपुर विकास योजना 2031 (मास्टर प्लान)। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

वेलकम डिस्टलरी छेरकाबांधा कोटा के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (*क्र. 718) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वेलकम डिस्टलरी, छेरकाबांधा कोटा को पर्यावरण अनुमति कब प्रदान की गई है? अनुमति की शर्तें क्या-क्या हैं? **(ख)** वेलकम डिस्टलरी, छेरकाबांधा के विरूद्ध विगत 02 वर्षों में कब और किसके द्वारा क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई है? **(ग)** उक्त प्राप्त शिकायत के विरूद्ध पर्यावरण विभाग द्वारा कब-कब जांच की गयी है? जांच में क्या पाया गया है और क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज़ प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-छेरकाबांधा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर को क्षमता विस्तार के तहत डिस्टलरी यूनिट -10 किलोलीटर प्रतिदिन से 60 किलोलीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 10/03/2004 को पर्यावरणीय स्वीकृतिजारी की गई थी। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में चिमनी से उत्सर्जन एवं उपचारित दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप रखने, स्पेंटवाश का बायो मिथेनेशन डाईजेस्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एवं कम्पोटिंग के माध्यम से उपचारित कर उपयोग किये जाने, जल एवं मृदा गुणवत्ता का परिमाणन आदि शर्तें निहित हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग को वर्तमान उत्पादन क्षमता रेक्टिफाईड स्पीट - 30 किलोलीटर प्रतिदिन हेतु जल (प्रदूषणनिवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत संचालन सम्मति

दिनांक 04/01/2012 को जारी की गई है। उक्त सम्मति पत्र में उपचारित दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखने, बायो कम्पोटिंग के माध्यम से उपचारित किये जाने, शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखने, चिमनी से उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखने, परीवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखने एवं जल एवं मृदा गुणवत्ता का परिमाणन, ठोस अपशिष्टों स्लज आदि का वैज्ञानिक विधि से समुचित अपवहन, वृक्षारोपण करने आदि शर्त निहित है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 02, 03 एवं 04 अनुसार है (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 05, 06, 07 एवं 08 अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चार" \]](#)

सरगुजा संभाग अंतर्गत "मांझी" समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

6. (*क्र. 620) श्री रामकुमार टोप्यो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या ता.प्र.सं.02 (क्र.1653) दिनांक 26 फरवरी, 2024 में "मांझी" समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने में जाति की मात्रा त्रुटी संबंधी समस्या के निराकरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हां तो त्रुटी संबंधी समस्या का निराकरण कब तक हो पायेगा ? संपादित प्रक्रिया एवं अद्यतन स्थिति में अवगत कराएं? **(ख)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में वर्तमान में कितने मांझी समुदाय के बच्चे अध्ययनरत हैं? संख्या प्रदान करें? **(ग)** कितने विद्यार्थी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र ना होने से दसवीं के बाद पढाई छोड़ चुके हैं? संख्या प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी हाँ। "मांझी" समुदाय की सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने में जाति की मात्रा त्रुटी संबंधी समस्या के निराकरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकरण का पूर्व प्रकाशित संदर्भ साहित्यों/अभिलेखों के आधार पर परीक्षण किया जा रहा है। शीघ्र ही प्रस्ताव भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रेषित किया जाना है। **(ख)** शालाओं में अध्ययनरत बच्चों की जानकारी यूडाईस पोर्टल में जाति/समुदाय के अनुसार संकलित नहीं की जाती है, इसलिए विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में वर्तमान में मांझी समुदाय के अध्ययनरत बच्चों की संख्या की जानकारी यूडाईस डाटा पोर्टल में उपलब्ध नहीं है। **(ग)** निरंक

जिला बालोद में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

7. (*क्र. 723) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बालोद में कृषि विभाग द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? विवरण देवें? **(ख)** योजनान्तर्गत कितने कृषक लाभान्वित हुए एवं कितने कृषकों के आवेदन लंबित हैं? लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर लिया जावेगा? जानकारी देवें? **(ग)** कंडिका "क" की योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के किसानों को कृषि हेतु व्यक्तिगत ट्रांसफार्मर लगाने हेतु विभाग द्वारा क्या मापदंड तय किये गये हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला बालोद में विभाग द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब अनुसार है।(ख)** योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषक, लंबित आवेदन एवं लंबित आवेदनों के निराकरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ एवं प्रपत्र स अनुसार है।(ग)** उर्जा विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीक्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कृषि कार्यो हेतु व्यक्तिगत ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता है अपितु सभी वर्गों हेतु तकनीकी आवश्यकता के अनुरूप ट्रांसफार्मर स्थापित करने का प्रावधान है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच" \]](#)

एकलव्य विद्यालय, ग्राम पीपरछेड़ी, विकासखंड फिंगेश्वर जिला गरियाबंद का निर्माण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

8. (*क्र. 719) श्री रोहित साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या ग्राम पीपरछेड़ी स्थित एकलव्य विद्यालय, जिसकी क्षमता 300 छात्रों की है, वह बिल्कुल जर्जर स्थिति में होने के कारण, निकटतम स्थित करिया, भुंजिया बालिका छात्रावास में संचालित किया जा रहा है? क्या इसके लिये शासन द्वारा स्वीकृत नया भवन का निर्माण अब तक अप्रारंभ है? यदि हां, तो कब तक प्रारंभ कर पूर्ण कर लिया जाएगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** पीपरछेड़ी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की क्षमता 300 छात्रों की है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का स्वयं का भवन नहीं होने के कारण उक्त विद्यालय का संचालन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कन्या भुंजिया आश्रम पीपरछेड़ी, विकासखण्ड-गरियाबंद में किया जा रहा है, जो की जर्जर स्थिति में नहीं है। एकलव्य विद्यालय हेतु भवन ग्राम-छिन्दौला, मैनपुर विकासखण्ड-मैनपुर में स्वीकृत किया गया है। भूमि का सीमांकन कार्य तथा स्थल की साफ-सफाई कर ले-आउट कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कमल विहार (कौशल्या विहार) में इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक एवं मशीनरी विक्रेताओं को भूखंड आबंटन

[आवास एवं पर्यावरण]

9. (*क्र. 118) श्री राजेश मूगत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कमल विहार (कौशल्या विहार) में इलेक्ट्रॉनिक सामान विक्रेता, प्लास्टिक सामान विक्रेता तथा मशीनरी सामान विक्रेताओं ने भूखंड क्रय किये हैं? यदि हां तो यह भूखंड किस आधार पर क्रय किये गये हैं? टेंडर आधार पर या ऑफर रेट के आधार पर? **(ख)** क्या यह सही है कि प्रश्नांश "क" में उल्लेखित सभी 150-200 विक्रेताओं ने एक समान रेट भरे थे? यदि हां तो क्या यह नियमों के तहत है कि एक ग्रुप बनाकर किसी भी भूखंड को क्रय करने के लिए एक समान रेट डाले जाएं और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने संबंधी मापदंडों का पालन नहीं किया जाये? **(ग)** कृपया बतावें कि प्रश्नांश "क" एवं "ख" में उल्लेखित क्रेताओं ने किस रेट पर भूखंड क्रय किया? यह रेट शासकीय रेट से कितना अधिक था? यदि इसके स्थान पर भूखंडों की नीलामी की जाती तो क्या अधिक राशि प्राप्त नहीं होती? राजस्व हानि की जिम्मेदारी किसकी है? विवरण दें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** क्रेताओं के व्यवसाय से संबंधित जानकारी संधारित नहीं की जाती है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु प्राप्त प्रकरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

10. (*क्र. 548) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में विगत पांच वर्षों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु कितने प्रकरण प्राप्त हुए तथा जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात कितने गांवों का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार वितरित किया गया एवं कितना वितरित किया जाना शेष है और उनका वितरण कब तक कर लिया जाएगा? **(ख)** जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है? वर्ष 2023 से 2024 तक राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने में स्वीकृति प्रदान की गई? कितनी लंबित है? वर्षवार जानकारी दें? **(ग)** संचालित योजनाओं में किस-किस प्रकार के स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान की जाती है तथा वर्ष 2023 से नवम्बर, 2024 तक कुल कितने हितग्राहियों को कितनी राशि स्वीकृत की गई? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में विगत पांच वर्षों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु 71 प्रकरण प्राप्त हुए हैं तथा जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा 71 प्रकरणों पर अनुमोदन पश्चात 49 ग्रामसभाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं तथा 22 वन संसाधन अधिकार पत्र वितरण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिन्हें प्रक्रिया पूर्ण होते ही यथाशीघ्र वितरित कर दिया जावेगा। (ख) एवं (ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत स्कूल, आश्रम शाला एवं छात्रावास भवन निर्माण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

11. (*क्र. 484) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2022-23 से दिनांक 28/11/2024 तक विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में कितने स्कूल भवन, आश्रम शाला, छात्रावास भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई हैं? विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ख) स्वीकृत कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) वर्तमान में विकासखण्ड डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा के कितने स्कूल, आश्रम शाला, छात्रावास भवनविहीन है एवं कितने स्कूल भवन, छात्रावास एवं आश्रम शाला भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2022-23 से दिनांक 28.11.2024 तक विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में 01 शासकीय हाई स्कूल एवं 02 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में आश्रम शाला/छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति निरंक है। (ख) स्वीकृत कार्यों में शासकीय हाई स्कूल कोबा, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल संजारी पूर्ण है एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल कमकापार निविदा स्तर पर है। (ग) वर्तमान में विकासखण्ड डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा में 03 शासकीय हाई स्कूल भवन विहीन है जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा के आश्रम शाला एवं छात्रावास भवन युक्त होने के कारण निर्माण कार्य संबंधी प्रस्ताव निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत फसल बीमा योजना का लाभ

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

12. (*क्र. 791) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विगत 2021 -22 एवं 2022-23 में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के कितने कृषकों ने अपनी कौन सी फसलों (कृषि एवं उद्यानिकी) का एवं भूमि के कितने क्षेत्र का बीमा करवाया? (ख) फसलों के नुकसान के बदले बीमा कम्पनियों द्वारा कितने कृषकों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई आर्थिक आंकलन किया है कि यह योजना किसानों के हित में है या बीमा कंपनी के?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) फसल बीमा योजनाओं में जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है। कृषि फसलो हेतु लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से संबधित तहसीलो में वर्ष 2021-22 में कुल 11,280 कृषको द्वारा 17,249.59 हेक्टेयर एवं 2022-23 में कुल 11,912 कृषको द्वारा 17,884.13 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बीमा कराया गया है। वर्षवार, मौसमवार, फसलवार बीमित कृषक एवं बीमित रकबा की तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** प्रश्नाधीन अवधि में ही प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से संबधित तहसीलो में उद्यानिकी फसलो हेतु लागू पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल 126 कृषको द्वारा 36.275 हेक्टेयर एवं वर्ष 2022-23 में कुल 156 कृषको द्वारा 19.208 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपित उद्यानिकी फसलों का बीमा करवाया गया। वर्षवार, मौसमवार, फसलवार बीमित कृषक एवं बीमित रकबा की

तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(ख)** प्रश्नांश "क" की अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल 706 पात्र कृषको को रु. 13.46 लाख तथा वर्ष 2022-23 में कुल पात्र 547 कृषको को रु. 27.70 लाख का बीमा दावा भुगतान किया गया है। वर्षवार, मौसमवार, बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषको की तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कुल पात्र 115 कृषको को रु. 7.80 लाख एवं वर्ष 2022-23 में कुल पात्र 128 कृषको को रु. 1.133 लाख का बीमा दावा भुगतान किया गया है। वर्षवार, मौसमवार, बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषको की तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(ग)** जी नहीं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"\]](#)

वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु उद्योगों/संयंत्रों में लगाए गए उपकरण

[आवास एवं पर्यावरण]

13. (*क्र. 573) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में स्थापित कौन-कौन से उद्योगों/संयंत्रों ने संयंत्रों से निकलने वाली दूषित हवा से वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कौन-कौन से विशेष यंत्र लगाए हैं व उससे वायु प्रदूषण की रोकथाम में कितने प्रतिशत की कमी आई है? संयंत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें? क्या वायु प्रदूषण को कम करने हेतु विभाग द्वारा संचालित उद्योगों को अपने उद्योगों में विशेष यंत्र लगाने हेतु अनिवार्य निर्देश जारी किए हैं? यदि हां तो निर्देश की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** जिले में संचालित उद्योगों/संयंत्रों का विगत 3 वर्षों में सक्षम अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? किन-किन उद्योगों/संयंत्रों द्वारा संचालन में पर्यावरण संरक्षण नियम के विभागीय निर्देशों को किन-किन बिन्दुओं की अवहेलना पाई गई? उस पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, संयंत्रवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :**(क)** जिला-जांजगीर-चांपा में वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, बायोमास आधारित ताप विद्युत संयंत्र, स्पंज आयरन संयंत्र एवं सीमेंट संयंत्र संचालित है। इन संयंत्रों से उत्सर्जित दूषित हवा से वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ईएसपी एवं बैग फिल्टर स्थापित कराये गये है। ईएसपी (इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसीप्रीटेटर) की दक्षता समान्यतः 99 से 99.90 प्रतिशत तक तथा बैग फिल्टर की दक्षता 95 से 99 प्रतिशत तक होती है। संयंत्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** वायु प्रदूषण को कम करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों को जारी स्थापना सम्मति में उक्त यंत्रों की स्थापना की शर्त निहित की जाती है। नमूने के तौर पर एक उद्योग को जारी स्थापना सम्मति की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

जिला बिलासपुर एवं दुर्ग में संचालित डिस्टिलरीज द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन एवं प्रबंधन

[आवास एवं पर्यावरण]

14. (*क्र. 785) श्री विक्रम मंडावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज ग्राम छेरका बांधा बिलासपुर एवं मेसर्स केडिया डिस्टिलरीज (छत्तीसगढ़ आसवानी), ग्राम खपरी, जिला दुर्ग के प्रदूषण से कौन-कौन से ग्राम प्रभावित हो रहे हैं? उक्त उद्योगों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन (डिस्पोज) कहां और कैसे किया जा रहा है? प्रदूषण से बचाव हेतु क्या-क्या मानक तय किया गया है? जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार स्थापित ईकाईयों का विभाग के किन-किन अधिकारियों द्वारा दिसम्बर, 2023 से नवम्बर, 2024 तक कब-कब निरीक्षण/जांच की गई? क्या कमी पाई गई तथा विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** उक्त औद्योगिक इकाईयों से वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में नवम्बर, 2024 तक सी.एस.आर. मद से कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी व्यय की गई है? स्थान का नाम सहित विस्तृत जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज, ग्राम-छेरका बांधा, जिला-बिलासपुर

एवं मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टीलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी, पोस्ट कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.) से वर्तमान में कोई ग्राम प्रदूषण से प्रभावित नहीं है। मेसर्स वेलकम डिस्टीलरीज, ग्राम – छेरका बांधा, जिला – बिलासपुर द्वारा प्रक्रिया से जनित स्पेन्ट वॉश को डिकेन्टर एवं मल्टी इफेक्ट इवोपोरेटर (एम.ई.ई.) से उपचार उपरांत प्राप्त अर्धठोस अपशिष्ट को पशु आहार उत्पादन हेतु विक्रय किया जाता है। आवश्यकता अनुसार उक्त अर्धठोस अपशिष्ट को सुखाया जाकर सूखे अपशिष्ट को भी पशु आहार उत्पादन हेतु विक्रय किया जाता है। अन्य स्त्रोतों से जनित दूषित जल के उपचार हेतु आर.ओ. प्लांट स्थापित है, जिससे उपचारित दूषित जल का पुनरुपयोग किया जाता है। बायलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित मल्टीसाईक्लोन डस्ट कलेक्टर में एकत्रित राखड को ईट निर्माण हेतु प्रदाय किया जाता है। मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टीलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी, पोस्ट कुम्हारी, जिला-दुर्ग द्वारा प्रक्रिया से जनित स्पेन्ट वॉश को डिकेन्टर, मल्टी इफेक्ट इवोपोरेटर (एम.ई.ई.) तथा ड्रायर से उपचार उपरांत प्राप्त ठोस अपशिष्ट को पशु आहार उत्पादन हेतु विक्रय किया जाता है। अन्य स्त्रोतों से जनित दूषित जल के उपचार हेतु आर.ओ. प्लांट स्थापित है, जिससे उपचारित दूषित जल का पुनरुपयोग किया जाता है। बायलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित ई.एस.पी. में एकत्रित राखड को ईट निर्माण हेतु प्रदाय किया जाता है। डिस्टलरी के प्रदूषण से बचाव के लिये उद्योगों को 1. शून्य निस्सारण रखने, 2. अपशिष्टों का शतप्रतिशत उपयोग, 3. चिमनी से डस्ट उत्सर्जन 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घनमीटर तक सीमित रखने, 4. परिसर के एक तिहाई क्षेत्र में वृक्षारोपण आदि मानक सहित शर्तें निर्धारित किये गये हैं। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, जिला-बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार मेसर्स वेलकम डिस्टीलरीज से वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में नवंबर 2024 तक सी.एस.आर. मद में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। कार्यालय कलेक्टर (सीएसआर शाखा), जिला-दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टीलरीज लिमिटेड से वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में नवंबर 2024 तक सी.एस.आर. मद में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - नौ" \]](#)

रायपुर जिला अंतर्गत विधायक निधि से स्वीकृत विकास कार्यों की निर्माण एजेसी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

15. (*क्र. 797) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधायक निधि से नगरीय निकायों में स्वीकृत कार्यों को किन-किन निर्माण एजेन्सियों के माध्यम से कराए जाने का प्रावधान है? कृपया इस संबंध में प्रचलित नियम बतावें? **(ख)** रायपुर जिला में जनवरी, 2021-22 से अक्टूबर, 2024 के मध्य आरंग व अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत नगरीय निकायों में स्वीकृत निर्माण कार्यों में किन-किन कार्यों को नगर पालिका/नगर पंचायत से भिन्न कार्य एजेन्सियों से कराया गया ? कृपया सूची देवें? **(ग)** उक्त अवधि में नगरीय निकायों में स्वीकृत कार्यों में से किन-किन कार्यों को किसी ग्राम पंचायत तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से पूर्ण कराए गए?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** विधायक निधि मार्गदर्शिका की कंडिका 3.2 अनुसार "जिला कलेक्टरों द्वारा योजना के अंतर्गत विधानसभा सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों की सूची इस प्रकार निर्धारित करने के पश्चात् यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसमें निर्दिष्ट कार्यों को अनुमोदन और कार्यान्वयन हेतु जिले में संबंधित एजेन्सियों/विभागों/संगठनों को भेजा जावेगा। योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु क्रियान्वयन एजेसी का निर्धारण जिला कलेक्टर के द्वारा किया जावेगा।" विधायक निधि मार्गदर्शिका के कंडिका 3.7 के अनुसार "राज्य सरकार की एजेन्सियों जैसे कि लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग पर्यावरण विभाग आदि के द्वारा कार्यों को विचारार्थ शामिल, स्वीकृत और कार्यान्वित किया जाएगा। अतः संबंधित जिले का कलेक्टर जिला स्तर पर इस योजना के अंतर्गत कार्यों में तालमेल बैठाने और संपूर्ण पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।" **(ख)** रायपुर जिले में जनवरी 2021-22 से अक्टूबर 2024 के मध्य केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 में आरंग व अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगरीय निकायों में स्वीकृत कुल 03 कार्यों को नगरपालिका/नगर पंचायत से भिन्न कार्य एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से कराया गया है। **सूची संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** रायपुर जिले में जनवरी 2021-22 से अक्टूबर 2024 के मध्य केवल वित्तीय वर्ष 2022-23

में आरंग व अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगरीय निकायों में स्वीकृत कुल 03 कार्यों को नगरपालिका/नगर पंचायत से भिन्न कार्य एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से कराया गया है। **सूची संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दस"\]](#)

जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में संचालित अनुसूचित जाति के छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

16. (*क्र. 461) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बलरामपुर-रामानुजगंज अंतर्गत सामरी में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास संचालित है? **(ख)** क्या जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु एक नवीन छात्रावास खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ तो कब तक प्रारंभ किया जायेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी हाँ । जिला बलरामपुर-रामानुजगंज अंतर्गत सामरी में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति 50 सीटर बालक छात्रावास सामरी संचालित है। **(ख)** जी नहीं । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

निर्माण/मरम्मत/लघु निर्माण/अनुरक्षण/ कार्य की स्वीकृत राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

17. (*क्र. 665) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विकासखंड राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-चौकी एवं छुईखदान-गंडई-खैरागढ़ अंतर्गत 01 जनवरी, 2022 से दिनांक 28/11/2024 तक किये गये समस्त निर्माण/मरम्मत/लघु निर्माण/अनुरक्षण कार्य की स्वीकृत राशि, कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण/अद्यतन स्थिति की जानकारी देवें? कार्यों के गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"\]](#)

जिला-मुंगेली अंतर्गत कृषि उपकरण की खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

18. (*क्र. 710) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कृषि उपकरणों की खरीदी कृषि विभाग द्वारा सीधे अथवा राज्य बीज निगम के माध्यम से की जाती है? क्या इसके लिए रेट क्रान्टैक्ट का निर्धारण है? **(ख)** जिला मुंगेली में वर्ष 2021 से दिनांक 26.11.2024 तक विभाग द्वारा एवं जिला खनिज न्यास मद एवं अन्य मद से कितनी राशि के कौन कौन से कृषि उपकरणों की खरीदी की गयी है? वर्षवार/विकासखण्डवार विवरण दें। **(ग)** उपरोक्त अवधि में विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के कितने कृषकों द्वारा किन-किन प्रकार के कृषि उपकरणों की खरीदी हेतु आवेदन किया गया था? इसके विरुद्ध कितनी राशि के कृषि उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं तथा कितने आवेदन दिनांक 26.11.2024 तक लंबित हैं? उन उपकरणों की खरीदी पर कुल कितने रुपये की सबसीडी प्रदान की गई, किसान की संख्या एवं राशिवार बतावें? क्या उपरोक्त खरीदे गये उपकरणों की मांग किसानों द्वारा की गयी थी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कृषि विभाग अंतर्गत संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी द्वारा दिनांक 31.07.2024 के पूर्व विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत किसानों को वितरण हेतु उपकरणों का क्रय छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से किया जाता था। बीज निगम द्वारा विभिन्न कृषि उपकरणों का रेट क्रान्टैक्ट किया जाता था। छ.ग. शासन वाणिज्य एवं

उद्योग विभाग मंत्रालय, की अधिसूचना दिनांक 11.07.2024 अनुसार भंडार क्रय नियमों में संशोधन करते हुए जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके परिपालन में बीज निगम के आदेश दिनांक 31.07.2024 द्वारा समस्त रेट क्रान्टैक्ट को समाप्त किया जा चुका है। **(ख)** जिला मुंगेली में वर्ष 2021 से दिनांक 26.11.2024 तक संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत विभागीय योजनाओं, जिला खनिज न्यास मद एवं अन्य मद से क्रय किये गये कृषि यंत्रों/उपकरणों की वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड मुंगेली, पथरिया एवं लोरमी में वर्ष 2021 से दिनांक 26.11.2024 तक कृषि यंत्रों/उपकरणों हेतु किसानों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों, लाभांशित किसानों एवं लंबित प्रकरणों की संख्या तथा कृषि उपकरणों की कुल कीमत एवं अनुदान राशि की वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार, यंत्र/उपकरणवार जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार** है। उक्त कृषि यंत्रों/उपकरणों की मांग किसानों द्वारा ही की गई थी।

प्रभारी मंत्री, क्षेत्र विकास निधि द्वारा राशि स्वीकृति के नीति नियम

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

19. (*क्र. 545) श्री इंद्र साव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधायक निधि में सम्मिलित प्रभारी मंत्री, क्षेत्र विकास निधि की राशि स्वीकृति के संबंध में नीति, निर्देश एवं नियम क्या हैं? 1 वर्ष में क्षेत्रीय विधायक को कुल कितनी राशि क्षेत्र विकास हेतु विधायक निधि के रूप में प्रदान की जाती है? क्या यह सही है कि जिले के प्रभारी मंत्री के द्वारा दी जाने वाली प्रभारी मंत्री क्षेत्र विकास निधि भी, विधायक निधि में सम्मिलित है, जिसकी स्वीकृति क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा पर प्रभारी मंत्री द्वारा दी जाती है ? जानकारी देवें? **(ख)** जनवरी, 2019 से लेकर दिनांक 28/11/24 तक जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के विधानसभा क्षेत्र भाटापारा, कसडोल एवं बलौदाबाजार में जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा कब-कब, कितनी राशि किसकी अनुशंसा पर स्वीकृत की गई? **(ग)** क्या पूर्व विधायक जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उनकी अनुशंसा पर भी क्षेत्रीय विधायक, विधायक निधि में सम्मिलित प्रभारी मंत्री क्षेत्र विकास निधि की राशि की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका 2023 की कंडिका 1.2 के अनुसार "योजनान्तर्गत विधायकगण केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष निर्धारित कुल निधि रु. 400.00 लाख का 74 प्रतिशत अर्थात् रूपये 296.00 लाख (रूपये दो सौ छियानबे लाख) की लागत के पूंजीगत प्रकृति के छोटे-छोटे कार्य जो एक या दो सीजन में पूर्ण किये जा सकें, की अनुशंसा कर सकेंगे। विधायकगण कार्य कार्यान्वित किये जाने के लिए जिला कलेक्टरों से अनुशंसा कर सकेंगे। विधानसभा सदस्यों द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस मार्गदर्शिका के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की जायेगी। यदि विधायक विशेष द्वारा वर्ष में केवल एक ही कार्य अनुशंसित किया जाता है, तो इस कार्य की लागत रूपये 296.00 लाख (रूपये दो सौ छियानबे लाख) से अधिक न होगी। इस योजना के अंतर्गत पृथक से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्धारित कुल निधि का 25 प्रतिशत अर्थात् रूपये 100.00 लाख (रूपये सौ लाख) तक के कार्यों को जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर उसी विधानसभा क्षेत्र हेतु जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत मार्गदर्शिका के अनुरूप कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी।" योजनान्तर्गत प्रभारी मंत्री क्षेत्र विकास निधि का उक्त के अतिरिक्त कोई उल्लेख नहीं है। **(ख)** जनवरी, 2019 से लेकर दिनांक 28.11.2024 तक जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के प्रभारी मंत्री द्वारा कुल 225 कार्य स्वीकृत किये गये है। विवरण निम्नानुसर है:- 1. भाटापारा में कुल 71 कार्य, कुल राशि रु. 444.66 लाख। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** 2. बलौदाबाजार में कुल 60 कार्य राशि रु 286.34 लाख। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** 3. कसडोल में कुल 72 कार्य राशि रु. 427.63 लाख। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स' अनुसार है।** 4. जिला-रायपुर के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार में कुल 22 कार्य, राशि रूपये 127.00 लाख। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'द' अनुसार है।** **(ग)** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका 2023 के कंडिका 1.2 अनुसार इस योजना के अंतर्गत पृथक से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्धारित कुल निधि का 25 प्रतिशत अर्थात् रूपये 100.00 लाख तक के कार्यों को जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर उसी विधानसभा क्षेत्र हेतु जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत

मार्गदर्शिका के अनुरूप कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका 2023 में प्रभारी मंत्री, क्षेत्र विकास निधि का कोई उल्लेख नहीं है।

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में प्लांट व ट्रांसपोर्टों द्वारा डस्ट (राखड़) डंप किया जाना

[आवास एवं पर्यावरण]

20. (*क्र. 565) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड जैजैपुर, मालखरौदा व बम्हनीडीह के किन-किन प्लांटों व ट्रांसपोर्टों द्वारा डस्ट (राखड़) डंप किया गया है? विकासखण्डवार, ग्रामवार बताएं? **(ख)** क्या डस्ट (राखड़) डंप करने हेतु ग्राम पंचायत एवं पर्यावरण विभाग से अनुमति ली गयी है? यदि हां तो किन-किन ग्रामों में? खसरा एवं रकबावार बतायें? **(ग)** क्या ग्राम पंचायतों में अवैध रूप से डस्ट (राखड़) डंप करने की जनवरी, 2023 से 28.11.2024 तक प्लांटों व ट्रांसपोर्टों की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हा तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? बतायें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड जैजैपुर, मालखरौदा व बम्हनीडीह में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं है। तथापि निम्न ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रश्राधीन क्षेत्र में राखड़ से भू-भराव किया गया है :- (1) मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती, (2) मेसर्स एस.के.एस. पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम- बिंजकोट, दरामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़, (3) मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती, (4) मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू स्टील लिमिटेड, ग्राम व पोस्ट-नहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़, (5) मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड, ग्राम-छोटे भंडार, पोस्ट ऑफिस-बड़े भंडार, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़, (6) मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा, (7) मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, ग्राम-मड़वा, जिला-जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किसी भी ट्रांसपोर्टर को राखड़ से भू-भराव की अनुमति नहीं दी गई है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

जिला सुकमा के आश्रमों एवं छात्रावासों में राशन आपूर्ति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

21. (*क्र. 677) श्री कवासी लखमा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सुकमा में संचालित आश्रमों एवं छात्रावासों में राशन आपूर्ति कैसे एवं किस प्रकार की जाती है? क्या राशन आपूर्ति निविदा के माध्यम से की जाती है? **(ख)** क्या शासन एवं स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित सी.मार्ट. से राशन क्रय करने के लिए पूर्व में प्रशासन द्वारा आदेश किया गया था? यदि हाँ तो कब? क्या इस आदेश को प्रशासन द्वारा निरस्त किया गया है? यदि नहीं तो राशन आपूर्ति एवं क्रय किन-किन फर्मों द्वारा की जाती है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला सुकमा के अंतर्गत संचालित आश्रम/ छात्रावासों में राशन आपूर्ति निम्नानुसार की जाती है :-1. चावल - खाद्य विभाग के द्वारा आश्रम/ छात्रावासों के नजदीकी ग्राम पंचायत के शासकीय उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से क्रय किया जाता है। 2. दाल, आलू, प्याज, पोहा, धनिया पाँवडर, हल्दी पाँवडर एवं तेल साबून आदि सामग्री सी.मार्ट. (स्व.सहायता समूह) / स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से क्रय किया जाता है। 3. हरी सब्जी- स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर अधीक्षक के द्वारा क्रय की जाती है। राशन सामग्री की आपूर्ति निविदा के माध्यम से नहीं की गई है। **(ख)** जी हाँ। छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 20-55/2021/424 रायपुर दिनांक 16.12. 2021 द्वारा स्व.सहायता समूह संचालित सी.मार्ट. से राशन क्रय करने के आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश को निरस्त नहीं किया गया है।

चावल एवं हरी सब्जी को छोड़ कर दाल, आलू, प्याज, पोहा, धनिया पाँवडर, हल्दी पाँवडर एवं तेल साबून आदि सामग्री सी.मार्ट. (स्व.सहायता समूह)/स्थानीय विक्रेताओं से क्रय किया जा रहा है।

प्रदेश में संचालित चिराग परियोजना का उद्देश्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

22. (*क्र. 746) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में "चिराग परियोजना" कब से प्रारंभ की गई? प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रारंभ है? योजना का उद्देश्य क्या है? **(ख)** क्या यह परियोजना विश्व बैंक एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त योजना है? यदि हां, तो योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक किन-किन संस्थाओं से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि में से कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या प्रश्नांश "क" की योजना प्रारंभ होने के पश्चात योजना अंतर्गत कुछ नियुक्तियाँ भी की गई? यदि हां तो कुल कितनी एवं किन-किन को किस-किस स्तर के पदों पर नियुक्त किया गया? नियुक्ति हेतु क्या-क्या योग्यता निर्धारित की गई थी? पदवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(घ)** क्या प्रश्नांश "क" की योजना हेतु प्राप्त राशि लेप्स भी हुई है? यदि हां तो कितनी-कितनी राशि? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रदेश में चिराग परियोजना दिनांक 16.04.2021 से प्रभावशील है। परियोजना अंतर्गत 15 जिलों दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोड़ागांव, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, मुंगेली, सारंगढ़- बिलाईगढ़, कोरिया, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सरगुजा, जशपुर एवं बलरामपुर चयनित है। परियोजना का उद्देश्य छ.ग के आदिवासी बाहुल्य चयनित 15 जिलों के 27 विकासखण्डों के चयनित 1000 ग्राम में 2 लाख परिवारों के आय के अवसरों में वृद्धि तथा पौष्टिकता की उपलब्धता में सुधार करना है। **(ख)** हां, चिराग परियोजना विश्व बैंक एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से राज्य को दीर्घकालिक ऋण द्वारा सहायता प्राप्त योजना है। परियोजना अंतर्गत प्रारंभ में राशि रू. 730 करोड़ विश्व बैंक द्वारा तथा राशि रू. 487 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईफेड) द्वारा एवं राशि रू. 521.5 करोड़ छ.ग. राज्य शासन द्वारा प्रावधान किया गया था। राज्य शासन से आज दिनांक तक राशि रू. 97.50 करोड़ प्राप्त हुआ है। चूंकि चिराग परियोजना में विश्व बैंक एवं आईफेड से राशि प्रतिपूर्ति प्रणाली अनुसार प्राप्त होना है, जिसमें प्रारंभ में राज्य शासन द्वारा आंबटन प्रदाय कर चिराग परियोजना में व्यय किया जाता है, जिसके उपरांत त्रैमासिक व्यय का अंतरिम अलेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्ट तैयार कर विश्व बैंक एवं आईफेड को प्रेषित किया जाता है। तदुपरांत विश्व बैंक एवं आईफेड द्वारा अंतरिम अलेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्ट अनुसार व्यय राशि के 70 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति 60:40 के अनुपात में की जाती है तथा व्यय राशि के शेष 30 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। वर्षवार विभिन्न मदों में व्यय राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** हां, प्रश्नांश "क" की योजना प्रारंभ होने के पश्चात् योजना अंतर्गत कुछ नियुक्तियाँ भी की गई थी। परियोजना में राज्य स्तर के कुल 31 पदों पर नियुक्तियों की गई थी, जिसमें से 29 अभ्यर्थियों ने जॉइनिंग किया तथा शेष 02 अभ्यर्थियों द्वारा जॉइनिंग न करने के कारण पद रिक्त है। पदवार निर्धारित योग्यता की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह" \]](#)

कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग धमतरी द्वारा सामग्री क्रय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

23. (*क्र. 716) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मानसून सत्र आतारंकित प्रश्न संख्या 37, क्रमांक 816 दिनांक 25/07/2024 में जलाराम बुक हाउस धमतरी से बुक के अतिरिक्त अलमारी, कंप्यूटर टेबल, कुर्सी, विद्युत वायर, साकेट, ट्यूबलाइट, पंखा स्विच बोर्ड, स्विच, एवम अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदी करना दर्शाया गया है? क्या सम्बंधित फर्म अलमारी एवं विद्युत सामग्रियों के आपूर्ति के लिए जीएसटी विभाग एवं अन्य विभाग में पंजीकृत है? यदि नहीं तो विभाग द्वारा बुक डिपो से इलेक्ट्रिक सामान खरीदी किए जाने का क्या कारण है? **(ख)** खरीदी किए गए सामग्रियों का आडिट कब और किससे कराया गया, रिपोर्ट संलग्न करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण प्रकोष्ठ, रायपुर से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक/422, दिनांक 06.02.2021 एवं 401 दिनांक 30.12.2020 अनुसार निविदा क्रं. 2553 दिनांक 16.08.2021 के द्वारा सीमित निविदा प्रक्रिया के तहत स्थानीय फर्मों से निविदा में दर्शित सामग्री प्रदाय हेतु दर उपलब्ध कराने बाबत निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें मेसर्स जलाराम बुक हाउस धमतरी की दर न्यूनतम प्राप्त हुई, उक्त फर्म काजी.एस.टी. में पंजीकृत नम्बर-जीएसटीआईएन: 22एचआरपीएल1684पी1जेड0 है। उक्त फर्म अलमारी एवं विद्युत सामग्रियों के आपूर्ति के लिए जीएसटी विभाग एवं अन्य विभाग में पंजीकृत नहीं है। मेसर्स जलाराम बुक हाउस धमतरी के द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम होने के कारण उक्त फर्मों को निविदा में दर्शित सभी सामग्रियों को प्रदाय करने हेतु आदेशित किया गया है। (ख) वर्ष 2021-22 में महालेखाकार, रायपुर द्वारा अंकेक्षण किया गया। अंकेक्षण दल द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

एन.टी.पी.सी. तथा बालको विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित फ्लाइऐश तथा उसका निष्पादन

[आवास एवं पर्यावरण]

24. (*क्र. 737) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कोरबा में एन.टी.पी.सी. तथा भारत एल्युमिनियम कंपनी के ताप विद्युत संयंत्रों से 2023-24 तथा 2024-25 में कुल कितनी मात्रा में फ्लाइ ऐश का उत्सर्जन किया गया है? माहवार जानकारी देवे? फ्लाइऐश के भण्डारण एवं निष्पादन (उपयोग) हेतु नियमों का समुचित पालन किए जाने की जांच उक्त अवधि में किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई? जांच में क्या निष्कर्ष दिए गए एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) फ्लाइ ऐश का निष्पादन (उपयोग) किस-किस प्रयोजन के लिए, कितनी-कितनी मात्रा में किया गया तथा कितनी मात्रा में राखड़ बांधों में भण्डारण किया गया? राखड़ बांधों में नवम्बर, 2024 में कुल कितनी मात्रा में राखड़ था? (ग) 2020-21 से 2024-25 की अवधि में (नवम्बर 2024 की स्थिति में) राखड़ से किसानों को तथा अन्य को हुई क्षति का तथा मुआवजा भुगतान का विवरण बताइए? संयंत्रों के विरुद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाहियां की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ के कॉलम 2 अनुसार है। जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ के कॉलम 3,4,5,6,7,8,9 एवं 10 अनुसार है। मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड के द्वारा संचालित धनरास ऐश डाइक में नवम्बर 2024 की स्थिति में कुल लगभग 102.25 मिलियन टन राखड़ भण्डारित है तथा मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर, कोरबा के द्वारा संचालित परसाभांठा ऐश डाइक में नवम्बर 2024 की स्थिति में कुल लगभग 2.06 मिलियन टन राखड़ भण्डारित है। (ग) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा, जिला-कोरबा से प्राप्त जानकारी अनुसार मेसर्स एन.टी.पी.सी. के राखड़ बांध से रिसाव के कारण वर्ष 2018-19 से 2020-21 हेतु ग्राम-धनराज के 168 तथा ग्राम-छुरिखुर्द के 40 किसानों की फसल क्षति हुई है, जिसकी मुआवजा राशि कुल 36,80,574/- (छत्तीस लाख अस्सी हजार पांच सौ चौहत्तर रूपये मात्र) प्रभावित कृषकों को भुगतान किया गया है। वर्ष 2021-22 में ग्राम-धनरास तथा छुरीखुर्द के कुल 39 कृषकों को रूपये 5,36,045/- (पांच लाख छत्तीस हजार पैतालीस रूपये मात्र) का फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा के रूप में भुगतान किया गया। वर्ष 2023-24 में मेसर्स एन.टी.पी.सी. के राखड़ बांध से रिसाव के कारण फसल क्षति से प्रभावित कुल 206 कृषकों को मुआवजा राशि रूपये 15,02,162/- (पंद्रह लाख दो हजार एक सौ बासठ रूपये मात्र) मेसर्स एन.टी.पी.सी. द्वारा दिनांक 29.11.2024 को तहसीलदार कटघोरा के बैंक खाते में जमा किया गया है। संबंधित कृषकों को मुआवज वितरण की कार्य प्रगति पर है। मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में राखड़ से किसानों को तथा अन्य को हुई क्षति के प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किये गये है तथा मुआवजा भुगतान की जानकारी निरंक है। प्रश्नाधीन अवधि में मेसर्स एन.टी.पी.सी. तथा मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

भूमि खरीदी-बिक्री पंजीयन शुल्क एवं सेवा प्रभार विषयक

[वाणिज्यिक कर]

25. (*क्र. 595) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में वर्तमान में भूमि रजिस्ट्री के पंजीयन शुल्क की दर एवं सेवा प्रभार की दर क्या है? उक्त दर वर्ष 2021-22, 2022-23 में कितनी-कितनी थी? दर में अन्तर का क्या कारण है? **(ख)** प्रदेश में भूमि रजिस्ट्री (पंजीयन) शुल्क व सेवा प्रभार शुल्क के कारण आम जनता पर बोझ कम करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं? **(ग)** क्या प्रदेश के पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालयों में पंजीयक, उपपंजीयक के सभी पदों पर कार्यरत हैं? यदि नहीं तो कब तक पद पूर्ति कर दी जावेगी? रिक्त पदों की जानकारी जिलावार बतायें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** प्रदेश में भूमि रजिस्ट्री (विक्रय, विनियम, दान जो परिवार के सदस्यों से भिन्न के पक्ष में हो के प्रकरणों में) के पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 4 प्रतिशत एवं सेवा प्रभार शुल्क प्रति पृष्ठ 60 रूपये है। भूमि के पंजीयन शुल्क की दरें वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में उपरोक्तानुसार ही थीं, केवल नगर निगम एवं उनके निवेश के क्षेत्रों में दिनांक 07.02.2022 से 31.03.2022 तक भूमि पंजीयन शुल्क की दर 5 प्रतिशत थी। गणना में अंतर का कारण यह है कि 01 अप्रैल, 2022 से 05 दिसम्बर, 2024 तक 4 प्रतिशत पंजीयन शुल्क, बाजार मूल्य अथवा प्रतिफल की राशि दोनों में से जो अधिक हो उस पर देय था। उपरोक्त अवधि के पूर्व एवं पश्चात् में 4 प्रतिशत पंजीयन शुल्क की गणना गाडलाइन अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है। **(ख)** आम जनता पर बोझ कम करने हेतु विक्रय पत्र में पंजीयन शुल्क बाजार मूल्य अथवा प्रतिफल की राशि जो भी अधिक हो के स्थान पर मात्र गाडलाइन मूल्य पर लिये जाने का प्रावधान 06 दिसम्बर, 2024 से किया गया है। इसी प्रकार से परिवारिक दान, निर्मुक्ति, बंटवारा विलखों में रजिस्ट्री (पंजीयन) शुल्क मात्र 500/- रूपये किया गया है। सेवा प्रभार की दरें यथावत है। **(ग)** प्रदेश के पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालयों में पंजीयक, उपपंजीयक के सभी पदों पर कार्यरत नहीं हैं। रिक्त पदों की पूर्ति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। पंजीयन जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****बेमेतरा जिले अंतर्गत संचालित क्रशर प्लांटों द्वारा वृक्षारोपण एवं फेंसिंग कार्य**

[आवास एवं पर्यावरण]

1. (क्र. 17) श्री दीपेश साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बेमेतरा जिले में संचालित क्रशर प्लांटों में शासन या पर्यावरण के निर्देशानुसार प्लांट के चारों ओर वृक्षारोपण एवं फेंसिंग कार्य किया गया है या नहीं? यदि किया गया है तो कितने क्षेत्रफल में किया गया है एवं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? जानकारी दें? (ख) क्रशर प्लांट के संचालन के प्रभाव का आकलन कितनी समयावधि में एवं किस संस्था द्वारा किया जाता है? (ग) बेमेतरा जिले में संचालित क्रशर प्लांटों के दुष्परिणाम के कारण प्लांटों को बंद करने संबंधित सुझाव दिये गये हैं या नहीं? अब तक समस्त प्लांटों के आकलन का विस्तृत ब्यौरा दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम नंबर 3, 4, 5 एवं 6 अनुसार है। (ख) ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) की अनुसूची में क्रशर संयंत्र सम्मिलित नहीं होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। अतः पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन नहीं कराया जाता है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश "ख" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

जिला गरियाबंद में उद्यानिकी विभाग द्वारा सामुदायिक फेंसिंग योजना का क्रियान्वयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

2. (क्र. 65) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या जिला गरियाबंद के उद्यानिकी विभाग द्वारा सामुदायिक फेन्सिंग योजना वर्ष 2023-24 अंतर्गत लाभान्वित कृषकों की भूमि पर जालीदार फेन्सिंग का कार्य हुआ है? यदि हां, तो लाभान्वित कृषकों की संख्या, स्वीकृत अनुदान राशि सहित बताएं? यदि नहीं तो कारण बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हाँ, उद्यानिकी विभाग जिला गरियाबंद द्वारा सामुदायिक फेन्सिंग योजना वर्ष 2023-24 अंतर्गत कृषकों द्वारा उनकी भूमि पर कराई गयी जालीदार फेन्सिंग कार्य पर अनुदान प्रदान किया गया है। प्रश्नावधि में 155 कृषक समूह के 485 कृषकों को 247.167 हेक्टेयर भूमि पर जालीदार फेंसिंग कार्य हेतु इकाई लागत राशि रूपये 108970 का 50 प्रतिशत रूपये 54485 प्रति हेक्टेयर के मान से रूपये 134.66879 लाख का अनुदान प्रदान किया गया है।

शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिलासपुर में स्वीकृत सीटें

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

3. (क्र. 93) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बिलासपुर में सत्र 2024-25 में कितनी सीटें स्वीकृत हैं जिनमें कितनी सीटें खाली एवं भरी हैं? सक्षम अधिकारियों ने कब-कब छात्रावास का निरीक्षण किया है ? निरीक्षण में क्या-क्या कमियां या शिकायत पायी गयी है? (ख) छात्रावास में प्रवेश के लिए कितने छात्रों से आवेदन प्राप्त हुए हैं? (ग) छात्रावास में कितने पुराने छात्रों का नवीनीकरण किया गया है एवं कितने नवीन छात्रों के प्रवेश के लिए कब-कब मेरिट सूची जारी की गई है? क्या छात्रावास में प्रवेश हेतु जिले के मूलनिवासियों को प्राथमिकता दी गई है? (घ) सत्र 2023-24 से दिनांक 25/11/2024 तक रखरखाव के

लिए कब-कब, कितनी राशि का आहरण किया गया है? राशि से क्या-क्या कार्य किये गये है? विवरण देवें? (च) सत्र 2023-24 से दिनांक 25/11/2024 तक छात्रावास को किस-किस मद से कितनी क्या-क्या सामग्री प्राप्त हुई है? विवरण देवें? (ड) सत्र 2023-24 से दिनांक 25/11/2024 तक छात्रावास में आकस्मिक निधि का किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया है? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिलासपुर में 70 सीट स्वीकृत हैं एवं 70 भरी है। सक्षम अधिकारी द्वारा माह अगस्त 2024, सितंबर 2024, नवंबर 2024 में छात्रावास का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कोई कमी अथवा शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ख) पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिलासपुर प्रवेश के लिए कुल 100 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। (ग) पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिलासपुर में नवीनीकरण के 46 छात्राओं को प्रवेश दिया गया एवं नवीन के 24 छात्राओं के प्रवेश के लिए 16 जुलाई एवं 05 अगस्त 2024 को मेरिट सूची जारी की गई है। छात्रावास में प्रवेश हेतु नियमानुसार बिलासपुर जिले के छात्राओं को प्राथमिकता दी गई है। (घ) सत्र 2023-24 में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिलासपुर में भवन का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया जिसमें राशि रूपए 9.00 लाख व्यय किया गया है। किये गये कार्योंका विवरण निम्नानुसार है:-1. छात्रावास में सी.सी.रोड ढलाई भवन के आगे एवं पीछे 2. शौचालय/स्नानागार के दरवाजे मरम्मत तथा 07 शौचालय/स्नानागार में नवीन टाइल्स कार्य कराए गए। 3. छात्रावास के सभी कमरों के खिड़की, दरवाजे, मरम्मत एवं पोताई कार्य 4. छात्रावास भवन के ग्राउण्ड एवं प्रथम तल में डिस्टेंपर से पेंट पुताई कार्य 5. नवीन शेड निर्माण कार्य 6. भवन के छत में फ्लोरिंग कार्य एवं भवन के छोटे-छोटे मरम्मत कार्य 7. विद्युत मरम्मत कार्य 8. बोर में नवीन पाईप लाईन विस्तार कार्य 9. बाउण्ड्रीवाल एवं मेन गेट में पेंट पोताई कार्य (च) सत्र 2023-24 से दिनांक 25.11.2024 जिले को सामग्री पूर्ति मद अंतर्गत प्राप्त राशि से सामग्री क्रय कर पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिलासपुर को प्रदाय की गई । **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ड) पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिलासपुर में वर्ष 2023-24 में आकस्मिक निधि में कोई राशि व्यय नहीं की गई है। दिनांक 25.11.2024 की स्थिति में अधीक्षिका को संस्था के नाम से आकस्मिक निधि में मुख्यालय स्तर से संस्था के खाते में राशि रूपए 25000/- प्रदाय की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह" \]](#)

बिलासपुर जिले में संचालित छात्रावास / आश्रम हेतु क्रय सामग्री

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

4. (क्र. 96) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 25/11/2024 तक आदिम जाति कल्याण विभाग, बिलासपुर को किस-किस मद से, कितना आबंटन प्राप्त हुआ? प्राप्त आबंटन से कौन-कौन सी सामग्री, किस दर से कितनी नग क्रय की गई? क्या उक्त हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हाँ, तो कब-कब वर्षवार बताएं? (ख) कंडिका "क" के अनुसार क्रय की गई सामग्री को कितना -कितना नग किन-किन छात्रावास/ आश्रमों में वितरण किया गया? वर्षवार, सामग्रीवार, नगवार जानकारी देवें? (ग) सामग्री आपूर्ति करने हेतु किस-किस संस्था / फर्म को कार्यदिश कितनी-कितनी मात्रा में दिया गया तथा सम्बंधित को कितनी- कितनी मात्रा का भुगतान, किस-किस दर से किया गया? (घ) क्या आपूर्ति की गई सामग्री के गुणवत्ताविहीन होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? (च) वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25 नवम्बर, 2024 तक बिलासपुर जिला अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रमों को भोजन सहायता योजना अंतर्गत किस-किस माह में, कितनी-कितनी राशि जारी की गयी है? छात्रावासवार विवरण देवें? (ड) सत्र 2023-24 से दिनांक 25/11/2024 तक छात्रावास एवं आश्रमों के रखरखाव के लिए कितनी राशि का आहरण किया गया है? राशि से क्या-क्या कार्य किये गये हैं? कार्यवार वर्षवार विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 25/11/2024 तक आदिम जाति कल्याण विभाग, बिलासपुर को सामग्री पूर्ति मद अंतर्गत राशि रूपये 396.48 लाख

आबंटन प्राप्त हुआ। प्राप्त आबंटन से क्रय की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है। उक्त सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गई। भण्डार क्रय नियमों के तहत वर्ष 2023-24 में सी.एस.आई.डी.सी. पोर्टल एवं वर्ष 2024-25 में जेम पोर्टल द्वारा क्रय की कार्यवाही की गई है। (ख) वर्षवार, सामग्रीवार, नगवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ड) प्रश्नांश तक अनुरक्षण मद में राशि रूपये 298.39 लाख आहरण किया गया। कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'द' अनुसार है।

महासमुंद जिला अंतर्गत संचालित आश्रम शाला

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

5. (क्र. 151) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) महासमुंद जिला अंतर्गत कितने छात्रावास आश्रम शाला संचालित हैं? छात्रावास अधीक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं? विकासखण्डवार, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें? (ख) स्वीकृत पदों में कितने पद भरे हैं? कितने रिक्त हैं एवं कितने छात्रावासों में प्रभार में कार्यरत हैं? विधानसभावार जानकारी देवें? (ग) रिक्त पदों पर भर्ती कब तक कर ली जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) महासमुंद जिला अन्तर्गत 91 छात्रावास एवं 24 आश्रम संचालित है। छात्रावास अधीक्षक के 115 पद स्वीकृत है। विकासखण्डवार, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) स्वीकृत पदों में 46 पद भरे हैं एवं 69 पद रिक्त है जिसमें से 9 विभागीय अधीक्षक अतिरिक्त प्रभार में है एवं शेष 60 पदों पर स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक प्रभारी के रूप में कार्यरत है। विधानसभावार क्षेत्रवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - अद्वारह"]

जिला कोरबा के उद्योगों द्वारा वन एवं कृषि भूमि में राखड़ डम्प किये जाने की प्राप्त शिकायतें

[आवास एवं पर्यावरण]

6. (क्र. 474) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या केन्द्र सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की गाइडलाइन में वन भूमि एवं कृषि भूमि पर राखड़ डाला जाना प्रतिबंधित है? यदि हां, तो वर्ष 2022-23 से दिनांक 28/11/2024 तक जिला कोरबा अंतर्गत किन-किन कंपनियों द्वारा कहां-कहां, कितनी-कितनी मात्रा में राखड़ डम्प किया जा रहा है? (ख) कंडिका "क" अंतर्गत किन-किन कंपनियों द्वारा वन भूमि, कृषि भूमि तथा सड़कों के किनारे राखड़ डम्प किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) कंपनियों द्वारा राखड़ प्रबंधन हेतु किये जा रहे परिवहन से प्रभावित और आसपास के गांवों के प्रदूषण को रोकने एवं उस पर नियंत्रण किये जाने तथा ओवरलोड वाहनों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? जानकारी उपलब्ध करावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हां, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका में कृषि भूमि एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आवश्यक अनुमति के बिना वन भूमि पर राखड़ डालना प्रतिबंधित है। वर्ष 2022-23 से दिनांक 28.11.2024 तक जिला-कोरबा अंतर्गत ताप विद्युत संयंत्रों से जनित राखड़ को लो-लाईग एरिया में फ्लाई ऐश भराव हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी अनुमति की जानकारी एवं मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। कंडिका "क" अनुसार वन एवं कृषि भूमि पर राखड़ डाले जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में 03 शिकायतें प्राप्त हुई है। उक्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। सड़कों के किनारे राखड़ डम्प किये जाने की शिकायत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त नहीं है। (ग) ताप विद्युत संयंत्रों से जनित फ्लाई ऐश के परिवहन से होने वाले प्रदूषण

के नियंत्रण के लिये नियमित रूप से वाहनों की जांच की जाती है तथा वाहनों के उचित ढंग से तारपोलिन कवर्ड न कर परिवहन करते पाये जाने पर संबंधित उद्योगों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जाती है। प्रश्रांकित अवधि में उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 18,83,280/- एवं परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी जिला परिवहन कार्यालय, कोरबा अंतर्गत कुल 2151 वाहनों पर कार्यवाही की जाकर ओव्हर लोड वाहनों से रू. 1,12,59,000/-, राखड़ (फ्लाई एश) ओव्हर लोड 59 वाहनों से रू. 18,35,000/- तथा बिना तिरपाल ढके राखड़ (फ्लाई एश) परिवहन करने वाले 1644 वाहनों से रू. 23,45,300/-कुल रू. 1,54,39,300/- शमन शुल्क वसूल किया गया है।

कोरबा जिला में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संचालित योजनायें

[आवास एवं पर्यावरण]

7. (क्र. 475) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कोरबा जिला को पर्यावरण प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण के मामले में रेड जोन में चिह्नित किया गया है? यदि हां, तो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" की योजना हेतु विभाग द्वारा जिले में वर्ष 2021-2022 से दिनांक 28/11/2024 तक कितनी राशि आबंटित हुई एवं कौन-कौन से मद में कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी है? कौन-कौन सी क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य कराया गया है? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी नहीं । तथापि कोरबा जिले को माननीय एन.जी.टी., नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ. ए. नं. 1038/2018 में दिनांक 10/07/2019 में दिये गये निर्देशानुसार रेड जोन नहीं अपितु अन्य प्रदूषित शहरों के अंतर्गत नॉन-अटेन्मेंट सिटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शहरी परिवेशीय वायु में धुल कणों (पी.एम 10) की मात्रा कम करने एवं परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम फण्ड से राशि प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त वन मंडलाधिकारी, कार्यालय, वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल से प्राप्त जानकारी अनुसार कोरबा वन मंडल अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वृक्षारोपण हेतु विभागीय एवं केम्पा योजनायें संचालित की जा रही है। **(ख)** आयुक्त, नगर पालिक निगम, कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा से प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम अंतर्गत नगर पालिक निगम, कोरबा को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम फण्ड में वर्ष 2021-22 से दिनांक 28/11/2024 तक की स्थिति में कुल रूपये 3.63 करोड़ आबंटित की गई है, जिसका उपयोग निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम अंतर्गत किया गया है। उक्त प्राप्त राशि में से निकाय द्वारा राशि रूपये 2.42 करोड़ व्यय किया गया है, जिस हेतु नगर पालिक निगम, कोरबा क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त है। उक्त के अतिरिक्त वन मंडलाधिकारी, कार्यालय, वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल से प्राप्त जानकारी अनुसार कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल को वर्ष 2021-22 से दिनांक 28/11/2024 तक की स्थिति में विभागीय मद में कुल रूपये 2226.41 लाख एवं केम्पा मद में कुल रूपये 953.59 लाख राशि आबंटित की गई है। प्राप्त राशि में से विभाग द्वारा विभागीय मद में कुल रूपये 1817.31 लाख एवं केम्पा मद में कुल रूपये 581.15 लाख राशि व्यय की गई है, उक्त कार्य हेतु वन विभाग, वन मंडल, कोरबा क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त है।

बालोद जिला अंतर्गत संचालित कन्या आश्रम/छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक एवं अन्य स्टॉफ

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

8. (क्र. 485) श्रीमती अनिला भेडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिला अंतर्गत संचालित कन्या आश्रम/छात्रावास में अधीक्षक एवं अन्य स्टॉफ के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? जानकारी देवें? **(ख)** स्वीकृत पद के अनुसार संचालित कन्या आश्रम/छात्रावास में कितने-कितने महिला, पुरूष अधीक्षक, प्रभारी अधीक्षक एवं अन्य स्टॉफ पदस्थ हैं? जानकारी

देवें? **(ख)** संचालित कन्या आश्रमों/छात्रावासों में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। **(ग)** जिला बालोद अंतर्गत संचालित कन्या आश्रमों/छात्रावासों में सुरक्षा हेतु महिला नगर सेना तथा महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उत्रीस" \]](#)

जिला रायगढ़ में विभिन्न मार्गों में अवैध फ्लाइंग एश डंपिंग की प्राप्त शिकायतें

[आवास एवं पर्यावरण]

9. (क्र. 524) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या दिसंबर, 2023 से दिनांक, 28/11/24 तक रायगढ़ जिला के विभिन्न मार्गों में अवैध फ्लाइंग एश डंपिंग की शिकायत प्राप्त हुई है? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जी हाँ। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बीस" \]](#)

प्रदेश में किसानों का फसल बीमा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

10. (क्र. 525) श्री उमेश पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में किसानों का फसल बीमा कितने प्रकार का तथा कौन-कौन सी कंपनियों द्वारा किया जाता है? इसका आंकलन किस प्रकार से किया जाता है? जानकारी देवें? **(ख)** बीते वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 में 25 नवम्बर, 2024 की स्थिति में कितने किसानों का फसल बीमा किया गया और कितने किसानों द्वारा क्लेम किया गया तथा कितना भुगतान किया गया? जानकारी जिलेवार प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रदेश में कृषि फसलों के बीमा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित है। दोनों फसल बीमा योजनाओं में मौसम खरीफ एवं रबी हेतु अधिसूचित फसलों का बीमा किया जाता है। प्रश्नांकित अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कृषि फसलों के बीमा का कार्य 03 कंपनियों यथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि., बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. एवं एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. द्वारा किया जा रहा है। पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के बीमा का कार्य एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि. द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधान के आधार पर बाधित बोनी, स्थानीयकृत आपदा, फसल कटाई उपरांत क्षति एवं उपज आधारित क्षति का आंकलन होता है। योजना अंतर्गत क्षति के आंकलन संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ अनुसार है।** पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधान के आधार पर बेसिक कवर के रूप में मौसम आधारित जोखिम एवं एडआन कवर के रूप में स्थानीय जोखिम (ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाओं) हेतु क्षति का आंकलन होता है। योजना अंतर्गत क्षति के आंकलन संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र प्रपत्र-ब अनुसार है।** **(ख)** फसल बीमा योजनाओं में बीमा दावा भुगतान हेतु कृषकों द्वारा क्लेम नहीं किया जाता है अपितु प्रश्नांश "क" में उल्लेख अनुसार योजनाओं के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु पात्र पाये गये कृषकों को पात्रानुसार बीमा दावा भुगतान किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में 25 नवम्बर 2024 की स्थिति में बीमित कृषक, दावा भुगतान हेतु पात्र कृषक एवं भुगतान की गई दावा राशि की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- स अनुसार है।** पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 34,024 कृषकों द्वारा 32,415.79 हेक्टेयर, वर्ष 2023-24 में 24,044 कृषकों

द्वारा 14,735.60 हेक्टेयर एवं 2024-25 में 25 नवम्बर 2024 की स्थिति में 11,482 कृषकों द्वारा 7,106.27 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलो का बीमा आवरण प्राप्त किया गया। वर्ष 2022-23 में 29,594 कृषकों को रूपये 6491.14 लाख, वर्ष 2023-24 में 12,672 कृषकों को राशि रूपये 755.30 लाख का बीमा दावा भुगतान किया गया है। वर्ष 2024-25 में अधिसूचित उद्यानिकी फसलों की आवरण अवधि के समाप्ति उपरांत नियमानुसार दावा राशि की गणना एवं भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। वर्षवार, मौसमवार, बीमित कृषक, दावा भुगतान से लाभान्वित कृषक एवं बीमा दावा राशि की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।**

आद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण

[आवास एवं पर्यावरण]

11. (क्र. 532) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में स्थित आद्योगिक क्षेत्रों हेतु कितना क्षेत्र चिन्हांकित है तथा कितने क्षेत्र में इसके एवज में वृक्षारोपण किया जाना था तथा कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण नवम्बर, 2024 की स्थिति में किया गया है? (ख) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट के मापदण्ड अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है? यदि हाँ तो इसके लिये दोषी कौन है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) उद्योग संचालनालय से प्राप्त जानकारी अनुसार रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में 33 औद्योगिक क्षेत्रों हेतु कुल 3158.700 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हांकित है। इसके एवज में कुल 282.253 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना था। नवम्बर, 2024 की स्थिति में कुल 207.00 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष में वृक्षारोपण प्रक्रियाधीन है। विस्तृत **विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) उद्योग संचालनालय से प्राप्त जानकारी अनुसार उद्योग विभाग द्वारा वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य कराया जाता है। अतः यह सही नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट के मापदण्ड के अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

मंडी बोर्ड में संविदा पर नियुक्त प्रबंध संचालक द्वारा गोपनीय चरित्रावली में अंकन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

12. (क्र. 544) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- 1 अप्रैल, 2024 से छ0ग0 राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में संविदा पर नियुक्त प्रबंध संचालक द्वारा क्या अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश, वेतनवृद्धि, पदोन्नति आदेश एवं विभागीय पदोन्नति समिति, निविदा स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, निर्माण कार्यों के देयकों के भुगतान की स्वीकृति दी गयी है ? यदि हां तो क्या यह नियम तथा प्रावधानों के तहत है? यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : 1 अप्रैल, 2024 से नहीं अपितु 1 जुलाई, 2024 से छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड में संविदा पर नियुक्त प्रबंध संचालक द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश, वेतनवृद्धि, पदोन्नति आदेश एवं विभागीय पदोन्नति समिति, निविदा स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, निर्माण कार्यों के देयकों के भुगतान को स्वीकृति, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत दी है, परन्तु आहरण वितरण नहीं किया जा रहा है। हां यह छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों, राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998, मंडी समितियों में प्रभावशील उपविधि 2009, संविदा नियुक्ति नियम 2012 तथा बोर्ड के संचालक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों तथा समय-समय पर जारी कार्यालयीन निर्देशों के तहत है।

नवा रायपुर में "सद्दावना अस्पताल" को आवंटित शासकीय भूमि

[आवास एवं पर्यावरण]

13. (क्र. 556) श्रीमती शेषराज हरवंश (श्री संदीप साह) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नवा रायपुर के सेक्टर 30 में स्थित सद्दावना अस्पताल को किस दर पर, कितनी शासकीय भूमि, किन नियम शर्तों का पालन करने हेतु आवंटित की गई है? **(ख)** प्रश्नांश 'क' हेतु भूमि का प्रयोजन क्या है? भवन निर्माण की अनुज्ञा कितने क्षेत्रफल की है? निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया गया है? आयुष्मान कार्ड से उपचार हेतु अस्पताल अनुबंधित है या नहीं? बी.पी.एल. श्रेणी के मरीजों हेतु क्या-क्या सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान किया गया है? **(ग)** सद्दावना अस्पताल का वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया? क्या-क्या खामियां पाई गईं? क्या अस्पताल परिसर के कुछ मात्रा का उपयोग आश्रितों द्वारा आवास हेतु किया जा रहा है? यदि हां तो इस विषय में क्या-क्या कार्यवाही आदेशित की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र के सेक्टर-30 में प्लॉट नं. सी-1 प्रायमरी हेल्थ फेसिलिटी के लिये प्राधिकरण की 0.11 हेक्टेयर (क्षेत्रफल 1107 वर्गमीटर) भूमि दर राशि रु. 1601/- प्रति वर्गमीटर पर छ0ग0 विशेष क्षेत्र (अचल सम्पत्ति का व्ययन) नियम-2008 के नियम-9 में निहित शर्तों के अधीन डॉ. अंकुर गुप्ता को दिनांक 11.02.2014 को आवंटित की गई है। **(ख)** सेक्टर-30 का भू-उपयोग आवासीय है। नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा अनुमोदित अभिन्यास दिनांक 23.04.2012 के अनुसार भू-खण्ड क्रमांक-C, डिस्पेंसरी प्लॉट अंतर्गत हेल्थ फेसिलिटी प्लॉट के रूप में चिह्नंकित है। भवन निर्माण की अनुज्ञा 1382.50 वर्गमीटर की है। 1396.07 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्माण किया गया है। नगर तथा ग्राम निवेश से दिनांक 12.03.2024 को 1396 वर्गमीटर क्षेत्रफल का नियमितीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जी हां, आयुष्मान कार्ड से उपचार हेतु अस्पताल अनुबंधित है। बी.पी.एल. श्रेणी के मरीजों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निर्धारित पैकेज अनुसार रूपये 5 लाख तक निःशुल्क ईलाज का प्रावधान है। **(ग)** वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में निरीक्षण नहीं किया गया है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

धरमजयगढ़ में एकलव्य भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

14. (क्र. 558) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धरमजयगढ़ में एकलव्य भवन निर्माण हेतु कब और कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है? कितनी राशि व्यय कीया जा चुकी है? निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ? **(ख)** क्या निर्माण कार्य का भुगतान हो गया है? मज़दूरी भुगतान की क्या स्थिति है? निर्माण विलंब होने के क्या कारण हैं? कब तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है ? **(ग)** क्या घटिया सामग्री सप्लाई की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गयी? जानकारी देवे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** दिनांक 13.04.2023 को भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा राशि रु. 37,67,26,600/- की स्वीकृति वाफ्कोस एजेंसी को प्रदान की गई है, राशि रु. 6,63,33,327/- वाफ्कोस एजेंसी द्वारा व्यय की जा चुकी है। एकलव्य भवन का निर्माण एजेंसी द्वारा 30 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। **(ख)** जी हाँ। वाफ्कोस एजेंसी द्वारा 6,63,33,327/- भुगतान किया जा चुका है। ठेकेदार द्वारा मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। माह जून से अक्टूबर में भारी वर्षा होने से निर्माण कार्य में विलंब हुआ है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु लागू ओ.पी.एस. पेन्शन योजना

[वित्त]

15. (क्र. 561) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों के लिए एन.पी.एस. के स्थान पर ओ.पी.एस. पेन्शन योजना

कब से प्रारंभ की गयी है? ओ.पी.एस. पेंशन हेतु क्या प्रावधान किया गया है? (ख) वर्तमान में सेवानिर्वात होने वाले अधिकारी-कर्मचारी की पेंशन की गणना किस योजना के तहत की जा रही है? यदि ओ.पी.एस. के तहत गणना की जा रही है तो कौन सी तिथि से गणना की जा रही है? (ग) क्या 2018 में नियमित हुए शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन की गणना की जा रही है? यदि हाँ तो दिसंबर 2024 तक की अवधि में कितने सेवा निवृत्त हुए हैं, जिनको पूर्ण पेंशन का लाभ मिल रहा है? जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.11.2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। अधिसूचना दिनांक 20.01.2023 द्वारा ओपीएस पेंशन हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। जानकारी "संलग्न प्रपत्र अ" अनुसार है। (ख) दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के विकल्प अनुसार ओपीएस एवं एनपीएस योजना के तहत तथा दिनांक 01.04.2022 से नियुक्त शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण ओपीएस योजना अंतर्गत पेंशन की गणना की जा रही है। ओपीएस के तहत गणना शासकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक से की जा रही है। (ग) छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.06.2018 में शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिए सेवा की गणना संविलियन दिनांक 01.07.2018 से की जायेगी, यह स्पष्ट किया गया है। जानकारी "संलग्न प्रपत्र ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस" \]](#)

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपकरणों के क्रय में कृषकों को प्रदत्त सब्सिडी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

16. (क्र. 567) श्री ललित चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या हैं ? कितने हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था है? विभाग ने सूखा ग्रस्त एवं अन्य आपदा ग्रस्त गांवों को चिन्हांकित कर ऐसे क्षेत्रों में जल प्रबंधन की क्या योजना बनाई है ? बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर किसानों को होने वाले नुकसान से किस प्रकार भरपाई की जाती है? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 28.11.24 तक कितने किसानों को कृषि यंत्रों ट्रेक्टर, पंप सेट एवं अन्य उपकरण सब्सिडी में दिये गये हैं? किसान कल्याण के लिए कौन-कौन सी सब्सिडी योजना चलाई जा रही है? विवरण दें? (ग) प्रश्नांश 'ख' के अनुसार क्षेत्र के किसानों को कितने प्रकार के खाद, बीज वितरण किये गये हैं? किन कम्पनियों के द्वारा किसानों को बीज उपलब्ध कराये गये है? खराब बीज वितरण संबंधी क्या कोई शिकायत किसानों द्वारा की गई है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई है? विवरण दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से संबंधित दुर्ग तहसील में सिंचाई के मुख्य स्रोत शासकीय नहर, तालाब, कुआ, नलकूप, निजी नलकूप एवं अन्य साधन बांध है। दुर्ग तहसील में कुल 32,479 हेक्टेयर सिंचित रकबा है। कृषि विभाग द्वारा पृथक से सूखाग्रस्त एवं अन्य आपदा ग्रस्त गांवों को चिन्हांकित कर जल प्रबंधन की कोई कार्ययोजना नहीं बनाई जाती है, अपितु प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये फसल प्रबंधन हेतु आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की जाती है। बाढ़ से किसानों को होने वाले नुकसान के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 में निहित प्रावधानानुसार प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत स्थानीय आपदा की स्थिति में धान सिंचित एवं धान असिंचित फसल को छोड़कर शेष अधिसूचित फसलों में जलप्लावन से नुकसान होने पर बीमित कृषक को क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है। (ख) विभागीय योजनाओं में जानकारी का संधारण विकासखंडवार किया जाता है। संचालनालय कृषि द्वारा संचालित योजनाओं के तहत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड दुर्ग में वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 28.11.24 तक कुल 4562 किसानों को कृषि यंत्र, ट्रेक्टर, पंप सेट एवं अन्य उपकरण अनुदान में प्रदाय किए गए है। किसानों को अनुदान पर सामग्री प्रदाय करने के लिए संचालनालय कृषि द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। संचालनालय उद्यानिकी द्वारा संचालित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 28.11.24

तक 1021 किसानों को ट्रेक्टर एवं पंप सेट को छोड़कर अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान में प्रदाय किए गए हैं। किसानों को अनुदान पर सामग्री प्रदाय करने के लिए संचालनालय उद्यानिकी द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) प्रश्नांश 'ख' की अवधि में संचालनालय कृषि अंतर्गत दुर्ग विकासखण्ड के किसानों को वितरित बीज एवं उर्वरक की वर्षवार, फसलवार, उर्वरकवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार** है। कृषकों को संचालनालय कृषि द्वारा समस्त बीजों की आपूर्ति छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से की गई है। संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत वितरित बीज एवं उर्वरक की वर्षवार, कम्पनीवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ अनुसार** है। संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी द्वारा वितरित बीज की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत संज्ञान में नहीं आई है।

जांजगीर-चाम्पा जिले में वन अधिकार पट्टा का वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

17. (क्र. 572) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चाम्पा जिले में वर्ष 2018-19 से वर्तमान वर्ष में दिनांक 28.11.24 तक वन अधिकार पट्टों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध कितने हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा वितरित किए गए? विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन किस स्तर पर लंबित हैं अथवा हितग्राहियों को वितरित नहीं किए गए हैं? लंबित रहने के क्या कारण हैं? तथा कब तक वितरित किए जाएंगे? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2018-19 से वर्तमान वर्ष में दिनांक 28.11.2024 तक व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु 302 आवेदन एवं सामुदायिक वन अधिकार हेतु 180 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 107 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 180 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। विकासखण्डवार वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु प्राप्त 302 आवेदनों में से 195 आवेदन उपखण्ड स्तर की समिति में दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण लंबित हैं तथा सामुदायिक वन अधिकार के लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है। लंबित आवेदन नियमानुसार पात्र पाए जाने पर वन अधिकार पत्र वितरित किए जाएंगे। समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस" \]](#)

प्रदेश में रबी फसल में धान उत्पादन में प्रतिबंध

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

18. (क्र. 596) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में रबी फसल के रूप में धान की खेती में प्रतिबंध लगाया गया है ? यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है ? क्या सभी जिलों में समान रूप से निर्देशों का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्या कारण है ? (ख) क्या प्रदेश के कृषकों के कृषि पंपों में बिजली आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर की आपूर्ति माँग अनुरूप की जा रही है ? यदि नहीं तो क्या कारण है ? क्या जनवरी, 24 से 24 नवम्बर, 2024 तक कृषकों को ट्रांसफार्मर प्रदान करने सम्बंधी शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो जिला महासमुंद अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) छत्तीसगढ़ प्रदेश में बोर खनन हेतु प्रतिबंध किस मापदण्ड के आधार पर लगाया जाता है? महासमुन्द जिले में बोर खनन पर प्रतिबंध व की गई कार्यवाही की जानकारी 01 जनवरी, 2024 से 24 नवम्बर, 2024 की स्थिति में बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी, नहीं। (ख) जी हाँ। प्रदेश के कृषकों के कृषि पंपों में बिजली आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर की आपूर्ति माँग के अनुरूप की जा रही है। जनवरी, 24 से 24 नवंबर, 2024 तक कृषकों को ट्रांसफार्मर प्रदान करने सम्बंधी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिला महासमुंद अंतर्गत जनवरी, 24 से 24 नवंबर, 2024 तक कृषकों को ट्रांसफार्मर प्रदान करने सम्बंधी कोई भी

शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) छत्तीसगढ़ प्रदेश में बोर खनन हेतु प्रतिबंध छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 में उल्लेखित मापदण्ड के आधार पर लगाया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार "यदि कलेक्टर की यह राय हो कि घरेलू प्रयोजनों हेतु :-

(1) जनता को जल की प्रदाय बनाये रखने या बढ़ाने के लिये, या

(2) जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये, या

(3) जनता की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु जल प्राप्त करने के लिये, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा जिले के ऐसे क्षेत्र को ऐसी कालावधि के लिये, जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा और तदुपरि इस अधिनियम के उपबंध उक्त आदेश के प्रवर्तित रहने के दौरान ऐसे क्षेत्र को लागू होंगे।" महासमुंद जिले में कलेक्टर महासमुंद के आदेश क्रमांक 30/क/2024/महासमुंद, दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से महासमुंद जिले को आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त आदेश प्रश्रांकित दिनांक 24.11.2024 की स्थिति में प्रभावशील है।

उद्यानिकी विभाग में की गई खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

19. (क्र. 666) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 01 जनवरी 2021 से 28/11/2024 तक विकासखंड खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत उद्यानिकी विभाग को किस-किस विभाग से, किस-किस मद एवं योजना अंतर्गत कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि का प्रयोग किन-किन कार्यों के लिए किया गया? कार्यवार, स्थल/ग्रामवार, विकासखंडवार जानकारी देवें? क्या प्राप्त राशियों से किसी प्रकार की सामग्री/मशीनरी/अन्य वस्तु का क्रय किया गया है? यदि हां तो कौन-कौन सी सामग्री/मशीनरी का क्रय, कहां-कहां के लिए, किस एजेंसी/फर्म/दुकान से किया गया? विकासखंडवार जानकारी देवें? (ख) सामग्री/मशीनरी/अन्य कार्यों के लिए किये गये भुगतान की जानकारी विकासखंडवार देवें? (ग) खरीदी गई मशीनरी का उपयोग किनके द्वारा किया जा रहा है? मशीन की स्थापना, मशीन संचालन हेतु दिए गए प्रशिक्षण, उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता, मशीनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी विकासखंडवार देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) 01 जनवरी 2021 से 28/11/2024 तक विकासखंड खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत संचालनालय उद्यानिकी को विभिन्न विभाग से उद्यानिकी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न योजना अंतर्गत रू. 1341.28 लाख की राशि प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि की कार्यवार, स्थल/ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है। प्राप्त राशि में से रू. 276.27 लाख से विभिन्न प्रकार की सामग्री/मशीनरी/अन्य वस्तु का क्रय किया गया है। क्रय सामग्री/मशीनरी की विकासखंडवार, एजेंसी/संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है।(ख) सामग्री/मशीनरी/अन्य कार्यों के लिए किये गए भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब अनुसार है।(ग) खरीदी गई मशीनरी का उपयोग स्व सहायता समूह एवं किसानों द्वारा किया जा रहा है। मशीन की स्थापना, मशीन संचालन हेतु दिए गए प्रशिक्षण, उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता, मशीनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स अनुसार है।

जिला सुकमा में संचालित आश्रम, छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

20. (क्र. 678) श्री कवासी लखमा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जिला सुकमा में कितने आश्रम, छात्रावास संचालित हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) इनमें से कौन-कौन से आश्रम, छात्रावास भवन-विहीन हैं या निर्माणाधीन हैं या अधूरे हैं? स्थलवार, नाम सहित जानकारी देवें? (ग) भवन विहीन आश्रम कौन-कौन से भवन में संचालित हैं? क्या जिले में संचालित आश्रम एवं छात्रावास अपने निर्धारित स्वीकृत स्थल या ग्रामों में संचालित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला सुकमा में 95 आश्रम, 44 छात्रावास संचालित है। इस प्रकार कुल 139 आश्रम/छात्रावास संचालित है। विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) जिला सुकमा अंतर्गत संचालित कुल 139 आश्रम, छात्रावासों में से 08 आश्रम/ छात्रावास भवन विहीन है तथा वर्तमान में 23 विभागीय आश्रम निर्माणाधीन है। स्थलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ग) जिला सुकमा अंतर्गत संचालित 07 भवन विहीन आश्रमों के वर्तमान में स्थापित स्थल की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है। सुकमा जिले में संचालित 112 छात्रावास/आश्रम अपने मूल स्थान/ग्राम पर संचालित है। शेष 27 छात्रावास/ आश्रम अन्यत्र स्थानों पर संचालित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

निर्माण कार्यों की रोकी गई राशि की जानकारी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

21. (क्र. 688) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-रायगढ़ आदिवासी विकास शाखा के द्वारा नवीन जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के जनपद पंचायत सारंगढ़ का प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की कितनी राशि रोक कर रखी गयी है? विवरण देंगे। (ख) रोकी गई राशि की कब तक जारी किया जायेगा? जानकारी देंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला-रायगढ़ आदिवासी विकास शाखा के द्वारा नवीन जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के जनपद पंचायत सारंगढ़ हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों हेतु राशि रु. 211.98370 लाख (अक्षरी- दो करोड़ ग्यारह लाख अनठानबे हजार तीन सौ सत्तर रूपये) को पी.एफ.एम.एस पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण रोक कर रखी गई थी। (ख) रोकी गई राशि रु. 211.98370 लाख को पी.एफ.एम.एस पोर्टल में सुधार उपरांत सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला रायगढ़ के पत्र क्रमांक/2790/आ.वि./पीएमएजीवाय/न.क्र.32/ 2024-25/रायगढ़ दिनांक 11.12.2024 के द्वारा पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से राशि जारी की गई।

छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं के भोजन, साबुन आदि सामग्री हेतु छात्रवृत्ति की राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

22. (क्र. 698) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति विभाग द्वारा कौन-कौन से छात्रावास संचालित हैं? योजनावार एवं जिलेवार जानकारी देंगे। (ख) छात्रावासों का संचालन हेतु छात्र छात्राओं को क्या-क्या सुविधा प्रदाय की जाती है? सुविधाओं का विवरण व लाभ की जानकारी देंगे। (ग) छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन साबुन एवं अन्य सामग्री हेतु कितनी राशि दी जाती है? विवरण देंगे। (घ) छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति में कब कब व कितनी वृद्धि की गई है? क्या छात्रवृत्ति में वृद्धि प्रस्तावित है विवरण देंगे। (च) क्या बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में छात्रावासों में वर्ष 2023-24 व 2024-25 में 25.11.2024 की अवधि में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो कहां? क्या कार्यवाही हुई है? बतावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित हैं। उक्त योजना राज्य के समस्त जिलों में संचालित है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ख) छात्रावास में निवासरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके अंतर्गत आवास, भोजन, नाश्ता, पंलग,गद्दे, चादर, कंबल, तकिया, थाली, गिलास, खेल सामग्री एवं कुर्सी-टेबल आदि सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। (ग) प्री मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को भोजन, साबुन एवं अन्य सामग्री हेतु रूपये 1500/- प्रतिमाह प्रतिछात्र प्रदाय किया जाता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को भोजन सहायता के रूप में राशि रूपये 1200/- प्रति माह प्रति छात्र प्रदाय किया जाता है। (घ) प्री मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत छात्र-छात्राओं की शिष्यवृत्ति की दर में वर्ष

2023-24 में रूपये 500 प्रतिमाह की वृद्धि कर रूपये 1500 प्रतिमाह की गई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत छात्र-छात्राओं हेतु प्रदाय की जा रही भोजन सहाय राशि की दर में वर्ष 2023-24 में रूपये 500 की वृद्धि कर रूपये 1200 प्रतिमाह किया गया है। (च) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में छात्रावासों में वर्ष 2023-24 व 2024-25 में 25.11.2024 की अवधि में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कृषि विभाग द्वारा निर्मित चेक डेम

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

23. (क्र. 713) श्री ललित चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2020 से दिनांक 26.11.2024 तक कृषि विभाग द्वारा कितने चेकडेम का निर्माण किया गया है? विभाग द्वारा क्षेत्र में कितने संख्या में नवीन चेकडेम निर्माण के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा गया है ? उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है? वित्तीय स्वीकृति कब तक मिल जाएगी? (ख) प्रश्नांक 'क' के अनुसार कृषि विभाग द्वारा निर्मित चेक डेम की ऊंचाई कितनी है ? भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार क्या चेक डेम की अधिकतम ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है? यदि हाँ तो अधिकतम ऊंचाई कितनी बढ़ाई जा सकती है? (ग) प्रश्नांक 'ख' के अनुसार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चेकडेम से कितने हेक्टेयर खेतों में सिंचाई की जा रही है? चेक डेम की ऊंचाई बढ़ाये जाने के पश्चात् कितने हेक्टेयर खेतों को सिंचित किया जा सकता है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विभाग द्वारा योजनाओं की जानकारी विकासखंडवार संधारित की जाती है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड दुर्ग में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020 से दिनांक 26.11.2024 तक कुल 19 चेकडेम का निर्माण किया गया है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** वर्तमान में नवीन चेकडेम निर्माण का कोई भी प्रस्ताव शासन को प्रेषित नहीं किया गया है, अतः शेष जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांक "क" के परिपेक्ष्य में निर्मित चेकडेम की औसत ऊंचाई 01 मीटर है। भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर तैयार प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जलसंसाधन विभाग से प्राप्त की जाती है। उपरोक्तानुसार भौगोलिक परिस्थिति एवं तकनीकी मापदण्ड के अनुसार निर्मित चेकडेम के स्थायित्व हेतु ऊंचाई बढ़ाया जाना संभव नहीं है, अतः शेष जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांक "ख" के अनुसार निर्मित 19 चेकडेम से लगभग 80.94 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हो रही है। चेकडेम की ऊंचाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव न होने के कारण शेष जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

जिला-धमतरी अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं तथा नेट एवं पैक हाउस की जानकारी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

24. (क्र. 717) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) उद्यानिकी विभाग, धमतरी को वर्ष 2021-22 से 11/2024 तक किन-किन केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं में कितनी राशि किन-किन उद्देश्य से प्राप्त हुई? उसका उपयोग किन-किन कार्यों में व्यय किया गया योजनावार पृथक-पृथक जानकारी दें? (ख) विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से 11/2024 तक कितने नेट एवं पैक हाउस का निर्माण कराया गया? लगाए गए नेट एवं पैक हाउस का मूल्यांकन एवं भौतिक/ वित्तीय सत्यापन किन-किन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया? जानकारी दें? (ग) नेट एवं पैक हाउस निर्माण के लिए विभाग द्वारा कृषकों का चयन किस आधार पर किया गया? नियम शर्तों की जानकारी दें? क्या नेट हाउस एवं पैक हाउस निर्माण में सामग्री आपूर्तिकर्ता का चयन विभाग द्वारा किया गया अथवा कृषकों द्वारा किया गया? विभाग द्वारा किए जाने की स्थिति में निविदा/कोटेशन संबंधी जानकारी प्रदान करें? (घ) विभाग द्वारा निर्माण कराये गये नेट एवं पैक हाउस की गुणवत्ता एवं मानक के क्या मापदंड रहे ? निर्माण के समय गुणवत्ता एवं मानक के स्तर का निर्धारण कैसे किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) उद्यानिकी विभाग, जिला धमतरी को 2021-22 से 11/2024 तक केन्द्र प्रवर्तित व राज्य पोषित योजनाओं में प्राप्त कुल आबंटन की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि लाख में)

वर्ष	प्राप्त राशि
2021-22	266.31
2022-23	271.51
2023-24	158.62
01.04.2024 से नवंबर 2024 तक	142.82
योग	829.26

प्रश्नाधीन अवधि में केन्द्र प्रवर्तित व राज्य पोषित योजनाओं में प्राप्त राशि तथा व्यय का कार्यवार, वर्षवार, योजनावार, जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है। (ख)** नेट एवं पैक हाउस का निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है, अपितु कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से वर्ष 2021-22 से 11/2024 तक निर्माण कराये गये 28000 वर्ग मीटर नेट हाउस एवं 38 नग पैक हाउस पर विभाग द्वारा कृषकों के खाते में अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। निर्मित नेट एवं पैक हाउस का मूल्यांकन एवं भौतिक/वित्तीय सत्यापनकर्ता अधिकारी/ कर्मचारियों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब एवं प्रपत्र स अनुसार है। (ग)** नेट एवं पैक हाउस निर्माण कार्य हेतु ऐसे कृषक जिनकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में रूचि हो, सुनिश्चित सिंचाई साधन हो, निजी स्वामित्व की भूमि हो, उनसे प्राप्त आवेदनों को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर चयन किया गया तथा पात्र हितग्राहियों की सूची का ग्रामसभा, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया। नेट/पैक हाउस के निर्माण हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ता का चयन कृषकों द्वारा स्वयं किया गया अतः शेष जानकारी निरंक है। **(घ)** नेट एवं पैक हाउस का निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है, अपितु विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार कृषकों के द्वारा स्वयं के साधन से नेट एवं पैक हाउस का निर्माण कार्य कराया गया है। शेडनेट हाउस तथा पैक हाउस निर्माण हेतु निर्धारित गुणवत्ता एवं मानक की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र द अनुसार है।**

महासमुंद जिले में नेट हाउस स्कीम में गड़बड़ी की जांच

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

25. (क्र. 720) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या महासमुंद जिले में वर्ष 2018 में उद्यानिकी विभाग में नेट हाउस स्कीम में गड़बड़ी के मामले सामने आए थे? यदि हां, तो इसकी विभागीय जांच में कौन कौन अधिकारी दोषी पाए गए थे? दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी? जानकारी दें। **(ख)** क्या नेट हाउस स्कीम में गड़बड़ी वाले मामले में दोबारा जांच हुई है? यदि हां तो किस अधिकारी के द्वारा जांच की गयी है और जांच में क्या तथ्य सामने आये है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** महासमुंद जिले में वर्ष 2018 में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों के प्रक्षेत्र में निर्मित किये गये नेटहाउस के संबंध में कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद को प्राप्त शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर महासमुंद द्वारा 4 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया था। जांच दल द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत प्रतिवेदन में कई कृषकों के नेट हाउस निर्धारित क्षेत्रफल में नहीं लगे होने, शेड नेट स्थापित होने के पूर्व ही बिल जारी करने, राजस्व अमले द्वारा अनेक कृषकों के खसरा नंबर बी-1 जारी किये जाने के पूर्व ही प्रदायक द्वारा बिल जारी किये जाने, किसी भी नेट हाउस में "मिस्टिंग सिस्टम" क्रियाशील न होने तथा स्तरहीन होने संबंधी निष्कर्ष उल्लेखित किये गये थे किंतु इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी का उल्लेख जांच प्रतिवेदन में नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 22.07.2019 में संचालनालय स्तर से जांच की मांग की गई जिसके परिपेक्ष्य में कलेक्टर महासमुंद द्वारा कृषक की अपेक्षा तथा प्रतिवेदन के स्पष्ट नहीं होने बाबत उल्लेख करते हुये संचालनालय उद्यानिकी स्तर से जांच कराने पत्र दिनांक 31.07.2024 द्वारा प्रस्ताव संचालक उद्यानिकी को प्रेषित किया गया। **(ख)** प्रश्नांश

“क” के परिपेक्ष्य में संचालनालय उद्यानिकी में पदस्थ उप संचालक उद्यान द्वारा प्रकरण की दोबारा जांच की गई। जांच में कोई भी तथ्य प्रमाणित नहीं पाये गये।

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में जाति प्रमाण पत्र के प्राप्त आवेदन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

26. (क्र. 721) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 से लेकर दिनांक 25 नवंबर 2024 तक कुल कितने जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं? विभाग को प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और कितने आवेदन किस कारणों से लंबित हैं? विकासखण्डवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश क में उल्लेखित समयावधि के दौरान कितने स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है? स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का क्या प्रावधान है? जिलावार जानकारी दें। **(ख)** जाति प्रमाण पत्र के सरलीकरण के लिए राज्य सरकार की ओर से कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 से लेकर दिनांक 25 नवम्बर 2024 तक कुल 36257 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में 02 विकास खण्ड नामतः सरायपाली एवं बसना शामिल है। सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत वर्ष 2022-23 से लेकर दिनांक 25 नवम्बर 2024 तक 18858 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 18534 आवेदकों को स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा 324 आवेदन समय-सीमा के अंतर्गत लंबित है एवं बसना विकासखण्ड से 17934 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 17723 स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा 211 आवेदन समय-सीमा के अंतर्गत लंबित है। **(ख)** वर्ष 2022-23 से लेकर दिनांक 25 नवम्बर 2024 तक की अवधि में महासमुन्द जिले में कुल 68361 स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान शाला स्तर पर पालक जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पूर्ण कर प्रधान पाठक के पास जमा करते हैं, उसके बाद प्रधान पाठक आवेदन को संकूल स्तर पर जमा करता है। संकूल स्तर से आवेदनों का परीक्षण कर तहसील को भेजा जाता है, जहां से जाति प्रमाण पत्र बनकर पालकों को ऑनलाईन प्राप्त होता है। **(ख)** जाति प्रमाण पत्र के सरलीकरण हेतु शासन द्वारा स्कूलों में पालकों से आवेदन लेकर निःशुल्क जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जा रहा है। जिनके पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए ग्रामसभा प्रस्ताव पारित कर जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया जारी है। जिन बच्चों के माता-पिता या भाई-बहन का पूर्व में जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासन के सरलीकरण के निर्देश अनुसार जारी किया जा रहा है।

गुण्डरदेही वि.स. क्षेत्र में कृषि विभाग अंतर्गत चेकडेम एवं तालाब के निर्माण हेतु राशि का आबंटन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

27. (क्र. 724) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-बालोद के गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा जनवरी, 2022 से दिनांक 28/11/24 तक चेकडेम एवं तालाब के निर्माण हेतु कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है? **(ख)** कंडिका “क” अनुसार चेकडेम एवं तालाब का निर्माण कहाँ-कहाँ एवं कितनी राशि से किया गया है? विवरण दें? **(ग)** व्यक्तिगत तालाब निर्माण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने निर्माण कार्य पूर्ण हुए एवं कितने आवेदन लंबित है? विकासखंडवार, ग्राम पंचायतवार, ग्रामवार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विभागीय योजनाओं में जानकारी का संधारण विकासखण्डवार किया जाता है। प्रश्नाधीन अवधि में विधानसभा गुण्डरदेही से संबद्ध विकासखण्ड डोण्डीलोहारा एवं गुण्डरदेही में “लघुत्तम सिंचाई योजना” अंतर्गत 05 लघुत्तम सिंचाई तालाब निर्माण हेतु राशि रू. 179.25 लाख का आबंटन दिया गया। इसी अवधि में “राष्ट्रीय बागवानी मिशन” अंतर्गत व्यक्तिगत तालाब निर्माण हेतु विकासखण्ड गुण्डरदेही में 01 कृषक को राशि रू. 52,500/- तथा विकासखण्ड डोण्डीलोहारा में 01 कृषक को राशि रू. 37,452/- का अनुदान दिया गया है। चेकडेम निर्माण हेतु आबंटन प्राप्त नहीं हुआ

है। (ख) कंडिका "क" अनुसार लघुत्तम सिंचाई तालाब निर्माण की स्थलवार, व्यय राशि का विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ग) व्यि गत तालाब निर्माण हेतु विकासखण्ड गुण्डरदेही तथा विकासखण्ड डोण्डीलोहारा में कुल 02 आवेदन प्राप्त हुये, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्थलवार, कृषकवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। कोई आवेदन लंबित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

बिलासपुर जिले में खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई एवं अन्य सामग्री की खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

28. (क्र. 725) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जिला बिलासपुर में जनवरी, 2024 से दिनांक 28/11/24 तक खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई एवं अन्य सामग्री की खरीदी किस फर्म/संस्था/दुकान से कितनी मात्रा एवं राशि में खरीदी की गयी है? जानकारी दें? (ख) खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई एवं अन्य सामग्री की खरीदी हेतु क्या निविदा नियम का पालन किया गया है? यदि किया गया तो कौन से समाचार पत्र में कब-कब विज्ञापन जारी किया गया है? कौन कौन से फर्म/संस्था/दुकान द्वारा निविदा जमा किया गया? कौन कौन से कौन कौन से फर्म/संस्था/दुकान द्वारा क्या-क्या दर सामग्री हेतु प्रस्तावित की गयी थी? (ग) खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई एवं अन्य सामग्री के क्रय भुगतान की विस्तृत जानकारी क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला बिलासपुर में कृषि विभाग अंतर्गत जनवरी, 2024 से दिनांक 28/11/24 तक खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति की गयी मात्रा एवं राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार** है। उद्यानिकी विभाग अंतर्गत जिला बिलासपुर में जनवरी, 2024 से दिनांक 28/11/2024 तक खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति की गयी मात्रा एवं राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख, प्रपत्र-ग एवं प्रपत्र-घ अनुसार** है। (ख) कृषि विभाग द्वारा खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई एवं अन्य सामग्री की खरीदी छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) के तहत अधिकृत संस्था "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" द्वारा अनुमोदित दरों पर की गयी है। खरीदी हेतु निविदा नहीं किया गया है। भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) संबंधित छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना दिनांक 11 जुलाई, 2024 के पश्चात् आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। उद्यानिकी विभाग द्वारा खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई एवं अन्य सामग्री की खरीदी आदेश क्रमांक 5082 दिनांक 16.08.2022 के बिन्दु क्रमांक 11.3 के दिशा-निर्देश अनुसार शासकीय संस्थाओं से तथा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम अंतर्गत एकल निविदा एवं सीमित निविदा पद्धति का पालन करते हुए निजी संस्थाओं से की गई है। चूंकि निजी संस्थाओं से सामग्री का क्रय भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित) के नियम 4 उपनियम 4.3.1 एकल निविदा पद्धति एवं 4.3.2 सीमित निविदा पद्धति से किया गया है अतः समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। फर्म/संस्था/दुकान द्वारा सामग्री हेतु प्रस्तावित दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ड अनुसार** है। (ग) कृषि विभाग अंतर्गत खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई एवं अन्य सामग्री के आपूर्ति भुगतान की विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार** है। उद्यानिकी विभाग अंतर्गत खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई एवं अन्य सामग्री के आपूर्ति भुगतान की विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख, प्रपत्र-ग एवं प्रपत्र-घ अनुसार** है।

ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पाली हाउस अन्य निर्माण हेतु किसानों के चयन का आधार

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

29. (क्र. 726) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जनवरी, 2022 से दिनांक 28/11/24 तक राजनांदगांव एवं मोहला- मानपुर -अंबागढ़ चौकी जिले में कृषि विभाग द्वारा ग्रीनहाउस, नेट हाउस, पाली हाउस एवं अन्य निर्माण हेतु किन-किन किसानों का चयन किस-किस आधार पर किया गया है? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी दें? (ख) कंडिका "क" के किसानों

के चयन हेतु क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? चयनित किसानों को उपरोक्त निर्माण हेतु कितनी- कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ? वर्षवार, भुगतान राशि, विकासखंडवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जनवरी 2022 से दिनांक 28/11/24 तक राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलें में ग्रीनहाउस, नेट हाउस, पालीहाउस एवं अन्य निर्माण अंतर्गत गोदाम निर्माण एवं वर्मी कम्पोस्ट टांका निर्माण हेतु ऐसे कृषक जिनकी कार्यक्रम क्रियान्वयन में रूचि हो, क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधन हो, सुनिश्चित सिंचाई साधन हो तथा निजी स्वामित्व की भूमि हो, उनसे प्राप्त आवेदनों को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर चयन किया गया है। पात्र हितग्राहियों की सूची का ग्राम सभा में अनुमोदन उपरांत जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। चयनित कृषकों की वर्षवार/जिलेवार/ विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं संलग्न प्रपत्र स** अनुसार है।(ख) प्रश्नांश "क" के किसानों के चयन हेतु उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाई गई है। चयनित कृषकों को भुगतान की गई अनुदान राशि की वर्षवार/जिलेवार/विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं संलग्न प्रपत्र स** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस" \]](#)

खुज्जी वि.स. क्षेत्रांतर्गत किसान समृद्धि योजना हेतु उपलब्ध कराई गई राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

30. (क्र. 738) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 25.11.2024 तक किन-किन कृषकों को किसान समृद्धि योजना का क्या-क्या लाभ दिया गया है? वर्षवार विकासखंडवार जानकारी देवें? (ख) कंडिका "क" के किसानों के चयन हेतु क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? चयनित किसानों को उपरोक्त कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? वर्षवार विकासखंडवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्डों (छुरिया एवं अंबागढ़ चौकी) में वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 (दिनांक 25.11.2024) तक किसान समृद्धि योजनांतर्गत नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिस्थापन पर कृषकों को अनुदान दिया गया है, लाभान्वित कृषकों की वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में किसानों के चयन हेतु विभाग के परिपत्र क्रमांक/1651/डी. 17/12/2003/14-3 दि. 09.04.2012 के द्वारा "किसान समृद्धि योजना" में नलकूप खनन/पंप प्रतिस्थापन हेतु किसानों के चयन हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

1. योजनांतर्गत जिलों के समस्त वर्ग के कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा। लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की भांति कृषकों का चयन त्रिस्तरीय पंचायत के अनुमोदन से किया जावेगा।
3. अनुदान की पात्रता उन सभी कृषक व उनके समूह को होगी, जिन्होंने सहकारी अथवा व्यवसायिक बैंक से ऋण लिया हो अथवा ऐसे कृषक या उनके समूह जो स्वयं के व्यय से नलकूप खनन के इच्छुक हो।
4. कृषक अथवा कृषक समूह में जोत का आकार न्यूनतम 1 हेक्टेयर हो।
5. एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी कम से कम 300 मीटर होना अनिवार्य है। 300 मीटर की परिधि में पूर्व निर्मित नलकूप हैण्ड पंप नहीं होना चाहिये।
6. योजनांतर्गत सहकारी संस्था, ट्रस्ट इत्यादि को अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
7. विभाग द्वारा संचालित अन्य योजना अथवा किसान समृद्धि योजनांतर्गत पूर्व में नलकूप खनन अनुदान का लाभ प्राप्त किये कृषक पात्र नहीं होंगे।

उपरोक्त प्रक्रिया के तहत कृषकों का चयन किया गया। चयनित कृषकों को प्रदाय अनुदान राशि का वर्षवार विकासखण्डवार विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस" \]](#)

कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के तहत कृषकों को वितरित कृषि यंत्र

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

31. (क्र. 742) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कृषकों को कौन-कौन से कृषि यंत्रों का किस-किस अनुदान दर पर वितरण किया जाता है एवं इसके लिए कौन आवेदन हेतु पात्र हैं? विस्तृत विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" की योजना का अनुदान हितग्राहियों को कैसे प्राप्त होता है? हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? विस्तृत विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "क" की योजना का प्रचार-प्रसार एवं आवेदन की क्या प्रक्रिया है? विस्तृत विवरण देवें एवं क्या अनुदान हेतु डीबीटी लागू करने की योजना है? यदि हां, तो विस्तृत विवरण देवें ? यदि नहीं तो कारण सहित उल्लेख करें? **(घ)** कंडिका "क" की योजनांतर्गत विगत 03 वर्षों में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कितने को कृषि यंत्र मिला है, कितने लंबित हैं एवं लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण कर लिया जाएगा? विस्तृत विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु सभी श्रेणी के समस्त वर्ग के कृषक पात्र है। योजनांतर्गत कृषकों को अनुदान पर प्रदाय किये जाने वाले कृषि यंत्रों/उपकरणों की अनुदान दर की घटकवार, यंत्र/उपकरणवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** कंडिका "क" की योजना के तहत हितग्राही को अनुदान भुगतान एवं भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया का घटकवार विवरण निम्नानुसार हैं:-**कंपोनेंट क्रमांक-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान-** कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु चैम्स प्रणाली सॉफ्टवेयर में कृषक द्वारा अपनी मनपसंद मेक/मॉडल का चयन कर स्वयं/जिला कार्यालय/प्रदायक संस्था की सहायता से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। मुख्यालय में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत योजना के प्रावधान अनुसार पात्रता रखने पर आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदन की स्वीकृति उपरांत कृषकों द्वारा सामग्री की कुल कीमत में से अनुदान राशि घटाकर मात्र कृषक अंश राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्रदायक संस्था/फर्म को प्रदाय आदेश जारी किया जाता है। तदनुसार प्रदायक संस्था द्वारा कृषक को उनके द्वारा चयनित यंत्र/उपकरण प्रदाय किया जाता है। हितग्राही, स्थल एवं प्रदाय सामग्री का भौतिक सत्यापन जीपीएस बेस्ड मोबाईल एप्प के द्वारा जियो टैग बेस के आधार पर तृतीय पक्ष भौतिक सत्यापन एजेंसी द्वारा किया जाता है।**कंपोनेंट क्र.-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना-** योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य अनुसार कृषकों/समूहों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर वांछित बैंक से प्राप्त ब्रीफ ओपिनियन रिपोर्ट के गुण-दोष के आधार पर "प्रथम आये प्रथम पाये" के तहत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित कृषि यंत्रों/उपकरणों की सूची एवं उनके तकनीकी विवरण का अनुमोदन संबंधित बैंक के अधिकारी एवं संभागीय कृषि यंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तत्पश्चात् बैंक ऋण की स्वीकृति दी जाती है, बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति उपरांत कृषि यंत्री द्वारा अनुदान स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है। आवेदक द्वारा योजना के दिशा-निर्देश अनुरूप भूमि की तैयारी से लेकर कटाई/गहाई तक लगने वाले, कृषि यंत्र/उपकरण पंजीकृत निर्माता एवं प्रदायक से क्रय करने के उपरांत संबंधित बैंक अधिकारी तथा संभागीय कृषि यंत्री द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुदान राशि का भुगतान क्रेडिट लिंक बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में आवेदक के ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक को किया जाता है। **(ग)** कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना का प्रचार-प्रसार जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय विभागीय कार्यालयों में फ्लेक्सी बोर्ड आदि के माध्यम से तथा राज्य के विभिन्न स्थानों में आयोजित किसान मेले/प्रदर्शनी तथा मैदानी स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया:- कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3) योजनांतर्गत चैम्स प्रणाली में कृषक द्वारा चैम्स सॉफ्टवेयर में अपनी मनपसंद मेक/मॉडल का चयन कर स्वयं/जिला कार्यालय/प्रदायक संस्था की सहायता से ऑनलाईन आवेदन प्रदायक को प्रेषित किया जाता है। तदोपरांत संबंधित प्रदायक द्वारा कृषक दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड कर बीज निगम मुख्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है। कम्पोनेंट क्रमांक-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना हेतु आवेदक निर्धारित प्रारूप में जिले के उप संचालक कृषि/सहायक कृषि यंत्री/संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत डी.बी.टी. लागू है। कम्पो.-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान योजनांतर्गत काईन्ड डी.बी.टी. के रूप में, कृषकों द्वारा सामग्री की कीमत में से अनुदान राशि घटाकर केवल कृषक अंश राशि जमा की जाती है तत्पश्चात् कृषक को

सामग्री प्राप्त होती है। कम्पोनेंट क्रमांक-4 एवं 6 के तहत अनुदान राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में क्रेडिट लिंक बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में किया जाता है। (घ) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड तखतपुर में विगत 03 वर्षों में यथा 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कुल 1341 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 1014 आवेदकों को कृषि यंत्र दिया गया, लंबित आवेदन निरंक है। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों, लाभांश हितग्राहियों तथा लंबित प्रकरणों की वर्षवार, घटकवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनांतर्गत चयनित ग्राम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

32. (क्र. 747) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनांतर्गत एवं प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनांतर्गत किन-किन ग्रामों का चयन किया गया है? चयनित ग्रामों को कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई? जिलेवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश "क" की प्रदाय राशि से किस-किस ग्राम में इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाईट स्थापना हेतु राशि जारी की गई ? क्या इन ग्रामों में इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाईट की बजाय सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित की गई? यदि हाँ, तो क्या इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली गई? यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी का पदनाम बतावें, यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या प्रश्नांश "ख" हेतु निविदा प्रक्रिया तथा भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया? यदि नहीं, तो जिम्मेदार अधिकारियों/ कार्य एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनांतर्गत 909 ग्रामों का एवं प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनांतर्गत 1530 ग्रामों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्रामों को प्रदाय की गई राशि की जिलावार, ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनांतर्गत चयनित ग्रामों को प्रदाय की गई राशि की जिलावार, ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में प्रश्नांश "क" की प्रदाय राशि से ग्रामवार इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाईट स्थापना हेतु जारी राशि की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-स तथा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-द अनुसार है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में जिला बस्तर, कोण्डागांव एवं सूरजपुर के द्वारा प्रदाय राशि से सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। कोण्डागांव द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई है। सूरजपुर द्वारा अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग की अनुमति से निविदा आमंत्रित की गई है। जिला बस्तर में सक्षम प्राधिकारी से उक्त निविदा हेतु अनुमति नहीं ली गई है। क्योंकि कार्य एजेंसी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमति हेतु प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। (घ) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत कृषकों को कृषि सहायक सामग्री का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

33. (क्र. 748) श्री ब्यास कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कृषि विभाग द्वारा जिला जांजगीर-चांपा में 1 जनवरी, 2024 से दिनांक 28/11/2024 तक किसानों को कृषि कार्य में उपयोग आने वाले कृषि सहायक सामग्री के रूप में कौन-कौन सी सामग्री का वितरण किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार कृषि विभाग द्वारा किसान कल्याण एवं कृषि प्रोत्साहन के लिए 01 जनवरी, 2024 से कौन-कौन सी नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं? यदि नहीं, तो क्या आगामी सत्र में कोई नई योजना प्रस्तावित है? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि एवं उद्यानिकी कार्यालयों द्वारा जिला जांजगीर-चांपा में 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 28.11.2024 तक किसानों को कृषि कार्य में उपयोग हेतु वितरित सामग्री की जानकारी क्रमशः **संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब**

अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' की अवधि में कृषि में पर्याप्त निवेश एवं काश्त लागत राहत देने के लिये कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की गई है। प्रश्नाधीन अवधि तक आगामी वर्ष में किसान कल्याण एवं कृषि प्रोत्साहन हेतु नवीन योजना प्रारंभ करने निर्णय नहीं लिया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

जांजगीर-चांपा जिले में संचालित आश्रम/छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

34. (क्र. 749) श्री ब्यास कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा जिले में वर्तमान में अजा/अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए कितने आश्रम/छात्रावास संचालित हैं? इनमें छात्र-छात्राओं के लिए कितने सीट उपलब्ध हैं? क्या आगामी सत्र में सीटों की संख्या बढ़ाया जाना प्रस्तावित है या नहीं? **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार क्या इन आश्रमों/छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है? यदि हां तो क्या इन्हें राशि का नकद भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो डी.बी.टी. के माध्यम से इनके बैंक खातों में सीधे राशि अंतरित क्यों नहीं की जाती? जानकारी प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांश "क" के अनुसार क्या जांजगीर-चांपा जिले में छात्र-छात्राओं को शिष्यवृत्ति भुगतान के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जांजगीर-चांपा जिले में वर्तमान में अजा/अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित आश्रम/ छात्रावास एवं उपलब्ध सीट की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है** । जी नहीं, जिले के विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन अनुसार सीट वृद्धि प्रस्तावित की जाती है। **(ख)** जी हाँ । जी नहीं, शिष्यवृत्ति का भुगतान नगद नहीं किया जाता है। छात्रवास/ आश्रमों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को ऑनलाईन माध्यम से छात्र-छात्राओं के अवयस्क होने एवं सामुहिक मेस संचालन होने के कारण छात्रावास अधीक्षक एवं छात्र नायक के संयुक्त खाते में शिष्यवृत्ति की राशि प्रदान की जाती है। **(ग)** जांजगीर-चांपा जिले में छात्र-छात्राओं के शिष्यवृत्ति भुगतान के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

प्रदेश में धान खरीदी हेतु कृषकों का पंजीयन एवं धान का उपार्जन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

35. (क्र. 752) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन हेतु कितने किसानों ने पंजीयन कराया? कुल पंजीकृत कृषकों की संख्या कितनी है? प्रदेश में कुल पंजीकृत धान का रकबा कितना है? जिलेवार जानकारी बतावें? वर्तमान में धान खरीदी का सरकार का लक्ष्य क्या है? **(ख)** विगत वर्ष 2023-24 में प्रदेश में धान बेचने हेतु कितने किसानों ने पंजीयन कराया था एवं कितना रकबा पंजीकृत किया गया था? जिलेवार जानकारी बतावें? **(ग)** धान उपार्जन प्रारंभ तिथि से दिनांक 28/11/2024 तक प्रदेश में कितने किसानों से, कितनी मात्रा में धान उपार्जन, किस दर पर किया जा चुका है? कितने किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? जिलेवार जानकारी बतावें? शेष राशि का भुगतान कब-तक किया जायेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन हेतु दिनांक 12.12.2024 तक कुल 27.78 लाख किसान पंजीकृत है। पंजीकृत धान का रकबा 33.63 लाख हेक्टेयर है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है**। वर्तमान में धान खरीदी का सरकार का कोई लक्ष्य नहीं है तथापि प्रदेश में 160 लाख मेट्रिक टन धान उपार्जन होना अनुमानित है। **(ख)** खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में धान बेचने हेतु 26.63 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था जिनका कुल पंजीकृत रकबा 33.39 लाख हेक्टेयर था जिसकी जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है**। **(ग)** खरीफ वर्ष 2024-25 में दिनांक 14.11.2024 से 28.11.2024 तक प्रदेश में 3.40 लाख किसानों से कुल 15.97 लाख मेट्रिक टन धान की मात्रा का उपार्जन किया गया है तथा उपार्जन दर धान मोटा/सरना का 2300 रू. प्रति

किंटल एवं धान पतला का 2320 रू. प्रति किंटल है। 3.40 लाख किसानों को राशि रू. 3679.27 करोड़ के भुगतान हेतु राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित एवं अपेक्स बैंक को अंतरित किया जा चुका है। दिनांक 28.11.2024 तक सभी 3.40 लाख किसानों को संपूर्ण राशि रू. 3679.27 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस" \]](#)

ट्रायबल छात्रावासों/आश्रमों में स्वीकृत निर्माण कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

36. (क्र. 753) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में प्रदेश के छात्रावासों, आश्रमों में अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय के लिए प्री-फ्रेब्रिकेट निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं? **(ख)** यदि हां, तो उपरोक्त सभी निर्माण कार्यों की वर्षवार, स्थान का नाम, स्वीकृति राशि सहित जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के अनुसार स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण, कितने अप्रारंभ हैं एवं कितनी राशि व्यय हो चुकी है, कितनी शेष है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी हाँ, यह सत्य है कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में वर्ष 2023-24 में प्रदेश के छात्रावासों, आश्रमों में अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय के लिए प्री- फ्रेब्रिकेट निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में उपरोक्त निर्माण कार्य निरंक है। **(ख)** सभी निर्माण कार्यों की वर्षवार, स्थान का नाम, स्वीकृत राशि सहित जानकारी सूचीवार **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के अनुसार 344 स्वीकृत कार्यों में से 338 कार्य पूर्ण, 06 कार्य अपूर्ण एवं राशि रूपये 2672.25 लाख व्यय हो चुकी है तथा रूपये 214.69 लाख राशि शेष है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस" \]](#)

कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना अंतर्गत कसडोल वि.स. क्षेत्र में प्रदत्त कृषि यंत्र

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

37. (क्र. 757) श्री संदीप साह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी 2023 से 28 नवम्बर, 2024 तक कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के अंतर्गत कसडोल विधानसभा क्षेत्र में, कौन-कौन से कृषि यंत्र कितनी संख्या में दिए गए हैं? **(ख)** क्या अनुदान की राशि हितग्राही के बैंक खाते में प्रदान की जाती है या एजेसी के बैंक खाते में? कितने कृषि यंत्रों की कितनी अनुदान राशि देना बकाया है एवं कब तक अनुदान राशि जारी कर दी जाएगी? **(ग)** उक्त योजना क्या वर्तमान में संचालित है? प्रश्नांक अवधि में योजना से कसडोल विधानसभा क्षेत्र में कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विभागीय योजनाओं में जानकारी का संधारण विकासखण्डवार किया जाता है। कसडोल विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्डों में कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.11.2024 की स्थिति में) तक कृषको को अनुदान पर कुल 163 कृषि यंत्र/उपकरण प्रदाय किये गये हैं, वर्षवार, विकासखण्डवार एवं यंत्रवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) हेतु चैम्स प्रणाली अंतर्गत अनुदान राशि कृषक के बैंक खाते में प्रदाय नहीं की जाती है, अपितु कृषकों द्वारा चयनित सामग्री की कुल कीमत में से कृषक को पात्रता अनुसार देय अनुदान राशि छोड़कर आवश्यक कृषक अंश राशि बीज निगम के बैंक खाते में जमा की जाती है। प्रदायक द्वारा संबंधित कृषकों को चयनित सामग्री प्रदाय करने एवं उसके भौतिक सत्यापन उपरांत कृषकों द्वारा चयनित प्रदायक संस्था के बैंक खाते में सामग्री की कुल कीमत (अनुदान राशि व कृषक अंश) का भुगतान किया जाता है। फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना (कंपोनेंट क्रमांक-4 एवं 6) अंतर्गत अनुदान राशि क्रेडिट लिंकड बैंक इंडेड सब्सिडी के रूप में बैंक को प्रदान की जाती है। प्रश्नांश 'क' की अवधि में कुल 31 कृषि यंत्रों की अनुदान राशि रू. 72.71 लाख लंबित है, जिनके देयकों के परीक्षण उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं

है।(ग) जी हाँ, प्रश्नांश 'क' की अवधि में कसडोल विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्डों में कुल 143 कृषक लाभांवित हुए हैं। वर्षवार, योजनावार, विकासखण्डवार एवं यंत्रवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"]

छ0ग0 गृह निर्माण मंडल के अविक्रित आवास

[आवास एवं पर्यावरण]

38. (क्र. 761) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला रायपुर में छ.ग. गृह निर्माण मंडल के पास वर्तमान में कितने एमआईजी, एचआईजी, ईडब्ल्यूएस मकान हैं जिनका विक्रय नहीं हो पाया है? जिलेवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार विक्रय नहीं हो पाने की स्थिति में उक्त मकानों के विक्रय के लिये विभाग के पास कोई कार्ययोजना है? (ग) क्या विभाग के पास ऐसे भी मकान हैं जिन्हें विक्रय नहीं किये जाने की स्थिति में वे जर्जर हो रहे हैं तो जानकारी प्रदान करें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जिला-रायपुर में छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के पास वर्तमान में 640 नग एम.आई.जी., 472 नग एच.आई.जी. एवं 456 नग ई.डब्ल्यू.एस. मकान है, जिनका विक्रय नहीं हो पाया है। **जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।(ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार विक्रय नहीं हो पाने की स्थिति में उक्त मकानों के विक्रय के लिए विज्ञापन, सघन प्रचार-प्रसार एवं भवनों के मूल्य में छुट प्रदान कर विक्रय का प्रयास किया गया है। भविष्य में मण्डल में विक्रय के लिए दीर्घ समय से रिक्त संपत्तियों को चिन्हांकित कर विक्रय की योजना तैयार की जा रही है।(ग) छ.ग. गृह निर्माण मण्डल में विक्रय हेतु रिक्त भवन जर्जर नहीं है, अपितु कुल 770 भवनों में सामान्य मरम्मत की आवश्यकता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]

छ.ग. राज्य कृषक विपणन, मण्डी बोर्ड निधि एवं कृषि उपज मंडी समिति से किया गया व्यय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

39. (क्र. 769) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या छ.ग. राज्य कृषक विपणन (मण्डी) बोर्ड निधि एवं कृषि उपज मंडी समिति से वर्ष 2023 से 28.11.2024 तक निर्माण कार्य बाजार चबूतरा /हाटबाजार/व्यायसिक परिसर एवं अन्य निर्माण कार्य कराये जाने हेतु राशि स्वीकृत हुई है? यदि हां तो राजनांदगांव जिला के कौन-कौन से मण्डी क्षेत्र के ग्रामों में क्या-क्या निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है एवं निर्माणाधीन/प्रचलित हैं? किये गये कार्यों की कार्यवार, स्वीकृत राशि, एजेंसीवार एवं उक्त कार्य के सत्यापन पश्चात राशि भुगतान की जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हां, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड निधि एवं कृषि उपज मंडी समिति निधि से वर्ष 2023 से 28.11.2024 तक निर्माण कार्य बाजार चबूतरा/हाटबाजार/व्यवसायिक परिसर एवं अन्य निर्माण कार्य कराये जाने हेतु राशि स्वीकृत हुई है। राजनांदगांव जिला के राजनांदगांव मंडी क्षेत्र के 02 ग्रामों में छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड निधि से 02 कार्य पूर्ण है। मंडी समिति निधि से राजनांदगांव मुख्य मंडी प्रांगण में 14 विभिन्न कार्यों मे से 05 कार्य अनुबंध स्तर, 09 कार्य निविदा स्तर पर है, 17 ग्रामों मे 50 कवर्ड शेड निर्माणाधीन है। डोंगरगांव मंडी क्षेत्र के 31 ग्रामों में पक्का फड़ एवं गोदाम के कार्य स्वीकृत तथा 18 ग्रामों में किसान कुटीर, स्वागत द्वार के कार्य पूर्ण है। डोंगरगढ़ मंडी क्षेत्र के 18 ग्रामों में पक्का फड़ एवं गोदाम के कार्य प्रस्तावित है तथा 12 ग्रामों मे सी.सी. रोड़, हाट बाजार, किसान कुटीर के कार्य निर्माणाधीन है। किये गये कार्यों की कार्यवार, स्वीकृत राशि, एजेंसीवार, एवं उक्त कार्य के सत्यापन पश्चात राशि भुगतान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

जिला कांकेर में आदिमजाति व अनुसूचित जाति विकास हेतु स्वीकृत राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

40. (क्र. 776) श्री आशा राम नेताम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आदिमजाति व अनुसूचित जाति के विकास हेतु विगत 2019 से नवम्बर, 2024 तक कुल कितनी राशि कांकेर जिला हेतुस्वीकृत हुई? **(ख)** प्रश्नांक (क) अंतर्गत उक्त स्वीकृत आबंटन से क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुए एवं कितना व्यय किया गया? इस वर्ष 2024-25 हेतु इस मद में कितना बजट प्रावधान है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** आदिमजाति व अनुसूचित जाति के विकास हेतु विगत 2019 से नवम्बर, 2024 तक कुल रू. 15628.87 लाख राशि कांकेर जिला हेतु स्वीकृत हुई है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।

जिला बस्तर स्थित आश्रम/छात्रावासों के लिए सामग्रियों की खरीदी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

41. (क्र. 781) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला बस्तर स्थित कौन-कौन से आश्रम/छात्रावासों में विगत दो वर्षों में क्या-क्या सामग्रियां, कितनी मात्रा में प्रदान की गयी हैं? कृपया बतावें? **(ख)** क्या प्रति आश्रम/छात्रावास बंटन राशि प्राप्त थी ? यदि हां, तो संस्थावार बंटन एवं व्यय राशि व किस मद अंतर्गत राशि प्राप्त हुयी थी बतावें? **(ग)** आश्रम/छात्रावासों हेतु सामग्रियों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया क्या थी? क्या पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया? **(घ)** अद्यतन स्थिति में संस्था की मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। आश्रम/छात्रावासवार आबंटन प्रदाय नहीं किया जाता है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** आश्रम/छात्रावास हेतु सामग्रियों का क्रय सक्षम अधिकारी (जिला कलेक्टर) से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर सी.एस.आई.डी.सी, ई-मानक व जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जाता है। सामग्री क्रय हेतु प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया गया है। **(घ)** अद्यतन स्थिति में संचालित समस्त संस्थाओं में मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी सामग्रियाँ उपलब्ध है।

आदिवासियों की भूमि की रजिस्ट्री

[वाणिज्यिक कर]

42. (क्र. 788) श्री प्रबोध मिंज : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीयन कार्यालय (पंजीयक एवं मुद्रांक) में वित्तीय वर्ष 2022-23 से दिनांक 30-11-24 तक आदिवासी भूमियों की रजिस्ट्री हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? कितने आवेदनों का निराकरण किया गया एवं कितने लंबित हैं, वर्षवार तथा ग्राम वार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में गलत रजिस्ट्री, रजिस्ट्री में अनियमितता तथा रजिस्ट्री रोकने हेतु कितनी शिकायतें एवं आवेदन किस-किस ग्राम से प्राप्त हुई, प्राप्त शिकायतों एवं आवेदन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीयन कार्यालय (पंजीयक एवं मुद्रांक) में वित्तीय वर्ष 2022-23 से दिनांक 30.11.2024 तक कुल 721 आदिवासी भूमियों की रजिस्ट्री के आवेदन प्राप्त हुए हैं । सभी 721 आवेदनों का निराकरण किया गया है तथा कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है । वर्षवार एवं ग्रामवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जानकारी "निरंक" है ।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

विधानसभा क्षेत्र लुण्डा में वनाधिकार पट्टा वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

43. (क्र. 789) श्री प्रबोध मिंज : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र लुण्डा में 2021-22 से नवंबर 2024 तक कितने वन अधिकार पट्टे वितरण किए जा चुके हैं? व्यक्तिगत वर्ग वार तथा सामुदायिक वनाधिकार पट्टे का पृथक पृथक वर्षवार एवं ग्रामवार रकबा सहित बतावें। (ख) कितने पात्र व्यक्तियों तथा समुदायों को वन अधिकार पट्टा दिया जाना प्रक्रियाधीन है तथा कितने प्रमुख अपात्रता के कारण अस्वीकृत किए गए हैं? (ग) वन अधिकार पट्टा दिए जाने की अंतिम समय सीमा, क्या शासन द्वारा निर्धारित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) 125 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 07 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) जानकारी निरंक है। (ग) वन अधिकार पत्रों का वितरण एक सतत् प्रक्रिया है। अतः वन अधिकार पत्र दिए जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

एन.एम.डी.सी. की इकाईयों से प्रदूषण, उसका दुष्प्रभाव, मुआवजा तथा उपाय

[आवास एवं पर्यावरण]

44. (क्र. 794) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) अनुसूचित क्षेत्र बस्तर में एन.एम.डी.सी. की इकाईयों के कारण कितने ग्राम तथा क्या-क्या जलस्रोत (नदियां आदि) प्रदूषण से प्रभावित हैं? (ख) प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? 2022-23 से 2024-25 में नवम्बर, 2024 तक कितना मुआवजा कितने व्यक्तियों को दिया गया है? (ग) क्या इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा संबंधित विधियों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है? 2019-20 से अब तक एन.एम.डी.सी. के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाहियों की गई है? (घ) क्या प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र में पीने के पानी की गुणवत्ता जांच की जाती है और स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) अनुसूचित क्षेत्र बस्तर में मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड की जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में चार लौह अयस्क खदानें {(1) डिपोजिट-5, बचेली, (2) डिपोजिट-10, बचेली, (3) डिपोजिट-11, बचेली एवं (4) डिपोजिट-14, किरंदुल} तथा मेसर्स एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड, ग्राम नगरनार, जिला- बस्तर में एक इंटीग्रेटेड आयरन एण्ड स्टील प्लांट संचालित है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जगदलपुर, जिला- बस्तर से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त स्टील प्लांट से एक ग्राम के 88 कृषकों की कुल रकबा 33.44 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित होना पाया गया। कार्यालय कलेक्टर, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के खदानों से 23 ग्राम के 359 कृषकों की कुल रकबा 188.187 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित होना पाया गया। वर्तमान में जलस्रोत प्रभावित होने जैसी स्थिति नहीं है। (ख) मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड के खदानों द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु चेक डेम, चेक बण्ड एवं टेलिंग डेम बनाये गये हैं। वर्तमान में शून्य निस्सारण की स्थिति रखी गई है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्रशर इकाईयों के ट्रांसफर पॉइंट, कन्वेयर बेल्ट को कवर किया गया है। क्रशर, स्क्रीन, लोडिंग प्लांट एवं हॉल रोड पर जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। मेसर्स एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इंटीग्रेटेड आयरन एण्ड स्टील प्लांट द्वारा संयंत्रों से जनित होने वाले दूषित जल के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र (एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट), कोक ओवन एवं बाय प्रोडक्ट रिकवरी प्लांट से जनित होने वाले दूषित जल के उपचार हेतु बायोलॉजिकल ऑक्सीजन प्लांट (बी.ओ.डी.) तथा शेष निस्साव के उपचार हेतु सेंट्रल एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये गये हैं। उपचारित जल का पुनः उपयोग स्लैग ग्रेन्यूलेशन, पिग कास्टिंग मशीन, डस्ट सप्रेसन एवं वृक्षारोपण आदि में किया जाता है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न स्रोतों पर आवश्यकतानुसार डस्ट क्लीनिंग सिस्टम, डिडस्टिंग सिस्टम, बैग फ़िल्टर, ईएसपी स्थापित किये गये हैं। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जगदलपुर, जिला- बस्तर से

प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2023-24 में ग्राम नगरनार में दूषित जल से प्रभावित फसल क्षति हेतु कुल 88 कृषकों को कुल रकबा 33.44 हेक्टेयर का प्रमाणित मानक पैदावार प्रति हेक्टेयर (किंटल) की दर से कृषि मुआवजा राशि रु. 16,78,937.00/- का भुगतान किया गया है। कार्यालय कलेक्टर, जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाडा से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक कुल 359 प्रभावित कृषकों में से 310 कृषकों को मुआवजा राशि रु. 5,16,81,099.00/- का भुगतान किया गया है। शेष 49 कृषकों को मुआवजा राशि भुगतान किया जाना प्रक्रियाधीन है।(ग) जी हाँ। प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(घ) कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड जगदलपुर एवं खण्ड दंतेवाडा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला बस्तर के विकासखण्ड जगदलपुर के एन.एम.डी.सी. स्टील प्लांट, नगरनार, एन.एम.डी.सी. किरंदुल व बचेली के खदानों एवं अन्य ग्रामों में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से की जाती है तथा स्वच्छ पेयजल हेतु नल जल योजना, सोलर पम्प एवं पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प स्थापित हैं। जिसके माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत जल प्रदाय योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस" \]](#)

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से स्वीकृत निर्माण कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

45. (क्र. 798) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020 से 2024 के मध्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत किन-किन ग्रामों में, कितनी-कितनी राशि के, कौन-कौन से निर्माण/विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गयी? कृपया वर्षवार तथा ग्रामवार जानकारी दें? (ख) कंडिका 'क' अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं? कृपया सूची दें? (ग) अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020 से 2024 के मध्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत 11 ग्रामों हेतु प्रति ग्राम राशि रु. 40.00 लाख के मान से राशि रु. 440.00 लाख की विभिन्ननिर्माण/विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- "अ" अनुसार है। (ख) स्वीकृत निर्माण कार्यों में से पूर्ण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- "ब" अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अविभाजित जिला राजनांदगाँव के खदानों या अन्य स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ की प्रदत्त अनुमति

[आवास एवं पर्यावरण]

46. (क्र. 800) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2023 से नवम्बर, 2024 तक खदानों या अन्य किस स्थान पर विस्फोटक पदार्थ के उपयोग हेतु किस-किस को अनुमति दी गई है? अनुमति देने का आधार क्या था? अनुमति प्राप्तकर्ता, प्रदानकर्ता का नाम/पदनाम, अनुमति दिनांक आदि की जानकारी दें? (ख) क्या विस्फोटक पदार्थ के उपयोग हेतु या विस्फोट करने से पूर्व अनुमति दी जाती है? यदि हां तो ली गई अनुमति की जानकारी, दिनांकवार, विकासखंडवार, नाम, विस्फोट दिनांक सहित दें? (ग) विस्फोट उपरांत किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी निरंक है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।(ख) जी हां, कार्यालय कलेक्टर, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से प्राप्त जानकारी अनुसार विस्फोटक पदार्थ के उपयोग हेतु या विस्फोट करने से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए। अनुमति की जानकारी निरंक है।(ग) जानकारी निरंक है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

किसान समृद्धि योजनांतर्गत दी जाने वाली पूर्व प्रचलित सब्सिडी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

47. (क्र. 809) श्री रोहित साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या विगत कई वर्षों से प्रचलित किसान समृद्धि योजनांतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी SC/ST को नलकूप खनन हेतु 18000/- पम्प हेतु 25000/-, OBC को नलकूप-15000/-पम्प-20,000/- एवं GEN को नलकूप 10000/- पम्प हेतु 15000/- रु बढ़ाने की कोई योजना प्रस्तावित है। यदि हां, तो कितनी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) किसान समृद्धि योजना में प्रचलित अनुदान दरों में से केवल नलकूप खनन पर दिये जा रहे अनुदान को सामान्य वर्ग के कृषकों हेतु रू. 10,000/- के स्थान पर रू. 25,000/-, अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषकों हेतु रू. 15,000/- के स्थान पर रू. 37,500/- एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों हेतु रू. 18,000/- के स्थान पर रू. 45,000/- करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

48. (क्र. 813) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं? (ख) प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए कहां-कहां छात्रावास बनाए गए हैं? उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? (ग) क्या अनु. जाति/अनु. जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की तरह अ.पि.वर्ग के छात्र-छात्राओं को सुविधा मिल रही है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? बतावें। (घ) क्या शासन ने नए छात्रावास एवं सुविधा संबंधी कोई योजना बनाई है? बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु निःशुल्क छात्रावास, शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति, भोजन सहाय योजनाएं संचालित हैं। (ख) प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के 08 प्री मैट्रिक एवं 47 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की अद्यतन स्थिति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ग) अनु. जाति/अनु. जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की तरह अ.पि.वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी सुविधा मिल रही है। (घ) शासन द्वारा नए छात्रावास खोलने हेतु एवं सुविधा संबंधी कोई अन्य योजना नहीं बनाई गई है। पूर्व में जारी शासन निर्देशों के तहत नियमानुसार सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला जशपुर में किसानों के लिए संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

1. (क्र. 30) श्रीमती गोमती साय : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला जशपुर में किसानों के हित में कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? क्या उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन सही रूप से हो रहा है ? यदि नहीं तो क्या कारण हैं? विवरण सहित जानकारी दें? (ख) क्या जिला जशपुर के किसानों को कम मात्रा में खाद, बीज दिये जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? उक्त समस्या के निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं? (ग) पिछले पांच वर्षों में विभाग द्वारा क्या-क्या सामग्री कहीं-कहीं और कितनी-कितनी मात्रा में किसानों को मुफ्त में बांटी गई? विकासखंडवार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला जशपुर में किसानों के हित में विभिन्न राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब अनुसार है। योजनाओं का क्रियान्वयन सही रूप से हो रहा है, अतः शेष जानकारी निरंक है। (ख) जशपुर जिले के किसानों को कम मात्रा में खाद, बीज दिये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शेष जानकारी निरंक है। (ग) पिछले पांच वर्षों में विभाग द्वारा वितरित सामग्री का विकासखण्डवार विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स एवं प्रपत्र द अनुसार है।

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में किसान पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

2. (क्र. 91) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने किसानों ने किसान पंजीयन हेतु आवेदन किया है? (ख) कंडिका 'क' के अनुसार प्राप्त आवेदनों में कितने किसानों का पंजीयन किया गया है एवं कितने किसानों का पंजीयन किस कारण से नहीं किया गया है? विस्तृत विवरण दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.10.2024 तक एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों के पंजीयन हेतु कुल 3478 आवेदन समितियों को प्राप्त हुआ। (ख) कंडिका 'क' के अनुसार कुल प्राप्त आवेदन में से 3473 कृषक का पंजीयन समिति द्वारा किया गया तथा 05 आवेदन आवेदित खसरा नं. अन्य के नाम पर प्रविष्ट होने के कारण पंजीयन नहीं हो सका।

आदिम जाति कल्याण विभाग बिलासपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

3. (क्र. 94) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) आदिम जाति कल्याण विभाग जिला बिलासपुर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 में कब-कब शासकीय पदों एवं कलेक्टर दर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रसारित किया गया? विज्ञापन की कापी उपलब्ध कराएं? (ख) कलेक्टर दर पर विगत तीन वर्षों 2021-22 से 2023-24 में कितने लोगों को स्थाई/अस्थाई नियुक्ति प्रदान की गयी? क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) कलेक्टर दर पर विगत तीन वर्षों में 2021-22 से 2023-24 तक स्थाई/अस्थाई नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

कलेक्टर आदिवासी विकास (सहायक आयुक्त) जिला-बिलासपुर द्वारा व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

4. (क्र. 95) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 25/11/2024 तक कलेक्टर, आदिवासी विकास (सहायक आयुक्त) जिला-बिलासपुर द्वारा किस-किस मद से, कितने कार्यों हेतु, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार, मदवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्रंशित अवधि में डी.एम.एफ.टी. मद से भी व्यय हेतु राशि प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो प्राप्त राशि को, किस-किस प्रयोजन हेतु, कितना कितना, व्यय किया गया? वर्षवार, जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या प्रश्रंश "ख" की प्राप्त राशि को निर्माण/मरम्मत कार्यों तथा सामग्री खरीदी हेतु भी व्यय किया गया? यदि हाँ, तो कितने कार्यों हेतु, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? कार्य ऐजेंसी/ ठेकेदार/सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म/ व्यक्ति के नाम सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) क्या शासन के नियमानुसार जिला स्तरीय छात्रावास समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो समिति का सदस्य एवं पदाधिकारी किसे और कब नियुक्त किया गया है? इस समिति की कब-कब बैठक आयोजित की गयी है? बैठक में क्या-क्या निर्णय लिया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। वर्ष 2024-25 की जानकारी निरंक है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है। (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

स्वायल हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत केमिकल खरीदी में भंडार क्रय नियम का उल्लंघन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

5. (क्र. 119) श्री राजेश मूणत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र 673), दिनांक 25 जुलाई, 2024 में यह बताया गया है कि वर्ष 2021 से वर्ष 2023 में कृषि विभाग के स्वायल हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत केमिकल खरीदी में भंडार क्रय नियम का उल्लंघन संबंधी प्रकरण की प्रारंभिक जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ तो इसमें कार्यवाही का निर्णय कब लिया जायेगा? (ख) क्या 1 जनवरी, 2023 से दिनांक 28/11/2024 तक सीवीड/ह्यूमिक/एमिनो एसिड की निरर्थक खरीदी का कोई प्रकरण संज्ञान में आया है? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हाँ। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में स्थित सीमेंट संयंत्रों द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन

[आवास एवं पर्यावरण]

6. (क्र. 120) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या प्रदेश में स्थित सभी सीमेंट संयंत्रों द्वारा पर्यावरण नियमों के अनुरूप डस्ट उत्सर्जन के सतत् परिमाणन के लिए चिमनियों में ऑनलाईन कनेक्टिविटी के साथ ऑनलाईन मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित नहीं किया गया है? क्या सभी सीमेंट संयंत्रों में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता मापन स्टेशन तथा दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित हैं एवं

शून्य निस्तारण की स्थिति का पालन सुनिश्चित कराया जाता है? क्या कृषक हित में सीमेंट संयंत्रों के पास स्थित ग्रामों की मिट्टी के नमूनों का संग्रहण कर प्रयोगशाला में परीक्षण कराया जाता है? **(ख)** क्या प्रदेश के सभी सीमेंट संयंत्रों के द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार संयंत्र के अंदर एवं बाहर वृक्षारोपण किया गया है? विवरण दें? **(ग)** प्रश्नांश "क" एवं "ख" में उल्लेखित नियमों का पालन होने संबंधी निरीक्षण किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है? कैलेण्डर वर्ष 2023 तथा 2024 में इस प्रकार के समस्त निरीक्षण, उसमें पाई गई त्रुटियों/सुधार की जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** प्रदेश में स्थित सभी सीमेंट संयंत्रों द्वारा पर्यावरण नियमों के अनुरूप डस्ट उत्सर्जन के सतत परिमाण के लिए चिमनियों में ऑनलाईन कनेक्टिविटी के साथ ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। जी हाँ, सभी सीमेंट संयंत्रों में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता मापन स्टेशन तथा दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित हैं एवं शून्य निस्तारण की स्थिति का पालन सुनिश्चित कराया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 04 जिलों रायपुर, बलोदाबाजार-भाटापारा, जांजगीर-चांपा, दुर्ग में सीमेंट संयंत्र स्थापित एवं संचालित है। उप संचालक कृषि, जिला- रायपुर एवं बलोदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमेंट संयंत्रों के समीप स्थित ग्रामों के मिट्टी के नमूनों का संग्रहण एवं परीक्षण किया गया है। उप संचालक कृषि, जिला-जांजगीर-चांपा एवं दुर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमेंट संयंत्रों के समीप स्थित ग्रामों के मिट्टी के नमूनों का संग्रहण एवं परीक्षण नहीं किया गया है। **(ख)** प्रदेश के 11 सीमेंट संयंत्रों में से 10 सीमेंट संयंत्रों द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार वृक्षारोपण किया गया है, शेष 01 सीमेंट संयंत्र को इसी वर्ष संचालन सम्मति जारी की गई है, उक्त संयंत्र द्वारा चरणबद्ध तरीके से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिस हेतु कार्ययोजना एवं बैंक गारंटी मण्डल में जमा की गई है। विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश "क" एवं "ख" में उल्लेखित नियमों का पालन होने संबंधी निरीक्षण मण्डल के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस" \]](#)

फसलों में छिड़काव के लिये कीटनाशक दवाओं की टेस्टिंग लैब

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

7. (क्र. 136) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कृषि विकास एवं कल्याण विभाग अंतर्गत बीज एवं फसलों में छिड़काव हेतु कीटनाशक दवाओं की जांच के लिये कितने लैब कहां-कहां स्थापित हैं तथा किन-किन माह में टेस्टिंग के लिये सैंपल भेजे जाते हैं और टेस्टिंग की समयावधि कितनी होती है? **(ख)** उक्त टेस्टिंग के दौरान कितने प्रकरण निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कर पाये और उसका कारण क्या है तथा इससे किसानों को क्या-क्या नुकसान उठाना पड़ा और उसका जिम्मेदार कौन है और क्या कार्यवाही उसके ऊपर अब तक की गयी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत बीज एवं फसलों में छिड़काव हेतु कीटनाशक दवाओं की जाँच के लिए वर्तमान में राज्य कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, राजनांदगाँव संचालित हैं। दो नवीन प्रयोगशालाएं नवीन कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला एवं बायोपेस्टीसाइड गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, रायपुर स्थापनाधीन है। मौसम खरीफ में माह अप्रैल से सितम्बर तथा रबी में अक्टूबर से मार्च तक की समयावधि में परीक्षण हेतु जिलों से नमूने प्रेषित किये जाते हैं। प्रयोगशाला में विश्लेषक को परीक्षण हेतु नमूने प्राप्ति उपरांत परीक्षण परिणाम जारी करने तक की समयावधि 30 दिवस की होती है। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत दिनांक 04.12.2024 तक की स्थिति में 90 कीटनाशक नमूनों का विश्लेषण परिणाम, निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुआ है, जिनमें से 85 नमूनों के परिणाम मानक तथा मात्र 05 नमूनों के परिणाम अमानक प्राप्त हुए। जिसका कारण मुख्य कृषि माह - जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में प्रयोगशाला को क्षमता से अधिक विश्लेषण हेतु नमूने जिलों से प्राप्त होना है। 05 नमूनों के परीक्षण परिणाम अमानक प्राप्त होते ही संबंधित जिलों द्वारा विक्रय प्रतिबंध की कार्यवाही की गयी है। किसानों को अमानक कीटनाशकों से नुकसान होना संज्ञान में नहीं आया है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

महासमुंद जिला अंतर्गत संचालित एकलव्य विद्यालय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

8. (क्र. 149) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) महासमुंद जिला अंतर्गत समस्त एकलव्य विद्यालय में वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024 में कब-कब, कितनी-कितनी राशि की सामग्री की खरीदी की गई? (ख) क्या उक्त खरीदी में वित्त निर्देश एवं भंडार क्रय नियम का पालन किया गया है अथवा नहीं? (ग) उपरोक्त खरीदी का भौतिक सत्यापन हुआ है अथवा नहीं? अगर हुआ है तो गठित समिति के सदस्यों का नाम एवं पदनाम की जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। वर्ष 2023-24 में एकलव्य विद्यालय में सामग्री क्रय की कार्यवाही नहीं की गई है। (ख) जी, हाँ। (ग) जी, हाँ। खरीदी का भौतिक सत्यापन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया गया है। जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

महासमुंद जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए प्रदत्त राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

9. (क्र. 150) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- महासमुंद जिले में वर्ष 2021-2022 से अक्टूबर, 2024 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए कितनी-कितनी राशि, किन-किन एजेंसियों, फर्मों व एनजीओ को प्रदान की गई है? क्या प्रश्नांश अवधि में आदिवासियों को प्रशिक्षण व सामग्री वितरण में फर्जीवाड़ा किए जान की शिकायत मिली है? अगर मिली है तो किन-किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? अगर नहीं तो क्यों? वर्षवार विवरण दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जिला महासमुंद में वर्ष 2021-22 में राशि रू. 236.74 लाख वर्ष 2022-23 में राशि रू. 458.31 लाख तथा वर्ष 2023-24 में राशि रू. 203.70 लाख इस प्रकार अक्टूबर 2024 तक कुल राशि रू. 898.75 लाख अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए शासकीय विभागों को कार्य की प्रकृति अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी निर्धारित करते हुए राशि उपलब्ध कराया गया है। फर्म व एनजीओ को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त नहीं किया गया है। न ही राशि प्रदान की गई है। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। प्रश्नांश अवधि में आदिवासियों को प्रशिक्षण व सामग्री वितरण में किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस"]

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत स्वीकृत राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

10. (क्र. 486) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में 26 नवम्बर, 2024 तक एकीकृत आदिवासी परियोजना अंतर्गत कौन-कौन से कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? जानकारी दें? (ख) उक्त योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

जिला बिलासपुर एवं मुंगेली अंतर्गत कृषि कल्याण हेतु उपकरण का क्रय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

11. (क्र. 534) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2024 तक जिला बिलासपुर एवं मुंगेली अंतर्गत कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कुल कितने, कौन से, कब, किस दर पर, किस फर्म से, किनके लिये व किस प्रक्रिया के आधार पर उपकरण खरीदे गए? इन उपकरणों हेतु कब क्रय आदेश दिये गए व कब उपकरण हितग्राहियों को प्रदाय किये गए? विलंब से कौन-कौन से उपकरण किन-किन फर्म द्वारा प्रदाय किये गए? फर्मवार व उपकरणवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जनवरी, 2022 से नवम्बर 2024 तक जिला बिलासपुर एवं मुंगेली में विभाग अंतर्गत संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत कृषकों को प्रदाय हेतु क्रय किए गए यंत्रों/उपकरणों की योजनावार, वर्षवार, जिलेवार एवं फर्मवार जानकारी क्रमशः **संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैतालीस" \]](#)

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की विभागीय जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

12. (क्र. 535) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 26/11/2024 तक विभाग में किन-किन प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की विभागीय जांच, निलंबन व बर्खास्त करने की कार्यवाही की गई व क्यों? वर्षवार प्रकरणवार कारणवार जानकारी देवें? **(ख)** किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें किस-किस के द्वारा, कब-कब की गई हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)**जानकारी संलग्न प्रपत्र -अ अनुसार है ।**(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र - ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस" \]](#)

म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-49 (6) के विलोपन हेतु

[वित्त]

13. (क्र. 546) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति में राज्य में पेंशनधारी तथा परिवार पेंशनधारी सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संख्या कितनी है? **(ख)** मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-49 (6) में पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की स्वीकृति के पूर्व क्या दोनों राज्यों की परस्पर सहमति की बाध्यता है? **(ग)** यदि हां, तो सरकार द्वारा धारा-49 (6) को विलोपित करने हेतु किस प्रकार की कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** 31 अक्टूबर 2024 के स्थिति में राज्य में पेंशनधारी की संख्या 92,329 तथा परिवार पेंशनधारी की संख्या 64,135 है। **(ख)** केन्द्रीय शासन द्वारा अधिनियमित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 एवं छठी अनुसूची में पेंशन दायित्व के प्रभाजन हेतु नवीन दायित्वों के सृजन पर सहमति आवश्यक है। **(ग)** मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 केन्द्रीय शासन द्वारा अधिसूचित अधिनियम है। केन्द्रीय शासन के अधिनियम में कोई संशोधन/विलोपन केन्द्रीय शासन द्वारा ही किया जा सकता है।

जिला रायगढ़ अंतर्गत आश्रम छात्रावास निर्माण / मरम्मत में व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

14. (क्र. 559) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत कितने आश्रम शाला एवं छात्रावास संचालित है? कितने भवन-विहीन है? कितने जर्जर अवस्था में है? नाम सहित जानकारी देवें? **(ख)** जिला रायगढ़ में वर्ष 2023-24 से नवम्बर, 2024 तक कितने आश्रम व छात्रावासों की मरम्मत व नवीन निर्माण कार्य कराये गये है? उक्त समयावधि में ज़िले में कितनी राशि आवंटित की गयी है? किन-किन कार्यों में कितनी राशि खर्च की गयी है? क्या वर्तमान में कोई कार्य लंबित है? अगर लंबित है तो क्या कार्यवाही की गयी है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** रायगढ़ जिले अंतर्गत 30 आश्रम एवं 111 छात्रावास संचालित है। जिसमें से 15 भवन विहीन है और 10 अति जर्जर अवस्था में है। छात्रावास/आश्रमों की नाम सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स'** अनुसार है। **(ख)** रायगढ़ जिले में वर्ष 2023-24 से नवम्बर, 2024 तक कुल 55 छात्रावास/ आश्रमों की मरम्मत कार्य कराये गये है। वर्ष 2023-24 में 02 निर्माण कार्य प्रगतिरत है। उक्त समयावधि में जिले में राशि रू. 777.25 लाख आबंटित की गई है। जिसमें से राशि रू. 367.78 लाख व्यय की गई है। वर्तमान में 01 कार्य छात्रावासी विद्यार्थियों के रहने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण लंबित है तथा 01 भवन निर्माण कार्य भूमि चयन सही नहीं होने के कारण अप्रारंभ है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'द'** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

विभागीयों योजनाओं से जिला सक्ती में लाभान्वित किसान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

15. (क्र. 566) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** सक्ती जिले में जनवरी, 2021 से 28.11.24 तक कृषि विभाग द्वारा योजनाओं (हितग्राही मूलक) में कितने किसानों को लाभान्वित किया गया वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या सक्ती जिले के सभी विकासखण्डों में कृषि विभाग द्वारा हितग्राही किसानों को जातिवार लाभान्वित किया गया है? क्या अजा./अ.ज.जा. वर्ग के किसानों को योजनाओं का लाभ दिया गया? यदि हाँ, तो जानकारी देवें? **(ग)** क्या उक्त अवधि में विभिन्न योजनाओं में आरक्षण के आधार पर पात्र अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को लाभ दिया गया? यदि हाँ, तो वर्गवार संख्यात्मक जानकारी देवें? **(घ)** क्या सक्ती जिले में आरक्षित वर्ग के किसानों को मिलने वाली हितग्राही मूलक एवं सामूहिक योजनाओं का लाभ अन्य वर्ग को दे दिया गया? यदि हाँ, तो क्यों तथा किस आधार पर?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** सक्ती जिले में जनवरी, 2021 से 28.11.24 तक विभागीय हितग्राहीमूलक योजनाओं से कुल **57,805** किसान लाभान्वित हुए हैं। लाभान्वित किसानों की वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब अनुसार है। (ख)** जी नहीं। विभागीय योजनाओं में लक्ष्यों का विभाजन जातिवार नहीं अपितु वर्गवार यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य (अन्य पिछड़ा वर्ग समाहित) किया जाता है। जी हाँ, अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के किसानों को योजनाओं का लाभ दिया गया है। वर्गवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब अनुसार है। (ग)** जी हाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (किसान समुद्धि योजना के अतिरिक्त शेष योजनाओं में अनारक्षित वर्ग में सम्मिलित) को लाभान्वित किया गया है। वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब अनुसार है। (घ)** जी नहीं।

अद्यानिकी प्रोत्साहन हेतु संचालित योजनाओं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

16. (क्र. 574) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में विभाग द्वारा उद्यानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए कौन-कौन सी योजना संचालित की जा रही है? वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं वर्तमान वर्ष में दिनांक 28.11.2024 तक जांजगीर-चाम्पा जिले के कितने किसानों को उद्यानिकी प्रोत्साहन हेतु निःशुल्क कृषि उपकरण, उपकरण क्रय हेतु अनुदान राशि, एवं अन्य सामग्री प्रदाय की गई? विधानसभावार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** उद्यानिकी को प्रोत्साहन देने हेतु जांजगीर-चाम्पा जिले के कृषकों को प्रश्नांश (क) मई अवधि में क्या किसी प्रकार की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई? यदि हां तो कितने किसानों को प्रशिक्षित किया गया व प्रशिक्षण में कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** जांजगीर-चाम्पा जिले के किसानों को वर्ष 2023-2024 एवं वर्तमान वर्ष 2024-2025 में दिनांक 28.11.2024 तक ट्रैक्टर क्रय में अनुदान हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध कितने किसानों को अनुदान राशि प्रदान की गई? किसानों को जारी अनुदान राशि की जानकारी वर्षवार व विधानसभावार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रदेश में विभाग द्वारा उद्यानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए संचालित की जा रही राज्य पोषित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है।** विभागीय योजनाओं में जानकारीयों का संधारण विकासखण्डवार किया जाता है। वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 तथा वर्ष 2024-25 में दिनांक 28.11.2024 तक कृषकों को निःशुल्क तथा अनुदान पर प्रदत्त कृषि उपकरण एवम अन्य सामग्री की विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है।** **(ख)** उद्यानिकी को प्रोत्साहन देने हेतु जांजगीर-चांपा जिले के कृषकों को प्रश्नांश क की उल्लेखित अवधि के मई माह में किसी प्रकार की प्रशिक्षण या कार्यशाला आयोजित नहीं की गई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** उद्यानिकी योजनाओं के अंतर्गत अनुदान पर ट्रैक्टर क्रय हेतु जांजगीर-चांपा जिले के किसानों को वर्ष 2023-24 एवं वर्तमान वर्ष 2024-25 में दिनांक 28.11.24 तक ट्रैक्टर क्रय में अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुये है अतः शेष जानकारी निरंक है।

फसलो मे कीट एवं व्याधि की रोकथाम हेतु द्वारा किए जा रहे प्रयास

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

17. (क्र. 575) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों अथवा विभाग द्वारा फसलों पर होने वाली कीट पतंगों एवं व्याधियों से बचाव हेतु विगत 03 वर्ष में क्या-क्या प्रयास तथा रिसर्च/परीक्षण किया गया कौन-कौन से फसलों में किस-किस प्रकार की बीमारियां ज्यादा पाई गई एवं उसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं? रिपोर्ट की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** फसलों में कीट एवं व्याधि से रोकथाम हेतु विभाग द्वारा कृषकों को जागरूक करने के लिए विगत 3 वर्षों में कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित किए गए एवं उस पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? जिलावार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार में किए गए व्यय की जानकारी जिलावार, पृथक-पृथक उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विभाग अंतर्गत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विगत 03 वर्षों में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं में धान, अलसी, अरहर एवं सब्जी वर्गीय फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन संबंधी प्रयोग किये गये है। प्रयोग के दौरान उक्त फसलों में पाये गये प्रमुख कीटव्याधि एवं रोग तथा रोकथाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** इसके अतिरिक्त खरीफ 2022, खरीफ 2023 एवं खरीफ 2024 में बालोद, जांजगीर चांपा, सरगुजा, अंबिकापुर, बेमेतरा, कबीरधाम, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोरबा एवं महासमुंद जिलों में धान फसल में उत्पादन उन्मुख सर्वे भी किया गया है, सर्वे के दौरान पाये गये प्रमुख कीटव्याधि एवं रोगों तथा रोकथाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** फसलों के कीटव्याधि एवं रोगों की रोकथाम हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये साथ ही स्कूल ट्रेनिंग फॉर

रूरल यूथ तथा प्लांट हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम अंतर्गत कृषकों को प्रशिक्षित किया गया, लाभान्वित कृषकों एवं प्रशिक्षण की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है। (ख)** फसलों में कीट एवं व्याधि से रोकथाम हेतु कृषकों को जागरूक करने के लिए विभाग में पृथक से कोई योजना या कार्यक्रम संचालित नहीं है। अपितु विभिन्न विभागीय योजनाओं में प्रचार-प्रसार की गतिविधियों में समन्वित कीट एवं रोग प्रबंधन का विषय प्रायः सम्मिलित रहता है। प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, फसल प्रदर्शन, कृषक संगोष्ठी, फार्म स्कूल, प्रदर्शनी, किसान मेला आदि विभाग की प्रचार-प्रसार की गतिविधियां है, जो मुख्यतः एक्सटेंशन रिफार्म (आत्मा), जैविक खेती मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, परम्परागत कृषि विकास योजना, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम, रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट आदि योजनाओं के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती है। विगत 03 वर्षों में विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार की गतिविधियों में व्यय की गयी राशि की वर्षवार, जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे-इ अनुसार है।**

आदिमजाति, अनु. जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के द्वारा निर्माण कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

18. (क्र. 582) श्री फूलसिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सत्र 2021 से 2023-24 में 26.11.2024 तक आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य कराए गये है? मदवार स्वीकृत राशि एवं पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी उपलब्ध करावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचास " \]](#)

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों की स्वीकृति

[वित्त]

19. (क्र. 589) श्री ललित चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से संबंधित वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित कितने विकास कार्यों की स्वीकृति वित्त विभाग से दी गई है तथा कितने विकास कार्यों के प्रस्ताव विभाग में लंबित हैं ? विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार लंबित प्रस्तावों पर वित्त विभाग की स्वीकृति कब तक दी जावेगी? **(ग)** क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वित्त विभाग की कोई विशेष योजना है? यदि हां तो क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का मूल दायित्व संबंधित विभाग का ही है। वित्त विभाग द्वारा विभागों को बजट आबंटन उपलब्ध कराया जाता है। बजट में प्रावधानित कार्यों की स्वीकृति की कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। 3 करोड़ तक के अपरीक्षित मद के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही विभागों द्वारा की जाती है। 3 करोड़ से ज्यादा अपरीक्षित मद के कार्यों हेतु वित्त विभाग से सहमति ली जाती है। ऐसी सहमति का कोई प्रस्ताव वित्त विभाग में लंबित नहीं है। वित्त विभाग में विकास कार्यों की स्वीकृति की जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार संधारित नहीं है। **(ख)** प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(ग)** विभागों द्वारा ही विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की कार्यवाही की जाती है, वित्त विभाग द्वारा नहीं। वित्त विभाग द्वारा उन योजनाओं पर सहमति देते हुए बजट प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है।

रावत जाति को राज्य के पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने संबंधी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

20. (क्र. 594) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छ.ग. प्रदेश में रावत जाति को राज्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने बाबत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशानुसार 28/11/24 तक कृत कार्यवाही का ब्यौरा बताएं? **(ख)** प्रश्नांश ' क ' के

मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु अपूर्ण कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जाएगी? इस हेतु क्या प्रक्रिया की जा रही है? (ग) छ. ग. प्रदेश में रावत जाति को राज्य की पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में विलंब का क्या कारण है तथा इसके जिम्मेदार कौन हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छ.ग. प्रदेश में रावत जाति को राज्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल करने बाबत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशानुसार केन्द्रीय सूची में शामिल किये जाने हेतु प्रेषित प्रस्ताव के साथ मानवशास्त्रीय अध्ययन प्रेषित करने निर्देश दिये गये है। दिनांक 28.11.2024 तक रावत जाति के संबंध में कुछ जिलों में अध्ययन किया जा चुका है, कुछ जिला में मानवशास्त्रीय अध्ययन प्रक्रियाधीन है, जिसे जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में निवासरत 'रावत' जाति के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, रीति-रिवाज, संस्कार, पारंपरिक व्यवसाय आदि के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया की जा रही है। (ग) छ.ग. प्रदेश में रावत जाति को राज्य की पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल करने की प्रक्रिया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशानुसार वृहद मानवशास्त्रीय अध्ययन कर पूर्ण की जानी है, चूंकि मानवशास्त्रीय अध्ययन राज्य के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर समुदाय के मध्य रहन-सहन, रीति-रिवाज इत्यादि का गहन अध्ययन कर सांख्यिकीय आंकड़े तैयार कर किया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है। मानवशास्त्रीय अध्ययन चूंकि लंबी व जटिल प्रक्रिया है विलंब का कारण प्रक्रियागत है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

जिला-महासमुद्र में फसल बीमा योजना के तहत भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

21. (क्र. 597) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-महासमुद्र में फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22, 2022-23 खरीफ, रबी तथा 2023-24 खरीफ फसल हेतु कुल कितने कृषकों के, कितने रकबा की फसल का बीमा किया गया तथा उसके विरुद्ध कितने कृषकों को, कितनी राशि का भुगतान किया गया विकासवार, वर्षवार बतायें? (ख) प्रश्नांश 'क' की समयवधि में फसल बीमा न मिलने सम्बंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई व क्या कार्यवाही की गई? जिलावार बतायें? (ग) उक्तावधि में फसल बीमा योजना से वंचित, राशि अप्राप्तता के जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्था पर क्या कार्यवाही की गई ? बीमा राशि प्राप्त न कर पाने वाले कृषकों को राशि भुगतान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) फसल बीमा योजनाओं में जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है। कृषि फसलो के बीमा हेतु लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला महासमुद्र में वर्ष 2021-22, 2022-23 मौसम खरीफ व रबी तथा वर्ष 2023-24 मौसम खरीफ अंतर्गत अधिसूचित फसल हेतु वर्षवार, मौसमवार, बीमित कृषक, बीमित रकबा, दावा भुगतान की तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** प्रश्नाधीन अवधि में ही उद्यानिकी फसलो के बीमा हेतु क्रियान्वित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्षवार, मौसमवार, बीमित कृषक, बीमित रकबा, दावा भुगतान की तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**(ख) प्रश्नांश 'क' की अवधि में महासमुद्र जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा नहीं मिलने संबंधी कुल 111 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 109 शिकायतों का निराकरण किया गया है एवं 02 शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा राशि नहीं मिलने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) प्रश्नांश "क" की अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 02 कृषकों द्वारा बीमित कराई गई फसल की त्रुटिपूर्ण जानकारी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दर्ज करने के कारण कृषको को बीमा दावा भुगतान नहीं मिल पाया है। जिसके परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति, जिला महासमुद्र द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को कृषको को पात्रता अनुसार बीमा दावा राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये गये है। पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 02 कृषकों से त्रुटिपूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के कारण बीमा दावा भुगतान नहीं किया जा सका है। विभागीय अमले एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा संबंधित कृषकों से संपर्क कर सही दस्तावेज प्राप्त

करने का प्रयास किया गया, किन्तु प्रश्राधीन अवधि तक कृषकों से संपर्क स्थापित नहीं होने के कारण बीमा दावा राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिका छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

22. (क्र. 621) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कौन सी योजना / छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है? **(ख)** क्या इनके लिए बालक / बालिका छात्रावास संचालित हैं ? यदि हां, तो इनके विद्यार्थियों की वर्तमान में दर्ज संख्या कितनी है? **(ग)** खाद्यान्न की उपलब्धता कितनी है? क्या इन्हें मीनू अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है? अगर हाँ, तो मीनू प्रदान करें? **(घ)** क्या छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण योजना की सुविधा मिल रही है? अगर हाँ तो कितने छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं? **(ङ)** क्या इनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है? अगर हाँ तो कब-कब?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला सरगुजा अंतर्गत सीतापुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में निवासरत कुल 1313 विद्यार्थियों को छात्रावास योजना अंतर्गत निःशुल्क आवास, शिष्यवृत्ति एवं 650 अनुसूचित जाति एवं 9291 अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। **(ख)** जी हां । जिला सरगुजा अंतर्गत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के 17 बालक तथा 11 बालिका इस प्रकार कुल 28 बालक एवं बालिका छात्रावास संचालित है। जिसमें 789 बालक एवं 515 बालिका इस प्रकार कुल 1313 विद्यार्थी निवासरत है। उक्त विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रावास/आश्रम संचालित नहीं है। **(ग)** खाद्यान्न की उपलब्धता प्रति माह प्रति छात्र 15 किलो ग्राम के मान से 1313 बालक/बालिकाओं हेतु 19695 किलो ग्राम खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है। छात्र-छात्राओं को मीनू अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मीनू की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(घ)** जी हाँ । सीतापुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 08 केन्द्रों में विशेष शिक्षण योजना की सुविधा मिल रही है, जिसमें कुल 916 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। **(ङ)** जी हाँ। सीतापुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। जिन स्थानों पर स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है उन छात्रावासों के छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना अंतर्गत नियुक्त चिकित्सकों द्वारा माह में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में शाकम्भरी योजना से लाभान्वित कृषक

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

23. (क्र. 622) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या शाकम्भरी योजना के तहत कृषकों को कूप निर्माण या पम्प के लिए अनुदान दिया जाता है? विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक कितने कृषकों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी, हाँ। राज्य पोषित शाकम्भरी योजनान्तर्गत कृषकों को कूप निर्माण एवं सिंचाई पम्प पर अनुदान प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड बतौली, मैनपाट एवं सीतापुर में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक योजनान्तर्गत नवीन प्रदाय व्यवस्था चैम्पस प्रणाली अंतर्गत 580 कृषकों को सिंचाई पम्प पर अनुदान दिया गया है। वर्षवार, विकासखण्डवार लाभान्वित किसानों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। योजनान्तर्गत कूप निर्माण कार्य की जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में चिराग योजना के तहत किसानों का प्रशिक्षण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

24. (क्र. 623) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** चिराग योजना अंतर्गत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के कितने किसानों को फसलों की अधिक पोषक मूल्य वाली किस्में उगाने के लिए प्रेरित / प्रशिक्षित किया गया है ? **(ख)** क्षेत्र की कौन-कौन सी पोषण युक्त फसलों के उत्पादन पर विशेष महत्व दिया गया है ? **(ग)** इस योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि प्रदान की गई है ? **(घ)** कितने किसानों को कृषि उपकरण या सब्सिडी का लाभ दिया गया है ? **(ङ)** कितनी आदिवासी महिलाओं को पोषण सखी के रूप में तैयार किया गया है ? कहाँ-कहाँ कार्यरत हैं ? कौन कौन से स्वयं सहायता समूह इस योजना से जुड़े हैं? अगर नहीं तो पोषण सखी का गठन कर उन्हें कार्य कब तक किया जायेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** चिराग परियोजना अंतर्गत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में केवल मैनपाट विकासखंड ही चयनित है, जिसमें किसानों को कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। **(ख)** इस प्रयोजन हेतु किसी फसल विशेष का चयन नहीं किया गया है। **(ग)** इस योजना के तहत वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में राशि प्रदाय की जानकारी निरंक है। **(घ)** किसी भी किसान को कृषि उपकरण या सब्सिडी का कोई लाभ नहीं दिया गया है। **(ङ)** विकासखंड मैनपाट में कुल 40 पोषण सखी चयनित है, जिसमें 27 आदिवासी महिला पोषण सखी है, जो ग्राम परपटिया, पैगा, सुपलगा, केसरा, कतकालो, कोटछाल, पेंट, खड़गांव, महारानीपुर, समरिया, कलजीवा, असकरा, बिसरपानी, कुदारीडीह, असगवा, बंदना, करमहा, कदनई, उडुमकेला, राजापुर, सलाइनगर, जामढोढ़ी, हरामार, जामकानी, कुकुरीखुर्द, चैनपुर, डंसगबुद्धा में कार्यरत है। अभी तक कोई भी स्वयं सहायता समूह इस योजना से नहीं जुड़े है। पोषण सखी द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवीन कृषि तकनीकी का समावेश

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

25. (क्र. 644) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सरकार द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवीन कृषि तकनीकी को अपनाने में किसानों की सहायता करने के लिए क्या उपाय शुरू किए गए हैं? **(ख)** क्या सरकार ने उन प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान किया है या कर रही है, जिनका किसानों के लिए व्यावहारिक उपयोग हो? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्योरा प्रदाय करें? **(ग)** किसानों को प्रौद्योगिकी और नवीन कृषि तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकारी योजनाओं एवं नीतियों का विवरण दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** सरकार द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषकों की सहायता के लिये विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधान मंत्री फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि का संचालन पोर्टल एवं एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे योजनाओं का एण्ड टू एण्ड डिजिटाइजेशन भी हुआ है। साथ ही कृषकों का पंजीयन, कृषकों के आवेदन की स्थिति का अवलोकन, मोबाईल पर विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं समसमायिक फसल संबंधी जानकारी, विभिन्न योजनाओं अंतर्गत कृषकों को राशि का भुगतान उनके खाते में करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया गया है। कृषि विश्व विद्यालय द्वारा क्रॉप डॉक्टर 2.0 एप के माध्यम से मॉडल खेती, ई-हॉट, ई-कृषि पंचाग, मौसम संबंधित जानकारी तथा कृषि सलाह प्रदान की जाती है, साथ ही किसान मेला, राज्योत्सव, नवाचार इत्यादि में किसानों को नवीन तकनीकी से अवगत कराया जाता है। **(ख)** प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान कार्य शासन अंतर्गत स्थापित अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। उक्त संस्थाओं के द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी जैसे सेंसर आधारित सिंचाई प्रबंधन, रियल टाइम में मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त करने, एआई के माध्यम से फसल रोग के पहचान, फसल उत्पादों के उचित मूल्य कृषकों तक पहुंचाने हेतु ब्लॉकचेन, बायोफर्टिलाइजर एवं बायोपेस्टिसाइड के पर्यावरण अनुकूल विकल्पों पर अनुसंधान किया जा रहा है, साथ ही फिल्ट्र डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट एवं कृषकों के फीड बैंक के आधार पर उपरोक्त तकनीकों को

व्यवहारिक बनाया जा रहा है। (ग) विभाग की योजनायें जिनके माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकी और नवीन कृषि तकनीकी सहायता प्रदान किया जा रहा है, की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है।**

गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्माण एवं आवंटन

[आवास एवं पर्यावरण]

26. (क्र. 667) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-चौकी एवं केसीजी अंतर्गत 01 जनवरी 2020 से 25/11/2024 तक गृहनिर्माण मण्डल द्वारा कहां-कहां, कितने-कितने भवन निर्माण कार्य किये गये हैं? भवन निर्माण पश्चात् आबंटन हेतु क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई? भवनों को कितने व्यक्ति को आबंटित किया गया? जानकारी विकासखंडवार, ग्राम/शहर के नाम सहित देवें? क्या भवन निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई? यदि हां तो कहां-कहां के लिए कितनी-कितनी राशि की निविदा आमंत्रित की गई? निविदा उपरांत किस फर्म/एजेंसी को कार्य दिया गया? क्या निर्माणाधीन एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि से अधिक समय पर कार्य पूर्ण किया गया? यदि हां, तो निर्माण कार्य में देर होने पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें? (ख) भवन निर्माण पश्चात् ऐसे कितने भवन हैं, जिनका आबंटन नहीं हो पाया है? विकासखंडवार, भवनों की संख्या, भवनों की वर्तमान स्थिति सहित देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में जिला राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-चौकी अंतर्गत कोई भवन का निर्माण नहीं किया गया है एवं जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) अंतर्गत विकासखण्ड/शहर खैरागढ़ में दीनदयाल आवास योजना अंतर्गत 48 नग एल.आई.जी भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। भवनों का आबंटन स्ववित्तीय आधार पर किया गया है। 37 व्यक्तियों को भवनों का आबंटन किया जा चुका है, जिसकी **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** शेष 11 भवनों के लिए ऑनलाईन ऑफर आधार पर पंजीयन जारी है। जी हां, भवन निर्माण हेतु खैरागढ़ के लिए राशि रू. 513.61 लाख की निविदा आमंत्रित की गई। निविदा उपरांत मेसर्स जय बाबा बैजनाथ कंस्ट्रक्शन बी- वर्ग ठेकेदार ग्राम मोहतराकला पण्डरिया जिला कबीरधाम को कार्यदिश दिया गया। जी नहीं, भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता तिथि 12/02/2025 है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश 'क' में दी गई जानकारी अंतर्गत सभी भवन निर्माणाधीन है, अतः जानकारी निरंक है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

जिला राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-चौकी एवं केसीजी अंतर्गत पंजीकृत खदान, उद्योग एवं संस्थान

[आवास एवं पर्यावरण]

27. (क्र. 668) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-चौकी एवं केसीजी अंतर्गत पर्यावरण विभाग में पंजीकृत समस्त फर्म/एजेंसी/संस्था/उद्योग/खदान संचालित हैं, जानकारी विकासखंडवार देवें? (ख) क्या उक्त पंजीकृत समस्त संस्थाओं का वर्ष 2023 से 25/11/2024 तक में निरीक्षण किया गया निरीक्षण में क्या पाया गया तथा क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।**

बस्तर संभागांतर्गत कृषकों के लिए संचालित योजनायें एवं लाभान्वित कृषक

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

28. (क्र. 680) श्री कवासी लखमा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) कृषकों के लिए शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? संचालित योजनाओं में कृषकों को

कितनी-कितनी राशि की सब्सिडी दी जाती है? **(ख)** शासन द्वारा संचालित योजनाओं से कितने कृषक लाभान्वित हुए? बस्तर संभाग में लाभान्वित कृषकों की संस्थात्मक जानकारी जिलेवार, विकासखण्डवार देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कृषकों के लिए विभाग द्वारा संचालित योजनाएं एवं उक्त योजनाओं में कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सब्सिडी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-इ अनुसार है। (ख)** विभाग द्वारा बस्तर संभाग में संचालित योजनाओं से लाभान्वित कृषकों की जिलेवार, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स, प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-इ अनुसार है।**

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर कृत कार्यवाही

[वित्त]

29. (क्र. 701) श्री दीपेश साह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वर्ष 2020-21 से 25.11.2024 तक कितने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या आर्थिक अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई? इनमें कितनों की जाँच हुई, जाँच प्रारंभ होने का दिनांक, जाँच पूर्ण होने का दिनांक की जानकारी है। अगर जाँच लंबित है तो क्यों और कब तक पूरी हो जायेगी ? जिनकी जाँच पूरी हुई है, उसमें शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? वर्षवार जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : वर्ष 2020-21 से 25.11.2024 तक वित्त विभाग के अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या आर्थिक अनियमितता की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

गुरुकुल छात्रावास पेंडा में हुए मरम्मत कार्य की निविदा

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

30. (क्र. 711) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** गुरुकुल आदिवासी छात्रावास पेंडा का मरम्मत कार्य कौन से मद एवं कितनी राशि से स्वीकृत किया गया था? मरम्मत में कौन कौन से कार्य किया जाना था? **(ख)** गुरुकुल आदिवासी छात्रावास पेंडा के मरम्मत हेतु कौन कौन से समाचार में निविदा विज्ञापन जारी किया गया था? कौन कौन से फर्म एवं संस्था निविदा में शामिल हुये? **(ग)** उक्त के मरम्मत में कौन कौन से कार्य के लिए कितनी राशि का व्यय हुआ ? कौन कौन से फर्म और ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया? विस्तृत जानकारी क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** गुरुकुल आदिवासी छात्रावास पेंडा का मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 2023-24 में 33-2202-0979-24-011 गुरुकुल क्रीड़ा परिसर अनुरक्षण मद में राशि रू. 144.62 लाख स्वीकृति प्राप्त हुई है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

कोटा विकासखण्ड अंतर्गत कृषि विभाग के स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

31. (क्र. 712) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** कोटा विकासखंड में कौन कौन से निर्माण कार्य विगत 03 वर्षों में तथा इस वर्ष में 25/11/2024 तक स्वीकृत किये गये हैं? योजना का नाम वर्ष एवं लागत राशि क्या है? कार्य एजेंसी कौन है? वर्षवार जानकारी दे ? **(ख)** प्रश्नांक अवधि तक उक्त स्वीकृत कार्य में से कितने कार्य, कब पूर्ण हो चुके हैं? कितने अपूर्ण हैं? किन कारणों से अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे? **(ग)** कौन कौन से

अपूर्ण कार्यों का कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है? उक्त अपूर्ण कार्य के विरुद्ध कितना प्रतिशत और राशि कार्य एजेंसी को भुगतान की जा चुकी है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कोटा विकासखण्ड में विगत 03 वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) तथा इस वर्ष (2024-25) में दिनांक 25.11.2024 तक स्वीकृत कार्य की वर्षवार, योजनावार लागत राशि एवं कार्य एजेंसी की जानकारी **पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र अ, प्रपत्र ब, प्रपत्र स एवं प्रपत्र द अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक अवधि तक 144 स्वीकृत कार्यों मे से 136 कार्य पूर्ण, 04 कार्य अपूर्ण एवं 4 कार्य अप्रारंभ है। पूर्ण कार्यों का पूर्णता दिनांक, अपूर्णता का कारण, अपूर्ण कार्यों के संभावित पूर्णता दिनांक की जानकारी **पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र अ, प्रपत्र ब, प्रपत्र स एवं प्रपत्र द अनुसार है। (ग)** अपूर्ण कार्यों के पूर्णता का प्रतिशत, अपूर्ण कार्यों के विरुद्ध बिल भुगतान का प्रतिशत एवं कार्य एजेंसी को भुगतान राशि की जानकारी **पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र अ, प्रपत्र ब, प्रपत्र स एवं प्रपत्र द अनुसार है।**

आदिवासी विकास प्राधिकरण में मुंगेली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत गांवों को शामिल किया जाना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

32. (क्र. 714) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** क्या कलेक्टर मुंगेली द्वारा मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण योजना में विकासखंड मुंगेली के 11 एवं विकासखंड, पथरिया के 26, इस प्रकार कुल 37 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम को शामिल किये जाने हेतु अनुमोदन किया गया है, ग्रामवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार क्या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं कलेक्टर, मुंगेली द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को सचिव मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण सह आयुक्त रायपुर संभाग द्वारा अनुशंसा उपरांत राज्य शासन को प्रेषित किया गया है? यदि हां तो उपरोक्त 37 ग्रामों को मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण योजना में शामिल किये जाने की क्या कार्यवाही प्रचलित है? क्या उक्त ग्रामों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में शामिल किये जाने के संबध में मंत्रिपरिषद की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को अग्रेषित किया गया है? यदि हां तो कब, नहीं तो क्यों, तथा क्या भविष्य में होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे शामिल किये जाने की योजना है? **(ग)** मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा विगत तीन वर्षों में किन-किन कार्य हेतु, कुल कितनी राशि स्वीकृति की गई, कितने कार्य पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं, जिलेवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हाँ जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र- "अ"** अनुसार है।**(ख)**सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-6/2024/एक/6 दिनांक 24.06.2024 द्वारा मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है। जिसमें प्राधिकरण का "कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्व जिला कोरबा, गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के अतिरिक्त क्रमशः जिला गरियाबंद, धमतरी, महासमुन्द, बलौदाबाजार-भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान- गण्डई, कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़, एवं सक्ती के आंशिक क्षेत्र जो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र (यथा-एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र, माडा पॉकेट लघु अंचल) में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम /बस्तियों के मजरा, टोला, पारा, मोहल्ला एवं नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थित पारा-मोहल्ला जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक हों सम्मिलित होंगे।" का प्रावधान है। अतः भारत सरकार को अग्रेषित किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र- "ब"** अनुसार है।

खाद एवं बीज के संबध मे

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

33. (क्र. 715) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** वर्ष 2021 से दिनांक 26.11.2024 तक खरीफ एवं रबी फसल हेतु किस-किस प्रकार के कितनी मात्रा में रासायनिक खाद एवं बीज की मांग के विरुद्ध केन्द्र शासन द्वारा कितनी मात्रा मे आवंटन दिया गया? उसकी राशि भी बतावें? क्या राज्य शासन द्वारा किन्हीं अन्य माध्यम/एजेंसी से भी रासायनिक खाद एवं बीज

की खरीदी की गई? यदि हां तो कितनी मात्रा में एवं कितनी राशि की? **(ख)** प्रश्नांक अवधि में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के कृषकों द्वारा किस-किस प्रकार के, कितनी मात्रा में रासायनिक खाद एवं बीज की मांग के विरुद्ध, कितनी राशि के कितनी मात्रा में खाद व बीज प्रदान किया गया? विकासखण्ड वार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति हेतु कृषि विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को केवल प्रदेश की मांग प्रेषित की जाती है, जिसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा उर्वरकवार, मौसमवार आपूर्ति प्लान की स्वीकृति दी जाती है तथा माहवार, उर्वरक आपूर्तिकर्ता कम्पनीवार आपूर्ति कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है तथा इस हेतु भारत सरकार द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं की जाती। अतः राशि संबंधित विवरण दिया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य माध्यम/एजेंसी से रासायनिक खाद की खरीदी नहीं की गई। प्रश्नाधीन अवधि में उर्वरकवार मांग, केन्द्र सरकार द्वारा जारी आबंटन, वास्तविक प्राप्ति की वर्षवार एवं मौसमवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** भारत सरकार से आबंटित प्रजनक बीज मात्रा एवं राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को फसलवार, मौसमवार बीज मांग की गई है, जिसके विरुद्ध बीज आपूर्ति, वितरित मात्रा एवं राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा अन्य एजेंसी (राज्य के बाहर एवं राज्य के अंदर) से क्रय की गई बीज मात्रा एवं राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।** उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष 2021 से दिनांक 26.11.2024 तक खरीफ एवं रबी फसल हेतु केन्द्र शासन से रासायनिक खाद की मांग नहीं की गई थी, अपितु उक्त अवधि में की गई बीज की मांग एवं प्राप्त बीज की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ अनुसार है।** संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत अधिनस्त कार्यालयों द्वारा प्रश्नांकित अवधि में अन्य माध्यम/एजेंसी से खरीदी की गई बीज की मात्रा तथा राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ई अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में कृषि विभाग द्वारा मुंगेली विधानसभा अंतर्गत सम्मिलित विकासखण्ड मुंगेली तथा पथरिया के कृषकों की मांग के विरुद्ध आपूर्ति की गई रासायनिक खाद की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क अनुसार है।** आपूर्ति किये गये रासायनिक खाद की राशि गणना संभव नहीं है, क्योंकि कृषकों द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के अतिरिक्त निजी संस्थाओं से भी रासायनिक खाद क्रय किया जाता है, जिसकी राशि की जानकारी संधारित नहीं की जाती। आपूर्ति की गई बीज की मात्रा तथा राशि की **जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ख एवं प्रपत्र-ग अनुसार है।** उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रश्नांकित अवधि में मुंगेली विधानसभा अंतर्गत सम्मिलित विकासखण्ड मुंगेली तथा पथरिया के कृषकों की मांग के विरुद्ध आपूर्ति की गई बीज की मात्रा तथा राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-घ अनुसार है।**

महासमुंद जिले में संचालित छात्रावासों में सामग्री क्रय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

34. (क्र. 722) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** महासमुंद जिले में संचालित छात्रावासों/आश्रमों में वर्ष 2021-22 से दिनांक 25 नवंबर, 2024 तक किस-किस प्रकार की सामग्री/उपकरण की खरीदी कब कब की गई है ? सामग्री/उपकरण का नाम, राशि, फर्म के नाम की जानकारी विकासखंडवार बताएं? **(ख)** क्या सामग्री/उपकरण खरीदी में नियम विरुद्ध खरीदी अथवा गुणवत्ताहीन सामग्री सप्लाय की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। सामग्री का क्रय विकासखण्डवार नहीं किया जाता है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

जिला राजनांदगांव में बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां की खरीदी हेतु आमंत्रित निविदा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

35. (क्र. 727) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** जिला राजनांदगांव अंतर्गत 2021-22 से दिनांक 28/11/24 तक बीज, खाद, कीटनाशक दवाई की खरीदी किस-किस फर्म/एजेंसी/दुकान से कितनी-कितनी मात्रा में की गई? फर्म, एजेंसी, दुकान का नाम, खरीदी गई मात्रा, सामग्री, दवाई, बीज, खाद के नाम सहित विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या कंडिका "क" की खरीदी के लिए निविदा आमंत्रित की गई है? यदि हां, तो निविदा दिनांक, चयनित फर्म/एजेंसी का नाम, खरीदी की वस्तु का नाम, मात्रा, मूल्य, भुगतान की जानकारी वर्षवार, विकासखंडवार देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कृषि विभाग द्वारा जिला राजनांदगांव अंतर्गत 2021-22 से दिनांक 28/11/24 तक क्रय किये गये बीज, खाद, कीटनाशक दवाई के नाम एवं मात्रा की वर्षवार, विकासखण्डवार एवं फर्म/एजेंसीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** उद्यानिकी विभाग द्वारा जिला राजनांदगांव अंतर्गत 2021-22 से दिनांक 28/11/24 तक क्रय किये गये बीज, खाद, कीटनाशक दवाई के नाम एवं मात्रा की वर्षवार, विकासखण्डवार एवं फर्म/एजेंसीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख एवं प्रपत्र-ग अनुसार है।** **(ख)** कृषि विभाग द्वारा कंडिका "क" में उल्लेखित सामग्री की खरीदी के लिए निविदा नहीं किया गया है। उद्यानिकी विभाग द्वारा खाद, बीज, कीटनाशक एवं दवाई की खरीदी शासकीय संस्थाओं से विभागीय आदेश क्रमांक 4683 दिनांक 30.07.2020 तथा 5082 दिनांक 16.08.2022 के अनुसार की गई है तथा निजी संस्थाओं से खाद, बीज, कीटनाशक एवं दवाई का क्रय छत्तीगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) के नियम 4 के प्रावधानों के अंतर्गत "सीमित निविदा" पद्धति से किया गया है तथा पृथक से निविदा प्रकाशित नहीं की गई है। चयनित फर्म /एजेंसी का नाम, सामग्री का नाम, मात्रा, मूल्य, भुगतान की वर्षवार, विकासखण्डवार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख एवं प्रपत्र-ग अनुसार है।**

अविभाजित राजनांदगांव जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संचालित योजनाएं

[आवास एवं पर्यावरण]

36. (क्र. 728) श्री भोलाराम साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अविभाजित राजनांदगांव जिले में वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विकासखंडवार विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" की योजना हेतु विभाग द्वारा खुज्जी विधानसभा क्षेत्र हेतु पिछले 3 वर्षों में कितनी-कितनी राशि आवंटित हुई है? एवं कौन-कौन से मद में कहां-कहां पर कितनी- कितनी राशि किन-किन कार्यों में खर्च की गयी? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।

संजारी-बालोद वि.ख. क्षेत्र के बजट में सम्मिलित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति

[वित्त]

37. (क्र. 729) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के बजट में सम्मिलित संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के किन-किन कार्यों के लिए वित्त विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि की वित्तीय स्वीकृति कब-कब दी गई है एवं कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य, वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के पास, किन-किन कारणों से लंबित हैं? जानकारी देवें? **(ख)** कण्डिका 'ख' के लंबित प्रकरणों को विभाग द्वारा कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** बजट में प्रावधानित कार्यों की स्वीकृति की कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा विभागों को बजट आबंटन उपलब्ध कराया जाता है। 3 करोड़ तक

के अपरीक्षित मद के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही विभागों द्वारा की जाती है। 3 करोड़ से ज्यादा अपरीक्षित मद के कार्यों हेतु वित्त विभाग से सहमति ली जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में राशि 3 करोड़ से अधिक के बालोद जिला अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति की जानकारी क्रमशः **संलग्न प्रपत्र-"अ"** एवं **संलग्न प्रपत्र-"ब"** अनुसार है। वित्तीय सहमति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग में लंबित नहीं है। **(ख)** प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

संजारी-बालोद वि.स. क्षेत्र में संचालित बालक तथा बालिका छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

38. (क्र. 730) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत बच्चों के लिए कहीं-कहीं पर किस स्तर के कितने सीटयुक्त बालक तथा बालिका छात्रावास संचालित हैं? वर्तमान में इन छात्रावासों में कितने बालक-बालिकाएँ प्रवेशित हैं? **(ख)** कण्डिका 'क' के किन-किन छात्रावासों के पास पर्याप्त भवन एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं? कितने छात्रावासों के भवन की स्थिति खराब है? जानकारी दें? **(ग)** कण्डिका 'क' के किन-किन छात्रावासों की सीटों में वृद्धि किये जाने हेतु विभाग को आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं एवं इनमें से किन-किन छात्रावासों की सीटों में कितनी वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है? इसके अतिरिक्त संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में कितने नवीन छात्रावास प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बालोद जिला में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 04 अनुसूचित जनजाति के 15 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 02 बालक एवं कन्या छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र में कुल 21 छात्रावास संचालित हैं। जिनमें से 13 बालक एवं 06 कन्या छात्रावासों में पर्याप्त भवन एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध है। 02 छात्रावास भवन की स्थिति निम्नानुसार है:- 1. प्री मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास गुरुर का भवन जर्जर स्थिति में है। 2. नवीन पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गुरुर का भवन निर्माण संबंधी निविदा प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास गुरुर एवं पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गुरुर को संयुक्त रूप से नव-निर्मित छात्रावास गुरुर के भवन में संचालित किया जा रहा है। **(ग)** कण्डिका 'क' में उल्लेखित संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उपरोक्त छात्रावासों में सीट वृद्धि किये जाने हेतु जिला कलेक्टर के अभिमत सहित कोई भी औचित्यपूर्ण प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुये है। वर्तमान में संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र में नवीन छात्रावास प्रारंभ करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

संजारी-बालोद वि.ख. क्षेत्र के कृषकों/कृषक समूहों को अनुदान पर दिये गये ट्रेक्टर

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

39. (क्र. 731) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2021 से दिनांक 28 नवम्बर, 2024 तक संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के कितने कृषकों/कृषक समूहों ने अनुदान पर ट्रेक्टर प्रदान किये जाने हेतु विभाग में अपना आवेदन प्रस्तुत किया था? इनमें से कितने आवेदक पात्र पाये गये तथा कितने आवेदकों का आवेदन किन कारणों से निरस्त किया गया है? वर्षवार बतावें? **(ख)** कण्डिका 'क' के कितने कृषकों/कृषक समूहों को किस-किस योजना के अंतर्गत अनुदान पर कितने पावर क्षमता के ट्रेक्टर स्वीकृत किये गये हैं तथा कितने कृषकों/कृषक समूहों के आवेदन किन कारणों से लंबित है? एवं इनका निराकरण कब तक कर लिया जावेगा? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वर्ष 2021 से वर्ष 28 नवम्बर, 2024 तक संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड बालोद एवं गुरुर में कुल 518 कृषकों द्वारा अनुदान

पर ट्रेक्टर प्रदान करने हेतु विभाग में अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त कृषकों में से पात्र एवं निरस्त आवेदनों की वर्षवार, विकासखण्डवार, एवं योजनावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** कण्डिका 'क' के तहत आवेदन प्रस्तुत करने वाले कृषकों में से अनुदान पर अलग-अलग पावर क्षमता के स्वीकृत ट्रेक्टर संख्या एवं लंबित आवेदनों की वर्षवार, विकासखण्डवार, एवं योजनावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। वर्ष 2024-25 के कुल 172 कृषकों के आवेदनों पर स्वीकृति/छानबीन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसकी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ"]

राज्यकर (जी.एस.टी.) विभाग द्वारा रायपुर जिला अंतर्गत फर्मों में जांच एवं छापे की कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

40. (क्र. 733) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर जिला अंतर्गत राज्यकर (जी.एस.टी.) विभाग द्वारा वर्ष 2021 से दिनांक 28.11.2024 तक किन-किन फर्मों में कब-कब जांच एवं छापे की कार्यवाही की गई? इस जांच एवं छापे की कार्यवाही का आधार क्या था? विभाग को जांच की कार्यवाही के दौरान जांच की गई फर्मों में किस-किस प्रकार की अनियमितताएँ प्राप्त हुई? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार जांच एवं छापे की कार्यवाही में विभाग द्वारा फर्मों से कितनी-कितनी राशि टैक्स के रूप में प्राप्त हुई? क्या कार्यवाही के बाद किसी फर्म को रिफंड के रूप में राशि वापस की गई? यदि हां, तो किस फर्म को कितनी-कितनी राशि रिफंड की गई? उक्त कार्यवाहियों का संपादन किन-किन अधिकारियों के द्वारा किया गया? विवरण दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** 91 फर्मों में जांच एवं छापे की कार्यवाही की गई, जिससे कुल राशि रू. 4226.56 लाख प्राप्त हुई । किसी फर्म को रिफंड नहीं दी गई है । अधिकारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वैध एवं अवैध ईट भट्टों का संचालन

[आवास एवं पर्यावरण]

41. (क्र. 734) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने वैध एवं कितने अवैध ईट भट्टों का संचालन किया जा रहा है? उक्त ईट भट्टों पर निरीक्षकों द्वारा विगत 03 वर्ष में कब-कब किन-किन स्थानों पर निरीक्षण किया गया है? वर्षवार, तहसीलवार, ग्रामवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार उक्त अवैध ईट भट्टों पर दिनांक 28.11.2024 तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सहित जानकारी दें ? **(ग)** उक्त ईट भट्टों में क्या पर्यावरण अनुकूल मापदंड का पालन किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 05 वैध ईट भट्टे संचालित है। अवैध ईट भट्टों की संख्या निरंक है। प्रश्नाधीन अवधि में की गई निरीक्षण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।**(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।**(ग)** जी, हाँ। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संचालित योजनाएं

[आवास एवं पर्यावरण]

42. (क्र. 735) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार योजना हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में कितनी राशि आबंटित हुई थी एवं उनका कौन-कौन से मद में कितना-कितना खर्च किया गया है? विवरण दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में निम्नानुसार योजना / गतिविधि संचालित है :- (1) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (2) शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (3) नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) (4) अमृत मिशन 2.0 (5) नवीन सरोवर धरोहर योजना (6) कृष्णकुंज योजना (7) हरियर छत्तीसगढ़ योजना । इसके अतिरिक्त वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा बिगड़े वनों का सुधार (बांस वनों सहित), भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, पर्यावरण वानिकी, तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित, प्राकृतिक पुनरोत्पादन (बांस वनों सहित) का संरक्षण, छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से व्यय, ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपत/ओषधी रोपण, एकीकृत वन सुरक्षा योजना, पी. डी. मद, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बांस वनों का पुनरोद्धार, मुख्यमंत्री बांस विकास योजना, अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण, पथ वृक्षारोपण, नदीतट वृक्षारोपण, हरियाली प्रसार योजना, हरियर छत्तीसगढ़ कोष, सामाजिक वाणिकी योजना, वन विकास उपकर निधि से व्यय, डी.एम.एफ. मद, ए. डी. बी., आदि योजनायें संचालित की जा रही हैं। **(ख)** संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर एवं कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त आबंटित राशि एवं व्यय की मदवार **जानकारी क्रमशः संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ" \]](#)

राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

43. (क्र. 736) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-प्रदेश में वर्ष 2022 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया था ? प्राप्त बजट में से कितनी राशि कब-कब किसानों के खातों में जमा की गई ? क्या राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली अंतिम किस्त की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किसानों को बकाया राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : प्रदेश में कैलेण्डर वर्ष 2022 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत क्रमशः राशि रू. 5703 करोड़ एवं राशि रू. 6000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। प्राप्त बजट में से कृषकों को भुगतान की गई राशि का वर्षवार विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2022 की अंतिम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ" \]](#)

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वार भर्ती हेतु जारी विज्ञापन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

44. (क्र. 741) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा विगत 03 वर्षों में सहायक प्राध्यापक, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था? यदि हां, तो कौन-कौन से पद के लिए कितने-कितने पद का विज्ञापन जारी किया गया था और उसके लिए क्या-क्या योग्यता निर्धारित की गयी थी? विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के विज्ञापित पदों के लिए साक्षात्कार हेतु आनुपातिक नियम क्या था और किस अनुपात में बुलाया गया था? कितने आवेदक शामिल हुए, कितने अनुपस्थित रहे, विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "क" के पदों हेतु आरक्षण का क्या प्रावधान था, जिसमें महिला एवं दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षण रोस्टर क्या था? विस्तृत विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हॉ इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विगत 03 वर्षों में सहायक प्राध्यापक, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की भर्ती हेतु विज्ञापन

क्रमांक 1374 दिनांक 12.06.2023, क्रमांक 5009 दिनांक 04.10.2023 एवं क्रमांक 5108 दिनांक 05.1.2023 जारी किया गया था। विज्ञापनवार विज्ञापित पदों की पदवार संख्या, निर्धारित योग्यता का विवरण संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है। (ख) कंडिका "क" के विज्ञापित पदों के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापन में आनुपातिक नियम 1:10 था किन्तु योग्य उम्मीदवारों के स्कोर में बहुत कम अंतर होने के कारण समस्त योग्य आवेदकों को साक्षात्कार में बुलाया गया। विज्ञापन क्रमांक 1374 दिनांक 12.06.2023 में साक्षात्कार में शामिल हुए एवं अनुपस्थित रहे आवेदकों का विषयवार विवरण संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है। विज्ञापन क्रमांक 5009 दिनांक 04.10.2023 हेतु साक्षात्कार आयोजित नहीं किया गया है तथा विज्ञापन क्रमांक 5108 दिनांक 05.10.2023 द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के विभिन्न पदों हेतु जारी विज्ञापन को दिनांक 03.12.2024 को निरस्त कर दिया गया है। (ग) कंडिका "क" के पदों हेतु शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति- 12, अनुसूचित जनजाति-32 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग- 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत पद समस्तर एवं प्रभागवार (होरिजोन्टल और कम्पार्टमेंटवाइज) आरक्षित थे तथा दिव्यांगजनों के लिए 07 प्रतिशत पद आरक्षित थे। विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन योजना में सम्मिलित ग्राम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

45. (क्र. 743) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कुल कितने ग्रामों को शामिल किया गया है? जिनमें से कितने परिवारों को लक्षित कर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य किए जा रहे हैं? विस्तृत विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" की योजना के तहत कितने परिवारों को आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, आजीविका एवं पोषण से लाभान्वित किया जा रहा है? विस्तृत विवरण देवें? (ग) कंडिका "क" की योजना अंतर्गत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र हेतु कौन-कौन से कार्य प्रगतिरत/प्रस्तावित हैं, और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? विस्तृत विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कुल 02 ग्रामों बरगन एवं रामहेपुर को शामिल किया गया है। 96 परिवारों हेतु उनके सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य किये जा रहे हैं। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

रशि पावर प्लांट, मस्तुरी द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

46. (क्र. 744) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जिला बिलासपुर के तहसील मस्तुरी के ग्राम पाराघाट में राशि पावर प्लांट संचालित है? यदि हां तो कब से? (ख) क्या प्रशांश "क" के संचालित पावर प्लांट के विरुद्ध वर्ष 2021 से 26.11.2024 की अवधि में जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हां। यह उद्योग दिनांक 26/11/2014 से संचालित है। (ख) जी हां। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैसठ"]

बिलासपुर जिले में मण्डी शुल्क से प्राप्त राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

47. (क्र. 745) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) कृषि उपज मण्डी समिति में प्रति किंटल मण्डी शुल्क की दर क्या है? विगत 3 वर्षों में मण्डी शुल्क किस दर से लिया गया है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) बिलासपुर जिले में कुल कितनी कृषि उपज मंडी समितियां हैं? समितियों के नाम बताएं? वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में दिनांक 28.11.2024 तक कितनी राशि मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है? प्राप्त शुल्क में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड को कितनी राशि देने का प्रावधान है? कितनी राशि हस्तांतरित की गई ? वर्षवार , कृषि उपज मंडीवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) 1 अप्रैल, 2022 से दिनांक 28.11.2024 तक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा जिला बिलासपुर अंतर्गत, किन-किन कार्यों हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गयी? विधानसभावार जानकारी उपलब्ध करावें? स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण एवं कितने कार्य निरस्त किए गये? कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कृषि उपज मंडी समिति में प्रति किंटल की दर से मंडी शुल्क नहीं लिया जाता, अपितु राज्य शासन द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के कीमत के प्रत्येक 100 रूपये पर निर्धारित दर पर मंडी शुल्क लिया जा रहा है। विगत 03 वर्ष का वर्षवार मंडी शुल्क दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) बिलासपुर जिले में कुल 04 कृषि उपज मंडी समितियां बिलासपुर, तखतपुर, कोटा एवं जयरामनगर है। वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 19,81,54,506.00, वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 23,02,03,780.00 एवं वर्ष 2024-25 में दिनांक 28.11.2024 तक राशि रूपये 2,33,94,697.00 मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है। प्राप्त शुल्क में से छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड को 50 प्रतिशत राशि देने का प्रावधान है। वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 11,37,46,158.00, वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 12,17,60,521.00 एवं वर्ष 2024-25 में दिनांक 28.11.2024 तक राशि रूपये 1,17,85,644.00 छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड को हस्तांतरित की गयी है। वर्षवार कृषि उपज मंडीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) 1 अप्रैल, 2022 से दिनांक 28.11.2024 तक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा राज्य विपणन विकास निधि एवं मंडी समिति निधि से जिला बिलासपुर अंतर्गत कार्यों एवं स्वीकृत राशि की विधानसभावार एवं स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कार्य 132, अपूर्ण कार्य 13, निरस्त कार्य 50 एवं अनुबंध/निविदा स्तर पर 138 कार्य की कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।

जिला-जांजगीर-चांपा अंतर्गत मंडी बोर्ड द्वारा स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

48. (क्र. 750) श्री ब्यास कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला - जांजगीर - चांपा अंतर्गत कृषि उपज मंडी क्षेत्रों में कृषकों के हित के लिए क्या-क्या निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 28/11/2024 तक कितने किसान कुटीर निर्माण, शेड निर्माण, अहाता निर्माण, पुल-पुलिया एवं सी.सी.रोड निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार कृषि उपज मंडियों के लिए बजट 2024-25 में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य प्रारंभ कर दिये गये हैं तथा कितने अप्रारंभ हैं? यदि प्रारंभ नहीं किये गये हैं तो क्यों तथा कब तक प्रारंभ कर दिये जायेंगे? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत कृषि उपज मंडी क्षेत्रों में कृषकों के हित के लिए धान उपार्जन केन्द्रो/उपमंडी प्रांगण में अहाता निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है। दिनांक 01 जनवरी 2024 से 28/11/2024 तक 18 अहाता निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है, तथा किसान कुटीर, शेड, पुल-पुलिया व सी.सी. रोड निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं की गई है, विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार कृषि उपज मंडियों के

लिए बजट वर्ष 2024-25 में 18 स्वीकृत कार्यों में सभी 18 कार्य अप्रारंभ है, जिसकी निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ"]

जिला जांजगीर-चांपा में छ.ग.राज्य गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित कॉलोनियों में सुविधा विस्तार

[आवास एवं पर्यावरण]

49. (क्र. 751) श्री ब्यास कश्यप : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला मुख्यालय जांजगीर में छ.ग.राज्य गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित हसदेव विहार आवासीय कॉलोनी एवं दीनदयाल आवासीय कॉलोनी में सुविधा विस्तार के लिए कॉलोनीवासियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा वर्ष 2023-24 से दिनांक 26/11/2024 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया? कितनी लंबित हैं? जानकारी प्रदान करें? यदि निराकरण नहीं किया गया है तो क्यों? **(ख)** जांजगीर-चांपा अंतर्गत छ.ग. राज्य गृह निर्माण मंडल अंतर्गत निर्मित आवासों के रख-रखाव हेतु क्या प्रावधान किया गया है? क्या इसके लिए शासन स्तर से प्रतिवर्ष राशि खर्च करने का प्रावधान है? यदि हां तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है तथा किन-किन कार्यों में खर्च करने का प्रावधान है? **(ग)** जांजगीर-चांपा जिला के ग्राम कुलीपोटा, पेण्डी एवं चांपा में प्रस्तावित आवास निर्माण कार्य को कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा? जानकारी प्रदान करें? **(घ)** जांजगीर-चांपा जिला में छ.ग.राज्य गृह निर्माण मंडल का संभागीय कार्यालय का संचालन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या आगामी वर्षों में संभागीय कार्यालय प्रारंभ किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में हसदेव विहार आवासीय कॉलोनी जांजगीर के संबंध में 03 एवं दीनदयाल आवासीय कॉलोनी खोखराभांठा के संबंध में 02 (कुल 05) शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से दीनदयाल आवासीय कॉलोनी खोखराभांठा की 01 शिकायत का निराकरण किया गया है। हसदेव विहार कॉलोनी जांजगीर की 03 एवं दीनदयाल आवासीय कॉलोनी खोखराभांठा की 01 (कुल 04) शिकायतें लंबित हैं। शिकायत के निराकरण हेतु मण्डल द्वारा कॉलोनी हस्तांतरण मद में सुविधा विकास अंतर्गत विविध कार्य हेतु निविदा आमंत्रण दिनांक 11.12.2024 तक किया गया है तथा स्टीट लाईट एवं अन्य बाह्य विद्युतीय कार्य की निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रक्रियाधीन है। **(ख)** भवन के भौतिक आधिपत्य के पश्चात भवन का रखरखाव संबंधित आबंटी को स्वयं करना होता है। भवनों के रखरखाव के लिए शासन स्तर से प्रतिवर्ष राशि खर्च करने का कोई बजट प्रावधान नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा मण्डल की प्रस्तावित योजनाओं एवं निक्षेप कार्यों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार संभाग कार्यालय प्रारंभ किया जाता है। वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश की कृषि और औद्योगिक विकास दर

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

50. (क्र. 759) श्री संदीप साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2024-25 में नवम्बर, 2024 की स्थिति में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में प्रदेश की विकास दर कितनी रही है? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 में दिनांक 28/11/2024 तक प्रदेश में आय एवं प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितनी-कितनी रही? जानकारी देवें? **(ग)** प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कितना कर्ज विभिन्न क्षेत्रों एवं संस्थाओं से लिया गया है? प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति कर्ज कितना है? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र स अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

नवा रायपुर में छ0ग0 गृह निर्माण मंडल अंतर्गत निर्मित आवासीय मकानों का व्यावसायिक उपयोग
[आवास एवं पर्यावरण]

51. (क्र. 762) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या नया रायपुर में छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित आवासीय मकानों को निजी/शासकीय/ संस्थान द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है? अद्यतन जानकारी प्रदान करें? **(ख)** आवासीय मकानों का व्यावसायिक प्रयोग किया जाना विधि संगत है या विभागीय अनुमति प्रदान की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी हां। नवा रायपुर में छ.ग. गृह निर्माण मण्डल द्वारा सेक्टर-27 में निर्मित 47 एवं सेक्टर-29 में निर्मित 53 कुल 100 आवासीय मकानों को निजी/शासकीय संस्थान द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। **(ख)** आवासीय मकानों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना विधि संगत नहीं है एवं इस संबंध में विभागीय अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत निर्मित आवासीय कॉलोनी की जर्जर स्थिति

[आवास एवं पर्यावरण]

52. (क्र. 763) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित ऐसे कितने आवासीय कॉलोनी जो जर्जर स्थिति में हैं? पृथक-पृथक जानकारी देवे। **(ख)** इनके रख-रखाव के लिये क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आवासीय कॉलोनियों में एकमात्र टिकरापारा योजनांतर्गत निर्मित 96 टेनामेंट्स फ्लैट्स जर्जर स्थिति में हैं। **(ख)** टिकरापारा 96 टेनामेंट्स फ्लैट्स के पुनर्निर्माण की योजना प्रक्रियाधीन है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत अति विशेष जनजाति की संख्या व विकास हेतु राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

53. (क्र. 766) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र में निवासरत कमर अति विशेष पिछड़ी जनजाति की ग्राम पंचायतवार जनसंख्या की जानकारी देवे? अंतिम बार उनकी जनगणना कब हुई थी? **(ख)** उपरोक्त अति विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास एवं उत्थान के लिए विगत 02 वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई ? क्या-क्या कार्य कराए गए हैं? ग्राम पंचायतवार जानकारी देवे? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा वर्ष 2015-16 में इनका आधारभूत सर्वेक्षण किया गया है। **(ख)** कुल राशि रूपये 2906.53 लाख स्वीकृत की गई। जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। **(ग)** 539 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अडसठ" \]](#)

धमतरी जिले में माइक्रो वाटर शेड योजना अन्तर्गत कार्यों में अनियमितता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

54. (क्र. 767) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धमतरी जिले में माइक्रो वाटर शेड योजना अन्तर्गत जनवरी 2022-23 से 31 अक्टूबर, 2024 तक किन-किन स्थानों में, कितनी-कितनी लागत से, कौन-कौन सी एजेंसी तथा एन.जी.ओ. के माध्यम से कितनी-कितनी लागत से कार्य कराये गए ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवे ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार योजना के क्रियान्वयन के लिए स्थल चयन के क्या मापदण्ड हैं, उक्त निर्माण से कितने किसानों की कितनी

हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई तथा फसल के उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई ? लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या वर्षवार दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) धमतरी जिले में माइक्रो वाटरशेड योजना अंतर्गत जनवरी 2022-23 से 31 अक्टूबर, 2024 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण क्षेत्र विकास घटक 2.0 अंतर्गत कुल रुपये 618.47 लाख की लागत से 32 स्थानों पर 32 कार्य कराये गये। विधानसभा क्षेत्रवार, स्थानवार एवं एजेंसीवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण क्षेत्र विकास घटक 2.0 के तहत वाटरशेड विकास के लिए रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस प्रणाली के आधार पर मृदा जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भौगोलिक विशेषताओं और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थल चयन किया जाता है। प्रश्नांश "क" अनुसार 32 निर्माण कार्य से कुल 1,021 लाभान्वित कृषक के 554.50 हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई तथा फसल उत्पादन में लगभग 3.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्षवार लाभान्वित हितग्राहियों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर" \]](#)

छ.ग. राज्य कृषक विपणन,मण्डी बोर्ड निधि एवं कृषि उपज मंडी समिति से किये गये कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

55. (क्र. 770) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या वर्ष 2022 से 28.11.2024 तक छ.ग. राज्य कृषक विपणन (मण्डी) बोर्ड निधि एवं कृषि उपज मंडी समिति से जिला राजनांदगांव में डब्ल्यू.बी.एम. एवं सी.सी. रोड स्वीकृति हुई हैं? यदि हां, तो निर्माणधीन संरचना का डब्ल्यू.बी.एम./बी.एम.(बेस कोड)/पी.एम.सी.(प्राईम कोड) तथा एम.एस.एस. पुल-पुलिया निर्माण, घन एवं स्क्रायर मीटर कार्यवार व्यय रोड की लंबाई चौड़ाई, अंतिम मूल्यांकन सत्यापन की जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हां, जिला राजनांदगांव में वर्ष 2022 से 28.11.2024 तक छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड निधि से 16 कार्य लागत राशि रू. 437.48 लाख एवं कृषि उपज मंडी समिति निधि से 8 कार्य लागत राशि रू. 130.96 लाख के डब्ल्यू.बी.एम.एवं सी.सी.रोड की स्वीकृति हुई हैं। जिला राजनांदगांव में छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड निधि एवं कृषि उपज मंडी समिति की राशि से निर्माणाधीन संरचना का डब्ल्यू.बी.एम./ सी.सी.रोड पुल-पुलिया निर्माण, घन एवं स्क्रायर मीटर, कार्यवार व्यय, रोड की लंबाई-चौड़ाई, अंतिम मूल्यांकन सत्यापन की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर" \]](#)

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं की जानकारी

[आवास एवं पर्यावरण]

56. (क्र. 771) श्री दलेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की कौन-कौन से योजनाएं राज्य में संचालित की जा रही हैं ? यदि हां तो किन-किन योजनाओं के संचालन हेतु विभाग द्वारा राजनांदगांव जिला में पिछले तीन वर्षों में कितनी राशि आवंटित हुई है ? कौन-कौन से मद में कितना व्यय किया गया है ? वर्षवार, योजनावार, राशिवार मदवार जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा बिगड़े वनों का सुधार, पर्यावरण वानिकी, भू-जल संरक्षण योजना एवं कैम्पा योजना संचालित की जा रही है। शहरी परिवेशीय वायु में धूल कणों (पी.एम 10) की मात्रा कम करने एवं परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम अंतर्गत केवल रायपुर, भिलाई एवं कोरबा नगर पालिक निगम सम्मिलित है। कार्यालय, वनमंडलाधिकारी, वन मंडल, राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी अनुसार राजनांदगांव

जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में आबंटित एवं व्यय की वर्षवार, योजनावार, मदवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ' अनुसार** है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निम्नानुसार योजना/ गतिविधि संचालित है। (1) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (2) शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (3) नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (4) अमृत मिशन 2.0 (5) नवीन सरोवर धरोहर योजना (6) कृष्ण कुंज योजना (7) हरियर छत्तीसगढ़ योजना। योजना के संचालन हेतु राजनांदगांव जिला को पिछले तीन वर्ष में आबंटित एवं व्यय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र ब' अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

कबीरधाम जिला अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य वनांचल क्षेत्र में वन आवासीय पट्टा का वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

57. (क्र. 774) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कबीरधाम जिले अंतर्गत विगर 03 वर्ष में वर्ष 2022-23 से नवम्बर, 2024 तक कुल कितने आदिवासी हितग्राहियों को वन आवासीय पट्टा प्रदान किया गया है ? विकासखण्डवार विवरण दीजिये? **(ख)** जिला कबीरधाम अंतर्गत वर्तमान में वन आवासीय पट्टा जारी करने के पूर्व सीमांकन हेतु कितने प्रकरण लम्बित हैं? लम्बित प्रकरणों को कब तक निराकृत कर दिया जावेगा? विकासखण्डवार विवरण दीजिये? **(ग)** वन अधिकार पट्टा हेतु पात्रता बिंदु में दिसम्बर, 2005 से पूर्व कब्जा होना आवश्यक बताया गया है? इस सन्दर्भ में कबीरधाम जिले में प्रश्नांक "क" अवधि में फर्जी पट्टा एवं अवैध वन आवासीय कब्जे से सम्बन्धित कितने प्रकरण सामने आये हैं ? इन प्रकरणों में लिप्त दोषियों एवं भ्रष्ट कर्मचारियों पर क्या वैधानिक कार्यवाही की गई है? **(घ)** क्या वन भूमि अहस्तांतरणीय होती है? यदि हाँ, तो प्रश्नांक "क" अवधि में कबीरधाम जिले अंतर्गत वन भूमि के अवैध नामान्तरण एवं हस्तान्तरण के ऐसे कितने प्रकरण सामने आये हैं? इन वन भूमि का नामान्तरण एवं हस्तान्तरण किस आधार पर किया गया है? उक्त प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में आवासीय प्रयोजन हेतु वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या निरंक है। अतः विकासखण्डवार वितरण की जानकारी निरंक है। **(ख)** जानकारी निरंक है। **(ग)** जी हां। प्रश्नाधीन अवधि में आवासीय प्रयोजन हेतु फर्जी एवं अवैध कब्जे संबंधी कोई भी प्रकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी हां। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु वन भूमि प्राप्त कोई भी अधिकार वंशागत होगा किन्तु संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं होगा। जिला कबीरधाम अंतर्गत वनभूमि के अवैध नामान्तरण एवं हस्तांतरण के कोई भी प्रकरण प्राप्त नहीं हुए है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

58. (क्र. 775) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 एवं 2024 में, नवम्बर, 2024 तक किन-किन गांव के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ मिला है? विकासखंडवार/ ग्रामवार, बीमा लाभ प्रतिशत सहित जानकारी दीजिये? **(ख)** क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा से लाभान्वित गांव के किसानों से बीमा राशि प्राप्त नहीं होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र पंडरिया में शामिल तहसील-पंडरिया, कुकदूर, कुण्डा, सहसपुर-लोहारा एवं पिपरिया में मौसम खरीफ वर्ष 2023 से नवम्बर 2024 तक तहसीलवार, ग्रामवार, दावा भुगतान से लाभान्वित कृषक संख्या एवं फसल क्षति (दावा) प्रतिशत

की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रश्नांश "क" की अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पंडरिया में सम्मिलित तहसीलों के ग्रामों में कुल 136 कृषकों का दावा भुगतान से संबंधित शिकायतें जैसे कम दावा राशि प्राप्त होने, बैंक खाता के जानकारी में बदलाव, नया आईएफएससी कोड एवं नया बैंक खाता जोड़ने आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों के निराकरण हेतु उप संचालक कृषि एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति (प्र.मं.फ.बी.यो.), जिला-कबीरधाम के माध्यम से संबंधित कृषकों का वांछित दस्तावेज प्राप्त कर क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया गया।

वाणिज्यिक कर की वसूली

[वाणिज्यिक कर]

59. (क्र. 778) श्री आशा राम नेताम : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी वाणिज्यिक कर की वसूली हुई थी? (ख) वर्ष 2024-25 में 30 नवंबर, 2024 की स्थिति में कितनी वसूली हो चुकी है एवं मार्च, 2025 तक कितना प्रवधानित है? वाणिज्य कर वसूली की वृद्धि के लिए विभाग क्या-क्या प्रयास कर रहा है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 में वाणिज्यिक कर अंतर्गत कुल राशि ₹. 31,295.72 करोड़ (जी.एस.टी., आबकारी, पंजीयन सहित) की वसूली हुई थी। (ख) वर्ष 2024-25 में 30 नवंबर, 2024 की स्थिति में वाणिज्यिक कर अंतर्गत कुल राशि ₹. 22,152.57 करोड़ (जी.एस.टी., आबकारी, पंजीयन सहित) की वसूली हो चुकी है। बजट में कुल राशि ₹. 41,300.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समुचित प्रयास किया जा रहा है।

कांकेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग अंतर्गत बोरवेल खनन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

60. (क्र. 779) श्री आशा राम नेताम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कृषि विभाग अंतर्गत वर्ष 2024 से दिनांक 28/11/2024 तक कांकेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने बोरवेल खनन कार्य किये गए एवं पम्प बांटे गए? (ख) प्रश्नांक (क) के स्थानों एवं पात्र हितग्राहियों की सूची सह पात्रता मापदंडों का विवरण प्रदाय करने का कष्ट करेंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कृषि विभाग अंतर्गत कांकेर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड नरहरपुर एवं कांकेर में वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.24 से 31.03.24) से वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.11.2024) तक बोर खनन एवं सिंचाई पम्प से लाभान्वित कृषकों की योजनावार, वर्षवार, विकासखंडवार विवरण निम्नानुसार है:-

(इकाई - संख्या में)

क्र. वर्ष	विकासखंड	बोरवेल खनन			पम्प प्रदाय			
		किसान समृद्धि योजना	शाकम्भरी योजना	योग	किसान समृद्धि योजना	शाकम्भरी योजना	योग	
1	2023-24 (01.01.24 से 31.03.24)	नरहरपुर	-	-	-	1	1	
2		कांकेर	-	-	-	-	-	
		योग	-	-	-	1	1	
1	वर्ष 2024-25 (01.04.24 से 28.11.24 तक)	नरहरपुर	23	-	23	23	1	24
2		कांकेर	9	-	9	9	1	10
		योग	32	-	32	32	2	34
	महायोग	32	-	32	32	3	35	

(ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में किसानों के चयन हेतु योजनावार अनुदान पर नलकूप खनन एवं सिंचाई पम्प प्रदाय हेतु पात्रता मापदंड निम्नानुसार है:- (1) **राज्य पोषित किसान समृद्धि योजना:-** विभाग के परिपत्र क्रमांक/1651/डी.17/12/2003/14-3 दि. 09.04.2012 के अनुसार:- 1. योजनांतर्गत समस्त वर्ग के कृषक

पात्र है, लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी। 2. अनुदान की पात्रता उन सभी कृषक व उनके समूह को होगी, जिन्होंने सहकारी अथवा व्यवसायिक बैंक से ऋण लिया हो अथवा ऐसे कृषक या उनके समूह जो स्वयं के व्यय से नलकूप खनन के इच्छुक हो। 3. कृषक अथवा कृषक समूह में जोत का आकार न्यूनतम 1 हेक्टेयर हो। 4. एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी कम से कम 300 मीटर होना अनिवार्य है। 300 मीटर की परिधि में पूर्व निर्मित नलकूप, हैण्ड पंप नहीं होना चाहिये। 5. योजनांतर्गत सहकारी संस्था, ट्रस्ट इत्यादि को अनुदान की पात्रता नहीं होगी। 6. विभाग द्वारा संचालित अन्य योजना अथवा किसान समृद्धि योजनांतर्गत पूर्व में नलकूप खनन अनुदान का लाभ प्राप्त किये कृषक पात्र नहीं होंगे। (2) **राज्य पोषित शाकम्भरी योजना:-** विभाग के परिपत्र क्र./2404/डी-3/38/2004/14-3 दि. 13.06.2006 क्र. 2803 दि. 09.07.07 एवं क्र. 7296 दि. 30.09.2014 के अनुसार:- 1. सभी वर्ग के लघु-सीमांत कृषक पात्र होंगे 0.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि धारक लघु व सीमांत श्रेणी के कृषक जो साग-सब्जी के उत्पादन से जीविका निर्वाहन करते हैं को योजना के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी। 2. आई.एस.आई. मार्क के पंप सेट के साथ सहायक सामग्री जैसे सक्शन पाईप, फुटवाल्व, डिलीवरी पाइप, बैंड एवं स्टारटर (विद्युत पंप के साथ) निर्धारित मात्रा एवं आई.स.आई. मार्क की होनी चाहिए (जिनका आई.एस.आई. मार्क उपलब्ध है) 3. विद्युत कनेक्शन संबंधी खर्च कृषक स्वयं वहन करेगा तथा स्थायी/अर्द्धस्थायी विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर विद्युत पंप स्थापित करने पर ही अनुदान दिया जायेगा। 4. एक कूप से दूसरे कूप एवं कूप से नलकूप की दूरी नाबार्ड द्वारा निर्धारित मापदंड से कम न हो। 5. अनुदान की पात्रता उन सभी 0.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि धारी लघु तथा सीमांत वर्ग के कृषकों को होगी जिन्होंने सहकारी अथवा व्यवसायिक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण लिया हो। अथवा ऐसे कृषक जो स्वयं के व्यय से कूप निर्माण अथवा पंप क्रय कर सकते हैं उन्हें अनुदान की पात्रता होगी। 6. राज्य शासन द्वारा डीज़ल/विद्युत/पेट्रोल एवं ओपनवेल सबमर्सिबल पम्प पर निर्धारित इकाई लागत का 75 प्रतिशत तथा कूप निर्माण पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा। 7. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 50 हजार रू. तक की परियोजना में मार्जिन मनी नहीं लेने के भी निर्देश हैं। अतः लघु सीमान्त कृषकों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुये शाकम्भरी योजनान्तर्गत चयनित हितग्राहियों से बैंक द्वारा मार्जिन मनी नहीं ली जावेगी। विकासखंडवार लाभान्वित पात्र हितग्राहियों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर" \]](#)

बस्तर संभाग में वनाधिकार पट्टा का वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

61. (क्र. 782) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में विगत 03 वर्षों में वनाधिकार पट्टा से संबंधित कितने आवेदन प्राप्त हुए अथवा कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये? जिलेवार जानकारी देवे? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में ही कितने हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा दिया गया? कितने प्रकरण निरस्त किये गये तथा कितने प्रकरणों का निराकरण होना शेष है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में विगत 03 वर्षों में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र से संबंधित 9007 एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र से संबंधित 3145 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में 8415 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 3070 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। व्यक्तिगत वन अधिकार के 104 प्रकरण निरस्त किये गये हैं एवं सामुदायिक वन अधिकार के निरस्त प्रकरणों की संख्या निरंक है। व्यक्तिगत वन अधिकार के 488 प्रकरण एवं सामुदायिक वन अधिकार के 75 प्रकरण निराकरण हेतु शेष हैं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर" \]](#)

विभागान्तर्गत संचालित हितग्राहीमूलक कार्यक्रम/योजनायें एवं उनका क्रियान्वयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

62. (क्र. 783) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** विभागान्तर्गत संचालित हितग्राहीमूलक/रोजगारमूलक कार्यक्रम एवं योजनाओं व इसके अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ एवं इसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बस्तर की कितनी ग्राम पंचायतों में कितने हितग्राहियों को क्या-क्या सामग्री दी जाकर लाभान्वित किया गया है? कृपया वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का बतावें? **(ख)** लाभान्वित हितग्राहियों में से अद्यतन स्थिति में कितने हितग्राही सफल व कितने असफल हुये? कृपया बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कृषि विभाग अंतर्गत संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्यपोषित हितग्राहीमूलक/रोजगारमूलक कार्यक्रम एवं योजनाओं में दिये जाने वाले लाभ की जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। संचालनालय कृषि एवं उद्यानिकी द्वारा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र बस्तर में आने वाले विकासखण्ड बकावण्ड एवं बस्तर में सम्मिलित ग्राम पंचायतों में योजनावार लाभान्वित कृषक एवं उन्हे प्रदाय की गई सामग्री की जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार** है। **(ख)** संचालनालय कृषि अंतर्गत संचालित योजनाओं में कृषकों को योजना का लाभ दिया गया है। विभागीय योजना में निहित प्रावधान अनुरूप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों की पात्रता अनुसार वर्ष 2023-24 में 6042 कृषकों को योजना का लाभ दिया गया है। जिसमें से विकासखण्ड बस्तर में किसान समृद्धि योजना के तहत 1 चयनित हितग्राही कृषक का नलकूप असफल हुआ हैं तथा वर्ष 2024-25 में योजनाओं के प्रावधान अनुसार चयनित समस्त 5181 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रश्नांश 'क' की अवधि में संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत संचालित योजनाओं में आवेदनकर्ता समस्त 1905 कृषकों को योजनाओं में निहित प्रावधान अनुसार लाभान्वित किया गया है।

पोटा केबिन हेतु सामग्री क्रय की जानकारी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

63. (क्र. 787) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** बीजापुर जिला अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 28/11/2024 तक कौन-कौन से स्कूल, आदिवासी आश्रम, छात्रावास एवं आवासीय पोटा केबिनों में कितनी राशि की कालीन खरीदी गई है? जानकारी देवें। खरीदी प्रक्रिया क्या थी? सप्लायर का नाम, पता सहित, व्यय राशि की जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार क्या कार्य की निविदा की गई थी और किस एजेंसी द्वारा यह कार्य कराया गया, स्कूलवार जानकारी देवें ? निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों का नाम, पता एवं कार्य के भुगतान की स्थिति की जानकारी देवें? **(ग)** बीजापुर जिले के कन्या पोटा केबिन आवासीय विद्यालय दुर्गागुड़ विकासखण्ड आवापल्ली में आग लगने से एक 04 वर्ष की बच्ची की मौत के बाद बांस की संरचना के स्थान पर स्थायी आवासीय भवन क्यों नहीं बनाया जा सकता है? **(घ)** प्रश्नांश 'क' अनुसार कन्या/बालक आवासीय विद्यालय पोटा केबिनों के लिए स्थायी भवन बनाये जाने के लिए क्या योजना है? जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बीजापुर जिला अंतर्गत संचालित आदिवासी आश्रम, छात्रावास एवं स्कूलों में वर्ष 2024-25 में 28/11/2024 तक कालीन की खरीदी नहीं की गई है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान जिला-बीजापुर छ.ग. के पत्र क्रं./1013/रा.मा.शि.अ./विधानसभा/2024/बीजापुर दिनांक 11.12.2024 के अनुसार वर्ष 2024-25 में 28.11.2024 तक प्राथमिक स्तर के 12 आवासीय पोटा केबिनों में राशि रूपये 613200/- तथा 26 माध्यमिक स्तर के आवासीय पोटा केबिनों हेतु कुल 217751/- की कालीन खरीदी गई है। खरीदी छ.ग. भण्डार क्रय नियम एकल निविदा पद्धति के आधार पर स्थानीय स्तर पर क्रय किया गया है। सप्लायर का नाम, पता एवं व्यय राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्न "क" के अनुसार छ.ग. भण्डार क्रय नियम एकल निविदा पद्धति के आधार पर स्थानीय स्तर पर अधीक्षकों द्वारा कालीन की खरीदी की गई है। एजेंसी का

नाम/भुगतान की गई राशि का स्कूलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ग) समग्र शिक्षा अंतर्गत जिले की कन्या पोटा केबिन आवासीय विद्यालय आवापल्ली विकासखण्ड उसूर में आग लगने से 04 वर्ष की बच्ची की मौत के बाद बांस की संरचना के स्थान पर स्थायी आवासीय भवन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय पत्र क्रं./11115 /स.शि/आवा.विद्या./2024-25, रायपुर दिनांक 19.06.2024 द्वारा निदेशक, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली को स्थायी भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। (घ) प्रश्न "क" के अनुसार कन्या/बालक पोटा केबिनो के लिए स्थायी आवासीय भवन बनाए जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय को पत्र समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2024-25 में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर"]

सरगुजा जिलांतर्गत आश्रम छात्रावासों में निर्माण कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

64. (क्र. 790) श्री प्रबोध मिंज : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2024-25 में किस-किस जगह कितने आश्रम छात्रावास स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है? (ख) सरगुजा जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में विभिन्न आश्रम, छात्रावासों में कितने व कहां-कहां निर्माण व मरम्मत कार्य कराए गए हैं? उक्त समय अवधि में जिले में कितनी राशि आबंटित की गई है एवं किन-किन कार्यों में कितनी राशि खर्च की गई है? क्या वर्तमान में कोई कार्य लंबित है? अगर लंबित है तो क्या कार्यवाही हुई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2024-25 में 46 आश्रम, छात्रावास निर्माण कार्य शासन स्तर से स्वीकृत किया गया है। जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-अ"** अनुसार है। (ख) सरगुजा जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में आश्रम, छात्रावास एवं आवासीय परिसरो में निर्माण व मरम्मत कार्य की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब एवं स** अनुसार है। उक्त समय अवधि में जिले में आबंटित राशि रूपये 2617.12 लाख एवं व्यय राशि रूपये 1867.30 लाख है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब, स एवं द** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर"]

विभाग के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं के अविक्रीत भवन तथा ऋण-शेष की स्थिति

[आवास एवं पर्यावरण]

65. (क्र. 795) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विभाग के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं/इकाईयों पर 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति में किन-किन वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों की कितनी-कितनी मूल एवं ब्याज राशि शेष है, इसमें से कितनी-कितनी राशि कालातीत हो चुकी है, ये ऋण कब-कब, किन-किन प्रयोजनों के लिए लिये गये थे? पुनर्भुगतान कब-कब, कितना-कितना किया गया? पुनर्भुगतान नहीं कर पाने के कारण क्या-क्या हैं? (ख) उपरोक्त संस्थाओं के द्वारा विक्रय करने के लिए निर्मित भवनों में से 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति में अविक्रीत भवनों का विवरण, उनका निर्माण वर्ष, लागत, विक्रय मूल्य तथा अविक्रय के कारण क्या-क्या हैं? विक्रय करने के लिए क्या मूल्य में छूट देने का निर्णय लिया जाएगा? (ग) भवनों का विक्रय नहीं होने से संस्थाओं पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? ऐसे भवनों के निर्माण की परियोजना बनाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विक्रय हेतु लगातार निविदाएं आमंत्रित की जा रही है। परंतु मांग नहीं आने से विक्रय नहीं हो पाया है। विक्रय हेतु मूल्य में छूट देने का निर्णय नहीं लिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में भवनों के विक्रय नहीं होने के मुख्य कारण विशेषतः भवनों के मांग में कमी, कोविड-19 में कोरोना महामारी

के कारण, मुख्य स्थान/शहर से दूरी, आबंटियों द्वारा भवन का पंजीयन निरस्त करना, फ्लैट/मल्टीस्टोरिड बिल्डिंग हेतु कम रूझान आदि है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा विक्रय हेतु मूल्य में छूट देने की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स के कालम-13 अनुसार** है।(ग) भवनों का विक्रय नहीं होने से संस्थाओं पर वित्तीय भार पड़ रहा है, निर्माण लागत की वसूली नहीं हो पा रही है एवं भवनों के रखरखाव का भार भी पड़ रहा है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के भवनों के निर्माण की परियोजना पर संचालक मंडल से सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त है। अतः जिम्मेदारी तय किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत भवनों का निर्माण केन्द्र/राज्य शासन की योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है, जिस पर संचालक मंडल के अनुमोदन के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जाता है। मण्डल द्वारा परियोजना के संदर्भ में औचित्य समिति का गठन किया गया है। जिसके द्वारा मंडल द्वारा संचालित योजनाओं के औचित्य का परीक्षण किया जाता है। अतः इस संबंध में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय किया जाना संभव नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

रेत खदानों के लिए जारी तथा विचाराधीन सम्पत्तियों का विवरण

[आवास एवं पर्यावरण]

66. (क्र. 796) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिलेवार 30 नवम्बर, 2024 की स्थिति में संचालित किन-किन रेत खदानों के लिए पर्यावरण सम्मतियां (नवीनीकरण सहित) किसके-किसके पक्ष में, कितने-कितने रकबे के लिए तथा कितनी-कितनी अवधि के लिए जारी की गई हैं? पर्यावरण सम्मतियां किन-किन शर्तों पर दी जाती है? उन शर्तों के पालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसका-किसका होता है तथा उन्होंने इसके लिए क्या-क्या कार्यवाही की है? कितने प्रकरणों में शर्तों का उल्लंघन पाया गया है? (ख) अधिसूचित रेत खदानों में से उक्त (क) के खदानों को छोड़कर किन-किन खदानों के पर्यावरण सम्मति की विगत अवधियां कब-कब समाप्त हो चुकी हैं? (ग) वर्ष 2019-20 से 2024-25 की अवधि में पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रेत के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन तथा अवैध भंडारण के कितने प्रकरण दर्ज करके कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय सम्मतियां नहीं दी जाती है, अपितु ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रेत खदानों को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है। दिनांक 30/11/2024 की स्थिति में रेत खदानों को वर्तमान में वैध जारी पर्यावरणीय स्वीकृति (जिलेवार, नामवार, रकबेवार एवं अवधि) बाबत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। रेत खदानों को रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होने, लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन टैक्टर टाली से करने, सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मानिटोरिंग गाईडलाईन्स फार सेण्ड माईनिंग, 2020 का पालन करने, रेत का परिवहन कवर्ड वाहन से किये जाने, नदी तट या पहुँच मार्ग में सघन वृक्षारोपण करने तथा स्थल विशेष के आधार पर विशिष्ट शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है। पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बंधित रेत खदान पट्टेदार का होता है तथा खदान पट्टेदारों द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन के संबंध में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ को कोई भी प्रकरण प्राप्त नहीं हुए हैं, तथापि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अवैध रेत उत्खनन के 09 प्रकरण पाये गए।(ख) खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा घोषित कुल 240 रेत खदानों में से प्रश्नांश 'क'के रेत खदानों को छोड़कर 05 रेत खदानों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्त हो गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता समाप्त इन 05 रेत खदानों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।(ग) **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर"]

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य

[आवास एवं पर्यावरण]

67. (क्र. 799) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2023 से नवंबर, 2024 के मध्य किन-किन गांवों में कौन-कौन से निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गयी? कृपया ग्रामवार तथा वर्षवार जानकारी दें। **(ख)** स्वीकृत निर्माण कार्यों में कौन कौन से कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में विभाग अंतर्गत नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 4 एवं 5 अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर"]

सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना अंतर्गत हार्वेस्टर अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

68. (क्र. 801) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य के कृषि विभाग द्वारा संचालित "सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना" के तहत विगत 4 वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में कितने हार्वेस्टर अनुदान पर स्वीकृत किये गए हैं? स्वीकृत हार्वेस्टर के साथ क्या-क्या कृषि यंत्र / मशीन दी जानी थी और कौन-कौन सी कृषि यंत्र/ मशीन अनुदान प्राप्त लाभार्थियों को दिया गया? **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार उक्त वर्षों में कितना भौतिक लक्ष्य था तथा लक्ष्य के विरुद्ध कितना-कितना वित्तीय आवंटन प्राप्त था? **(ग)** अनुदान पर हार्वेस्टर प्रदान करने की राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा क्या-क्या शर्तें /मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं? प्रतियां दें। **(घ)** राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा हार्वेस्टर उपयोग करने व अनुदान पर वितरण करने के संबंध में क्या-क्या निर्देश/ शर्तें प्रसारित किए गए हैं? निर्देशों / शर्तों की प्रतियां उपलब्ध कराए।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** राज्य में कृषि विभाग द्वारा संचालित "सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना" के दो घटकों यथा "कम्पोनेंट क्र.-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान" एवं "कम्पोनेंट क्र.-4 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना" अंतर्गत अनुदान पर हार्वेस्टर प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। विगत 04 वर्षों यथा 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 (30 नवम्बर 2024 तक) में योजनान्तर्गत कुल 544 हार्वेस्टर अनुदान पर स्वीकृत किये गये हैं। वर्षवार, घटकवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। योजनांतर्गत "कम्पोनेंट क्र.-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान" के तहत कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ अन्य कृषि यंत्र/मशीन दिये जाने की अनिवार्यता नहीं है। "कम्पोनेंट क्र.-4 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना" अंतर्गत भूमि की तैयारी से लेकर फसल की कटाई/गहाई तक के कृषि कार्यों हेतु यंत्र क्रय करने पर अनुदान दिया जाता है, जिसमें कम्बाईन हार्वेस्टर भी सम्मिलित होता है। कम्पोनेंट क्र.-4 के तहत अनुदान पर प्रदाय किए जाने वाले कृषि यंत्र/मशीन का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। कम्पोनेंट क्र.-4 के तहत हितग्राहियों को अनुदान पर प्रदाय किये गये कृषि यंत्रों की वर्षवार, जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार उक्त वर्षों में "सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन" योजनांतर्गत "कम्पोनेंट क्र.-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान" एवं "कम्पोनेंट क्र.-4 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना" हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य एवं प्राप्त वित्तीय आवंटन की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार** है। **(ग)** केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा "सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन" योजनांतर्गत कम्पोनेंट क्रमांक-3 एवं 4 के लिए जारी दिशा-निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-फ अनुसार** है। **(घ)** हार्वेस्टर के उपयोग करने एवं अनुदान पर वितरण करने के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा प्रसारित कोई भी न्यायालीन निर्णय/निर्देश विभाग के संज्ञान में नहीं है।

कृषकों को अनुदान से ट्रैक्टर वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

69. (क्र. 802) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य के कृषि विभाग द्वारा संचालित "सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना" के तहत वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक कृषकों को अनुदान पर कितने ट्रैक्टर स्वीकृत किए गए हैं? **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार अनुदान स्वीकृत किए जाने हेतु क्या-क्या प्रक्रियाएं हैं तथा अनुदान न्यूनतम एवं अधिकतम कितना है? **(ग)** क्या योजना का लाभ "प्रथम आओ प्रथम- पाओ" के तहत लागू है? अगर लागू है तो विगत वित्तीय वर्षों में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में नवम्बर 2024 तक कितने आवेदन प्राप्त व स्वीकृत हुए ? जनकारी जिलावार देवें। **(घ)** प्रश्नांश "ग" के अनुसार कितना-कितना बजट आवंटन स्वीकृत हुआ? एवं कितना-कितना व्यय हुआ है? जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कृषि विभाग में संचालित केन्द्र प्रवर्तित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (एस.एम.ए.एम.) के तहत कंपोनेंट क्रमांक-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं कंपोनेंट क्रमांक 4 व 6 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना अंतर्गत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 में दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक की स्थिति में कुल 6,182 ट्रैक्टर अनुदान पर स्वीकृत किये गये हैं। **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार ट्रैक्टर पर अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु प्रक्रिया का घटकवार विवरण निम्नानुसार है:- **कंपोनेंट क्रमांक-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान-** कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु चैम्प्स प्रणाली सॉफ्टवेयर में अपनी मनपसंद मेक/मॉडल का चयन कर स्वयं/जिला कार्यालय/ प्रदायक संस्था की सहायता से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। मुख्यालय में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत आवेदन स्वीकृत की जाती है। आवेदन स्वीकृति उपरांत कृषक अंश राशि जमा की जाती है। राशि जमा उपरांत मुख्यालय द्वारा प्राप्त भौतिक लक्ष्य के आधार पर कार्य आदेश जारी किया जाता है एवं तदनुसार प्रदायक संस्था द्वारा कृषक को चयनित सामग्री (ट्रैक्टर) प्रदाय किया जाता है। **कंपोनेंट क्र.-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना-** योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य अनुसार कृषकों/समूहों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर वांछित बैंक से प्राप्त ब्रीफ ओपिनियन रिपोर्ट के गुण-दोष के आधार पर "प्रथम आये प्रथम पाये" के अनुसार आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित कृषि यंत्रों/उपकरणों की सूची एवं उनके तकनीकी विवरण का अनुमोदन संबंधित बैंक के अधिकारी एवं संभागीय कृषि यंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तत्पश्चात् बैंक ऋण की स्वीकृति दी जाती है, बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति उपरांत कृषि यंत्री द्वारा अनुदान स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है। आवेदक द्वारा योजना के दिशा-निर्देश अनुरूप भूमि की तैयारी से लेकर कटाई/गहाई तक लगाने वाले, कृषि यंत्र/उपकरण पंजीकृत निर्माता एवं प्रदायक से क्रय करने के उपरांत संबंधित बैंक अधिकारी तथा संभागीय कृषि यंत्री द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुदान राशि का भुगतान क्रेडिट लिंक बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में आवेदक के ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक को किया जाता है। ट्रैक्टर पर देय अनुदान हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा की योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** **(ग)** जी हाँ, कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के तहत कंपोनेंट क्रमांक-3, 4 एवं 6 का क्रियान्वयन "प्रथम आओ प्रथम-पाओ" के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2021-22 से नवम्बर 2024 तक प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों की वर्षवार, योजनावार एवं जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** **(घ)** प्रश्नांश "ग" के अनुसार कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के तहत प्राप्त आबंटन एवं व्यय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- स अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर" \]](#)

आदिवासियों को रोजगार दिए जाने संबंधी योजनाओं व कार्यों का चयन एवं राशि आबंटन की प्रक्रिया

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

70. (क्र. 803) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कोरबा जिला अंतर्गत अधोसंरचना विकास एवं आदिवासियों के रोजगार से संबंधित कौन-कौन सी मद की, कौन-कौन सी योजना वर्तमान में लागू है? मदवार, विकासखंडवार संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अंतर्गत योजना के तहत कार्यों के चयन एवं राशि आबंटन की क्या

प्रक्रिया है? कोरबा जिला अंतर्गत वर्ष 2020-21 से दिनांक 30.11.2024 तक आबंटित राशि की जानकारी मदवार, विकासखंडवार उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कोरबा जिला अंतर्गत अधोसंरचना विकास एवं आदिवासियों के रोजगार से संबंधित मदवार, विकासखंडवार संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांक "क" के अंतर्गत योजना के तहत कार्यों के चयन एवं राशि आबंटन की प्रक्रिया एवं वर्ष 2020-21 से दिनांक 30.11.2024 तक आबंटित राशि की मदवार, विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

जिला कोरबा अंतर्गत बोर्ड से स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

71. (क्र. 804) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कोरबा अंतर्गत वर्ष 2020-21 से दिनांक 30.11.2024 तक मंडी बोर्ड से कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये है? जानकारी विधानसभावार व विकासखंडवार एवं लागत राशि सहित उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हैं कितने अपूर्ण हैं, कितने कार्य प्रस्तावित/लंबित हैं? विधानसभावार व विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला कोरबा अंतर्गत वर्ष 2020-21 से दिनांक 30.11.2024 तक मंडी बोर्ड से 115 कार्य स्वीकृत किये गये है। विधानसभावार एवं विकासखंडवार लागत राशि सहित जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार स्वीकृत कार्यों में से 34 कार्य पूर्ण हैं, 12 कार्य अपूर्ण है, 68 कार्य प्रस्तावित/लंबित तथा 01 कार्य निरस्त हुआ है। विधानसभावार व विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्व्यासी"]

कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रों में दी जाने वाली सब्सिडी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

72. (क्र. 806) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छ.ग. शासन कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को दिये जाने वाले कृषि यंत्रों में कितने प्रतिशत की सब्सिडी किन-किन कृषि यंत्रों पर दी जाती है? योजना का नाम एवं योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के संबंध में नीति निर्देश की जानकारी बताएं? (ख) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में कृषि विभाग की योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2024-25 में नवम्बर, 2024 तक कितने किसानों को कृषि यंत्र प्रदान किया गया है एवं कृषि यंत्र खरीदी हेतु लिए गए लोन में किसानों को कुल कितनी राशि की सब्सिडी दी गई है? (ग) प्रश्नांश "ख" अंतर्गत कृषि यंत्र जैसे- ट्रैक्टर, धान काटने की मशीन एवं अन्य यंत्रों की खरीदी हेतु कितने किसानों से आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा कितने किसानों को कृषि यंत्र प्रदान किये जा चुके हैं? कितने आवेदन (प्रकरण) इस संबंध में लंबित हैं ? विकासखंडवार जानकारी दें? लंबित आवेदनों (प्रकरण) का निराकरण तथा किसानों को कृषि यंत्र कब तक प्रदान कर दिये जावेंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कृषि विभाग के अंतर्गत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाओं के जारी दिशा-निर्देश के प्रावधान के तहत किया जाता है। संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी में संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों/उपकरणों में देय अनुदान की जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2022-23 से 2024-25 में नवम्बर, 2024 तक संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी के अधीन संचालित योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 1165 एवं 931 कृषकों को अनुदान पर कृषि यंत्र प्रदाय किये गये हैं। योजनावार, वर्षवार, लाभांवित हितग्राहियों एवं भुगतान की गई अनुदान राशि की जानकारी

क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है। (ग) प्रश्नांश "ख" अंतर्गत शक्ति चलित कृषि यंत्रों की खरीदी हेतु कृषकों से प्राप्त आवेदन लाभांशित हितग्राही एवं लंबित प्रकरणों की योजनावार, वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-फ अनुसार है। वर्ष 2024-25 में कुल 608 कृषकों के आवेदनों पर स्वीकृति/सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः कृषि यंत्र वितरण की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

धमतरी विधानसभा क्षेत्र में रजिस्ट्री पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

73. (क्र. 807) श्री ओंकार साह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीयन कार्यालय (पंजीयन एवम मुद्रांक) में वित्तीय वर्ष 2021-22 से नवंबर 2024 तक रजिस्ट्री हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है, कितने लंबित हैं, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? इन सभी रजिस्ट्री में शासन को कितना राजस्व प्राप्त हुआ वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** गलत रजिस्ट्री, रजिस्ट्री में अनियमितता, रजिस्ट्री रोकने हेतु कितनी शिकायत/ आवेदन प्राप्त हुए हैं? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** वर्ष 2020-2021 से नवंबर, 2024 तक धमतरी विधानसभा अंतर्गत कृषि भूमि पर अवैध प्लार्टिंग पर रजिस्ट्री में रोक हेतु प्रशासन की ओर से जिला पंजीयन कार्यालय धमतरी को कितने पत्र प्राप्त हुए? उक्त पत्रों पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ख)** गलत रजिस्ट्री, रजिस्ट्री में अनियमितता संबंधी कोई भी शिकायत उक्त अवधि में प्राप्त नहीं है। रजिस्ट्री रोकने संबंधी कुल 258 आवेदन उक्त अवधि में प्राप्त हुए थे। रजिस्ट्री से इंकार का पर्याप्त आधार नहीं होने से सभी प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये हैं। **(ग)** वर्ष 2020-2021 से नवंबर, 2024 तक धमतरी विधानसभा अंतर्गत कृषि भूमि पर अवैध प्लार्टिंग पर रजिस्ट्री में रोक हेतु कलेक्टर, धमतरी के 01 ज्ञापन दिनांक 08.12.2023 के अनुसार 12 खसरों पर पंजीयन से रोक लगाया गया था। तत्पश्चात् कलेक्टर, धमतरी के ज्ञापन दिनांक 04.01.2024 के अनुसार उक्त 12 खसरों पर लगी रोक हटाया गया। प्रतिबंधित अवधि में उक्त खसरों से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन नहीं किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी"]

धमतरी जिले में अवैध विकास का नियमितीकरण

[आवास एवं पर्यावरण]

74. (क्र. 808) श्री ओंकार साह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-धमतरी जिले में अवैध विकास के नियमितीकरण हेतु वर्ष 2020-2021 से नवंबर 2024 तक कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? कितने प्रकरण स्वीकृत किए गए एवम कितने प्रकरण अस्वीकृत किए गए? कितनी शास्ति राशि अभिरोपित की गई तथा कितने प्रकरणों में पार्किंग शुल्क लिया गया, आवासीय एवं गैर आवासीय प्रकरणों की जानकारी विकासखंड वार देवें? अस्वीकृत किए गए आवेदनों, प्रकरणों के क्या कारण है एवं उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी? भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण की स्थिति में नियमितीकरण हेतु आवेदन किए गए जाने की स्थिति में अधिक निर्माण पर धमतरी जिले में कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : धमतरी जिले में अवैध विकास के नियमितीकरण हेतु वर्ष 2020-2021 से नवम्बर 2024 तक कुल 725 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जिसमें से 116 प्रकरण स्वीकृत किये गये है एवं 08 प्रकरण अस्वीकृत किये गये है। शेष प्रकरणों का परीक्षण किया जा रहा है। कुल 19537974.00 रूपये (एक करोड़ पंचान्बे लाख सैतीस हजार नौ सौ चौहत्तर रूपये) शास्ति राशि अधिरोपित की गई तथा 01 प्रकरण में पार्किंग शुल्क लिया गया है, धमतरी विकासखण्ड में 598 आवासीय एवं 118 गैर आवासीय प्रकरण, कुरूद विकासखण्ड में 01 आवासीय एवं 07 गैर आवासीय प्रकरण, नगरी विकासखण्ड में 01 आवासीय एवं 00 गैर आवासीय प्रकरण, तथा मगरलोड विकासखण्ड में आवासीय एवं गैर आवासीय प्रकरण निरंक है। 03 प्रकरण में नियमानुसार पार्किंग क्षेत्र नहीं होने के कारण, 02 प्रकरण में विकास योजना भू-उपयोग

तालाबबंध/वृक्षारोपण होने के कारण तथा 03 प्रकरण में विकास योजना मार्ग चौड़ाई से प्रभावित होने के कारण अस्वीकृत किया गया है। अस्वीकृत प्रकरणों पर छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 एवं (संशोधन) अधिनियम 2022 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण की स्थिति में नियमितिकरण हेतु आवेदन किये गये जाने की स्थिति में अधिक निर्माण पर धमतरी जिले में 79 प्रकरण दर्ज किये गये है।

एन.पी.एस से ओ.पी.एस में आये सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों/देयकों का भुगतान [वित्त]

75. (क्र. 810) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जुलाई, 2005 के बाद शासकीय सेवा में आने वाले कितने कर्मचारी वर्ष 2022 से दिनांक 30.11.2024 तक सेवानिवृत्त हुये हैं, जो कि पूर्व के एन.पी.एस.पेंशन स्कीम अंतर्गत आते थे ? क्या सेवानिवृत्ती से पूर्व ओ.पी.एस का विकल्प चुनने वाले इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ती पश्चात ओ.पी.एस.पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा रहा है तथा क्या इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समस्त सत्वों/देयकों का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं तो राज्य शासन द्वारा इनके देयकों का भुगतान शीघ्र कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ख)**क्या प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के लिये एन.पी.एस के स्थान पर ओ.पी.एस. पेंशन योजना हेतु पी.एफ.आर.डी.ए से प्राप्त होने वाली राशि राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है?यदि हां तो कब और कितनी , और यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जुलाई, 2005 के बाद शासकीय सेवा में आने वाले कुल 1035 कर्मचारी वर्ष 2022 से दिनांक 30.11.2024 तक सेवानिवृत्त हुए हैं, जो कि पूर्व के एन.पी.एस. पेंशन स्कीम अंतर्गत आते थे। ओ.पी.एस. का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् ओ.पी.एस. पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा रहा है एवं जारी पेंशन/उपदान प्राधिकार का भुगतान किया जा रहा है। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के समस्त स्वत्वों/देयकों अर्थात समूह बीमा योजना/अवकाश नगदीकरण के देयकों का भुगतान सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के पदस्थापना कार्यालय से किया जा रहा है। **(ख)** पी.एफ.आर.डी.ए. अनुसार एन.पी.एस. योजना के अंतर्गत अंशदान वापस करने का प्रावधान नहीं है।

पावर प्लांटों से निकलने वाले धुआं एवं राखड़ से प्रदूषण [आवास एवं पर्यावरण]

76. (क्र. 814) श्री रामकुमार यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित उद्योगों द्वारा हो रहे पर्यावरण प्रदूषण हेतु विभाग ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? विवरण दें। **(ख)** पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित ग्रामीणों ने वर्ष 2023-24 सं 30.11.2024 तक कितनी शिकायतें दर्ज कराई हैं? उनका विभाग ने निराकरण करते हुए क्या कार्यवाही की है? **(ग)** क्या उद्योगों से निकलने वाले धुआं एवं राखड़, धूल आदि से कृषकों के खेतों में ऊपज होने वाली फसलों पर अत्यधिक नुकसान की स्थिति है? यदि हाँ तो क्या विभाग ने उद्योगों से मुआवजा संबंधी कोई प्रयास किए हैं? बतावें। **(घ)** क्या उद्योगों के भारी वाहनों, कोल ट्रांपोर्टिंग, डस्ट डिस्पोज सहित अन्य कार्यों से पर्यावरण पर प्रदूषण बढ़ गया है? यदि हां तो विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)**प्रश्नाधीन क्षेत्र अंतर्गत स्थापित उद्योगों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्न उपाय कराये गये हैं :- (1) आवश्यकता अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी., बैग फ़िल्टर, जल छिड़काव व्यवस्था की स्थापना।, (2) ताप विद्युत संयंत्रों की चिमनियों से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के परिमाण के लिये आनलाईन स्टेक इमीशन मानिट्रिंग सिस्टम की स्थापना।, (3) आवश्यकता अनुसार जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था यथा औद्योगिक दूषित जल उपचार, घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना।, (4) ठोस अपशिष्टों, फ्लाई एश आदि का नियमानुसार समुचित अपवहन सुनिश्चित कराना।, (5) वृहद श्रेणी उद्योगों में परिसर के एक तिहाई क्षेत्र में वृक्षारोपण सुनिश्चित कराना। उक्त व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण किया जाकर उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। **(ख)**

जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ग)जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।(घ)जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी "]

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परीशेष - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 780) की जानकारी

प्रपत्र

विभाग अंतर्गत संचालित ऐसे आश्रम/छात्रावास जहां विगत 12 महीनों के अंतराल में बीमारी अथवा अन्य कारणों से बच्चों की हुई मृत्यु के कारण सहित संस्थावार जानकारी

क्र	जिला का नाम	छात्रावास / आश्रम का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	घटना का दिनांक	मृत्यु का कारण	विभागीय द्वारा की गई कार्यवाही
1	सूरजपुर	कन्या आश्रम डेडरी, सूरजपुर	कु. सुरामनी	11-09-2024	(बीमारी) पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर सिकल सेल एनिमिया की वजह से Spleen अपना काम नहीं करने तथा RBC के फस जाने की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा हर जगह कम होने से छात्रा की मृत्यु हुई है।	छात्रा की अस्वस्थता के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर ले जाया गया।
2	महासुन्द	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास महासमुन्द (मचेवा)	कु. चांदनी कोसारिया	13/11/2024	कारण अज्ञात	उक्त प्रकरण के पश्चात कार्यरत अधीक्षिका को उक्त सस्था से पृथक कर दिया गया है। प्रकरण की छानबीन पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है।
3	जगदलपुर	कन्या आश्रम कोलावल	कु. अंजना कश्यप	09-01-2024	तेज बुखार के कारण	मंडल सयोजक, आदिवासी विकास खंड बकावण्ड एवं अधीक्षिका, कन्या आश्रम कोलावल विकासखण्ड को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया।
4	कोण्डगांव	अनुसूचित जन जाति आश्रम भण्डारसिवनी	गौरव कुमार	08-12-2024	सड़क दुर्घटना	कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-कोण्डगांव के पत्र क्रं. / 4799 / स्थ.03 / छा.दु.बी.यो. / 2024-25 कोण्डगांव, दिनांक 03.12.2024 के द्वारा छात्र दुर्घटना बीमा योजना के लिए राशि मांग पत्र संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर को भेजा गया है।
5	कोण्डगांव	अनुसूचित जनजाति आश्रम खडपड़ी	ताम्रेश्वर कोरम	10-03-2024	मलेरिया	सूचना मिलने पर छात्र को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जहाँ जिला चिकित्सालय कोण्डगांव में उपचार के दौरान मृत्यु हुई है।
6	कोण्डगांव	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गोलावंड	मोहन	25-08-2024	फांसी लगाकर	सूचना मिलने पर छात्र को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जहाँ जिला चिकित्सालय कोण्डगांव में उपचार के दौरान मृत्यु हुई है।
7	सरगुजा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास दरिमा	मुकेश तिकी	28/02/2024	फांसी लगाकर	इस प्रकरण में उक्त तिथि में कार्यरत छात्रावास अधीक्षक श्री भूपेश सिंह कश्यप, श्री 'स' को अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरते जाने के कारण निलंबन की कार्यवाही किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई है।

क	जिला का नाम	छात्रावास / आश्रम का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	घटना का दिनांक	मृत्यु का कारण	विभागीय द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
8	सुकमा	बालक आश्रम किस्टाराम	सोडी जोगा	31/07/2024	मलेरिया	बालक आश्रम किस्टाराम के प्रकरण में जांच प्रतिवेदन अनुसार अधीक्षक की गलती प्रमाणित नहीं होने के कारण संबंधित अधीक्षक को भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो के संबंध में चेतावनी दी गई है।
9	सुकमा	कन्या आश्रम कोर्सा	कु. सोडी संध्या	14/11/2024	मलेरिया	कन्या आश्रम कोर्सा की अधीक्षिका को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/आ.वि./स्था/2024-25/2312 सुकमा दिनांक 26.11.2024 के तहत अधीक्षिका के पद से पृथक किया गया है।
10	सुकमा	बालक आश्रम कोयाबेकूर	माडवी दुला	12-04-2024	सिर में दर्द	बालक आश्रम कोयाबेकूर के संबंध में कार्यवाही गुण दोष के आधार पर की जावेगी।
11	नारायणपुर	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सोनपुर	सूरजू राम कुमैटी	08-03-2024	मलेरिया	जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान छात्र की मृत्यु हुई है।




अनुभाग अधिकारी
शु.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरिशेष्ट - दो
तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 765) की जानकारी

प्रपत्र

क	वर्ष	वितरित वन अधिकार पत्र							
		व्यक्तिगत						सामुदायिक	
		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग			
		संख्या	रकबा (हे.)	संख्या	रकबा (हे.)	संख्या	रकबा (हे.)	संख्या	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2021-22	0	0.000	55	16.353	20	16.818	519	37564.657
2	2022-23	0	0.000	19	0.729	0	0.000	0	0.000
3	2023-24	0	0.000	37	0.807	0	0.000	0	0.000
4	2024-25 (जून 2024 तक)	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
योग		0	0	111	17.889	20	16.818	519	37564.657


अनुभाष अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

परीशिष्ट - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क. 760) की जानकारी

क.	जिला	वर्ष 2020		वर्ष 2021		वर्ष 2022		वर्ष 2023	
		कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	112962	332.69	118932	305.44	126272	315.77	130799	238.00
2	बलौदाबाजार	150374	433.72	161330	401.78	177381	440.23	153776	287.03
3	परियावद	66793	200.86	71720	194.57	80851	230.56	84840	187.48
4	महासमुद्र	129343	488.41	137069	454.04	147983	493.21	153323	382.74
5	धमत्से	102780	281.36	109479	259.71	116569	273.51	120593	209.98
6	दुर्ग	80977	243.33	92044	246.12	102490	276.42	106843	210.90
7	बालीद	119913	335.77	127533	314.27	137582	352.34	143534	269.93
8	बेमतरा	111190	351.70	126652	353.60	147572	422.89	153366	326.56
9	राजनादगांव	165433	451.26	186627	457.44	216467	635.14	122208	255.84
10	खैराब-मुईखान-नंऊई	0	0.00	0	0.00	0	0.00	65507	147.05
11	मोहला-मानपुर-बंजीकी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	40850	105.65
12	कशोराम	80586	224.76	96021	236.56	128783	320.35	126789	258.66
13	बिलासपुर	101958	323.25	102359	272.38	115358	301.22	123722	239.14
14	गौरला-पेठार-मखली	0	0.00	13423	44.94	21794	67.44	22461	56.32
15	मुंगली	71299	219.27	81365	217.86	91651	242.12	98035	187.32
16	जानगीर	169612	528.06	184174	482.86	197726	508.27	117221	214.50
17	सकौी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	87011	169.30
18	कोरवा	23899	66.32	30048	81.70	42517	130.53	47630	113.59
19	रायगढ़	91255	328.17	101991	325.02	126304	395.85	79773	214.56
20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	81674	155.86
21	सरगुजा	29164	92.04	35839	109.13	50891	158.88	52594	133.13
22	सूरजपुर	31796	106.98	39950	126.73	53201	173.80	56108	143.48
23	बलरामपुर	25590	82.78	31115	94.27	45679	143.70	44204	111.45
24	कोरिया	17845	60.32	23193	72.12	35780	108.30	21070	51.42
25	मननगढ़-भरतपुर-बिरसिसे	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17349	39.37
26	जशपुर	15300	53.95	19863	70.33	37760	150.73	41005	140.30
27	जगदलपुर	25170	80.75	29310	86.86	51227	179.90	51610	147.83
28	कोण्डावांव	28127	76.58	33556	86.28	44820	145.78	48600	128.05
29	दत्तेवाड़ा	3259	7.04	4310	9.78	11933	72.69	13566	64.53
30	सुकमा	7965	21.39	9557	23.10	15644	84.75	16654	71.75
31	बीजापुर	9890	38.86	11773	36.18	15785	83.00	17666	71.18
32	नारायणपुर	3684	9.91	4736	11.73	6894	22.53	9705	25.50
33	कोकरे	67206	187.50	75099	178.29	91915	275.94	97745	228.99
	महाराजग	1843370	5627.02	2059068	5553.07	2438829	7005.83	2547831	5587.16

'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी

(राशि रु. करोड़ में)

प्रपत्र

(किसान शिक्षा)
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
न्याय और शोधांगिक विभाग


परिेशष्ट - चार
तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 718) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 30/11/2022 से 30/11/2024 (दो वर्ष) की अवधि में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने
बाबत प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विषय	शिकायत प्राप्ति दिनांक	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण के दौरान पाई गई स्थिति	की गयी कार्यवाही	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	ग्राम पंचायत पीपरतरई /पर्थरा /अमने ग्रामवासियों व सरपंच द्वारा दर्ज शिकायत	ग्राम पंचायत पीपरतरई, अमने, टाडा, मोहनभाठा एवं भरारी की शासकीय भूमि में वेलकम डिस्टलरी ग्राम-छेरकावांधा, करगी रोड कोटा अवैध कब्जा कर किये गये मुर्गी चारा के भंडारण से फैल रहे दुष्प्रभाव एवं प्रदूषण के संबंध में।	11/06/2024	12/06/2024 14/06/2024 एवं 24/06/2024	निरीक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम-पिपरतरई और अमने में खुले मैदान में औद्योगिक अपशिष्ट-मोटी परत का भंडारण जमा हुआ है, जिससे तेज गंध और वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित होना पाया गया। साथ ही आगामी मानसून सीजन के दौरान जल प्रदूषण की भी आशंका जैसी स्थिति पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 19/06/2024 मे माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत उद्योग को नोटिस जारी किया गया। तदोपरान्त नोटिस के परिपेक्ष्य में दिनांक 24/06/2024 को निरीक्षण किया गया जिसमे उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही कर लिया जाना पाया गया। उद्योग में पाई गई कमियों एवं सुधार तक की अवधि के लिये मंडल के पत्र दिनांक 25/06/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 3,90,000 (तीन लाख नब्बे हजार रुपये) अधिरोपित की गयी।	उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 26/06/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 3,90,000 (रु. तीन लाख नब्बे हजार) जमा की गई।
2.	1. श्री रोमहर्षण, पिता-श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास, पता- लखनपुर, पोड़ीउपरोड़ा, जिला- कोरबा, 2. श्री छविराम, पिता-श्री धनीराम श्याम, पता - जोगीपुर, थाना कोटा, जिला- बिलासपुर	मेसर्स वेलकम डिस्टलरी उद्योग के द्वारा प्रदूषित जहरीली एवं केमिकल युक्त जल अरपा नदी में बहाये जाने के संबंध में।	05/08/2024	14/08/2024 एवं 12/09/2024	1. उद्योग से जनित घरेलू दूषित जल का नाले के माध्यम से उद्योग परिसर से बाहर जाना पाया गया। 2. उद्योग में स्थापित एवं संचालित दूषित जल उपचार संयंत्र अपनी पूर्ण दक्षता के साथ संचालित होना नहीं पाया गया। 3. शिकायत में उल्लेखित उद्योग के दूषित जल से फसल	निरीक्षण दौरान उद्योग में पायी गयी कमियों के संबंध में मंडल के पत्र दिनांक 16/08/2024 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। नोटिस के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी दिनांक 03/09/2024 को प्राप्त हुई। नोटिस के परिपेक्ष्य में पुनः दिनांक 12/09/2024 को	उद्योग द्वारा दिनांक 27/09/2024 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 9,00,000 (रु. नौ लाख) जमा की गई।

	<p>बिलासपुर 3. श्री प्रदीप साह, पिता-श्री जलेश्वर साह, पता-लारीपारा, छेरकावांधा, कोटा, जिला-बिलासपुर</p>				<p>दूषित जल से फसल खराब होने, जानवरों के मृत होने के साक्ष्य नहीं मिले एवं स्कूल परिसर में जहरीली गैस का रिसाव/सड़नयुक्त दुर्गंध की स्थिति नहीं पायी गयी।</p> <p>4. उद्योग से प्रक्रिया के दौरान जनित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण उचित तरीके से नहीं किया जाना पाया गया, ऐसी परिस्थितियों में बारिश होने पर वर्षा के जल का अपशिष्ट से मिलकर बिना उपचार के परिसर से बाहर निस्सारित होने की संभावना जैसी स्थिति पाई गई।</p> <p>5. उद्योग और लैगून के मध्य पाईपलाइन क्षतिग्रस्त होना पाया गया।</p> <p>6. उद्योग की हाउसकीपिंग व्यवस्था खराब पायी गयी।</p>	<p>12/09/2024 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग में पाई गई कमियों एवं सुधार तक की अवधि के लिये मंडल के पत्र दिनांक 13/09/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 9,00,000 (रूपये नौ लाख) अधिरोपित की गयी।</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

परीशिष्ट - पाँच
तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 723) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला बालोद में वर्ष 2024-25 अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी

क्र.	संचालित योजना का नाम	आवेदन का विवरण	प्राप्त आवेदन संख्या	पंजीयन संख्या	लंबित संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	लंबित प्रकरण का निराकरण हेतु समयावधि का उल्लेख	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
केन्द्र प्रवर्तित योजना								
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	शैलो ट्यूबवेल खनन पंप प्रतिस्थापन	96	96	94	2	योजनावार उपलब्ध लक्ष्य अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति तक किया जावेगा	-
2	राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन	फसल प्रदर्शन गोदाम निर्माण	-	-	-	245	-	-
3	राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन (ऑयलसीड)	कृषि यंत्र	3	3	0	3	-	-
4	कृषि यांत्रिकरण सबमिशन	हस्त/बैल चलित कृषि यंत्रों पर अनुदान	6	2	4	2	योजनावार उपलब्ध लक्ष्य अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति तक किया जावेगा	चैम्स प्रणाली अन्तर्गत संचालित है।
5	कृषि यांत्रिकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-3)	कृषि यंत्र	-	-	-	-	-	-
6	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	कृषि यंत्र	697	87	610	87	योजनावार उपलब्ध लक्ष्य अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति तक किया जावेगा	चैम्स प्रणाली अन्तर्गत संचालित है। 3 कृषकों द्वारा लेने से इंकार किया गया।
7	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	स्व-सहायता समूह	16	12	1	12	योजनावार उपलब्ध लक्ष्य अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति तक किया जावेगा	2 समूह प्रति समूह 10 सदस्य
8	स्वायल हेल्थ मैनेजमेंट योजना	मृदा नमूना परीक्षण	-	-	-	4954	-	-


9	नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर	समन्वित फसल प्रदर्शन/वर्मी टैंक आदि पर अनुदान एवं लघु निर्माण कार्य	-	-	-	50	-	-
10	परंपरागत कृषि विकास योजना	धान फसल प्रदर्शन	-	-	-	3002	-	-
11	एस एम एस पी बीज ग्राम योजना	बीज वितरण अनुदान	-	-	-	2971	-	-
12	एक्सटेंशन रिकॉर्म्स (आत्मा) योजना	प्रदर्शन, भ्रमण, प्रशिक्षण, समूह निर्माण, मानेदय आदि	-	-	-	600	-	-
13	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	द्वीप	69	40	29	40	योजनावार उपलब्ध लक्ष्य अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति तक किया जावेगा	चैम्स प्रणाली अन्तर्गत संचालित है।
		स्प्रिंकलर	680	442	238	442		
केन्द्र योग			1570	684	977	12430		

राज्य पोषित योजना

1	किसान समृद्धि योजना	नलकूप खनन एवं प्रतिस्थापन पर अनुदान	28	28	28	0	योजनावार उपलब्ध लक्ष्य अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति तक किया जावेगा	-
2	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना	लघु निर्माण कार्य	-	-	-	83		सामूहिक उपयोग हेतु शत प्रतिशत शासकीय व्यय पर शासकीय भूमि में निर्मित किया जाता है।
3	अक्ति बीज संवर्धन योजना	बीज उत्पादन एवं वितरण अनुदान	-	-	-	26873		-
4	दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना	बीज उत्पादन अनुदान	-	-	-	16		-
5	गन्ना विकास योजना	बीज वितरण अनुदान	-	-	-	10		-
6	ग्रीष्मकालीन धान के बदले मक्का, दलहन एवं तिलहन प्रदर्शन	फसल प्रदर्शन	-	-	-	380		-
7	द्विफसलीय फसल प्रदर्शन	गेंहू फसल प्रदर्शन	-	-	-	220		-



8	शाकमरी योजना	डीजल एवं विद्युत पंप पर अनुदान	69	69	0	69	-	चैम्स प्रणाली अन्तर्गत संचालित है।
9	जैविक खेती मिशन	फसल प्रदर्शन	-	-	-	958	-	
10	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	झीप	25	23	2	23	योजनावार उपलब्ध लक्ष्य अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति तक किया जावेगा	चैम्स प्रणाली अन्तर्गत संचालित है।
11	राज्य पोषित फसल प्रदर्शन अन्तर्गत बैडी ट्रान्सप्लान्टर	धान रोपाई पर अनुदान	15	15	0	15	-	-
		राज्य योग	137	135	30	28647		


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र -ब

जिला बालोद में वर्ष 2024-25 अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी

क.	जिले में संचालित योजना का नाम	घटक
1	राज्य पोषित योजना	
i	फल पौध रोपण हेतु अनुदान योजना	
ii	बी.पी.एल. एवं लघु/सीमांत कृषक बाड़ी में टपक सिंचाई योजना (500 वर्गमी.)	
iii	नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	
iv	कम्यूनिटी फेसिंग योजना	
v	पोषण बाड़ी विकास योजना	
vii	उद्यानिकी कृषक प्रशिक्षण	
viii	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप) योजना	
2	केन्द्र पोषित योजना	
i	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	फल क्षेत्र विस्तार सब्जी क्षेत्र विस्तार मसाला क्षेत्र विस्तार पुष्प क्षेत्र विस्तार संरक्षित खेती पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट उद्यानिकी यंत्रीकरण मानव संसाधन विकास एवं मिशन मैनेजमेंट
ii	सबमिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री	
iii	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	ड्रिप स्प्रिंकलर
iv	पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना	

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र - स

जिला बालोद में वर्ष 2024-25 में उद्यानिकी विभाग के योजनांतर्गत लाभार्थित कृषकों की जानकारी

क.	उद्यानिकी अंतर्गत जिले में संचालित योजना का नाम	वर्ष 2024-25 में (दिनांक 30.11. 2024 की स्थिति में) योजनांतर्गत लाभार्थित कृषक संख्या	कृषक संख्या जिनके आवेदन लंबित है	लंबित आवेदनों की जानकारी	
				आवेदन लंबित होने का कारण	आवेदन निराकरण की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6
	राज्य पोषित योजना				
1	फल क्षेत्र विस्तार	113	0	0	0
2	नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	137	0	0	0
3	पोषण बाड़ी विकास	1250	0	0	0
4	कम्यूनिटी फेसिंग योजना	12	0	0	0
5	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना(ड्रिप)	23	0	0	0
	योग- राज्य पोषित योजना	1535	0	0	0



	केन्द्र पोषित योजना							
	राष्ट्रीय बागवानी मिशन							
1	फल क्षेत्र विस्तार							दिसम्बर 2024
i	अमरुद	-	19					-
ii	केला द्वितीय वर्ष	73	-					-
iii	नीबू तृतीय वर्ष	67	-					-
2	सब्जी क्षेत्र विस्तार							
i	भिण्डी	-	27					दिसम्बर 2024
ii	फूलगोभी	-	41					दिसम्बर 2024
3	मसाला क्षेत्र विस्तार							
i	धनिया	52						-
4	पुष्प क्षेत्र विस्तार							
i	गेंदा	-	125					दिसम्बर 2024
5	संरक्षित खेती							
i	प्लास्टिक मल्यिंग	7	13					दिसम्बर 2024
	योग	199	225					
6	सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री (पौध उत्पादन उपरांत कृषकों में वितरण)	66	0					0

7	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना					
i	ड्रिप	23	-	-		
ii	स्प्रिंकलर	27	-	-		
	योग	50				
8	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना	399	9		कृषक द्वारा त्रुटिपूर्ण दस्तावेज जानकारी पोर्टल में अपलोड करने के कारण	कृषकों द्वारा सही जानकारी उपलब्ध कराने के उपरांत दिसम्बर 2024
	योग -केन्द्र पोषित योजना	714	234			
	महायोग(राज्य एवं केन्द्र पोषित योजना)	2249	234			

(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परीशेष - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 548) की जानकारी


प्रश्न

क्र.	वर्ष	विभाग का नाम	विकास खण्ड का नाम	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु संचालित योजनाओं का नाम	योजनाओं हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	स्वरोजगार हेतु प्रदान की गई सहायता का प्रकार	हितग्राहियों को स्वीकृत राशि की जानकारी		
									हितग्राहियों की संख्या	स्वीकृत राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2023	आदिम जाति कल्याण विभाग मोहला	मोहला	राहत सहायता एवं पुनर्वास योजना (अत्याचार निवारण)	5	4	1	-	4	775000.00	
				अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	-	-	-	-	-	0.00	
				राहत सहायता एवं पुनर्वास योजना (अत्याचार निवारण)	6	6	0	-	1275000.00		
				अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	-	-	-	-	0.00		
				राहत सहायता एवं पुनर्वास योजना (अत्याचार निवारण)	2	2	0	-	1125000.00		
				अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	-	-	-	-	0.00		
2	2023	जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र अ. चौकी	मोहला	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	4	1	1	विनिर्माण सेवा एवं व्यवसाय हेतु अनुदान (सिबिडी)	1	300000.00	
				सौर सुजला योजना	0	0	0	0	0.00		
				सौर सुजला योजना	5	0	0	0	0.00		
				सौर सुजला योजना	78	78	0	कृषि सिंचाई हेतु सोलर पंप	78	23787516.00	
				सौर सुजला योजना	50	50	0	0	50	14879350.00	
				सौर सुजला योजना	24	24	0	0	24	7333998.00	
3	2023	पशुधन विकास विभाग	मोहला	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उपयोग अन्तर्गत अनुदान पर नए बकरी / सुकरवरी / बैकगार्ड कुवकुट / सांड वितरण	66	66	0	-	0.00		
				अत्योद्य स्वरोजगार योजना	95	95	0	-	0.00		
				अ. चौकी	96	96	0	-	0.00		
4	2023	छ.ग. राज्य अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, नवा रायपुर	अ. चौकी	अ. चौकी	77	0	77	-	-	-	
				अ. चौकी	7	0	7	-	-	-	

टीप :- शेष विभागों की जानकारी निररक है।

क्र.	वर्ष	विभाग का नाम	विकास खण्ड का नाम	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु संचालित योजनाओं का नाम	योजनाओं हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	स्वरोजगार हेतु प्रदान की गई सहायता का प्रकार	हितग्राहियों को स्वीकृत राशि की जानकारी	
									हितग्राहियों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024 (नवम्बर 2024 तक)	आदिम जाति कल्याण विभाग मोहला	मोहला	राहत सहायता एवं पुर्नवास योजना (अत्याचार निवारण)	5	4	1	-	4	300000.00
				अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	3	1	2	-	1	250000.00
				राहत सहायता एवं पुर्नवास योजना (अत्याचार निवारण)	1	1	0	-	1	300000.00
				अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	2	0	2	-	0	0.00
2	2024 (नवम्बर 2024 तक)	जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र	मोहला	राहत सहायता एवं पुर्नवास योजना (अत्याचार निवारण)	0	0	0	-	0	0.00
				अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	9	2	0	-	2	500000.00
				राज्यीय युवा उत्थान योजना	1	1	0	-	-	0.00
				प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	3	0	3	विनिर्माण सेवा एवं व्यवसाय हेतु अनुदान (सब्सिडी)	0	0.00
2	2024 (नवम्बर 2024 तक)	छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण (केडा)	मानपुर	सीर सुजला योजना	100	51	49	कृषि सिंचाई हेतु सोलर पंप	51	15046087.00
				मानपुर	248	87	161		87	26185669.00
				अ.चौकी	39	10	29		10	3584320.00
				मोहला	72	72	0		-	0.00
3	2024 (नवम्बर 2024 तक)	पशुधन विकास विभाग	मानपुर	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उपयोजना अन्तर्गत अनुदान पर नर बकरा/सुकत्रयी/बैकयाई कुक्कुट/सांड वितरण	158	158	0	-	-	0.00
				अ.चौकी	111	111	0		-	0.00
				अ.चौकी	1	0	1		-	-
				मोहला	1	0	1		-	-
4	2024 (नवम्बर 2024 तक)	छ.ग. राज्य अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, नवा रायपुर	मोहला	अत्यावसायी स्वरोजगार योजना	1	0	1		-	-
				आदिवासी स्वरोजगार योजना	1	0	1		-	-

टिप :- शेष विभागों की जानकारी निरक है।


अनुभाग अधिकारी
आ.व. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़


प्रपत्र

डौण्डी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 से 20.11.2024 तक स्वीकृत शाला भवन निर्माण की
विकासखण्डवार जानकारी।

(राशि रु. लाखों में)					
क्र.	विकासखण्ड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि	निर्माण की वर्तमान स्थिति	
1	3	4	5	6	
1	डौण्डी लोहारा	शास. हाई स्कूल कोबा	75.23	पूर्ण	
2	डौण्डी लोहारा	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल संजारी	121.16	पूर्ण	
3	डौण्डी लोहारा	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल कमकापार	121.16	निविदा स्तर पर	

विकासखण्ड डौण्डी एवं डौण्डी लोहारा के भवन विहीन शालाएं

क्र.	विकास खण्ड	शाला का नाम	भवन विहीन की स्थिति में संचालन स्थल
1	2	3	4
1	डौण्डी लोहारा	शास. हाई स्कूल बड़ेजुंगरा	माध्यमिक शाला में
2	डौण्डी	शास. हाई स्कूल नरटोला	माध्यमिक शाला में
3	डौण्डी	शास. हाई स्कूल मरकाटोला	माध्यमिक शाला में


अनुपाम अधिकारी
अतिरिक्त जति तथा अनुसूचित जाति
विकासखण्ड संयोजक, नया रायपुर

पॉरीशेड - आठ
तारांकैत प्रश्न संख्या 12 (क्र. 791) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की जानकारी

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील का नाम	फसल का नाम	कुल बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.में)	दावा भुगतान से लाभान्वित कृषक संख्या	दावा भुगतान राशि (लाख रु.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021	खरीफ	सुरजपुर	प्रतापपुर	उड़द	192	21.04	45	0.12
				मूंगफली	7	1.01	2	0.02
				मक्का	314	42.28	198	1.52
				धान असिंचित	26	9.87	8	0.45
				धान सिंचित	5571	8943.33	327	9.45
			योग		6110	9017.53	580	11.56
	खरीफ	बलरामपुर	वाड़फनगर	उड़द	185	18.95	-	-
				मक्का	114	32.32	-	-
				धान असिंचित	3915	7287.07	-	-
				तुअर	6	0.88	-	-
		योग		4220	7339.00	0	0	
खरीफ 2021					10330	16356.54	580	11.56
2021-22	रबी	सुरजपुर	प्रतापपुर	राई-सरसों	38	28.91	-	-
				गेंहू सिंचित	639	575.39	92	1.84
				गेंहू असिंचित	2	5.02	-	-
			योग		679	609.32	92	1.84
	रबी	बलरामपुर	वाड़फनगर	अलसी	1	0.18	-	-
				राई सरसों	94	10.28	34	0.06
				गेंहू सिंचित	176	273.28	-	-
		योग		271	283.74	34	0.06	
रबी 2021					950	893.06	126	1.90
योग वर्ष 2021-22					11280	17249.59	706	13.46
2022	खरीफ	सुरजपुर	प्रतापपुर	उड़द	24	9.90	-	-
				मूंगफली	4	0.84	-	-
				मक्का	203	113.07	117	3.60
				धान असिंचित	13	4.99	1	0.0001
				धान सिंचित	6522	9395.42	-	-
			योग		6766	9524.22	118	3.60
	खरीफ	बलरामपुर	वाड़फनगर	उड़द	43	14.88	16	0.08
				मक्का	179	68.86	10	0.08
				धान असिंचित	4280	7717.92	130	18.78
				तुअर	34	13.26	-	-
		योग		4536	7814.91	156	18.94	
खरीफ 2022					11302	17339.13	274	22.54
2022-23	रबी	सुरजपुर	प्रतापपुर	राई-सरसों	28	12.89	12	0.23
				गेंहू सिंचित	408	287.36	228	4.47
				योग	436	300.25	240	4.70
	रबी	बलरामपुर	वाड़फनगर	अलसी	7	0.95	-	-
				राई सरसों	50	6.46	27	0.21
				गेंहू सिंचित	117	237.34	6	0.25
		योग		174	244.75	33	0.46	
रबी 2022-23					610	545.00	273	5.16
योग वर्ष 2022-23					11912	17884.13	547	27.70

(विकास मिश्र)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की जानकारी

राशि लाख में रकबा हेक्टेयर में

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा	दावा भुगतान से लाभान्वित कृषक संख्या	भुगतान की गई दावा राशि
2021	खरीफ	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	केला	1	0.040	0	0.000
	खरीफ	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	बैंगन	8	0.750	8	0.019
	खरीफ	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	अदरक	3	0.250	3	0.010
	खरीफ	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	अमरुद	1	0.550	0	0.000
	खरीफ	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	टमाटर	22	1.785	22	0.088
	खरीफ	सूरजपुर	प्रतापपुर	बैंगन	5	0.700	5	0.109
	खरीफ	सूरजपुर	प्रतापपुर	मिर्च	2	0.800	2	0.120
	खरीफ	सूरजपुर	प्रतापपुर	टमाटर	30	23.920	30	7.392
योग खरीफ 2021-22					72	28.795	70	7.738
2021-22	रबी	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	बैंगन	1	0.100	1	0.001
	रबी	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	पत्तागोभी	3	0.400	2	0.003
	रबी	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	फूलगोभी	8	0.900	8	0.005
	रबी	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	प्याज	1	0.100	1	0.000
	रबी	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	आलू	14	1.430	8	0.005
	रबी	सूरजपुर	प्रतापपुर	बैंगन	1	0.100	1	0.000
	रबी	सूरजपुर	प्रतापपुर	पत्तागोभी	12	2.260	12	0.023
	रबी	सूरजपुर	प्रतापपुर	फूलगोभी	1	0.100	1	0.001
	रबी	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्याज	3	0.700	2	0.006
	रबी	सूरजपुर	प्रतापपुर	आलू	4	0.700	3	0.001
	रबी	सूरजपुर	प्रतापपुर	टमाटर	6	0.690	6	0.018
योग रबी 2021-22					54	7.480	45	0.063
योग वर्ष 2021-22					126	36.275	115	7.800
2022	खरीफ	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	बैंगन	3	0.656	0	0.000
	खरीफ	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	मिर्च	1	0.024	1	0.000
	खरीफ	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	टमाटर	3	0.720	3	0.019
	खरीफ	सूरजपुर	प्रतापपुर	बैंगन	7	1.600	3	0.017
	खरीफ	सूरजपुर	प्रतापपुर	मिर्च	3	0.800	3	0.071
	खरीफ	सूरजपुर	प्रतापपुर	टमाटर	11	4.230	7	0.138
योग खरीफ 2022-23					28	8.030	17	0.245
2022-23	रबी	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	बैंगन	1	0.052	1	0.005
	रबी	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	फूलगोभी	14	1.380	14	0.140
	रबी	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	प्याज	19	1.000	5	0.017
	रबी	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	आलू	59	3.726	59	0.235
	रबी	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	टमाटर	5	0.880	5	0.094
	रबी	सूरजपुर	प्रतापपुर	बैंगन	2	0.200	0	0.000
	रबी	सूरजपुर	प्रतापपुर	पत्तागोभी	3	0.600	3	0.073
	रबी	सूरजपुर	प्रतापपुर	फूलगोभी	10	1.060	10	0.074
	रबी	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्याज	4	0.660	3	0.003
	रबी	सूरजपुर	प्रतापपुर	आलू	11	1.620	11	0.246
योग रबी 2022-23					128	11.178	111	0.887
योग वर्ष 2022-23					156	19.208	128	1.133
महायोग 2021-22 से 2022-23					282	55.483	243	8.933

(विकास अधिकारी)

सम सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण

पारोशेष्ट - नौ

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 785) की जानकारी


प्रपत्र-अ

01 दिसम्बर 2023 से 30 नवम्बर 2024 की अवधि में मेसर्स वेलकम डिस्टीलरीज, ग्राम - छेरका बांधा, जिला - बिलासपुर का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये निरीक्षण एवं की गयी कार्यवाही की जानकारी

क्र.	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	शिकायत में पायी गयी कमियां	की गयी कार्यवाही	रिमार्क
01	02	03	04	05	06
1.	22/02/2024	श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
2.	03/03/2024	श्री राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
3.	12/06/2024, 14/06/2024 एवं 24/06/2024	श्री राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम-पिपरतराई और अमने में खुले मैदान में औद्योगिक अपशिष्ट-मोटी परत का भंडारण जमा हुआ है, जिससे तेज गंध और वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित होना पाया गया। साथ ही आगामी मानसून सीजन के दौरान जल प्रदूषण की भी आशंका जैसी स्थिति पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 19/06/2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत उद्योग को नोटिस जारी किया गया। तदोपरान्त नोटिस के परिपेक्ष्य में दिनांक 24/06/2024 को निरीक्षण किया गया जिसमें उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही कर लिया जाना पाया गया। उद्योग में पाई गई कमियों एवं सुधार तक की अवधि के लिये मंडल के पत्र दिनांक 25/06/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 3,90,000 (तीन लाख नब्बे हजार रूपये) अधिरोपित की गयी।	उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 26/06/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 3,90,000 (रु. तीन लाख नब्बे हजार) जमा की गई।
4.	14/08/2024 एवं 12/09/2024	1. श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता 2. श्री राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक 3. श्री राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक 4. श्री के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ 5. श्री संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	1. उद्योग से जनित घरेलू दूषित जल का नाले के माध्यम से उद्योग परिसर से बाहर जाना पाया गया। 2. उद्योग में स्थापित एवं संचालित दूषित जल उपचार संयंत्र अपनी पूर्ण दक्षता के साथ संचालित होना नहीं पाया गया। 3. प्राप्त शिकायत में उल्लेखित उद्योग के दूषित जल से फसल खराब होने, जानवरों के मृत होने के साक्ष्य नहीं मिले एवं स्कूल परिसर में जहरीली गैस का रिसाव/सड़न युक्त दुर्गंध की स्थिति नहीं पायी गयी।	निरीक्षण दौरान उद्योग में पायी गयी कमियों के संबंध में मंडल के पत्र दिनांक 16/08/2024 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। नोटिस के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी दिनांक 03/09/2024 को प्राप्त हुई। नोटिस के परिपेक्ष्य में पुनः दिनांक 12/09/2024 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग में पाई गई कमियों एवं सुधार तक की अवधि के लिये मंडल के पत्र दिनांक 13/09/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 9,00,000 (रूपये नौ लाख) अधिरोपित की गयी।	उद्योग द्वारा दिनांक 27/09/2024 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 9,00,000 (रु. नौ लाख) जमा की गई।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

			<p>4. उद्योग से प्रक्रिया के दौरान जनित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण उचित तरीके से नहीं किया जाना पाया गया, ऐसी परिस्थितियों में बारिश होने पर वर्षा के जल का अपशिष्ट से मिलकर बिना उपचार के परिसर से बाहर निस्सारित होने की संभावना जैसी स्थिति पाई गई।</p> <p>5. उद्योग और लैगून के मध्य पाईपलाइन क्षतिग्रस्त होना पाया गया।</p> <p>6. उद्योग की हाउसकीपिंग व्यवस्था खराब पायी गयी।</p>	
--	--	--	---	--


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-ब

01 दिसम्बर 2023 से 30 नवम्बर 2024 की अवधि में मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टीलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी, पोस्ट कुम्हारी, जिला-दुर्ग का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये निरीक्षण एवं की गयी कार्यवाही की जानकारी

क्र.	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	शिकायत में पायी गयी कमियां	की गयी कार्यवाही	रिमांक
01	02	03	04	05	06
1.	20/12/2023	श्री जी.पी. पटेल प्रभारी रसायनज्ञ, श्री एस.के. विश्वकर्मा प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
1.	05/01/2024	1. श्री जी.पी. पटेल प्रभारी रसायनज्ञ, 2. श्री एस.के. विश्वकर्मा प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2, 3. श्री विजय सिंह प्रयोगशाला परिचारक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
2.	05/02/2024	1. श्री जी.पी. पटेल प्रभारी रसायनज्ञ, 2. श्री विजय सिंह, प्रयोगशाला परिचारक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
3.	09/02/2024	1. श्री विजय सिंह पोर्टे क्षेत्रीय अधिकारी, 2. श्री शिव प्रसाद, कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
4.	04/03/2024	1. श्री जी.पी. पटेल प्रभारी रसायनज्ञ, 2. श्री एस.के. विश्वकर्मा प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2, 3. श्री विजय सिंह प्रयोगशाला परिचारक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
5.	04/04/2024	1. श्री जी.पी. पटेल प्रभारी रसायनज्ञ, 2. श्री एस.के. विश्वकर्मा प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2, 3. श्री विजय सिंह प्रयोगशाला परिचारक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
6.	02/05/2024	1. श्री जी.पी. पटेल प्रभारी रसायनज्ञ, 2. श्री एस.के. विश्वकर्मा प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2, 3. श्री विजय सिंह प्रयोगशाला परिचारक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
7.	20/05/2024	1. श्री आर.के. अहिरवार कनिष्ठ वैज्ञानिक, 2. श्री शिव प्रसाद कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
8.	13/06/2024	श्री एस.के. विश्वकर्मा प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
9.	10/07/2024	1. श्री यू.के. मण्डल रसायनज्ञ, 2. श्री एस.के. विश्वकर्मा, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
10.	20/07/2024	नंदकुमार पटेल प्रभारी रसायनज्ञ	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
11.	08/01/2024	1. श्री जी.पी. पटेल, प्रभारी रसायनज्ञ 2. श्री एस.के. विश्वकर्मा, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
12.	05/09/2024	1. श्री जी.पी. पटेल प्रभारी रसायनज्ञ, 2. श्री एस.के. विश्वकर्मा प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2, 3. श्री विजय सिंह प्रयोगशाला परिचारक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
13.	04/10/2024	श्री एस.के. विश्वकर्मा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक
14.	08/10/2024	डॉ० अनीता सावंत क्षेत्रीय अधिकारी	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	निरंक

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 797) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	जिला	कार्य का नाम	अनुशंसा दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	नगरीय निकाय का नाम	नगरीय निकाय में स्वीकृत कार्य एजेन्सी हेतु निर्माण एजेंसियों का नाम	नगरीय निकायों में नगर पालिका/नगर पंचायत से गिन्न कार्य एजेंसियों का नाम	नगरीय निकाय में स्वीकृत कार्यों में से ग्राम पंचायत/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से पूर्ण कराये गये कार्य	कार्य पूर्णता दिनांक
1	रायपुर	सामुदायिक भवन के सामने कामगारों के लिए शेड निर्माण धीवर पारा, नगर पंचायत-अभनपुर	08.02.2023	10.03.2023	नगर पंचायत अभनपुर	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायपुर	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायपुर	सामुदायिक भवन के सामने कामगारों के लिए शेड निर्माण धीवर पारा, नगर पंचायत-अभनपुर	21.11.2023
2	रायपुर	पेवर ब्लॉक कार्य (शिव चौक), नगर पालिका परिषद्-गोबरानवापारा	04.08.2022	15.02.2023	नगर पालिका परिषद्-गोबरानवापारा	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायपुर	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायपुर	पेवर ब्लॉक कार्य (शिव चौक), नगर पालिका परिषद्-गोबरानवापारा	कार्य पूर्ण किन्तु पूर्णता प्रमाण पत्र अप्राप्त
3	रायपुर	पेवर ब्लॉक घटोरिया मंदिर के पास सड़क के पास, नगर पालिका परिषद्-गोबरानवापारा	04.08.2022	15.02.2023	नगर पालिका परिषद्-गोबरानवापारा	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायपुर	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायपुर	पेवर ब्लॉक घटोरिया मंदिर के पास सड़क के पास, नगर पालिका परिषद्-गोबरानवापारा	2.04.2023

अनुभाग अधिकारी
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

पारिशेष्ट - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 665) की जानकारी

प्रपत्र

विकासखण्ड राजनांदगांव मोहला-मानपुर-बौकी एवं छुईखदान-गंडई-खैरागढ़ अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2022 से 28 नवम्बर 2024 तक किये गये समस्त निर्माण/परम्परा/लघु निर्माण/अनुसूक्षण कार्यों की जानकारी

क्र.	संस्था का नाम	विकासखंड	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य की अद्यतन स्थिति	गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	किचनशेड, टाईल्स, पार्सप लाईन पोताई पेंटिंग एवं अन्य कार्य	2.83	पूर्ण	-	-	
2	श्री मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास धुमका	राजनांदगांव	2021-22	शौचालय, टाईल्स, पार्सप लाईन, ओवरहेड टकी एवं अन्य कार्य	1.00	पूर्ण	-	-	
3	पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	भवन के भूतल में शौचालय, टाईल्स, दरवाजा, खिडकियों का बदलाव, किचनशेड में जी.आई. सीट व अन्य कार्य	3.70	पूर्ण	-	-	
4	पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	प्रथम तल के शयन कक्ष में टाईल्स, पार्सप लाईन विस्तार, आंशिक ग्रेडिंग, व अन्य कार्य	4.00	पूर्ण	-	-	
5	श्री मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	शौचालय के दरवाजा, किचनशेड, आहाला पुनर्निर्माण, व अन्य कार्य	3.25	पूर्ण	-	-	
6	पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	भवन के दरार तर्फ पार्सप लाईन विस्तार एवं अन्य कार्य	0.49	पूर्ण	-	-	
7	पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	भवन के बाएँ तर्फ पार्सप लाईन विस्तार एवं अन्य कार्य	0.48	पूर्ण	-	-	
8	पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	भवन में प्लास्टर व अन्य कार्य	0.50	पूर्ण	-	-	
9	पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	आंतरिक विद्युतीकरण कार्य	0.50	पूर्ण	-	-	
10	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	मच्छरजाली, प्लास्टर, शौचालय, टाईल्स, पोताई पेंटिंग कार्य	4.80	पूर्ण	-	-	
11	श्री मेट्रिक परियोजना बालक छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	प्लास्टर, टाईल्स, विद्युतीकरण, पोताई पेंटिंग एवं अन्य कार्य	5.40	पूर्ण	-	-	
12	पोस्ट मेट्रिक पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	भवन के दरार तथा पिछले भाग में शेड विद्युत तथा आहता के सामने भाग में पोताई एवं अन्य कार्य	1.96	पूर्ण	-	-	
13	पोस्ट मेट्रिक पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	भवन छत का ग्रेडिंग व अन्य कार्य	3.08	पूर्ण	-	-	
14	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम पनेका	राजनांदगांव	2021-22	फ्लोर टाईल्स, प्लास्टर, पोताई पेंटिंग एवं अन्य कार्य	4.98	पूर्ण	-	-	
15	अनुसूचित जाति बालक आश्रम पनेका	राजनांदगांव	2021-22	शयन कक्ष में फ्लोर टाईल्स एवं अन्य कार्य	4.96	पूर्ण	-	-	
16	अनुसूचित जाति बालक आश्रम मुंडीपार	राजनांदगांव	2021-22	छत ग्रेडिंग, मेन गेट से आश्रम भवन तक पलोसिंग एवं अन्य कार्य	3.65	पूर्ण	-	-	
17	शासकीय आवासगृह, रामकृष्ण नगर, राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	एक्सटिरियर पेंट, इन्नेमल पेंट एवं अन्य कार्य	0.50	पूर्ण	-	-	उप अभियंता एवं सहायक अभियंता के द्वारा कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है।

क्र.	संस्था का नाम	विकासखंड	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य की उन्नतता स्थिति		गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी
								6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	शासकीय आवासगृह, रामकृष्ण नगर, राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	सेन्टेरी, विद्युत पार्सिप लाईन व अन्य कार्य	0.49	पूर्ण	-	-		
19	अनुसूचित जाति बालक आश्रम मुंडीपार के अधीक आवासगृह	राजनांदगांव	2021-22	छत ग्रेडिंग व अन्य कार्य	0.49	पूर्ण	-	-		
20	अनुसूचित जाति बालक आश्रम पत्तेका	राजनांदगांव	2021-22	अध्ययन कक्ष में फ्लोर टाइल्स, एव अन्य कार्य	4.46	पूर्ण	-	-		
21	शासकीय आवासगृह, रामकृष्ण नगर, राजनांदगांव	राजनांदगांव	2021-22	फ्लोरिंग, इंटरलाकिंग एवं अन्य कार्य	1.78	पूर्ण	-	-		
22	पोस्ट मेट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास राजनांदगांव भवन निर्माण	राजनांदगांव	2022-23	भवन निर्माण	191.51	-	अपूर्ण	प्लस्टर कार्य प्रगति पर।		
23	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2022-23	सिलिंग प्लास्टर, शौचालय स्नानागार में सुधार व अन्य लघु कार्य	1.78	पूर्ण	-	-		
24	प्री मेट्रिक परियोजना कन्या छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2022-23	मच्छरजाली कार्य, मॉडुलर किचन, टाइल्स एवं अन्य लघु कार्य	19.99	पूर्ण	-	-		
25	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2022-23	सिलिंग प्लास्टर, मंच का पोताई एवं अन्य लघु कार्य	0.42	पूर्ण	-	-		
26	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छात्रावास पेण्ड्री, राजनांदगांव	राजनांदगांव	2022-23	भोजन एवं किचन कक्ष में फ्लोर टाइल्स, आर.सी. सी. वाली निर्माण व अन्य लघु कार्य	2.99	पूर्ण	-	-		
27	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक छात्रावास पेण्ड्री, राजनांदगांव	राजनांदगांव	2022-23	बालक छात्रावास भवन में प्लास्टर, पोताई पेंटिंग एवं अन्य लघु कार्य	4.27	पूर्ण	-	-		
28	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कन्या छात्रावास पेण्ड्री, राजनांदगांव	राजनांदगांव	2022-23	कन्या छात्रावास भवन में प्लास्टर, पोताई पेंटिंग एवं अन्य लघु कार्य	4.00	पूर्ण	-	-		
29	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेण्ड्री, राजनांदगांव	राजनांदगांव	2022-23	प्रयोगशाला कक्ष का उन्नयन (आरसीसी प्लेटफार्म ग्रेनाईट) एवं अन्य लघु कार्य	6.92	पूर्ण	-	-		
30	पोस्ट मेट्रिक अनु जाति कन्या छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2022-23	मच्छरजाली कार्य, मॉडुलर किचन, टाइल्स एवं अन्य लघु कार्य	19.98	पूर्ण	-	-		
31	पोस्ट मेट्रिक पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2022-23	डायनिंग हाल-गली बेटिलेशन में मच्छरजाली एवं अन्य लघु कार्य	5.00	पूर्ण	-	-		
32	पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, राजनांदगांव भवन निर्माण	राजनांदगांव	2023-24	भवन निर्माण	288.59	-	अपूर्ण	अनुबंध कार्यवाही पूर्ण एवं डिस्टेंस की कार्यवाही प्रक्रियामुक्त		
33	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, राजनांदगांव	राजनांदगांव	2023-24	भवन के शौचालय के दरवाजों में बदलाव, पोताई पेंटिंग कार्य डायनिंग हॉल में टाइल्स व अन्य लघु कार्य	3.50	पूर्ण	-	-		
34	प्री मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, राजनांदगांव	राजनांदगांव	2023-24	भवन का नवीनीकरण	3.50	पूर्ण	-	-		
35	प्री मेट्रिक परियोजना बालक छात्रावास, राजनांदगांव	राजनांदगांव	2023-24	भवन में आवश्यकतानुसार छत ग्रेडिंग, पोताई पेंटिंग एवं अन्य कार्य	3.00	पूर्ण	-	-		

उप अभियंता एवं सहायक अभियंता के द्वारा कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है।

क्र.	संस्था का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य की अद्यतन स्थिति	गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	श्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, राजनांदगांव	राजनांदगांव	2023-24	व्हास्टर पोलाई पेन्टिंग एवं अन्य कार्य	3.00	पूर्ण	-	-	
37	श्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, राजनांदगांव	राजनांदगांव	2023-24	भवन की रंगाई-मुलाई (गोबर पेट)	2.00	पूर्ण	-	-	
38	श्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, सोमनी	राजनांदगांव	2023-24	सैन्टिक टेक निर्माण, भवन में पोलाई-पेन्टिंग एवं अन्य कार्य	2.00	पूर्ण	-	-	
39	श्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2023-24	नाली निर्माण, एवं अन्य कार्य	2.67	पूर्ण	-	-	
40	अनुसूचित जाति बालक आश्रम पनेका	राजनांदगांव	2023-24	अध्ययन कक्ष में टाइल्स छत कार्य (आवश्यकतानुसार) एवं अन्य कार्य सहित	9.98	पूर्ण	-	-	
41	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2024-25	सायकल स्टेण्ड एवं अन्य लघु कार्य।	2.25	-	अपूर्ण	अनुबंध कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
42	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2024-25	शौचालय बाथरूम के दरवाजों का बदलाव व अन्य कार्य	0.50	-	अपूर्ण	कोटेशन आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।	
43	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2024-25	किचन शेड में शीट बदलाव कार्य।	1.10	-	अपूर्ण	अनुबंध कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
44	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम पनेका	राजनांदगांव	2024-25	किचन शेड एवं आहता कार्य	6.66	-	अपूर्ण	अनुबंध कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
45	अनुसूचित जाति बालक आश्रम मुढ़ीपार	राजनांदगांव	2024-25	किचन शेड, सैन्टिक टेक निर्माण, सिबेज पाईप लाईन, विद्युतीकरण एवं अन्य लघु कार्य	9.30	-	अपूर्ण	अनुबंध कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
46	अनुसूचित जाति बालक आश्रम पनेका	राजनांदगांव	2024-25	बोर खनन, पाइप लाइन एवं अन्य कार्य	1.75	-	अपूर्ण	अनुबंध कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
47	श्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2024-25	छत एवं अन्य लघु कार्य	4.45	-	अपूर्ण	अनुबंध कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
48	श्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सोमनी	राजनांदगांव	2024-25	आवश्यकतानुसार छत कार्य एवं आंतरिक विद्युतीकरण एवं अन्य कार्य	2.17	-	अपूर्ण	अनुबंध कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
49	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास राजनांदगांव	राजनांदगांव	2024-25	छत एवं अन्य लघु कार्य	6.05	-	अपूर्ण	अनुबंध कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
योग :-					662.63				
1	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सोहला	सोहला	2021-22	बोर खनन, समसिबल पम्प, पाइप लाईन विस्तार व अन्य कार्य	1.97	पूर्ण	-	-	उप अभियंता एवं सहायक अभियंता के द्वारा कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है।

क्र.	संस्था का नाम	विकासखंड	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य की अद्यतन स्थिति	गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2	50 सीटर प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास पाटनवाडी भवन निर्माण	मोहला	2021-22	सेन्टरी एवं पाइप लाइन कार्य पूर्णता पर।	152.97	-	अपूर्ण	-	
3	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मोहला नं. 1	मोहला	2023-24	(वर्तमान में संचालित सहायक आयुक्त कार्यालय) पुट्टी शौच, नाली निर्माण, इलेक्ट्रिक एवं अन्य कार्य	3.56	पूर्ण	-	-	
4	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क्र. 2 मोहला	मोहला	2023-24	किचन शौच, पोताई पेंटिंग एवं अन्य लघु कार्य	4.84	पूर्ण	-	-	
5	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास वसुडी	मोहला	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेट)	2.00	पूर्ण	-	-	
6	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मोहला	मोहला	2023-24	स्लेब ग्रेडिंग शौचालय बाथरूम का टाइल्स विद्युत वायरिंग, पोताई पेंटिंग व अन्य लघु कार्य	10.00	पूर्ण	-	-	
7	आदिवासी कन्या आश्रम सांगली	मोहला	2023-24	प्लास्टर, टाइल्स, छत कार्य, पोताई पेंटिंग, मच्छरजाली एवं अन्य लघु कार्य	19.40	पूर्ण	-	-	
8	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, गोटाटोला	मोहला	2023-24	स्लेब ग्रेडिंग दरवाजा खिड़की का बदलाव पोताई पेंटिंग व अन्य लघु कार्य	10.00	पूर्ण	-	-	
9	आदिवासी कन्या आश्रम पाउरखेडा	मोहला	2023-24	प्लास्टर, टाइल्स, छत कार्य, पोताई पेंटिंग, मच्छरजाली एवं अन्य लघु कार्य	19.30	पूर्ण	-	-	
10	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क्र. 1 मोहला	मोहला	2023-24	भवन का नवीनीकरण कार्य।	19.90	पूर्ण	-	-	
11	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास गोटाटोला	मोहला	2024-25	बाएरझीवाल पुर्ननिर्माण	7.30	-	अपूर्ण	-	
12	आदिवासी बालक आश्रम पारडी	मोहला	2024-25	छत कार्य, पोताई पेंटिंग एवं अन्य लघु कार्य	6.10	-	अपूर्ण	-	
13	आदिवासी कन्या आश्रम मारी	मोहला	2024-25	बोर खनन, मेन गेट, भवन का खिड़की, मच्छरजाली, पोताई पेंट एवं अन्य लघु कार्य	10.75	-	अपूर्ण	-	
14	आदिवासी कन्या आश्रम मुकादाह	मोहला	2024-25	फ्लोर टाइल्स, छत कार्य, पोताई पेंट एवं अन्य लघु कार्य	13.11	-	अपूर्ण	-	
योग :-					281.20				
1	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पानाबरस	मानपुर	2021-22	बोर खनन, समसिंबल पम्प, पाईप लाईन विस्तार व अन्य कार्य	1.97	पूर्ण	-	-	
2	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास खडगाव	मानपुर	2021-22	बोर खनन, समसिंबल पम्प, पाईप लाईन विस्तार व अन्य कार्य	1.97	पूर्ण	-	-	
3	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सरखेडा	मानपुर	2021-22	बोर खनन, समसिंबल पम्प, पाईप लाईन विस्तार व अन्य कार्य	1.97	पूर्ण	-	-	
4	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कुम्हारी	मानपुर	2021-22	बोर खनन, समसिंबल पम्प, पाईप लाईन विस्तार व अन्य कार्य	1.97	पूर्ण	-	-	
5	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास वसोली	मानपुर	2021-22	स्वास्थ्य केंद्र बसेली से छात्रावास तक पम्प / पाईप लाइन कार्य	0.97	पूर्ण	-	-	उप अभियंता एवं सहायक अभियंता के द्वारा कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है।

क्र.	संस्था का नाम	विकासखंड	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य की आद्यतन स्थिति	पुण्यवत्ता परीक्षण की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	आदिवासी बालक आश्रम विचवाही	मानपुर	2021-22	बोर खनन, समर्सिबल पम्प, पाइप लाइन विस्तार व अन्य कार्य	1.97	पूर्ण	-	-	
7	आदिवासी कन्या आश्रम जवके	मानपुर	2021-22	सेप्टिक टैंक निर्माण एवं पोटाई पेट	1.50	पूर्ण	-	-	
8	आदिवासी कन्या आश्रम पेन्द्रुर	मानपुर	2021-22	सबमर्सिबल पम्प एवं अन्य कार्य	0.50	पूर्ण	-	-	
9	आदिवासी कन्या आश्रम औधी	मानपुर	2022-23	भवन के सामने भाग में मैदान समतलीकरण, इंटरलाकिंग एवं एक्सटेंडिश्यर पेट कार्य	2.28	पूर्ण	-	-	
10	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सीतागांव	मानपुर	2022-23	मच्छरजाली कार्य, पुटटी, पेंटिंग, टाइल्स एवं अन्य लघु कार्य	19.92	पूर्ण	-	-	
11	आदिवासी कन्या आश्रम जवके भवन निर्माण	मानपुर	2021-22	विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर।	162.76	-	अपूर्ण	-	
12	आदिवासी कन्या आश्रम हुरेली भवन निर्माण	मानपुर	2021-22	प्लास्टर कार्य प्रगति पर।	162.76	-	अपूर्ण	-	
13	50 सीटर प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास नवागांव भवन निर्माण	मानपुर	2021-22	फ्लोर में टाइल्स कार्य प्रगति पर।	152.97	-	अपूर्ण	-	
14	पेपेट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मानपुर भवन निर्माण	मानपुर	2023-24	भवन निर्माण	191.51	-	अपूर्ण	अनुबंध कार्यवाही पूर्ण	
15	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोसमी	मानपुर	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेट)	2.00	पूर्ण	-	-	
16	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास औधी	मानपुर	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेट)	2.00	पूर्ण	-	-	
17	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भावसा	मानपुर	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेट)	2.00	पूर्ण	-	-	
18	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बसेली	मानपुर	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेट)	2.00	पूर्ण	-	-	
19	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पानाबरस	मानपुर	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेट)	2.00	पूर्ण	-	-	
20	श्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास इरागाव	मानपुर	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेट)	2.00	पूर्ण	-	-	
21	श्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कुहारी	मानपुर	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेट)	2.00	पूर्ण	-	-	
22	आदिवासी कन्या आश्रम औधी	मानपुर	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेट)	2.00	पूर्ण	-	-	
23	श्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास खडगाव	मानपुर	2023-24	भवन के कमरों के छिडकियों का बदलाव शौचालय के दरवाजा का बदलाव पोटाई पेंटिंग व अन्य लघु कार्य	12.00	पूर्ण	-	-	
24	आदिवासी कन्या आश्रम भर्सेटला	मानपुर	2024-25	पोटाई पेंटिंग कार्य	3.72	कार्य पूर्ण	-	-	
योग :-					736.74				
1	श्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कौडीकसा	चौकी	2021-22	बोर खनन, समर्सिबल पम्प, पाइप लाइन विस्तार व अन्य कार्य	1.97	पूर्ण	-	-	

क्र.	संस्था का नाम	विकासखंड	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य की अवधान स्थिति	गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोडीकसा	चौकी	2021-22	बोर खनन, समसिबल पम्प, पाइप लाइन विस्तार व अन्य कार्य	1.97	पूर्ण	-	-	उप अभियंता एवं सहायक अभियंता के द्वारा कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है।
2	प्री मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास माहुड	चौकी	2021-22	बोर खनन, समसिबल पम्प, पाइप लाइन विस्तार व अन्य कार्य	1.97	पूर्ण	-	-	
3	कन्या शिक्षा परिसर, छात्रावास क्र. 02 अं. चौकी	चौकी	2021-22	मच्छरजाली व अन्य कार्य	4.67	पूर्ण	-	-	
4	कन्या शिक्षा परिसर, छात्रावास क्र. 01 अं. चौकी	चौकी	2021-22	पाईप लाईन, चेम्बर, डायलिंग हाल का छत गडिगा व अन्य कार्य	2.48	पूर्ण	-	-	
5	कन्या क्रीडा परिसर, छात्रावास चौकी	चौकी	2021-22	किचनरोब, प्लास्टर, टाईल्स व अन्य कार्य	3.67	पूर्ण	-	-	
6	अनुसूचित जाति बालक आश्रम हज्जूटोला	चौकी	2021-22	फ्लोर टाईल्स एव अन्य कार्य	4.00	पूर्ण	-	-	
7	कन्या क्रीडा परिसर छात्रावास चौकी के अधीक्षिका आवासगृह	चौकी	2021-22	छत शेडिंग व अन्य कार्य	0.47	पूर्ण	-	-	
8	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम बिल्हाटी	चौकी	2021-22	फ्लोर टाईल्स, एव अन्य कार्य	5.00	पूर्ण	-	-	
9	कन्या क्रीडा परिसर छात्रावास चौकी	चौकी	2022-23	छात्रावास भवन में इमल्सन एव एक्सटिरियर पेंट तथा अन्य लघु कार्य	2.28	पूर्ण	-	-	
10	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी	चौकी	2022-23	शौचालय स्नानागार के सीटों में बदलाव सिवरेज कनेक्शन प्लास्टर एव अन्य लघु कार्य	1.78	पूर्ण	-	-	
11	प्री मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क्रमांक-01 चौकी	चौकी	2022-23	मच्छरजाली कार्य, पुट्टी, पेंटिंग, इंटरलॉकिंग, टाईल्स एव अन्य लघु कार्य	19.96	पूर्ण	-	-	
12	कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास चौकी	चौकी	2022-23	छात्रावास भवन में इमल्सन एव एक्सटिरियर पेंट तथा अन्य लघु कार्य	6.25	पूर्ण	-	-	
13	अनु. जाति बालक आश्रम हज्जूटोला	चौकी	2022-23	सेप्टिक टैंक निर्माण, शौचालय में टाइल्स, चेम्बर सिवरेज कनेक्शन एव अन्य लघु कार्य	2.25	पूर्ण	-	-	
14	अनु. जाति कन्या आश्रम बिल्हाटी	चौकी	2022-23	मच्छरजाली कार्य, गॉडुलर किचन, फ्लोर टाइल्स, पुट्टी, पेंट एव अन्य लघु कार्य	19.00	पूर्ण	-	-	
15	50 सीटर प्री मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, आतरगाव भवन निर्माण	चौकी	2021-22	फ्लोर में टाइल्स कार्य प्रगति पर।	152.97	-	अपूर्ण	-	
16	अनुसूचित जाति बालक आश्रम हज्जूटोला	चौकी	2023-24	प्लास्टर, टाइल्स छत कार्य, पोतार्ड पेंटिंग एव अन्य लघु कार्य	18.80	पूर्ण	-	-	
17	प्री मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोडीकसा	चौकी	2023-24	भवन की रंगार्ड-पुतार्ड (गोबर पेंट)	2.00	पूर्ण	-	-	
18	प्री मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कोडीकसा	चौकी	2023-24	भवन की रंगार्ड-पुतार्ड (गोबर पेंट)	2.00	पूर्ण	-	-	
19	प्री मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास चौकी	चौकी	2023-24	भवन की रंगार्ड-पुतार्ड (गोबर पेंट)	2.00	पूर्ण	-	-	
20	प्री मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास परसाटोला	चौकी	2023-24	भवन की रंगार्ड-पुतार्ड (गोबर पेंट)	2.00	पूर्ण	-	-	
21	प्री मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास परसाटोला	चौकी	2023-24	भवन की रंगार्ड-पुतार्ड (गोबर पेंट)	2.00	पूर्ण	-	-	

क्र.	संस्था का नाम	विकासखंड	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य की अद्यतन स्थिति	गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बाधाबाजार	चौकी	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेट)	2.00	पूर्ण	-	-	
23	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोरवाटोला	चौकी	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेट)	2.00	पूर्ण	-	-	
24	श्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कोरवाटोला	चौकी	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेट)	2.00	पूर्ण	-	-	
25	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, आतरगांव	चौकी	2023-24	(वर्तमान में कन्या छात्रावास संचालित) भवन का नवीनीकरण कार्य	19.00	पूर्ण	-	-	
26	पंच मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास अं. चौकी	चौकी	2023-24	छत कार्य, लास्टर, बाथरूम में टाइल्स, इमल्टान पेंट, एक्सटिरियर पेंट, सिंक्रेटिक पेट एवं अन्य लघु कार्य	19.99	पूर्ण	-	-	
27	कन्या कीड़ा परिसर छात्रावास अंचौकी	चौकी	2023-24	नवीनीकरण कार्य	19.23	पूर्ण	-	-	
28	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चिहवाटी	चौकी	2024-25	कब्रू निकालकर पोपईल सीट लगाने एवं अन्य कार्य	15.25	-	अपूर्ण	-	
29	श्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास अंचौकी	चौकी	2024-25	शौचालय बाथरूम का नवीनीकरण एवं अन्य लघु कार्य	4.95	-	अपूर्ण	-	
30	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास आमाटोला	चौकी	2024-25	छत कार्य, शौचालय को दरवाजा बदलाव, पोताई पेंटिंग एवं अन्य कार्य	4.63	-	अपूर्ण	-	
31	कन्या कीड़ा परिसर, अंचौकी	चौकी	2024-25	अध्ययन कक्ष का निर्माण	13.32	-	अपूर्ण	-	
32	आदिवासी कन्या आश्रम कौडीकसा	चौकी	2024-25	भवन का छत कार्य, टाइल्स, शौचालय बाथरूम नवीनीकरण एवं अन्य लघु कार्य	5.64	-	अपूर्ण	-	
33	कन्या शिक्षा परिसर, अंचौकी	चौकी	2024-25	छात्रावास कमरेक 02 में डायनिंग हॉल का नवीनीकरण, ओखर हेड टेक, पाईपलाईन, शौचालय शेडर एवं अन्य लघु कार्य	6.65	-	अपूर्ण	-	
34	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, चिहवाटी	चौकी	2024-25	छत कार्य एवं लघु कार्य	6.25	-	अपूर्ण	-	
35	अनुसूचित जाति बालक आश्रम, हज्यूटोला	चौकी	2024-25	नम्बर 02 मैट्रिक टेक निर्माण, सामने के भाग में छत कार्य एवं अन्य लघु कार्य	3.32	-	अपूर्ण	-	
योग :-					381.72				
1	श्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास छुईखदान	छुईखदान	2021-22	शौचालय दरवाजा का बदलाव, विद्युतीकरण, पोताई पेन्टींग व अन्य कार्य	3.00	पूर्ण	-	-	
2	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास साल्हेवारा	छुईखदान	2021-22	शौचालय में सीट, टाइल्स, किचनशेड में जोआईडो सीट, फ्लोरिंग व अन्य कार्य	1.90	पूर्ण	-	-	
3	श्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बकरकट्टा	छुईखदान	2021-22	पाईप लाईन विस्तार कार्य	0.50	पूर्ण	-	-	
4	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास समुदपानी	छुईखदान	2021-22	भवन के बाएँ तरफ पाईप लाईन विस्तार कार्य	0.49	पूर्ण	-	-	
5	श्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास समुदपानी	छुईखदान	2021-22	भवन के दाएँ तरफ पाईप लाईन विस्तार कार्य	0.50	पूर्ण	-	-	
6	श्री मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास छुईखदान	छुईखदान	2022-23	मॉड्यूलर किचन, मच्छरजाली कार्य, इंटरलॉकिंग, टाइल्स एवं अन्य लघु कार्य	19.98	पूर्ण	-	-	
7	श्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास साल्हेवारा	छुईखदान	2021-22	भवन निर्माण	152.97	-	अपूर्ण	-	

उप अभियंता एवं सहायक
अभियंता के द्वारा कार्य की
गुणवत्ता का निरीक्षण किया
जाता है।

क्र.	संस्था का नाम	विकासखंड	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य की अद्यतन स्थिति	गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	श्री मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बकरकट्टा	खुईखदान	2021-22	भवन निर्माण	152.97	-	अपूर्ण	-	
9	आदिवासी बालक आश्रम बकरकट्टा	खुईखदान	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेंट)	2.00	पूर्ण	-	-	
10	आदिवासी बालक आश्रम बकरकट्टा	खुईखदान	2023-24	बौर खनन, समसिंबल पम्प पाइप लाइन विस्तार एवं अन्य कार्य	2.00	पूर्ण	-	-	
11	श्री मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास खुईखदान	खुईखदान	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेंट)	2.00	पूर्ण	-	-	
12	श्री मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास साल्हेवारा	खुईखदान	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेंट)	2.00	पूर्ण	-	-	
13	श्री0 मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बकरकट्टा	खुईखदान	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेंट)	2.00	पूर्ण	-	-	
14	श्री मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, साल्हेवारा (वर्तमान में कन्या छात्रावास संचालित)	खुईखदान	2023-24	आगन में फ्लोरिंग, पोताई पेन्टिंग व अन्य लघु कार्य	2.50	पूर्ण	-	-	
15	श्री मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, समुद्रपानी	खुईखदान	2023-24	बौर खनन, समसिंबल पम्प, पाइप लाइन एवं अन्य कार्य	3.00	पूर्ण	-	-	
योग :-					347.81				
1	पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास खैरागढ़	खैरागढ़	2021-22	शौचालय दरवाजा का बदलाव, ओवरहेड टंकी, पाईप लाईन, पोताई पेन्टिंग एवं अन्य कार्य	5.00	पूर्ण	-	-	
2	श्री मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बाजार अतरिया	खैरागढ़	2021-22	किचन शेड फ्लोरिंग नाली निर्माण एवं अन्य कार्य	2.36	पूर्ण	-	-	
3	श्री मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास ठेलकाडीह	खैरागढ़	2021-22	बाथरूम का दरवाजा, ओवरहेड टंकी, पाईप लाईन, टाइल्स पोताई पेन्टिंग व अन्य कार्य	2.91	पूर्ण	-	-	
4	श्री मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास खैरागढ़	खैरागढ़	2021-22	शौचालय स्नानागार, शयन कक्ष के दरवाजा का बदलाव, बरामदा में फ्लोरिंग, ओवरहेड टंकी, पाईप लाईन व अन्य कार्य	5.00	पूर्ण	-	-	
5	श्री मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खैरागढ़	खैरागढ़	2021-22	ओवर हेड टंकी, पाईप लाईन, विद्युतीकरण पोताई पेन्टिंग एवं अन्य कार्य	5.00	पूर्ण	-	-	
6	श्री मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जालबाधा	खैरागढ़	2021-22	स्लास्टर पोताई पेन्ट व अन्य कार्य	2.65	पूर्ण	-	-	
7	आदिवासी बालक आश्रम गतापार	खैरागढ़	2021-22	आंतरिक विद्युतीकरण कार्य	2.00	पूर्ण	-	-	
8	श्री मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास उरईडबरी	खैरागढ़	2021-22	03 शयन कक्ष में फ्लोर टाइल्स, शौचालय में दरवाजा का बदलाव पोताई पेन्टिंग एवं अन्य लघु कार्य	5.00	पूर्ण	-	-	
9	श्री मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास ठेलकाडीह	खैरागढ़	2022-23	मॉड्यूलर किचन, पुट्टी, पेन्टिंग, इटरलाकिंग, टाइल्स एवं अन्य लघु कार्य	19.96	पूर्ण	-	-	
10	श्री0 मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास खैरागढ़	खैरागढ़	2023-24	भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेंट)	2.00	पूर्ण	-	-	

उप अभियंता एवं सहायक अभियंता के द्वारा कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है।

क्र.	संस्था का नाम	विकासखंड	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य की अद्यतन स्थिति	गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, खैरागढ़	खैरागढ़	2023-24	बोर खनन, समसिंबल पम्प, पाइप लाइन एवं अन्य कार्य	2.50	पूर्ण	-	-	
12	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, खैरागढ़	खैरागढ़	2023-24	दरवाजा, स्टास्टरशौचालय में टाइल्स, पोतार्ई सेंटिंग व अन्य लघु कार्य	3.50	पूर्ण	-	-	
13	आदिवासी बालक आप्रम गातापार	खैरागढ़	2023-24	पोतार्ई पेंटिंग एवं अन्य लघु कार्य	2.34	पूर्ण	-	-	
14	प्री मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास खैरागढ़	खैरागढ़	2023-24	नाली निर्माण, पाईप लाईन विस्तार एवं अन्य लघु कार्य	4.00	पूर्ण	-	-	
15	50 सीटर प्री. म. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बाजार अतरिया	खैरागढ़	2024-25	भवन निर्माण	152.97	-	अपूर्ण	अनुबंध कार्यवाही पूर्ण	उप अभियंता एवं सहायक अभियंता के द्वारा कार्यो की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है।
योग :-					217.19				
महायोग :-					2627.29				

Handwritten Signature
अनुभाष अधिकारी
अनुसूचित तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर

पारोशेष्ट - बारह
तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 565) की जानकारी

प्रपत्र -अ

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 01 जनवरी, 2023 से 28/11/2024 तक विकासखण्ड जैजैपुर, मालखरौदा व बम्हनीडीह में राखड से भू-भराव हेतु जारी अनापत्तियों की ग्राम, ग्राम पंचायत एवं खसरा नंबर सहित विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	ताप विद्युत संयंत्र का नाम व पता	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	डस्ट (राखड) पाटने हेतु ग्राम पंचायत से अनुमति ली गई है। (हाँ/नहीं)	डस्ट (राखड) पाटने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति ली गई है। (हाँ/नहीं)	खसरा नंबर एवं रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जैजैपुर	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, तहसील-डभरा, जिला-सक्की	भातमाहुल	भातमाहुल	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 498, रकबा - 0.5670 हेक्टेयर
2.	जैजैपुर		जैजैपुर	नगर पंचायत जैजैपुर	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 4484/3, रकबा- 0.0570 हेक्टेयर
3.	जैजैपुर		कचंदा	कचंदा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 680/1/ख, 887/1/ख, रकबा -1.821 हेक्टेयर
4.	जैजैपुर		किकिरदा	किकिरदा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 544/3, 554/2, 554/4, रकबा-0.809 हेक्टेयर
5.	जैजैपुर		पासीद	पासीद	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 54, 56/1, 96/1, 269/1, 278/7, रकबा-0.809 हेक्टेयर
6.	जैजैपुर		लालमाटी	लालमाटी	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 225, 329/3, 356/1, रकबा-0.7976 हेक्टेयर
7.	जैजैपुर		गुडरुकला	गुडरुकला	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 247/1ज, रकबा- 6.07 हेक्टेयर
8.	जैजैपुर		जैजैपुर	नगर पंचायत जैजैपुर	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 5442/4, 5442/6, रकबा-0.13 हेक्टेयर
9.	जैजैपुर		गलगलाडीह	गलगलाडीह	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 1155/2, रकबा- 0.069 हेक्टेयर
10.	जैजैपुर		गुजियाबोर	गुजियाबोर	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 1109/2, 1109/10, रकबा-0.111 हेक्टेयर
11.	जैजैपुर		ओडेकरा	ओडेकरा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 2410, रकबा - 0.012 हेक्टेयर
12.	जैजैपुर		देवरघटा	देवरघटा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 501/3, रकबा - 0.32 हेक्टेयर
13.	जैजैपुर		बेलादुला	बेलादुला	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 231, 234, 254, 274, 269, 270/4, रकबा-0.906 हेक्टेयर
14.	जैजैपुर		हरदीडीह	हरदीडीह	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 285/1, 718, रकबा-1.062 हेक्टेयर
15.	जैजैपुर		खम्हारडीह	कलमीडीह	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 46, 29/2घ, 30/3, रकबा-1.48 हेक्टेयर
16.	जैजैपुर		सेन्दरी	सेन्दरी	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 858, 859, रकबा- 2.00 हेक्टेयर
17.	जैजैपुर		जैजैपुर	नगर पंचायत जैजैपुर	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 5759/3, रकबा- 0.36 हेक्टेयर
18.	जैजैपुर		अकलसरा	अकलसरा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 824/1, रकबा- 32.917 हेक्टेयर
19.	जैजैपुर		घिवरा	घिवरा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 10/1, 10/2, रकबा-0.648 हेक्टेयर
20.	जैजैपुर		खम्हारडीह	कलमीडीह	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 29/4, 32/1, 32/2, 34/1, रकबा-0.975 हेक्टेयर
21.	जैजैपुर		भोयीडीह	भोयीडीह	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 334/2, रकबा- 0.709 हेक्टेयर
22.	जैजैपुर		कैथा	कैथा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 1168/1, 48/1क, 2/1क, रकबा-4.47 हेक्टेयर

23.	जैजैपुर		चन्देलाडीह	कटारी	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 213/1, 276, रकबा-0.619 हेक्टेयर
24.	जैजैपुर		आमगांव	आमगांव	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 2526/1, 396/1, रकबा -0.57 हेक्टेयर
25.	जैजैपुर		चोरभट्टी	चोरभट्टी	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 106, 108, 109, 111/2, 112, 129/1, 129/2, 129/3, 129/5, 131/1, 131/2, 134, 135, 139, 148, 151, 152/1, 152/2, 157, 158, 160, 163, 164, 165, 168, 178, 180, 26/2, 296/2, 371/1, 409/5, 414/10, 417/2, 505/1, 505/3, 506/2, 962, 31/1, 1135/1, 1136, 1215/2, 1256/3, 1285/4, 1287/1, 1287/4, 1679/2, 1679/3, 1682/2, 188/1, 188/3, 272/2, 272/6, 31/3, 69/1, 69/3, 954/5, रकबा -4.04 हेक्टेयर
26.	जैजैपुर		जैजैपुर	नगर पंचायत जैजैपुर	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 5877/2, रकबा-0.2020 हेक्टेयर
27.	जैजैपुर		जैजैपुर	नगर पंचायत जैजैपुर	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 5762/2, रकबा-0.323 हेक्टेयर
28.	जैजैपुर	मेसर्स एस.के.एस. पाँवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट, दर्रा मुझा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	ठठारी	ठठारी	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 1658/1, 1659/1, 1662/1, रकबा-1.689 हेक्टेयर
29.	जैजैपुर		खम्हरिया	खम्हरिया	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 737, रकबा-4.128 हेक्टेयर
30.	जैजैपुर		अकलसरा	अकलसरा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 824/1, रकबा -32.917 हेक्टेयर
31.	जैजैपुर		अमेराडीह	अमेराडीह	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 171/1, रकबा -4.594 हेक्टेयर
32.	जैजैपुर		बेलादुला	बेलादुला	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 542, रकबा-0.239 हेक्टेयर
33.	जैजैपुर		कचन्दा	कचन्दा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 60/1, 887/1क, रकबा-12.1406 हेक्टेयर
34.	जैजैपुर	मेसर्स डी.वी. पाँवर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	तुषार	तुषार	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 379/5, रकबा-1.87 हेक्टेयर
35.	जैजैपुर		नंदेली	नंदेली	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 169/2, 174/2, 169/1, 610/7, 610/4, रकबा-0.846 हेक्टेयर
36.	जैजैपुर		कोटेतरा	कोटेतरा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 127/2, रकबा-0.4660 हेक्टेयर
37.	जैजैपुर	मेसर्स जे.एस. डब्ल्यू स्टील लिमिटेड (पूर्व नाम - मेसर्स जे.एस. डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड), ग्राम व पोस्ट - नहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	खम्हरिया	खम्हरिया	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 737, रकबा-4.1280 हेक्टेयर
38.	जैजैपुर		धमनी	धमनी	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 140/5, 140/6, 140/7, 142/2, 142/5, 140/2, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 142/3, रकबा -4.193 हेक्टेयर
39.	मालखरौदा	मेसर्स आर.के.एम. पाँवर जेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उज्जपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला- सक्ती	सकरा	सकरा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 657/4, रकबा-0.145 हेक्टेयर
40.	मालखरौदा		बड़ेसीपत	बड़ेसीपत	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 511/4, रकबा-0.30 एकड़
41.	मालखरौदा		जमगहन	जमगहन	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 38/1, रकबा-7.8 हेक्टेयर
42.	मालखरौदा		बड़ेसीपत	बड़ेसीपत	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 1294/1, 1294/2, रकबा-54.61 हेक्टेयर
43.	मालखरौदा		अमलीडीह	अमलीडीह	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 559, रकबा-1.124 हेक्टेयर
44.	मालखरौदा		अचरितपाली	अचरितपाली	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 468/1, 276/1, रकबा-2.83 हेक्टेयर
45.	मालखरौदा		अचरितपाली	अचरितपाली	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 642/1, 642/2, 642/3, 645/1, 645/2, 645/3, 646, रकबा -1.017 हेक्टेयर
46.	मालखरौदा		बड़ेसीपत	बड़ेसीपत	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 1080/1, 1080/4, 1081/8, रकबा -0.129 हेक्टेयर
47.	मालखरौदा		बुन्देली	बुन्देली	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 09, 60/2, 60/5, रकबा-0.596 हेक्टेयर

48.	मालखरौदा		नगझर	नगझर	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 1/1 क, रकबा-19.0350 हेक्टेयर
49.	मालखरौदा		बडेरवेली	बडेरवेली	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 193, रकबा-0.5060 हेक्टेयर
50.	मालखरौदा		मुक्ता	मुक्ता	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 09, 9/9, 26, रकबा-31.663 हेक्टेयर
51.	मालखरौदा		मुक्ता	मुक्ता	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 158/3, रकबा-0.0240 हेक्टेयर
52.	मालखरौदा		अमेराडीह	अमेराडीह	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 71/1, रकबा-4.594 हेक्टेयर
53.	मालखरौदा		बरपाली	बरपाली	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 79, रकबा-1.408 हेक्टेयर
54.	मालखरौदा		माहूलडीह	माहूलडीह	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 593/2, 599/1, रकबा -0.28 हेक्टेयर
55.	मालखरौदा		नवागांव	नवागांव	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 552/1, रकबा-0.1740 हेक्टेयर
56.	मालखरौदा		नवापारा	नवापारा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 757/1, 958/1, 958/2, रकबा-34.849 हेक्टेयर
57.	मालखरौदा		भेडीकोना	भेडीकोना	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 306/1, 306/2, रकबा -0.129 हेक्टेयर
58.	मालखरौदा		सारसडोल	नवागांव	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 259, रकबा-0.4450 हेक्टेयर
59.	मालखरौदा		मुडपार	मुडपार	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 811/2, 812/2, 812/3क, 812/3ख, 812/4, रकबा-0.423 हेक्टेयर
60.	मालखरौदा	मेसर्स एस.के.एस. पाँवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट, दर्रा मुड्डा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	आडिल	आडिल	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 369/1क, रकबा-5.67 हेक्टेयर
61.	मालखरौदा		नगझर	नगझर	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 102, 124, 126, 139, 140, 164, रकबा-15 हेक्टेयर
62.	मालखरौदा	मेसर्स डी.वी. पाँवर लिमिटेड, ग्राम-बडादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्की	डिमानी	डिमानी	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 341/1, रकबा-2.50 हेक्टेयर
63.	मालखरौदा	मेसर्स अडानी पाँवर लिमिटेड, ग्राम-छोटे भांदर, पोस्ट ऑफिस-बड़े भांदर, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	डोमा	डोमा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 341/2, रकबा-1.214 हेक्टेयर
64.	मालखरौदा	मेसर्स जे.एस. डब्ल्यू स्टील लिमिटेड (पूर्व नाम - मेसर्स जे.एस. डब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड), ग्राम व पोस्ट - नहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	घोघरी	घोघरी	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 520/1, 520/3, 520/5, 528, रकबा-0.623 हेक्टेयर
65.	बम्हनीडीह	मेसर्स आर.के.एम. पाँवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्की	बंसुला	बंसुला	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 350, रकबा-0.69 हेक्टेयर
66.	बम्हनीडीह		बंसुला	बंसुला	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 534/1, 535/1, रकबा-0.60 हेक्टेयर
67.	बम्हनीडीह		सेमरिया	सेमरिया	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 2136, 2944, 3163/2, 2303/6, 0.6856 हेक्टेयर
68.	बम्हनीडीह		सिलादेही	सिलादेही	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 2388/3, रकबा-0.142 हेक्टेयर
69.	बम्हनीडीह		बिरा	बिरा	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 1319/1, 1319/2, 1368, 1375/1, 1375/2, 1375/3, 1375/4, 1379, 1380, 1381,

							रकबा-2.454 हेक्टेयर
70.	बम्हनीडीह		कनकपुर	पोड्डीशंकर	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 693, रकबा-0.202 हेक्टेयर
71.	बम्हनीडीह		बसंतपुर	बसंतपुर	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 107, 113, रकबा-1.097 हेक्टेयर
72.	बम्हनीडीह		चारपारा	सोनाईडीह	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 108, रकबा-0.7860 हेक्टेयर
73.	बम्हनीडीह	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	बम्हनीडीह	बम्हनीडीह	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 1919/18, रकबा-0.093 हेक्टेयर
74.	बम्हनीडीह		भंवरमाल	भंवरमाल	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 5/4, 5/12, रकबा-3.238 हेक्टेयर
75.	बम्हनीडीह		चारपारा	सोनाईडीह	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 110, 111, रकबा-0.898 हेक्टेयर
76.	बम्हनीडीह		चारपारा	सोनाईडीह	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 114/1, 117/4, रकबा-0.526 हेक्टेयर
77.	बम्हनीडीह	मेसर्स अटल विहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, ग्राम-मडवा, जिला-जांजगीर-चांपा	पोड्डीशंकर	पोड्डीशंकर	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 782/2, 1210/2, रकबा-1.116 हेक्टेयर
78.	बम्हनीडीह		पचोरी	पचोरी	हाँ	हाँ	खसरा नंबर 805/3, 805/4, 808, 809, रकबा-2.197 हेक्टेयर

5

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)


प्रपत्र-ब

01 जनवरी 2023 से 28/11/2024 तक की अवधि में विधानसभा जैजपुर की ग्राम पंचायतों में अवैध रूप से राखड डंपिंग के संबंध में प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी।

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	ताप विद्युत संयंत्र का नाम एवं पता	शिकायत का विषय	शिकायत प्राप्ति दिनांक	की गयी कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुनील कुमार वर्मन, ग्राम-नवागांव, पोस्ट-आमनदुला, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	बड़ेसीपत (मालखरौदा) का मनरेगा के तहत गहरीकरण कार्य किए गए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से जुड़े करीब 10 एकड़ क्षेत्र के भूमि में फ्लाई ऐश (डस्ट) डंप किए जाने का कार्य में पावर प्लांट का संबंधितों सहित संलिप्त समस्त व्यक्तियों के खिलाफ पर्यावरण विभाग की ओर से नियमानुसार उचित सख्त कार्यवाही करने के संबंध में पत्र।	26/12/2022 एवं 03/02/2023	शिकायत पत्र के परिपेक्ष्य में दिनांक 03/01/2023 को शिकायत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायत स्थल, ग्राम पंचायत की कार्यवाही विवरण अनुसार तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनापत्ति पत्र के आधार पर भाठा जमीन में बने गड्डे को फ्लाई ऐश से पाटा जाना पाया गया। दिनांक 15/02/2023 को किये निरीक्षण के दौरान फ्लाई ऐश के ऊपर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
2.	श्री सुनील कुमार वर्मन, ग्राम-नवागांव, पोस्ट-आमनदुला, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	बासीन (मालखरौदा) का भांठागांव मुहल्ला के खेत उपजाऊ भूमि से जुड़े करीब 07 एकड़ क्षेत्र का भूमि में फ्लाई ऐश (डस्ट) डंप किए जाने का कार्य में पावर प्लांट का संबंधितों सहित संलिप्त समस्त व्यक्तियों के खिलाफ पर्यावरण विभाग की ओर से नियमानुसार उचित सख्त कार्यवाही करने के संबंध में पत्र।	26/12/2022 एवं 03/02/2023	शिकायत पत्र के परिपेक्ष्य में दिनांक 03/01/2023 व 15/02/2023 को शिकायत स्थल का निरीक्षण किया गया। दिनांक 15/02/2023 को किये गये निरीक्षण दौरान ग्राम पंचायत बासीन के निजी भूमि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनापत्ति प्राप्त स्थल पर डम्प किये फ्लाई ऐश के ऊपर नियमानुसार मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
3.	श्री छगन लाल खुराना, ग्राम-बड़ेसीपत, जिला-सक्ती।	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	जीवित तालाब को फ्लाई ऐश से क्यो पाटे जाने के संबंध में।	03/01/2023	शिकायत पत्र के परिपेक्ष्य में दिनांक 03/01/2023 व 15/02/2023 को शिकायत स्थल का निरीक्षण किया गया। दिनांक 15/02/2023 को किये गये निरीक्षण दौरान ग्राम पंचायत के भाठा जमीन में बने गड्डे में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनापत्ति प्राप्त कर फ्लाई ऐश से भराव किया जाना पाया गया। जिसके ऊपर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। उक्त शिकायत स्थल पर तालाब नहीं था। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
4.	श्रीमती ममता मिरेन्द्र एवं अन्य ग्रामवासी, ग्राम पंचायत भातमाहुल।	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम पंचायत भातमाहुल में अवैध राखड डंपिंग कर तथा पैटू तालाब को पटाई करने वाले के खिलाफ जांच कर रोक लगाते हुये दोषियों के खिलाफ कार्यवाही बावत।	27/01/2023	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती को फ्लाई ऐश डंपिंग को बंद करने तथा डंप किये गये फ्लाई ऐश का उठाव किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 27/01/2023 के माध्यम से निर्देशित किया गया। स्थल का दिनांक 15/02/2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल से फ्लाई ऐश का उठाव किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

5.	श्रीमति सरिता मिरेंद्र एवं श्री भरत लाल चंद्रा, ग्राम-भातमाहुल, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.पावरजेन .एम.के. प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	पैटू तालाब में अवैध राखड़ डम्पिंग पर कार्यवाही करने बावत्।	30/01/2023	पूर्व में उक्त शिकायत प्राप्त हो चुकी थी, जिस पर मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती को फ्लाई ऐश डम्पिंग को बंद करने तथा डंप किये गये फ्लाई ऐश का उठाव किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 27/01/2023 के माध्यम से निर्देशित किया गया। स्थल का दिनांक 15/02/2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल से फ्लाई ऐश का उठाव किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
6.	श्री सुरेश चन्द्रा, ग्राम पंचायत भातमाहुल, जनपद पंचायत जैजैपुर, जिला-सक्ती		ग्राम पंचायत भातमाहुल में अवैध रूप से पैटू तालाब में राखड़ डम्पिंग की शिकायत के संबंध में।	06/04/2023	
7.	श्रीमती ममता मिरेंद्र एवं अन्य ग्रामवासी, ग्राम पंचायत भातमाहुल		ग्राम पंचायत भातमाहुल में अवैध राखड़ डम्पिंग कर तथा पैटू तालाब को पटाई करने वालों के खिलाफ जांच कर रोक लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने बावत्।	27/04/2023	
8.	श्री सुरेश चन्द्रा, ग्राम पंचायत भातमाहुल, जनपद पंचायत जैजैपुर, जिला-सक्ती।		ग्राम पंचायत भातमाहुल में अवैध रूप से पैटू तालाब में राखड़ डम्पिंग की शिकायत के संबंध में।	01/05/2023	
9.	श्री सुरेश चन्द्रा, ग्राम पंचायत भातमाहुल, जनपद पंचायत जैजैपुर, जिला-सक्ती		ग्राम पंचायत भातमाहुल में अवैध रूप से पैटू तालाब में राखड़ डम्पिंग की शिकायत के संबंध में।	13/06/2023	
10.	श्री धर्मवीर सोनी, ग्राम-छपोरा, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	प्लांट की राखड़ से कृषि भूमि खराब होने की शिकायत दर्ज कराने बावत्।	26/04/2023	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 26/05/2023 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायत में उल्लेखित स्थल ग्राम-अचरितपाली, तहसील-मालखरौदा में भूस्वामी के सहमति के उपरांत फ्लाई ऐश पाटा जाना पाया गया है। पास में ही स्थित नहर/वरसाती नाला के किनारे भी फ्लाई ऐश पाटा जाना पाया गया है। डंप फ्लाई ऐश के ऊपर मिट्टी से कव्हर नहीं किया जाना पाया गया। इस संबंध में मिट्टी से कव्हर किये जाने हेतु ताप विद्युत् संयंत्र को दिनांक 16/06/2023 को निर्देशित किया गया। दिनांक 20/06/2023 को किये गये निरीक्षण में फ्लाई ऐश का नियमानुसार निपटान किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
11.	ग्रामवासी, ग्राम-खम्हारडीह, तहसील-जैजैपुर।	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	हमारे ग्राम खम्हारडीह में अवैध रूप से राखड़ गिराने बावत्।	27/02/2024	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 28/02/2024 को स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल खसरा नंबर 29/4, 32/1, 32/2, 34/1, रकबा-0.975 हेक्टेयर में फ्लाई ऐश भराव हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अवैध भू-भराव नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम के उप सरपंच, पंच, भूमि स्वामी एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि भू-भराव स्थल में गाय-बछड़ा गिरकर अथवा दबकर मृत होना नहीं पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

12.	श्री विजय मिश्रा, अधिवक्ता, फ्लैट नं. एमआईजी 608, हिमालयन हाईट्स हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, डूमरतराई, थोक सब्जी मंडी के सामने, पोस्ट - माना कैम्प, जिला- रायपुर	मेसर्स एस.के.एस. पाँवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट - दरामुडा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	विधिक सूचना ग्राम कचंदा - के शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 887/1क में फ्लाई ऐश डंपिंग पर रोक लगाने बाबत।	17/10/2024	शिकायत के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 17/10/2024 को स्थल ग्राम-कचंदा, तहसील-जैजैपुर, जिला- सक्ती के खसरा नंबर- 60/1, 887/1क, कुल रकबा- 12.1406 हेक्टर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान नियमानुसार फ्लाई ऐश का भराव किया जाना पाया गया। उक्त स्थल में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 04/10/2024 के माध्यम ग्राम पंचायत कचंदा के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर फ्लाई ऐश भराव हेतु अनुमति जारी की गई है। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
-----	--	---	--	------------	--


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

पारोशिए - तेरह
तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 746) की जानकारी

प्रपत्र- 'अ'

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र.-746 द्वारा श्री सुशांत शुक्ला प्रदेश में संचालित चिराग परियोजना का उद्देश्य (चिराग परियोजना अंतर्गत वर्षवार विभिन्न मदों में व्यय राशि का विवरण)

क्र.	घटक का नाम	राशि रु. में					कुल
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25		
1	सामुदायिक सशक्तिकरण और संस्थागत सुदृढीकरण	-	16,264,376	12,914,314	5,965,827	35,144,517	
2	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा आधारित कृषि	500,000	-	1,419,900	2,406,801	4,326,701	
3	मूल्यवर्धन और बाजार पहुंच	-	4,736,958	3,267,122	11,679,602	19,683,682	
4	कोविड-19 आर्थिक सुधार प्रतिक्रिया	-	-	-	-	-	
5	परियोजना प्रबंधन	16,132,824	49,186,647	38,434,637	29,987,689	133,741,797	
	योग	16,632,824	70,187,981	56,035,973	50,039,919	192,896,697	

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जेव प्रौद्योगिकी विभाग

विधानसभा तारकित प्रश्न क्र.-746 द्वारा श्री सुशांत शुक्ला प्रदेश में संचालित चिराग परियोजना का उद्देश्य (चिराग परियोजना अंतर्गत राज्य स्तर पर नियुक्तियों के पदवार निर्धारित योग्यताएं) प्रपत्र- 'ब'


क्र	पद का नाम	नाम	जॉइनिंग दिनांक	कार्यमुक्ति दिनांक	पद संख्या	योग्यता
1	स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर कायूनिटी इंस्ट्रुक्शन बिल्डिंग एंड न्यूट्रिशन	डॉ मयूर गुप्ता	10.12.2021		1 (भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: किसी भी विषय में स्नातक। ग्रामीण विकास / प्रबंधन, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, नृविज्ञान, राजनीति विज्ञान आदि या किसी अन्य प्रासंगिक धारा में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा वांछनीय है। खाद्य और पोषण में अतिरिक्त डिग्री/डिप्लोमा वांछनीय है। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: कोई भी स्नातक। कृषि विज्ञान या संबद्ध धाराओं में स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि विज्ञान या कृषि, बागवानी, सतत कृषि, कृषि विज्ञान, मृदा विज्ञान, कृषि वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, वाटरशेड, विस्तार, अर्थशास्त्र आदि जैसे संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा वांछनीय होगा। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: किसी भी विषय में स्नातक। कृषि व्यवसाय / कृषि विपणन ग्रामीण विकास / प्रबंधन, या किसी अन्य प्रासंगिक धारा में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा वांछनीय है। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता किसी भी प्रासंगिक अनुशासन में स्नातक निगरानी एवं मूल्यांकन/प्रबंधन सूचना प्रणाली में अतिरिक्त उच्च स्तरीय डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम वांछनीय है। सौख्यकीय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे एमएस एक्सेल, एसपीएसएस का पर्याप्त डोमेन समझ और कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष
2	स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर फूड एंड न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर	श्रीमती मेनका भारतीदासन श्री संजीव गायन	08.11.2021 01.09.2023	22.01.2022 22.11.2024	1 (रिक्त)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: कोई भी स्नातक। कृषि विज्ञान या संबद्ध धाराओं में स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि विज्ञान या कृषि, बागवानी, सतत कृषि, कृषि विज्ञान, मृदा विज्ञान, कृषि वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, वाटरशेड, विस्तार, अर्थशास्त्र आदि जैसे संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा वांछनीय होगा। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: किसी भी विषय में स्नातक। कृषि व्यवसाय / कृषि विपणन ग्रामीण विकास / प्रबंधन, या किसी अन्य प्रासंगिक धारा में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा वांछनीय है। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता किसी भी प्रासंगिक अनुशासन में स्नातक निगरानी एवं मूल्यांकन/प्रबंधन सूचना प्रणाली में अतिरिक्त उच्च स्तरीय डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम वांछनीय है। सौख्यकीय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे एमएस एक्सेल, एसपीएसएस का पर्याप्त डोमेन समझ और कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष
3	स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर वेल्यू एडिशन एंड मार्केट	श्री राजेश सिंह	03.11.2021		1 (भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: किसी भी विषय में स्नातक। कृषि व्यवसाय / कृषि विपणन ग्रामीण विकास / प्रबंधन, या किसी अन्य प्रासंगिक धारा में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा वांछनीय है। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता किसी भी प्रासंगिक अनुशासन में स्नातक निगरानी एवं मूल्यांकन/प्रबंधन सूचना प्रणाली में अतिरिक्त उच्च स्तरीय डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम वांछनीय है। सौख्यकीय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे एमएस एक्सेल, एसपीएसएस का पर्याप्त डोमेन समझ और कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष
4	स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन	श्री सेयद परवेज	30.11.2021	31.10.2022	1 (रिक्त)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: सीए (इंटर)/आईसीएमए/एमबीए (वित्त) या वित्तीय प्रबंधन में मास्टर/सीएफए या समकक्ष योग्यता; / एमबीए या अर्थशास्त्र / वाणिज्य में स्नातकोत्तर या सार्वजनिक खरीद / एससीएम या समकक्ष में एडवॉकेट डिप्लोमा / डिग्री। योग्यता (वांछनीय): प्रोक्वोरमेंट पॉलिसेसी, पब्लिक फाइनेंस आदि में एडवॉकेट डिप्लोमा। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ मास्टर डिग्री मानव संसाधन प्रबंधन या एमबीए / सामाजिक कार्य न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता:
5	स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर- फाइनेंस एंड प्रोक्वोरमेंट	श्री आशीष सिंह	20.09.2023		1 (भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: सीए (इंटर)/आईसीएमए/एमबीए (वित्त) या वित्तीय प्रबंधन में मास्टर/सीएफए या समकक्ष योग्यता; / एमबीए या अर्थशास्त्र / वाणिज्य में स्नातकोत्तर या सार्वजनिक खरीद / एससीएम या समकक्ष में एडवॉकेट डिप्लोमा / डिग्री। योग्यता (वांछनीय): प्रोक्वोरमेंट पॉलिसेसी, पब्लिक फाइनेंस आदि में एडवॉकेट डिप्लोमा। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ मास्टर डिग्री मानव संसाधन प्रबंधन या एमबीए / सामाजिक कार्य न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता:
6	स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर- एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन	श्रीमती आंचल शर्मा	29.11.2021		1 (भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ मास्टर डिग्री मानव संसाधन प्रबंधन या एमबीए / सामाजिक कार्य न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 8 वर्ष। आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता:
7	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर- सीबीडीपी और एसएम	रिक्त			1 (रिक्त)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: किसी भी विषय में स्नातक। ग्रामीण विकास / प्रबंधन, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, नृविज्ञान, राजनीति विज्ञान आदि या किसी अन्य प्रासंगिक धारा में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा वांछनीय है। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 6 वर्ष

क्र	पद का नाम	नाम	जॉइनिंग दिनांक	कार्ययुक्ति दिनांक	पद संख्या	योग्यता
8	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर आई.बी.सी.बी	श्री अरुण कुमार रे श्रीमती नितेश्वरी साहू	30.11.2021 28.08.2023	28.08.2022	1 (भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: ग्रामीण विकास / प्रबंधन, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, नृविज्ञान, राजनीति विज्ञान आदि या किसी अन्य प्रासंगिक धारा में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा वांछनीय है। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 6 वर्ष
9	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर नृट्रिशन एंड एस.बी.सी.बी	डॉ सर्वजीत मुखर्जी शुश्री श्वेता ताम्रकार	11.11.2021 23.08.2023	09.11.2022	1 (भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: पूर्णकालिक मास्टर डिग्री खाद्य और पोषण / सार्वजनिक स्वास्थ्य न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 6 वर्ष
10	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर ई.एस.एफ.सोशल	श्री अखिलेश सिंह	29.11.2021		1 (भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: किसी भी विषय में स्नातक। में पूर्णकालिक मास्टर डिग्री ग्रामीण विकास / सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, नृविज्ञान, राजनीति विज्ञान आदि या कोई अन्य प्रासंगिक धारा वांछनीय है। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 6 वर्ष
11	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर आई.एन.आर.एम	श्री गुलशन शर्मा	15.11.2021		1 (भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: संबंधित विषय में स्नातक। मिट्टी में मास्टर डिग्री/विज्ञान / जल संरक्षण / जल विज्ञान / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन वांछनीय होगा। न्यूनतम अनुभव: योग्यता के बाद 6 वर्ष
12	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर एग्रीकल्चर	डॉ हेमंत साहू श्री रवि परमार	27.11.2021 20.09.2023	09.11.2023 07.09.2024	1 (रिक्त)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: कृषि में मास्टर डिग्री, अधिमानतः कृषि विज्ञान में न्यूनतम अनुभव: योग्यता के बाद 6 वर्ष
13	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हार्टिकल्चर	श्री कृष्ण गोपाल भित्तल	25.11.2021		1 (भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: हार्टिकल्चर में स्नातक / हार्टिकल्चर में मास्टर डिग्री वांछनीय है न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 6 वर्ष
14	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर लाइवस्टॉक	श्री हितेश अवस्थी श्री रविंद्र कुमार	29.11.2021 20.09.2023	13.02.2023	1 (भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक; पशु चिकित्सा विज्ञान में मास्टर डिग्री वांछनीय है। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 6 वर्ष
15	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर फिशरी	श्री शिवानन्द पाण्डेय	12.11.2021		1 (भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: मत्स्य पालन में स्नातक। एकाकल्चर या मत्स्य विज्ञान में मास्टर डिग्री वांछनीय है। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 6 वर्ष
16	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर ई.एस.एफ.एंड एनवायरमेंट	श्रीमती अपर्णा गजाशिये	17.11.2021	20.01.2023	1 (रिक्त)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: पारिस्थितिकी/प्यावरण विज्ञान/प्यावरण प्रबंधन/वानिकी/एनआरएम/कृषि-वानिकी में मास्टर डिग्री न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 6 वर्ष
17	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर-वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग	श्री धनाजी जाधव श्री सुभाष नन्द तिवारी	29.11.2021 20.09.2023	10.07.2022	1 (भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: किसी भी विषय में स्नातक; कृषि में मास्टर डिग्री। व्यवसाय/कृषि विपणन/ग्रामीण प्रबंधन वांछनीय है। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 6 वर्ष

क्र	पद का नाम	नाम	जॉइनिंग दिनांक	कार्यमुक्ति दिनांक	पद संख्या	योग्यता
18	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन	श्रीमती स्वाति कुमारी	01.09.2023		1 (भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: किसी भी प्रासंगिक विषय में स्नातक; अर्थशास्त्र कृषि अर्थशास्त्र / कृषि सांख्यिकी में मास्टर डिग्री ग्रामीण प्रबंधन/कृषि व्यवसाय प्रबंधन वांछनीय होगा न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 6 वर्ष।
19	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर फायनेंस	श्रीमती नेहा गुप्ता श्री प्रथम अग्रवाल	29.11.2021 04.12.2023	22.01.2022	1(भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: सीए (ईटर) / आईसीएमए (ईटर) / एमबीए (वित्त) / सीएफए न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 6 वर्ष।
20	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर- प्रोक्वायरमेंट	श्रीमती जयश्री कुर्वे	02.11.2021		1(भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: इंजीनियरिंग में स्नातक या एमबीए या अर्थशास्त्र / वाणिज्य में स्नातकोत्तर या समकक्ष। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 6 वर्ष।
21	असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर- एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन	श्रीमती अदीबा बट	18.11.2021	24.11.2024	1 (रिक्त)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ मास्टर डिग्री मानव संसाधन प्रबंधन या एमबीए / सामाजिक कार्य न्यूनतम अनुभव (वर्ष): योग्यता के बाद 6 वर्ष।
22	प्रोजेक्ट एक्सीक्यूटिव प्रोक्वूरमेंट	श्री मनोज स्वेन	11.11.2021		1(भरा)	आयु सीमा: 55 वर्ष योग्यता: इंजीनियरिंग में स्नातक या अन्य स्नातक डिग्री : वाणिज्य / अर्थशास्त्र में और सार्वजनिक खरीद / एससीएम या समकक्ष में डिप्लोमा / डिग्री। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): सार्वजनिक खरीद में 4 वर्ष। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): 4 वर्ष (सार्वजनिक खरीद में अनुभव बेहतर।)
23	प्रोजेक्ट एक्सीक्यूटिव सीवीडीपी और एसएम	श्रीमती निजरी राजवंशी	29.11.2021	31.10.2022	1 (रिक्त)	आयु ऊपरी सीमा: 55 योग्यता: किसी भी विषय में स्नातक। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ग्रामीण विकास / प्रबंधन, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, नृविज्ञान, राजनीति विज्ञान आदि या कोई अन्य प्रासंगिक धारा वांछनीय है। न्यूनतम प्रासंगिक अनुभव (वर्ष): पद योग्यता: 4 वर्ष
24	प्रोजेक्ट एक्सीक्यूटिव आई.बी.सी.बी	श्री सचिन्द्र कुमार यादव	29.11.2021	28.08.2022	1 (रिक्त)	आयु ऊपरी सीमा: 55 योग्यता: किसी भी विषय में स्नातक। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ग्रामीण विकास / प्रबंधन, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, नृविज्ञान, राजनीति विज्ञान आदि या कोई अन्य प्रासंगिक धारा वांछनीय है। न्यूनतम प्रासंगिक अनुभव (वर्ष): 4 वर्ष
25	प्रोजेक्ट एक्सीक्यूटिव नृट्रिशन	श्री शालानंद पाण्डेय	09.11.2021		1(भरा)	आयु ऊपरी सीमा: 55 योग्यता: किसी भी प्रासंगिक विषय में स्नातक। खाद्य और पोषण में मास्टर डिग्री या डायटेटिक्स / खाद्य प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा वांछनीय है। न्यूनतम प्रासंगिक अनुभव (वर्ष): 4 वर्ष के अनुभव में शामिल होना चाहिए।
26	प्रोजेक्ट एक्सीक्यूटिव एग्रीकल्चर हाटिकल्चर आई.एन.आर.एम	श्री अमित शर्मा	08.11.2021		1(भरा)	आयु ऊपरी सीमा: 55 योग्यता: कृषि/बागवानी/मिट्टी और जल संरक्षण/कृषि में स्नातक डिग्री। इंजीनियरिंग / सिविल इंजीनियरिंग। या कोई अन्य प्रासंगिक अनुशासन। न्यूनतम प्रासंगिक अनुभव (वर्ष): 4 वर्ष।
27	प्रोजेक्ट एक्सीक्यूटिव लाइवस्टॉक फिशरी	रिक्त			1 (रिक्त)	आयु ऊपरी सीमा: 55 योग्यता: पशु चिकित्सा विज्ञान / मत्स्य पालन और जलीय कृषि में स्नातक। पशु चिकित्सा विज्ञान / मत्स्य पालन और जलीय कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता दी जाएगी। न्यूनतम प्रासंगिक अनुभव (वर्ष): 4 वर्ष।

क्र	पद का नाम	नाम	जाइनिंग दिनांक	कार्यमुक्ति दिनांक	पद संख्या	योग्यता
28	प्रोजेक्ट एक्सीक्यूटिव ई.एस.एफ एंड एनवायरमेंट	श्रीमती कामल नंदनवार	11.11.2021		1 (भर)	आयु ऊपरी सीमा: 55 योग्यता: पारिस्थितिकी या पर्यावरण विज्ञान या वानिकी या कृषि वानिकी में स्नातकोत्तर डिग्री / सिविल या पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातक। प्रासंगिक विषय में स्नातकोत्तर डिग्री वांछनीय होगी। न्यूनतम प्रासंगिक अनुभव (वर्ष): 4 वर्ष।
29	प्रोजेक्ट एक्सीक्यूटिव मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन	श्रीमती मेधा ताम्रकार	15.11.2021		1 (भर)	आयु ऊपरी सीमा: 55 योग्यता: संबंधित विषय में स्नातक। कृषि अथवा स्वास्थ्य/कृषि सांख्यिकी/आयुध/सांख्यिकी/ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री वांछनीय होगी। न्यूनतम अनुभव (वर्ष): 4 वर्ष।
30	प्रोजेक्ट एक्सीक्यूटिव फायनेंस	श्री जिमी गुप्ता	08.11.2021	12.03.2024	1 (रिक्त)	आयु ऊपरी सीमा: 55 योग्यता: सीए (इंटर) / आईसीएमए (इंटर) / एमबीए (वित्त), एम.कॉम न्यूनतम अनुभव (वर्ष): 4 वर्ष।
31	प्रोजेक्ट एक्सीक्यूटिव एच आर	श्रीमती ममता साहू	11.11.2021		1 (भर)	आयु ऊपरी सीमा: 55 योग्यता: पीजी डिप्लोमा (एचआर प्रबंधन) / एमबीए (एचआर) / पोस्ट एचआर या समकक्ष में स्नातक डिग्री। न्यूनतम प्रासंगिक अनुभव (वर्ष): 4 वर्ष।

नोट- राज्य कार्यालय को कुल 31 पदों में से वर्तमान में 21 पद भरे तथा 10 पद रिक्त है


 (विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - चोदह
तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 737) की जानकारी

प्रपत्र-अ

मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा तथा मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा से
माहवार फ्लाई ऐश जनरेशन, उपयोग एवं ऐश डाइक में भण्डारित मात्रा की जानकारी
मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा
वर्ष 2023-24

माह	फ्लाई ऐश जनरेशन (टन में) (लगभग)	ब्रिक्स मैन्यूफैक्चरिंग (टन में) (लगभग)	लैण्ड फिलिंग (टन में) (लगभग)	ऐश डाइक रेजिंग/ रिपेयरिंग (टन में) (लगभग)	माईन फिलिंग (टन में) (लगभग)	सीमेंट प्लांट (टन में) (लगभग)	रोड कन्शट्रक्शन (टन में) (लगभग)	कुल उपयोग (टन में) (लगभग)	ऐश डाइक में भण्डारित (टन में) (लगभग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल	447553	8232	7982	108054	14407	0	131884	270559	176994
मई	539912	6065	0	99912	25378	0	105881	237236	302676
जून	401172	7614	20196	196230	17890	0	99483	341413	59759
जुलाई	374904	3192	21900	81360	30787	0	33056	170295	204609
अगस्त	346476	5130	21132	40200	18848	0	87306	172616	173860
सितम्बर	367689	9120	2376	40230	17615	0	135272	204613	163076
अक्टूबर	482088	11436	1332	39090	19437	0	177870	249165	232923
नवम्बर	456426	7902	15480	46770	768	0	270554	341474	114952
दिसम्बर	542861	12044	1620	82980	0	0	536746	633390	0
जनवरी	456053	11020	8952	109650	0	0	582254	711876	0
फरवरी	372156	19255	54174	132690	0	0	307824	513943	0
मार्च	408256	11184	130350	82770	0	0	171888	396192	12064

वर्ष 2024-25 (माह-अप्रैल 2024 से नवम्बर 2024 तक)

माह	फ्लाई ऐश जनरेशन (टन में) (लगभग)	ब्रिक्स मैन्यूफैक्चरिंग (टन में) (लगभग)	लैण्ड फिलिंग (टन में) (लगभग)	ऐश डाइक रेजिंग/ रिपेयरिंग (टन में) (लगभग)	माईन फिलिंग (टन में) (लगभग)	सीमेंट प्लांट (टन में) (लगभग)	रोड कन्शट्रक्शन (टन में) (लगभग)	कुल उपयोग (टन में) (लगभग)	ऐश डाइक में भण्डारित (टन में) (लगभग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल	408839	0	5820	69015	390	0	208680	283905	124934
मई	515822	0	5640	39910	660	0	296896	343106	172716
जून	475031	0	5580	51360	1650	0	350736	409326	65705
जुलाई	397767	0	2400	49690	60	672	175768	228590	169177
अगस्त	408116	0	1530	88610	0	1056	105464	196660	211456
सितम्बर	386408	0	4950	79440	900	5280	224168	314738	71670
अक्टूबर	419237	0	5940	87360	540	800	408696	503336	0
नवम्बर	443872	0	7590	132375	1590	0	471340	612895	0

मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, (1200+540 मेगावॉट, विद्युत संयंत्र) बालको नगर कोरबा
वर्ष 2023-24

माह	फलाई ऐश जनरेशन (टन में) (लगभग)	ब्रिक्स मैन्यूफैक्चरिंग (टन में) (लगभग)	लैण्ड फिलिंग (टन में) (लगभग)	माईन फिलिंग (टन में) (लगभग)	सीमेंट प्लांट (टन में) (लगभग)	रोड कन्शट्रक्शन (टन में) (लगभग)	कुल उपयोग (टन में) (लगभग)	ऐश डाइक में भण्डारित (टन में) (लगभग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	266777	8660	346307	4643	0	84227	443839	0
मई	280026	9531	265565	4758	0	46748	326604	0
जून	251820	7804	305470	4718	0	52147	370140	0
जुलाई	227399	5152	212827	4762	0	38296	261038	0
अगस्त	234885	4615	173047	17202	0	33353	228218	6667
सितम्बर	234274	7242	155926	29607	0	41658	234434	0
अक्टूबर	283351	10187	318042	74580	0	65322	468133	0
नवम्बर	260615	9742	321149	65168	0	58811	454873	0
दिसम्बर	290895	9259	276057	49084	0	63808	398210	0
जनवरी	271696	9083	353402	84497	871	57186	505040	0
फरवरी	246739	9333	276225	72086	12426	65602	435674	0
मार्च	280638	6174	139331	68021	9770	74496	297794	0

मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, (1200+540 मेगावॉट, विद्युत संयंत्र) बालको नगर कोरबा
वर्ष 2024-25 (माह-अप्रैल 2024 से नवम्बर 2024 तक)

माह	फलाई ऐश जनरेशन (टन में) (लगभग)	ब्रिक्स मैन्यूफैक्चरिंग (टन में) (लगभग)	लैण्ड फिलिंग (टन में) (लगभग)	माईन फिलिंग (टन में) (लगभग)	सीमेंट प्लांट (टन में) (लगभग)	रोड कन्शट्रक्शन (टन में) (लगभग)	कुल उपयोग (टन में) (लगभग)	ऐश डाइक में भण्डारित (टन में) (लगभग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	268943	8591	64376	149822	30659	77551	331002	0
मई	298186	9259	17647	156114	50023	201451	434495	0
जून	290764	7602	0	148462	38440	274717	469223	0
जुलाई	304689	4705	0	113751	22609	165086	306153	0
अगस्त	266344	2894	0	80712	0	104413	188020	78324
सितम्बर	236042	8722	0	117044	0	243519	369286	0
अक्टूबर	306837	13036	0	66871	0	340159	420067	0
नवम्बर	334331	13724	0	139011	0	391928	544664	0

१
अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र- ब

फ्लाई ऐश के भण्डारण एवं निष्पादन (उपयोग) हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किये गये निरीक्षण के संबंध में जानकारी वर्ष 2023-24

क्र.	विद्युत संयंत्र का नाम	निरीक्षणकर्ता अधिकारी	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री शैलेश पिस्टा, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	04.05.2023	धनरास ऐश डाइक के लैगून क्रमांक 03 के नीचे बटरेजिंग का हिस्सा एवं लैगून क्रमांक 03 का निचला हिस्सा लगभग 20 मीटर क्षतिग्रस्त होना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 04.05.2023 के माध्यम से आवश्यक सुधार की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। तत्संबंध में उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 10.05.2023 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने की जानकारी दी गई।
		श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	25.05.2023	उद्योग द्वारा कार्यालय के पत्र दिनांक 04.05.2023 के माध्यम से प्रेषित निर्देशानुसार आवश्यक सुधार की कार्यवाही पूर्ण किया जाना पाया गया।	-
2	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री आर.पी.तिवारी, सदस्य सचिव, श्री अनूप कुमार बेहरे, अधीक्षण अभियंता, श्री शैलेश पिस्टा, क्षेत्रीय अधिकारी	12.06.2023	निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	तथापि उद्योग प्रबंधन को मंडल के पत्र दिनांक 15.06.2023 के माध्यम से पर्याप्त जल छिड़काव एवं मानसून के पूर्व रेनकट्स आदि का चिन्हांकन किया जाकर संधारण किये जाने बाबत निर्देशित किया गया।
		श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	14-07-2023	उद्योग द्वारा कार्यालय के पत्र दिनांक 15.06.2023 के माध्यम से प्रेषित निर्देशानुसार आवश्यक सुधार की कार्यवाही पूर्ण किया जाना पाया गया।	-
3	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री आर.पी.तिवारी, सदस्य सचिव, श्री अनूप कुमार बेहरे, अधीक्षण अभियंता, श्री शैलेश पिस्टा, क्षेत्रीय अधिकारी	12.06.2023	एक लैगून की हाईट रेजिंग एवं बटरेजिंग का कार्य प्रगति पर पाया गया।	उद्योग प्रबंधन को मंडल के पत्र दिनांक 15/06/2023 के माध्यम से उक्त कार्य मानसून के पूर्व पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
		श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	14-07-2023	उद्योग द्वारा कार्यालय के पत्र दिनांक 15.06.2023 के माध्यम से प्रेषित निर्देशानुसार आवश्यक सुधार की कार्यवाही पूर्ण किया जाना पाया गया।	-
4	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री शैलेश पिस्टा, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	06-09-2023	निरीक्षण दौरान दर्री-कटघोरा मार्ग पर वाहन क्रमांक CG 10 GC 1883 के द्वारा फ्लाई ऐश सड़क मार्ग पर गिराते हुए परिवहन करते पाया गया।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
5	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री शैलेश पिस्टा, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	15.09.2023	गाम-तरदा में फ्लाई ऐश भराव स्थल पर मृदाक्षरण एवं फ्लाई ऐश का बहा होना पाया गया।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 125000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कर सुधारात्मक कार्यवाही की गई।
6	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री शैलेश पिस्टा, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	15.09.2023	गाम-कुकरीचोली में फ्लाई ऐश भराव स्थल पर मृदाक्षरण एवं फ्लाई ऐश का बहा होना पाया गया।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 125000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कर सुधारात्मक कार्यवाही की गई।
7	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री शैलेश पिस्टा, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	15.09.2023	गाम-कटबितला में फ्लाई ऐश भराव स्थल पर मृदाक्षरण एवं फ्लाई ऐश का बहा होना पाया गया।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 125000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कर सुधारात्मक कार्यवाही की गई।
8	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री शैलेश पिस्टा, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	15.09.2023	गाम-ढोंगदरहा में फ्लाई ऐश भराव स्थल पर मृदाक्षरण एवं फ्लाई ऐश का बहा होना पाया गया।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 125000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कर सुधारात्मक कार्यवाही की गई।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)


9.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री शैलेश पिस्टा, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	15.09.2023	गाम- कुरूडीह में फ्लाइ ऐश भराव स्थल पर मृदाक्षरण एवं फ्लाइ ऐश का बहा होना पाया गया।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 125000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कर सुधारात्मक कार्यवाही की गई।
10	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री शैलेश पिस्टा, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	20.09.2023	मेसर्स छ.ग.स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के पाडीमार स्थित राखड बांध के समीप निचले क्षेत्र में बिना अनुमति प्राप्त स्थल पर डम्पिंग करते पाया गया।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 300000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कर फ्लाइ ऐश डम्पिंग स्थल पर मिटटी की परत बिछाकर समतलीकरण किये जाने की कार्यवाही की गई।
11	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री शैलेश पिस्टा, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	16.01.2024	बालको रिसदी रिंग रोड सतनाम नगर के सामने स्थल के निरीक्षण पर बिना अनुमति अवैध डम्पिंग करते पाया गया।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 400000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कर फ्लाइ ऐश डम्पिंग स्थल पर मिटटी की परत बिछाकर समतलीकरण किये जाने की कार्यवाही की गई।
12	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री शैलेश पिस्टा, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	15.02.2024	निरीक्षण के दौरान ग्राम-रिसदी में बिना अनुमति फ्लाइ ऐश डम्पिंग करते पाया गया।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 750000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कर फ्लाइ ऐश डम्पिंग स्थल पर मिटटी की परत बिछाकर समतलीकरण किये जाने की कार्यवाही की गई।
13	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लि मिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	19.03.2024	निरीक्षण के दौरान ग्राम-पोड़ी में बिना अनुमति फ्लाइ ऐश डम्पिंग करते पाया गया।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 690000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कर सुधारात्मक कार्यवाही की गई।

वर्ष 2024-25

क्र.	विद्युत संयंत्र का नाम	निरीक्षणकर्ता अधिकारी	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री शैलेश पिस्टा, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	12.04.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-
2	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लि मिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	19.04.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-
3	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री अनूप कुमार बेहरे, अधीक्षण अभियंता, श्री आर.के.शर्मा, अधीक्षण अभियंता एवं श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी	01.05.2024	फ्लाइ ऐश प्रबंधन हेतु नियमानुसार व्यवस्था नहीं पाया गया।	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस जारी किया गया तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1219500/- जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा कर सुधारात्मक कार्यवाही की गई।
4	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री अनूप कुमार बेहरे, अधीक्षण अभियंता, श्री आर.के.शर्मा, अधीक्षण अभियंता एवं श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी	02.05.2024	ग्राम-बरबसपुर में फ्लाइ ऐश डम्पिंग स्थल पर जल छिड़काव व्यवस्था का अभाव पाया गया।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 210000/- जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा कर फ्लाइ ऐश डम्पिंग स्थल पर मिटटी की परत बिछाकर समतलीकरण किये जाने की कार्यवाही की गई।
5	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	18.05.2024	निरीक्षण दौरान रिस्दी चौक से बरबसपुर मार्ग का निरीक्षण दौरान वाहन क्रमांक CG 12 Q 8128 उचित प्रकार से तारपोलिन कवर्ड नहीं किये जाने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 37500/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
6	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	22.05.2024	निरीक्षण दौरान उरगा हाटी सड़क निर्माण कार्य में परिवहन करने वाले फ्लाइ ऐश वाहन क्रमांक CG 12 BJ 6343 उचित प्रकार से तारपोलिन कवर्ड नहीं किये जाने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 37500/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
बंजारालय, रायपुर (छ.ग.)


7.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	22.05.2024	निरीक्षण दौरान उरगा हाटी सड़क निर्माण कार्य में परिवहन करने वाले फ्लाइ ऐश वाहन क्रमांक CG 12 C 3033 उचित प्रकार से तारपोलिन कवर्ड नहीं किये जाने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 37500/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
8	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी, श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	28.05.2024	निरीक्षण दौरान रिस्दी-बरबसपुर बाईपास मार्ग का निरीक्षण दौरान फ्लाइ ऐश का परिवहन करने वाले फ्लाइ ऐश वाहन क्रमांक CG 12 BH 8596 उचित प्रकार से तारपोलिन कवर्ड नहीं किये जाने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 37500/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
9	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	30.05.2024	निरीक्षण दौरान रिस्दी-बरबसपुर बाईपास मार्ग का निरीक्षण दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी., लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा से फ्लाइ ऐश का परिवहन करने वाले फ्लाइ ऐश वाहन क्रमांक CG 04 PE 7990 के द्वारा सड़क मार्ग पर ऐश को गिराते हुए फ्लाइ ऐश का परिवहन करते पाये जाने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 37500/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
10	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	10.06.2024	दिनांक 01.05.2024 एवं 02.05.2024 को निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के परिपेक्ष्य में उद्योग द्वारा अपेक्षित सुधार की कार्यवाही किया जाना पाया गया।	-
11	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी, श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	19.06.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-
12	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	01.07.2024	धनरास ऐश डाइक का निरीक्षण दौरान ओव्हर फ्लो लैगून का बंड टूटा पाया गया।	उद्योग को आवश्यक सुधार की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
		श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	03.07.2024	निरीक्षण के दौरान ओव्हरफ्लो लैगून के बंड का संधारण कार्य प्रगति पर होना पाया गया।	-
		श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	16.07.2024	निरीक्षण के दौरान ओव्हरफ्लो लैगून के बंड का संधारण कार्य पूर्ण कर लिया जाना पाया गया।	-
13	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	16.07.2024	कलेक्टर बिलासपुर द्वारा गठित टीम के द्वारा बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी., लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा, जिला-कोरबा के भारी वाहन टुक जिसका पंजीयन क्रमांक CG 10 BR 9681 है, सड़क मार्ग में फ्लाइ ऐश गिराते हुये परिवहन किया जाना पाया गया।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 37500/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
14	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक	26.07.2024	निरीक्षण दौरान डेलवाडीह मार्ग पर मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा से पसान तक फ्लाइ ऐश का परिवहन करने वाले ऐश वाहन क्रमांक CG12 BD 9533 सड़क मार्ग पर ऐश को गिराते हुये परिवहन करने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 37500/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
15	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी, श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	08.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

16	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री आर.पी.वासुदेव, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	09.08.2024	कलेक्टर बिलासपुर द्वारा गठित टीम के द्वारा रतनपुर-बिलासपुर, सेंदरी के पास में निरीक्षण के दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली के भारी वाहन टुक जिसका पंजीयन क्रमांक CG12 BJ 8065 है, उचित ढंग से तारपोलिन से ढंके नहीं होने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 37500/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
17	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी, श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	28.08.2024	धनरास एश डाइक में कई स्थानों पर रेनकटस होना पाया गया।	उद्योग को मुख्यालय के पत्र दिनांक 30.08.2024 के माध्यम से आवश्यक सुधार की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उद्योग द्वारा सुधारामक कार्यवाही की गई।
		श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी, श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	03.09.2024	कार्य पूर्ण कर लिया जाना पाया गया।	-
18	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी, श्री मानिक लाल चंदेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	03.09.2024	धनरास राखडबांध का निरीक्षण दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा से पसान तक फ्लाई ऐश का परिवहन करने वाले ऐश वाहन क्रमांक CG 04 NX 7709, CG 04 PE 2514, CG 04 NX 7710 एवं CG 04 NV 6138 सड़क मार्ग पर ऐश को गिराते हुये परिवहन करने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,50,000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
19	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	03.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-
20	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री आर.पी.वासुदेव, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	03.09.2024	कलेक्टर बिलासपुर द्वारा गठित टीम के द्वारा बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय मार्ग (पेण्डीडीह बाईपास रोड) में निरीक्षण के दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली के भारी वाहन टुक जिसका पंजीयन क्रमांक CG 10 BT 5651 एवं CG 04 PE 2513 है, सड़क मार्ग पर फ्लाई ऐश गिराते हुये परिवहन करने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,20,000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
21	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	16.10.2024	निरीक्षण दौरान बरबसपुर मार्ग पर मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड से फ्लाई ऐश का परिवहन करने वाले ऐश वाहन क्रमांक CG 04 NU 2514, CG 12 BD 9833 एवं CG 12 BH 8838 सड़क मार्ग पर ऐश को गिराते हुये परिवहन करने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,54,290/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
22	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	17.10.2024	निरीक्षण दौरान बरबसपुर मार्ग पर मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड से फ्लाई ऐश का परिवहन करने वाले ऐश वाहन क्रमांक CG 10 BT 7808 एवं CG 12 BJ 5309 सड़क मार्ग पर ऐश को गिराते हुये परिवहन करने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,02,855/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
23	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	17.10.2024	निरीक्षण दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा से फ्लाई ऐश का परिवहन करने वाले ऐश वाहन क्रमांक CG 12 BJ 9912, CG10 BR 7716, CG 10 BR 7719, CG 10 BR 7717, CG 10 BR 5066 एवं CG 10 BR 7765 सड़क मार्ग पर ऐश को गिराते हुये परिवहन करने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 2,25,000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।

2
अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

24	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	तहसीलदार दर्सी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी	17.10.2024	तहसीलदार दर्सी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, दर्सी के संयुक्त टीम के द्वारा धनरास राखड़ बांध से फ्लाई ऐश परिवहन करने वाले वाहनों का निरीक्षण दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा से फ्लाई ऐश का परिवहन करने वाले ऐश वाहन क्रमांक CG 04 PQ 2858, CG 10 BT 9850, CG 10 BR 1720 एवं CG 04 NR 7817 उचित ढंग से तारपेलिन कवर्ड नहीं किये जाने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,50,000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
25	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री प्रसन्ना सोनकर, कार्यपालन अभियंता एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	22.10.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-
26	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	30.10.2024	निरीक्षण के दौरान बरबसपुर से उरगा मार्ग पर मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड से फ्लाई ऐश का परिवहन करने वाले ऐश वाहन क्रमांक CG 12 BH 3983 सड़क मार्ग पर ऐश को गिराते हुये परिवहन करने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 37,500/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
27	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री प्रवीण भारती, कनिष्ठ वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	08.11.2024	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर टीम के द्वारा नेशनल हाईवे रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) में निरीक्षण के दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली के भारी वाहन ट्रक जिसका पंजीयन क्रमांक CG 04 NX 7693 है, सड़क मार्ग पर फ्लाई ऐश गिराते हुये परिवहन करने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 37,500/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
28	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री आलोक साहू, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	17.11.2024	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर टीम के द्वारा नेशनल हाईवे बिलासपुर मार्ग में निरीक्षण के दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली के भारी वाहन ट्रक जिसका पंजीयन क्रमांक CG 10 BH 6011 है, सड़क मार्ग पर फ्लाई ऐश गिराते हुये परिवहन करने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 37,500/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
29	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री पी.एस.पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री एस.के.द्विवेदी, सहायक अधीक्षक	25.11.2024	निरीक्षण के दौरान बरबसपुर मार्ग पर मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली से फ्लाई ऐश का परिवहन करने वाले ऐश वाहन क्रमांक CG 12 BP 0758 सड़क मार्ग पर ऐश को गिराते हुये परिवहन करने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 37,500/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
30	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी कटघोरा	18.11.2024	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक कटघोरा एवं पटवारी के द्वारा सलोरा के सिंघानिया कोल्ड स्टोरेज के समीप फ्लाई ऐश परिवहन करने वाले वाहनों का निरीक्षण दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा से फ्लाई ऐश का परिवहन करने वाले ऐश वाहन क्रमांक CG 22 U 3929 सड़क मार्ग पर गिराते हुये फ्लाई ऐश का परिवहन करते पाया गया।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 70,635/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।
31	मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा	श्री आलोक साहू, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	26.11.2024	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर टीम के द्वारा नेशनल हाईवे बिलासपुर मार्ग में निरीक्षण के दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली के भारी वाहन ट्रक जिसका पंजीयन क्रमांक CG 10 BP 2088 है, सड़क मार्ग पर फ्लाई ऐश गिराते हुये परिवहन करने के संबंध में।	उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 37,500/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई।


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 बंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - पन्द्रह
तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 595) की जानकारी

प्रपत्र

(1) जिला पंजीयक के रिक्त पदों की जानकारी –

पंजीयन जिला	कार्यालय का नाम
1. बालोद	जिला पंजीयक बालोद
2. मुंगेली	जिला पंजीयक मुंगेली
3. कवर्धा	जिला पंजीयक कवर्धा
4. धमतरी	जिला पंजीयक धमतरी
5. सूरजपुर	जिला पंजीयक सूरजपुर
6. बलरामपुर	जिला पंजीयक बलरामपुर

(2) वरि. उप पंजीयक/उप पंजीयक के रिक्त पदों की जानकारी –

पंजीयन जिला	कार्यालय का नाम
गरियाबंद	1. उप पंजीयक कार्यालय छुरा
बलौदाबाजार	2. उप पंजीयक कार्यालय बलोदाबाजार
	3. उप पंजीयक कार्यालय कसडोल
	4. उप पंजीयक कार्यालय बिलाईगढ़
	5. उप पंजीयक कार्यालय पलारी
	6. उप पंजीयक कार्यालय भटगांव
महासमुन्द	7. उप पंजीयक कार्यालय सरायपाली
	8. उप पंजीयक कार्यालय बसना
	9. उप पंजीयक कार्यालय पिथौरा
दुर्ग	10. उप पंजीयक कार्यालय भिलाई-३
	11. उप पंजीयक कार्यालय बोरी
बालोद	12. उप पंजीयक कार्यालय गुरुर
बिलासपुर	13. उप पंजीयक कार्यालय मरवाही
	14. उप पंजीयक कार्यालय मस्तूरी
राजनांदगांव	15. उप पंजीयक कार्यालय छुईखदान
	16. उप पंजीयक कार्यालय डोंगरगढ़
	17. उप पंजीयक कार्यालय छुरिया
	18. उप पंजीयक कार्यालय गंडई
	19. उप पंजीयक कार्यालय डोंगरगांव
कवर्धा	20. उप पंजीयक कार्यालय पंडरिया
	21. उप पंजीयक कार्यालय बोडला
जांजगीर-चांपा	22. उप पंजीयक कार्यालय चांपा
	23. उप पंजीयक कार्यालय डभरा
	24. उ.पं. कार्या. नवागढ़
	25. उप पंजीयक कार्यालय अकलतरा
रायगढ़	26. उप पंजीयक कार्यालय घरघोड़ा
	27. उप पंजीयक कार्यालय खरसिया
कोरिया	28. उप पंजीयक कार्यालय बैकुण्ठपुर
	29. उप पंजीयक कार्यालय मनेन्द्रगढ़
बस्तर	30. उप पंजीयक कार्यालय कोण्डागांव
कोरबा	31. उप पंजीयक कार्यालय कटघोरा
	32. उप पंजीयक कार्यालय हरदीबाजार
	33. उप पंजीयक कार्यालय पाली
सूरजपुर	34. उप पंजीयक कार्यालय प्रतापपुर
बलरामपुर	35. उप पंजीयक कार्यालय बलरामपुर
	36. उप पंजीयक कार्यालय राजपुर

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट


पारिशेष - सोलह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 17) की जानकारी

प्रपत्र

बेमेतरा जिला अंतर्गत संचालित क्रशर प्लांटों में किये गये वृक्षारोपण, वृक्षारोपण का क्षेत्रफल, वर्तमान स्थिति एवं फेसिंग कार्य की जानकारी

क्र.	क्रशर इकाई का नाम एवं पता	किये गये वृक्षारोपण का भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण की संख्या	वर्तमान स्थिति की जानकारी	फेसिंग कार्य किये जाने की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स गणपति मिनरलस (क्रशर यूनिट), ग्राम मोहभट्टा, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	0.16	लगभग 300 नग	वर्तमान में जीवित वृक्षों की संख्या लगभग 300 नग है।	फेसिंग कार्य किया गया है।
2	मेसर्स मनोज अग्रवाल (स्टोन क्रशिंग यूनिट), ग्राम चण्डी, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	0.08	लगभग 160 नग	वर्तमान में जीवित वृक्षों की संख्या लगभग 160 नग है।	नहीं
3	मेसर्स बी.एम. मिनरल्स, ग्राम कोदवा, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	0.64	लगभग 500 नग	वर्तमान में जीवित वृक्षों की संख्या लगभग 500 नग है।	नहीं
4	मेसर्स गणपति मिनरलस, ग्राम मोहभट्टा, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	0.28	लगभग 150 नग	वर्तमान में जीवित वृक्षों की संख्या लगभग 150 नग है।	फेसिंग कार्य किया गया है।
5	मेसर्स पी.आर. कामर्शियल कंपनी, ग्राम मोहभट्टा, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	0.099	लगभग 150 नग	वर्तमान में जीवित वृक्षों की संख्या लगभग 150 नग है।	फेसिंग कार्य किया गया है।
6	मेसर्स बी.एम. मिनरल्स (पूर्व नाम मोहिनी देवी चोपड़ा), ग्राम मोहभट्टा, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	0.34	लगभग 140 नग	वर्तमान में जीवित वृक्षों की संख्या लगभग 140 नग है।	नहीं
7	मेसर्स मिश्रा मिनरल्स, ग्राम कोदवा, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	0.30	लगभग 130 नग	वर्तमान में जीवित वृक्षों की संख्या लगभग 130 नग है।	नहीं
8	मेसर्स अभिषेक अग्रवाल मार्किंग एंड क्रशिंग, ग्राम करेली, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा	0.29	लगभग 30 नग	वर्तमान में जीवित वृक्षों की संख्या लगभग 30 नग है।	नहीं



 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष्य - सत्रह
पारेवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 3 (क्र. 93) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2023-24 दिनांक 25.11.2024 तक पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बिलासपुर में सामग्री पूर्ति मद से सामग्री विवरण की जानकारी


क	संस्था का नाम	प्रदाय सामग्री का नाम	सामग्री की मात्र
1	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बिलासपुर	पलंग	30 नग
		गद्दा	30 नग
		मच्छारदानी	180 नग
		चादर	150 नग
		तकिया	130 नग
		पंखा	30 नग
		बल्ब	80 नग
		ट्यूब लाईट	25 नग
		स्ट्रीक लाईट	2 नग
		थाली	30 नग
		दाल पात्र	2 नग
		जग	2 नग
		कुकर	1 नग
		स्टू टेबल कुर्सी	30 नग
		वाइपर	12 नग
		टाइलेट ब्रश	12 नग
		पोंछा	16 नग
		फिनाईल	275 नग
		डस्टबीन	4 नग
		बाल्टी	5 नग
		एल्यु.गंज	1 नग
		व्हाइट बोर्ड	1 नग
		कढ़ाई	1 नग
परात	1 नग		
सेनटरी पेड	3000 नग		
लाइब्रेरी टेबल कुर्सी, बुक कम्प्युटर	0		


अनुभाव अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - अट्टारह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 151) की जानकारी

प्रपत्र


क.	संस्था का नाम	विकास खण्ड वार संचालित छात्रावास एवं आश्रम एवं स्वीकृत पद संख्या						योग	विधानसभा क्षेत्रवार संचालित छात्रावास एवं आश्रम एवं स्वीकृत/भरे/रिक्त एवं प्रमार में कार्यरत अधीक्षकों की पद संख्या														
		महासमुन्द	बागबाहरा	पिथौरा	बसना	सरायपाली	योग		महासमुन्द	खल्लारी	बसना	सरायपाली											
		संचालित एवं स्वीकृत पद	संचालित एवं स्वीकृत पद	संचालित एवं स्वीकृत पद	संचालित एवं स्वीकृत पद	संचालित एवं स्वीकृत पद		स्वीकृत	भरे	रिक्त	प्रमारी कार्यरत	स्वीकृत	भरे	रिक्त	प्रमारी कार्यरत	स्वीकृत	भरे	रिक्त	प्रमारी कार्यरत				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	प्री0मेट्रिक छात्रावास	16	16	13	18	15	78	15	8	7	7	19	10	9	9	18	10	8	8	26	10	16	16
2	पो0मेट्रिक छात्रावास	6	1	2	1	3	13	6	3	3	3	1	0	1	1	3	0	3	3	3	0	3	3
3	प्राथमिक आश्रम	2	0	8	5	7	22	2	1	1	1	0	0	0	0	12	3	9	9	8	0	8	8
4	माध्यमिक आश्रम	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	25	18	23	24	25	115	24	13	11	11	21	10	11	11	33	13	20	20	37	10	27	27

15.12

एतुभाग अधिकारी
ए.ए. तया अनु.जा.वि. विभाग
संस्थान, नया रायपुर, अट्टारह नगर

पारोशिए - उन्नोस
पारेवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 8 (क्र. 485) को जानकारी


प्रपत्र - अ

कं.	संचालित आश्रम/ छात्रावास का प्रकार	कुल संख्या	स्वीकृत पदनाम एवं संख्या				
			छात्रावास अधीक्षक	नियमित भृत्य	आकस्मिक निधि नि. भृत्य	कले. दर भृत्य	स्वीपर
1	प्राथ. स्तर आदि. कन्या आश्रम	3	3	3	11	—	1
2	माध्य स्तर आदि. कन्या आश्रम	2	2	2	10	—	1
3	प्री. मै.आदि.कन्या छात्रा.	7	7	—	1	2	1
4	पो.मै.अनु.जा.कन्या छात्रा.	6	6	—	18	—	6
5	पो.मै.अनु.जा.कन्या छात्रा.	1	1	—	3	—	1
	योग	19	19	5	43	2	10


अनुभाग अधिकारी
पो.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मै.वि. विभाग, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - ब

क्रं.	संचालित आश्रम/छात्रावास का प्रकार	कुल संख्या	स्वीकृत पदनाम एवं संख्या						
			छात्रावास अधीक्षक	प्रभारी अधीक्षक	नियमित भृत्य	आकस्मिक निधि नि. भृत्य	कले. दर भृत्य	स्वीपर	दैनिक मजदूर
1	प्राथ. स्तर आदि. कन्या आश्रम	3	—	3	—	4	1	2	5
2	माध्य स्तर आदि. कन्या आश्रम	2	—	2	—	4	1	2	5
3	प्री. मै.आदि.कन्या छात्रा.	7	2	5	—	13	6	5	8
4	पो.मै.आदि. कन्या छात्रा.	6	1	5	1	8	7	6	6
5	पो.मै.आदि. कन्या छात्रा.	1	—	1	—	3	2	1	—
	योग	19	3	16	1	32	17	16	24
कन्या आश्रम/छात्रावास में कोई पुरुष कर्मचारी पदस्थ नहीं है।									



 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोक्ष - बीस
पारेवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 9 (क्र. 524) की जानकारी

प्रपत्र

दिसंबर 2023 से दिनांक 28.11.2024 तक की अवधि में रायगढ़ जिला के विभिन्न मार्गों के किनारे अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी:-

क्र.	उद्योग का नाम व पता	निरीक्षण दिनांक	प्राप्त शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
1.	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-जामगांव, जिला-रायगढ़	21.03.2024	दिनांक 11.03.2024 को ग्राम-माहपल्ली मार्ग से लगे समीप भूमि पर फ्लाई ऐश का अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है।	मंडल के पत्र दिनांक 22.03.2024 द्वारा उद्योग पर 4,50,000.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 4,50,000.00 जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
2.	मेसर्स रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	29.10.2024	दिनांक 23.10.2024 को ग्राम-हरीडीह में सराईपाली मार्ग से लगे समीप भूमि पर फ्लाई ऐश का अवैध डंपिंग किये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है।	मंडल के पत्र दिनांक 21.11.2024 द्वारा उद्योग पर 45,00,000.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा अपवहन स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किया गया है एवं अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष - इक्कीस
पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 532) की जानकारी

प्रपत्र

औद्योगिक क्षेत्रों में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी
संभाग बिलासपुर

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ग्रीन बेल्ट हेतु चिन्हांकित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	नवम्बर 2024 तक किया गया वृक्षारोपण (हेक्टेयर में)	शेष क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रिमार्क
1	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर	356.052	12.000	12.000	0.000	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी पुराना औद्योगिक क्षेत्र है उक्त क्षेत्र में उपलब्ध 12.00 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है।
2	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर	55.870	0.000	0.000	0.000	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा पूर्व से विकसित पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें ग्रीन बेल्ट हेतु भूमि चिन्हांकित नहीं है।
3	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी सेक्टर डी, बिलासपुर	26.156	1.500	1.500	0.000	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी सेक्टर डी पुराना औद्योगिक क्षेत्र है उक्त क्षेत्र में उपलब्ध 1.50 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है।
4	औद्योगिक क्षेत्र अंजनी, गौरैला-मरवाही-पेण्ड्रा	19.433	2.327	2.327	0.000	औद्योगिक क्षेत्र अंजनी पेण्ड्रा रोड पुराना औद्योगिक क्षेत्र है उक्त क्षेत्र में उपलब्ध 2.327 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है।
5	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, बिलासपुर	249.930	1.060	0.000	1.060	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी जिला बिलासपुर पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें वृक्षारोपण के लिए ग्रीन बेल्ट हेतु भूमि चिन्हांकित नहीं है। वर्तमान में उपविभाजन किये गये क्षेत्र में 1.06 हेक्टेयर भूमि चिन्हांकित है। जिसमें वृक्षारोपण का कार्य किये जाने हेतु मंडल प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कार्यालय मण्डल - प्रबंधक, कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर को पत्र क्र . -संभाग/सीएसआईडीसी01/ 2024-25/3090 दिनांक 16.07.2024 के तहत प्रेषित किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

6	नवीन औद्योगिक क्षेत्र खम्हरिया, मुंगेली	24.290	2.310	0.000	2.310	वृक्षारोपण का कार्य किये जाने हेतु मंडल प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कार्यालयमण्डल प्रबंधक-, कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर को पत्र क्र-संभाग/सीएसआईडीसी . 01/2024-25/2831 दिनांक 27.06.2024 के तहत प्रेषित किया गया है।
7	प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र ग्राम सेलर, बिलासपुर	38.457	1.834	0.000	1.834	औद्योगिक क्षेत्र सेलर नवीन औद्योगिक क्षेत्र है जिसका अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है, विकास कार्य पूर्ण पश्चात वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग के माध्यम से कराया जावेगा।
8	प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र ग्राम परसिया, मुंगेली	77.706	4.400	0.000	4.400	औद्योगिक क्षेत्र परसिया नवीन औद्योगिक क्षेत्र है जिसका अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है, विकास कार्य पूर्ण पश्चात वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग के माध्यम से कराया जावेगा।
9	नवीन औद्योगिक क्षेत्र ग्राम सियारपाली - मौहापाली, रायगढ़	27.001	1.430	0.000	1.430	औद्योगिक क्षेत्र सियारपाली-पाली नवीन औद्योगिक क्षेत्र मौहा है जिसका अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है, विकास कार्य पूर्ण पश्चात वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग के माध्यम से कराया जावेगा।
10	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान चक्रधर नगर, रायगढ़	9.797	0.000	0.000	0.000	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान चक्रधर नगर, रायगढ़ में ग्रीन बेल्ट का प्रावधान नहीं है।
11	औद्योगिक क्षेत्र कापन, जांजगीर चांपा	43.020	5.213	5.213	0.000	औद्योगिक क्षेत्र कापन जिला जांजगीर चांपा पुराना औद्योगिक क्षेत्र है उक्त क्षेत्र में उपलब्ध 5.213 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है।
12	औद्योगिक क्षेत्र चांपा, जांजगीर चांपा	8.750	0.000	0.000	0.000	औद्योगिक क्षेत्र चांपा, जिला जांजगीर चांपा पूर्व से विकसित पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें ग्रीन बेल्ट हेतु भूमि चिन्हांकित नहीं है।
13	औद्योगिक क्षेत्र खरमोरा, कोरबा	37.405	0.000	0.000	0.000	औद्योगिक क्षेत्र खरमोरा, जिला कोरबा पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें ग्रीन बेल्ट हेतु भूमि चिन्हांकित नहीं है।
योग:-		973.867	32.074	21.040	11.034	

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

संभाग रायपुर

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ग्रीन बेल्ट हेतु चिन्हांकित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	नवम्बर 2024 तक किया गया वृक्षारोपण (हेक्टेयर में)	शेष क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रिमार्क
1	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	334.250	31.150	31.150	0.000	ग्रीन लैण्ड सड़क किनारे / रोपण किया गया है। वृक्षा
2	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	1154.430	104.310	104.310	0.000	ग्रीन लैण्ड सड़क किनारे / वृक्षारोपण किया गया है।
3	औद्योगिक क्षेत्र मेटलपार्क, रायपुर	95.671	13.040	13.040	0.000	ग्रीन लैण्ड में वन विभाग द्वारा निगम की राशि से वृक्षारोपण किया गया है।
4	औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ, रायपुर	20.990	2.400	2.400	0.000	ग्रीन लैण्ड में वन विभाग द्वारा निगम की राशि से वृक्षारोपण किया गया है।
5	औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, रायपुर	37.180	0.000	2.210	0.000	अनुमोदित नक्शा में ओपन अपितु ग्रीन लैण्ड नहीं है। / सड़क किनारे किये गये वृक्षारोपण निगम की राशि से वन विभाग द्वारा किया गया है।
6	औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, रायपुर	164.370	47.910	10.000	37.910	वृक्षारोपण निगम की राशि से वन विभाग द्वारा किया गया है। अनुमोदित मानचित्र अनुसार वृक्षारोपण हेतु चिन्हांकित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिस पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः अतिक्रमण हटाने के पश्चात् वृक्षारोपण की कार्यवाही की जावेगी।
7	औद्योगिक क्षेत्र सोनडोंगरी, रायपुर	14.010	3.680	1.050	2.630	सड़क किनारे वृक्षारोपण किया गया है एवं शेष भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसके पश्चात् वृक्षारोपण की कार्यवाही की जायेगी।
8	औद्योगिक क्षेत्र गोगांव, रायपुर	14.050	4.600	1.600	3.000	सड़क किनारे वृक्षारोपण किया गया है एवं शेष भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसके पश्चात् वृक्षारोपण की कार्यवाही की जायेगी।
9	औद्योगिक क्षेत्र गौदवारा, रायपुर	12.460	1.240	0.000	1.240	ग्रीन बेल्ट हेतु चिन्हित भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसके पश्चात् वृक्षारोपण की कार्यवाही की जा सकेगी।
10	औद्योगिक क्षेत्र आमासिवनी, रायपुर	11.830	0.000	0.750	0.000	सड़क किनारे वृक्षारोपण किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

11	औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी, तिल्दा, रायपुर	32.330	4.430	0.000	4.430	वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन।
12	इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर)EMC (-सेक्टर22, नवा रायपुर, अटल नगर	48.570	4.660	4.660	0.000	ग्रीन लैंडसडक किनारे/ वृक्षारोपण निगमकी राशि से वन विभाग द्वारा किया गया है।
13	औद्योगिक क्षेत्र अभनपुर, रायपुर	16.140	2.560	0.000	2.560	औद्योगिक क्षेत्र निर्माणाधीन है। आगामी वर्ष 2025-26 में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
14	औद्योगिक क्षेत्र जी- जामगांव, कुरूद, धमतरी	10.000	0.520	0.000	0.520	औद्योगिक क्षेत्र निर्माणाधीन है। आगामी वर्ष 2025-26 में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
15	मेगा फूड पार्क, बगौदबंजारी, कुरूद, धमतरी	68.740	10.080	0.000	10.080	वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन।
16	फूड पार्क ग्राम श्यामतराई, धमतरी	8.830	0.240	0.000	0.240	औद्योगिक क्षेत्र निर्माणाधीन है। आगामी वर्ष 2025-26 में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
17	औद्योगिक क्षेत्र औरैठी, बलौदाबाजार - भाठापारा	7.747	1.174	0.000	1.174	औद्योगिक क्षेत्र के स्वीकृत अभिन्यास अनुसार वृक्षारोपण हेतु चिन्हांकित भूमि पर वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
18	औद्योगिक क्षेत्र केसदा, बलौदाबाजार - भाठापारा	28.700	2.568	0.000	2.568	औद्योगिक क्षेत्र निर्माणाधीन है। आगामी वर्ष 2025-26 में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
19	औद्योगिक क्षेत्र खपरीखुर्द रायपुर (फूडपार्क)	8.115	0.827	0.000	0.827	औद्योगिक क्षेत्र निर्माणाधीन है। आगामी वर्ष 2025-26 में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
20	औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, महासमुंद	96.420	14.790	14.790	0.000	औद्योगिक क्षेत्र के स्वीकृत अभिन्यास अनुसार वृक्षारोपण हेतु चिन्हांकित भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है।
योग:-		2184.833	250.179	185.960	67.179	
महायोग:-		3158.700	282.253	207.000	78.213	


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

पारोशिष्ट - बाईस
पारोवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 15 (क्र. 561) को जानकारी

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

प्रपत्र - 34

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2023 — पाँच 30. शक. 1944

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 जनवरी 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार. - राज्य शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क. एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, दिनांक 11 मई, 2022 द्वारा राज्य शासन के पेंशन योग्य स्थापना में दिनांक 1 नवम्बर, 2004 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

सरल क्रमांक 5, 6 एवं 7 के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

- (अ) दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 तक नियुक्त शासकीय सेवकों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) में बने रहने का विकल्प अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र-एक (नोटराईज्ड) अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प निर्धारित प्रपत्र-दो (नोटराईज्ड) में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।
- (ब) दिनांक 01-04-2022 एवं उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले शासकीय सेवक अनिवार्यतः पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।
- (स) पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों/उनके नामिनी (मृत्यु के प्रकरणों में) को सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक तक जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा किए जाने के पश्चात् ही सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम यथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976/छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर, पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा। शासकीय सेवक को देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान, अवकाश नगदीकरण, समूह वीमा योजना की राशि से, शासन को देय शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि के समायोजन किए जाने की सहमति, शासकीय सेवक को देना होगा।

- (द) पी.एफ.आर.डी.ए. से एन.पी.एस. खाते में जमा राशि राज्य शासन के खाते में प्राप्त नहीं होने के कारण, पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के प्रकरणों में, उनके एन.पी.एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक को अर्जित लाभांश की राशि, शासकीय कोष में जमा करना होगा। उपरोक्तानुसार जमा राशि को भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष, गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4 प्रतिशत के बराबर राशि को, पेंशन निधि में निवेशित की जाएगी।
6. पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक दिनांक 01-04-2022 से सीजीपीएफ के सदस्य होंगे तथा सामान्य भविष्य निधि नियमों से शासित होंगे। दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 तक एन.पी.एस. खाते में जमा कर्मचारी अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एन.पी.एस. नियमों के अंतर्गत देय होगा।
7. दिनांक 01-11-2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के प्रकरणों में भी, पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सरल क्रमांक 5 में दर्शित प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्र में विकल्प देना होगा तथा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश शासकीय कोष में जमा किया जाना होगा। ऐसे प्रकरण, जिनमें एन.पी.एस. के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर लिया गया है, वे भी सरल क्रमांक 5 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन कर, शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम के अनुसार पेंशन की पात्रता होने पर, शासकीय सेवक पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतीश पांडेय, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 20th January 2023

NOTIFICATION

Sl. No. F 2016-04-03289/Finance/Rules/Four. -- By the State Government, Finance Department's Notification No. F-2016-04-03289, dated 11th May, 2022, the Old Pension Scheme has been restored in place of the New Contributory Pension Scheme for all the employees appointed on or after 1st November, 2004 in the pensionable establishment of the State Government, in exercise of the powers conferred by proviso in Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the said Notification dated 11th May, 2022, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification, -

For serial number 5, 6 and 7, the following serial number shall be substituted, namely:-

- “5 (a) Option to remain in New Contribution Pension Scheme (NPS) to government servants appointed from 01-11-2004 to 31-03-2022 in the prescribed Form-I (Notarized) attached with the notification or the option to avail the old pension scheme will have to be submitted to the Head of Office in the prescribed Form-II (Notarized). The option once exercised by the Government servant shall be final and irrevocable.
- (b) Government servants appointed on 01-04-2022 and after that will compulsorily be members of the Old Pension Scheme.
- (c) The Pension Payment Order shall be issued to those Government servants/their nominees (in case of death) who have opted for Old Pension Scheme, who are eligible for pension under the provisions of the pension rules such as the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976; Chhattisgarh (Work-Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979 applicable to retired Government servants, only after depositing the government contribution deposited till the date of retirement/death and the amount of dividend earned thereon till the date of withdrawal, in the government account. The government servant will have to give consent for adjustment of the government contribution payable to the government and the amount of dividend earned thereon from the amount of death-cum-retirement gratuity, leave encashment, group insurance scheme payable to the government servant.

- (d) Due to non-receipt of amount deposited in NPS account from PFRDA, in the account of the State Government, in the cases of retirement or death of the government servants option for the Old Pension Scheme, the government servant will have to deposit the amount of government contribution deposited in their NPS account and the amount of dividend earned on the date of withdrawal, in the government fund. The amount deposited as above will be kept in a separate fund under the public account for the payment of future pensionary obligations and every year an amount equal to 4% of the pensionary obligation of the previous year will be invested in the pension fund.
6. Government servants opting for Old Pension Scheme will be members of CGPF from 01-04-2022 and shall be governed by General Provident Fund rules. Employee contribution deposited in the NPS account from 01-11-2004 to 31-03-2022 and dividend earned thereon shall be payable to the government employee as per NPS rules.
7. In the cases of retirement/death of employees between 01-11-2004 and the date of implementation of the Old Pension Scheme, to get the benefit of the old pension scheme, the option will have to be given in the prescribed form as per the process shown in serial number 5 and have to deposit the government contribution and the dividend earned on withdrawal till date will have to be deposited in the government fund. In such cases where retirement benefits have been received on retirement/death under the rules of NPS, have to be followed the procedure mentioned in serial number 5, and on the eligibility of the pension as per Pension Rules applicable to the Government servants, the government servant can avail the benefits of old pension Scheme.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATISH PANDEY, Joint Secretary.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

64 (5)

अटल नगर, दिनांक 20 जनवरी 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

- 1 अध्याय-1 के नियम 2 के उप-नियम (1) में, चिन्ह एवं अंक "(1)" के स्थान पर, चिन्ह एवं अंक "(1)(क)" प्रतिस्थापित किया जाये ।
- 2 अध्याय-1 के नियम 2 के उप-नियम (1)(क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
 "(1) (ख) ऐसे शासकीय कर्मचारी, जो दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 के मध्य नियुक्त हुए हैं और जो पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ तभी प्राप्त होगा, जब वे उनके एन.पी.एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश को शासकीय कोष में जमा करेंगे।"
- 3 अध्याय-1 के नियम 2 के उप-नियम 2 के खण्ड (एफ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :-
 "(जी) ये नियम, उन शासकीय सेवकों को, जो दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 तक नियुक्त हुए हैं और वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, दिनांक 20-01-2023 के परिप्रेक्ष्य में नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहने का विकल्प का चयन किया है, को लागू नहीं होंगे।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतीश पांडेय, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 20th January 2023

NOTIFICATION

Sl. No. F 2016-04-03289/Finance/Rules/Four. - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In sub-rule (1) of rule 2 of Chapter-1, for the symbol and figure "(1)", the symbol and figure "(1)(a)" shall be substituted.
2. After sub-rule (1)(a) of rule 2 of Chapter-1, the following sub-rule shall be inserted, namely :-
 "(1)(b) Government employees who have been appointed between 01-11-2004 to 31-03-2022 and who opt for the old pension scheme, will get the benefit of the old pension scheme only when they shall be deposited the Government contribution deposited in their NPS account and the dividend earned thereon till the date of withdrawal, in the Government Fund."
3. After clause (f) of sub-rule (2) of rule 2 of Chapter-1, the following clause shall be added, namely:-
 "(g) These rules shall not be applicable to those Government servants who have been appointed from 01-11-2004 to 31-03-2022 and have opted to continue in the New Contributory Pension Scheme (NPS) in view of the Finance Department's Notification No. F 2016-04-03289/ Finance/Rules/Four, dated 20-01-2023"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATISH PANDEY, Joint Secretary.

64 (6)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

अटल नगर, दिनांक 20 जनवरी 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 4 के खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
“(ii) ये नियम, उन शासकीय सेवकों को, जो कि दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 तक नियुक्ति हुए हैं और वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289 /वि/नि/चार, दिनांक 20-01-2023 के परिपेक्ष्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प का चयन किया है, दिनांक 01-04-2022 से अनिवार्यतः लागू होंगे, किन्तु जिसने नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहने का विकल्प का चयन किया है, को लागू नहीं होंगे।”
2. नियम 4 के उप-नियम (2) का लोप किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतीश पांडेय, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 20th January 2023

NOTIFICATION

Sl. No. F 2016-04-03289/Finance/Rules/Four. - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh General Provident Fund Rules, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (ii) of rule 4, the following clause shall be substituted, namely:-
“(ii) These rules will apply to those government servants who were appointed on 01.11.2004 to 31.03.2022 and have opted for Old Pension Scheme (OPS) in view of finance Department's Notification No. F 2016-04-03289/Finance/Rules/Four, dated 20.01.2023, will be compulsorily applicable from 01.04.2022, but will not be applicable to those who have opted to continue in the New Contributory Pension Scheme (NPS).”
2. Sub-rule (2) of rule 4 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATISH PANDEY, Joint Secretary.

उपपरि 5 12
 संविलियन निर्देश क्र.-01

छत्तीसगढ़ शासन
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नया रायपुर


// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 30/06/2018

क्रमांक एफ. 12/03/2018/2018 द्वारा राज्य शासन के निर्णय अनुसार एतद्वारा शासकीय शालाओं में कार्यरत शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवायें 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी हैं, की सेवाओं का दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है।

संविलियन की सेवा शर्तें निम्नानुसार हैं-


- 1/ संविलियन किये गये शिक्षक (पं./न.नि.) संवर्ग स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक(एल.बी.) संवर्ग के नाम से जाने जायेंगे।
- 2/ स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत पूर्व से संचालित शालाओं में जहाँ ई-संवर्ग के शिक्षक पदस्थ हैं, उन शालाओं में पदस्थ शिक्षक(पं./न.नि.) संवर्ग, नवीन नाम शिक्षक ई(एल.बी.) संवर्ग के तथा जहाँ टी-संवर्ग के शिक्षक पदस्थ हैं, उन शालाओं में पदस्थ शिक्षक (पं./न.नि.) संवर्ग, नवीन नाम शिक्षक टी(एल.बी.) संवर्ग के अंतर्गत होंगे एवं इनका कैडर पृथक-पृथक होगा।
- 3/ शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को दिनांक 01 जुलाई 2018 से 7वें वेतन आयोग की राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुशांसाओं के अनुरूप वेतन एवं अन्य सुविधाएँ देय होंगी।
- 4/ शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन दिनांक 01 जुलाई 2018 से की जायेगी।
- 5/ दिनांक 01 जुलाई 2018 के पूर्व की अवधि के लिये किसी भी प्रकार के एरियर्स की पात्रता नहीं होगी।
- 6/ शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को नवीन अंशकारी वेतन कोषों की पात्रता होगी।


 30-6-18

- 7/ शिक्षक (एल.बो.) संवर्ग की भर्ती, पदोन्नति एवं सेवा नियम स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से बनाए जाकर अधिसूचित किये जायेंगे।
- 8/ किसी भी अन्य विभाग के सेवा एवं भर्ती नियमों में यदि इस आदेश के अंतर्गत निर्मित नियमों से असंगत कोई नियम अथवा प्रावधान हो, तो वे नियम या प्रावधान इस आदेश के प्रावधानों की सीमा तक संशोधित माने जाएंगे। संबंधित विभाग इस आदेश के प्रावधानों से संगत अनुकूलन आदेश अपने सेवा भर्ती नियमों में यथास्थिति अविलंब शामिल कराएगा।
- 9/ शिक्षक (पं./न.नि.) संवर्ग के जारी नियुक्ति आदेश के विरुद्ध यदि किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, तो उनका संविलियन न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(गौरव द्विवेदी)
सचिव

20.6.18

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 30/06/2018

पृ.क्र. एफ.12/03/2018/...20 - दो
प्रतिलिपि:-


- 1/ माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर।
- 2/ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
- 3/ विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग / आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 4/ विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 5/ निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 6/ अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 7/ प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 8/ प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 9/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

पारिशेष - तेईस
पारिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 572) की जानकारी

प्रपत्र

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 572 के प्रश्नांश "क" की जानकारी


क	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदनों/दावों की संख्या				वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या				
			व्यक्तिगत			सामुदायिक	व्यक्तिगत			सामुदायिक	
			एसटी	ओटीएफडी	योग		एसटी	ओटीएफडी	योग		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	
1	2018-19	अकलतरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बलौदा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सक्ती	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2019-20	अकलतरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बलौदा	-	-	-	36	-	-	-	-	36
		सक्ती	-	-	-	24	-	-	-	-	24
		योग	-	-	-	60	-	-	-	-	60
3	2020-21	अकलतरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बलौदा	-	-	-	54	-	-	-	-	46
		सक्ती	18	4	22	66	18	4	22	66	66
		योग	18	4	22	120	18	4	22	112	112
4	2021-22	अकलतरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बलौदा	-	-	-	-	-	-	-	-	8
		सक्ती	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-	-	-	8
4	2022-23	अकलतरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बलौदा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सक्ती	6	23	29	-	6	23	29	-	-
		योग	6	23	29	-	6	23	29	-	-
5	2023-24	अकलतरा	-	5	5	-	-	-	-	-	-
		बलौदा	71	175	246	-	12	44	56	-	-
		योग	71	180	251	-	12	44	56	-	-
6	2024-25 (28.11.2024 तक)	अकलतरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बलौदा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		महायोग	95	207	302	180	36	71	107	180	180


अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - चौबीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 678) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	विकाखण्ड का नाम	आश्रम	छात्रावास	योग
1	2	3	4	5
1	सुकमा	30	14	44
2	कोन्टा	34	14	48
3	छिन्दगढ़	31	16	47
योग		95	44	139


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, बका रायपुर

प्रपत्र "ब"

जिला सुकमा अर्न्तगत भवन विहीन / निर्माणाधीन आश्रम / छात्रावास की स्थलवार / नामवार जानकारी ।

क्रमांक	विकासखण्ड	भवन विहीन आश्रम शाला / छात्रावास का नाम
1	2	3
1	सुकमा	आदिवासी बालक आश्रम गोण्डेरास
2	सुकमा	पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास सुकमा
3	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम डब्बाकोन्टा
4	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम करीगुण्डम
5	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम गंगलेर
6	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम जगरगुण्डा
7	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम मेहता
8	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम नागाराम


क्रं.	विकासखण्ड	निर्माणाधीन आश्रम / छात्रावास का नाम
1	2	3
1	कोन्टा	आदिवासी प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास गोलापल्ली
2	कोन्टा	आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास भेज्जी
3	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम गोलापल्ली
4	कोन्टा	आदिवासी कन्या आश्रम गोलापल्ली
5	सुकमा	आदिवासी कन्या आश्रम कोतरा
6	कोन्टा	आदिवासी कन्या आश्रम बिरला
7	सुकमा	अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास सुकमा
8	सुकमा	आदिवासी प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास झापरा
9	सुकमा	आदिवासी कन्या आश्रम गोंदपल्ली
10	कोन्टा	आदिवासी कन्या आश्रम जगरगुण्डा
11	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम उरसांगल
12	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम सिलगेर
13	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम पालाचलमा
14	कोन्टा	आदिवासी कन्या आश्रम मिसमा
15	कोन्टा	आदिवासी कन्या आश्रम दरभागुड़ा
16	छिन्दगढ़	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास छिन्दगढ़
17	कोन्टा	आदिवासी कन्या आश्रम भेज्जी
18	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम मिनपा
19	कोन्टा	पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास दोरनापाल
20	कोन्टा	पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास गोलापल्ली
21	सुकमा	आदिवासी बालक आश्रम बडेसदटी
22	सुकमा	आदिवासी बालक आश्रम मरकामपारा बोड़को
23	सुकमा	आदिवासी बालक आश्रम मानकापाल

अनुभाष अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, बक्स रायपुर

प्रपत्र "स"

जिला सुकमा अन्तर्गत वर्तमान में भवन विहीन संस्थाओं को निम्नानुसार भवनों में संचालित किया जा रहा है :-

क्रं.	विकास खण्ड	आश्रम शाला / छात्रावास का नाम	भवन की स्थिति	भवन विहीन छात्रावास/आश्रमों की वर्तमान में संचालन की स्थिति
1	2	3	4	5
1	सुकमा	आदिवासी बालक आश्रम गोण्डेरास	भवन विहीन	बालक आश्रम मानकापाल (ग्राम मुरतोण्डा गोलागुड़ा) के भवन में संचालित है।
2	सुकमा	पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग बालक छात्रा	भवन विहीन	पो.मे.बा.छा. सुकमा के भवन में संयुक्त रूप से संचालित है।
3	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम डब्बाकोन्टा	भवन विहीन	ग्राम दोरनापाल के पोटा केबिन भवन में संचालित है।
4	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम करीगुण्डम	भवन विहीन	ग्राम दोरनापाल के पोटा केबिन भवन में संचालित है।
5	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम गंगलेर	भवन विहीन	ग्राम मरईगुड़ा के अस्थाई शेड में संचालित है।
6	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम जगरगुण्डा	भवन विहीन	ग्राम जगरगुण्डा के पुराने हाई स्कूल के भवन में संचालित है।
7	कोन्टा	आदिवासी बालक आश्रम मेहता	भवन विहीन	ग्राम कोन्टा में निर्मित बा.आ. बण्डा के भवन में संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है।



 अनुभाम अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - पच्चीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 698) की जानकारी

प्रपत्र

विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की जानकारी

क्र.	जिला	प्री मैट्रिक	पोस्ट मैट्रिक	योग
1	2	3	4	5
1	सरगुजा	71	18	89
2	सूरजपुर	62	14	76
3	बलरामपुर	68	15	83
4	कोरिया	25	7	32
5	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	42	6	48
6	जशपुर	89	31	120
7	बिलासपुर	51	18	69
8	गौरला	56	7	63
9	मुर्गली	22	9	31
10	कोरबा	109	16	125
11	जांजगीर	43	11	54
12	सक्ती	34	4	38
13	रायगढ़	84	27	111
14	सारंगढ़ बिलाईगढ़	54	7	61
15	रायपुर	30	21	51
16	बलौदाबाजार	56	15	71
17	गरियाबंद	41	7	48
18	महासमुन्द	78	13	91
19	धमतरी	36	8	44
20	दुर्ग	13	21	34
21	बेमेतरा	15	8	23
22	बालोद	57	13	70
23	राजनांदगांव	26	12	38
24	मोहला मानपुर अ.चौकी	56	9	65
25	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	15	6	21
26	कबीरघाम	50	9	59
27	बस्तर	95	38	133
28	कोंडागांव	64	16	80
29	कांकर	101	20	121
30	दंतेवाड़ा	38	20	58
31	सुकमा	33	13	46
32	बीजापुर	42	10	52
33	नारायणपुर	21	8	29
योग		1677	457	2134


अनुभाष अधिकारी
आदिम ज्ञान तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, बलार रायपुर

परिशेष - छब्बोस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 713) की जानकारी

प्रपत्र
दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कृषि

विभाग द्वारा निर्मित चेकडेम

क्र.	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	विकासखंड	ग्राम का नाम	चेकडेम का विवरण/नाम	(राशि रु. लाख में) सिंचित रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	7
1	2020-21	हरित क्रांति विस्तार योजना	दुर्ग	कातरो	कातरो चेकडेम क्र. 03	7.33
2	2021-22	मनरेगा/जिला खनिज न्यास	दुर्ग	थनौद	थनौद चेकडेम क्र. 02	9.02
3		जिला खनिज न्यास		थनौद	थनौद चेकडेम क्र. 04	10.33
4		जिला खनिज न्यास		अछोटी	अछोटी चेकडेम क्र. 01	5.22
5		जिला खनिज न्यास		थनौद	थनौद चेकडेम क्र. 05	8.22
6		जिला खनिज न्यास		अछोटी	अछोटी चेकडेम क्र. 02	7.32
7					गनियाारी	चेकडेम क्र.-1
8			गनियाारी	चेकडेम क्र.-2	2.35	
9			बोरई	चेकडेम क्र.-1	1.78	
10			खुरसुल	चेकडेम क्र.-1	2.35	
11			नगपुरा	चेकडेम क्र.-1	3.00	
12			नगपुरा	चेकडेम क्र.-2	1.52	
13	2022-23	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलग्रहण विकास घटक 2.0 (डब्ल्यू.डी.सी.)	दुर्ग	गनियाारी	चेकडेम क्र.-3	2.35
14			मालूद	चेकडेम क्र.-1	3.72	
15			मालूद	चेकडेम क्र.-2	3.24	
16			बोरई	चेकडेम क्र.-2	3.72	
17			बेलौदी	चेकडेम क्र.-1	2.92	
18			खुरसुल	चेकडेम क्र.-2	3.48	
19			पीपरछेड़ी	चेकडेम क्र.-1	1.87	
	2023-24					0.00
	2024-25					0.00
	(26.11.2024 तक)					80.94
योग						

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - सत्ताईस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 724) की जानकारी

प्रश्न - 31

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित विकासखण्डों में कृषि विभाग द्वारा जनवरी 2022 से 28.11.2024 तक
चेकडेम एवं तालाब निर्माण की जानकारी

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	कार्य का नाम (चेकडेम/ तालाब)	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति																						
										अप्रारंभ	निर्माणाधीन	पूर्ण																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																				
1	2021-22 (जनवरी 2022 से 31.03.2022 तक)	डौण्डीलोहारा	लघुत्तम सिंचाई तालाब	तालाब क्र.- 2	करतुटोला	करतुटोला	40.00	40.00	40.00	-	-	पूर्ण																				
													डौण्डीलोहारा	लघुत्तम सिंचाई तालाब	तालाब क्र.- 2	झीकाटोला	झीकाटोला	24.25	24.25	-	-	पूर्ण										
																							डौण्डीलोहारा	लघुत्तम सिंचाई तालाब	तालाब	चिलमघोटा	चिलमघोटा	40.00	40.00	-	-	पूर्ण
2	2022-23	निरंक																														
3	2023-24	निरंक																														
4	2024-25 (दिनांक 28.11.2024 तक)	गुण्डरदेही	लघुत्तम सिंचाई तालाब	तालाब	रजोली	रजोली	47.15	35.00	0.18	-	निर्माणाधीन	-																				
													योग	191.40	179.25	144.43	-	-														

नोडल अधिकारी (वि.स.)
संयुक्त संचालक कृषि
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

(विकासमित्र)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

जिला-बालोद में जनवरी 2022 से 28.11.2024 तक व्यक्तिगत तालाब हेतु प्राप्त आवेदनों का विवरण

क्र.	कृषक/पिता का नाम	वर्ग	ग्राम	ग्राम पंचायत	विकासखण्ड	संख्या	अनुदान राशि (राशि रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमति रजनी/ कमल कुमार	सामान्य	भरनाभाठ	भरनाभाठ	डौण्डीलोहारा	1	37452.00
2	श्री बीरभान/गोकुल राम	सामान्य	कजराबांधा	कजराबांधा	गुण्डरदेही	1	52500.00
	योग-					2	89952.00

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - अट्टाईस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 726) की जानकारी

प्रपत्र - अ

ग्रीन हाऊस, नेट हाऊस, पॉली हाऊस निर्माण हेतु भुगतान की गई अनुदान राशि की
वर्षवार/विकासखण्डवार/कृषकवार जानकारी

(सहायक संचालक उद्यान जिला-राजनांदगांव)

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित कृषक का नाम	भुगतान की गई अनुदान राशि (राशि रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक	मोहला	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	शेडनेट	श्रीमती शांतिबाई/रजउराम	7.10
		योग -				7.10
2		अ.चौकी		शेडनेट	श्री उमाकांत बाजपेयी/राजशंकर	7.10
3		अ.चौकी		शेडनेट	श्री लक्ष्मण/शिवराम	7.10
		योग -				14.20
4		डोंगरगढ़		शेडनेट	श्री सीतारमैया/जी.व्ही. चिदैया	7.10
		योग -				7.10
5		राजनांदगांव		शेडनेट	श्री राकेश/हेमराय खापर्डे	7.10
6		राजनांदगांव		शेडनेट	श्री प्रदिप/दौलतराम साहू	14.20
		योग -				21.30
7		म6		पॉली हाऊस	श्री नवीन/मानकलाल	10.55
8		राजनांदगांव		पॉली हाऊस	श्री मनोज कुमार/मानकलाल	16.88
9		राजनांदगांव		पॉली हाऊस	श्री संगीता/मनोज	4.68
		योग -				32.105
10		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्री हेमंत कुमार/स्व. गोकुल	2.00
11		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्री डोरेलाल/बहुर सिंग,	2.00
12		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्री अर्जुन सिंह/हिरदेराम साहू,	2.00
13		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्री धनाराम/अलालीराम वर्मा,	2.00
14		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्रीमती प्रतिभा/गजानंद,	2.00
		योग :-				10.00
15	डोंगरगांव	पैक हाऊस	श्रीमती कृष्णा/स्व.नरेशचन्द्र,	2.00		
	योग :-			2.00		
16	छुरिया	पैक हाऊस	श्री कामता प्रसाद/बिजेदास,	2.00		
17	छुरिया	पैक हाऊस	श्री नारद/देवलू,	2.00		
18	छुरिया	पैक हाऊस	श्रीमती ब्राम्हणी/टालेश्वर चन्द्राकर,	2.00		
	योग :-			6.00		

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित कृषक का नाम	भुगतान की गई अनुदान राशि (राशि रु.लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7			
19	जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक	डोगरगढ़	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पैक हाऊस	श्री मलखम/मलिकराम,	2.00			
20		डोगरगढ़		पैक हाऊस	श्रीमती युवरानी/मोतीलाल,	2.00			
		योग :-					4.00		
21		अं. चौकी		पैक हाऊस	श्री लैनदास/देवीदास साहू,	2.00			
22		अं. चौकी		पैक हाऊस	श्रीमती अनुपमा/संतोष नेताम,	2.00			
23		अं. चौकी		पैक हाऊस	श्री पुनऊराम/सनकूराम,	2.00			
24		अं. चौकी		पैक हाऊस	श्री लालकाराम/सुकलुराम,	2.00			
25		अं. चौकी		पैक हाऊस	श्री मोहनलाल/अर्जुन सिंह,	2.00			
26		अं. चौकी		पैक हाऊस	श्री कोमल/हरिराम सिन्हा,	2.00			
27		अं. चौकी		पैक हाऊस	श्री गोपाल/श्यामनारायण मिश्रा,	2.00			
28		अं. चौकी		पैक हाऊस	श्रीमती प्रभा/हीरासिंह सिजोतिया,	2.00			
29		अं. चौकी		पैक हाऊस	श्री उमाकांत/राजशंकर,	2.00			
		योग :-					18.00		
30		मोहला		पैक हाऊस	श्री दीलिप कुमार/बजरूराम,	2.00			
31		मोहला		पैक हाऊस	श्री नरसिंह/सेवताराम,	2.00			
32		मोहला		पैक हाऊस	श्री रामलाल/हगरू,	2.00			
		योग :-					6.00		
33		मानपुर		पैक हाऊस	श्री शिवशंकर/केजुराम कोमरे,	2.00			
34		मानपुर		पैक हाऊस	श्री संतराम/रामसिंग उसारे,	2.00			
		योग :-					4.00		
		कुल योग				शेडनेट हाउस	42.600		
						पॉलीहाउस	32.105		
						पैक हाऊस	50		
1		2022-23		डोगरगढ़	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	शेडनेट	श्री केदारनाथ/चैतराम	10.65	
2				डोगरगढ़		शेडनेट	श्री सिध्दार्थ/आर.एस.विश्वकर्मा	14.20	
3				डोगरगढ़		शेडनेट	श्री गिरिश/पी.एल. देवांगन	7.10	
				योग :-					31.95
4				छुरिया		शेडनेट	श्री केतूराम/दयाराम देवांगन	7.10	
5				छुरिया		शेडनेट	श्री भारतलाल/भागवत	7.10	
				योग :-					14.20
6		राजनांदागांव		शेडनेट	श्री किशन/विजय	7.10			
		योग :-					7.10		
7		मोहला		शेडनेट	श्री श्यामसिंह/महेत्तर	7.10			
		योग					7.10		

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित कृषक का नाम	भुगतान की गई अनुदान राशि (राशि रु.लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2022-23	राजनांदगांव	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉली हाउस	श्रीमती अनिता/राजीव नायडू	16.88	
		योग :-					16.88
2		डोंगरगढ़		पॉली हाउस	श्री गिरिश/पी.एल. देवांगन	16.88	
		योग					16.88
1		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्री आदित्य/अनिल देशलहरा,	2.00	
2		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्री हेमलाल/स्व.श्री धनऊराम साहू,	2.00	
		योग :-					4.00
3		डोंगरगांव		पैक हाऊस	श्रीमती खेमलता/चेतनलाल साहू,	2.00	
		योग :-					2.00
4		अं. चौकी		पैक हाऊस	श्री हनुमान/रामजीलाल खण्डेलवाल,	2.00	
5		अं. चौकी		पैक हाऊस	श्री मो. अकील/हमीद पटेल,	2.00	
		योग :-					4.00
		2022-23		कुल योग	शेडनेट हाउस		60.35
					पॉलीहाउस		33.76
					पैक हाऊस		10
1	2023-24	डोंगरगढ़	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	शेडनेट	श्री चंद्रकुमार/गुहाराम	7.10	
2		डोंगरगढ़		शेडनेट	श्री सुगीयाबाई/प्रहलाद	14.20	
3		डोंगरगढ़		शेडनेट	श्री देवेन्द्र सिंह/रामलाल ठाकुर	14.20	
		योग					35.50
4		डोंगरगांव		शेडनेट	श्री हुकुमचंद/रमेशदत्त	14.20	
		योग					14.20
5		राजनांदगांव		शेडनेट	श्री नयनदास/सावंत	7.10	
6		राजनांदगांव		शेडनेट	श्री अजून/हिरदेराम	14.20	
7		राजनांदगांव		शेडनेट	श्री मुरलीदास/मंशाराम	12.69	
		योग					33.99
8		डोंगरगढ़		पॉली हाउस	श्रीमती साक्षी/गिरिश	16.20	
9		डोंगरगढ़		पॉली हाउस	श्री सुरेश/रामरतन	16.88	
10		डोंगरगढ़		पॉली हाउस	श्री कलीबाई/शशीराम	16.88	
		योग					49.96
11		राजनांदगांव		पॉली हाउस	श्री अंकुश/गुलाब	16.88	
12	राजनांदगांव	पॉली हाउस	श्रीमती मधु/गुलाब	16.88			
13	राजनांदगांव	पॉली हाउस	श्री कौशिक/प्रविण चौहान	4.68			
14	राजनांदगांव	पॉली हाउस	श्री मोरध्वज/दुखुराम	16.88			
15	राजनांदगांव	पॉली हाउस	श्री देवेन्द्र /गंगाराम	16.88			
	योग				72.20		

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित कृषक का नाम	भुगतान की गई अनुदान राशि (राशि रु.लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7		
16	2023-24	राजनांदगांव	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पैक हाऊस	श्री गुंजन कुमार/स्व. जयंतीलाल	2.00		
17		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्री कुशल कुमार/मेहताराम वर्मा,	2.00		
18		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्री चन्द्रशेखर/एस.आर.रावटे,	2.00		
19		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्री मदनलाल/जयलाल पटेल,	2.00		
20		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्री दीनूराम निषाद/सदाराम निषाद,	2.00		
21		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्री टाकेश राम/अंजोरीराम,	2.00		
22		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्री प्रमोद/धरमचंद अग्रवाल,	2.00		
		योग :-					14.00	
23		डोगरगांव		पैक हाऊस	श्री हुकुमचंद/स्व.नरेश दत्त,	2.00		
24		डोगरगांव		पैक हाऊस	श्रीमती जुगाबाई/मोहनलाल,	2.00		
25		डोगरगांव		पैक हाऊस	श्रीमती नीरू/शरद गोस्वामी,	2.00		
26		डोगरगांव		पैक हाऊस	श्री राधेश्याम/बिसालिक सोनकर,	2.00		
		योग :-					8.00	
27		छुरिया		पैक हाऊस	श्रीमती लक्ष्मीबाई/चन्द्रशेखर,	2.00		
28		छुरिया		पैक हाऊस	श्री देवसिंग/उभेराम,	2.00		
29		छुरिया		पैक हाऊस	श्री काशीराम/हेमलाल,	2.00		
30		छुरिया		पैक हाऊस	श्री सतीश/राजेश,	2.00		
31		छुरिया		पैक हाऊस	श्रीमती सुखबती/प्रभुराम,	2.00		
32		छुरिया		पैक हाऊस	श्रीमती जनकबाई/स्व.गौतम,	2.00		
33		छुरिया		पैक हाऊस	श्री संजय कुमार/विदेश कुमार,	2.00		
		योग :-					14.00	
34		डोगरगढ़		पैक हाऊस	श्री दिनेश/कहतलाल वर्मा,	2.00		
35		डोगरगढ़		पैक हाऊस	श्री अगनुराम/कन्हैया,	2.00		
36		डोगरगढ़		पैक हाऊस	श्री देवेन्द्र सिंह/रामलाल,	2.00		
37		डोगरगढ़		पैक हाऊस	श्री सुरेश/रामरतन सिन्हा,	2.00		
38		डोगरगढ़		पैक हाऊस	श्री विश्राम/बखरू,	2.00		
39		डोगरगढ़		पैक हाऊस	श्री कीर्तन/कुंवर सिंह,	2.00		
40		डोगरगढ़		पैक हाऊस	श्री भागवत/मलखम सिन्हा,	2.00		
41		डोगरगढ़		पैक हाऊस	श्रीमती रमशीला/चन्द्रप्रकाश गौरकर,	2.00		
		योग :-					16.00	
		2023-24		कुल योग		शेडनेट हाउस		84
						पॉलीहाउस		122
						पैक हाऊस		52

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित कृषक का नाम	भुगतान की गई अनुदान राशि (राशि रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2024-25 (28.11.2024 तक)	डोंगरगढ़	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	शेडनेट	श्री जितेन्द्र / कहतलाल	वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगावी
2		डोंगरगढ़		शेडनेट	श्री सुखराम / रतिराम	
		योग				
3		राजनांदगांव		शेडनेट	श्री धन्नालाल / अलालीराम	
4		राजनांदगांव		शेडनेट	श्री दीपचंद / हेमलाल	
5		राजनांदगांव		शेडनेट	श्री प्रकाश / हिरजी	
		योग				
6		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्रीमती चन्द्रकांता / किशनलाल निर्मलकर,	
7		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्रीमती निशा / हार्दिक कोटक,	
8		राजनांदगांव		पैक हाऊस	श्री ईश्वरी लाल / दानुराम,	
9	डोंगरगांव	पैक हाऊस	श्री अशोक कुमार / रामप्रसाद,			
10	छुरिया	पैक हाऊस	श्री शिवकुमार / इन्द्रदेव,			
11	2024-25 (28.11.2024 तक)	छुरिया	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पैक हाऊस	श्री भीखमलाल,	-
12		छुरिया		पैक हाऊस	श्री अवधेश सिंह / कृपाल सिंह,	-
13		छुरिया		पैक हाऊस	श्रीमती सुखमा बाई / भागाराम,	-
14		छुरिया		पैक हाऊस	श्री चमारराम / गुहाराम,	-
15		डोंगरगढ़		पैक हाऊस	श्री केदारनाथ / चैतुराम वर्मा,	-
16		डोंगरगढ़		पैक हाऊस	श्री परमानंद / सुखराम वर्मा,	-
17		डोंगरगढ़		पैक हाऊस	श्री नारद / देवलूराम चन्द्रवंशी,	-
18		डोंगरगढ़		पैक हाऊस	श्री सालिक / मंगलू चंदेल,	-
	योग - 2024-25					0.00
		महायोग		शेडनेट हाउस		187
				पॉलीहाउस		188
				पैक हाऊस		112


 (विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

ग्रीन हाऊस, नेट हाऊस, पॉली हाऊस, निर्माण हेतु भुगतान की गई अनुदान राशि की वर्षवार/विकासखण्डवार/कृषकवार जानकारी

(सहायक संचालक उद्यान जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी)

क्रं.	वर्ष	विकास खण्ड	योजना का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित कृषक	भुगतान की गई अनुदान राशि (राशि रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022	वर्ष 2022 (जनवरी) से वर्ष नवंबर 2023 तक अविभाजित जिला राजनांदगांव से संचालित था। अतः जानकारी सहायक संचालक उद्यान जिला-राजनांदगांव में संघारित है।					
2	2022-23						
3(i)	2023-24	अं.चौकी	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	शेड नेट हाउस	श्री विवेके कुमार दामले/यशपाल	7.10	
		योग -				7.10	
ii		मोहला	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	शेड नेट हाउस	श्री बल्लू राम पाल/भूखन सिंह	14.20	
		योग -				14.20	
3(1)		मोहला	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पैक हाउस	श्री ईतवारी/कोल्हू राम	2.00	
2					श्री भुनेश्वर/झीटूराम	2.00	
3					श्री बसंत लाल/बंशीलाल	2.00	
4					श्री चिंता राम/नोहर सिंह	2.00	
5					श्री गोपाल सिंह/गोकूल राम	2.00	
6					श्री जगदीश/जैके सिंह	2.00	
7					श्री झनेश्वर/सालिक राम	2.00	
					योग -		
8	मानपुर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पैक हाउस	श्री रामाधीन/राजाराम	2.00		
9				श्री संपत लाल/नोहर सिंह	2.00		
10				श्री हेमलाल/पल्लुराम	2.00		
	योग -				6.00		
11	अं.चौकी	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पैक हाउस	श्री मनोज कुमार/रूपनारायण	2.00		
12	अं.चौकी			श्री शमीमुद्दीन/समसुद्दीन	2.00		
	योग -				4.00		
		कुल योग	शेडनेट हाउस			21.30	
			पैक हाउस			24.00	
4(1)	2024-25 28.11.2024 तक)	मोहला	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पैक हाउस	श्री मालिक राम/जयलाल		
2					श्री जनक राम/घसिया राम		
3					श्री चन्द्रभान भुआर्य/सन्तानु राम		
4					श्री तिरथ राम/फकीर		
	योग -						
5	2024-25 28.11.2024 तक)	मानपुर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पैक हाउस	श्रीमति कृष्णा देवी/फागू राम		
6					श्री रोहित सलामें/रैनूराम		
7					श्री हुमन लाल/सम्पत लाल		
8					श्री वामन कुमार/सुरूज		
9					श्रीमति संतोषी मंडावी/सगन मंडावी		
10					श्री कोमराज रामटेके/किसन रामटेके		
11	श्री रतन लाल/नम्मू राम						
	योग -						

क्रं.	वर्ष	विकास खण्ड	योजना का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित कृषक	भुगतान की गई अनुदान राशि (राशि रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
12	2024-25 28.11.2024 तक)	अं.चौकी	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पैक हाउस	श्री विनयपाल / यशपाल	
13					श्री कामता सिन्हा / मुरहा राम सिन्हा	
14					श्री भूषण गायकवाड़ / कंवल सिंह	
15					श्री चैतराम / पुनऊ राम	
16					श्रीमति सहेबिन बाई / नारद	
17					श्री लक्ष्मण सिंह / शिवराम	
योग -						
		कुल योग		शेडनेट हाउस		
				पैक हाउस		
		महायोग		शेडनेट हाउस		
				पैक हाउस		

(विकास मिश्र)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-स

उपसंचालक कृषि कार्यालय द्वारा अन्य निर्माण के तहत भुगतान की गई अनुदान राशि की कृषकवार, वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	वर्ष	जिला	विकासखंड	योजना का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित कृषक का नाम	भुगतान की गई अनुदान राशि (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2021-22 (जनवरी 2022 से 31.03.2022 तक)	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	कृषकों के खेतों में गोदाम निर्माण	श्रीमति चन्द्रमुखी साहू	1.50	
2			राजनांदगांव			श्री शैलेन्द्र कुमार	1.50	
3			राजनांदगांव			श्री मनहरण लाल वर्मा	1.50	
4			राजनांदगांव			श्रीमति ललती वर्मा	1.50	
5			राजनांदगांव			श्री देवशरण वर्मा	1.50	
6			डोंगरगाढ़			श्री जैलूराम लोधी	1.50	
7		राजनांदगांव	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त दलहन)	श्री मनहरण वर्मा	1.50			
8		राजनांदगांव	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (चावल)	श्री चुम्मन लाल साहू	1.50			
9	2022-23	राजनांदगांव	छुरिया	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	कृषकों के खेतों में गोदाम निर्माण	श्री नोहर सिंग साहू	1.50	
10			छुरिया			श्री जानूराम साहू	1.50	
11		मोहला-मानपुर- अं.चौकी			निरंक		0.00	
12	2023-24	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (चावल)	कृषकों के खेतों में गोदाम निर्माण	श्री नीलकंठ वर्मा	1.50	
13							श्री मदनलाल जैलाल	1.50
14							श्री किशुन लाल देवांगन	1.50
15							श्री गिरधर सिन्हा	1.50
16							श्री जीवनलाल वर्मा	1.50
17		राजनांदगांव	रा.खा.सु.मि.(दलहन)	श्री कमलेश वर्मा	1.50			

A

क्र.	वर्ष	जिला	विकासखंड	योजना का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित कृषक का नाम	भुगतान की गई अनुदान राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	2023-24	मोहला-मानपुर-चौकी	मानपुर	रेडफेड एरिया डेवलपमेंट	कृषकों के खेतों में गोदाम निर्माण	श्री घासीराम/खंजन	1.50
19						श्री मोहन/जरु राम	0.125
20						श्री सगाराम/बंशीराम	0.125
21						श्री गोकुलराम/दानूराम	0.125
22						श्री सुकराम/मंगल सिंह	0.125
23						श्री अमर सिंह/हीरासिंह	0.125
24						श्री फगनूराम/शेरसिंह	0.125
25						श्रीमती जानकीबाई/अमरसिंह	0.125
26						श्री रजतराम/चमारसिंह	0.125
27						श्री रतिराम/चैनूराम	0.125
28						श्री रतिराम दुग्गा/तीजूराम	0.125
29	2024-25 (दिनांक 28.11.2024 तक)	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (चावल) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	श्री प्रहलाद वर्मा	1.50	
30					श्रीमती पूजा तिवारी	1.50	
31					श्री भूषण लाल	1.50	
32	योग					निरंक	0.00
							31.25

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - उन्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 738) की जानकारी

किसान समृद्धि योजना अंतर्गत वर्षवार, विकासखंडवार लाभान्वित कृषकों की जानकारी


प्रपत्र


क्र.	वर्ष	जिला	दि.खं.	कृषक/पिता का नाम	जाति	ग्राम	प्रदाय अनुदान राशि (रु.)			रिमाक
							खनन	पम्प	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2022-23	राजनांदगांव	छुरिया	श्री एकांत/टालेश्वर	अ.पि.वर्ग	अछोली	15000	20000	35000	
2				श्री मानिकराम/शोभा राम	अ.पि.वर्ग	बम्बनी	15000	20000	35000	
3				श्री गणेशराम/सुकालूराम	अ.पि.वर्ग	घूपसाल	15000	20000	35000	
4				श्री देवनाथ/सुकालूराम	अ.पि.वर्ग	घूपसाल	15000	20000	35000	
5				श्री राधेश्याम/परमेश्वरी	अ.ज.जा.	बडगांव	18000	25000	43000	
6				श्री हेमूराम/रामलाल	अ.ज.जा.	गोडलवाही	18000	25000	43000	
7				श्री कृष्णाराम/जगूराम	अ.पि.वर्ग	जरहामहका	15000	20000	35000	
8				श्री इन्द्र कुमार/भानदास	अ.पि.वर्ग	गहिरामेड़ी	15000	20000	35000	
9				श्री नंदकुमार/विक्रम	अ.ज.जा.	पुरामटोला	18000	-	18000	
10				श्री टीकम सिंह/बाबूलाल	अ.ज.जा.	मालजोगरी	18000	25000	43000	
11				श्री सुंदरलाल/ईतवारी	अ.पि.वर्ग	रेंगाकटेरा	15000	20000	35000	
12				श्री महारसिंह/देवसिंह	अ.ज.जा.	सिंदरापथेला	18000	-	18000	
13				श्रीमती भगंतीन/फूलसिंह	अ.ज.जा.	चिन्हवाटी	18000	-	18000	
योग 2022-23							213000	215000	428000	
1	2023-24	राजनांदगांव	छुरिया	श्री कौशल कुमार/किशनलाल	अ.ज.जा.	चिखलाकसा	18000	25000	43000	
2				श्री हेमलाल/आडूराम	अ.पि.वर्ग	कल्लूबजारी	15000	-	15000	
3				श्रीमति सुशीलाबाई/साधूराम	अ.ज.जा.	मातेखेड़ा	18000	25000	43000	
4				श्री रूपेश कुमार/महाराजीराम	अ.पि.वर्ग	मातेखेड़ा	15000	20000	35000	
5				श्री जयलाल/भीखम	अ.ज.जा.	साव्हेटोला	18000	-	18000	
6				श्रीमति सुरतिया बाई/प्रभाराम	अ.ज.जा.	साव्हेटोला	18000	25000	43000	
7				श्री गैदलाल/मनकलाल	अ.ज.जा.	चारभाठा	18000	25000	43000	
8				श्री पुनज/सुंदरसिंह	अ.ज.जा.	तुरंगढ	18000	-	18000	
9				श्रीमति बिसरीबाई/छबिलाल	अ.ज.जा.	भेजराटोला	18000	25000	43000	
10				श्री धनंजय/मनराखन	अ.ज.	चारभाठा	18000	25000	43000	
11				श्री टेमलाल/तुलसीराम	अ.ज.जा.	बूचाटोला	18000	25000	43000	
12				श्री कामताप्रसाद/सुखूराम	अ.ज.	बिजेपार	18000	25000	43000	

AD

20/12/24

क्र.	वर्ष	जिला	वि.ख.	कृषक/पिता का नाम	जाति	ग्राम	प्रदाय अनुदान राशि (रु.)			रिमार्क
							खनन	पम्प	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13				श्री जितेन्द्र कुमार/महेशराम	अ.पि.वर्मा	चिखलाकसा	15000	20000	35000	
14				श्री गौतम/देवसिंह	अ.ज.जा.	हालाडुला	18000	25000	43000	
15				श्री दशरू/राजाराम	अ.पि.वर्मा	गोटाटोला	15000	20000	35000	
16				श्रीमति कामताबाई/मेहत्तर	अ.जा.	तुरैगढ़	18000	-	18000	
17	2023-24	राजनांदगांव	छुरिया	श्री दीनदयाल/बिरझूराम	अ.ज.जा.	गोपालपुर	-	25000	25000	खनन की अनुदान राशि वर्ष 2021-22 में भुगतान किया गया है।
18		मोहला-मानपुर- अ. चौकी	अ. चौकी	मो. शरीफ/शब्बीर	सामान्य	अ. चौकी	15000	20000	35000	
19				श्री पकज लाल/विसाल सिंह	सामान्य	बिटल	15000	0	15000	
				योग 2023-24			306000	330000	636000	
1	2024-25			श्री सुभाषराम/मनराखन लाल	अ.ज.जा.	रानामटिया	18000	25000	43000	
2	(25.11.24 तक)	राजनांदगांव	छुरिया	श्रीमती लगनी बाई/नारायण लाल	अ.जा.	गिधवाभवंद	18000	0	18000	
				योग 2024-25			36000	25000	61000	
				महायोग (कुल 34 कृषक)			555000	570000	1125000	


(विकास विभाग)
 उप सचिव
 एल.एस.ए. शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा लैंग प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, जटल नगर


 नोडल अधिकारी (वि.स.)
 संयुक्त संघालक कृषि,
 संघालनालय कृषि,
 5 ड.ग. रायपुर

परिशेष - तीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 748) की जानकारी

जिला जांजगीर-बांग में दिनांक 01 जनवरी 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि सहायक सामग्री वितरण का विवरण

प्रपत्र-अ

क्र.	योजना का नाम	सामग्री का विवरण	प्रदाय/वितरित सामग्री		
			इकाई	मात्रा/संख्या	किस्मान संख्या
1	4	5	6	7	8
1	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन - एक्सटेंशन रिफॉर्स (आत्मा)	अरहर बीज	किंव	12.80	160
		राईजोबियम कल्चर	ली.	40.00	
		क्लोरोसाईपर	ली.	160.00	
		माईकोसाईजा	कि.ग्रा	640.00	
		कार्बन्डाजिम + मेनकोजेब	कि.ग्रा	160.00	
		धान बीज	किंव	865.75	
		अरहर बीज	किंव	26.00	
		उड़द	किंव	25.00	
		मूंग	किंव	24.00	
		मूंगफली	किंव	41.10	
2	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल के अंतर्गत बीज ग्राम योजना	तिल	किंव	4.00	4567
		रगनी	किंव	20.16	
		चाप कटर	संख्या	5	
		शेसर	संख्या	14	
		सेटावेटर	संख्या	11	
		स्व-चालित पैडी ट्रन्सप्लाटर	संख्या	7	
		ट्रैक्टर	संख्या	44	
		कम्बाईन हारवेस्टर	संख्या	6	
		कल्टीवेटर	संख्या	2	
		मल्टीकॉप प्लांटर	संख्या	1	
3	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सब-मिशन कम्पॉनेंट-3	पावर विडर	संख्या	1	1

(Handwritten mark)

क्र.	योजना का नाम	सामग्री का विवरण	प्रदाय / वितरित सामग्री		
			इकाई	मात्रा / संख्या	कि.सान संख्या
1	4	5	6	7	8
		ट्रैक्टर	संख्या	11	
		कल्टीवेटर	संख्या	7	
		सीडड्रिल	संख्या	7	
		सिंचाई पंप	संख्या	7	
		स्प्रेयर	संख्या	7	
		कम्बाईन हारवेस्टर	संख्या	4	
		शीपर	संख्या	3	
		शेसर	संख्या	3	
		ट्रैक्टर	संख्या	11	
		कल्टीवेटर	संख्या	11	
		सीडड्रिल	संख्या	11	
		सिंचाई पंप	संख्या	11	
		हेण्ड स्प्रेयर	संख्या	11	
		शीपर	संख्या	11	
		शेसर	संख्या	11	
4	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सब-मिशन कम्पौनेंट-4 - फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना लागत राशि 25.00 लाख रु.				7
5	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सब-मिशन कम्पौनेंट-4 - फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना लागत राशि 10.00 लाख रु.				6
6	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सब-मिशन कम्पौनेंट-6 - चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना (8.00 लाख)				0
7	रेनफेड एरिया डेव्लपमेंट योजना	रागी	क्वटल	5.00	
		जिक एडिटा	कि.ग्रा	75.00	
		कार्बन्डाजिम + मेनकोजेब	कि.ग्रा	50.00	
		क्लोरोपाइरीफास + साईपरमेथीन	ली.	100.00	
		एजोडायरकेटीन	ली.	100.00	
		माईकोराईजा	कि.ग्रा	375.00	
		19:19:19	कि.ग्रा	14.00	
		जिक 33%	कि.ग्रा	2.80	
		चूना	कि.ग्रा	31.25	
8	स्वायत्त हैल्थ कार्ड योजना				80

क्र.	योजना का नाम	सामग्री का विवरण	प्रदाय / वितरित सामग्री		
			इकाई	मात्रा / संख्या	किस्तान संख्या
1	4	5	6	7	8
9	परंपरागत कृषि विकास योजना	सुगंधित धान बीज	क्विं	200.00	946
		जेड.एस.बी	ली.	3000.00	
		एजाडायरेक्टिन	ली.	3000.00	
		पी.एस.बी	ली.	2500.00	
		एजेटीबैक्टर	ली.	2000.00	
		ड्रिप	संख्या	3	
		स्प्रिंकलर	संख्या	75	
		सगरी	क्विं	25.00	
		जिंक एडिटा	कि.ग्रा	500.00	
		माईकोराईजा	कि.ग्रा	2250.00	
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	पेंडामेथलिन	ली.	750.00	260
		क्लोरोपाईरीफास + साईपरमेथीन	ली.	500.00	
		धान	क्विं.	24.00	
		चना	क्विं.	15.00	
		उड़द	क्विं.	10.00	
		पेंडामेथलिन	ली.	280.00	
		बोरान	कि.ग्रा	130.00	
		जेड.एस.बी	ली.	160.00	
		क्लोरोपाईरीफास + साईपरमेथीन	ली.	180.00	
		के.एम.बी	ली.	150.00	
11	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन	माईकोराईजा	कि.ग्रा	300.00	147
		प्रापेनोकोस	ली.	100.00	
		जिंक एडिटा	कि.ग्रा.	100.00	
		इमिडाक्लोप्रिड	ली.	50.00	
13	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा चावल				0
14	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मोटा अनाज				0



क्र.	योजना का नाम	सामग्री का विवरण	प्रदाय / वितरित सामग्री		
			इकाई	मात्रा / संख्या	किस्मान संख्या
1			5	7	8
15	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पोषक अनाज (न्यूट्रीसीरियल)		-	0.00	0
16	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयलसीड्स)		-	0.00	0
17	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)-दलहन		-	0.00	0
18	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)-ऑयलसीड्स		-	0.00	0
	राज्य पोषित योजनाएं				
19	अकली बीज संवर्धन योजना।	धान	क्वि.	124126.25	28213
		गेहूँ	क्वि.	2583.90	938
20	रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना।		-	0.00	0
21	दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना।	उड़द	क्वि.	304.88	22
		मूंग	क्वि.	44.80	3
22	राज्य गन्ना विकास योजना।		-	0.00	0
		गेहूँ	क्वि.	35.40	
		सरसों	क्वि.	7.05	
		कार्बोन्डाजिम	ग्रा.	202.00	
		क्लोरोपायशिकॉस	ली.	88.50	
		एजाडायरेक्टिन	ली.	334.00	
		इमिडाक्लोप्रिड	ली.	141.00	
		उड़द	क्वि.	70.00	
		इमिडाक्लोप्रिड	ली.	330.00	
		कार्बोन्डाजिम	कि.ग्रा.	330.00	
		एजाडायरेक्टिन	ली.	495.00	
		सुगंधित धान बीज	क्विं	60.00	
		सनई बीज	क्विं	60.00	
		के.एम.बी	ली.	750.00	
		माईकोराईजा	कि.ग्रा	1200.00	
		जेड.एस.बी	ली.	750.00	
23	द्वि-फसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम				241
24	ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल को प्रोत्साहन योजना				430
25	जैविक खेती मिशन				300

क्र.	योजना का नाम	सामग्री का विवरण	प्रदाय / वितरित सामग्री		
			इकाई	मात्रा / संख्या	किस्तान संख्या
1	4	5	6	7	8
		एजाडायेरेक्टिन	ली.	900.00	
		ट्राइकोडर्मा विर्डी	कि.ग्रा	600.00	
		बावेरिया बेसियाना	कि.ग्रा	900.00	
		पी.एस.बी	ली.	225.00	
		एजोस्पीरिलियम	ली.	75.00	
26	शाकम्परी योजना	सिंचाई पंप	संख्या	401	401
27	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) निर्माण	-	-	0.00	0

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

कृषकों को कृषि सहायक सामग्री का वितरण

प्रपत्र-ब

जिला	वर्ष	योजना	सामग्री का नाम	इकाई	मात्रा	दर (रुपये में)	राशि (लाख में)	
जांजगीर-बांगण	वर्ष 2023-24 (1 जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक)	राज्य पोषित पोषण बाड़ी योजना	तराई	कि.ग्रा.	74.20	1350.00	1.00	
			शिपडी	कि.ग्रा.	190.00	650.00	1.24	
			लौकी	कि.ग्रा.	12.00	1300.00	0.16	
			योग बीज		276.20		2.39	
			योग 2023-24		276.20		2.39	
			जिला खनिज न्यास निधि		1252.00	6484.50	81.19	
			पावर बीडर	संख्या	107.00	75456.00	80.74	
			योग यंत्र		1359.00		161.92	
			राज्य पोषित योजना (पोषण बाड़ी एवं सघन फलोद्यान)	वर्मीकम्पोस्ट	कि.ग्रा.	58500.00	10.00	5.85
			तराई	कि.ग्रा.	45.00	1400.00	0.63	
	सेम	कि.ग्रा.	91.85	550.00	0.51			
	अमारीभाजी	कि.ग्रा.	98.00	670.00	0.66			
	बरबट्टी	कि.ग्रा.	45.00	700.00	0.32			
	तराई	कि.ग्रा.	45.00	1350.00	0.61			
	बरबट्टी	कि.ग्रा.	18.00	700.00	0.13			
	योग बीज		342.85		2.84			
	शकरकंद कटिंग	संख्या	3455.00	20.00	0.69			
	कुंदरू कटिंग	संख्या	5720.00	20.00	1.14			
	टमाटर पौध	संख्या	14115.00	1.50	0.21			
	फलदार पौध	संख्या	11700.00	20.00	2.34			
राज्य पोषित फल क्षेत्र विस्तार योजना	कलमी आम पौध	संख्या	6000.00	38.00	2.28			
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	अमरुद पौध	संख्या	1280.00	55.00	0.70			
योग पौध	नीबू	संख्या	720.00	55.00	0.40			
योग 2024-25			42990.00		7.77			
योग 2023-24 एवं 2024-25					178.38			
					180.77			

(विकास निष्ठा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - इकतीस
परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 34 (क्र. 749) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	वर्ग	आश्रम				छात्रावास			
		छात्र		छात्रा		छात्र		छात्रा	
		संस्था	सीट	संस्था	सीट	संस्था	सीट	संस्था	सीट
1	अ.जा.	0	0	1	50	18	740	29	1430
2	अ.ज.जा.	0	0	0	0	5	250	1	50
3	अ.पि.व.	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	1	50	23	990	30	1480


Quail
अनुभाग अधिकारी
भादिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशिए - बत्तीस
पारोशिएत अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 752) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्ष 2024-25 (दिनांक 12.12.2024 तक) किसान पंजीयन एवं रकबा की जानकारी


क्र.	जिला	पंजीकृत किसान	
		कुल किसान	कुल रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1	बस्तर	52414	77187.10
2	बीजापुर	20641	47480.74
3	दन्तेवाड़ा	16113	42605.94
4	काकेर	105589	144284.85
5	कोडागाव	55688	81660.56
6	नारायणपुर	12021	19256.66
7	सुकमा	18503	45583.68
8	बिलासपुर	137745	143989.78
9	गौरला पेन्डा मरवाही	24490	34935.79
10	जांजगीर चाम्पा	126975	128712.71
11	कोरबा	54091	72245.92
12	मंगेली	110529	114237.32
13	रायगढ़	85100	125105.75
14	सक्ती	94607	101686.67
15	सारगढ़ बिलाईगढ़	89590	93885.08
16	बालोद	154240	165382.93
17	बेमेतरा	164706	191062.24
18	दुर्ग	114777	122686.10
19	कवधी	129028	131336.72
20	राजनादगाव	133033	156602.36
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	71555	84395.22
22	मोहला मानपुर अं.चौकी	44878	67702.29
23	बलौदाबाजार	167857	177358.96
24	धमतरी	128396	129144.30
25	गरियाबंद	91140	112704.43
26	महासमुंद	162308	230023.23
27	रायपुर	139361	143096.53
28	बलरामपुर	51562	63171.96
29	जशपुर	51214	94081.67
30	कोरिया	23032	29576.08
31	सरगुजा	62407	79525.68
32	सूरजपुर	64677	87062.59
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	20163	25551.71
योग:-		2778430	3363323.56


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

वर्ष 2023-24 में किसान पंजीयन एवं रकबा की जानकारी

क्र.	जिला	पंजीकृत किसान	
		कुल किसान	कुल रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1	बस्तर	54939	83197.73
2	बीजापुर	19506	46464.13
3	दन्तेवाड़ा	15452	43121.62
4	कांकेर	101237	141650.19
5	कोंडागांव	52032	80277.77
6	नारायणपुर	11232	18862.64
7	सुकमा	16932	44881.90
8	बिलासपुर	132562	146759.62
9	गौरैला पेन्ड्रा मरवाही	23294	34454.75
10	जांजगीर चाम्पा	122836	129583.87
11	कोरबा	51183	71958.89
12	मुंगेली	104793	113189.97
13	रायगढ़	83056	127388.34
14	सक्ती	91957	102305.12
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	86406	94391.65
16	बालोद	149161	164131.21
17	बेमेतरा	158733	187905.10
18	दुर्ग	110762	121580.91
19	कवर्धा	119897	125800.50
20	राजनांदगांव	128069	155263.93
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	68181	82311.41
22	मोहला मानपुर अं.चौकी	43186	66269.97
23	बलौदाबाजार	160817	175965.71
24	धमतरी	125080	128874.62
25	गरियाबंद	87631	112639.63
26	महासमुंद	157444	231679.20
27	रायपुर	134427	142958.16
28	बलरामपुर	48148	63769.32
29	जशपुर	45594	85765.22
30	कोरिया	22347	30650.42
31	सरगुजा	58483	77325.32
32	सुरजपुर	60213	83628.97
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	18070	24219.21
योग:-		2663660	3339227.00


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

धान बेचने वाले किसानों की संख्या, धान उपार्जन एवं भुगतान की जानकारी

क्र.	जिला	उपार्जित धान की मात्रा (मेट्रिक टन) दिनांक 28.11.2024 की स्थिति में	दिनांक 28.11.2024 तक धान बेचने वाले किसानों की संख्या	भुगतान योग्य राशि (रु. में)	दिनांक 29.11.2024 तक भुगतान की गई राशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6
1	बस्तर	8983.76	1716	206626480	206626480
2	बीजापुर	185.72	69	4271560	4271560
3	दन्तेवाड़ा	55.48	31	1276040	1276040
4	कांकेर	62269.60	12815	1432237040	1432237040
5	कोंडागांव	31191.72	5537	717453656	717453656
6	नारायणपुर	781.96	195	17985080	17985080
7	सुकमा	68.88	14	1584240	1584240
8	बिलासपुर	52545.52	11964	1208649928	1208649928
9	गौरैला पेन्द्रा मरवाही	14473.60	2639	332949560	332949560
10	जांजगीर चाम्पा	9434.00	2313	216982000	216982000
11	कोरबा	4930.72	1035	113406560	113406560
12	मुंगेली	60656.96	13475	1395142992	1395142992
13	रायगढ़	7318.00	1290	168314000	168314000
14	सक्ती	2017.56	425	46403880	46403880
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	25968.80	5837	597283608	597283608
16	बालोद	131255.12	30650	3032526320	3032526320
17	बेमेतरा	165750.60	31732	3815241216	3815241216
18	दुर्ग	90953.96	19461	2095194936	2095194936
19	कवर्धा	93286.56	19353	2153391144	2153391144
20	राजनांदगांव	144362.16	29607	3332760256	3332760256
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	78022.64	14522	1799343056	1799343056
22	मोहला मानपुर अं.चौकी	33642.08	6889	778688464	778688464
23	बलौदाबाजार	100338.64	23684	2307941136	2307941136
24	धमतरी	114132.80	26004	2631764200	2631764200
25	गरियाबंद	75304.12	16166	1733549480	1733549480
26	महासमुंद	129765.04	26675	2984599152	2984599152
27	रायपुर	110967.80	26210	2554247536	2554247536
28	बलरामपुर	1778.24	336	40899520	40899520
29	जशपुर	3196.56	505	73520880	73520880
30	कोरिया	7904.48	1674	181803040	181803040
31	सरगुजा	16463.36	3359	378657280	378657280
32	सुरजपुर	15455.36	3052	355473280	355473280
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	3589.40	838	82556200	82556200
योग:-		1597051.20	340072	36792723720	36792723720

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - तैतीस
परिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 753) की जानकारी

प्रपत्र


वर्ष 2023-24 के छात्रावास/आश्रमों में अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय के लिए प्री-फेब्रिकेटेड निर्माण कार्य की जानकारी

(प्राप्ति रु. लाखों में)

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि	प्री-फेब-स्ट्रक्चर स्वीकृत संस्था का नाम	प्री-फेब-स्ट्रक्चर सवक निर्माण का वास्तविक स्थान		कार्य पूर्णता की स्थिति			व्यय राशि	शेष राशि
					संस्था का नाम जिस परिसर में निर्माणशील	विकासखण्ड	पूर्ण	अपूर्ण	अध्यास		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सरगुजा	2023-24	192.96	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास अम्बिकापुर,	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास अम्बिकापुर,	उदयपुर	पूर्ण	-	-	69.18	54.57
2				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास सलका,	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास उदयपुर (02 यूनिट)	उदयपुर	पूर्ण	-	-	69.18	
3				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास अम्बिकापुर,	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास उदयपुर (02 यूनिट)	अम्बिकापुर	पूर्ण	-	-	69.21	
4				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास अम्बिकापुर,	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास घघरी (02 यूनिट)	अम्बिकापुर	पूर्ण	-	-	69.21	
5				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास अम्बिकापुर,	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास अम्बिकापुर,	-	-	-	-	-	-
6				प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास अम्बिकापुर	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास अम्बिकापुर	-	-	-	-	-	-
7				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास कुसमी,	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास कुसमी, (02 यूनिट)	कुसमी	पूर्ण	-	-	69.23	-
8				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास कुसमी,	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास कुसमी, (02 यूनिट)	कुसमी	पूर्ण	-	-	69.23	-
9				आदिवासी बालक आश्रम कुसमी,	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास वाङ्कनगर (दो कि.मी. की दूरी पर ग्राम कोटराही के हाईस्कूल परिसर में) (02 यूनिट)	वाङ्कनगर	पूर्ण	-	-	69.28	-
10				आदिवासी कन्या आश्रम कुसमी,	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास वाङ्कनगर (02 यूनिट)	वाङ्कनगर	पूर्ण	-	-	69.28	-
11	बलरामपुर	2023-24	321.60	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास रामानुजगंज,	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास रामानुजगंज (02 यूनिट)	रामानुजगंज	पूर्ण	-	-	69.24	0.00
12				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास रामानुजगंज,	250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास रामानुजगंज (02 यूनिट)	रामानुजगंज	पूर्ण	-	-	69.24	0.00
13				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास राजपुर,	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास राजपुर, (02 यूनिट)	राजपुर	पूर्ण	-	-	69.30	-
14				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास राजपुर,	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास राजपुर, (02 यूनिट)	राजपुर	पूर्ण	-	-	69.30	-
15				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास शंकरगढ़,	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास शंकरगढ़ (02 यूनिट)	शंकरगढ़	पूर्ण	-	-	69.00	-
16				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास शंकरगढ़,	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास शंकरगढ़ (02 यूनिट)	शंकरगढ़	पूर्ण	-	-	69.00	-
17				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास प्रतापपुर,	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास प्रतापपुर, (02 यूनिट)	प्रतापपुर	पूर्ण	-	-	69.02	-
18				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास प्रतापपुर,	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास प्रतापपुर, (02 यूनिट)	प्रतापपुर	पूर्ण	-	-	69.02	-
19				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास प्रेमनगर,	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास प्रेमनगर, (02 यूनिट)	प्रेमनगर	पूर्ण	-	-	67.48	0.00
20	सूरजपुर	2023-24	192.96	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास प्रेमनगर,	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास प्रेमनगर, (02 यूनिट)	प्रेमनगर	पूर्ण	-	-	67.48	0.00
21				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास ओडगी,	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास ओडगी, (02 यूनिट)	ओडगी	पूर्ण	-	-	68.95	-
22				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास ओडगी,	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास ओडगी, (02 यूनिट)	ओडगी	पूर्ण	-	-	68.95	-
23				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास सोनहट	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास सोनहट (02 यूनिट)	सोनहट	पूर्ण	-	-	69.38	0.00
24				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास सोनहट	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास सोनहट (02 यूनिट)	सोनहट	पूर्ण	-	-	69.38	0.00
25				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास पोड़ी	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास जनकपुर (02 यूनिट)	भरतपुर	पूर्ण	-	-	68.82	-
26				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास पोड़ी	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास जनकपुर (02 यूनिट)	भरतपुर	पूर्ण	-	-	68.82	-
27				आदिवासी बालक आश्रम नीमगांव,	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास जशपुर (02 यूनिट)	जशपुर	पूर्ण	-	-	69.31	-
28				प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास घोलेग,	250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास जशपुर (02 यूनिट)	जशपुर	पूर्ण	-	-	69.31	-
29				आदिवासी बालक आश्रम बटाईकला,	आदिवासी बालक आश्रम सराईटोला (02 यूनिट)	पथलगांव	पूर्ण	-	-	34.70	56.57
30	जशपुर	2023-24	192.96	आदिवासी कन्या आश्रम बटाईकला,	आदिवासी कन्या आश्रम बटाईकला, (02 यूनिट)	कासाबेल	पूर्ण	-	-	34.70	56.57
31				बालक आश्रम बालाझार,	आदिवासी बालक आश्रम सराईटोला (02 यूनिट)	पथलगांव	पूर्ण	-	-	32.38	-
32				प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास बालाझार	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास बालाझार (02 यूनिट)	पथलगांव	-	-	-	-	-

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि	प्री-फेब-सूकर मवन स्वीकृत संस्था का नाम	प्री-फेब-सूकर मवन निर्माण का वास्तविक स्थान		विकासखण्ड	कार्य पूर्णता की स्थिति				व्यय राशि	शेष राशि
					संस्था का नाम जिस परिसर में निर्माणधीन	6		7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
33	रायगढ़	2023-24	96.48	विरहोर बालक आश्रम धरमजयगढ़, बालक आश्रम चोड़हा	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास धरमजयगढ़ (02 यूनिट)	धरमजयगढ़	पूर्ण	-	-	67.76	28.72		
34				प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास धरमजयगढ़, प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास मानपुर,	250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास धरमजयगढ़ (02 यूनिट)	धरमजयगढ़	पूर्ण	-	-	63.92	0.00		
35				प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास मानपुर, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास मानपुर,	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पोड़ीउपरोड़ा (02 यूनिट)	पोड़ीउपरोड़ा	पूर्ण	-	-	67.69			
36	कोरवा	2023-24	128.64	प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास पोड़ीउपरोड़ा, आदिवासी कन्या आश्रम पाली, प्री.मै. आदिवासी बालक आश्रम पाली	प्री.मै.आदि. कन्या छात्रावास पोड़ीउपरोड़ा, (02 यूनिट) कस्तूरबा छात्रावास पाली (02 यूनिट)	पाली	पूर्ण	-	-	134.90	0.00		
37				प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास मानपुर, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास मोहला, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास मोहला	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास चौकी (02 यूनिट)	चौकी	पूर्ण	-	-	69.40	0.00		
38	राजनांदगांव (मोहला-मानपुर र-चौकी)	2023-24	128.64	प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास मानपुर, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास मानपुर, आदि. कन्या आश्रम दरभामुड़ा, आदि. कन्या आश्रम डोडरा, आदि. बालक डोलेराम, आदि. कन्या डोलेराम	250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास चौकी (02 यूनिट) 250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास चौकी (02 यूनिट) 250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास चौकी (02 यूनिट) 250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास कोन्दा (02 यूनिट) 250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास कोन्दा (02 यूनिट) 250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास सुकमा (02 यूनिट)	कोन्दा	पूर्ण	-	-	68.67	0.00		
39	सुकमा	2023-24	128.64	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास दत्तेवाड़ा, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास दत्तेवाड़ा	250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास सुकमा (02 यूनिट)	सुकमा	पूर्ण	-	-	69.45	0.00		
40				आदि. बालक आश्रम टिकनपाल, आदि. कन्या आश्रम टिकनपाल	100 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास जावगा (02 यूनिट)	रीदम	पूर्ण	-	-	69.44	0.00		
41	दत्तेवाड़ा	2023-24	128.64	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास छोटेंडोंगर, आदिवासी कन्या आश्रम छोटेंडोंगर	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुआकोन्दा (02 यूनिट) प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास कुआकोन्दा (02 यूनिट)	कुआकोन्दा	पूर्ण	-	-	69.51	0.00		
42	नारायणपुर	2023-24	64.32	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास फरसगांव, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास फरसगांव	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास छोटेडोंगर (02 यूनिट)	नारायणपुर	पूर्ण	-	-	103.73			
43				प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास फरसगांव, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास फरसगांव	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास फरसगांव(3-3 यूनिट)	फरसगांव	पूर्ण	-	-	69.41	0.00		
44				प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास केशकाल, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास केशकाल	250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास फरसगांव(3-3 यूनिट)		पूर्ण	-	-				
45				प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास केशकाल, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास केशकाल	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास केशकाल(1-1 यूनिट)	केशकाल	पूर्ण	-	-				
46	कोण्डागांव	2023-24	257.28	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास केशकाल, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास केशकाल	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास केशकाल(1-1 यूनिट)	केशकाल	पूर्ण	-	-	103.76			
47				प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास केशकाल, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास केशकाल	250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास केशकाल(1-1 यूनिट)	कोण्डागांव	पूर्ण	-	-	68.76			
48				प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास कोण्डागांव, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास कोण्डागांव	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास कोण्डागांव(3-3 यूनिट)		पूर्ण	-	-	68.6	9.47		
49				प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास कांकेर, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास कांकेर	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास कांकेर (02 यूनिट)	कांकेर	पूर्ण	-	-	41.01			
50				प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास मानुप्रतापपुर, प्री.मै.आदि.कन्या छात्रावास मानुप्रतापपुर	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मानुप्रतापपुर (02 यूनिट)	मानुप्रतापपुर	पूर्ण	-	-	69.44			
51				प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास नरहरपुर, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास नरहरपुर	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास मानुप्रतापपुर (02 यूनिट)		पूर्ण	-	-				
52				प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास नरहरपुर, प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास नरहरपुर	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास नरहरपुर (02 यूनिट)	नरहरपुर	पूर्ण	-	-				
53				प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास दुर्गकोदल, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास दुर्गकोदल	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास नरहरपुर (02 यूनिट)	दुर्गकोदल	पूर्ण	-	-				
54				प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास दुर्गकोदल, प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास दुर्गकोदल	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास दुर्गकोदल (02 यूनिट)		पूर्ण	-	-				
55	कांकेर	2023-24	257.28	आदिवासी बालक आश्रम बीजापुर, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास बीजापुर	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास बीजापुर (02 यूनिट)	बीजापुर	पूर्ण	-	-	56.21	1.04		
56				आदिवासी बालक आश्रम रुदराराम, प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास रुदराराम	250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास रुदराराम (मोपालपट्टनम) (02 यूनिट)		पूर्ण	-	-	66.29			
57				आदिवासी बालक आश्रम माठीगुड़ा, आदिवासी कन्या आश्रम माठीगुड़ा	प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास रुदराराम (मोपालपट्टनम) (02 यूनिट) प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास दुर्बाईगुड़ा (आवापल्ली) (02 यूनिट)	मोपालपट्टनम	पूर्ण	-	-	69.42			
58				आदिवासी कन्या आश्रम माठीगुड़ा	प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास दुर्बाईगुड़ा (आवापल्ली) (02 यूनिट)	उत्तूर	पूर्ण	-	-				

क्रं.	जिले का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि	प्री-फेब-स्ट्रक्चर स्वीकृत संस्था का नाम	प्री-फेब-स्ट्रक्चर सवन निर्माण का वास्तविक स्थान		कार्य पूर्णता की स्थिति		व्यय राशि	शेष राशि	
					संस्था का नाम जिस परिसर में निर्माणधीन	विकासखण्ड	पूर्ण	अपूर्ण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76				प्री.मै.आदि. बालक छात्रावास लोकापाल,	500 सीटर विज्ञान विकास केंद्र छात्रावास धुरगुड़ा (02 यूनिट)		पूर्ण	-	-		
77				प्री.मै.आदि. कन्या छात्रावास लोकापाल	500 सीटर विज्ञान विकास केंद्र छात्रावास धुरगुड़ा (02 यूनिट)		पूर्ण	-	-	69.39	
78				प्री.मै.आदि. बालक छात्रावास छिन्दवाड़ा,	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास धरमपुरा (02 यूनिट)	जगदलपुर	पूर्ण	-	-		
79	बरार	2023-24	225.12	प्री.मै.आदि. कन्या छात्रावास छिन्दवाड़ा	250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास धरमपुरा (02 यूनिट)		पूर्ण	-	-	69.46	0.00
80				प्री.मै.आदि. बालक छात्रावास कोडेनार,	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास बासतानार(1-1 यूनिट)	बासतानार	पूर्ण	-	-		
81				प्री.मै.आदि. कन्या छात्रावास कोडेनार	250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास बासतानार(1-1 यूनिट)		पूर्ण	-	-	34.72	
82				प्री.मै.आदि. कन्या छात्रावास लोण्डीगुड़ा	प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास गढ़िया लोण्डीगुड़ा (4-4 यूनिट)	लोण्डीगुड़ा	पूर्ण	-	-	69.39	
83	गोरेला पण्ड्रा मरवाही	2023-24	64.32	प्री.मै.आदि.बालक आदिवासी छात्रावास गोरेला,	250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास गोरेला (02 यूनिट)	गोरेला	पूर्ण	-	-	67.44	0.00
84				प्री.मै.आदि. कन्या आदिवासी छात्रावास गोरेला	250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास गोरेला (02 यूनिट)		पूर्ण	-	-		
85	गरियाबंद	2023-24	64.32	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर	कन्या श्रृजिया आश्रम पीपरछेड़ी (02 यूनिट)	मैनपुर	-	अपूर्ण	-	0	64.32
86				प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास मैनपुर	कन्या श्रृजिया आश्रम पीपरछेड़ी (02 यूनिट)		-	अपूर्ण	-		
		योग :-								2672	214.69


 अनुभाम अधिकारी
 अतिरिक्त सचिव तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर


परिशेष - चौतीस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 757) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	प्रदायित सामग्री का नाम	प्रदाय सामग्री संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या		
1	2	3	4	5	6	7		
1	वर्ष 2022-23 (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	बलौदाबाजार	शेसर	1	1		
				ट्रैक्टर	4	4		
			योग				5	5
			कसडोल	शेसर	9	9		
				ट्रैक्टर	4	4		
				कम्बाईन हार्वेस्टर	2	2		
			योग				15	15
			पलारी	मिनी राईस मिल	3	3		
				ट्रैक्टर	6	6		
				शेसर	2	2		
		योग				11	11	
		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	पलारी	ट्रैक्टर	2	2		
				कल्टीवेटर	2			
				सीडड्रिल	2			
स्प्रेयर	2							
कम्बाईन हार्वेस्टर	2							
योग				10	2			
योग वर्ष 2022-23 (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक)					41	33		
2	वर्ष 2023-24	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	बलौदाबाजार	चैफ कटर	1	1		
				शेसर	3	3		
				पावर वीडर	1	1		
				ट्रैक्टर	8	8		
			योग				13	13
		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	बलौदाबाजार	ट्रैक्टर	1	1		
				कल्टीवेटर	1			
				सीडड्रिल	1			
				स्प्रेयर	1			
				कम्बाईन हार्वेस्टर	1			
		योग				5	1	
		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कसडोल	मिनी दाल मिल	1	1		
				शेसर	20	20		
				पावर वीडर	1	1		
स्व-चलित पैडी ट्रांसप्लाटर	2			2				
ट्रैक्टर	4			4				
योग				28	28			

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	प्रदायित सामग्री का नाम	प्रदाय सामग्री संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7
2	वर्ष 2023-24	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	पलारी	थ्रेसर	2	2
				पावर वीडर	1	1
				स्व-चलित पैडी ट्रांसप्लान्टर	1	1
				ट्रैक्टर	6	6
			योग	10	10	
		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	पलारी	ट्रैक्टर	1	1
				कल्टीवेटर	1	
				सीडड्रिल	1	
				स्प्रेयर	1	
			कम्बाईन हार्वेस्टर	1		
योग	5	1				
योग (वर्ष 2023-24)					61	53
3	वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.11.2024 तक)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	बलौदाबाजार	कल्टीवेटर	1	1
				थ्रेसर	7	7
				पावर वीडर	1	1
				रोटावेटर	5	5
				ट्रैक्टर	4	4
			योग	18	18	
			कसडोल	कम्बाईन हार्वेस्टर	3	3
				कल्टीवेटर	1	1
				थ्रेसर	5	5
				रोटावेटर	2	2
				स्व-चलित रीपर	1	1
				ट्रैक्टर	17	17
			योग	29	29	
			पलारी	कम्बाईन हार्वेस्टर	1	1
				मिनी राईस मिल	1	1
				थ्रेसर	4	4
				पावर टिलर	1	1
रोटावेटर	2	2				
योग	9	9				

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	प्रदायित सामग्री का नाम	प्रदाय सामग्री संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7
3	वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.11.2024 तक)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्वीपना	पलारी	ट्रैक्टर	1	1
				कल्टीवेटर	1	
				सीडड्रिल	1	
				स्प्रेयर	1	
				कम्बाईन हार्वेस्टर	1	
योग				5	1	
योग वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.11.2024 तक)					61	57
महायोग					163	143


 (विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - पेंतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 761) की जानकारी


प्रपत्र

मण्डल के निर्मित रिक्त भवनों की जिलावार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	भवनों का प्रकार (श्रेणी)	कुल निर्मित भवनों की संख्या	कुल आबंटित भवनों की संख्या	कुल रिक्त भवनों की संख्या	रिक्त भवनों का कुल मूल्य (राशि लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	EWS	6511	6055	456	2042.22
		LIG	5079	4780	299	2503.58
		MIG	1950	1310	640	13784.37
		HIG	1758	1286	472	14447.31
	कुल		15298	13431	1867	32777.48
2	महासमुंद	EWS	448	428	20	83.10
		MIG	7	4	3	117.60
	कुल		455	432	23	200.70
3	बलौदाबाजार	EWS	61	60	1	3.40
		LIG	86	85	1	9.05
		MIG	5	3	2	47.10
	कुल		152	148	4	59.55
4	दुर्ग	HIG	81	68	13	379.47
		MIG	591	473	118	3179.52
		LIG	1602	1410	192	1743.79
		EWS	2931	2730	201	1012.60
	कुल		5205	4681	524	6314.83
5	राजनांदगांव	EWS	808	651	157	513.81
		LIG	584	568	16	152.69
	कुल		1392	1219	173	666.50
6	बेमेतरा	LIG	78	53	25	350.00
	कुल		78	53	25	350.00
7	धमतरी	EWS	263	243	17	42.90

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

		LIG	12	8	4	50.19
		MIG	18	6	12	187.97
		HIG	0	0	0	0.00
	कुल		293	257	33	281.06
8	बालोद	EWS	154	151	3	14.40
		LIG	133	111	22	171.60
		MIG	51	43	8	196.83
		HIG	12	12	0	0.00
	कुल		350	317	33	382.83
9	बस्तर	HIG	21	17	4	185.60
		MIG	21	20	1	36.83
		LIG	440	427	13	297.97
		EWS	20	19	1	7.37
	कुल		502	483	19	527.77
10	दंतेवाड़ा	LIG	20	14	6	67.68
		EWS	280	256	24	91.02
	कुल		300	270	30	158.70
11	कांकेर (30 बस्तर)	EWS	66	41	25	56.25
	कुल		66	41	25	56.25
12	बिलासपुर	EWS	967	788	179	523.59
		LIG	0	0	0	0.00
		MIG	176	99	77	2047.95
		HIG	135	58	77	3604.25
	कुल		1278	945	333	6175.79
13	रायगढ़	EWS	764	592	172	424.90
		LIG	0	0	0	0.00
		MIG	8	4	4	69.52
		HIG	4	2	2	45.40
	कुल		776	598	178	539.82
14	कोरबा	EWS	245	239	6	29.60
		LIG	1492	1468	24	161.96


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

		MIG	190	106	84	1757.56
		HIG	33	32	1	27.04
	कुल		1960	1845	115	1976.16
15	गौरिला पेण्ड्रा मरवाही	LIG	38	37	1	10.88
	कुल		38	37	1	10.88
16	जांजगीर चाम्पा	EWS	130	130	0	0.00
		LIG	311	311	0	0.00
		MIG	76	74	2	83.46
		HIG	185	185	0	0.00
	कुल		702	700	2	83.46
17	सरगुजा	EWS	42	41	1	2.62
	कुल		42	41	1	2.62
18	कोरिया	EWS	94	69	25	46.25
	कुल		94	69	25	46.25
19	जशपुर	EWS	70	36	34	68.99
	कुल		70	36	34	68.99
	महायोग		29051	25603	3445	50679.64

=

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - छत्तीस
पारोवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 39 (क्र. 769) को जानकारी

प्रपत्र

राज्य विपणन विकास निधि से स्वीकृत/प्रगतिरत/पूर्ण कार्य

क्र.	मंडी/ मंडी क्षेत्र	ग्राम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख मे)	एजेंसी का नाम	भुगतान राशि (लाख मे)	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजनांदगांव	जोगीदल्ली	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगढ़ अंतर्गत ग्राम पचायत भैसातरा एवं ग्राम जोगीदल्ली में शीतला भवन एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य। (10.20/9.20 मी)	12.81	भरत वर्मा	7.48	पूर्ण
						5.00	
2		जोगीदल्ली	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगढ़ अंतर्गत ग्राम पचायत भैसातरा/ग्राम जोगीदल्ली सी.सी. रोड निर्माण कार्य। (700 मी.)	25.34	जे.डी. कस्ट्रक्शन	16.94	पूर्ण/अंतिम मूल्यांकन शेष
योग :-				38.15		29.42	


मंडी समिति निधि से प्रस्तावित/स्वीकृत/प्रगतिरत/पूर्ण कार्य

क्र.	मंडी/ मंडी क्षेत्र	ग्राम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख मे)	एजेंसी का नाम	भुगतान राशि (लाख मे)	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजनांदगांव	मुख्य मंडी प्रांगण राजनांदगांव	अनाज मंडी एवं थोक सब्जी मंडी की बाउण्ड्रीवाल डिसमेटल/रिपेरिंग एवं नया निर्माण।	35.86	-	0.00	अनुबंध स्तर
2			अनाज मंडी एवं थोक सब्जी मंडी 02 नग सुलभ शौचालय निर्माण।	20.80	-	0.00	अनुबंध स्तर
3			कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव में व्यापारी विश्राम गृह निर्माण।	73.05	-	0.00	अनुबंध स्तर
4			कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव की अनाज मंडी प्रांगण के सब्जी मंडी प्रांगण में व्यापारी शॉप 20 नग निर्माण।	41.78	-	0.00	अनुबंध स्तर
5			अनाज मंडी प्रांगण एवं थोक फल सब्जी मंडी प्रांगण यूरिनल टायलेट 02 नग निर्माण	20.97	-	0.00	अनुबंध स्तर
6			कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव की अनाज मंडी प्रांगण के सब्जी मंडी प्रांगण में सी.सी.रोड के उपर बी.टी. रोड निर्माण कार्य	137.33	-	0.00	निविदा स्तर पर
7			मंडी प्रांगण में निर्माणाधीन 02 नग 1800 मे.टन. गोदाम के मध्यम सी.सी. यार्ड एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	44.84	-	0.00	निविदा स्तर पर
8			अनाज मंडी प्रांगण एवं थोक फल सब्जी मंडी प्रांगण में सायकल स्टैंड कार्य।	7.81	-	0.00	निविदा स्तर पर
9			अनाज मंडी प्रांगण एवं थोक फल सब्जी मंडी प्रांगण में 200 मे.टन गोदाम निर्माण	12.78	-	0.00	निविदा स्तर पर
10			अनाज मंडी प्रांगण एवं थोक फल सब्जी मंडी में कवर्ड शेड, केन्टीन, ऑफिस बिल्डिंग रिपेयर टायलेट, कृषक विश्राम गृह	18.71	-	0.00	निविदा स्तर पर
11			अनाज मंडी प्रांगण एवं थोक फल सब्जी मंडी प्रांगण में लैंड स्केपिंग कार्य।	14.14	-	0.00	निविदा स्तर पर
12			पानी टंकी 50000 हजार लीटर	20.00	-	0.00	निविदा स्तर पर
13			कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव की अनाज मंडी प्रांगण के सब्जी मंडी प्रांगण में 30 नग सेण्ड्रीशॉप निर्माण कार्य।	131.82	-	0.00	निविदा स्तर पर
14			कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव की अनाज मंडी प्रांगण एवं थोक सब्जी मंडी प्रांगण में कवर्ड शेड निर्माण।	75.89	-	0.00	निविदा स्तर पर

क्र.	मंडी/ मंडी क्षेत्र	ग्राम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख में)	एजेंसी का नाम	भुगतान राशि (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
15	राजनांदगांव	भानपुरी	ग्राम भानपुरी में कवर्ड शेड विकास कार्य। (2 नग)	10.23	कार्य एजेंसी जनपद पंचायत राजनांदगांव	0.00	निर्माणाधीन
16		उसरीबोर्ड	ग्राम उसरीबोर्ड में कवर्ड शेड विकास कार्य। (2 नग)	10.23		0.00	निर्माणाधीन
17		सुन्दरा	ग्राम सुन्दरा में कवर्ड शेड विकास कार्य। (4 नग)	19.45		0.00	निर्माणाधीन
18		टेंडेसरा	ग्राम टेंडेसरा में कवर्ड शेड विकास कार्य। (4 नग)	19.45		0.00	निर्माणाधीन
19		सिंघोला	ग्राम सिंघोला में कवर्ड शेड विकास कार्य। (4 नग)	19.45		0.00	निर्माणाधीन
20		तोरणकट्टा	ग्राम तोरणकट्टा में कवर्ड शेड विकास कार्य। (4 नग)	19.45		0.00	निर्माणाधीन
21		कोटरामांठा	ग्राम कोटरामांठा में कवर्ड शेड विकास कार्य। (2 नग)	10.23		0.00	निर्माणाधीन
22		भरगांव	ग्राम भरगांव में कवर्ड शेड विकास कार्य। (2 नग)	10.23		0.00	निर्माणाधीन
23		भरगांव	ग्राम कुम्हालोरी में कवर्ड शेड विकास कार्य। (2 नग)	10.23		0.00	निर्माणाधीन
24		पारीखुर्द	ग्राम पारीखुर्द में कवर्ड शेड विकास कार्य। (4 नग)	19.45		0.00	निर्माणाधीन
25		भोडिया	ग्राम भोडिया में कवर्ड शेड विकास कार्य। (2 नग)	10.23		0.00	निर्माणाधीन
26		मुड़पार	ग्राम मुड़पार में कवर्ड शेड विकास कार्य। (4 नग)	19.45		0.00	निर्माणाधीन
27		डीलापहरी	ग्राम डीलापहरी में कवर्ड शेड विकास कार्य। (2 नग)	10.23		0.00	निर्माणाधीन
28		लिटिया	ग्राम लिटिया में कवर्ड शेड विकास कार्य। (2 नग)	10.23		0.00	निर्माणाधीन
29		धिरी	ग्राम धिरी में कवर्ड शेड विकास कार्य। (4 नग)	19.45		0.00	निर्माणाधीन
30		खुटेरी	ग्राम खुटेरी में कवर्ड शेड विकास कार्य। (2 नग)	10.23		0.00	निर्माणाधीन
31	भेड़ीकला	ग्राम भेड़ीकला में कवर्ड शेड विकास कार्य। (4 नग)	19.45	0.00	निर्माणाधीन		
योग -				903.45			
1	डोंगरगांव	रामपुरा (बगलेडी)	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
			धा.उ.केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	स्वीकृत
2		तुमडीबोड	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
3		तिलईगवार	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
4		अर्जुनी	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
5		दीवानभेड़ी	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
6		कोकपुर	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
7		खुर्सीटोकुल	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
8		बादराटोला	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
9		आतरगांव (नदीन)	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
10		चारभाठा (कु.) (नवीन)	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
11		सोनेसागर (नदीन)	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
			धा.उ.केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	स्वीकृत
12		किरगी (नदीन)	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
13		रतनभाट	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
			धा.उ.केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	स्वीकृत
14		गिदर्सी	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
			धा.उ.केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	स्वीकृत
15		पांगरीखुर्द	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
			धा.उ.केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	स्वीकृत
16		मटिया	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
			धा.उ.केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	स्वीकृत
17		जोशीलमती	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
18		जयसिंगटोला	धा.उ.केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	स्वीकृत
19		साह्वेटोला	धा.उ.केन्द्र 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	स्वीकृत
20		गहिरामेड़ी	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
21		छुरीया	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत
22	शि. महका	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत	
		धा.उ.केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	स्वीकृत	
23	भोलापुर	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत	
24	झिथराटोला (नदीन)	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत	
25	ब. चारभाठा	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत	
		धा.उ.केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	स्वीकृत	
26	स. चिरचारी	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत	
27	खोभा	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	स्वीकृत	

क्र.	मंडी / मंडी क्षेत्र	ग्राम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख में)	एजेंसी का नाम	भुगतान राशि (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
28	डोंगरगांव	महाराजपुर	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी. धा.उ.केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	8.81 12.48	—	—	स्वीकृत
29		लालुटोला	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	—	—	स्वीकृत
30		खुर्सीपार	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी. धा.उ.केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	8.81 12.48	—	—	स्वीकृत
31		कोहका (नवीन)	धा.उ.केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	—	—	स्वीकृत
योग -				405.25		0.00	
1	डोंगरगांव	भोलापुर	धान उपार्जन केन्द्र भोलापुर में किसान कुटीर निर्माण	14.15	मीरा कंट्रक्शन, डोंगरगांव	14.05	पूर्ण
2		खुज्जी	धान उपार्जन केन्द्र खुज्जी में किसान कुटीर निर्माण	14.15	मीरा कंट्रक्शन, डोंगरगांव	4.61 9.41	पूर्ण
3		रतनमाट	धान उपार्जन केन्द्र रतनमाट में किसान कुटीर निर्माण	14.15	मीरा कंट्रक्शन, डोंगरगांव	4.27 8.72	पूर्ण
4		कोकपुर	धान उपार्जन केन्द्र कोकपुर में किसान कुटीर निर्माण	14.15	रेयांश ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स, राजनांदगांव	4.61 7.29	पूर्ण
5		बादरा टोला	धान उपार्जन केन्द्र बादराटोला में किसान कुटीर निर्माण	14.15	रेयांश ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स, राजनांदगांव	6.59 7.41	पूर्ण
6		जयसिंगटोला	धान उपार्जन केन्द्र जयसिंगटोला में किसान कुटीर निर्माण	14.16	विवेक मिश्रा, राजनांदगांव	14.12	पूर्ण
7		अर्जुनी	धान उपार्जन केन्द्र अर्जुनी में किसान कुटीर निर्माण	14.15	संजय संघेती, डोंगरगांव	8.89 5.13	पूर्ण
8		किरगी	धान उपार्जन केन्द्र किरगी में किसान कुटीर निर्माण	14.15	संजय संघेती, डोंगरगांव	8.68 5.31	पूर्ण
9		जंगलपुर	स्वागत द्वार निर्माण कार्य, जंगलपुर	8.56	रायल इंटर प्राइजेस, रायपुर	8.91	पूर्ण
10		घुपसाल	स्वागत द्वार निर्माण कार्य, घुपसाल	8.56	रायल इंटर प्राइजेस, रायपुर	8.91	पूर्ण
11		करमरी	स्वागत द्वार निर्माण कार्य, करमरी	8.56	रायल इंटर प्राइजेस, रायपुर	8.91	पूर्ण
12		चिचोला	स्वागत द्वार निर्माण कार्य, चिचोला	8.56	रायल इंटर प्राइजेस, रायपुर	8.91	पूर्ण
13		आरी	स्वागत द्वार निर्माण कार्य, आरी	8.56	रायल इंटर प्राइजेस, रायपुर	8.91	पूर्ण
14		खुर्सीपार	स्वागत द्वार निर्माण कार्य, खुर्सीपार	8.56	रायल इंटर प्राइजेस, रायपुर	8.91	पूर्ण
15		कोकपुर	स्वागत द्वार निर्माण कार्य, कोकपुर	8.56	रायल इंटर प्राइजेस, रायपुर	8.91	पूर्ण
16		तुमडीबोड	स्वागत द्वार निर्माण कार्य, तुमडीबोड	8.56	रायल इंटर प्राइजेस, रायपुर	8.91	पूर्ण
17		टप्पा	स्वागत द्वार निर्माण कार्य, टप्पा	8.56	रायल इंटर प्राइजेस, रायपुर	8.91	पूर्ण
18		शिकारीमहका	स्वागत द्वार निर्माण कार्य, शिकारीमहका	8.56	रायल इंटर प्राइजेस, रायपुर	8.91	पूर्ण
योग -				198.81		184.14	
1	डोंगरगढ़	पनियाजोब	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	—	—	प्रस्तावित
			धा.उ. केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	—	—	प्रस्तावित
2		ठाकुरटोला	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	—	—	प्रस्तावित
3		मेढा	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	—	—	प्रस्तावित
			धा.उ. केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	—	—	प्रस्तावित
4		मुडपार (नवीन)	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	—	—	प्रस्तावित
5	दारा	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	—	—	प्रस्तावित	
		धा.उ. केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	—	—	प्रस्तावित	
6	अछोली	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	—	—	प्रस्तावित	

क्र.	मंडी/ मंडी क्षेत्र	ग्राम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख में)	एजेंसी का नाम	भुगतान राशि (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
7	डोंगरगढ़	मुसाराकला	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	प्रस्तावित
			धा.उ. केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	प्रस्तावित
8		बेलगांव	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	प्रस्तावित
			धा.उ. केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	प्रस्तावित
9		बोरतलाव	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	प्रस्तावित
10		रूवाताला (कसारी)	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	प्रस्तावित
			धा.उ. केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	प्रस्तावित
11		छिपा (नवीन)	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	प्रस्तावित
12		रामटोला (नवीन)	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	प्रस्तावित
13		कोलिहापुरी	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	प्रस्तावित
			धा.उ. केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	प्रस्तावित
14		रेंगाकठेरा (नवीन)	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	प्रस्तावित
			धा.उ. केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	प्रस्तावित
15		सीतागोटा (कनेरी)	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	प्रस्तावित
			धा.उ. केन्द्र में 200 मि. टन गोदाम	12.48	-	-	प्रस्तावित
16		बागरेकसा	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	प्रस्तावित
17		मडियान	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	प्रस्तावित
18		चारभाठा	धा.उ. केन्द्र में पक्के फड आकार 60.20/9.20 मी.	8.81	-	-	प्रस्तावित
योग -				270.90			
1	डोंगरगढ़	नागतराई	सी0सी0रोड निर्माण कार्य	12.05	गणेश कंस्ट्रक्शन	0.00	निर्माणाधीन
2		मेंढा	सी0सी0रोड निर्माण कार्य	13.70	विद्यानंदन देवांगन	0.00	निर्माणाधीन
3		अण्डी	सी0सी0रोड निर्माण कार्य	11.99	गणेश कंस्ट्रक्शन	0.00	निर्माणाधीन
4		ठाकुरटोला (को.)	सी0सी0रोड निर्माण कार्य	12.47	गणेश कंस्ट्रक्शन	0.00	निर्माणाधीन
5		धुसेरा	सी0सी0रोड निर्माण कार्य	6.23	गणेश कंस्ट्रक्शन	0.00	निर्माणाधीन
6		कन्हारगांव	सी0सी0रोड निर्माण कार्य	12.48	ऋषभ कंस्ट्रक्शन	0.00	निर्माणाधीन
7		हीरापुर (भक्काटोला)	सी0सी0रोड निर्माण कार्य	9.36	ऋषभ कंस्ट्रक्शन	0.00	निर्माणाधीन
8		नागतराई	हॉटबाजार	8.69	गणेश कंस्ट्रक्शन	0.00	निर्माणाधीन
9		मेंढा	हॉटबाजार	8.99	विद्यानंदन देवांगन	0.00	निर्माणाधीन
10		कोलेन्द्रा	किसान कुटीर भवन निर्माण	12.81	गणेश कंस्ट्रक्शन	0.00	निर्माणाधीन
11		अण्डी	किसान कुटीर भवन निर्माण	12.81	विद्यानंदन देवांगन	0.00	निर्माणाधीन
12		सण्डी	किसान कुटीर भवन निर्माण	12.81	गणेश कंस्ट्रक्शन	0.00	निर्माणाधीन
योग -				134.39		0.00	
कुल योग -				1912.80		184.14	
(रा.वि.वि. + मंडी निधि) महायोग -				1950.95		213.56	


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - सैंतीस
पारेवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 42 (क्र. 788) की जानकारी

प्रपत्र

वर्षवार तथा ग्रामवार प्रपत्र

स. क्र.	ग्राम का नाम	वर्षवार तथा ग्रामवार पंजीबद्ध दस्तावेज		
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24 (30.11.2024 तक)	कुल दस्तावेज संख्या
1	अमडी	0	3	3
2	असकला	2	0	2
3	आमगांव	3	1	4
4	उदारी	6	9	15
5	उरदरा	5	2	7
6	उचंडीह	1	1	2
7	करगीडिह	1	1	2
8	करौली	4	4	8
9	कर्रा	8	7	15
10	किशुनपुर	1	0	1
11	कुदर	4	0	4
12	कुंदीकला	1	0	1
13	केपी	1	2	3
14	कोट	4	7	11
15	कोरिमा	1	1	2
16	खाराकोना	1	1	2
17	गढवीरा	2	3	5
18	गेरसा	2	0	2
19	चिरंगा	3	2	5
20	चंगोरी	2	3	5
21	जमडी	1	0	1
22	जमोनी	2	0	2
23	जरहीडीह	2	0	2
24	सखौली	4	5	9
25	सयरराई	6	6	12
26	सुमेरपुर	7	5	12
27	नवडीह	1	0	1
28	बदगरी	1	1	2
29	भेडिया	0	1	1
30	चितरपुर	0	3	3
31	बरकोल	0	1	1
32	सरईडीह	0	6	6
33	उपरपोडी	0	2	2
34	कोईलरी	0	1	1

स. क्र.	ग्राम का नाम	वर्षवार तथा ग्रामवार पंजीबद्ध दस्तावेज		
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24 (30.11.2024 तक)	कुल दस्तावेज संख्या
35	पार्वतीपुर	0	1	1
36	जामडीह	2	0	2
37	जोरी	1	0	1
38	झेराडीह	5	0	5
39	डकई	7	2	9
40	डहौली	1	1	2
41	डांडगांव	1	1	2
42	डूमरडीह	1	0	1
43	तुरियावीरा	0	2	2
44	दर्डीडीह	2	2	4
45	दुन्दु	1	0	1
46	धौरपुर	1	2	3
47	पटोरा	3	0	3
48	पडौली	2	2	4
49	बकनाकला	2	0	2
50	बटवाही	3	4	7
51	बरगीडीह	1	1	2
52	बरडीह	3	1	4
53	बुलंगा	1	1	2
54	भेलाईकला	3	4	7
55	मंसगा	2	1	3
56	रघुनाथपुर	2	2	4
57	राईकला	1	1	2
58	राईखुर्द	5	0	5
59	राता	1	0	1
60	लमंगाव	3	4	7
61	लालमटी	31	6	37
62	लुण्ड्रा	4	3	7
63	ससौली	2	1	3
64	सिलसिला	9	7	16
65	गंगापुर	2	0	2
66	बिल्हमा	2	0	2
67	जमीरा	1	0	1
68	छेरमुण्डा	0	1	1
69	चोरकीडिह	0	1	1
70	सपदा	0	1	1
71	सेमरडीह	0	3	3
72	करेसर	0	2	2
73	नागम	0	1	1
74	पुरकेला	0	1	1
75	बलसेड़ी	0	0	0
76	कुलहड़ी	0	3	3

स. क्र.	ग्राम का नाम	वर्षवार तथा ग्रामवार पंजीबद्ध दस्तावेज		
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24 (30.11.2024 तक)	कुल दस्तावेज संख्या
77	खलीबा	29	28	57
78	चठिरमा	1	0	1
79	बढ़नीझरिया	1	0	1
80	मेण्ड्राखुर्द	7	3	10
81	सकालो	2	7	9
82	नरबदापारा	1	2	3
83	घंघरी	15	0	15
84	रुखपुर	1	1	2
85	बफोली	1	0	1
86	भिठ्ठीखुर्द	1	0	1
87	हसुंली	2	1	3
88	करमहां	3	7	10
89	परसा	3	13	16
90	भकुरा	3	13	16
91	देवगढ़	2	7	9
92	सरगंवा	28	10	38
93	किशुननगर	1	0	1
94	असोला	18	1	19
95	सोनपुरकला	27	6	33
96	रनपुर खुर्द	0	1	1
97	रजपुरीखुर्द	0	9	9
98	मणीपुर	0	4	4
99	पचपेढ़ी	3	0	3
100	कंठी	1	0	1
101	खाला	4	5	9
102	बकालो	1	3	4
103	करजी	1	0	1
104	सोहगा	5	9	14
105	कुबेरपुर	6	3	9
106	सखोली	3	3	6
107	मोहनपुर	2	3	5
108	तिहपटरा	0	4	4
109	लवईडीह	1	2	3
110	रेवापुर	0	1	1
111	सोनबरसा	2	0	2
112	टपरकेला	3	0	3
113	ससकालो	0	1	1
114	दरिमा	0	3	3
115	छिंदकालो	0	2	2
116	कोटेया	3	2	5
117	पोड़ीखुर्द	0	5	5
118	सिंगीटाना	2	3	5

स. क्र.	ग्राम का नाम	वर्षवार तथा ग्रामवार पंजीबद्ध दस्तावेज		
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24 (30.11.2024 तक)	कुल दस्तावेज संख्या
119	सलका	1	0	1
120	पलगढी	2	2	4
121	इरगवां	1	2	3
122	जयपुर	1	0	1
123	अमलभिट्टी	0	3	3
124	अमदला	0	1	1
125	तुरना	0	2	2
126	तुनगुरी	0	1	1
127	धनोरा	5	0	5
128	पूटा	2	0	2
129	चांदो	1	0	1
130	अमगसी	1	5	6
131	जुड़वानी	1	1	2
132	लोसंगा	0	1	1
133	तुंगा	0	2	2
134	केनापरा	3	1	4
135	कुन्नी	3	1	4
136	सकरिया	0	1	1
137	लब्जी	0	3	3
138	तिरकेला	1	0	1
139	केवरी	0	3	3
140	अरगोती	0	2	2
141	पटकूरा	2	0	2
योग :-		388	333	721

परिशेष - अड़तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 789) की जानकारी

प्रपत्र

1

क	अवधि	ग्राम का नाम	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या				वितरित भूमि (हेक्टेयर में)			
			व्यक्तिगत			सामुदायिक	व्यक्तिगत			सामुदायिक
			एसटी	ओटीएफडी	योग		एसटी	ओटीएफडी	योग	
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2021-22	डांडकेसरा	0	68	68	0	0.000	90.110	90.110	0.000
2	2022-23	बेलदगी	2	0	2	0	1.465	0.000	1.465	0.000
		अमगसी	0	1	1	0	0.000	0.099	0.099	0.000
		लोसंगी	2	1	3	1	1.190	0.144	1.334	5.000
		बकनाखुर्द	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	5.000
		खलिबा	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	20.000
		सोनपुर	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	5.000
		रनपुरखुर्द	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	5.000
		बकालो	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	2.000
		करई (जमदरी)	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	30.000
3	2023-24	रीरी	4	0	4	0	1.622	0.000	1.622	0.000
		कोरधा	16	0	16	0	2.200	0.000	2.200	0.000
		लालमाटी	19	0	19	0	4.798	0.000	4.798	0.000
		सुमेरपुर	12	0	12	0	3.543	0.000	3.543	0.000
4	2024-25 (नवंबर 2024 तक)	-	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
		योग	55	70	125	7	14.818	90.353	105.171	72.000

Leet
अनुभाष अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, बखरायपुर

परिशेष - उनतालीस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 794) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2019-20 से वर्तमान दिनांक तक मेसर्स एन.एम.डी.सी. की इकाईयों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग/खदान का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	मेसर्स एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड, ग्राम- नगरनार, जिला - बस्तर	28.11.2023	निरीक्षण के दौरान उद्योग के गेट नं. 3 के पास स्टॉर्म वाटर आउटलेट से औद्योगिक दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर किया जाना पाया गया।	पत्र दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत नोटिस जारी किया गया।	नोटिस के परिपेक्ष्य में दिनांक 13.12.2023 को उद्योग का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण नहीं किया जाना पाया गया एवं समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया। नोटिस जारी दिनांक से समाधानकारक कार्यवाही दिनांक तक की उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 4,50,000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि मण्डल में जमा किया गया है।
		05.08.2024 09.08.2024	वायु गुणवत्ता मापन कार्य किया गया, विश्लेषण परिणाम मानकों से अधिक पाये गये।	पत्र दिनांक 16.08.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत नोटिस जारी किया गया।	नोटिस के परिपेक्ष्य में दिनांक 05.09.2024 को उद्योग का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया। वायु गुणवत्ता मापन दिनांक से समाधानकारक कार्यवाही दिनांक तक की उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 9,60,000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि मण्डल में जमा किया गया है।
2	मेसर्स एन.एम.डी.सी. लि., बैलड़ीला आयरन ओर माइन, (डिपॉजिट 05) बचेली कॉम्प्लेक्स, जिला दंतेवाड़ा	28.06.2021	नेरली डेम का स्लूस गेट क्षतिग्रस्त पाया गया। खदान के डिपॉजिट 05 वर्कशॉप का ईटीपी संचालित नहीं पाया गया।	पत्र दिनांक 30.06.2021 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	नोटिस के परिपेक्ष्य में दिनांक 12.08.2021 को खदान का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष - चालीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 813) की जानकारी


प्रपत्र

विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित प्री एवं पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों की
जानकारी

क्र.	जिला	संस्था का नाम/स्थान	विकास खण्ड	स्वीकृत सीट
1	2	3	4	5
प्री मैट्रिक छात्रावास				
1	बालोद	प्री मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बालोद	बालोद	50
2	बीजापुर	प्री मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बीजापुर	बीजापुर	50
3	बीजापुर	प्री मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास भैरमगढ़	भैरमगढ़	50
4	जगदलपुर	प्री मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर	50
5	कांकेर	प्री मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास कांकेर	कांकेर	50
6	कोरबा	प्री मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास कोरबा	कोरबा	50
7	सरगुजा	प्री मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	50
8	कबीरधाम	प्री मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास कवर्धा	कवर्धा	50
योग				400
पोस्ट मैट्रिक छात्रावास				
1	सूरजपुर	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास सूरजपुर	सूरजपुर	50
2	बिलासपुर	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास गौरवपथ रोड	बिल्हा	100
3	बिलासपुर	नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बिलासपुर	बिलासपुर	100
4	बिलासपुर	नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास बिलासपुर	बिलासपुर	100
5	दन्तेवाड़ा	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	50
6	दन्तेवाड़ा	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	50
7	दुर्ग	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास दुर्ग	दुर्ग	50
8	दुर्ग	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास दुर्ग	दुर्ग	50
9	दुर्ग	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास भिलाई	दुर्ग	50
10	दुर्ग	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास भिलाई	दुर्ग	50
11	दुर्ग	नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बोरी	धमधा	50

क्र.	जिला	संस्था का नाम/स्थान	विकास खण्ड	स्वीकृत सीट
1	2	3	4	5
12	दुर्ग	नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास बोरी	धमधा	50
13	दुर्ग	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास दुर्ग	दुर्ग	100
14	दुर्ग	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास दुर्ग	दुर्ग	100
15	जगदलपुर	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास धरमपुरा	जगदलपुर	50
16	जगदलपुर	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास धरमपुरा	जगदलपुर	50
17	जगदलपुर	नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर	100
18	जगदलपुर	नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर	100
19	कबीरधाम	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास कबीरधाम	कबीरधाम	50
20	कांकेर	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास कांकेर	कांकेर	50
21	कांकेर	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास कांकेर	कांकेर	50
22	कोण्डागांव	नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास कोण्डागांव	कोण्डागांव	50
23	कोण्डागांव	नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास कोण्डागांव	कोण्डागांव	50
24	नारायणपुर	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास नारायणपुर	नारायणपुर	50
25	नारायणपुर	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास नारायणपुर	नारायणपुर	50
26	रायगढ़	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	50
27	रायगढ़	नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	100
28	रायगढ़	नवीन अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	100
29	रायगढ़	नवीन अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास खरसिया	खरसिया	50
30	रायगढ़	नवीन अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास खरसिया	खरसिया	50
31	रायपुर	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास शंकरनगर रायपुर	घरसीवा	100
32	रायपुर	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास मोतीनगर रायपुर	घरसीवा	50
33	रायपुर	नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास रायपुर	घरसीवा	100
34	रायपुर	नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास रायपुर	घरसीवा	100

क्र.	जिला	संस्था का नाम/स्थान	विकास खण्ड	स्वीकृत सीट
1	2	3	4	5
35	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास, राजनांदगांव	राजनांदगांव	50
36	राजनांदगांव	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास, राजनांदगांव	राजनांदगांव	50
37	सुकमा	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास सुकमा	सुकमा	50
38	सुकमा	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास सुकमा	सुकमा	50
39	बेमेतरा	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बेमेतरा	बेमेतरा	50
40	बालोद	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बालोद	बालोद	50
41	बलौदाबाजार	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	50
42	बीजापुर	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बीजापुर	बीजापुर	50
43	बीजापुर	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास बीजापुर	बीजापुर	50
44	सरगुजा	नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास अंबिकापुर	अंबिकापुर	100
45	सरगुजा	नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास अंबिकापुर	अंबिकापुर	100
46	महासमुन्द	नवीन अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास महासमुन्द	महासमुन्द	100
47	महासमुन्द	नवीन अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास महासमुन्द	महासमुन्द	100
योग				3150
महायोग				3550


अनुभाष अधिकारी
 भादिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, बस्ती रायपुर


अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परोक्ष - इकतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 94) की जानकारी

प्रपत्र

क्रं.	पदनाम	वर्ष एवं विज्ञापन/विज्ञप्ति प्रसारित होने की तिथि		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	शासकीय पद	निरंक	(1) 01.06.2022 (2) 27.06.2022	निरंक
2	कलेक्टर दर	निरंक	निरंक	निरंक
प्रसारित विज्ञापन/विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न है।				


 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मैत्रीलय, नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बिलासपुर (छ0ग0)

दूरभाष नं0 07752-225545, फैक्स नं0 07752-225545, E-mail-Id actd.bilaspur@nic.in

क्रमांक/वन अधि./नियुक्ति/2022-23/ 488
प्रति,

बिलासपुर, दिनांक 01/06/2022

प्रभारी अधिकारी,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.)
जिला कार्यालय बिलासपुर (छ0ग0)

विषय :- वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फिल्ड वर्कर) के नियुक्ति हेतु विभागीय वेब साईट www.bilaspur.gov.in में विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रकाशन बाबत।

—000—

विषयान्तर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फिल्ड वर्कर) के नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन एवं आवेदन पत्र प्रारूप का प्रकाशन विभागीय वेब साईट www.bilaspur.gov.in में किया जाना है।

उपरोक्त संबंध में दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रारूप विभागीय वेब साईट www.bilaspur.gov.in में अपलोड करने हेतु विज्ञापन का प्रारूप एवं आवेदन पत्र संलग्न प्रेषित है। कृपया उल्लेखित वेब साईट में अपलोड कर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सहायक आयुक्त, 1/6

आदिवासी विकास बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 01/06/2022

पृ. क्रमांक/वन अधि./नियुक्ति/2022-23/ 489
प्रतिलिपि :-

- 01- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रातवी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
- 02- कलेक्टर, जिला बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त, 1/6

आदिवासी विकास बिलासपुर

अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
बिलासपुर, नवा रायपुर, अटल नगर

विज्ञापित


अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सूचारु क्रियान्वयन हेतु विलासपुर जिला स्तर पर तथा अनुभाग कोटा, जिला विलासपुर स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर) की नियुक्ति किया जाना है। यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे एवं निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे। विवरण निम्नानुसार है—

क.	पद का नाम	मानदेय (यात्रा व्यय सहित)	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1.	जिला परियोजना समन्वयक	18000/-	01	09 माह	जिला विलासपुर स्तर	प्रत्येक संबंधित जिले में एफआरए प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना
2.	क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)	15000/-	01	09 माह	अनुभाग कोटा स्तर	प्रत्येक संबंधित जिले में चिन्हित अनुविभाग स्तर पर गठित एफआरए प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना

टीप :- मानदेय में उच्च कुशल श्रमिक हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित मासिक वेतन दरें तथा यात्रा व्यय शामिल है।

पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 01- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक हो। कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए।
- 02- वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का न्यूनतम तीन वर्षों का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो, इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।
- 03- अधिकतम आयु 01 जनवरी 2022 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- 04- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इस हेतु प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
- 05- आवेदन की प्रक्रिया एवं निर्धारित तिथि-
 1. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर दिनांक 13.06.2022 तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विलासपुर में कार्यालयीन समय में जमा करेंगे।
 2. आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने-जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
 3. साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण के उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा तथा साक्षात्कार की निर्धारित तिथि से दूरभाष/ईमेल से अवगत कराया जायेगा।
 4. साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/अध्यक्ष डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का


अनुभाग अधिकारी

अ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मुख्यालय, नया रायपुर, भटल, जिला

साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय स्तर से विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।


5. साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल प्रशिक्षार्थियों द्वारा 01 सप्ताह में ज्वाइनिंग देनी होगी अन्यथा ज्वाइन न करने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा। इस संवध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।
6. पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

पद के कर्तव्य (जिला परियोजना समन्वयक)

01. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सौंपे गये कार्य यथा—एफआरए एमपीआर क्यूपीआर सभी ब्लाक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत कर सहायक आयुक्त/जिला नोडल अधिकार को उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
02. वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना/फील्ड वर्कर के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करना।
03. डीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा का प्रस्तुतिकरण करने में सहाय्य करना।
04. फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों से चर्चा का समाधान निकालना।
05. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पोस्ट क्लेम में सपोर्ट करना।
06. जिला स्तर एवं अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।
07. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर/अनुभाग स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
08. जिला अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
09. जिला नोडल अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।


क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)


01. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सौंपे गये कार्य यथा—एफआरए एमपीआर क्यूपीआर सभी ब्लाक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत कर अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
02. वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना।
03. डीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा का प्रस्तुतिकरण करने में सहाय्य करना।
04. फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों से चर्चा का समाधान निकालना।
05. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पोस्ट क्लेम में सपोर्ट करना। इस हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करना।
06. अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।
07. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर/अनुभाग स्तर पर समन्वय स्थापित करना।



अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

- अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पांचायत नोडल अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।
9. वन अधिकार जैसे- व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सामुदायिक वन संसाधन के दावे तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने में कठिनाईयों का निराकरण इत्यादि में सहयोग प्रदान करना।
10. अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।


अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बिलासपुर

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बिलासपुर (छ0ग0)

दूरभाष नं0 07752-225545, फ़ैक्स नं0 07752-225545, E-mail-Id actd.bilaspur@nic.in

क्रमांक/वन अधि./नियुक्ति/2022-23/
प्रति,

760

बिलासपुर, दिनांक 27/06/2022

आयुक्त,
जनसंपर्क रायपुर (छ0ग0)


विषय :- संक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराने बाबत।

---000---

विषयान्तर्गत लेख है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर) के नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वन अधि./नियुक्ति/2022-23/484 बिलासपुर, दिनांक 01.06.2022 के द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गई थी। किन्तु निर्धारित समयावधि में पात्रता अनुरूप आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने हेतु विज्ञप्ति पत्र आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

कृपया संलग्न विज्ञप्ति को जिले के बहुप्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बिलासपुर

पृ. क्रमांक/वन अधि./नियुक्ति/2022-23/ 761
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक 27/06/2022


- 01- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रातवी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
- 02- कलेक्टर, जिला बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।



अनुभाग अधिकारी
आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बिलासपुर

विज्ञप्ति

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सूचारु क्रियान्वयन हेतु विलासपुर जिला स्तर पर तथा अनुभाग कोटा, जिला विलासपुर स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर) की नियुक्ति किये जाने हेतु दिनांक 13.06.2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, निर्धारित तिथि तक शर्तों के अनुरूप अनुभव प्रमाण-पत्र वाले आवेदन अप्राप्त होने के कारण दिनांक 08.07.2022 कार्यालयीन समय तक पुनः पृथक-पृथक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। विज्ञप्ति की नियम एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगे। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर के नोटिस बोर्ड में चस्पा किये गये नियम एवं शर्तों का कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।


अनुभाग अधिकारी
 अनु.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर


 सहायक आयुक्त,
 आदिवासी विकास बिलासपुर

परिशेष - बयालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 95) की जानकारी

प्रपत्र - अ

वर्ष 2023-24

क्र.	मद का नाम	कार्यों की संख्या	व्यय राशि (राशि रु. लाखों में)
1	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	6	49.18
2	अनुसूचित जाति / जनजाति छात्रावास / आश्रमों में जीर्णोद्धार कार्य	39	274.97
3	अनुसूचित जाति छात्रावास नवीन भवन निर्माण	1	15.89
4	अनुसूचित जनजाति छात्रावास नवीन भवन निर्माण	2	108.77
5	आदिवासी सांस्कृतिक का परिरक्षण एवं विकास (देवगुड़ी / मरम्मत)	1	10.50
6	अनुसूचित जाति उप योजना की विशेष केन्द्रीय सहायता (अनाबद्ध राशि)	4	9.31
7	मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	1	4.00
योग :-		54	472.62

वर्ष 2024-25

क्र.	मद का नाम	कार्यों की संख्या	व्यय राशि (राशि रु. लाखों में)
1	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	457	1219.42
2	अनुसूचित जाति / जनजाति छात्रावास / आश्रमों में जीर्णोद्धार कार्य	5	23.42
3	अनुसूचित जाति छात्रावास नवीन भवन निर्माण	1	51.74
4	सविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत नवीन बाउण्ड्रीवाल निर्माण	4	34.41
योग		467	1328.99


अनुभाव अधिकारी

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-ब

वर्ष 2023-24

क्र.	प्रायोजन का नाम	व्यय राशि	रिमार्क
1	महिलाओं के लिए वेलनेस सेंटर	3.93	गुरुघासी विश्वविद्यालय बिलासपुर में स्थापित किया गया
2	छात्रावासों में मल्टीजीम	18.04	07 सेट मल्टीजीम सूची परिशिष्ट "स" में संलग्न है
3	पी.व्ही.जी.टी. को जाति प्रमाण पत्र	0.50	अनु.विभागीय अधिकारी राजस्व कोटा को राशि प्रदाय की गई
4	छ0ग0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सरस मेला कार्यक्रम 2023 से 23 फरवरी 2023 में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम	1.91	11 कार्य हेतु राशि व्यय की गई सूची परिशिष्ट "स" में संलग्न है
5	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में टी.वी.रोग से ग्रसित लोगों की स्वास्थ्य एवं पोषण आहार हेतु	10.48	जनस्वास्थ्य सहयोग गनियारी को राशि प्रदाय की गई।
	योग :-	34.86	
	वर्ष 2024-25 की जानकारी निरंक है।		



अनुभाम अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नक्का रायपुर

डी.एम.एफ.टी. मद से प्राप्त राशि के विरुद्ध वर्षवार व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष 2023-24

(राशि रु. लाखों में)					
क्र.	प्रयोजन का नाम	सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	कार्य की संख्या	व्यय राशि	रिमाक
1	महिलाओं के लिए वेलनेस सेंटर	लिब्रा एसोसिएट कुम्हारी दुर्ग	1	3.93	गुरुघासी दास विश्वविद्यालय बिलासपुर में स्थापित किया गया 1- प्रयास आवासीय बालक विद्यालय ग्राम रमतला, कोनी बिलासपुर 2- प्रयास आवासीय कन्या विद्यालय ग्राम रमतला, कोनी बिलासपुर 3- पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर साईंस कालेज के सामने सीपतरोड बिलासपुर 4- पी.मै. आदिवासी बालक छात्रावास जरहामाठा बिलासपुर 5- पी.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बिल्हा 6- पी.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सल्कानवागांव 7- पी.मै. अनु.जाति बालक छात्रावास गनियारी में मल्टीजिम स्थापित किया गया।
2	छात्रावासों में मल्टीजीम	सेतराम देवांगन, सक्ती	7	18.04	
3	पी.व्ही.जी.टी. को जाति प्रमाण पत्र	अनु.विभागीय अधिकारी राजस्व कोटा को राशि प्रदाय की गई	0	0.50	-

4	<p>छ0ग0राज्य ग्रामीण आजीविकास मिशन अंतर्गत सरस मेला कार्यक्रम 2023 से 23 फरवरी 2023 में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम</p>	<p>01-- पद्मश्री डॉ0जी0सी0डी0भारती, रायपुर 02-- ऋतु वर्मा, भिलाई 03-- श्री अंचल शर्मा, बिलासपुर 04-- रजि मोहम्मद, रायपुर 05-- राधा फाउण्डेशन बिलासपुर 06-- श्री सुरेन्द्र अहिस्वार, बिलासपुर 07-- श्रीमती बासंती वैष्णव, बिलासपुर 08-- आर.के.स्टूडियो बिलासपुर 09-- जय रामभक्त हनुमान भोग 10-- न्यू गुलदस्ता बिलासपुर 11-- खुशी क्षत्री</p>	11	<p>30000 25000 20000 20000 20000 10000 31000 300 7500 1950 25000</p>	कुल राशि रूपए 190750 / - व्यय किया गया
5	<p>कोटा विकास खण्ड के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में टी.वी.रोग से ग्रसित लोगों की स्वास्थ्य एवं पोषण आहार हेतु</p>	<p>जनस्वास्थ्य सहयोग गनियारी को राशि प्रदाय की गई।</p>	1	10.48	-
योग :-			20	34.86	


 अनुभाम अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर

पारोशेष्ट - तिरालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 120) की जानकारी

प्रपत्र-अ

सीमेंट संयंत्रों के द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी

क्रं.	संयंत्र का नाम एवं पता	निर्धारित मापदंड अनुसार किये जाने वाले वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (एकड़ में)	संयंत्र के अंदर किये गये वृक्षारोपण		संयंत्र के बाहर किये गये वृक्षारोपण		क्या मापदंड अनुसार वृक्षारोपण किया गया है (हाँ/नहीं)
			क्षेत्रफल (एकड़ में)	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	संख्या	
1.	मेसर्स नूवोको विस्टास कार्पो लिमिटेड, सोनाडीह सीमेंट प्लांट ग्राम-रसेड़ा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	75.59	80-30	88050	80	107050	हाँ
2.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, बैकुंठ सीमेंट वर्क्स, (पूर्व नाम-संचुरी सीमेंट), पोस्ट-बैकुंठ, जिला-रायपुर (छ.ग.)	206.73	333-68	277223	103-78	81449	हाँ
3.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हिरमी सीमेंट वर्क्स, हिरमी, तह-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	137.64	144-31	219330	111-37	89096	हाँ
4.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट-रावन सीमेंट वर्क्स, पोस्ट-शासिम विहार, ग्राम-रावन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	319.8	386-06	371284	14-5	15000	हाँ
5.	मेसर्स अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड, पो-रवान, तहसील बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	196.84	205-09	246234	90-89	88437	हाँ
6.	मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, (यूनिट-श्री रायपुर सीमेंट प्लांट) प्लांट एरिया, ग्राम-खपरीडीह, तह-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	131.177	144-38	134176	60-69	63686	हाँ

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

7.	मेसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड, (पूर्व नाम ईमामी सीमेंट लिमिटेड,) ग्राम-रिसदा, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	114.61	138-92	140569	32-61	33000	हाँ
8.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम - कुकुरडीह, तहसील व जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	73.26	6.51	13020	-	-	नहीं। उद्योग को मंडल द्वारा पत्र दिनांक 22- 03-2024 के माध्यम से संचालन सम्मति जारी की गई है। उद्योग द्वारा चरणबद्ध तरीके से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिस हेतु कार्ययोजना एवं बैंक गारंटी मण्डल में जमा की गई है।
9.	मेसर्स नूवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड (मेसर्स लाफार्ज इंडिया लिमिटेड), पोस्ट ऑफिस-गोपालनगर, जिला-जांजगीर-चांपा	66.87	85.2	1,02,000	111.94	3,09,26 4	हाँ
10.	मेसर्स एसीसी लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस-जामूल सीमेंट वर्क्स, जामुल जिला-दुर्ग।	150.7	234.7	1,47,425	3.2	4000	हाँ
11.	मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम-मलपुरीखुर्द एवं खासाडीह तहसील- धमधा जिला- दुर्ग	66	78	1,10,321	17.02	18,808	हाँ

८
अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-ब

पर्यावरणीय नियमों के पालन संबंधी कैलेण्डर वर्ष 2023 तथा 2024 में मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये निरीक्षण एवं पाई गई स्थिति का विवरण

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षणकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	निरीक्षण का दिनांक	पाई गई स्थिति	पाई गई कमियों हेतु की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स नूवोको विस्टास कार्पो लिमिटेड सोनाडीह सीमेंट प्लांट ग्राम-रसेड़ा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	22.05.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	22.05.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		रसायनज्ञ	22.06.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ, वैज्ञानिक	20.10.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		रसायनज्ञ	16.01.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
2.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, बैकुंठ सीमेंट वर्क्स (पूर्व नाम-सेंचुरी सीमेंट), पोस्ट-बैकुंठ, जिला-रायपुर (छ.ग.)	सहायक अभियंता, उप अभियंता एवं रसायनज्ञ	02.03.2023	निरीक्षण के दौरान क्रशर प्रभाग में सर्ज हॉपर की सफाई के दौरान फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन, फलाई ऐश अनलोडिंग प्वाइंट से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन तथा हाउसकिपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	संयंत्र को मंडल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
		रसायनज्ञ	18.05.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	नोटिस के परिपेक्ष्य में संयंत्र द्वारा समाधानकारक कार्यवाही की गई।
		सहायक अभियंता	16.06.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		रसायनज्ञ	15.09.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		रसायनज्ञ	16.01.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
3.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हिरमी सीमेंट वर्क्स, हिरमी, तह-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	सहायक अभियंता	14.07.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		रसायनज्ञ	08.08.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	18.10.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	22.11.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		रसायनज्ञ	29.12.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)


4.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट-रावन सीमेंट वर्क्स पोस्ट-ग्रासिम विहार, ग्राम-रावन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	रसायनज्ञ	22.06.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		उप अभियंता एवं रसायनज्ञ	27.07.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी मुख्य रसायनज्ञ वैज्ञानिक	20.10.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		रसायनज्ञ	24.02.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2	30.11.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
5.	मेसर्स अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड पो. रावन तहसील, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	13.01.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	14.03.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		रसायनज्ञ	08.08.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		रसायनज्ञ	29.12.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	28.03.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		सहायक अभियंता	08.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
6.	मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, (यूनिट-श्री रायपुर सीमेंट प्लांट) प्लांट एरिया ग्राम-खपरीडीह, तह-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	सहायक अभियंता	02.05.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		रसायनज्ञ	26.07.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		सहायक अभियंता	24.11.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2	27.07.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
7.	मेसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड, (पूर्व नाम ईमामी सीमेंट लिमिटेड) ग्राम-रिसदा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	15.05.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		रसायनज्ञ	31.05.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		रसायनज्ञ	20.09.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	29.12.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		रसायनज्ञ	24.02.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		सहायक अभियंता	28.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
8.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम - कुकुरडीह तहसील व जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा (छ.ग.)	सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	28.02.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	19.03.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		सहायक अभियंता	28.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		सहायक अभियंता	07.11.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

9.	मेसर्स नूवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड (मेसर्स लाफार्ज इंडिया लिमिटेड), पोस्ट ऑफिस- गोपालनगर, जिला- जांजगीर-चांपा	प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	29.11.2023	संयंत्र बंद पाया गया।	निरंक
		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	13.05.2024	संयंत्र बंद पाया गया।	निरंक
		सहायक अभियंता	30.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	25.07.2024	संयंत्र बंद पाया गया।	निरंक
		सहायक अभियंता	29.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
10.	मेसर्स एसीसी लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस-जामूल सीमेंट वर्क्स, जामुल जिला-दुर्ग।	प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	12.01.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	25.04.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		कनिष्ठ वैज्ञानिक द्वय	24.07.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	21.09.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ, कनिष्ठ वैज्ञानिक, प्रभारी रसायनज्ञ द्वय, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	13.10.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		कनिष्ठ वैज्ञानिक द्वय	29.12.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	10.01.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		कनिष्ठ वैज्ञानिक द्वय	19.04.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02, परिचारक	26.04.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		क्षेत्रीय अधिकारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक	28.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ, प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	29.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		कनिष्ठ वैज्ञानिक द्वय	24.07.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		प्रभारी रसायनज्ञ	25.07.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	14.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	09.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	16.10.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
		क्षेत्रीय अधिकारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक	04.10.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	निरंक
11.	मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम-मलपुरीखुर्द एवं खासाडीह तहसील-धमधा जिला- दुर्ग	क्षेत्रीय अधिकारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ, प्रभारी रसायनज्ञ	05.01.2023	वाहनों के आवगमन के दौरान वायु प्रदूषण (फ्युजीटिव उत्सर्जन) अधिक पाये जाने व परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाये जाने एवं हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई आदि।	संयंत्र को मंडल द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत नोटिस जारी किया गया।
		कनिष्ठ वैज्ञानिक द्वय	23.03.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	नोटिस के परिपेक्ष्य में संयंत्र द्वारा समाधानकारक कार्यवाही की गई।
		कनिष्ठ वैज्ञानिक द्वय	27.03.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	-
		प्रभारी रसायनज्ञ, परिचारक	08.06.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	-
		कनिष्ठ वैज्ञानिक द्वय	16.08.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	-
		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	25.08.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	-
		क्षेत्रीय अधिकारी कनिष्ठ वैज्ञानिक द्वय	28.10.2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	-
		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	08.02.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-
		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	09.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-
		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	13.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-
		प्रभारी रसायनज्ञ, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-02	11.11.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	-


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)


पारोशेष्ट - चवालोस
अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 149) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2022-23


क.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	राशि रूपये में
1	2	3	4	5
1	विद्यार्थी डबल डेस्क	60	3800	228000
2	विद्यार्थी डबल बेंच	60	4400	264000
3	चादर	840	440	369600
4	कुर्सी	20	4500	90000
5	तकिया	60	250	15000
6	बेंच 6X4	05	6000	30000
7	रेफ्रिजरेटर बड़ा	02	25000	50000
8	ग्राइन्डर बड़ा	02	15000	30000
9	थाली	120	350	42000
10	गिलास	120	60	7200
जीएसटी				221700
योग				1347500
11	पुस्तकालय हेतु पुस्तके	-	-	149500
महायोग				1497000

वर्ष 2023-24 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भोरिंग, जिला-महासमुंद में सामग्री क्रय की कार्यवाही नहीं की गई है।


अनुभाम अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, बख्त रायपुर

प्रपत्र "ब"

कं.	नाम	पदनाम	कय समिति में पदनाम
1	2	3	4
1	श्री निर्भय कुमार साहू	अपर कलेक्टर, महासमुन्द	अध्यक्ष
2	सुश्री शिल्पा साय	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, महासमुन्द	सदस्य सचिव
3	श्री एम.एल. साहू	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, महासमुन्द	सदस्य
4	श्री संजय कुमार चौधरी	जिला कोषालय अधिकारी, महासमुन्द	सदस्य
5	श्री घनश्याम साहू	प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, महासमुन्द	सदस्य
6	श्रीमती मंदाकिनी पण्डा	प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भोरिंग	सदस्य
7	श्री महेश कुमार साहू	प्र. कनिष्ठ लेखा अधिकारी, आदिवासी विकास महासमुन्द	सदस्य


 अनुभाष अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, बस्न रायपुर

पारोशेष्ट - पेंतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 150) की जानकारी


प्रपत्र

(राशि लाख में)

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिये कितनी-कितनी राशि, किन-किन एजेंसियों, फर्मों व एनजीओ को प्रदान की गई है	
			राशि	एजेंसी का नाम
1	2	3	4	5
1	2021-22	संविधान के अनुच्छेद 275 (1)	117.90	सहायक अभियंता क्रेडा विभाग महासमुन्द
2			4.41	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुन्द
3			9.50	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द
4			266.66	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुन्द
5			172.70	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुन्द
योग :-			571.17	
6	2021-22	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (कमार प्रकोष्ठ)	1.24	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुन्द
7			5.30	सहायक संचालक उद्यानिकी महासमुन्द
8			1.00	जिला खेल अधिकारी महासमुन्द
9			1.75	वन मण्डलाधिकारी महासमुन्द
10			7.50	जनपद पंचायत महासमुन्द
11	2022-23		10.00	जनपद पंचायत बागबाहरा
योग :-			26.79	
12	2021-22	विशेष केन्द्रीय सहायता मॉडल पॉकेट-01	19.24	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (एन0एस0क्यू0एफ) छ0ग0 स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय मिलाई
13			8.20	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास
14			2.96	वन मण्डलाधिकारी वन विभाग महासमुन्द
15			3.60	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुन्द
16			8.00	
17			1.00	
18			6.00	
19			1.81	
20			1.05	
21			0.40	
22			2.96	वन मण्डलाधिकारी वन विभाग महासमुन्द
योग :-			55.22	
23	2022-23	विशेष केन्द्रीय सहायता मॉडल पॉकेट-01	6.00	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (एन0एस0क्यू0एफ) छ0ग0 स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय मिलाई
24			16.50	
25			6.00	
26			19.74	
27			6.00	सहायक अभियंता क्रेडा विभाग महासमुन्द
28			10.00	जनपद पंचायत बागबाहरा
29			5.50	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं महासमुन्द
30			40.00	प्रचार्य जी0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्था महासमुन्द
31			0.37	
योग :-			110.11	

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिये कितनी-कितनी राशि, किन-किन एजेंसियों, फर्मों व एनजीओ को प्रदान की गई है		
			राशि	एजेंसी का नाम	
1	2	3	4	5	
32	2023-24	विशेष केन्द्रीय सहायता मॉडल पॉकेट-01	6.00	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (एन0एस0क्यू0एफ) छ0ग0 स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय भिलाई	
33			4.00		
34			10.00		
योग :-			20.00		
35	2021-22	विशेष केन्द्रीय सहायता मॉडल पॉकेट-02	1.80	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुन्द	
36			4.00		
37			0.75		
38			0.69		
39			1.95		सहायक संचालक रेशम विभाग महासमुन्द
40			8.20		जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास
41			1.92		वन मण्डलाधिकारी वन विभाग महासमुन्द
42			1.92		
योग :-			21.23		
43	2022-23	विशेष केन्द्रीय सहायता मॉडल पॉकेट-02	3.00	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (एन0एस0क्यू0एफ) छ0ग0 स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय भिलाई	
44			16.50		
45			14.56		
46			4.66		
47			10.50		
48			0.37		प्रचार्य जी0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्था महासमुन्द
49			4.00		सहायक संचालक मतस्य विभाग महासमुन्द
50			2.75		
योग :-			56.34		
51	2023-24	विशेष केन्द्रीय सहायता मॉडल पॉकेट-02	11.00	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (एन0एस0क्यू0एफ) छ0ग0 स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय भिलाई	
योग :-			11.00		
52	2021-22	कमार प्रकोष्ठ	13.91	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (एन0एस0क्यू0एफ) छ0ग0 स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय भिलाई	
53			1.00		
54			1.40		
55			1.40		
56			0.48		
57			1.00		वन मण्डल अधिकारी वन विभाग महासमुन्द
योग :-			19.19		
58	2022-23	कमार प्रकोष्ठ	2.08	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (एन0एस0क्यू0एफ) छ0ग0 स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय भिलाई	
59			1.33		
62			1.75		सहायक संचालक मतस्य विभाग महासमुन्द
64			0.93		मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बागबहारा
62			0.40		कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी महासमुन्द
63			1.20		
योग :-			7.70		
महायोग :-			898.74		

टीप :- सरल क्र. 12 से 63 तक की राशि पूर्व वर्षों में स्वीकृत राशि है। जो प्रश्नांश अवधि में एजेंसियों को प्रदाय किया गया है।


अनुभाष अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशेष्ट - छियालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 486) की जानकारी

प्रपत्र "अ"


वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
2022-23	छात्रावास/आश्रमों में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	33.18
	छात्रावास/आश्रमों में अहाता निर्माण	96.00
	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आल वेदर एप्रोच रोड का निर्माण	12.00
2023-24	छात्रावास/आश्रमों में अहाता का निर्माण	22.78
	अनुसूचित जनजाति छात्रावास/ आश्रम भवनों के अनुरक्षण एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	29.50
	अनुसूचित जनजाति छात्रावास/आश्रमों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	12.00
	आदिवासी क्षेत्रों में गोदाम सह उचित मूल्य की दुकान का निर्माण	11.96
	छात्रावास/आश्रमों में लाइब्रेरी की स्थापना	31.36
	वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	1.50
	छात्रावास/आश्रमों हेतु फूडग्रेन स्टोरेज कंटेनर का प्रदाय।	5.61
2024-25 (26 नवंबर 2024 तक)	निरंक	

lark
अनुभाष अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र 'ब'

स.क्र.	योजना का नाम	वर्ष	क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	संविधान के अनुच्छेद 275(i)	2022-23	1	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास भरीटोला वि.खं.डौण्डी में स्नानागार एवं शौचालय का निर्माण।	5.53	पूर्ण
			2	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घोटिया वि.खं.डौण्डी में स्नानागार एवं शौचालय का निर्माण।	5.53	पूर्ण
			3	श्री.मै. आदर्श आदिवासी छात्रावास डौण्डी-1, भरीटोला वि.खं.डौण्डी में स्नानागार एवं शौचालय का निर्माण।	5.53	पूर्ण
			4	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मंगचुवा वि.खं. डौण्डी लोहारा में स्नानागार एवं शौचालय का निर्माण।	5.53	प्रगति पर
			5	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डीलोहारा वि.खं. डौण्डी लोहारा में स्नानागार एवं शौचालय का निर्माण।	5.53	पूर्ण
			6	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सुरेगाव, वि.खं. डौण्डी लोहारा में स्नानागार एवं शौचालय का निर्माण।	5.53	प्रगति पर
			7	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास भरीटोला वि.खं. डौण्डी में अहाता निर्माण।	12.00	पूर्ण
			8	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोटागांव वि.खं. डौण्डी में अहाता निर्माण।	12.00	पूर्ण
			9	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास दल्लीराजहरा वि.खं. डौण्डी में अहाता निर्माण।	12.00	प्रगति पर
			10	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास नरटोला वि.खं. डौण्डी में अहाता निर्माण।	12.00	पूर्ण
			11	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डी वि.खं. डौण्डी में अहाता निर्माण।	12.00	पूर्ण
			12	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास रंगाडबरी वि.खं. डौण्डीलोहारा में अहाता निर्माण।	12.00	अपूर्ण
			13	आदिवासी बालक आश्रम दुर्गीटोला वि.खं. डौण्डीलोहारा में अहाता निर्माण।	12.00	पूर्ण
			14	आदिवासी बालक आश्रम हितापठार वि.खं. डौण्डीलोहारा में अहाता निर्माण।	12.00	पूर्ण
			1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौण्डी, वि.खं. डौण्डी में एप्रोच रोड का निर्माण	12.00	पूर्ण
				योग	141.18	

1	2	3	4	5	6	7
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2023-24	1	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डीलोहार वि.खं. डौण्डीलोहार में अहाता का निर्माण	11.39	प्रगति पर
			2	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मंगलतराई वि.खं.डौण्डी में अहाता का निर्माण	11.39	पूर्ण
			3	आदिवासी कन्या आश्रम बड़ाजुंगी वि.खं.व वि.स.क्षे. डौण्डीलोहार में अनुक्षण एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	पूर्ण
			4	आदिवासी बालक आश्रम लुरकाझर वि.खं.व वि.स.क्षे. डौण्डीलोहार में अनुक्षण एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	प्रगति पर
			5	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बंजारी, वि.खं. डौण्डीलोहार में अनुक्षण एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	पूर्ण
			6	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास भैसबोड वि.खं. डौण्डी में अनुक्षण एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	पूर्ण
			7	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास डौण्डी वि.खं. डौण्डी में अनुक्षण एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	पूर्ण
			8	श्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, डौण्डीलोहार वि.खं. डौण्डीलोहार में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	12.00	प्रगति पर
			9	आदिवासी क्षेत्र के ग्राम/ग्राम पंचायत पुनारकसा वि.खं. डौण्डीलोहार में गोदाम सह उचित मूल्य की दुकान निर्माण	11.96	प्रगति पर
			10	श्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास खोस्थाबाजार वि.खं. डौण्डीलोहार में लाईब्रेरी की स्थापना।	4.48	पूर्ण
			11	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास अरजपुरी वि.खं. डौण्डीलोहार में लाईब्रेरी की स्थापना।	4.48	पूर्ण
			12	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डीलोहार वि.खं. डौण्डीलोहार में लाईब्रेरी की स्थापना।	4.48	पूर्ण
			13	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास रंगाडबरी वि.खं. डौण्डीलोहार में लाईब्रेरी की स्थापना।	4.48	पूर्ण
			14	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डी-2 वि.खं. डौण्डी में लाईब्रेरी की स्थापना।	4.48	पूर्ण
			15	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास साल्हे वि.खं. डौण्डी में लाईब्रेरी की स्थापना।	4.48	पूर्ण
			16	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डी वि.खं. डौण्डी में लाईब्रेरी की स्थापना।	4.48	पूर्ण
			17	वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, सीएफआरआर 26, ग्राम समारों की संख्या 3	1.50	प्रगति पर
			18	छात्रावास/आश्रमों हेतु फूडग्रेन स्टोरेज कंटेनर का प्रदाय।	5.610	पूर्ण
				योग	114.71	
3	संविधान के अनुच्छेद 275(1) (26 नवम्बर 2024 तक)	2024-25		निरक		


अनुपम अधिकारी
आदिवासी कर्मि तथा अनुरोधित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशिए - सैतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 534) की जानकारी

क्र.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	उपकरण का नाम	क्रय संख्या	क्रय आदेश क्र. /दिनांक	उपकरण प्राप्त दिनांक	विलंब से प्राप्त उपकरण	दर रु. में	कीमत प्रति रु. लाख में	उपकरण प्रदाय दिनांक	फर्म का नाम	प्रक्रिया विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2021-22	विलासपुर	डी.एम.एफ. मर	सिक्कर संत	100	3166/07.01.22	29.01.22	-	24,550.00	24.55	14.02.2022	छ.ग.राज्य कीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माध्यम से मेसर्स गोमन प्लॉस्टिक इंडस्ट्रीज विलासपुर द्वारा	कीज निगम के आर.सी.ओ. के आभार पर निशुल्क विवरण
2			डी.एम.एफ. मर	सिक्कर संत	100	3166/07.01.22	07.02.22	-	24,400.32	24.40	16.02.2022, 24.02.2022	छ.ग.राज्य कीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माध्यम से मेसर्स एम.एस. स्टील सेंटर विलासपुर द्वारा	कीज निगम के आर.सी.ओ. के आभार पर निशुल्क विवरण
3			डी.एम.एफ. मर	शैदीहैड संथार	80	3308/21.01.22	08.02.22	-	5,479.60	4.38	16.02.2022, 24.02.2022	छ.ग.राज्य कीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माध्यम से मेसर्स नेच्यून केकेडिग इंडोर द्वारा	कीज निगम के आर.सी.ओ. के आभार पर निशुल्क विवरण
4			डी.एम.एफ. मर	सिक्कर संत	150	3164/07.01.22	29.01.22	-	24,550.00	36.83	17.02.2022	छ.ग.राज्य कीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माध्यम से मेसर्स गोमन प्लॉस्टिक इंडस्ट्रीज विलासपुर द्वारा	कीज निगम के आर.सी.ओ. के आभार पर निशुल्क विवरण
5			डी.एम.एफ. मर	सिक्कर संत	150	3164/07.01.22	07.02.22	-	24,400.32	36.60	16.02.2022, 24.02.2022	छ.ग.राज्य कीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माध्यम से मेसर्स एम.एस. स्टील सेंटर विलासपुर द्वारा	कीज निगम के आर.सी.ओ. के आभार पर निशुल्क विवरण
6			डी.एम.एफ. मर	शैदीहैड संथार	90	3304/21.01.22	08.02.22	-	5,479.60	4.93	16.02.2022, 24.02.2022	छ.ग.राज्य कीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माध्यम से मेसर्स नेच्यून केकेडिग इंडोर द्वारा	कीज निगम के आर.सी.ओ. के आभार पर निशुल्क विवरण
7			डी.एम.एफ. मर	सिक्कर संत	150	3162/07.01.22	27.01.22	-	24,400.32	36.60	06.02.2022	छ.ग.राज्य कीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माध्यम से मेसर्स एम.एस. स्टील सेंटर विलासपुर द्वारा	कीज निगम के आर.सी.ओ. के आभार पर निशुल्क विवरण
8			डी.एम.एफ. मर	सिक्कर संत	175	3162/07.01.22	12.02.22	-	24,550.00	42.96	20.02.2022	छ.ग.राज्य कीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माध्यम से मेसर्स गोमन प्लॉस्टिक इंडस्ट्रीज विलासपुर द्वारा	कीज निगम के आर.सी.ओ. के आभार पर निशुल्क विवरण
9			डी.एम.एफ. मर	शैदीहैड संथार	90	3306/21.01.22	08.02.22	-	5,479.60	4.93	16.02.2022, 24.02.2022	छ.ग.राज्य कीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माध्यम से मेसर्स नेच्यून केकेडिग इंडोर द्वारा	कीज निगम के आर.सी.ओ. के आभार पर निशुल्क विवरण
10			डी.एम.एफ. मर	सिक्कर संत	175	3160/07.01.22	09.03.22	-	24,550.00	42.96	14.03.2022	छ.ग.राज्य कीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माध्यम से मेसर्स गोमन प्लॉस्टिक इंडस्ट्रीज विलासपुर द्वारा	कीज निगम के आर.सी.ओ. के आभार पर निशुल्क विवरण
11			डी.एम.एफ. मर	सिक्कर संत	150	3160/07.01.22	15.03.22	-	24,400.32	36.60	19.03.2022, 20.03.2022	छ.ग.राज्य कीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माध्यम से मेसर्स एम.एस. स्टील सेंटर विलासपुर द्वारा	कीज निगम के आर.सी.ओ. के आभार पर निशुल्क विवरण
12			डी.एम.एफ. मर	शैदीहैड संथार	90	3302/21.01.22	08.02.22	-	5,479.60	4.93	16.02.2022, 24.02.2022	छ.ग.राज्य कीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माध्यम से मेसर्स नेच्यून केकेडिग इंडोर द्वारा	कीज निगम के आर.सी.ओ. के आभार पर निशुल्क विवरण

क्र.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	उपकरण का नाम	क्रय संख्या	क्रय आदेश क्र./दिनांक	उपकरण प्राप्त दिनांक	विलंब से प्राप्त उपकरण	दर रु. में	कीमत राशि रु. लाख में	उपकरण प्रदाय दिनांक	फर्म का नाम	प्रक्रिया विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13			श्री.एम.एफ. मरद	मिनी सर्जस मिल	20	4133/07.03.22	23.03.22	-	98,499.50	19.70	30.03.2022	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि.मि. मण्डल से मेसर्स सुरजित एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज दुर्ग द्वारा	बीज निगम के आर.सी.ओ के आभार पर निशुल्क वितरण
14		विलासपुर	कृषि यांत्रिकीकरण सब निगम योजना	हैड स्पेयर	148	3289/18.01.22	10.02.22	-	1,528.52	2.26	11.02.2022	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि.मि. मण्डल से मेसर्स माता दी एपी इन्व्हीमेंट राजिम द्वारा	बीज निगम के आर.सी.ओ के आभार पर काय कर राशि रु.750 एवं रु. 600 या 50 एवं 40 प्रतिशत पर वितरण किया गया ।
15	2021-22		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगम योजना	हैड स्पेयर	70	2912/08.12.21	02.02.22	-	1,528.52	1.07	09.02.2022	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि.मि. मण्डल से मेसर्स माता दी एपी इन्व्हीमेंट राजिम द्वारा	बीज निगम के आर.सी.ओ के आभार पर काय कर राशि रु.750 एवं रु. 600 या 50 एवं 40 प्रतिशत पर वितरण किया गया ।
16			टागरासोडिंग सर्जस कर्ता एरिया (सरका) योजना	हैड स्पेयर	430	4007/24.02.22	03.03.22	-	1,528.52	6.57	06.03.2022	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि.मि. मण्डल से मेसर्स माता दी एपी इन्व्हीमेंट राजिम द्वारा	बीज निगम के आर.सी.ओ के आभार पर काय कर राशि रु.750 एवं रु. 600 या 50 एवं 40 प्रतिशत पर वितरण किया गया ।
17		मुंगेली											
18			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगम योजना	शैरी स्पेयर	172	1164/14.07.22	15.09.22	-	4,383.66	7.54	21.09.2022	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि.मि. मण्डल से मेसर्स माता दी एपी इन्व्हीमेंट राजिम द्वारा	बीज निगम के आर.सी.ओ के आभार पर काय कर राशि रु. 3800 एवं रु. 3100 या 50 एवं 40 प्रतिशत पर वितरण किया गया
19			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगम योजना	हैड स्पेयर	250	1162/14.07.22	11.11.22	-	1,528.53	3.82	17.11.2022	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि.मि. मण्डल से मेसर्स माता दी एपी इन्व्हीमेंट राजिम द्वारा	बीज निगम के आर.सी.ओ के आभार पर काय कर राशि रु.750 एवं रु. 600 या 50 एवं 40 प्रतिशत पर वितरण किया गया ।
20	2022-23	विलासपुर	कृषि यांत्रिकीकरण सब निगम योजना	हैड स्पेयर	1065	2523/01.12.22	20.02.23	-	234.60	2.50	25.02.2023	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि.मि. मण्डल से मेसर्स बटाला इंडीरिया वर्क रायपुर द्वारा	बीज निगम के आर.सी.ओ के आभार पर काय कर राशि रु.750 एवं रु. 600 या 50 एवं 40 प्रतिशत पर वितरण किया गया ।
21			कृषि यांत्रिकीकरण सब निगम योजना	हैड स्पेयर	1065	4345/21.03.23	23.03.23	-	234.60	2.50	27.03.2023	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि.मि. मण्डल से मेसर्स बटाला इंडीरिया वर्क रायपुर द्वारा	बीज निगम के आर.सी.ओ के आभार पर काय कर राशि रु.750 एवं रु. 600 या 50 एवं 40 प्रतिशत पर वितरण किया गया ।
22			श्री.एम.एफ. मरद	मिनी सर्जस मिल	30	444/17.05.22	02.06.22, 08.06.22	-	98,499.50	29.55	23.06.22, 02.07.22, 15.02.23	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि.मि. मण्डल से मेसर्स सुरजित एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज दुर्ग द्वारा	बीज निगम के आर.सी.ओ के आभार पर निशुल्क वितरण

रिक्त

क्र.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	उपकरण का नाम	क्रय संख्या	क्रय आदेश क्र. /दिनांक	उपकरण प्राप्ति दिनांक	विलंब से प्राप्ति उपकरण	दर रु. में	कीमत राशि रु. लाख में	उपकरण प्राप्ति दिनांक	कर्म का नाम	प्रक्रिया विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	यांत्रित चलित नेपसेक संयंत्र	77	2329/10.08.2022	16.08.2022	-	4383.68	3.38	17.08.2022	छा.राज्य शीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माह्यम से मेसर्स रामदेव मार्केटिंग कोपुजाराब द्वारा	शीज निगम के आर.सी.ओ. के आचार पर क्रय कर 50 एवं 40 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को विवरण किया गया।
24					68	2331/10.08.2022	16.08.2022	-	4383.68	2.98	17.08.2022		
25					2	2332 ए /10-08-2022	05.09.2022	-	260000	5.20	18.09.2022		
26	2022-23	मुंगेली	शीपएफ योजना	फुड ग्रैन शेल्टर मशीन	2	2332 ए /10-08-2022	05.09.2022	-	260000	5.20	22.09.2022	छा.राज्य शीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माह्यम से मेसर्स रित्तयवत कोपरेथान प्रा लिमि. द्वारा	सैम्स प्रणाली के आर.सी.ओ. के आचार पर क्रय कर महिला स्व-सहायता समूह को निशुल्क वितरण किया गया।
27					2	2332 ए /10-08-2022	05.09.2022	-	260000	5.20	23.09.2022		
28			जीविक संवर्धन मिशन	हस्त चलित संयंत्र	450	2378/12-08-2022	02.09.2022	-	1568.60	7.06	03.09.2022	छा.राज्य शीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माह्यम से मेसर्स माता दी इलेक्ट्रीकल्स राजिम द्वारा	शीज निगम के आर.सी.ओ. के आचार पर क्रय कर जीविक संवर्धन में स्वीकृत कृषकों को निशुल्क वितरण किया गया।
29				इस्त्रेशन पत्र संद	82	91/06.07.2023	03.10.2023	-	23,780.48	19.50	03.10.2023	छा.राज्य शीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माह्यम से माता दी एसी इन्फोटेक द्वारा	छा.राज्य शीज विकास निगम आनलाईन (आर.सी.ओ.) पोर्टल के माध्यम से क्रय कर हितगर्ही को आवंटित
30			डब्ल्यू.डी.सी.-शीपमकेएस चारा 2.0 / 1 कोटा	संयंत्र	300		03.10.2023	-	7,096.66	21.29	03.10.2023	छा.राज्य शीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माह्यम से मेसर्स माता दी इलेक्ट्रीकल्स राजिम द्वारा	छा.राज्य शीज विकास निगम आनलाईन (आर.सी.ओ.) पोर्टल के माध्यम से क्रय कर हितगर्ही को आवंटित
31		बिलासपुर		स्त्रिकलर संद	2000	330/08.02.2024	22.02.2024	-	825.50	16.51	22.02.2024	छा.राज्य शीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माह्यम से मेसर्स कनिष्क इस्टाब्लिश्मेंट्स द्वारा	छा.राज्य शीज विकास निगम आनलाईन (आर.सी.ओ.) पोर्टल के माध्यम से क्रय कर हितगर्ही को आवंटित
32	2023-24		शीपएफ. मर	बैट्री संयंत्र	3664	712/05.06.23	18.08.23	-	5,917.97	216.83	21.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023, 26.08.2023	छा.राज्य शीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माह्यम से मेसर्स नेच्यूरल प्रोडक्ट्स इंडिया द्वारा	शीज निगम के आर.सी.ओ. के आचार पर निशुल्क वितरण
33					60	1500/20-07-2023	11.08.2023	-	26334	15.80	17.08.2023	छा.राज्य शीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माह्यम से मेसर्स किसान एगो एजेंसी यागा द्वारा	शीज निगम के आर.सी.ओ. के आचार पर क्रय कर कृषकों को निशुल्क वितरण किया गया।
34					60	1500/20-07-2023	11.08.2023	-	26334	15.80	20.08.2023		
35		मुंगेली	शीपएफ योजना	बैट्री कम हस्त चलित संयंत्र	200	1782/07-08-2023	31.08.2023	-	5537.28	11.07	12.09.2023	छा.राज्य शीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. माह्यम से मेसर्स किसान एगो एजेंसी यागा द्वारा	शीज निगम के आर.सी.ओ. के आचार पर क्रय कर कृषकों को निशुल्क वितरण किया गया।
36					80	1500/20-07-2023	11.08.2023	-	26334	21.07	21.08.2023		
37					389	1782/07-08-2023	31.08.2023	-	5537.28	21.54	12.09.2023		
38					400	1782/07-08-2023	31.08.2023	-	5537.28	22.15	12.09.2023		

क्र.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	उपकरण का नाम	क्रय संख्या	क्रय आदेश क्र. /दिनांक	उपकरण प्राप्त दिनांक	विलंब से प्राप्त उपकरण	दर रु. में	कीमत राशि रु. लाख में	उपकरण प्रदाय दिनांक	फर्म का नाम	प्रक्रिया विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39				सिमाई पप सेट	25	201/14.09.2023	25.09.2023	-	26082.72	6.52	30.09.2023	श.ग. राज्य क्षेत्र एवं कृषि विकास निगम लि.ि. धरमपुरा मुंगेरी के माध्यम से भर्तस मातादी इलेक्ट्रॉनिक्स एड. ऑफिस के पास किंगडोर रोड राजीम, जि. गरियाबंद (छ.ग.)	
40				रस बलित यंत्र (इजन ऑपरेटेबल)	10	201/14.09.2023	25.09.2023	-	25523.40	2.55	05.10.2023		
41				स्विकरण पाइप सेट	35	390/08.12.2023	04.01.2024	-	573.82	10.04	10.01.2024	श.ग. राज्य क्षेत्र एवं कृषि विकास निगम लि.ि. धरमपुरा मुंगेरी के माध्यम से (फर्म श्री भण्डारी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.ि. जयपुर, राजस्थान)	क्षेत्र निगम के आर.सी.ओ. के आभार पत्र क्रय कर कृषकों को हितरण किया गया।
42	2023-24	मुंगेरी	उल्करीसी-वीरमकेश बाग 20 सोनपुरीनाला मुंगेरी/प्यरिया		35	505/15.03.2024	30.06.2024	-	573.82	10.04	06.07.2024	श.ग. राज्य क्षेत्र एवं कृषि विकास निगम लि.ि. धरमपुरा मुंगेरी के माध्यम से फर्म गौतम इलेक्ट्रॉनिक्स एड. ऑफिस के पास किंगडोर रोड राजीम, जि. गरियाबंद (छ.ग.)	
43				सिमाई पप सेट	10	546/12.12.2023	28.12.2023	-	13793.79	1.38	04.01.2024	श.ग. राज्य क्षेत्र एवं कृषि विकास निगम लि.ि. धरमपुरा मुंगेरी के माध्यम से फर्म गुला मोटेई, देवेन्द्र नगर रायपुर प्रा.लि.ि.	
44					10	503/15.03.2024	25.07.2024	-	13793.80	1.38	01.08.2024		
45	2024-25 (नवम्बर 2024 तक)	हिलसापुर											
46		मुंगेरी											

(विकास निष्ठा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जीव शैक्षणिक विभाग

(सही/-)
नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

प्रपत्र-ब

हेतु उपकरण का क्रय की जानकारी

जिला बिलासपुर एवं मुंगेली अंतर्गत कृषि कल्याण

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	योजना का नाम	उपकरण का नाम	क्रय किये गये उपकरणों की संख्या	प्रति उपकरण की इकाई दर राशि रु.	क्रय किये गये उपकरणों की कुल राशि रु.	प्रदायकर्ता फर्म का नाम	क्रय की प्रक्रिया	क्रय आदेश दिनांक	हिताह्वियों को उपकरण उपलब्ध कराने दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जनवरी 2022 से मार्च 2023 तक	बिलासपुर मुंगेली	राष्ट्रीय बागवानी मिशन उद्यानिकी में यंत्रीकरण	पावर बीडर	50	141480.00	7074000.00	बीज निगम द्वारा अनुबंधित फर्म किसान एगोटेक दुर्ग	भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए बीज निगम द्वारा अनुबंधित फर्म किसान एगोटेक दुर्ग से क्रय	13.09.2023	22.09.2023 से 25.09.2023 तक
2	2023-24 (नवम्बर तक)	मुंगेली	जिला खनिज न्यास निधि मर	सोलर ड्रायर	12	125139.00	1501668.00	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए बीज निगम से क्रय	21.07.2023	07.08.2023
		मुंगेली	राष्ट्रीय बागवानी मिशन उद्यानिकी में यंत्रीकरण	पावर बीडर	20	138432.00	2769040.00	बीज निगम द्वारा अनुबंधित फर्म किसान एगोटेक दुर्ग	भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए बीज निगम द्वारा अनुबंधित फर्म किसान एगोटेक दुर्ग से क्रय	14.09.2023	03.10.2023

निरंक

(विकास अधिकारी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशेष्ट - अड़तालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 535) की जानकारी

प्रपत्र - 'अ'

वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 26/11/2024 तक विभाग प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की विभागीय जाँच, निलंबन व बर्खास्त करने की कार्यवाही की जानकारी

विभाग का नाम : आवास एवं पर्यावरण						
क्र.	कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	श्रेणी	अधिकारी का नाम/पदनाम पदस्थापना कार्यालय	विभागीय जाँच/निलंबन/ बर्खास्त की कार्यवाही	कारण
1	नगर तथा ग्राम निवेश	2023-24	प्रथम श्रेणी	निरंक	निरंक	निरंक
			द्वितीय श्रेणी	निरंक	निरंक	निरंक
		2024-25	प्रथम श्रेणी	निरंक	निरंक	निरंक
			द्वितीय श्रेणी	श्री बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे), नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	निलंबन	एन्टी करप्शन ब्यूरो, अंबिकापुर द्वारा धारा-7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पी.सी. एक्ट 1988 (संशोधित 2018) अंतर्गत गिरफ्तार एवं अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये जाने के फलस्वरूप कार्यवाही की गई है।
2	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	2023-24	प्रथम श्रेणी	श्री विनोद कुमार गहरवार, कार्यपालन अभियंता (सिविल), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल-02, रायपुर	निलंबन	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-02, रायपुर के अंतर्गत ब्लॉक तिल्दा के कम्प्यूटराईज्ड माप पुस्तिका एवं चल देयकों के भुगतान की प्रतियाँ छुपाकर रखने के संबंध में।
			द्वितीय श्रेणी	श्री नितेश कश्यप, सहायक अभियंता, संभाग-2 रायपुर	विभागीय जाँच	संभाग-2 रायपुर कार्यालय के अधीनस्थ विभिन्न कॉलोनियों के रखरखाव कार्य अंतर्गत एल.एम.सी./सी.एम.सी./जलकर की राशि वसूली हेतु जारी किये गये एम.आर.बुक में से वर्तमान में उपयोग किये जा चुके एम.आर.बुक की कार्यालयीन प्रति जमा नहीं किये जाने के संबंध में।
			द्वितीय श्रेणी	श्री नितेश कश्यप, सहायक अभियंता, संभाग-2 रायपुर	विभागीय जाँच	संभाग क्रमांक-2 के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों हेतु आवास निर्माण एवं विकास कार्य के ब्लॉक तिल्दा एवं धरसीवा हेतु प्रस्तुत अंतिम चल देयकों के साथ पूर्व चल देयकों की मापपुस्तिका जमा नहीं किये जाने के संबंध में।
		2024-25	प्रथम श्रेणी	श्री संदीप कुमार साहू, कार्यपालन अभियंता (प्रभारी उपायुक्त) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त-रायपुर	निलंबन	एकलव्य खेलकूद प्रकल्प परिसर, रायपुर में छात्रावास भवन एवं स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य के संबंध में।
			द्वितीय श्रेणी	श्री अरूण कुमार ठाकुर, शाखा अधिकारी, संभाग-दंतेवाड़ा	विभागीय जाँच	श्री ओजस्व यदु पिता स्व. मनोज यदु के अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में कर्तव्य निर्वहन में अनियमितता एवं लापरवाही के संबंध में।
3	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल	2023-24	प्रथम श्रेणी	निरंक	निरंक	निरंक
			द्वितीय श्रेणी	निरंक	निरंक	निरंक
		2024-25	प्रथम श्रेणी	श्री अमर प्रकाश सावंत, जनसंपर्क अधिकारी	निलंबन	प्रशासनिक कारणों से
			द्वितीय श्रेणी	निरंक	निरंक	निरंक


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र - 'ब'

वित्तीय वर्ष 2023-24 से नवंबर 2024 तक प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	अधिकारी का नाम एवं कार्यालय	श्रेणी	शिकायत के विषय	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत दिनांक	की गई कार्यवाही
1	श्री विमल कुमार बगवैया, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	द्वितीय श्रेणी	नगर तथा ग्राम निवेश संयुक्त संचालक, दुर्ग कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक विमल कुमार बगवैया की शिकायत हेतु।	श्री संजय मोहन वर्मा, गवली पारा दुर्ग(छ.ग.)	20-04-2023	संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26.09.2024 के आधार पर प्रकरण दिनांक 18/06/2024 को नस्तीबद्ध।
2	श्री संजूलाल सिंह, सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कोरिया के प्राप्त नियमितकरण में भ्रष्टाचार करने के संबंध में शिकायत।	गोपाल सिंह निवासी ओड़गी नाका बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया	23-05-2023	सहा. संचालक, कोरिया की ओर तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन हेतु। 1309/11.05.2023
3	श्री विमल कुमार बगवैया, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	द्वितीय श्रेणी	नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय दुर्ग(छ.ग.) में पदस्थ श्री विमल कुमार बगवैया द्वारा रिश्तत लेने एवं शासकीय भूमि से संबंधित शिकायत के संबंध में।	श्री केशव कुमार मरकाम	25-05-2023	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 29.08.2023 के आधार पर दिनांक 04.04.2024 को प्रकरण नस्तीबद्ध।
4	श्री गणेश राम तुरकाने, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	प्रथम श्रेणी	संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश में पदस्थ अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार शिकायत के संबंध में।	श्री मनीष साहू, आर.टी.आई. एक्टिविस्ट, सदस्य, छ.ग. एंटी करप्शन बोर्ड पुरानी बस्ती रायपुर	27-09-2023	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
5	श्री पी.एल. दिल्लीवार, उप संचालक(सेवानिवृत्त), नगर तथा ग्राम निवेश	प्रथम श्रेणी	सहायक संचालक, नगरीय एवं ग्राम निवेश कांकेर, श्री पी.एल. दिल्लीवार की शिकायत बाबत।	श्री सुनील गोस्वामी(अधिवक्ता) बरदेभाठा वार्ड कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर	11-03-2024	पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु। स्पष्टीकरण अप्राप्त
6	श्री सूर्यभान सिंह ठाकुर, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	प्रथम श्रेणी	टाउन प्लानिंग कार्यालय दुर्ग के भ्रष्ट संयुक्त संचालक सूर्यभान सिंह ठाकुर को तत्काल हटाने और जांच कर कड़ी कार्यवाही करने हेतु।	रिटायर्ड सैनिक, दुर्ग, जिला दुर्ग	13-11-2024	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
7	श्री जी.पी. प्रजापति, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, संभाग- अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	प्रथम श्रेणी	श्री जी.पी. प्रजापति, कार्यपालन अभियंता एवं श्री सदीप तिकी, सहायक के द्वारा निविदा में भारी भ्रष्टाचार करने के संबंध में।	श्री जवाहर गुप्ता, उत्तम कंस्ट्रक्शन	05.06.2023	मुख्यालय के पत्र क्रमांक 1711 दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र-विलासपुर को प्रकरण की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने लेख किया गया। जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.09.2023 के अनुसार प्रकरण समाप्त किया गया।
8	श्री अजीत सिंह पटेल, तत्कालीन उपायुक्त, वृत्त- रायपुर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	प्रथम श्रेणी	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में कार्यरत उपायुक्त श्री अजीत सिंह पटेल के विरुद्ध आर्थिक अपराध का मामला दर्ज कर अन्वेषण बाबत।	श्री खेलावन पटेल, नर्मदा पारा, रायपुर	20.06.2023	मुख्यालय के पत्र क्रमांक 1500 दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र-विलासपुर को प्रकरण की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने लेख किया गया। जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 21.11.2023 को प्रेषित किया गया है। प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

9	श्री एम.के. सोम, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी, संभाग/प्रक्षेत्र-धमतरी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	प्रथम श्रेणी	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग/ प्रक्षेत्र-धमतरी में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी को होने वाले मानसिक प्रताड़ना के संबंध में।	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग/ प्रक्षेत्र-धमतरी में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी	16.01.2024	मण्डल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 95 दिनांक 26.02.2024 के माध्यम से श्री एम. के. सोम, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी, संभाग / प्रक्षेत्र-धमतरी का स्थानांतरण संभाग- विलासपुर किया गया।
10	श्री पंकज कुमार मिश्रा कार्यपालन अभियंता, संभाग-महासमुद्र, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	प्रथम श्रेणी	वन विद्यालय खेल मैदान में निर्माणाधीन सिंथेटिक ट्रैक कार्य में गुणवत्ता एवं अनियमितता की जांच वावत्	श्री योगेश्वर राजू सिन्हा माननीय विधायक महासमुद्र	19.04.2023	मुख्यालय के पत्र क्रमांक 1711 दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र-विलासपुर को प्रकरण की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने लेख किया गया।
11	श्री पूनम चंद अग्रवाल उपायुक्त वृत्त-दुर्ग, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	प्रथम श्रेणी	छ.ग. गृह निर्माण मण्डल वृत्त-दुर्ग में पदस्थ उपायुक्त श्री पूनम चंद अग्रवाल के द्वारा कमजोर गरीब वर्ग एवं मध्यम वर्ग के भवनों को एन. आर. वायर्स प्रायवेट लिमिटेड डायरेक्ट नेतराम अग्रवाल अपने मामा को आवंटित करने की शिकायत।	श्री शेख आरिफ हुसैन बोरसी, पंचशील कालोनी दुर्ग	27.07.2024	मुख्यालय के आदेश क्रमांक 920 दिनांक 03.10.2024 के माध्यम से प्रकरण की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जांच समिति का गठन किया गया।
12	संपदा अधिकारी संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	प्रथम श्रेणी	छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग में भूखण्ड क्रमांक प-400 कोहका के वास्तविक आबंटी के रहते अधिकारी एवं (संविदा) कर्मचारियों द्वारा भवन को भ्रष्टाचार कर किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर फर्जी रजिस्ट्री करने के संबंध में।	श्री धीरेन्द्र हिरवानी हाउसिंग बोर्ड मिलाई	14.05.2024	मुख्यालय के आदेश क्रमांक 180 दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से प्रकरण की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति द्वारा 09.10.2024 को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
13	श्री पी.के. सोनवानी मुख्य संपदा अधिकारी मुख्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	प्रथम श्रेणी	छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के मुख्य संपदा अधिकारी द्वारा आवेदक श्री के.वी. गुजर ज्येष्ठ नागरिक के प्रति जानलेवा कार्यप्रणाली एवं अपने पद के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत पत्र।	श्री के.वी. गुजर आर.- 27, साई कृपा, हाउसिंग बोर्ड कालोनी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई	16.07.2024	मुख्यालय के पत्र क्रमांक 2032 दिनांक 04.09.2024 के माध्यम से श्री पी. के. सोनवानी, मुख्य संपदा अधिकारी से प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। उनके द्वारा दिनांक 28.10.2024 को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
14	श्री विनोद गहरवार कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	प्रथम श्रेणी	श्री विनोद गहरवार कार्यपालन अभियंता, श्री जितेन्द्र साहू सहायक अभियंता व श्री गौरव कोरे उपअभियंता के खिलाफ शिकायत	सुश्री रेखा भूते, डी- क्लास ठेकेदार	14.10.2024	मुख्यालय के पत्र क्रमांक 2274 दिनांक 06.11.2024 के माध्यम से श्री विनोद गहरवार, कार्यपालन अभियंता से स्पष्टीकरण चाही गई है, उनके द्वारा 19.11.2024 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
15	श्री हेमंत कुमार वर्मा, एडिसिनल कमिश्नर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	प्रथम श्रेणी	पुरेना में हमारी जमीन के साथ जालसाजी करने वाले अधिकारी श्री हेमंत कुमार वर्मा, एडिसिनल कमिश्नर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में।	श्री नीलेश ठाकुर, अधिवक्ता लिली चौक पुरानी बस्ती रायपुर	08.06.2023	मुख्यालय के पत्र क्रमांक 1338 दिनांक 20.07.2023 से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारधीन होने से अवगत कराया गया है।


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

छात्रावास / आश्रमों की सूची


क्र.	संस्था का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	2	3
1	आदिवासी बालक आश्रम जोबी	खरसिया
2	आदिवासी कन्या आश्रम बड़ेडूमरपाली	खरसिया
3	आदिवासी बालक आश्रम कुकरीझरिया	खरसिया
4	आदिवासी बालक आश्रम खरसिया (चोढा)	खरसिया
5	आदिवासी कन्या आश्रम हालाहुली	खरसिया
6	आदिवासी कन्या आश्रम तेन्दूमुड़ी	खरसिया
7	आदिवासी कन्या आश्रम खम्हार	खरसिया
8	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम परसकोल	खरसिया
9	आदिवासी कन्या आश्रम गोढी	तमनार
10	आदिवासी कन्या आश्रम महलोई	तमनार
11	आदिवासी कन्या आश्रम सराईपाली	तमनार
12	आदिवासी कन्या आश्रम कया	घरघोड़ा
13	आदिवासी कन्या आश्रम नवापारा टेण्डा	घरघोड़ा
14	आदिवासी कन्या आश्रम पानीखेत	घरघोड़ा
15	आदिवासी बालक आश्रम बसंतपुर	लैलूंगा
16	आदिवासी कन्या आश्रम राजपुर	लैलूंगा
17	आदिवासी कन्या आश्रम लारीपानी	लैलूंगा
18	आदिवासी कन्या आश्रम सोनाजोरी	लैलूंगा
19	आदिवासी कन्या आश्रम कुरा	लैलूंगा
20	बिरहोर बालक आश्रम धरमजयगढ़	धरमजयगढ़
21	आदिवासी कन्या आश्रम लक्ष्मीपुर	धरमजयगढ़
22	आदिवासी बालक आश्रम संगरा	धरमजयगढ़
23	आदिवासी बालक आश्रम क्रिन्धा	धरमजयगढ़
24	आदिवासी बालक आश्रम चटकपुर	धरमजयगढ़
25	आदिवासी बालक आश्रम कुमरता	धरमजयगढ़
26	आदिवासी कन्या आश्रम कापू	धरमजयगढ़

क्र.	संस्था का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	2	3
27	आदिवासी कन्या आश्रम पखनाकोट	धरमजयगढ़
28	आदिवासी कन्या आश्रम पुरुंगा	धरमजयगढ़
29	आदिवासी कन्या आश्रम छाल	धरमजयगढ़
30	आदिवासी बालक आश्रम मचिदा	पुसौर
31	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास क्र0 01 रायगढ़	रायगढ़
32	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास क्र0 02 रायगढ़	रायगढ़
33	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़
34	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास जामगांव	रायगढ़
35	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास महापल्ली	रायगढ़
36	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़
37	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास नंदेली	रायगढ़
38	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़
39	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़
40	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़
41	पो.मै.आदि. कर्मचारी पुत्र छात्रावास रायगढ़	रायगढ़
42	पो.मै.आदि. कर्मचारी पुत्री छात्रावास रायगढ़	रायगढ़
43	पो.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़
44	पो.मै.पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़
45	पो.मै.पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़
46	पो.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़
47	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास पुसौर	पुसौर
48	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास झारमुडा	पुसौर
49	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पुसौर	पुसौर
50	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पुसौर	पुसौर
51	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जतरी	पुसौर
52	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास खरसियां	खरसिया
53	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बर्षा क्र.01	खरसिया
54	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गोरपार	खरसिया
55	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास भुपदेवपुर	खरसिया

क्र.	संस्था का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	2	3
56	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास हालाहुली	खरसिया
57	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास सोण्डका	खरसिया
58	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास खरसियां	खरसिया
59	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बर्ग क्र.02	खरसिया
60	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बरगढ़ खोला	खरसिया
61	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मुरा	खरसिया
62	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास खम्हार	खरसिया
63	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास सोण्डका	खरसिया
64	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास खरसिया	खरसिया
65	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास खरसिया	खरसिया
66	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास जोबी	खरसिया
67	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास खरसिया	खरसिया
68	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास खरसिया	खरसिया
69	पो.मै.पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास खरसिया	खरसिया
70	पो.मै.पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास खरसिया	खरसिया
71	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास गोढ़ी	तमनार
72	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तमनार	तमनार
73	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार	तमनार
74	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुंजेमुरा	तमनार
75	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास उरबा	तमनार
76	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सराईपाली	तमनार
77	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तराईमाल	तमनार
78	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धौराभांठा	तमनार
79	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास हमीरपुर	तमनार
80	पो.मै आदिवासी बालक छात्रावास तमनार	तमनार
81	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तमनार	तमनार
82	पो.मै आदिवासी बालक छात्रावास धौराभांठा	तमनार
83	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास क्र.1घरघोड़ा	घरघोड़ा
84	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास क्र..2 घरघोड़ा	घरघोड़ा

क्र.	संस्था का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	2	3
85	प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास घरघोड़ा	घरघोड़ा
86	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास क्र.1नवा.टेण्डा	घरघोड़ा
87	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास क्र.2 नवा.टेण्डा	घरघोड़ा
88	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास कुडुमकेला	घरघोड़ा
89	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास बहिरकेला	घरघोड़ा
90	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास छर्टांगर	घरघोड़ा
91	प्री.मै. आदि.कन्या छात्रा. बिच्छीनारा (रायकेरा)	घरघोड़ा
92	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास घरघोड़ा	घरघोड़ा
93	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास घरघोड़ा	घरघोड़ा
94	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास लैलूंगा क्र.01	लैलूंगा
95	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास लैलूंगा क्र.02	लैलूंगा
96	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मुकडेगा	लैलूंगा
97	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास राजपुर	लैलूंगा
98	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोडासियां	लैलूंगा
99	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लमडांड	लैलूंगा
100	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास केशला	लैलूंगा
101	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बगुडेगा	लैलूंगा
102	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बीरसिंघा	लैलूंगा
103	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास लैलूंगा	लैलूंगा
104	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास मुकडेगा	लैलूंगा
105	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कोडासियां	लैलूंगा
106	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास लैलूंगा	लैलूंगा
107	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा	लैलूंगा
108	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घटगांव	लैलूंगा
109	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा. धरमजयगढ़ क.-01	धरमजयगढ़
110	प्री.मै.आदि. बालक छात्रा. धरमजयगढ़ क.-02	धरमजयगढ़
111	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मिरीगुड़ा	धरमजयगढ़
112	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बाकारूमा	धरमजयगढ़
113	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास खम्हार	धरमजयगढ़

क्र.	संस्था का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	2	3
114	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास महाराजगंज	धरमजयगढ़
115	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुडेकेला	धरमजयगढ़
116	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बंगरसुता	धरमजयगढ़
117	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास पखनाकोट	धरमजयगढ़
118	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गनपतनुर	धरमजयगढ़
119	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सोखामुड़ा	धरमजयगढ़
120	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास धरमजयगढ़	धरमजयगढ़
121	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बाकारुमा	धरमजयगढ़
122	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रायमेर	धरमजयगढ़
123	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बनहर	धरमजयगढ़
124	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कापू	धरमजयगढ़
125	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास विजयनगर	धरमजयगढ़
126	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास पाराघाटी	धरमजयगढ़
127	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास हाटी	धरमजयगढ़
128	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास महाराजगंज	धरमजयगढ़
129	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास खड़गांव	धरमजयगढ़
130	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास खड़गांव	धरमजयगढ़
131	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास छाल क्र-1	धरमजयगढ़
132	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास छाल क्र-2	धरमजयगढ़
133	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास कापू	धरमजयगढ़
134	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास धरमजयगढ़	धरमजयगढ़
135	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास धरमजयगढ़	धरमजयगढ़
136	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बाकारुमा	धरमजयगढ़
137	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास महाराजगंज	धरमजयगढ़
138	नवीन पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास धरमजयगढ़	धरमजयगढ़
139	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास छाल	धरमजयगढ़
140	पो.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रा0 कापू	धरमजयगढ़
141	पो.मै.पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास धरमजयगढ़	धरमजयगढ़


 अनुभाष अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

भवन विहीन छात्रावास/आश्रमों की सूची

क्र.	संस्था का नाम	विकास खण्ड
1	2	3
1	शासकीय प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जतरी	पुसौर
2	शासकीय प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास भुपदेवपुर	खरसिया
3	शासकीय प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास हालाहुली	खरसिया
4	शासकीय प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बरगढ़ खोला	खरसिया
5	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सराईपाली	तमनार
6	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास छरटांगर	घरघोड़ा
7	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास केशला	लैलूंगा
8	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बगुडेगा	लैलूंगा
9	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गनपतपुर	धरमजयगढ़
10	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सोखामुड़ा	धरमजयगढ़
11	शासकीय प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास विजयनगर	धरमजयगढ़
12	शासकीय पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास छाल	धरमजयगढ़
13	शासकीय पो.मै.पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़
14	शासकीय प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास खम्हार	खरसिया
15	नवीन पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास धरमजयगढ़	धरमजयगढ़



अनुभाष अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

जर्जर छात्रावास/आश्रमों की सूची

क्रं.	आश्रम शाला / छात्रावास का नाम	विकास खंड
1	2	3
1	आदिवासी कन्या आश्रम पुरूंगा	धरमजयगढ़
2	आदिवासी कन्या आश्रम सोनाजोरी	लैलूंगा
3	आदिवासी कन्या आश्रम बड़ेडूमरपाली	खरसिया
4	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बनहर	धरमजयगढ़
5	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास खड़गांव	धरमजयगढ़
6	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तराईमाल	तमनार
7	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोड़ासिया	लैलूंगा
8	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मुकडेगा	लैलूंगा
9	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास खरसिया	खरसिया
10	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास खरसिया	खरसिया



अनुभाष अधिकारी

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

छात्रावास/आश्रमों में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में मरम्मत कार्यों की जानकारी


जिला- रायगढ़

क्र	स्वीकृत कार्य का विवरण एवं स्थान	विकास खंड	आबंटित राशि	व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
1	पो.मै. शासकीय कर्मचारी पुत्र बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़	620.60	5.12
2	पो.मै. शा. कर्मचारी पुत्री कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़		5.93
3	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास रायगढ़ क-01	रायगढ़		5.12
4	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़		9.06
5	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास महापल्ली (रायगढ़)	रायगढ़		8.38
6	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास खरसिया	खरसिया		9.39
7	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास खरसिया	खरसिया		7.00
8	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास हालाहुली (खरसिया)	खरसिया		5.00
9	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास महाराजगंज (धरमजयगढ़)	धरमजयगढ़		10.81
10	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रायमेर (धरमजयगढ़)	धरमजयगढ़		6.98
11	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मिरीगुड़ा (धरमजयगढ़)	धरमजयगढ़		9.22
12	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कोड़ासिया (लैलूंगा)	लैलूंगा		8.48
13	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मुकडेगा (लैलूंगा)	लैलूंगा		0.00
14	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुंजेमुरा (तमनार)	तमनार		9.13
15	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास हमीरपुर (तमनार)	तमनार		5.92
16	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास उरबा (तमनार)	तमनार		5.12
17	पो.मै अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़		4.21
18	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास खरसिया	खरसिया		7.13
19	आदिवासी कन्या आश्रम खम्हार (खरसिया)	खरसिया		8.00
20	आदिवासी कन्या आश्रम तेन्दुमूडी (खरसिया)	खरसिया		12.00
21	आदिवासी बालक आश्रम जोबी (खरसिया)	खरसिया		10.00
22	आदिवासी बिरहोर बालक आश्रम धरमजयगढ़	धरमजयगढ़		8.42
23	आदिवासी कन्या आश्रम लक्ष्मीपुर (धरमजयगढ़)	धरमजयगढ़		7.60
24	आदिवासी कन्या आश्रम लारीपानी (लैलूंगा)	लैलूंगा		6.99
25	आदिवासी कन्या आश्रम कया (घरघोड़ा)	घरघोड़ा		8.11
26	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास रायगढ़ क-2	रायगढ़		1.60
27	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तमनार	तमनार		1.66
28	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बहिरकेला (घरघोड़ा)	घरघोड़ा		1.65
29	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सराईपाली (तमनार)	तमनार		1.65
30	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार	तमनार		1.65
31	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास गोरपार (खरसिया)	खरसिया		1.60
32	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मुरा (खरसिया)	खरसिया		1.65
33	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास लैलूंगा	लैलूंगा		1.55
34	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास पाराघाटी (धरमजयगढ़)	धरमजयगढ़		1.68
35	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास झारमुड़ा (पुसौर)	पुसौर		1.65
36	प्री.मै.अनुजाति बालक छात्रावास रायगढ़	रायगढ़		1.60
37	पो.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास रायगढ़	रायगढ़		1.36
38	आदिवासी कन्या आश्रम सराईपाली (तमनार)	तमनार		1.65

क्र	स्वीकृत कार्य का विवरण एवं स्थान	विकास खंड	आबंटित राशि	व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
39	आदिवासी बालक आश्रम कुकरीझरिया (खरसिया)	खरसिया	620.60	1.49
40	आदिवासी कन्या आश्रम कुर्रा (लैलूंगा)	लैलूंगा		1.74
41	आदिवासी बालक आश्रम बंसतपुर (लैलूंगा)	लैलूंगा		1.71
42	प्री.मै आदिवासी बालक छात्रावास कनकबीरा (सारंगढ़)	सारंगढ़		8.10
43	आदिवासी बालक आश्रम गोमर्डा (सारंगढ़)	सारंगढ़		0.00
44	अनुसूचित जाति बालक आश्रम पिण्डरी (सारंगढ़)	सारंगढ़		5.45
45	आदिवासी बालक आश्रम बडे आमाकोनी (बरमकेला)	बरमकेला		0.00
46	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास डोगरीपाली (बरमकेला)	बरमकेला		8.55
47	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सरिया (बरमकेला)	बरमकेला		14.00
48	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बोन्दा (बरमकेला)	बरमकेला		9.00
49	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बरमकेला	बरमकेला		14.85
50	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास बरमकेला	बरमकेला		1.80
51	प्री.मै.अनुजाति कन्या छात्रावास बोन्दा (बरमकेला)	बरमकेला		1.70
52	पो.मै.अनुजाति बालक छात्रावास सारंगढ़	सारंगढ़		1.69
53	प्री.मै.अनुजाति कन्या छात्रावास गोडम (सारंगढ़)	सारंगढ़		2.00
54	प्री.मै. अनुजाति कन्या छात्रावास हरदी (सारंगढ़)	सारंगढ़		1.69
55	प्री.मै.अनुजाति कन्या छात्रावास उलखर (सारंगढ़)	सारंगढ़		1.64
योग:-			620.60	279.47

भवन निर्माण

1	50 सीटर पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास खरसिया भवन निर्माण	खरसिया	156.65	33.31
2	50 सीटर पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास खरसिया भवन निर्माण	खरसिया		55.00
3	100 सीटर पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास धरमजयगढ़ भवन निर्माण	धरमजयगढ़		0.00
योग:-			156.65	88.31
महायोग:-			777.25	367.78


अनुभाष अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नका रायपुर

परिशेष - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 582) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	स्वी. वर्ष	मद	कार्य का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	2020-21	विभागीय	प्री.मै. अ.ज.जा. कन्या छात्रावास करतला का भवन निर्माण	करतला	152.97	कार्य पूर्ण
2	2021-22	नाबार्ड	नवीन प्री.मै. अ.ज.जा. कन्या छात्रावास मदनपुर का भवन निर्माण कार्य	कोरबा	152.97	कार्य पूर्ण
3	2021-22	नाबार्ड	नवीन प्री.मै. अ.ज.जा. कन्या छात्रावास कोरकोमा का भवन निर्माण कार्य	कोरबा	152.97	कार्य पूर्ण
4	2021-22	नाबार्ड	प्री.मै. अ.ज.जा. कन्या छात्रावास कुदमुरा का भवन निर्माण कार्य	कोरबा	152.97	कार्य पूर्ण
5	2021-22	नाबार्ड	प्री.मै. अनु.जाति कन्या छात्रावास गोढी का भवन निर्माण कार्य	कोरबा	152.97	कार्य पूर्ण
6	2021-22	नाबार्ड	प्री.मै. अनु.जाति कन्या छात्रावास कुदुरमाल का भवन निर्माण कार्य	कोरबा	152.97	कार्य पूर्ण
7	2021-22	नाबार्ड	पो.मै. अ.ज.जा. कन्या छात्रा. करतला का भवन निर्माण कार्य	करतला	191.51	कार्य पूर्ण

क.	स्वी. वर्ष	मद	कार्य का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
8	2021-22	नाबार्ड	नवीन प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास भैंसमा का भवन निर्माण कार्य	कोरबा	152.97	दरवाजा, खिड़की का कार्य पूर्ण एवं गार्ड रूम निर्माण का कार्य प्रगति पर
9	2021-22	नाबार्ड	अ.ज.जा. प्रा.स्तर कन्या आश्रम धनगांव का भवन निर्माण कार्य	कोरबा	162.76	प्लास्टर एवं पुट्टी का कार्य प्रगति पर
10	2022-23	275(1)	आदिवासी बालक आश्रम लेमरु का भवन निर्माण कार्य	कोरबा	162.76	प्लास्टर कार्य प्रगति पर
11	2023-24	DMF	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुदमुरा का भवन निर्माण कार्य	कोरबा	152.76	लिटल जोड़वाई कार्य प्रगति पर
12	2023-24	DMF	आदिवासी बालक आश्रम तुमान का भवन निर्माण कार्य	करतला	162.69	पुराने भवन का डिसमैंटल कार्य प्रगति पर
13	2024-25	DMF	आदिवासी कन्या आश्रम श्यांग में अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण कार्य	कोरबा	20.55	नीव खुदाई कार्य प्रगति पर

क.	स्वी. वर्ष	मद	कार्य का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
14	2024-25	DMF	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास श्यांग में अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण कार्य	कोरबा	20.55	नीव खुदाई कार्य प्रगति पर
15	2024-25	DMF	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास उमरेली में अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण कार्य	करतला	20.55	नीव खुदाई कार्य प्रगति पर
16	2024-25	DMF	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास केराकछार में अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण कार्य	करतला	20.55	नीव खुदाई कार्य प्रगति पर
17	2024-25	DMF	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास गिधौरी में अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण कार्य	करतला	20.55	नीव खुदाई कार्य प्रगति पर
18	2024-25	DMF	आदिवासी बालक आश्रम बेहरचुआ में शौचालय निर्माण कार्य	करतला	5.50	नीव खुदाई कार्य प्रगति पर
19	2024-25	DMF	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास तुमान में शौचालय निर्माण	करतला	5.50	नीव खुदाई कार्य प्रगति पर
20	2024-25	DMF	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास सुखरीकला में शौचालय निर्माण	करतला	5.50	नीव खुदाई कार्य प्रगति पर

अनुभाष अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - इनक्यावन

प्रपत्र-अ

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 597) की जानकारी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसलें)


जिला	वर्ष	मौसम	तहसील	फसल	बीमित कृषक (संख्या)	बीमित रकबा (हे.में)	दावा भुगतान		
							कृषक संख्या	राशि (लाख रु.में)	
			बागबाहरा	धान सिंचित	8405	12932	7466	2175.99	
			बागबाहरा	धान असिंचित	17497	23597	16149	4004.69	
			बसना	धान सिंचित	4504	6797	3956	1415.82	
			बसना	धान असिंचित	15395	23607	13139	4632.47	
			महासमुंद	धान सिंचित	9914	13387	5792	855.08	
महासमुंद	खरीफ	2021	पट्टाग्राम	धान असिंचित	4533	5352	2800	318.81	
			पिथौरा	धान सिंचित	8168	13126	6101	1536.08	
			पिथौरा	धान असिंचित	13061	20465	10647	2666.24	
			सरायपाली	मूंग	4	8	2	0.09	
			सरायपाली	धान सिंचित	4847	7678	4561	1936.82	
			सरायपाली	धान असिंचित	16640	27596	14840	5473.22	
	खरीफ 2021					102968	154545	85453	25015.31
	रबी	2021-22	बसना	गेहूं सिंचित	95	163	95	19.08	
			महासमुंद	गेहूं सिंचित	2	2	2	0.39	
			सरायपाली	गेहूं सिंचित	123	280	95	42.38	
	रबी वर्ष 2021-22 योग					220	445	192	61.84
	वर्ष 2021-22 योग					103188	154990	85645	25077.16
महासमुंद	खरीफ	2022	बागबाहरा	धान सिंचित	10999	15874	5969	1054.10	
			बागबाहरा	धान असिंचित	17401	21706	5436	599.41	
			बसना	मूंग	1	1	0	0.00	
			बसना	धान सिंचित	6004	7969	1818	275.75	
			बसना	धान असिंचित	17584	25380	4322	968.27	
			महासमुंद	धान सिंचित	11716	14732	2599	275.51	
			महासमुंद	धान असिंचित	4383	4839	271	28.44	
			पिथौरा	धान सिंचित	10144	15190	2289	667.55	
			पिथौरा	धान असिंचित	14790	22216	2950	658.63	
			सरायपाली	मूंग	5	3	1	0.00	
			सरायपाली	धान सिंचित	7712	9762	1217	154.40	
			सरायपाली	धान असिंचित	18397	28709	2584	461.71	
खरीफ 2022					119136	166381	29456	5143.78	
महासमुंद	रबी	2022-23	बसना	गेहूं सिंचित	155	248	155	46.25	
			महासमुंद	गेहूं सिंचित	13	15	13	1.46	
			सरायपाली	गेहूं सिंचित	282	609	282	122.42	
रबी वर्ष 2022-23					450	871	450	170.13	
वर्ष 2022-23 योग					119586	167252	29906	5313.90	

प्रधानमंत्रि फसल बीमा योजना (कृषि फसलें)

जिला	वर्ष	मौसम	तहसील	फसल	बीमित कृषक (संख्या)	बीमित रकबा (हे.में)	दावा भुगतान	
							कृषक संख्या	राशि (लाख रु.में)
महासमुंद	खरीफ	2023	बागबाहरा	उड़द	26	22	0	0.00
			बागबाहरा	धान सिंचित	7139	9875	473	92.84
			बागबाहरा	धान अंसिंचित	5721	7136	52	6.00
			बसना	उड़द	23	8	0	0.00
			बसना	मूंग	1	1	0	0.00
			बसना	मूंगफली	8	1	0	0.00
			बसना	धान सिंचित	6345	8545	605	164.45
			बसना	धान अंसिंचित	18354	24974	1557	303.16
			कोमाखान	उड़द	20	21	0	0.00
			कोमाखान	धान सिंचित	5985	7436	626	117.75
			कोमाखान	धान अंसिंचित	10893	12946	581	22.39
			महासमुंद	उड़द	1	1	0	0.00
			महासमुंद	मूंगफली	10	6	0	0.00
			महासमुंद	धान सिंचित	13143	15183	401	27.89
			महासमुंद	धान अंसिंचित	3945	4201	184	4.08
			पिथोरा	उड़द	7	5	0	0.00
			पिथोरा	मूंग	2	0	0	0.00
			पिथोरा	मूंगफली	8	10	7	0.67
			पिथोरा	धान सिंचित	12159	17786	484	89.53
			पिथोरा	धान अंसिंचित	14411	20901	98	11.38
			सरायपाली	उड़द	11	6	2	0.03
			सरायपाली	मूंग	3	1	0	0.00
			सरायपाली	मूंगफली	9	4	1	0.01
			सरायपाली	धान सिंचित	7255	8938	1664	403.85
			सरायपाली	धान अंसिंचित	18318	28194	3197	829.90
			खरीफ 2023					123797

सही / -

नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर


(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (उद्यानिकी फसलें)

राशि रुपये लाख में रकबा हेक्टेयर में

वर्ष	मौसम	तहसील	कुल कृषक संख्या	बीमित रकबा	दावा राशि प्राप्त कृषक संख्या	वितरित दावा राशि	
2021-22	खरीफ	बागबाहरा	10	32.575	8	5.100	
		बसना	17	5.470	13	0.422	
		महासमुंद	19	25.630	18	3.744	
		पिथौरा	4	6.100	3	0.817	
		सरायपाली	14	10.420	13	1.931	
	खरीफ 2021-22			64	80.195	55	12.014
	रबी	बागबाहरा	39	23.421	38	1.127	
		महासमुंद	14	11.600	14	0.563	
		पिथौरा	7	7.970	7	0.231	
		सरायपाली	15	5.930	14	0.222	
रबी 2021-22			75	48.921	73	2.142	
योग वर्ष 2021-22			139	129.116	128	14.156	
2022-23	खरीफ	बागबाहरा	9	25.490	4	0.317	
		बसना	16	3.110	0	0.000	
		महासमुंद	17	12.650	12	0.433	
		पिथौरा	7	6.180	1	0.001	
		सरायपाली	17	12.556	7	0.264	
	खरीफ 2022-23			66	59.986	24	1.014
	रबी	बागबाहरा	26	34.720	0	0.000	
		बसना	2	2.530	0	0.000	
		महासमुंद	14	9.330	0	0.000	
		पिथौरा	20	13.110	2	0.007	
सरायपाली		16	12.030	0	0.000		
रबी 2022-23			78	71.720	2	0.007	
योग वर्ष 2022-23			144	131.706	26	1.021	
2023-24	खरीफ	बागबाहरा	13	15.244	10	0.693	
		बसना	14	3.750	3	0.019	
		महासमुंद	23	9.970	19	0.783	
		पिथौरा	29	10.020	24	0.204	
		सरायपाली	11	9.880	9	0.295	
		कोमाखान	2	0.600	1	0.018	
खरीफ 2023-24			92	49.464	66	2.012	

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


पारोशेष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 621) की जानकारी

प्रपत्र

छात्रावास एवं आश्रमों में दैनिक खाद्यान्न हेतु मीनू की जानकारी

क्र	दिन	सुबह	शाम
1	सोमवार	चावल, आलू, मटर की (रसावाली) सब्जी, सलाद	चावल, दाल (छिलकेवाली मुंगदाल) हरी सब्जी (पालक, चौलाई, मेथी भाजी या लाल भाजी) (सूखी) (उपलब्धता अनुसार)
2	मंगलवार	चावल, मिक्स दाल फाय और चटनी पापड़	चावल, बेसन कढ़ी, आलू की सूखी सब्जी
3	बुधवार	चावल, आलू और सोयाबीन बड़ी की रसवाली सब्जी एवं सलाद	चावल, दाल, तुअर और मौसमी सब्जी (लौकी, कद्दू, बैंगन या अन्य)
4	गुरुवार	चावल, आलू एवं झुरगा की रसवाली सब्जी एवं सलाद	चावल, उड़द दाल, मौसमी सब्जी (बरबट्टी, कटहल, मुनगा आदि)
5	शुक्रवार	चावल, मिक्स दाल फाय एवं आचार, पापड़	चावल, दाल, तुअर और मौसमी सब्जी (फुल गोभी, पत्ता गोभी, नवलगोल आदि)
6	शनिवार	चावल, आलू प्याज एवं सोयाबीन बड़ी की सब्जी, सलाद	चावल, मसूद दाल एवं मौसमी सब्जी (भिंडी, करेला, गिलकी, तोराई आदि)
7	रविवार	पूरी, आलू चना की रसवाली सब्जी, खीर एवं सलाद	चावल का पुलाव एवं अचार, पापड़


 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


पारोशेष्ट - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 622) की जानकारी

प्रपत्र

शाकम्भरी योजना अंतर्गत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्डों में सिंचाई पंप से लाभान्वित कृषकों की वर्षवार जानकारी

स. क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2019-20	बतौली	4
		मैनपाट	7
		सीतापुर	13
योग			24
2	2020-21	सरगुजा जिले में लक्ष्य अप्राप्त	
3	2021-22	बतौली	2
		मैनपाट	10
		सीतापुर	39
योग			51
4	2022-23	बतौली	15
		मैनपाट	26
		सीतापुर	113
योग			154
5	2023-24	बतौली	50
		मैनपाट	87
		सीतापुर	214
योग			351
महायोग			580



(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण


तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशेष - चोवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 667) की जानकारी

प्रपत्र

दीनदयाल आवास योजनांतर्गत खैरागढ़ में आबंटियों की सूची				
क्र-	आबंटि का नाम	भवन क्रमांक	तहसील	ग्राम/जिला
ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से भवनों/आबंटि की सूची				
1	मंजू वर्मा	एल.आई.जी.-17	खैरागढ़	ग्राम राहौद, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
2	तेजन वर्मा	एल.आई.जी.-37	खैरागढ़	धनेली, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
3	प्रभा देवी वर्मा	एल.आई.जी.-09	खैरागढ़	ग्राम कांचरी, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
4	मनोज कुमार वर्मा	एल.आई.जी.-28	खैरागढ़	पोस्ट-देवरीभाट, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
5	रमण मोटवानी	एल.आई.जी.-36	खैरागढ़	किल्लापारा, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
6	मनोहर लाल मोटवानी	एल.आई.जी.-47	खैरागढ़	किल्लापारा, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
7	सपना रानी नायक	एल.आई.जी.-42	खैरागढ़	जांजपारा, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
8	नेवाद राम मोटवानी	एल.आई.जी.-48	खैरागढ़	किल्लापारा, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
9	मनीषा आहूजा	एल.आई.जी.-02	खैरागढ़	सिविल लाइन, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
10	रामेश्वर वर्मा	एल.आई.जी.-27	खैरागढ़	सिविल लाइन, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
11	शैलेन्द्र मिश्रा	एल.आई.जी.-03	खैरागढ़	मगल भवन, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
12	नियोगिता सिंह	एल.आई.जी.-44	खैरागढ़	राज परिवार, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
13	अतुल कुमार पटेल	एल.आई.जी.-21	खैरागढ़	सिविल लाइन, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
14	सोमेश कुमार लहरे	एल.आई.जी.-04	खैरागढ़	टिकरापारा, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
15	सीमा सिवंशी	एल.आई.जी.-22	खैरागढ़	ग्राम- बकलसरा, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
16	एलेक्सजेंडर मसीह	एल.आई.जी.-38	खैरागढ़	अटल आवास पिपरिया, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
17	पुनी राम मसीह और एस्थर रॉबिन्सन	एल.आई.जी.-39	खैरागढ़	अटल आवास पिपरिया, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
18	नागमणि सिंह	एल.आई.जी.-19	खैरागढ़	अटल आवास पिपरिया, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
19	उषा भांडेकर	एल.आई.जी.-31	खैरागढ़	अटल आवास पिपरिया, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
20	सोमवती जंघेल	एल.आई.जी.-35	छुईखदान	ग्राम सिलपट्टी, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
21	चंद्रमिखी महोबिया	एल.आई.जी.-11	छुईखदान	वार्ड क्रमांक-07, छुईखदान, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
22	संदीप कुमार बंजारे	एल.आई.जी.-34	छुईखदान	ग्राम-लांझियाटोला, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
23	सुरेश कुमार वर्मा	एल.आई.जी.-20	छुईखदान	कुटेली कला, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
24	रेवा बाई बंजारे	एल.आई.जी.-01	छुईखदान	ग्राम-लांझियाटोला, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
25	वीरेन्द्र कुमार कुरे	एल.आई.जी.-07	छुईखदान	ग्राम-लांझियाटोला, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
26	टीकम चाँद वर्मा	एल.आई.जी.-12	छुईखदान	ग्राम-उदयपुर, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
27	गंगा बाई	एल.आई.जी.-06	छुईखदान	ग्राम-कोरारी, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)
28	तवारीलता गांगेय	एल.आई.जी.-24	गंडई	ग्राम धोधा, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
29	अशोक कुमार गौड	एल.आई.जी.-05	रायपुर	किशोर आरा मिल के पास, जिला रायपुर (छ.ग.)
30	प्रीति ढांडे	एल.आई.जी.-15	रायपुर	रावतपुरा चरण 2, भाठागांव, जिला-रायपुर (छ.ग.)
31	चंद्रकिरण ठाकुर	एल.आई.जी.-14	दुर्ग	दुर्गा चौक मरोदा टैंक भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
32	भीखम राम वर्मा	एल.आई.जी.-18	राजनंदगांव	ग्राम भैसतारा, जिला राजनंदगांव (छ.ग.)
33	त्रिलोक सिंह राजपूत	एल.आई.जी.-46	राजनंदगांव	गांव- मसूल, जिला राजनंदगांव (छ.ग.)
34	ओम प्रकाश गजेंद्र	एल.आई.जी.-33	धमतरी	महावीर रोड सोरिद, जोधपुर, जिला- धमतरी (छ.ग.)
ऑनलाइन ऑफर के माध्यम से भवनों/आबंटि की सूची				
35	नूतन निषाद	एल.आई.जी.-45	खैरागढ़	ग्राम गहिराटोला, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)
36	सुमन सिंह	एल.आई.जी.-23	दुर्ग	वार्ड क्रमांक-15, हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र, आई ई भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
37	सुरेन्द्र कुमार वर्मा	एल.आई.जी.-30	खैरागढ़	ग्राम चांदगढ़, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.)



अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 711) की जानकारी


प्रपत्र-अ

क्रं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में छत मरम्मत, छज्जा मरम्मत, फिलींग कार्य, एवं फेंसिंग लगाने का कार्य	12.00
2	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में बाउण्ड्रीवाल मरम्मत, नाली निर्माण, इन्टरलॉकिंग ब्लाक लगाने का कार्य	19.99
3	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में ग्रेनाईड स्टोन, वेट्रीफाईड लाइल्स, सिरामिक टाइल्स, वाटर सप्लाई एवं सेनेटरी कार्य	19.99
4	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में दरवाजा खिडकी, मेनगेट, चैनल गेट लगाने एवं मरम्मत का कार्य, प्रोफाईल सीट लगाने एवं एल्युमीनियम सेक्शन का कार्य	19.99
5	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर गुरुकुल पेण्ड्रा रोड में बाउण्ड्रीवाल का अनुरक्षण कार्य	15.00
6	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में फ्लोरिंग एवं टॉप ग्रेडिंग का कार्य	5.11
7	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में विद्युतीकरण कार्य	12.74
8	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी जिम्नार्स्टिक भवन में विद्युतीकरण कार्य	13.45
9	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी जिम्नार्स्टिक भवन में एलुमिनियम सेक्सन, इन्टर लॉकींग ब्लॉक, अहाता मरम्मत पेन्टींग कार्य	16.39
10	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास में अधीक्षक रूम का अनुरक्षण सेप्टिक टैंक, वाटर हारवेस्टिंग निर्माण कार्य	9.96
योग		144.62


 अनुभाम अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-ब


क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	प्रकाशित समाचार पत्र का नाम	निविदा में भाग लेने वाले फर्म/संस्था का नाम
1	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में छत मरम्मत, छज्जा मरम्मत, फिलींग कार्य, एवं फेशिंग लगाने का कार्य	12.00		1. दुर्गेश कुमार मिश्रा 2. फिरोज कुमार 3. मो0 मुख्तार 4. नेशन पेस्ट कन्ट्रोल 5. साहू ट्रेडर्स संदीप जायसवाल
2	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में बाउण्ड्रीवाल मरम्मत, नाली निर्माण, इन्टरलॉकिंग ब्लाक लगाने का कार्य	19.99		
3	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में ग्रेनाईड स्टोन, वेट्रीफाईड लाइल्स, सिरामिक टाइल्स, वाटर सप्लाई एवं सेनेटरी कार्य	19.99	प्रदेश डायरी दि. 12.12.2023 इवनिंग टाइम्स दि. 13.12.2023	
4	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में दरवाजा खिडकी, मेनगेट, चैनल गेट लगाने एवं मरम्मत का कार्य, प्रोफाईल सीट लगाने एवं एल्युमीनियम सेक्शन का कार्य	19.99		
5	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर गुरुकुल पेण्ड्रा रोड में बाउण्ड्रीवाल का अनुरक्षण कार्य	15.00		
6	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में फ्लोरिंग एवं टॉप ग्रेडिंग का कार्य	5.11		
7	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में विद्युतीकरण कार्य	12.74		
8	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी जिम्नास्टिक भवन में विद्युतीकरण कार्य	13.45		
9	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी जिम्नास्टिक भवन में एलुमिनियम सेक्सन, इन्टर लॉकींग ब्लॉक, अहाता मरम्मत पेन्टींग कार्य	16.39	प्रदेश डायरी दि. 30.01.2024 एकसत बुलेटिन दि. 30.01.2024	1. मो0 अनीश अंसारी 2. मो0 इदरीश अंसारी 3. मो0 मुख्तार
10	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास में अधीक्षक रूम का अनुरक्षण सेप्टिक टैंक, वाटर हारवेस्टिंग निर्माण कार्य	9.96	बुलेटिन दिनांक 30.01.2024	4. संदीप जायसवाल 5. साहू कंस्ट्रक्शन 6. दुर्गेश मिश्रा 7. गणेश कंस्ट्रक्शन 8. भारत बोरवेल्ल्स
योग-		144.62		


अनुभाम अधिकारी

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-स

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	ठेकेदार/संस्था का नाम
1	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में छत मरम्मत, छज्जा मरम्मत, फिलींग कार्य, एवं फेशिंग लगाने का कार्य	12.00	11.93	दुर्गेश कुमार मिश्रा
2	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में बाउण्ड्रीवाल मरम्मत, नाली निर्माण, इन्टरलॉकिंग ब्लाक लगाने का कार्य	19.99	19.95	फिरोज कुमार उपाध्याय
3	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में ग्रेनाईड स्टोन, वेट्रीफाईड टाइल्स, सिरामिक टाइल्स, वाटर सप्लाय एवं सेनेटरी कार्य	19.99	19.78	फिरोज कुमार उपाध्याय
4	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में दरवाजा खिडकी, मेनगेट, चैनल गेट लगाने एवं मरम्मत का कार्य, प्रोफाईल सीट लगाने एवं एल्युमीनियम सेक्शन का कार्य	19.99	19.78	फिरोज कुमार उपाध्याय
5	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर गुरुकुल पेण्ड्रा रोड में बाउण्ड्रीवाल का अनुरक्षण कार्य	15.00	14.73	मो0 मुख्तार
6	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में फ्लोरिंग एवं टॉप ग्रेडिंग का कार्य	5.11	5.05	दुर्गेश कुमार मिश्रा
7	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास पेण्ड्रा रोड में विद्युतीकरण कार्य	12.74	12.67	मो0 मुख्तार
8	गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी जिम्नारस्टिक भवन में विद्युतीकरण कार्य	13.45	13.38	मो0 मुख्तार
9	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी जिम्नारस्टिक भवन में एलुमिनियम सेक्सन, इन्टर लॉकींग ब्लॉक, अहाता मरम्मत पेन्टींग कार्य	16.39	16.21	दुर्गेश कुमार मिश्रा
10	गुरुकुल आदिवासी छात्रावास गौरेला/पेण्ड्रा में संचालित आदिवासी क्रीडा परिसर छात्रावास में अधीक्षक रूम का अनुरक्षण सेप्टिक टैंक, वाटर हारवेस्टिंग निर्माण कार्य	9.96	9.07	मो0 इदरीश अंसारी
योग :-		144.62	142.60	


 अनुभाम अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशेष्ट - छप्पन
अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 722) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	सामग्री का नाम	देयक की कुल राशि	फर्म का नाम
1	2	4	5
वर्ष 2021-22			
1	ग्रीन मार्कर बोर्ड (राइटिंग बोर्ड ग्रीन)	170940.00	विशवा डेकोर्स बी-108 सरदार वल्लभ भाई पटेल होलसेल बाजार धमतरी
2	सबमर्शिबल पंप सेट	147139.94	श्रीवा पम्पस प्रा.लि. के.टी.दाबके स्कूल बिल्डिंग जी.ई.रोड. तात्यापारा चौक रायपुर
3	स्टील बेन्च वीथ बेकरेस्ट	189932.00	वर्षा इन्डस्ट्रीज दुर्ग रोड बेमेतरा
4	स्टील बेन्च वीथ बेकरेस्ट	85470.00	वर्षा इन्डस्ट्रीज दुर्ग रोड बेमेतरा
5	ग्लास डोर केबिनेट	255459.00	वर्षा इन्डस्ट्रीज दुर्ग रोड बेमेतरा
6	केबिनेट वीथ वन प्लेन लाकर	373930.00	वर्षा इन्डस्ट्रीज दुर्ग रोड बेमेतरा
7	बजाज सिलिंग पंखा	74074.00	कम्यूनिकेशन सिस्टम शाप नं.21 ब्लॉक .1 कामर्सियल काम्पलेक्स बोरियाकला सदाना दरबार रायपुर
8	एल.ई.डी. लैम्प 15वाट	112144.00	आर.जी. इन्टरप्राइजेस 4/53 हाउसिंग बोर्ड कालोनी अवंती विहार कालोनी रायपुर
9	एल.ई.डी. 15वाट	42400.00	सिरपुर स्व सहायता समुह पटेवा रोड तुमगॉव
10	एल.ई.डी. 15वाट	42400.00	जय मॉ लक्ष्मी स्व सहायता समूह ब्राम्हण डीह विकास खंड महासमुन्द
11	एल.ई.डी. 15वाट	42400.00	साई महिला स्व सहायता समूह नयापारा वि.खं.- पिथौरा जिला - महासमुन्द
12	एल.ई.डी. 15वाट	42400.00	अनुग्रह स्व सहायता समूह इसाई पारा ब्लॉक-बसना जिला महासमुन्द
13	प्लास्टिक चेयर (कुर्सी)	79500.00	भारत इन्टरप्राइजेस पंचशील ए.सेक्टर बोरसी दुर्ग
14	वॉच (घड़ी बड़ा)	73500.00	भारत इन्टरप्राइजेस पंचशील ए.सेक्टर बोरसी दुर्ग
15	मिरर (दर्पण बड़ा)	81200.00	भारत इन्टरप्राइजेस पंचशील ए.सेक्टर बोरसी दुर्ग
16	बेल (घंटी बड़ा)	89400.00	भारत इन्टरप्राइजेस पंचशील ए.सेक्टर बोरसी दुर्ग
17	थर्मल स्केनर	79600.00	एन्फोवे सिस्टम आई.डी.बी.आई. बैंक पोलसाय पारा स्टेशन रोड दुर्ग
18	हेन्ड सेनेटाइजर (5ली.)	69230.00	एन्फोवे सिस्टम आई.डी.बी.आई. बैंक पोलसाय पारा स्टेशन रोड दुर्ग
19	सेनेटाइजर पैडल स्टेण्ड	69650.00	एन्फोवे सिस्टम आई.डी.बी.आई. बैंक पोलसाय पारा स्टेशन रोड दुर्ग

क्र.	सामग्री का नाम	देयक की कुल राशि	फर्म का नाम
1	2	4	5
20	प्राथमिक उपचार बाक्स (फस्ट एड किट)	53788.00	एन्फोवे सिस्टम आई.डी.बी.आई. बैंक पोलसाय पारा स्टेशन रोड दुर्ग
21	काटन 500 ग्राम	35934.00	एन्फोवे सिस्टम आई.डी.बी.आई. बैंक पोलसाय पारा स्टेशन रोड दुर्ग
22	रोलर बन्डेज	43618.00	एन्फोवे सिस्टम आई.डी.बी.आई. बैंक पोलसाय पारा स्टेशन रोड दुर्ग
23	सिजर (कैंची)	10735.00	रुद्रा इन्टरप्राइजेस माना कैम्प रायपुर
24	फिनाईल	302685.00	धनवन्तरी केमिकल्स 33ए रानी दुर्गावती इन्ड. एरिया अंजनी पो.-पेन्द्रा रोड जिला गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
25	फिनाईल	100901.80	नलीन मेडिकल स्टोर्स इन फर्न्ट आफ ओल्ड जिला अस्पताल सुरजपुर (छ.ग.)
26	फिनाईल	90812.00	जी.एम.बी. इन्डस्ट्रीज माना बस्ती धमतरी रोड रायपुर
27	मास्क्वीटो नेट (मच्छरदानी)	317124.00	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर (छ.ग.)
28	स्टील थाली	67624.00	मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-.7 पो.आ. सक्ती जिला जांजगीर चॉपा
29	स्टील थाली	67624.00	मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-.7 पो.आ. सक्ती जिला जांजगीर चॉपा
30	स्टील थाली	67624.00	मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-.7 पो.आ. सक्ती जिला जांजगीर चॉपा
31	स्टील थाली	67624.00	मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-.7 पो.आ. सक्ती जिला जांजगीर चॉपा
32	स्टील थाली	67624.00	मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-.7 पो.आ. सक्ती जिला जांजगीर चॉपा
33	गिलास	182585.00	मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-.7 पो.आ. सक्ती जिला जांजगीर चॉपा
34	गिलास	182585.00	मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-.7 पो.आ. सक्ती जिला जांजगीर चॉपा
35	गिलास	182585.00	मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-.7 पो.आ. सक्ती जिला जांजगीर चॉपा
36	गिलास	182585.00	मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-.7 पो.आ. सक्ती जिला जांजगीर चॉपा
37	20 लीटर बुकेट	83703.00	बाबूलाल एण्ड जायसवाल एण्ड कम्पनी स्कूल रोड मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया
38	10 लीटर डस्टबीन विदाउट लीड (बिना ढक्कन)	38901.00	बाबूलाल एण्ड जायसवाल एण्ड कम्पनी स्कूल रोड मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया

क्र.	सामग्री का नाम	देयक की कुल राशि	फर्म का नाम
1	2	4	5
39	राउण्ड प्लेन्टर 250 एम.एम.	30852.00	बाबूलाल एण्ड जायसवाल एण्ड कम्पनी स्कूल रोड मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया
40	कन्टेनर 30 लीटर	195844.00	बाबूलाल एण्ड जायसवाल एण्ड कम्पनी स्कूल रोड मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया
41	मेस टेबल वीथ सिटिंग (डायनिंग टेबल)	641023.00	एस.के. इन्डस्ट्रीज इन्डस्ट्रीयल स्टेट ममता नगर राजनांदगाँव
42	मेस टेबल वीथ सिटिंग (डायनिंग टेबल)	694442.00	एस.के. इन्डस्ट्रीज इन्डस्ट्रीयल स्टेट ममता नगर राजनांदगाँव
43	प्रोजेक्टर सेट	365668.00	सिलिकान टेक्नॉलाजी सी-15 शैलेन्द्र नगर सुराना पैरोसोनालाईज्ड वर्ल्ड नियर टैगोर नगर चौक रायपुर
44	प्रोजेक्टर सेट	242485.00	सिलिकान टेक्नॉलाजी सी-15 शैलेन्द्र नगर सुराना पैरोसोनालाईज्ड वर्ल्ड नियर टैगोर नगर चौक रायपुर
45	पर्दा तैयार	179550.00	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भंडार छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर
योग		6617294.74	
वर्ष 2022-23			
46	एंगल आयरन काट (तखत)	476067.00	महारानी स्टील एण्ड एप्लाइन्सेस प्रा.लि. टेमरी ग्राम नियर माना रेलवे स्टेशन रायपुर
47	एंगल आयरन काट (तखत)	52896.00	महारानी स्टील एण्ड एप्लाइन्सेस प्रा.लि. टेमरी ग्राम नियर माना रेलवे स्टेशन रायपुर
48	एंगल आयरन काट (तखत)	58186.00	द्विवेदी वेल्लिंग वर्क्स देवकर, तह.-साजा, जिला-बेमेतरा
49	एंगल आयरन काट (तखत)	470777.00	द्विवेदी वेल्लिंग वर्क्स देवकर, तह.-साजा, जिला-बेमेतरा
50	कैबिनेट वीथ वन लाकर (आलमीरा)	106837.00	महारानी स्टील एण्ड एप्लाइन्सेस प्रा.लि. टेमरी ग्राम नियर माना रे.स्टे. रायपुर
51	मच्छरदानी (मास्क्यूटो)	95137.00	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर
52	मच्छरदानी (मास्क्यूटो)	95137.00	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर
53	पी-यू फोम मैट्रेस	721744.00	यूनिक इन्टरप्राइजेस ग्राम कण्डरका वि.खं.-बेरला बेमेतरा
54	पी-यू फोम मैट्रेस	721744.00	यूनिक इन्टरप्राइजेस ग्राम कण्डरका वि.खं.-बेरला बेमेतरा
55	पी-यू फोम मैट्रेस	811962.00	यूनिक इन्टरप्राइजेस ग्राम कण्डरका वि.खं.-बेरला बेमेतरा

क्र.	सामग्री का नाम	देयक की कुल राशि	फर्म का नाम
1	2	4	5
56	थाली चार खाना, स्टील	168000.00	मे. मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-7 पोस्ट सक्ती जिला जांजगीर चांपा
57	स्टील, हॉफ् प्लेट,	140000.00	मे. मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-7 पोस्ट सक्ती जिला जांजगीर चांपा
58	स्टील, हॉफ् प्लेट,	140000.00	मे. मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-7 पोस्ट सक्ती जिला जांजगीर चांपा
59	गिलास	100800.00	मे. मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-7 पोस्ट सक्ती जिला जांजगीर चांपा
60	गिलास	100800.00	मे. मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-7 पोस्ट सक्ती जिला जांजगीर चांपा
61	जग	37968.00	मे. मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड न.-7 पोस्ट सक्ती जिला जांजगीर चांपा
62	फिनाईल	151602.00	नलीन मेडिकल स्टोर्स पुराना जिला हॉस्पिटल सुरजपुर
63	फिनाईल	151602.00	नलीन मेडिकल स्टोर्स पुराना जिला हॉस्पिटल सुरजपुर
64	सिलिंग फेन, रेगुलेटर सहित	105057.00	अर्बन सप्लायर मामा आलमिरह फौक्टरी गली न.-4 गोपाल नगर, रामनगर रायपुर
65	एल.ई.डी. लैम्प	118114.00	मे. आर.जी. इन्टरप्राइजेस 4/53 हाउसिंग बोर्ड कालोनी अवंती विहार रायपुर
66	एल.ई.डी. लैम्प	118114.00	मे. आर.जी. इन्टरप्राइजेस 4/53 हाउसिंग बोर्ड कालोनी अवंती विहार रायपुर
67	सबमर्शिबल पंप सेट	274828.00	मे. श्रीवा पंप प्रा.लि. विठल मंदिर नवीन मार्केट जी.ई.रोड तात्या पारा रायपुर
68	पिलो (तकिया)	145417.00	मे. यूनिक इन्टरप्राइजेस, ग्राम कंडरका, बेरला, जिला-बेमेतरा
69	अग्निशामक यंत्र	321580.00	मे. जी.एस. इन्टरप्राइजेस सदानी दरबार धमतरी रोड रायपुर
70	एंगल आयरन काट (तखत)	461062.00	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्कस बोरसी, पोटिया दुर्ग
71	एंगल आयरन काट (तखत)	737699.00	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्कस बोरसी, पोटिया दुर्ग
72	आलमीरा	189933.00	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्कस बोरसी, पोटिया दुर्ग
73	स्टूडेन्ट चेयर	585230.00	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्कस बोरसी, पोटिया दुर्ग
74	हाफ प्लेट (स्टील)	162300.00	मे. मनिधारी सेल्स कार्पोरेशन रायपुर

क्र.	सामग्री का नाम	देयक की कुल राशि	फर्म का नाम
1	2	4	5
75	गिलास (स्टील)	568048.00	मे. मनिधारी सेल्स कार्पोरेशन रायपुर
76	जग (स्टील)	91699.00	मे. मनिधारी सेल्स कार्पोरेशन रायपुर
77	भगोना	267794.00	मे. मनिधारी सेल्स कार्पोरेशन रायपुर सेक्टर-4 देवेन्द्र नगर रायपुर
78	हाफ प्लेट (स्टील)	81150.00	मे. मनिधारी सेल्स कार्पोरेशन रायपुर
79	गिलास (स्टील)	243449.00	मे. मनिधारी सेल्स कार्पोरेशन रायपुर
80	एल.ई.डी. लैम्प (बल्ब)	472458.00	मे. आर.जी. इन्टरप्राइजेस 4/53 हाउसिंग बोर्ड कालोनी अवंति विहार रायपुर
81	फिनाईल लीटर में	235026.00	धनवंतरी केमिकलस 33 ए रानी दुर्गावती इन्ड. एरिया, अंजनी, पो-पेन्द्रा रोड बिलासपुर
82	फिनाईल लीटर में	117513.00	धनवंतरी केमिकलस 33 ए रानी दुर्गावती इन्ड. एरिया, अंजनी, पो-पेन्द्रा रोड बिलासपुर
83	थाली	811498.00	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर, छत्तीसगढ़
84	सिलिंग पंखा	361465.00	श्री बालाजी इन्टरप्राइजेस, बन्की मोगरा कटघोरा रोड
85	रेगुलेटर सिलिंग पंखा	37393.00	श्री बालाजी इन्टरप्राइजेस, बन्की मोगरा कटघोरा रोड
86	फिनाईल	23503.00	नलीन मेडिकल स्टोर्स पुराना जिला हॉस्पिटल सुरजपुर
87	फिनाईल	94016.00	नलीन मेडिकल स्टोर्स पुराना जिला हॉस्पिटल सुरजपुर
88	मग	29677.00	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर
89	बुकेट	107312.00	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर
90	पानी की टंकी	158910.00	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर
91	एंगल आयरन काट (तखत)	461062.00	द्विवेदी वेल्डिंग वर्क्स देवकर, तह.-साजा, जिला-बेमेतरा
92	सिलिंग पंखा	240977.00	अर्बन सप्लायर नियर मामा अलमारी फैक्टरी गली न. 4 गोपाल नगर राम नगर रायपुर
93	बुकेट	213674.00	ओरियेन्टल सेल्स कार्पोरेशन शॉप नं. 58, 2एण्ड फ्लोर समवेत शिखर कॉम्प्लेक्स डी.बी. कार्पोरेट रायपुर


क्र.	सामग्री का नाम	देयक की कुल राशि	फर्म का नाम
1	2	4	5
94	मग	47483.00	ओरियेन्टल सेल्स कार्पोरेशन शॉप नं. 58, 2एण्ड फ्लोर समवेत शिखर कॉम्प्लेक्स डी.बी. कार्पोरेट रायपुर
95	हाफ प्लेट (स्टील)	243449.00	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर-4 देवेन्द्र नगर रायपुर
96	जग (स्टील)	91699.00	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर-4 देवेन्द्र नगर रायपुर
97	पानी टंक (स्टील)	85207.00	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर-4 देवेन्द्र नगर रायपुर
98	पानी टंक (स्टील)	107361.00	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर-4 देवेन्द्र नगर रायपुर
99	दवाई किट्स	749392.00	साक्षी मेडिकल स्टोर्स मरवाही रोड पेन्ड्रा जिला जीपीम.
100	दवाई किट्स	585230.00	अनिल मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स शाप नं. 16,17 न्यू बस स्टैंड, डी.सी.एस. काम्प्लेक्स धमतरी, जिला-धमतरी
101	एंगल आयरन काट (तखत)	461062.00	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्क्स बोरसी, पोटिया दुर्ग
102	एंगल आयरन काट (तखत)	737699.00	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्क्स बोरसी, पोटिया दुर्ग
103	आलमीरा	189933.00	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्क्स बोरसी, पोटिया दुर्ग
104	स्टूडेंट चेयर	585230.00	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्क्स बोरसी, पोटिया दुर्ग
105	एल.ई.डी. लैम्प (बल्ब)	472458.00	मे. आर.जी. इन्टरप्राइजेस 4/53 हाउसिंग बोर्ड कालोनी अवन्ति विहार रायपुर
106	फिनाईल लीटर में	235026.00	धनवंतरी केमिकलस 33 ए रानी दुर्गावती इन्ड. एरिया, अंजनी, पो-पेन्ड्रा रोड बिलासपुर
107	फिनाईल लीटर में	117513.00	धनवंतरी केमिकलस 33 ए रानी दुर्गावती इन्ड. एरिया, अंजनी, पो-पेन्ड्रा रोड बिलासपुर
108	थाली	811498.00	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर, छत्तीसगढ़
109	सिलिंग पंखा	361465.00	श्री बालाजी इन्टरप्राइजेस, बन्की मोगरा कटघोरा रोड
110	रेगुलेटर सिलिंग पंखा	37393.00	श्री बालाजी इन्टरप्राइजेस, बन्की मोगरा कटघोरा रोड

क्र.	सामग्री का नाम	देयक की कुल राशि	फर्म का नाम
1	2	4	5
111	फिनाईल	23503.00	नलीन मेडिकल स्टोर्स पुराना जिला हॉस्पिटल सुरजपुर
112	फिनाईल	94016.00	नलीन मेडिकल स्टोर्स पुराना जिला हॉस्पिटल सुरजपुर
113	मग	29677.00	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर
114	बुकेट	107312.00	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर
115	पानी की टंकी	158910.00	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर
116	एंगल आयरन काट (तखत)	461062.00	द्विवेदी वेल्डिंग वर्क्स देवकर, तह.-साजा, जिला-बेमेतरा
117	सिलिंग पंखा	240977.00	अर्बन सप्लायर नियर मामा अलमारी फैक्टरी गली न. 4 गोपाल नगर राम नगर रायपुर
118	बुकेट	213674.00	ओरियेन्टल सेल्स कार्पोरेशन शॉप नं. 58, 2एण्ड फ्लोर समवेत शिखर कॉम्प्लेक्स डी.बी. कार्पोरेट रायपुर
119	मग	47483.00	ओरियेन्टल सेल्स कार्पोरेशन शॉप नं. 58, 2एण्ड फ्लोर समवेत शिखर कॉम्प्लेक्स डी.बी. कार्पोरेट रायपुर
120	हाफ प्लेट (स्टील)	243449.00	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर-4 देवेन्द्र नगर रायपुर
121	जग (स्टील)	91699.00	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर-4 देवेन्द्र नगर रायपुर
122	पानी टंक (स्टील)	85207.00	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर-4 देवेन्द्र नगर रायपुर
123	पानी टंक (स्टील)	107361.00	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर-4 देवेन्द्र नगर रायपुर
योग		20260645.00	
वर्ष 2023-24			
124	मेट्रेस (गद्दा)	902181.00	मे. अरविंद इंडस्ट्रीज इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर पंडरी रायपुर
125	ऑफिस कुर्सी (विजिटर चेयर)	114007.00	मे. धावले इंजी. एण्ड आयरन वर्क बोरसी पोटिया रोड दुर्ग
126	ऑफिस टेबल	85470.00	मे. धावले इंजी. एण्ड आयरन वर्क बोरसी पोटिया रोड दुर्ग

क्र.	सामग्री का नाम	देयक की कुल राशि	फर्म का नाम
1	2	4	5
127	केबिनेट (स्टील बुक केश)	204994.00	मे. धावले इंजी. एण्ड आयरन वर्क बोरसी पोटिया रोड दुर्ग
128	लैब टेबल	147920.00	मे. धावले इंजी. एण्ड आयरन वर्क बोरसी पोटिया रोड दुर्ग
129	ऑफिस कुर्सी (विजिटर चेयर)	183724.00	मे. धावले इंजी. एण्ड आयरन वर्क बोरसी पोटिया रोड दुर्ग
130	एल.ई.डी. ट्यूबलाईट	311489.00	मे. छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेस सूरजपुर जिला सूरजपुर
131	एल.ई.डी. ट्यूबलाईट	272553.00	मे. छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेस सूरजपुर जिला सूरजपुर
132	मेट्रेस (गद्दा)	360872.00	मे. श्री बालाजी इंटरप्राइजेस कटघोरा रोड बंकी मोंगरा
133	मेट्रेस (गद्दा)	360872.00	मे. श्री बालाजी इंटरप्राइजेस कटघोरा रोड बंकी मोंगरा
134	मेट्रेस (गद्दा)	315763.00	मे. श्री बालाजी इंटरप्राइजेस कटघोरा रोड बंकी मोंगरा
135	राऊंड डस्टबीन (3.ली.)	56980.00	मे. छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स केतका रोड सुरजपुर जिला-सुरजपुर
136	वाटर फिल्टर (12.ली.)	156695.00	मे. कम्यूनिकेशन सिस्टम शॉप नं. 21 प्रथम तल व्यावसायिक परि. सी.जी.एच.बी. कालोनी बोरियाकला सदानी दरबार रायपुर
137	सेनेटरी पेड इंसिनेटर	142450.00	मे. देवल सौधी वत्र उद्योग न्यू मार्केट माना केम्प रायपुर
138	प्लास्टिक गमला (12इंच)	66080.00	मे. ओरिएंटल सेल्स कार्पोरेशन समवेत शिखर डीबी कार्पोरेट के बगल रायपुर
139	मेट्रेस (गद्दा)	270654.00	मे. अरविंद इंडस्ट्रीज इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर पंडरी रायपुर
140	मेट्रेस (गद्दा)	360872.00	मे. अरविंद इंडस्ट्रीज इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर पंडरी रायपुर
141	मेट्रेस (गद्दा)	315763.00	मे. अरविंद इंडस्ट्रीज इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर पंडरी रायपुर
142	मेट्रेस (गद्दा)	315763.00	मे. अरविंद इंडस्ट्रीज इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर पंडरी रायपुर
143	मेट्रेस (गद्दा)	315763.00	मे. अरविंद इंडस्ट्रीज इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर पंडरी रायपुर
144	चादर रंगीन	1132583.00	मे. छत्तीसगढ़ हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
145	गिलास	67625.00	मे. छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स केतका रोड सुरजपुर जिला-सुरजपुर

क्र.	सामग्री का नाम	देयक की कुल राशि	फर्म का नाम
1	2	4	5
146	थाली	77486.00	मे. छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स केतका रोड सुरजपुर जिला-सुरजपुर
147	मग प्लास्टिक	71225.00	मे. छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स केतका रोड सुरजपुर जिला-सुरजपुर
148	बुकेट 20 लीटर	189933.00	मे. छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स केतका रोड सुरजपुर जिला-सुरजपुर
149	एल.ई.डी. ट्यूब लाईट 20 वाट	272553.00	छत्तीसगढ़ इन्टरप्राइजेस सुरजपुर, खसरा नं. 2199/4 केतका रोड सुरजपुर
150	मेट्रेस (गद्दा)	267093.00	छत्तीसगढ़ इन्टरप्राइजेस सुरजपुर, खसरा नं. 2199/4 केतका रोड सुरजपुर
151	मेट्रेस (गद्दा)	267093.00	छत्तीसगढ़ इन्टरप्राइजेस सुरजपुर, खसरा नं. 2199/4 केतका रोड सुरजपुर
152	मेट्रेस (गद्दा)	267093.00	छत्तीसगढ़ इन्टरप्राइजेस सुरजपुर, खसरा नं. 2199/4 केतका रोड सुरजपुर
153	मेट्रेस (गद्दा)	267093.00	छत्तीसगढ़ इन्टरप्राइजेस सुरजपुर, खसरा नं. 2199/4 केतका रोड सुरजपुर
154	एंगल आयरन काट (तखत)	238010.00	उन्नति वेन्चर, 2 nd फ्लोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर
155	एंगल आयरन काट (तखत)	238010.00	उन्नति वेन्चर, 2 nd फ्लोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर
156	कैबिनेट प्लेन मिडियम	149074.00	उन्नति वेन्चर, 2 nd फ्लोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर
157	आफिस चेयर	211716.00	उन्नति वेन्चर, 2 nd फ्लोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर
158	आफिस चेयर	211716.00	उन्नति वेन्चर, 2 nd फ्लोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर
159	प्यूफोम मेट्रेस (गद्दा)	261158.00	उन्नति वेन्चर, 2 nd फ्लोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर
160	प्यूफोम मेट्रेस (गद्दा)	261158.00	उन्नति वेन्चर, 2 nd फ्लोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर
161	सिलिंग फेन	245724.00	श्री बालाजी इन्टरप्राइजेस बंकी मोंगरा, कटघोरा रोड
162	सिलिंग फेन	245724.00	श्री बालाजी इन्टरप्राइजेस बंकी मोंगरा, कटघोरा रोड
163	फिनाईल	119895.00	धनवंतरी केमिकल्स 33 ए. रानी दुर्गावती इन्ड्र. ऐरिया अंजनी, पो.-पेन्झा रोड, जिला गैरेला-पेन्झा-मरवही (छ.ग.)
164	एंगल आयरन काट	142806.00	विधि इन्ड्रस्ट्रीज ठाकुरतोला राजनांदगांव
165	एंगल आयरन काट	142806.00	विधि इन्ड्रस्ट्रीज ठाकुरतोला राजनांदगांव

क्र.	सामग्री का नाम	देयक की कुल राशि	फर्म का नाम
1	2	4	5
166	एंगल आयरन काट	142806.00	विधि इन्ड्रस्ट्रीज ठाकुरतोला राजनांदगांव
167	एंगल आयरन काट	142806.00	विधि इन्ड्रस्ट्रीज ठाकुरतोला राजनांदगांव
168	एंगल आयरन काट	142806.00	विधि इन्ड्रस्ट्रीज ठाकुरतोला राजनांदगांव
169	ग्लास (200 कि.ग्रा.) हाफ प्लेट (200 कि.ग्रा.)	129614.00	तनुष इंटरप्राइजेस, ग्राम-पोड़, ठाकुरतोला , राजनांदगांव (छ.ग.)
170	करछुली (200 कि.ग्रा.)	97380.00	तनुष इंटरप्राइजेस, ग्राम-पोड़, ठाकुरतोला , राजनांदगांव (छ.ग.)
171	दवाई किट्स	319464.00	साक्षी मेडिकल स्टोर्स गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही
		594864.00	
		330480.00	
योग		12508659.00	
वर्ष 2024-25			
वर्ष 2024-25 में 25 नवंबर 2025 तक सामग्री/उपकरण की खरीदी प्रक्रियाधीन है।			


 अनुभाग अधिष्ठाता
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 आलाय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - सनतावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 729) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला-बालोद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में शामिल कार्य

स.क्र.	कार्य का नाम	वित्त विभाग द्वारा सहमति (राशि लाख में)	सहमति दिनांक
1	2	3	4
1	जिला बालोद के दल्ली चौक बालोद से पाररास बालोद तक (लोहाद बालोद मार्ग मु.जि.मा.) सौन्दर्यीकरण एवं मार्ग विभाजक निर्माण की घोषणा लं. 185 कि.मी.	809.67	14.09.2023
2	बालोद में जिला न्यायालय भवन निर्माण	1518.00	23.01.2024



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग, बालोद
नया बालोद

जिला-बालोद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में शामिल कार्य

स.क्र.	कार्य का नाम	वित्त विभाग द्वारा सहमति (राशि लाख में)	सहमति दिनांक
1	2	3	4
1	जिला बालोद के दुर्ग दल्लीराजहरा रेल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग क्र. डी.डी.-50 पाररास पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं यूटीलिटी शिफ्टिंग में होने वाले व्यय हेतु) की प्रशासकीय स्वीकृत बाबत	2649.33	20.09.2024
2	वर्ष 2024-25 में बालोद जिले के विकासखण्ड डौंडीलोहारा जलाशय के ओगीफाल के नीचे सुरक्षात्मक कार्य	1102.98	21.11.2024
3	01 सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण (250 मीटर)	441.49	24.07.2024
4	बालोद में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण	774.50	04.06.2024



अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 वित्त विभाग, मंत्रालय,
 भद्रा रायपुर

पारोशेष्ट - अनठावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 730) की जानकारी

प्रपत्र

बालोद जिला के संजारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित छात्रावासों के स्वीकृत सीट/प्रवेशित सीट की जानकारी

क्र.	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	2	3	4
बालक			
1	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बालोद	40	60
2	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पीपरछेड़ी	20	28
3	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास अमलीडीह	30	55
4	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गुरुर	20	30
5	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास अरकार	50	24
6	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सोरर	50	39
7	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोचवाही	50	34
8	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बरही	50	19
9	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बालोद	50	54
10	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गुरुर	50	14
11	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बालोद	20	52
12	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास लाटाबोड़	50	21
13	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास गुरुर	50	15
14	प्री मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बालोद	50	52
15	पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बालोद	50	21
योग		630	518
कन्या			
1	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बालोद	20	45
2	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास अमलीडीह	50	60
3	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बड़भूम	50	49
4	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास गुरुर	50	42
5	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बालोद	50	62
6	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बालोद	50	32
योग		270	290
महायोग		900	808


 अनुभाग अधिकारी
 अदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर

परिशेष - उन्सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 731) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन संख्या		पात्र प्रकरण संख्या	लाभान्वित हितग्राही की संख्या		निरस्त प्रकरण संख्या				योग
				एकल	समूह		एकल	समूह	प्रकरण स्वीकृत उपरान्त कृषकों द्वारा कृषक अथवा राशि जमा नहीं किये जाने के कारण	लक्ष्य के अभाव में स्वीकृत नहीं होने के कारण	कृषक द्वारा यंत्र क्रय करने से इंकार करने के कारण	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	1	0	1	0	1	0		1		
		बालोद	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	7	0	7	1		5	1	6		
1	2020-21 (दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक)	गुरुर	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	2	0	2	1	1	0		1		
			कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	7	0	7			7		7		
			योग वर्ष 2020-21 (दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक)	17	0	17	2	0	12	1	15		
			कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	18	0	18	9		0		9		
		बालोद	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	1	0	1	0		1		1		
2	2021-22	गुरुर	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	33	0	33	12		0		21		
			कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	7	0	7	3		4		4		
			योग वर्ष 2021-22	59	0	59	24	0	5	0	35		
			कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	38	0	38	20		0		18		
		बालोद	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	0	0	0	0				0		
3	2022-23	गुरुर	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	46	0	46	25		0		21		
			कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	4	0	4	2		2		2		
			योग वर्ष 2022-23	88	0	88	47	0	2	0	41		

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन संख्या		पत्र प्रकरण संख्या	लभ्यावित हिताग्राही की संख्या		निरस्त प्रकरण संख्या				योग	
				एकल	समूह		एकल	समूह	प्रकरण स्वीकृत उपरान्त कृषकों द्वारा कृषक अथवा साक्षि जमा नहीं किये जाने के कारण	लक्ष्य के अभाव में स्वीकृत नहीं होने के कारण	कृषक द्वारा यंत्र क्रय करने से इंकार करने के कारण	12		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		
4	2023-24	वालोट	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	47	0	47	9		2	36		38		
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना	1	0	1	1				0		0	
		गुरुर	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	123	0	123	11		0	112			112	
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना	1	0	1	1						0	
योग वर्ष 2023-24				172	0	172	22	0	2	148	0	150		
5	2024-25 (दिनांक 28.11.2024 तक)	वालोट	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	57	0	57	2	0				0		
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना	1	0	1	1					0		
		गुरुर	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	122	0	122	6					1	1	0
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना	2	0	2	1		0	0	1	1	1	
योग वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.11.2024 तक)				182	0	182	9	0	0	0	1	1		
महायोग				518	0	518	104	0	73	167	2	242		

उप सचिव

(विकास सिक्रा)

ऊनीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	ट्रेक्टर की क्षमता का विवरण	प्राप्त आवेदन		स्वीकृत प्रकरणों की संख्या		अनुदान पर वितरित ट्रेक्टर की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या		लंबित रहने का कारण	रिमार्क														
					एकल	समूह	एकल	समूह		एकल	समूह																
1	वर्ष 2020-21 (दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021)	वालोट	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	(2 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	1	0	0	0	0	0	0	0	लक्ष्य के अभाव में स्वीकृत नहीं होने के कारण शेष रहे प्रकरण स्वमेव निरस्त हो गये।														
														कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना	(2 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	7	0	1	0	1	0						
																						कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	(2 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	1	0	1	0
योग वर्ष 2020-21 (दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक)					17	0	2	0	3	0	0																

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	ट्रेक्टर की क्षमता का विवरण		प्राप्त आवेदन		स्वीकृत प्रकरणों की संख्या		अनुदान पर वितरित ट्रेक्टर की संख्या		लंबित प्रकरणों की संख्या		लंबित रहने का कारण	टिप्पणियाँ
				एकल	समूह	एकल	समूह	एकल	समूह	एकल	समूह				
2	2021-22	बालोद	कृषि यांत्रिकीकरण सर्वमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	(2 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	8	5	0	5	0	0	0	0		लक्ष्य के अभाव में स्वीकृत नहीं होने के कारण शेष रहे प्रकरण स्वभाव निरस्त हो गये।	
															(2 डब्ल्यूडी) 20 से अधिक 40 पी.टी.ओ. एच.पी. तक
				(4 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	9	4	4	0	0						
											कृषि यांत्रिकीकरण सर्वमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	(4 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	1	5	0
				(2 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	16	5	5	0	0	0					
											कृषि यांत्रिकीकरण सर्वमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	(2 डब्ल्यूडी) 20 से अधिक 40 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	6	0	0
				(4 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	11	7	7	0	0	0					
											कृषि यांत्रिकीकरण सर्वमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	(2 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	7	3	3
				(4 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	7	0	0	0	0	0					
											योग वर्ष 2021-22		59	0	24

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	ट्रेक्टर की क्षमता का विवरण	प्राप्त आवेदन		स्वीकृत प्रकरणों की संख्या		अनुदान पर वितरित ट्रेक्टर की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या		लंबित रहने का कारण	रिमार्क
					एकल	समूह	एकल	समूह		एकल	समूह		
3	2022-23	गुरार	कृषि यांत्रिकीकरण सर्वाभियान योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	(2 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	8		4		4				लक्ष्य के अभाव में स्वीकृत नहीं होने के कारण शेष रहे प्रकरण स्वमेव निरस्त हो गये।
					30		16		16				
					25		9		9				
					2		1		1				
					19		15		15				
					4		2		1				
					4		2		1				
					88	0	47	0	47	0			
					7		2		2				
					1		0						
4	2023-24	बालोद	कृषि यांत्रिकीकरण सर्वाभियान योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	(2 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	39		7		7			लक्ष्य के अभाव में स्वीकृत नहीं होने के कारण शेष रहे प्रकरण स्वमेव निरस्त हो गये।	
					1		0						
					1		1		1				
					1		1		1				

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	ट्रेक्टर की क्षमता का विवरण	प्राप्त आवेदन		स्वीकृत प्रकरणों की संख्या		अनुदान पर वितरित ट्रेक्टर की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या		लंबित रहने का कारण	टिप्पणियाँ							
					एकल	समूह	एकल	समूह		एकल	समूह									
4	2023-24	गुजर	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	(2 डब्ल्यूडी) 20 से अधिक 40 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	3		1		1	2			लक्ष्य के अभाव में स्वीकृत नहीं होने के कारण शेष रहे प्रकरण स्वभाव निरस्त हो गये।							
														(4 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	92	6				
योग वर्ष 2023-24				172	0	22	0	24	0	0										
5	2024-25 (दिनांक 28.11.2024 तक)	बालोद	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	(2 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	6		0		6				निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन							
														(4 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	51	2				49

101

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	ट्रेक्टर की क्षमता का विवरण	प्राप्त आवेदन		स्वीकृत प्रकरणों की संख्या		अनुदान पर वितरित ट्रेक्टर की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या		लंबित रहने का कारण	टिप्पणियाँ
					एकल	समूह	एकल	समूह		एकल	समूह		
5	2024-25 (दिनांक 28.11.2024 तक)	गुरुर	कृषि यांत्रिकीकरण सर्वमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों में अनुदान	(2 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	23		0			23		निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
					2		0		2				
			कृषि यांत्रिकीकरण सर्वमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	(4 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	97		6			91			
			योग वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.11.2024 तक)	(2 डब्ल्यूडी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ. एच.पी. तक	182	0	9	0	1	172	0		
			महायोग		518	0	104	0	100	172	0		

(विकास विभाग)
उप सचिव
उत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परोशेष्ट - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 734) की जानकारी

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा विगत 03 वर्षों में गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित ईट भट्टे के निरीक्षण सम्बन्धी वर्षवार जानकारी

वर्ष-2022

क्र.	ईट भट्टों का नाम	ईट भट्टे स्थल (ग्राम/तहसील)	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	रिमार्क
1	मेसर्स श्रीमती रेखा जैन लाल ब्रिक्स	ग्राम-कामरोद तहसील- गुण्डरदेही, जिला-बालोद	08/12/2022	श्री आर.के. अहिरवार, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं श्री शिव प्रसाद, कनिष्ठ वैज्ञानिक	स्थिति सामान्य पाई गई।

वर्ष -2023

1	मेसर्स सी0 जी0 ब्रिक्स	ग्राम-बाधमरा, तहसील- गुण्डरदेही, जिला-बालोद	12/04/2023	श्री जी.पी. पटेल, प्रभारी रसायनज्ञ एवं श्री एस.के. विश्वकर्मा, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	स्थिति सामान्य पाई गई।
2	मेसर्स चावड़ा ईट उद्योग	ग्राम-लिमोरा, तहसील- गुण्डरदेही, जिला-बालोद	12/04/2023	श्री जी.पी. पटेल, प्रभारी रसायनज्ञ एवं श्री एस.के. विश्वकर्मा, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	स्थिति सामान्य पाई गई।
3	मेसर्स छेदीलाल चक्रधारी ब्रिक्स	ग्राम-देवरी तहसील- गुण्डरदेही, जिला-बालोद	13/04/2023	श्री नंदकुमार पटेल, प्रभारी रसायनज्ञ	स्थिति सामान्य पाई गई।
4	मेसर्स श्रीमती रेखा जैन लाल ब्रिक्स	ग्राम-कामरोद तहसील- गुण्डरदेही, जिला-बालोद	26/04/2023	श्री जी.पी. पटेल, प्रभारी रसायनज्ञ एवं श्री एस.के. विश्वकर्मा, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	स्थिति सामान्य पाई गई।
5	मेसर्स सी0 जी0 ब्रिक्स	ग्राम-बाधमरा, तहसील- गुण्डरदेही, जिला-बालोद	24/05/2023	श्री आर.के. अहिरवार, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं श्री शिव प्रसाद, कनिष्ठ वैज्ञानिक	स्थिति सामान्य पाई गई।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

6	मेसर्स चावड़ा ईट उद्योग	ग्राम-लिमोरा, तहसील- गुण्डरदेही, जिला-बालोद	24/05/2023	श्री आर.के. अहिरवार, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं श्री शिव प्रसाद, कनिष्ठ वैज्ञानिक	स्थिति सामान्य पाई गई।
---	-------------------------	--	------------	---	------------------------------

वर्ष -2024

1	मेसर्स सी0 जी0 ब्रिक्स	ग्राम-बाधमरा, तहसील - गुण्डरदेही, जिला-बालोद	15/04/2024	जी.पी. पटेल प्रभारी रसायनज्ञ एवं एस.के. विश्वकर्मा प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	स्थिति सामान्य पाई गई।
2	मेसर्स चावड़ा ईट उद्योग	ग्राम-लिमोरा, तहसील- गुण्डरदेही, जिला-बालोद	23/04/2024	श्री जी.पी. पटेल, प्रभारी रसायनज्ञ एवं श्री एस.के. विश्वकर्मा, प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	स्थिति सामान्य पाई गई।
3	मेसर्स श्रीमती रेखा जैन लाल ब्रिक्स	ग्राम-कामरोद, तहसील - गुण्डरदेही, जिला-बालोद	23/04/2024	जी.पी. पटेल प्रभारी रसायनज्ञ एवं एस.के. विश्वकर्मा प्रभारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	स्थिति सामान्य पाई गई।
4	मेसर्स पवार ब्रिक्स	ग्राम-ब्रम्हनी, तहसील - गुण्डरदेही, जिला-बालोद	06/12/2024	डॉ. अनीता सावंत, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री शिव प्रसाद, कनिष्ठ वैज्ञानिक	स्थिति सामान्य पाई गई।


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)


परिशेष - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 735) की जानकारी

प्रपत्र-अ

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा संचालित योजनायें एवं वर्ष 2023-24 में आबंटित राशि एवं उनके विरुद्ध खर्च की गई राशि की जानकारी


क्रमांक	योजना का नाम	आबंटित राशि (लाख रु. में)	व्यय राशि (लाख रु. में)
1.	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	2650.00	3185.93
2.	शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	8620.884	5728.848
3.	नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम)	169.20	97.14
4.	अमृत मिशन 2.0	9945.29	8220.27
5.	नवीन सरोवर धरोहर योजना	730.32	733.19
6.	कृष्णाकुंज योजना	0	0
7.	हरियर छत्तीसगढ़ योजना	0	0
	योग	22115.694	17965.408


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-ब

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाएँ एवं वर्ष 2023-24 में आबंटित राशि एवं उनके विरुद्ध खर्च की गई राशि की जानकारी

अनु.	योजना क्रमांक	संचालित योजनाएं	आबंटित राशि (लाख रूपये में)	व्यय राशि (लाख रूपये में)
1	(2536)	पर्यावरण वानिकी	3289.28	3040.55
2	(2965)	बिगड़े वनों का सुधार (बांस वनों सहित)	4922.25	4064.22
3	(2962)	बिगड़े वनों का सुधार (बांस वनों सहित)	14698.51	13186.54
4	(6827)	भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य	9384.22	9124.59
5	(1004)	नदीतट वृक्षारोपण	738.87	694.12
6	(1902)	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	497.58	458.82
7	(2533)	हरियाली प्रसार योजना	365.73	339.69
8	(6724)	बांस वनों का पुनरोद्धार	6749.27	6420.11
9	(7930)	मुख्यमंत्री बांस विकास योजना	7.50	5.38
10	(6828)	पथ वृक्षारोपण	624.11	471.87
11	(7563)	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	443.75	407.30
12	(6666)	मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना	3483.72	3346.79
13	(6516)	ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपत/ओषधी रोपण	448.99	428.61
14	(4475)	सामाजिक वाणिकी	55.67	55.52
15	(6699)	वन विकास उपकर निधि से व्यय	400.00	399.75
16	(5538)	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	135.73	135.73
17	(3531)	प्राकृतिक पुनरोत्पादन (बांस वनों सहित) का संरक्षण	13386.75	13081.59
18	(7993)	छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से व्यय	93796.00	67064.00
19		महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	1049.77	531.09
20		पी. डी. मद	1257.49	764.59
21		डी.एम.एफ. मद	75.24	59.78
22		ए. डी. बी.	69.51	50.66
23		हरियर छत्तीसगढ़ कोष वन्य प्राणी	168.13	112.96
24	(3531)	प्राकृतिक पुनरोत्पादन (बांस वनों सहित) का संरक्षण	105.61	105.58
25	(2965)	बिगड़े वनों का सुधार (बांस वनों सहित)	370.00	347.73
26	(6724)	बांस वनों का पुनरोद्धार वन विकास निगम	122.81	122.65
27		डिपोजिट रोपण	1918.66	1646.85
28		हरियर छत्तीसगढ़ कोष	150.79	141.58
29		विभागीय सागौन रोपण	643.96	460.13
		कुलयोग	159359.91	127068.78


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - बैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 736) की जानकारी

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में भुगतान की गई राशि की जानकारी

(राशि करोड़ में)

क्र.	वर्ष	बजट प्रावधान	किस्त संख्या	भुगतान की गई राशि	भुगतान प्राप्त किसान संख्या	भुगतान प्रारंभ तिथि
1	2021-22	5703.00	प्रथम किस्त	1498.94	2059068	21.05.2021
2			द्वितीय किस्त	1498.94		20.08.2021
3			तृतीय किस्त	1522.71		27.10.2021
4			चतुर्थ किस्त	1032.48		24.03.2022
1	2022-23	6000.00	प्रथम किस्त	1752.96	2438829	21.05.2022
2			द्वितीय किस्त	1752.51		20.08.2022
3			तृतीय किस्त	1751.00		14.10.2022
4			चतुर्थ किस्त	1749.36		22.03.2023

टीप :- वर्ष 2021-22 में बीज निगम द्वारा तीन किस्त की राशि दिनांक 30.11.2021 एवं चौथी किस्त दिनांक 12.04.2022 को किया गया।



(विमल मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विज्ञान एवं किसान कल्याण

एवं तथा जल प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, नया रायपुर, जडल नगर



नोडल अधिकारी (वि.स.)

संचालनालय कृषि, छ.ग. रायपुर

पारिशेष्य - तेरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 741) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

विज्ञापन क्रमांक 1374 दिनांक 12.06.2023

क्र.	पदनाम	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या				
		अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि. व.	कुल
01	02	3	4	5	6	7
	सहायक प्राध्यापक/ वैज्ञानिक					
01	सस्य विज्ञान	02	01	—	01	04
02	कृषि अर्थशास्त्र	01	01	01	—	03
03	कृषि सांख्यिकी	—	01	—	—	01
04	कृषि विस्तार	01	—	—	01	02
05	कीटशास्त्र	01	01	01	—	03
06	अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन	01	01	—	01	03
07	पादप आण्विक जीवविज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी	01	01	—	—	02
08	उद्यानिकी	02	01	—	—	03
09	मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन	—	01	01	—	02
10	सूक्ष्म जीवविज्ञान	01	—	—	—	01
11	पौध रोग	01	—	—	01	02
12	पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन	—	01	—	—	01
13	कृषि अभियांत्रिकी (मृदा एवं जल अभियांत्रिकी)	01	01	—	—	02
14	पादप कार्यिकी	—	—	01	—	01
	कुल	12	10	04	04	30

योग्यता:

1. सहायक प्राध्यापक/ वैज्ञानिक

आवश्यक

01. अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (या 10.00 स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड 6.50) के साथ कृषि/उद्यानिकी/कृषि अभियांत्रिकी/पशु चिकित्सा संकाय के संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।#

02. मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए, सहायक प्राध्यापक और समकक्ष विषयों में भर्ती के लिए नास (राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली) रेटेड जर्नल में एक प्रकाशन के साथ नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) अनिवार्य रहेगी, जो आई.सी.ए.आर./यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित की जाती है।

03. पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों के लिए नेट की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जा सकती है। यदि यू.जी.सी. विनियम 2009 के अनुसार उक्त उपाधि कोर्सवर्क के साथ प्राप्त की गई हो और उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर न्यूनतम 4नास रेटिंग वाले दो पूर्ण-लंबाई वाले शोध पत्र प्रकाशन हों। कोर्स वर्क के बिना पीएच.डी. उपाधि वाले उम्मीदवार को नेट की छूट नहीं होगी।

जिन उम्मीदवारों ने उपरोक्तानुसार पीएच.डी. के लिए 11 जुलाई 2009 से पहले पंजीकरण कराया हो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन नेट से छूट दी जाएगी:

ए) पीएच.डी. उम्मीदवार की डिग्री केवल नियमित मोड में प्रदान की गयी हो;*

बी) पीएच.डी. थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

सी) पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

डी) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. से संबंधित दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित होना चाहिए;

ई) उम्मीदवार ने अपनी पीएच.डी. कार्य के आधार पर कान्फ्रेंस/सेमिनार में कम से कम दो प्रस्तुतियाँ दी हों। उपरोक्त(ए) से (ई) को कुलपति/प्रो-कुलपति/डीन (शैक्षणिक मामले)/डीन (यूनिवर्सिटी इन्सट्रक्शन) द्वारा प्रमाणित की गई हो।

*पीएचडी उपाधियों जो पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से की जाती हैं, उन्हें नियमित मोड के माध्यम से प्रदान की गई उपाधि के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि उक्त उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के मौजूदा परिनियम/उपनियम/अध्यादेश आदि के अनुरूप हों। यद्यपि, दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त की गई पीएच.डी. उपाधि की अनुमति नहीं होगी।"


अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड का स्पष्टीकरण –

- (01) द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि (55 प्रतिशत या अधिक)।
- (02) द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि (55 प्रतिशत या अधिक)।
- (03) हायर सेकेंडरी से लेकर पूरे करियर में कोई तृतीय श्रेणी नहीं।

विज्ञापन अनुसार –

महिला आवेदक (केवल छत्तीसगढ़ की मूल निवासी) के लिए प्रत्येक श्रेणी में छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध होगा।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नियमानुसार 7 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध होगा।


 (विकास मिश्रा)
 उपा सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जल प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-‘ब’

सहायक प्राध्यापक पद हेतु

ए. कृषि महाविद्यालयों के लिए रिक्तियाँ

01. बैकलॉग रिक्तियाँ

क्र.	विषय	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या			
		अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	कुल
01	02	03	04	05	06
01	पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन	01	—	—	01
02	कृषि सांख्यिकी	02	—	—	02
03	कृषि मशीनरी एवं शक्ति अभियांत्रिकी	03	—	—	03
	कुल				06

02. सामान्य रिक्तियाँ

क्र.	विषय	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या				
		अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	कुल
01	02	03	04	05	06	07
01	सस्य विज्ञान	01	—	—	01	02
02	कृषि अर्थशास्त्र	—	01	—	—	01
03	कृषि विस्तार	01	—	—	—	01
04	कीटशास्त्र	01	01	—	—	02
05	अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन	—	—	—	01	01
06	पादप आण्विक जीवविज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी	01	—	—	—	01
07	उद्यानिकी	—	01	01	—	02
08	मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन	01	—	—	—	01
09	पौध रोग	—	01	—	—	01
	कुल	05	04	01	02	12

बी. खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर के लिए रिक्तियाँ

क्र.	विषय	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या				
		अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रसंस्करण एवं खाद्य अभियांत्रिकी	01	—	—	—	01
2	खाद्य प्रौद्योगिकी	01	—	—	01	02
3	जैवरसायन (खाद्य रसायन)	—	—	01	—	01
4	खाद्य सूक्ष्म जीवविज्ञान	01	—	—	—	01
5	कृषि व्यवसाय प्रबंधन	—	01	—	—	01
	कुल	03	01	01	01	06

1. कृषि महाविद्यालयों हेतु सहायक प्राध्यापक

योग्यता:

आवश्यक

01. अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (या 10.00 स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड 6.50) के साथ कृषि/उद्यानिकी/कृषि अभियांत्रिकी/पशु चिकित्सा संकाय के संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।#

02. मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए, सहायक प्राध्यापक और समकक्ष विषयों में भर्ती के लिए नास (राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली) रेटेड जर्नल में एक प्रकाशन के साथ नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) अनिवार्य रहेगी, जो आई.सी.ए.आर./यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित की जाती है।

03. पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों के लिए नेट की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जा सकती है। यदि यू.जी.सी. विनियम 2009 के अनुसार उक्त उपाधि कोर्सवर्क के साथ प्राप्त की गई हो और उम्मीदवार के पास

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर न्यूनतम 4नास रेटिंग वाले दो पूर्ण-लंबाई वाले शोध पत्र प्रकाशन हों। कोर्स वर्क के बिना पीएच.डी. उपाधि वाले उम्मीदवार को नेट की छूट नहीं होगी।

जिन उम्मीदवारों ने उपरोक्तानुसार पीएच.डी. के लिए 11 जुलाई 2009 से पहले पंजीकरण कराया हो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन नेट से छूट दी जाएगी:

- ए) पीएच.डी. उम्मीदवार की डिग्री केवल नियमित मोड में प्रदान की गयी हो;*
- बी) पीएच.डी. थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;
- सी) पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;
- डी) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. से संबंधित दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित होना चाहिए;
- ई) उम्मीदवार ने अपनी पीएच.डी. कार्य के आधार पर कान्फ्रेंस/सेमिनार में कम से कम दो प्रस्तुतियाँ दी हों।

उपरोक्त (ए) से (ई) को कुलपति/प्रो-कुलपति/डीन (शैक्षणिक मामले)/डीन (यूनिवर्सिटी इन्सपेक्शन) द्वारा प्रमाणित की गई हो।

*"पीएचडी उपाधियाँ जो पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से की जाती हैं, उन्हें नियमित मोड के माध्यम से प्रदान की गई उपाधि के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि उक्त उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के मौजूदा परिनियम/उपनियम/अध्यादेश आदि के अनुरूप हों। यद्यपि, दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त की गई पीएच.डी. उपाधि की अनुमति नहीं होगी।"

#अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड का स्पष्टीकरण -

- (01) द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि (55 प्रतिशतया अधिक)।
- (02) द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि (55 प्रतिशतया अधिक)।
- (03) हायर सेकेंडरी से लेकर पूरे करियर में कोई तृतीय श्रेणी नहीं।

खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हेतु सहायक प्राध्यापक

योग्यता:

आवश्यक

खाद्य प्रौद्योगिकी(फूड टेक्नोलॉजी)

01. अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (या 10.00 स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड 6.50) के साथ खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।#
02. मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए, सहायक प्राध्यापक और समकक्ष विषयों में भर्ती के लिए नास (राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली) रेटेड जर्नल में एक प्रकाशन के साथ नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) अनिवार्य रहेगी, जो आई.सी.ए.आर./यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित की जाती है।
03. पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों के लिए नेट की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जा सकती है। यदि यू.जी.सी. विनियम 2009 के अनुसार उक्त उपाधि कोर्सवर्क के साथ प्राप्त की गई हो और उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर न्यूनतम 4नास रेटिंग वाले दो पूर्ण-लंबाई वाले शोध पत्र प्रकाशन हों। कोर्स वर्क के बिना पीएच.डी. उपाधि वाले उम्मीदवार को नेट की छूट नहीं होगी।

प्रसंस्करण एवं खाद्य अभियांत्रिकी(प्रोसेसिंग एण्ड फूड इंजीनियरिंग)

01. अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (या 10.00 स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड 6.50) के साथ खाद्य अभियांत्रिकी/कृषि प्रसंस्करण एवं खाद्य अभियांत्रिकी/खाद्य प्रक्रिया अभियांत्रिकी/पोस्ट हार्वेस्ट अभियांत्रिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।#
02. मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए, सहायक प्राध्यापक और समकक्ष विषयों में भर्ती के लिए नास (राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली) रेटेड जर्नल में एक प्रकाशन के साथ नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) अनिवार्य रहेगी, जो आई.सी.ए.आर./यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित की जाती है।

03. पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों के लिए नेट की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जा सकती है। यदि यू.जी.सी. विनियम 2009 के अनुसार उक्त उपाधि कोर्सवर्क के साथ प्राप्त की गई हो और उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर न्यूनतम 4नास रेटिंग वाले दो पूर्ण-लंबाई वाले शोध पत्र प्रकाशन हों। कोर्स वर्क के बिना पीएच.डी. उपाधि वाले उम्मीदवार को नेट की छूट नहीं होगी।

खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान(फूड माइक्रोबायोलॉजी)

01. अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (या 10.00 स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड 6.50) के साथ खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/दुग्ध सूक्ष्म जीव विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।#

02. मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए, सहायक प्राध्यापक और समकक्ष विषयों में भर्ती के लिए नास (राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली) रेटेड जर्नल में एक प्रकाशन के साथ नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) अनिवार्य रहेगी, जो आई.सी.ए.आर./यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित की जाती है।

03. पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों के लिए नेट की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जा सकती है। यदि यू.जी.सी. विनियम 2009 के अनुसार उक्त उपाधि कोर्सवर्क के साथ प्राप्त की गई हो और उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर न्यूनतम 4नास रेटिंग वाले दो पूर्ण-लंबाई वाले शोध पत्र प्रकाशन हों। कोर्स वर्क के बिना पीएच.डी. उपाधि वाले उम्मीदवार को नेट की छूट नहीं होगी।

जैव रसायन(बायोकेमेस्ट्री)

01. अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (या 10.00 स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड 6.50) के साथ कृषि जैव रसायन सहित पादप जैव रसायन/पादप में विशेषज्ञता सहित जैव रसायन/खाद्य जैव रसायनविषय में स्नातकोत्तर उपाधि।#

02. मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए, सहायक प्राध्यापक और समकक्ष विषयों में भर्ती के लिए नास (राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली) रेटेड जर्नल में एक प्रकाशन के साथ नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) अनिवार्य रहेगी, जो आई.सी.ए.आर./यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित की जाती है।

03. पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों के लिए नेट की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जा सकती है। यदि यू.जी.सी. विनियम 2009 के अनुसार उक्त उपाधि कोर्सवर्क के साथ प्राप्त की गई हो और उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर न्यूनतम 4नास रेटिंग वाले दो पूर्ण-लंबाई वाले शोध पत्र प्रकाशन हों। कोर्स वर्क के बिना पीएच.डी. उपाधि वाले उम्मीदवार को नेट की छूट नहीं होगी।

कृषि व्यवसाय प्रबंधन(एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट)

01. अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (या 10.00 स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड 6.50) के साथ फूड बिजनेस मैनेजमेन्ट/कृषि बिजनेस मैनेजमेन्ट/फूड सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।#

02. मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए, सहायक प्राध्यापक और समकक्ष विषयों में भर्ती के लिए नास (राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली) रेटेड जर्नल में एक प्रकाशन के साथ नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) अनिवार्य रहेगी, जो आई.सी.ए.आर./यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित की जाती है।

03. पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों के लिए नेट की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जा सकती है। यदि यू.जी.सी. विनियम 2009 के अनुसार उक्त उपाधि कोर्सवर्क के साथ प्राप्त की गई हो और उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर न्यूनतम 4नास रेटिंग वाले दो पूर्ण-लंबाई वाले शोध पत्र प्रकाशन हों। कोर्स वर्क के बिना पीएच.डी. उपाधि वाले उम्मीदवार को नेट की छूट नहीं होगी।

जिन उम्मीदवारों ने उपरोक्तानुसार पीएच.डी. के लिए 11 जुलाई 2009 से पहले पंजीकरण कराया हो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन नेट से छूट दी जाएगी:

ए) पीएच.डी. उम्मीदवार की डिग्री केवल नियमित मोड में प्रदान की गयी हो;*

बी) पीएच.डी. थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

सी) पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;
 डी) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. से संबंधित दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित होना चाहिए;
 ई) उम्मीदवार ने अपनी पीएच.डी. कार्य के आधार पर कान्फ्रेंस/सेमिनार में कम से कम दो प्रस्तुतियाँ दी हों।
 उपरोक्त (ए) से (ई) को कुलपति/प्रो-कुलपति/डीन (शैक्षणिक मामले)/डीन (यूनिवर्सिटी इन्सट्रक्शन) द्वारा प्रमाणित की गई हो।

*"पीएचडी उपाधियाँ जो पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से की जाती हैं, उन्हें नियमित मोड के माध्यम से प्रदान की गई उपाधि के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि उक्त उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के मौजूदा परिनियम/उपनियम/अध्यादेश आदि के अनुरूप हों। यद्यपि, दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त की गई पीएच.डी. उपाधि की अनुमति नहीं होगी।"


अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड का स्पष्टीकरण –

- (01) द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि (55 प्रतिशतया अधिक)।
- (02) द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि (55 प्रतिशतया अधिक)।
- (03) हायर सेकेंडरी से लेकर पूरे करियर में कोई तृतीय श्रेणी नहीं।

विज्ञापन अनुसार –

महिला आवेदक (केवल छत्तीसगढ़ की मूल निवासी) के लिए प्रत्येक श्रेणी में छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध होगा।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नियमानुसार 7 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध होगा।


 (विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

विज्ञापन क्रमांक 5108 दिनांक 05.10.2023

बैकलॉग रिक्तियों

क्र.	पदनाम	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या			कुल
		अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	
विषय वस्तु विशेषज्ञ					
01	पशुधन उत्पादन प्रबंधन	03	01	—	04

सामान्य रिक्तियों

क्र.	पदनाम	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या				कुल
		अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	
विषय वस्तु विशेषज्ञ						
01	सस्य विज्ञान	01	01	01	01	04
02	कृषि विस्तार	01	01	01	—	03
03	उद्यानिकी	—	—	01	—	01
04	मृदा विज्ञान	01	01	01	—	03
05	कीटशास्त्र	02	—	—	01	03
06	पौध रोग	01	—	—	—	01
07	मृदा एवं जल अभियांत्रिकी	—	—	01	—	01
08	अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन/जैव प्रौद्योगिकी	02	01	—	01	04
09	पशुधन उत्पादन प्रबंधन	01	—	—	—	01
10	कृषि व्यवसाय प्रबंधन/कृषि अर्थशास्त्र	01	01	—	—	02
कुल		10	05	05	03	23

विषय वस्तु विशेषज्ञ

योग्यता:

आवश्यक

01. अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (या 10.00 स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड 6.50) के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि।

वांछित:-

01. शिक्षण/अनुसंधान/विस्तार शिक्षा में अनुभव।

02. प्रकाशित कार्य/नवाचारों द्वारा समर्थित शिक्षण/अनुसंधान/विस्तार शिक्षा में योगदान का साक्ष्य।


अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड:-

अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड का मतलब है कि पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास (01) द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि (55 प्रतिशत या अधिक) होनी चाहिए। (02) द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि (55 प्रतिशत या अधिक)। (03) हायर सेकेंडरी और उसके बाद पूरे करियर में कोई तृतीय श्रेणी नहीं।

विज्ञापन अनुसार -

महिला आवेदक (केवल छत्तीसगढ़ की मूल निवासी) के लिए प्रत्येक श्रेणी में छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध होगा।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नियमानुसार 7 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध होगा।


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र- 'द'

क्र.	विषय	साक्षात्कार हेतु बुलाये गए आवेदकों की संख्या	साक्षात्कार में उपस्थित आवेदकों की संख्या	साक्षात्कार में अनुपस्थित आवेदकों की संख्या
1	सस्य विज्ञान	123	51	72
2	कृषि अर्थशास्त्र	60	34	26
3	कृषि सांख्यिकी	00	00	00
4	कृषि विस्तार	60	26	34
5	कीट विज्ञान	68	35	33
6	अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन	71	31	40
7	पदप आण्विक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी	28	19	09
8	उद्यानिकी	127	49	78
9	मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन	16	07	09
10	सूक्ष्म जीव विज्ञान	13	07	06
11	पौधरोग	48	16	32
12	पशुधन उत्पादन प्रबंधन	03	02	01
13	कृषि अभियांत्रिकी (मृदा एवं जल अभियांत्रिकी)	36	16	20
14	पादप कार्मिकी	02	02	00
	कुल	655	295	360

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोशेष्ट - चॉसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 743) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क्र.	गतिविधि का नाम	लाभान्वित परिवार संख्या	रिमार्क
1	2	3	4
1	पक्का आवास (PMAY (G))	33	-
2	संपर्क सड़के (PMGSY)	55	भीमपुरी से राहपुर (बंगापारा) में 6.40 किमी स्वीकृत राशि 424.86 लाख के कार्य प्रस्तावित हैं, निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	वनधन विकास केन्द्र (वन विभाग)	निरंक	-
4	छात्रावास का निर्माण (स्कूल शिक्षा विभाग)	निरंक	-
5	आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन (महिला एवं बाल विकास विभाग)	1. पोषण- 0 से 6 वर्ष के बच्चे -32 गर्भवती माताएं - 03 शिशुवती माताएं - 02 2. अन्य योजना - महतारी वंदन योजना - 61 सुकन्या समृद्धि योजना- 22 प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना- 16	-
6	बहुउद्देशीय केन्द्र (आदिम जाति विकास विभाग)	निरंक	कार्य प्रस्तावित / स्वीकृत नहीं है।
7	अविद्युतीकृत पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण (CSPDCL)	निरंक	पीवीटीजी परिवार के सभी घर पूर्व से विद्युतीकृत है।
8	अविद्युतीकृत पीवीटीजी घरों का सौर उर्जा से विद्युतीकरण(CSPDCL)	निरंक	-
9	मोबाईल मेडिकल यूनिट (स्वास्थ्य विभाग)	निरंक	विशेष शिविर आयोजन कर स्वास्थ्य जांच, खून जांच सिकल सेल जांच, एवं अन्य बीमारियों की जांच की जा रही है। ग्राम बरगन में आयुष्मान कार्ड 65 एवं सिकल सेल कार्ड 71 तथा राहपुर में आयुष्मान कार्ड 166 तथा सिकल सेल कार्ड 99 हितग्राहियों को प्राप्त है।
10	नल से जल (जल जीवन मिशन)	18	कार्य प्रगति पर है, कार्य पूर्ण होने पर शेष 76 परिवार लाभान्वित होंगे।
11	कोशल शिक्षा एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण	निरंक	-


अनुभव अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया राहपुर

प्रपत्र 'ब'

क्र.	प्रगतिरत एवं प्रस्तावित कार्य/गतिविधि का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ)	रिमाक
1	2	3	4
1	पक्का आवास निर्माण कार्य	अपूर्ण/अप्रारंभ	कुल 31 आवास अपूर्ण एवं 02 आवास अप्रारंभ है।
2	भीमपुरी से राम्हेपुर (बैगापारा)- संपर्क सड़के	अप्रारंभ	भीमपुरी से राम्हेपुर (बैगापारा) लंबाई 6.40 किमी, स्वीकृत राशि रु. 424.86 लाख प्रस्तावित है और उनकी निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	स्वास्थ्य सुविधा-	-	स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर बी.पी.शुगर, सिकल सेल, मलेरिया, टाईफाईड एवं बीमारियों से संबंधित जांच किया जा रहा है एवं विशेष शिविर का आयोजन कर छूटे हुए हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड एवं सिकल सेल कार्ड प्रदायित किया जाना है।
4	1. ग्राम बरगन एकल ग्राम जल प्रदाय योजना 2. ग्राम राम्हेपुर सोलर जल प्रदाय योजना	अपूर्ण अपूर्ण	कुल लागत राशि रु. 87.44 लाख के एकल ग्राम जल प्रदाय योजना कार्य प्रगतिरत है। कुल लागत राशि रु. 34.88 लाख के सोलर जल प्रदाय योजना कार्य प्रगतिरत है।

Handwritten Signature
अनुभाष अधिकारी
आदिम ज्ञाति तथा अनुपूरित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

परोशेष्ट - पेंसठ

अतरांकेत प्रश्न संख्या 46 (क्र. 744) की जानकारी


प्रपत्र

वर्ष 2021 से 26/11/2024 की अवधि में जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने की प्राप्त शिकायतें एवं की गई कार्यवाही की जानकारी


क्रमांक	शिकायत का विषय	शिकायतकर्ता	शिकायत प्राप्ति दिनांक	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण दौरान पायी गयी स्थिति	की गयी कार्यवाही
1.	राशि स्टील एण्ड पावर प्लांट द्वारा की जा रही मनमानी व शासन के नियमों के दुरुपयोग के मामले में जांच पर कार्यवाही किये जाने बाबत।	श्री अंकित साहू, महासचिव भारतीय युवा कांग्रेस, मस्तुरी, पूर्व जिला संयोजक सोशल मिडिया युवा कांग्रेस जिला विलासपुर छ.ग.	30/12/2021	25/01/2022	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गयी	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गयी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
2.	राशि स्टील एण्ड पावर प्लांट द्वारा की जा रही मनमानी व शासन के नियमों के दुरुपयोग के मामले में जांच पर कार्यवाही किये जाने बाबत।	श्री अंकित साहू, महासचिव भारतीय युवा कांग्रेस, मस्तुरी, पूर्व जिला संयोजक सोशल मिडिया युवा कांग्रेस जिला विलासपुर छ.ग.	25/01/2022	25/01/2022	निरीक्षण दौरान उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण दौरान उद्योग में उत्सर्जन की स्थिति सामान्य पायी गयी। उद्योग से लगभग 500 मीटर दूरी पर प्रवाहित लीलागर नदी में प्रदूषण की स्थिति नहीं पायी गयी। उद्योग से लगभग 1.5 कि.मी. की दूरी पर ग्राम पाराघाट में पर्यावरणीय स्थिति सामान्य पायी गयी। औद्योगिक कार्य से ग्राम पाराघाट के बंधवा तालाब का जल प्रदूषित होना नहीं पाया गया।	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गयी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
3.	राशि स्टील एण्ड पावर प्लांट द्वारा की जा रही मनमानी व शासन के नियमों के दुरुपयोग के मामले में जांच पर कार्यवाही किये जाने बाबत।	श्री अंकित साहू, महासचिव भारतीय युवा कांग्रेस, मस्तुरी, पूर्व जिला संयोजक सोशल मीडिया युवा कांग्रेस, जिला- विलासपुर (छ.ग.) (पुनः शिकायत)	01/02/2022	03/03/2022	निरीक्षण दौरान उद्योग से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट आयरन ओर टेलिंग्स (स्लाईम) का अत्यधिक मात्रा में संग्रहण किया जाना पाया गया, जो कि सम्मति शर्त का उल्लंघन है। उद्योग को दिनांक 04/03/2022 को कमियों के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया।	उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना नहीं पाये जाने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत दिनांक 01/04/2022 को राशि 12510000/- रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने के कारण सक्षम न्यायालय जिला विलासपुर में दिनांक 20/06/2022 को परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है।
				07/03/2022	उद्योग का पुनः निरीक्षण को किया गया। उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।	

अनुभूत अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

4.	राशि स्टील एण्ड पावर प्लांट द्वारा की जा रही मनमानी व शासन के नियमों के दुरुपयोग के मामले में जांच पर कार्यवाही किये जाने बाबत।	श्री हर्ष भेट्टिया (पत्रकार) राजकमल वख्वाल, मेन रोड जयरामनगर, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	03/10/2023	29/11/2023	निरीक्षण के दौरान उद्योग के दूषित जल तथा वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्य किया गया। उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई। दूषित जल तथा वायु गुणवत्ता के मॉनिटरिंग परिणाम निर्धारित मानक के अनुरूप पाये गये।	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गयी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
5.	राशि स्टील एण्ड पावर प्लांट द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण पर त्वरित प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में।	श्री राजेश कुमार यादव, ह्यूमन राइट्स वर्कर, मुकाम पोस्ट - पेंड्री (सरगांव) जिला - मुंगेली	23/09/2024	30/09/2024	निरीक्षण दौरान दूषित जल उपचार संयंत्र संचालित पाया गया। उद्योग के ई.एस.पी. एवं बैग फिल्टर कार्यरत पाये गये। वायु प्रदूषण की स्थिति नहीं पायी गयी। उद्योग के समीपस्थ लीलागर नदी का जल लाल रंग का होना नहीं पाया गया। नदी का जल बरसात के सामान्य जल अनुसार होना पाया गया। उद्योग परिसर से दूषित जल का निस्सारण होना नहीं पाया गया। शून्य निस्सारण की स्थिति अवलोकित की गयी। उद्योग प्रबंधन द्वारा वाहन पार्किंग हेतु वाहन प्रवेश द्वार के सामने स्वयं की निजी भूमि का उपयोग किया जाना पाया गया। हाउसकीपिंग संतोषजनक पायी गयी एवं परिसर में जल छिड़काव किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा लगभग 17,800 नग वृक्षारोपण किया गया है।	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गयी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
6.	बिलासपुर जिले के मस्तुरी तहसील के ग्राम पाराघाट में स्थित एवं संचालित राशि स्टील पावर के संदर्भ में।	श्री सौरभ सिंह, पूर्व विधायक अकलतरा, विधानसभा क्षेत्र, जिला- जांजगीर- चाम्पा	23/09/2024	30/09/2024	निरीक्षण दौरान दूषित जल उपचार संयंत्र/ वायु प्रदूषण उपस्कर संचालित पाया गया। समीपस्थ लीलागर नदी का जल लाल रंग का होना नहीं पाया गया। उद्योग परिसर से दूषित जल का निस्सारण होना नहीं पाया गया। उद्योग में शून्य निस्सारण की स्थिति अवलोकित की गयी। चिमनी उत्सर्जन भी सामान्य अवलोकित की गयी।	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गयी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
7.	राशि स्टील एण्ड पावर प्लांट के सम्बन्ध में जाँच एवं शिकायत बाबत।	श्री देवेन्द्र कृष्णन, उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस, विधानसभा मस्तुरी	10/10/2024	06/11/2024	निरीक्षण दिवस कोल वाशरी बंद पाया गया तथा अन्य इकाईयां कार्यरत पाई गई। निरीक्षण दिवस कोल वाशरी एवं कोल गैसीफायर ईकाई के नये कन्वेयर बेल्ट का निर्माण एवं संधारण कार्य किया जाना पाया गया। कोल गैसीफायर ईकाई से फ्युजिटिव उत्सर्जन होना पाया गया। उद्योग के कोल व आयरन स्टॉक यार्ड के चारों तरफ गारलैण्ड ड्रेन व चेकडेम का निर्माण पूर्ण रूप से किया जाना नहीं पाया गया। उद्योग के दूषित जल के उपचार हेतु निर्मित पाण्ड के पानी का रिसाव कुछ मात्रा में परिसर के बाहर होना अवलोकित किया गया, जिसे बंद बनाकर रोका गया है। उद्योग की हाउसकीपिंग संतोषजनक नहीं पाया गया।	पायी गयी कमियों के आधार पर मंडल के पत्र क्रमांक 2668 दिनांक 21/11/2024 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के द्वारा उद्योग को नोटिस जारी किया गया है।


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

			उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 03/12/2024 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी दी गई।	04/12/2024	निरीक्षण दौरान उद्योग की आयरन ओर बेनिफिकेशन एवं पैलेट ईकाई उत्पादनरत पाई गई, उद्योग में स्थापित कोल गैसीफायर ईकाई में सुधार की कार्यवाही किया जाना पाया गया तथा फ्युजिटिव उत्सर्जन अवलोकित नहीं हुई। उद्योग के एडमिन बिल्डिंग के पास एवं मटेरियल गेट के पास दो स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्य किया गया, जिसके परिणाम निर्धारित मानक के भीतर पाये गये। उद्योग परिसर के बाउंड्री के पास मिट्टी से वण्ड बनाकर चेकडेम का निर्माण किया जाना पाया गया तथा दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर नहीं पाया गया। उद्योग के आंतरिक मार्गों में साफ-सफाई किया जाना तथा जल छिड़काव किया जाना पाया गया। हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी तथा स्थिति सामान्य अवलोकित हुई।	उद्योग द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
8.	राशि स्टील एण्ड पावर प्लांट के विरुद्ध पर्यावरणीय कदाचार एवं भू-अर्जन में धोखाधड़ी की शिकायत	श्री प्रदीप कुमार सोनी, जिला पंचायत सदस्य, जांजगीर-चाम्पा	22/10/2024	विवरण सरल क्रमांक 7 के अनुसार।	विवरण सरल क्रमांक 7 के अनुसार।	विवरण सरल क्रमांक 7 के अनुसार।
9.	राशि स्टील एण्ड पावर प्लांट द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण पर त्वरित प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र के संदर्भ में।	श्री राजेश कुमार यादव, ह्यूमन राइट्स वर्कर, मुकाम पोस्ट - पेंड्री (सरगांव) जिला - मुंगेली	22/10/2024	विवरण सरल क्रमांक 7 के अनुसार।	विवरण सरल क्रमांक 7 के अनुसार।	विवरण सरल क्रमांक 7 के अनुसार।
10.	राशि स्टील एण्ड पावर प्लांट से लीलागर एवं शिवनाथ नदी में कथित प्रदूषण एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण.	श्री राजेश कुमार यादव, ह्यूमन राइट्स वर्कर, मुकाम पोस्ट - पेंड्री (सरगांव) जिला - मुंगेली	30/10/2024	विवरण सरल क्रमांक 7 के अनुसार।	विवरण सरल क्रमांक 7 के अनुसार।	विवरण सरल क्रमांक 7 के अनुसार।


 अनुभाग अधिकारी,
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)


पारिशेष्य - सड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 759) की जानकारी

प्रपत्र अ

सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में कृषि, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में प्रदेश की विकास दर निम्नानुसार है:-


स. क्र.	क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2024-25
		प्रचलित भावों पर	स्थिर भावों पर (2011-12)	
1	कृषि क्षेत्र	8.05 प्रतिशत	4.87 प्रतिशत	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्तमान में तैयार नहीं है, माह फरवरी 2025 तक तैयार होने का अनुमान है।
2	औद्योगिकी क्षेत्र	14.02 प्रतिशत	7.67 प्रतिशत	
3	सेवा क्षेत्र	13.60 प्रतिशत	8.28 प्रतिशत	


 अनुभाग अधिकारी
 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र ब

(ख) निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान के अनुसार राज्य की आय निम्नानुसार है:—

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	राज्य की आय (लाख रुपये में)	प्रति व्यक्ति खपत
1	2022-23 (त्वरित)	4,12,49,433	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए) के वेबसाईट में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति खपत 2211 यूनिट है।
2	2023-24 (अग्रिम)	4,47,68,234	2022-23 एवं आगामी वर्षों के आंकड़े वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।
3	वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्तमान में तैयार नहीं है। माह फरवरी 2025 तक तैयार होने का अनुमान है।	


 अनुभाग अधिकारी
 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र स

(ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक लिये गये ऋण की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र	संस्थान का नाम	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (30 नवम्बर, 2024 तक)
1.	भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार उधार	2,000	32,000	6,500
2.	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक से ऋण	1,210	1,505	413
3.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)	—	82	—
4.	राष्ट्रीय आवास बैंक	—	—	13
5.	केन्द्र सरकार के माध्यम से एशिन डेवलपमेंट ऋण/विश्व बैंक से ऋण/जीएसटी ऋण/अन्य ऋण	3,700	3,791	3,746
योग		6,910	37,378	10,672
अनुमानित जनसंख्या		29836000	30180000	30524000
		(01 मार्च 2022 की स्थिति में)	(01 मार्च 2023 की स्थिति में)	(01 मार्च 2024 की स्थिति में)
राशि रूपये में				
प्रति व्यक्ति ऋण		रु. 2,316	रु. 12,385	रु. 3,496

वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक संचयी कर्ज रु. 54,960 करोड़ है। अतः वर्तमान अनुमानित जनसंख्या (30 नवम्बर, 2024 तक) के अनुसार प्रति व्यक्ति वर्तमान कर्ज रु. 18,006 है।



अनुमान अधिकारी
विकास, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - अडसठ


अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 766) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
						पुरुष	महिला	योग
1	धमतरी	मगरलोड	पाहन्दा	पाहन्दा	11	16	19	35
2	धमतरी	मगरलोड	झाझरकेरा	झाझरकेरा	5	8	8	16
3	धमतरी	मगरलोड	झाझरकेरा	भालुचुवा	1	5	4	9
4	धमतरी	मगरलोड	सरगी	सरगी	3	3	3	6
5	धमतरी	मगरलोड	जामली	जामली	1	4	1	5
6	धमतरी	मगरलोड	मोहदी	मोहदी	7	15	11	26
7	धमतरी	मगरलोड	बेलौरा	बेलौरा	17	34	31	65
8	धमतरी	मगरलोड	मंडेली	मंडेली	58	113	98	211
9	धमतरी	मगरलोड	बिरझुली	बिरझुली	26	35	40	75
10	धमतरी	मगरलोड	कोरगाव	कोरगाव	24	36	53	89
11	धमतरी	मगरलोड	परसाबुड़ा	परसाबुड़ा	25	52	41	93
12	धमतरी	मगरलोड	खडमा	मड़वा पथरा	10	24	21	45
13	धमतरी	मगरलोड	पठार	बेन्दरचुवा	6	8	10	18
14	धमतरी	मगरलोड	मोहेरा	मोहेरा	97	182	183	365
15	धमतरी	मगरलोड	मारागाव	सरईभदर	1	1	1	2
16	धमतरी	मगरलोड	मारागाव	मारागाव	12	24	24	48
17	धमतरी	मगरलोड	खढमामाल	खढमामाल	37	61	55	116
18	धमतरी	मगरलोड	कुल्हाडीकोट	हथबंद	5	10	5	15
19	धमतरी	मगरलोड	भण्डारवाडी	धनोरा	2	4	3	7
20	धमतरी	मगरलोड	भंडारवाडी	भंडारवाडी	20	47	54	101
21	धमतरी	मगरलोड	सिंगपुर	सिंगपुर	42	73	91	164
22	धमतरी	मगरलोड	बिरझुली	बोदल बहरा	19	26	32	58
23	धमतरी	मगरलोड	कुल्हाडीकोट	जलकुम्ही	1	1	2	3
24	धमतरी	मगरलोड	मारागाव	बोईरगाव	11	17	32	49
25	धमतरी	मगरलोड	सोनझरी	मुरुमडिह	5	7	9	16
26	धमतरी	मगरलोड	भंडारवाडी	बासीखाई	2	5	1	6
	योग				448	811	832	1643
1	धमतरी	नगरी	सलोनी	सलोनी	11	22	19	41
2	धमतरी	नगरी	सियादेही	पथरडिह	17	25	31	56
3	धमतरी	नगरी	कांटाकुरी	कांटाकुरी	14	23	29	52
4	धमतरी	नगरी	कांटाकुरी	सिरौदखुर्द	1	4	1	5
5	धमतरी	नगरी	बनबगौद	बनबगौद	43	72	92	164
6	धमतरी	नगरी	कुरीडिह	कुरीडिह	22	42	45	87
7	धमतरी	नगरी	बा. कांटाकुरी	पिपरछेडी	14	30	26	56
8	धमतरी	नगरी	बा. कांटाकुरी	बरबन्धा	23	45	55	100
9	धमतरी	नगरी	माकरदोना	माकरदोना	33	45	61	106
10	धमतरी	नगरी	कुकरेल	कुकरेल	15	43	27	70
11	धमतरी	नगरी	कुम्हदा	कुम्हदा	28	51	59	110
12	धमतरी	नगरी	झुरातराई	झुरातराई	5	8	9	17

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
						पुरुष	महिला	योग
13	धमतरी	नगरी	झुरातराई	कोटरवाही	6	13	13	26
14	धमतरी	नगरी	झुरातराई	पारधी	2	4	2	6
15	धमतरी	नगरी	डोकाल	कोर्वा	40	72	88	160
16	धमतरी	नगरी	करेगाव	करेगाव	8	14	14	28
17	धमतरी	नगरी	भोथापारा	अमलीपारा	5	5	7	12
18	धमतरी	नगरी	सियारीनाला	सियारीनाला	19	34	40	74
19	धमतरी	नगरी	बगरुमनाला	बगरुमनाला	20	40	44	84
20	धमतरी	नगरी	बिजापुर (रैयत)	बिजापुर (रैयत)	2	7	4	11
21	धमतरी	नगरी	बगरुमनाला	हिताली	1	1	1	2
22	धमतरी	नगरी	गेन्द्रा	गेन्द्रा	36	79	77	156
23	धमतरी	नगरी	गटासिल्ली	गटासिल्ली	1	0	1	1
24	धमतरी	नगरी	करईहा	करईहा	10	14	15	29
25	धमतरी	नगरी	चिवारीमाल	चिवारीमाल	6	7	11	18
26	धमतरी	नगरी	झुंझराकसा	कोरेमुड़ा	10	25	21	46
27	धमतरी	नगरी	राजपुर	राजपुर	14	41	31	72
28	धमतरी	नगरी	परसपानी	परसपानी	9	18	18	36
29	धमतरी	नगरी	कल्लेमेटा	कल्लेमेटा	36	60	58	118
30	धमतरी	नगरी	डोंगरडुला	डोंगरडुला	27	51	49	100
31	धमतरी	नगरी	बिलभददर	बिलभददर	10	18	22	40
32	धमतरी	नगरी	छिपली	छिपली	10	19	18	37
33	धमतरी	नगरी	संबलपुर	संबलपुर	22	47	46	93
34	धमतरी	नगरी	अमाली	अमाली	15	25	28	53
35	धमतरी	नगरी	फरसिया	फरसिया	25	43	39	82
36	धमतरी	नगरी	भैंसामुड़ा	खुदुरपानी	10	18	20	38
37	धमतरी	नगरी	सांकरा	सांकरा	76	146	144	290
38	धमतरी	नगरी	हिंछापुर	हिंछापुर	10	17	16	33
39	धमतरी	नगरी	नवागाव (सांकरा)	नवागाव (सांकरा)	2	2	2	4
40	धमतरी	नगरी	उमेरगाव	उमेरगाव	9	22	21	43
41	धमतरी	नगरी	पोड़ागाव	पोड़ागाव	5	12	12	24
42	धमतरी	नगरी	रतावा	रतावा	5	11	9	20
43	धमतरी	नगरी	लखनपुरी	लखनपुरी	8	12	14	26
44	धमतरी	नगरी	पोड़ागाव	भिषमपुरी	1	1	1	2
45	धमतरी	नगरी	नवागांव सा.	भिरागाव	6	9	12	21
46	धमतरी	नगरी	गढ़डोंगरी माल	गढ़डोंगरी माल	5	11	9	20
47	धमतरी	नगरी	कसपुर	कसपुर (रैयत)	35	76	72	148
48	धमतरी	नगरी	सेमरा	पंड़ीपानी (रैयत)	1	2	2	4
49	धमतरी	नगरी	पंड़ीपानी माल	पंड़ीपानी माल	1	2	1	3
50	धमतरी	नगरी	भितररास	भितेर्रास	3	5	3	8
51	धमतरी	नगरी	सेमरा	सेमरा	9	19	15	34
52	धमतरी	नगरी	भडसिवना	खाडपथरा	1	2	1	3
53	धमतरी	नगरी	नवागांव	नवागाव	4	9	7	16
54	धमतरी	नगरी	जैतपुरी	कोरमुद	5	12	9	21

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
						पुरुष	महिला	योग
55	धमतरी	नगरी	भुरसीडोंगरी	भुरसीडोंगरी	8	17	12	29
56	धमतरी	नगरी	बोरबन्धा	बोरबन्धा	26	49	60	109
57	धमतरी	नगरी	घुरावड	घुरावड	16	32	25	57
58	धमतरी	नगरी	बोरई	बोरई	13	19	22	41
59	धमतरी	नगरी	लिखमा	लिखमा	9	19	20	39
60	धमतरी	नगरी	बेलरबहरा	बेलरबहरा	2	5	3	8
61	धमतरी	नगरी	मेचका	मेचका	9	9	17	26
62	धमतरी	नगरी	बेलरबहरा	बरपदर	7	9	12	21
63	धमतरी	नगरी	मेचका	बोईरगाव	20	31	32	63
64	धमतरी	नगरी	रिसगांव	आमाबहरा	5	9	14	23
65	धमतरी	नगरी	सियादेही	लहसुनवाही	12	27	25	52
66	धमतरी	नगरी	डोकाल	बासीखाई	12	15	22	37
67	धमतरी	नगरी	डोकाल	डोकाल	5	11	11	22
68	धमतरी	नगरी	कौहाबहरा	कौहाबहरा	29	54	56	110
69	धमतरी	नगरी	सराईटोला	सराईटोला	10	15	22	37
70	धमतरी	नगरी	दुगली	दुगली	17	34	23	57
71	धमतरी	नगरी	जबर्सा	जबर्सा	35	58	71	129
72	धमतरी	नगरी	जबर्सा	खरका	80	164	159	323
73	धमतरी	नगरी	भैंसामुडा	मटियाबहरा	11	21	22	43
74	धमतरी	नगरी	भैंसामुडा	भैंसामुडा	13	27	22	49
75	धमतरी	नगरी	फरसिया	चंदनमुडा	4	6	10	16
76	धमतरी	नगरी	भोथली	घोरागाव	47	84	103	187
77	धमतरी	नगरी	नवागांव सा.	लिलांज	11	22	18	40
78	धमतरी	नगरी	फरसगांव	थोथाझरिया	1	1	2	3
79	धमतरी	नगरी	खल्लारी	गायताबहरा	6	10	11	21
80	धमतरी	नगरी	बिरनसिल्ली	बिरनसिल्ली	36	75	73	148
81	धमतरी	नगरी	अमगाव	अमगाव	10	19	19	38
82	धमतरी	नगरी	बिरनासिल्ली	बहिगाव	3	6	3	9
83	धमतरी	नगरी	कट्टीगांव	बरोली	2	3	5	8
84	धमतरी	नगरी	कौंगेरा	कौंगेरा	8	18	15	33
85	धमतरी	नगरी	झुझराकसा	झुझराकसा	6	15	10	25
86	धमतरी	नगरी	खल्लारी	साल्हेभाठ	4	5	6	11
87	धमतरी	नगरी	सेमरा	दाउद उर्फ पंडरीपानी	5	9	6	15
88	धमतरी	नगरी	नगर पंचायत नगरी	चुरीयापारा नगरी	5	11	10	21
					1243	2344	2412	4756



अनुभाष अधिकारी
 भाषित कर्मि तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, पञ्जा रायपुर

क.	वि०ख० का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	7
1	नगरी	कौहाबाहरा (पिपरहीमरी)	आंगनबाडी भवन निर्माण	पूर्ण
2	नगरी	कसपुर 4, बगरूमनाला 3, भाटखार 1 बिरनासिल्ली 7	कमार आवास निर्माण	अपूर्ण
3	नगरी	बाजारकुरीडीह	50 SEETER BOYS HOSTEL	अप्रारंभ
4	नगरी	घुरावड़	कताई/अम्बर चरखा प्रशिक्षण कार्य	पूर्ण
5	नगरी	कासपुर (रैयत)		
6	नगरी	बिरनासिल्ली		
7	नगरी	नयापारा		
8	नगरी	झुरानादी		
9	नगरी	बरबांधा		
10	नगरी	रिसगांव	बैकयार्ड कुक्कुट वितरण योजना वर्ष 2023-24	पूर्ण
11	नगरी	जबर्ग	सूकरत्रयी वितरण योजना वर्ष 2023-24	पूर्ण
12	नगरी	बगरूमनाला	बैकयार्ड कुक्कुट वितरण योजना वर्ष 2024-25	अपूर्ण (वितरण शेष)
13	नगरी	कौहाबाहरा	बैकयार्ड कुक्कुट वितरण योजना वर्ष 2024-26	अपूर्ण (वितरण शेष)
14	नगरी	घुरावड़	बैकयार्ड कुक्कुट वितरण योजना वर्ष 2024-27	अपूर्ण (वितरण शेष)
15	नगरी	कसपुर	बैकयार्ड कुक्कुट वितरण योजना वर्ष 2024-28	अपूर्ण (वितरण शेष)
16	नगरी	सांकरा	बैकयार्ड कुक्कुट वितरण योजना वर्ष 2024-29	अपूर्ण (वितरण शेष)
17	नगरी	बिरनासिल्ली	बैकयार्ड कुक्कुट वितरण योजना वर्ष 2024-30	अपूर्ण (वितरण शेष)
18	नगरी	सेमरा	बैकयार्ड कुक्कुट वितरण योजना वर्ष 2024-31	अपूर्ण (वितरण शेष)
19	नगरी	सियारीनाला	सूकरत्रयी वितरण योजना वर्ष 2024-28	पूर्ण
20	नगरी	कुकरेल	सूकरत्रयी वितरण योजना वर्ष 2024-29	पूर्ण
21	नगरी	जबर्ग	सूकरत्रयी वितरण योजना वर्ष 2024-30	पूर्ण
22	नगरी	नवागांव	सूकरत्रयी वितरण योजना वर्ष 2024-31	पूर्ण
23	नगरी	लखनपुरी	सूकरत्रयी वितरण योजना वर्ष 2024-32	पूर्ण
24	नगरी	कल्लेमेटा	सूकरत्रयी वितरण योजना वर्ष 2024-33	पूर्ण
25	नगरी	बिरनासिल्ली	सूकरत्रयी वितरण योजना वर्ष 2024-34	पूर्ण
26	नगरी	कसपुर	सूकरत्रयी वितरण योजना वर्ष 2024-35	अपूर्ण
27	नगरी	सांकरा	सूकरत्रयी वितरण योजना वर्ष 2024-36	अपूर्ण

क.	वि०ख० का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	7
28	नगरी	कौहाबाहरा (पीपरहीमरी)	अभिसरण के तहत विकासखंड नगरी के ग्राम पंचायत पीपरहीमरी में सामुदायिक फेसिंग (डैनलिक तार एवंसीमेंट पोल), पोल फिक्सिंग, बोर खनन, सोलर पैनल एवं ड्रीप प्रतिस्थापन कार्य।	प्रगतिरत
29	नगरी	धुरावड	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
30	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
31	नगरी	खल्लारी	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
32	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
33	नगरी	ठेनही	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
34	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
35	नगरी	बा. कुरीडीह	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
36	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
37	नगरी	बेलरबाहरा	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
38	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
39	नगरी	बनबगौद	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
40	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
41	नगरी	बगरूमनाला	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
42	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
43	नगरी	कांटाकुरीडीह	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
44	नगरी		पीएमजनमन आवास	पूर्ण
45	नगरी	कौहाबाहरा	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
46	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
47	नगरी	कट्टीगांव	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
48	नगरी		पीएमजनमन आवास	पूर्ण
49	नगरी	कल्लेमेटा	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
50	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
51	नगरी	मेघका	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
52	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
53	नगरी	बिरनासिल्ली	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
54	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
55	नगरी	बिलमदर	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
56	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
57	नगरी	रिसगांव	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
58	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
59	नगरी	सियादेही	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
60	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
61	नगरी	भीतररास	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
62	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
63	नगरी	भड़सिवना	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
64	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
65	नगरी	भैंसामुड़ा	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
66	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
67	नगरी	परसापानी	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
68	नगरी		पीएमजनमन आवास	पूर्ण
69	नगरी	राजपुर	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
70	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण

क.	वि०ख० का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	7
71	नगरी	रतावा	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
72	नगरी		पीएमजनमन आवास	पूर्ण
73	नगरी	सम्बलपुर	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
74	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
75	नगरी	सेमरा	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
76	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
77	नगरी	उमरगांव	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
78	नगरी		पीएमजनमन आवास	पूर्ण
79	नगरी	डोंगरडुला	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
80	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
81	नगरी	डोकाल	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
82	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
83	नगरी	दुगली	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
84	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
85	नगरी	फरसियां	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
86	नगरी		पीएमजनमन आवास	पूर्ण
87	नगरी	जबर्गा	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
88	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
89	नगरी	नवागांव सां.	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
90	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
91	नगरी	अमाली	मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक लाभ के कार्य	पूर्ण
92	नगरी		पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
93	नगरी	बरबांधा	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
94	नगरी	भोथापारा	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
95	नगरी	भोथली	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
96	नगरी	भुरसीडोगरी	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
97	नगरी	बोराई	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
98	नगरी	छिपली	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
99	नगरी	चिंवरी	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
100	नगरी	गढडोंगरी माल	पीएमजनमन आवास	पूर्ण
101	नगरी	गेदरा	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
102	नगरी	घोटगांव	पीएमजनमन आवास	अप्रारंभ
103	नगरी	गोविंदपुर	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
104	नगरी	हिन्छापुर	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
105	नगरी	झुंझराकसा	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
106	नगरी	झुरातराई	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
107	नगरी	करैहा	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
108	नगरी	कसपुर	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
109	नगरी	करेगांव	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
110	नगरी	कोंगेरा	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
111	नगरी	कुकरेल	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
112	नगरी	कुम्हड़ा	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
113	नगरी	लखनपुरी	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
114	नगरी	लिखमा	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
115	नगरी	माकरदोना	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण

क.	वि०ख० का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	7
116	नगरी	नवागांव कस	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
117	नगरी	पांवद्वार	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
118	नगरी	पोडागांव	पीएमजनमन आवास	पूर्ण
119	नगरी	सलोनी	पीएमजनमन आवास	पूर्ण
120	नगरी	सांकरा	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
121	नगरी	सरईटोला माल	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
122	नगरी	सियारीनाला	पीएमजनमन आवास	अपूर्ण
123	नगरी	खरखा	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	पूर्ण
124	नगरी	खरखा	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	पूर्ण
125	नगरी	खरखा	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	पूर्ण
126	नगरी	खरखा	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	पूर्ण
127	मगरलोड	अमलीडिह	आवास	पूर्ण
128	मगरलोड	बेलौरा	आवास	पूर्ण
129	मगरलोड	भंडारवाड़ी	आवास	पूर्ण / अपूर्ण
130	मगरलोड	बिरझुली	आवास	पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारंभ
131	मगरलोड	बोईरगांव	आवास	पूर्ण / प्रगतिरत
132	मगरलोड	भालूचुवा	आवास	अप्रारंभ / प्रगतिरत
133	मगरलोड	खडमा (माल)	आवास	पूर्ण / प्रगतिरत
134	मगरलोड	कोरगांव	आवास	प्रगतिरत
135	मगरलोड	मडेली	आवास	प्रगतिरत
136	मगरलोड	मारागांव	आवास	प्रगतिरत / पूर्ण
137	मगरलोड	मोहेरा	आवास	प्रगतिरत
138	मगरलोड	पाहंदा	आवास	पूर्ण / प्रगतिरत
139	मगरलोड	परसाबुडा	आवास	पूर्ण / प्रगतिरत
140	मगरलोड	पठार	आवास	पूर्ण
141	मगरलोड	सरगी	आवास	पूर्ण
142	मगरलोड	सिंगपुर	आवास	पूर्ण / प्रगतिरत
143	मगरलोड	सोनझरी	आवास	प्रगतिरत
144	मगरलोड	भण्डारवाड़ी (कटौलीपारा)	अभिसरण के तहत विकासखंड मगरलोड के ग्राम पंचायत भण्डारवाड़ी (कटौलीपारा), बोदलबाहरा (बिरझुली) में सामुदायिक फेसिंग (चैनलिंग तार एवं सीमेंट पोल), पोल फिविसंग, बोर खनन, एवं ड्रीप कार्य।	प्रगतिरत
145	मगरलोड	बिरझुली (बोदलबाहरा)	अभिसरण के तहत विकासखंड मगरलोड के ग्राम पंचायत भण्डारवाड़ी (कटौलीपारा), बोदलबाहरा (बिरझुली) में सामुदायिक फेसिंग (चैनलिंग तार एवं सीमेंट पोल), पोल फिविसंग, बोर खनन, एवं ड्रीप कार्य।	
146	मगरलोड	बिरझुली	बैकयार्ड कुक्कुट वितरण योजना वर्ष 2024-32	अपूर्ण (वितरण शेष)
147	मगरलोड	भंडारवाड़ी	बैकयार्ड कुक्कुट वितरण योजना वर्ष 2024-33	अपूर्ण (वितरण शेष)
148	मगरलोड	खडमा	सूकरत्रयी वितरण योजना वर्ष 2024-25	पूर्ण
149	मगरलोड	पाहंदा	सूकरत्रयी वितरण योजना वर्ष 2024-26	पूर्ण
150	मगरलोड	मोहेरा	सूकरत्रयी वितरण योजना वर्ष 2024-27	पूर्ण


अनुभव अधिकारी
 भाषित जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, बका रायपुर

पारिशेष्य - उनहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क. 767) की जानकारी

प्रपत्र

धमतरी जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण विकास घटक 2.0 अंतर्गत संपादित कार्यो की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वर्ष	वि.स.	विकास खण्ड	माइक्रो वाटरशेड का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा में वृद्धि (हे.)	लाभावित कृषक/हितग्राही की संख्या	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्य एजेंसी	एन.जी.ओ.
1	2022-23	कुरुद	मगरलोड	खैरझिटि	खैरझिटि	खैरझिटि	सिंचाई नाली	11.40	11.39	12.00	25	2.70	वाटरशेड समिति खैरझिटि	निरंक
2	2022-23	कुरुद	मगरलोड	खैरझिटि	अरौद	अरौद	सिंचाई नाली	20.20	20.19	12.00	35	3.90	वाटरशेड समिति खैरझिटि	निरंक
3	2022-23	कुरुद	मगरलोड	सौंगा	सौंगा	सौंगा	सिंचाई नाली	20.41	20.40	10.00	20	1.80	वाटरशेड समिति सौंगा	निरंक
4	2022-23	सिहावा	मगरलोड	रांकाडीह	रांकाडीह	रांकाडीह	सिंचाई नाली	10.60	10.59	24.00	40	4.30	वाटरशेड समिति रांकाडीह	निरंक
5	2022-23	सिहावा	मगरलोड	बोडरा	बोडरा	बोडरा	सिंचाई नाली	20.25	20.24	20.00	25	2.70	वाटरशेड समिति बोडरा	निरंक
6	2022-23	सिहावा	मगरलोड	भोथीडीह	भोथीडीह	भोथीडीह	सिंचाई नाली	15.44	15.43	16.00	30	3.20	वाटरशेड समिति भोथीडीह	निरंक
7	2022-23	सिहावा	मगरलोड	शुक्लाभांठा	शुक्लाभांठा	शुक्लाभा	सिंचाई नाली	19.95	19.91	32.00	75	4.70	वाटरशेड समिति शुक्लाभांठा	निरंक
8	2022-23	सिहावा	मगरलोड	रांकाडीह	रांकाडीह	रांकाडीह	अमृत सरोवर	18.38	18.36	16.00	30	3.50	वाटरशेड समिति रांकाडीह	निरंक
9	2022-23	सिहावा	मगरलोड	भोथीडीह	सांकरा	सांकरा	अमृत सरोवर	12.82	12.81	40.00	50	4.80	वाटरशेड समिति भोथीडीह	निरंक
10	2022-23	सिहावा	मगरलोड	बोडरा	बोडरा	बोडरा	अमृत सरोवर	11.92	11.82	40.00	55	4.90	वाटरशेड समिति बोडरा	निरंक
11	2022-23	सिहावा	मगरलोड	शुक्लाभांठा	शुक्लाभांठा	शुक्लाभांठा	अमृत सरोवर	14.98	14.97	20.00	25	2.50	वाटरशेड समिति शुक्लाभांठा	निरंक
12	2022-23	सिहावा	मगरलोड	शुक्लाभांठा	शुक्लाभांठा	शुक्लाभांठा	चेकडेम निर्माण कार्य	25.74	25.73	20.00	28	3.50	वाटरशेड समिति शुक्लाभांठा	निरंक

क्र.	वर्ष	वि.स.	विकास खण्ड	माइक्रो वाटरशेड का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा में वृद्धि (हे.)	लाभान्वित कृषक/ हितग्राही की संख्या	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्य एजेंसी	एन.जी.ओ.
13	2022-23	सिहावा	मगरलोड	भोथीडीह	सांकरा	सांकरा	स्टापडेम निर्माण कार्य	31.53	31.53	12.00	25	2.80	वाटरशेड समिति भोथीडीह	निरंक
14	2022-23	सिहावा	मगरलोड	भोथीडीह	चारमाठा	कमरौद	स्टापडेम निर्माण कार्य	29.82	29.81	12.00	30	3.50	वाटरशेड समिति भोथीडीह	निरंक
15	2022-23	सिहावा	मगरलोड	बोडरा	बोडरा	बोडरा	स्टापडेम निर्माण कार्य	31.11	31.09	10.00	20	3.10	वाटरशेड समिति बोडरा	निरंक
16	2023-24	कुरुद	मगरलोड	सौगा	सौगा	सौगा	डबरी निर्माण कार्य	2.99	2.98	3.00	25	2.10	वाटरशेड समिति सौगा	निरंक
17	2023-24	कुरुद	मगरलोड	सौगा	सौगा	सौगा	डबरी निर्माण कार्य	2.99	2.98	2.00	15	1.70	वाटरशेड समिति सौगा	निरंक
18	2023-24	कुरुद	मगरलोड	बेलौदी	बेलौदी	बेलौदी	सिंचाई नाली निर्माण कार्य	20.20	20.19	60.00	55	4.50	वाटरशेड समिति बेलौदी	निरंक
19	2023-24	कुरुद	मगरलोड	सौगा	हरदी	हरदी	सिंचाई नाली निर्माण कार्य	19.95	19.95	24.00	45	4.20	वाटरशेड समिति सौगा	निरंक
20	2023-24	कुरुद	मगरलोड	धौरामांठा	कुण्डेल	कुण्डेल	सिंचाई नाली निर्माण कार्य	19.95	19.95	16.00	30	2.80	वाटरशेड समिति धौरामांठा	निरंक
21	2023-24	कुरुद	मगरलोड	सौगा	सौगा	सौगा	शीतला तालाब	32.93	32.92	12.00	18	2.00	वाटरशेड समिति सौगा	निरंक
22	2023-24	कुरुद	मगरलोड	गिरौद	गिरौद	गिरौद	तालाब (अमृत फलदार)	19.17	19.12	12.00	35	3.10	वाटरशेड समिति गिरौद	निरंक
23	2023-24	कुरुद	मगरलोड	सौगा	सौगा	सौगा	वृक्षारोपण बोरवेल्स सह फलदार	15.71	11.28	5.00	10	4.80	वाटरशेड समिति सौगा	निरंक
24	2023-24	कुरुद	मगरलोड	गिरौद	गिरौद	गिरौद	वृक्षारोपण बोरवेल्स सह फलदार	13.07	11.29	5.00	10	4.50	वाटरशेड समिति गिरौद	निरंक
25	2023-24	कुरुद	मगरलोड	खैरझिटी	खैरझिटी	खैरझिटी	वृक्षारोपण बोरवेल्स सह फलदार	12.82	9.38	4.00	10	4.10	वाटरशेड समिति खैरझिटी	निरंक
26	2023-24	कुरुद	मगरलोड	खैरझिटी	खैरझिटी	खैरझिटी	वृक्षारोपण सह	5.69	5.52	2.50	10	2.30	वाटरशेड समिति खैरझिटी	निरंक
27	2023-24	सिहावा	मगरलोड	भोथीडीह	भोथीडीह	भोथीडीह	सिंचाई नाली निर्माण कार्य	9.52	9.52	24.00	50	4.70	वाटरशेड समिति भोथीडीह	निरंक

क्र.	वर्ष	वि.स.	विकास खण्ड	माइक्रो वाटरशेड का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा में वृद्धि (हे.)	लामावित कृषक / हितग्राही की संख्या	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्य एजेंसी	एन.जी.ओ.	
28	2023-24	सिहावा	मगरलोड	राकांडीह	राकांडीह	राकांडीह	चेक डेम निर्माण कार्य	41.71	41.69	22.00	40	4.30	वाटरशेड समिति राकांडीह	निरंक	
29	2023-24	सिहावा	मगरलोड	भोथीडीह	भोथीडीह	भोथीडीह	चेक डेम निर्माण कार्य	41.27	39.22	35.00	40	4.50	वाटरशेड समिति भोथीडीह	निरंक	
30	2023-24	सिहावा	मगरलोड	भोथीडीह	भोथीडीह	भोथीडीह	तालाब (अमृत सरोवर)	24.40	19.77	10.00	36	3.90	वाटरशेड समिति भोथीडीह	निरंक	
31	2023-24	सिहावा	मगरलोड	भोथीडीह	चारमाठा	कमरौद	तालाब (अमृत सरोवर)	22.81	22.79	12.00	34	3.50	वाटरशेड समिति भोथीडीह	निरंक	
32	2023-24	सिहावा	मगरलोड	शुक्लाभांठा	गाडाडीह	गाडाडीह	तालाब (अमृत सरोवर)	18.74	18.74	10.00	45	4.80	वाटरशेड समिति शुक्लाभांठा	निरंक	
वर्ष 2024-25 (31 अक्टू 2024 तक) - निरंक															
								योग	618.47	601.56	554.50	1021	3.50		

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी

(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


पारिशेष - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 770) की जानकारी

प्रपत्र										
वर्ष 2022 से 28.11.2024 तक जिला - राजनांदगांव अंतर्गत राज्य विपणन विकास निधि (मंडी बोर्ड निधि) से स्वीकृत कार्य										
क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	निर्माणधीन संरचना	लंबाई/चौड़ाई (मीटर में)	कार्यवार स्वचायर मीटर	कार्यवार व्यय (लाख में)	अंतिम मूल्यांकन सत्यापन दिनांक	भौतिक स्थिति	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत बोदेला पेटेश्री पुलिया से पेटेश्री एनीकट तक 1.50 कि.मी. एप्रोच रोड।	14.98	डब्ल्यू. बी. एम. रोड	1111 / 4.04	4490.53	13.59	13.06.2024	पूर्ण	
2	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत पारागांव/आरबीरा डबलुबीएम रोड)	21.80	डब्ल्यू. बी. एम. रोड	1957 / 4.16	8143	18.85	26.07.2024	पूर्ण	
3	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत बोदेला में ग्राम बरहापुर डोंगरगढ़ मेनरोड से बरहापुर 1.08 कि.मी. एप्रोच रोड।	18.03	डब्ल्यू. बी. एम. रोड	1719.7 / 3.73	6426.26	16.43	06.08.2024	पूर्ण	
4	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत जामरी अंतर्गत जटकन्हार रेल्वे स्टेशन पहुंच मार्ग पर 3.00 कि.मी. डब्ल्यूबीएम रोड	29.62	डब्ल्यू. बी. एम. रोड	2403 / 4.14	9949.33	24.89	26.07.2024	पूर्ण	
5	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत बांकल डबलुबीएम रोड (3.00 कि.मी.)	45.84	डब्ल्यू. बी. एम. रोड	2252.2 / 5.64	12722	38.39	05.09.2024	पूर्ण	
6	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत पनियाजोब के ग्राम पनियाजोब से रेल्वे गेट तक (पनियाजोब जलाशय) में 03 की.मी. एप्रोच रोड निर्माण।	14.46	डब्ल्यू. बी. एम. रोड	1562.3 / 4.08	6384.53	13.57	06.08.2024	पूर्ण	
7	राजनांदगांव	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसातरा/ग्राम जोगीदल्ली सी.सी. रोड निर्माण कार्य। (700 मी.)	28.16	सी. सी. रोड	415.4 / 5.02	2085.3	16.94	01.07.2024	पूर्ण	
8	राजनांदगांव	जिला राजनांदगांव वि.स. डोंगरगांव वि.ख. डोंगरगढ़ ग्राम पंचायत खपरीकला रेल्वे स्टेशन पहुंच मार्ग (02 कि.मी) एप्रोच रोड	10.86	डब्ल्यू. बी. एम. रोड	1097.6 / 3.18	3495.6	7.56	01.04.2024	पूर्ण	
9	राजनांदगांव	जिला राजनांदगांव वि.स. डोंगरगांव वि.ख. डोंगरगढ़ ग्राम पंचायत पारागांवकला रेल्वे स्टेशन पहुंच मार्ग एप्रोच रोड	11.39	डब्ल्यू. बी. एम. रोड	1470 / 3.1	4557	9.81	01.04.2024	पूर्ण	
10	राजनांदगांव	ग्राम भुरसुसी सी.सी. रोड निर्माण	48.73	सी. सी. रोड	300 / 6	1800 वर्ग मी.	23.87	03.06.2023	पूर्ण	

क.	जिला	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	निर्माणाधीन संरचना	लंबाई/चौड़ाई (मीटर में)	कार्यवार स्क्वायर मीटर	कार्यवार व्यय (लाख में)	अंतिम मूल्यांकन सत्यापन दिनांक	भौतिक स्थिति	रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	राजनांदगांव	ग्राम जुनवानी सी.सी. रोड निर्माण	17.93	सी. सी. रोड	320 / 5.50	1760 वर्ग मी.	17.08	30.05.2023	पूर्ण	
12	राजनांदगांव	विधानसभा क्षेत्र मोहला वि.ख. मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत तोरगांव में स्लेब कवर्ट, निर्माण ।	48.45	पुलिया	12 / 6.50	78 वर्ग मी.	19.98 19.61	16.10.24	पूर्ण	
13	राजनांदगांव	विधानसभा क्षेत्र मोहला वि.ख. मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरवाडा एवं कोसमी में स्लेब कवर्ट, निर्माण ।	54.06	पुलिया	24 / 7.50	180 वर्ग मी.	13.94 9.29 19.32	27.6.24	पूर्ण	
14	राजनांदगांव	विधानसभा क्षेत्र मोहला वि.ख. मानपुर ग्राम पंचायत देवखपुर से संदई नाला में स्लेब कवर्ट, निर्माण	54.23	पुलिया	18 / 6.50	117 वर्ग मी.	20.98 18.14	23.10.24	पूर्ण	
15	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत बसेली में सी. सी. रोड निर्माण कार्य	9.68	सी.सी.रोड	260 / 4	1040 वर्ग मी			अप्रारंभ	ठेका निरस्त
16	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत पानाबरस में सी. सी. रोड निर्माण कार्य	9.26	सी.सी.रोड	280 / 4	1040 वर्ग मी			अप्रारंभ	ठेका निरस्त
		योग :-	437.48			322.24				
वर्ष 2022 से 28.11.2024 तक मंडी समिति निधि से स्वीकृत कार्य										
क.	मंडी का नाम	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	निर्माणाधीन संरचना	लंबाई/चौड़ाई (मीटर में)	कार्यवार स्क्वायर (मीटर में)	कार्यवार व्यय (लाख में)	अंतिम मूल्यांकन सत्यापन दिनांक	भौतिक स्थिति	रिपोर्ट
1	डोंगरगढ़	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-नागतलाई	14.03	सी.सी.रोड	400 / 3.75	1500 वर्ग मी.	-	-	प्रगतिरत	
2	डोंगरगढ़	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-मेंढा	15.78	सी.सी.रोड	450 / 3.75	1687.50 वर्ग मी.	-	-	प्रगतिरत	
3	डोंगरगढ़	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-अण्डी	14.03	सी.सी.रोड	400 / 3.75	1500 वर्ग मी.	-	-	प्रगतिरत	
4	डोंगरगढ़	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-ठाकुरटोला (को.)	14.03	सी.सी.रोड	400 / 3.75	1500 वर्ग मी.	-	-	प्रगतिरत	
5	डोंगरगढ़	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-धुसेरा	7.01	सी.सी.रोड	200 / 3.75	750 वर्ग मी.	-	-	प्रगतिरत	
6	डोंगरगढ़	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-कन्हारगांव	14.03	सी.सी.रोड	400 / 3.75	1500 वर्ग मी.	-	-	प्रगतिरत	
7	डोंगरगढ़	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम-हीरापुर (मक्काटोला)	10.52	सी.सी.रोड	300 / 3.75	1125 वर्ग मी.	-	-	प्रगतिरत	

क.	जिला	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	निर्माणाधीन संरचना	लंबाई/ चौड़ाई (मीटर में)	कार्यवार स्वचायर मीटर	कार्यवार व्यय (लाख में)	अंतिम मूल्यांकन सत्यापन दिनांक	भौतिक स्थिति	रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	गंडई	मूल मंडी प्रांगण गंडई में मेन रोड से पहुंच मार्ग तक सी.सी.रोड निर्माण	41.53	सी.सी.रोड	120/15 मीटर	1800 वर्ग मी.	10.00 12.69	25.12.23	पूर्ण	
		योग:-	130.96				22.69			
		कार्यों की संख्या 24 कुल योग	568.44				344.93			


(विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - इकहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 771) की जानकारी

प्रपत्र अ'


वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023- 24 की अवधि में राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत आबंटित एवं व्यय की वर्षवार, योजनावार, मदवार जानकारी

(राशि लाख में)

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	संचालित योजना का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
1.	2021-22	राजनांदगांव	10-2406-2965 बिगड़े वनों का सुधार	904.029	904.002
2.	2021-22	राजनांदगांव	10-2406-6827 भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य	161.136	161.136
3.	2021-22	राजनांदगांव	10-2406-1004 नदीतट वृक्षारोपण	0.260	0.259
4.	2021-22	राजनांदगांव	10-2406-6724 बांस वनों का पुनरोद्धार	699.259	681.980
5.	2021-22	राजनांदगांव	10-2406-6828 पथ वृक्षारोपण	5.040	5.040
6.	2021-22	राजनांदगांव	10-2406-7563 अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षा.	0.550	0.549
7.	2021-22	राजनांदगांव	10-2406-3531 सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन	224.742	224.742
8.	2021-22	राजनांदगांव	41-2406-2536 पर्यावरण वानिकी	12.000	11.956
9.	2021-22	राजनांदगांव	41-2406-2962 बिगड़े वनों का सुधार	15.000	14.990
10.	2021-22	राजनांदगांव	41-2406-6516 ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज/औषधी रोपण	0.420	0.417
11.	2021-22	राजनांदगांव	41-2406-1004 नदीतट वृक्षारोपण	4.680	4.679
12.	2021-22	राजनांदगांव	41-2406-1902 तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	2.240	2.137
13.	2021-22	राजनांदगांव	41-2406-6724 बांस वनों का पुनरोद्धार	28.990	28.989
14.	2021-22	राजनांदगांव	64-2406-2533 हरियाली प्रसार योजना	33.570	22.300
15.	2021-22	राजनांदगांव	64-2406-6724 बांस वनों का पुनरोद्धार	40.320	40.320
16.	2021-22	राजनांदगांव	कैम्पा क्षतिपूर्ति वृक्षा.	23.980	16.560
17.	2021-22	राजनांदगांव	कैम्पा अन्य वृक्षारोपण	47.021	32.990
18.	2021-22	राजनांदगांव	कैम्पा लैंटाना उन्मूलन कार्य	132.574	132.451
19.	2021-22	राजनांदगांव	कैम्पा अग्नि सुरक्षा	33.479	29.096
20.	2021-22	राजनांदगांव	कैम्पा संवेदनशील बीट	10.604	6.753
21.	2021-22	राजनांदगांव	कैम्पा बांस भिर्रा सफाई	6.350	6.350
22.	2021-22	राजनांदगांव	कैम्पा भू-जल संरक्षण	479.031	435.151
			योग -	2865.275	2762.847
1.	2022-23	राजनांदगांव	10-2406-2536 पर्यावरण वानिकी	96.774	96.763
2.	2022-23	राजनांदगांव	10-2406-2965 बिगड़े वनों का सुधार	661.570	661.544
3.	2022-23	राजनांदगांव	10-2406-6827 भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य	23.500	23.450
4.	2022-23	राजनांदगांव	10-2406-6724 बांस वनों का पुनरोद्धार	524.800	524.795
5.	2022-23	राजनांदगांव	10-2406-7930 मुख्यमंत्री बांस विकास योजना	6.000	5.955
6.	2022-23	राजनांदगांव	10-2406-3531 सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन	359.375	359.347
7.	2022-23	राजनांदगांव	41-2406-2536 पर्यावरण वानिकी	2.000	1.956
8.	2022-23	राजनांदगांव	41-2406-2962 बिगड़े वनों का सुधार	1.628	1.516

5
अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)


9.	2022-23	राजनांदगांव	41-2406-6516 ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज औषधी रोपण /	21.910	15.400
10.	2022-23	राजनांदगांव	41-2406-1004 नदीतट वृक्षारोपण	0.470	0.449
11.	2022-23	राजनांदगांव	64-2406- 2962बिगड़े वनों का सुधार	391.300	391.161
12.	2022-23	राजनांदगांव	64-2406- हरियाली प्रसार योजना 2533	17.000	16.834
13.	2022-23	राजनांदगांव	64-2406- बांस वनों का पुनरोद्धार 6724	301.330	301.218
14.	2022-23	राजनांदगांव	कैम्पा क्षतिपूर्ति वृक्षा .	13.530	12.524
15.	2022-23	राजनांदगांव	कैम्पा अन्य वृक्षारोपण	10.669	10.334
16.	2022-23	राजनांदगांव	कैम्पा लैंटाना उन्मूलन कार्य	49.079	45.540
17.	2022-23	राजनांदगांव	कैम्पा अग्नी सुरक्षा	34.115	33.937
18.	2022-23	राजनांदगांव	कैम्पा संवेदनशील बीट	8.615	6.827
			योग -	2523.665	2509.550
1.	2023-24	राजनांदगांव	10-2406- पर्यावरण वानिकी 2536	80.010	76.464
2.	2023-24	राजनांदगांव	10-2406- 2965बिगड़े वनों का सुधार	255.250	255.248
3.	2023-24	राजनांदगांव	10-2406- जल एवं जल संरक्षण कार्य-भू 6827	130.579	130.449
4.	2023-24	राजनांदगांव	10-2406-बांस वनों का पुनरोद्धार 6724	238.301	238.293
5.	2023-24	राजनांदगांव	10-2406-मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना 6666	43.637	41.607
6.	2023-24	राजनांदगांव	10-2406-मुख्यमंत्री बांस विकास 7930 योजना	0.330	0.330
7.	2023-24	राजनांदगांव	10-2406-सहायक प्राकृतिक 3531 पुनरोत्पदान	416.736	416.594
8.	2023-24	राजनांदगांव	41-2406- पर्यावरण वानिकी 2536	2.000	1.983
9.	2023-24	राजनांदगांव	41-2406-ग्राम वन समितियों के माध्यम 6516 औषधी रोपण / से लघुवनोपज	10.626	9.279
10.	2023-24	राजनांदगांव	41-2406- नदीतट वृक्षारोपण 1004	0.490	0.280
11.	2023-24	राजनांदगांव	41-2406- हरियाली प्रसार योजना 2533	0.729	0.729
12.	2023-24	राजनांदगांव	41-2406-बांस वनों का पुनरोद्धार 6724	84.820	84.810
13.	2023-24	राजनांदगांव	64-2406-बांस वनों का पुनरोद्धार 6724	184.790	132.880
14.	2023-24	राजनांदगांव	कैम्पा क्षतिपूर्ति वृक्षा.	152.207	120.501
15.	2023-24	राजनांदगांव	कैम्पा अन्य वृक्षारोपण	44.609	13.354
16.	2023-24	राजनांदगांव	कैम्पा लैंटाना उन्मूलन कार्य	18.464	16.133
17.	2023-24	राजनांदगांव	कैम्पा अग्नी सुरक्षा	39.188	36.663
18.	2023-24	राजनांदगांव	कैम्पा संवेदनशील बीट	11.650	9.185
19.	2023-24	राजनांदगांव	कैम्पा भू जल संरक्षण-	299.863	287.911
			योग-	2014.279	1872.694
			कुल योग-	7403.219	7145.091


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर, छ.ग.

प्रपत्र 'ब'

योजना के संचालन हेतु राजनांदगांव जिला को पिछले तीन वर्ष में आबंटित एवं व्यय की जानकारी

जिला का नाम	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष में आबंटित राशि लाख में			आबंटित राशि का योग	वित्तीय वर्ष में व्यय राशि लाख में			व्यय राशि का योग
		2021-22	2022-23	2023-24		2021-22	2022-23	2023-24	
राजनांदगांव	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	45.66	0	0	45.66	188.36	0	0	188.36
	शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	376.55	408.39		784.94	0	165.74	126.8	292.54
	नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम	0	0	0	0	0	0	0	0
	अमृत मिशन 2.0	2268.65	0	640.92	2909.57	2422.79	1520.84	1074.69	5018.32
	नवीन सरोवर धरोहर योजना	40.68	92.55	73.07	206.3	12.11	69.03	105.68	186.82
	कृष्ण कुंज योजना	0	0	0	0	0	0	0	0
	हरियर छत्तीसगढ़ योजना	0	0	0	0	0	0	0	0
योग					3946.47				5686.04


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - बहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 779) की जानकारी

प्रपत्र

कांकेर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा बोरवेल खनन एवं पम्प प्रदाय की जानकारी

क.	वर्ष	योजना का नाम	विकासखंड	ग्राम	हितग्राही कृषक का नाम	वर्ग
1	2	3	4	5	6	7
	वर्ष 2023-24 (01.01.2024 से 31.03.2024)	किसान समृद्धि योजना	नरहरपुर कांकेर		निरंक	
1	वर्ष 2023-24 (01.01.2024 से 31.03.2024)	शाकम्भरी योजना	नरहरपुर	धानेसरा	चैतुराम/राजु साहू	अ.पि.व.
1			नरहरपुर	बादल	कृष्ण कुमार/नंदलाल	अ.ज.जा.
2			नरहरपुर	बादल	रतिराम/ कुशल	अ.ज.जा.
3			नरहरपुर	बादल	सोहन/मदन	अ.ज.जा.
4			नरहरपुर	बादल	केसूराम/गांडाराम	अ.ज.जा.
5			नरहरपुर	बादल	मुन्नलाल/ अमृतलाल	अ.ज.जा.
6			नरहरपुर	बादल	श्रीमती सुधनी/ फगनू	अ.ज.जा.
7			नरहरपुर	बादल	श्रीमती बिसाइनबाई/ बनसिंह	अ.ज.जा.
8			नरहरपुर	बादल	ननकूराम/ बुधराम	अ.ज.जा.
9			नरहरपुर	बादल	छबिलाल/ हरिश्चन्द्र	अ.ज.जा.
10			नरहरपुर	डोमपदर	धुराऊराम/ रामजी	अ.ज.जा.
11			नरहरपुर	दबेना	यशवंत/भागबली	अ.ज.जा.
12	वर्ष 2024-25 (01.04.2024 से 28.11.2024 तक)	किसान समृद्धि योजना	नरहरपुर	पत्थर्रीनारा	गांधी/ फरसराम	अ.ज.जा.
13			नरहरपुर	पत्थर्रीनारा	परसूराम/ भुरू	अ.ज.जा.
14			नरहरपुर	पत्थर्रीनारा	राजाराम/ आशाराम	अ.ज.जा.
15			नरहरपुर	साल्हेभाट	बीरबल/ मानसाय	अ.ज.जा.
16			नरहरपुर	कुरालठेमली	सुखुराम/ पीलूराम	अ.ज.जा.
17			नरहरपुर	कुरालठेमली	शोभाराम/ मेहत्तर	अ.ज.जा.
18			नरहरपुर	कुरालठेमली	पतिराम/ धरमू	अ.ज.जा.
19			नरहरपुर	कुरालठेमली	हेमन्त/ रूपसिंह	अ.ज.जा.
20			नरहरपुर	घोटियावाही	फिरतूराम/ बीरसिंह	अ.ज.जा.
21			नरहरपुर	बादल	सियाराम/ जोधी	अ.ज.जा.
22			नरहरपुर	बादल	परसूराम/ पतिराम	अ.ज.जा.
23			नरहरपुर	कुरालठेमली	पिलाऊराम/ सोनसिंह	अ.ज.जा.
1	वर्ष 2024-25 (01.04.2024 से 28.11.2024 तक)	किसान समृद्धि योजना	कांकेर	तालाकुर्रा	पहारसिंग/ सोनू	अ.ज.जा.
2			कांकेर	तालाकुर्रा	पीताम्बरा/ हरवेश	अ.ज.जा.
3			कांकेर	तालाकुर्रा	युगल/ जगत	अ.ज.जा.
4			कांकेर	औराभाट	ईश्वरी/ नारायण	अ.ज.जा.
5			कांकेर	औराभाट	रामजी/ धिराजी	अ.ज.जा.
6			कांकेर	वर्घेगौंदी	राजकुमार/ जागूराम	अ.ज.जा.
7			कांकेर	सिलतरा	तिरथ/ लक्ष्मण	अ.ज.जा.
8			कांकेर	आतुरगांव	विनोद कुमार/ स्व. बिसालीराम	अ.जा.
9			कांकेर	कोकपुर	प्रीतराम/ कौंदाराम	अ.ज.जा.
1	वर्ष 2024-25 (01.04.2024 से 28.11.2024	शाकम्भरी योजना	कांकेर	पथर्री	सुरेन्द्र/ जागेश्वर मंडावी	अ.ज.जा.
2			नरहरपुर	भीमाडिह	राकेश/ सुंधुराम कोराम	अ.ज.जा.

(सिकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पारिशेष्ट - तिहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 782) की जानकारी

प्रपत्र

क	जिला	प्राप्त आवेदनों/पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या		वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या		निरस्त प्रकरणों की संख्या		निराकरण हेतु शेष प्रकरणों की संख्या	
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक
1	2	5	6	9	10	13	14	17	18
1	कांकेर	1143	302	1143	302	0	0	0	0
2	दंतेवाड़ा	184	195	184	195	0	0	0	0
3	नारायणपुर	148	110	138	110	0	0	10	0
4	बस्तर	250	573	250	573	0	0	0	0
5	बीजापुर	2522	588	2461	588	61	0	0	0
6	सुकमा	2632	206	2111	131	43	0	478	75
7	कोण्डागांव	2128	1171	2128	1171	0	0	0	0
योग		9007	3145	8415	3070	104	0	488	75

Quf
अनुभाग अधिकारी
अ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


पारोशेष्ट - चौहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 787) की जानकारी

प्रपत्र

जिला बीजापुर अंतर्गत आवासीय पोटा केबिनों हेतु क्रय किये गये कालीन के संबंध में जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	पोटा केबिन छात्रावासों का नाम	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं पता	व्यय राशि
1	2	3	4	5
प्राथमिक स्तर पोटा केबिन				
1	बीजापुर	बालक पोटा केबिन तोयनार	महावीर स्टोर बीजापुर	51100.00
2	बीजापुर	बालिका पोटा केबिन नैमेड	महावीर स्टोर बीजापुर	51100.00
3	भोपालपट्टनम	बालक पोटा केबिन तारलागुडा	महावीर स्टोर बीजापुर	51100.00
4	भोपालपट्टनम	बालक पोटा केबिन पेगडापल्ली	महावीर स्टोर बीजापुर	51100.00
5	भैरमगढ़	बालिका पोटा केबिन कुटरू	महावीर स्टोर बीजापुर	51100.00
6	भैरमगढ़	बालक पोटा केबिन भटवाडा	महावीर स्टोर बीजापुर	51100.00
7	भैरमगढ़	बालिका पोटा केबिन बेदरे	महावीर स्टोर बीजापुर	51100.00
8	भैरमगढ़	बालक पोटा केबिन पिनकोण्डा	महावीर स्टोर बीजापुर	51100.00
9	भैरमगढ़	बालक पोटा केबिन केशकुतुल	महावीर स्टोर बीजापुर	51100.00
10	भैरमगढ़	बालक पोटा केबिन सोमनपल्ली	महावीर स्टोर बीजापुर	51100.00
11	भैरमगढ़	बालक पोटा केबिन करकेली	महावीर स्टोर बीजापुर	51100.00
12	उसूर	बालिका पोटा केबिन आवापल्ली	महावीर स्टोर बीजापुर	51100.00
योग				613200.00
माध्यमिक स्तर पोटा केबिन				
1	बीजापुर	100 सीटर बालिका पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास बीजापुर	महावीर स्टोर बीजापुर	8360.60
2	बीजापुर	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास तोयनार	महावीर स्टोर बीजापुर	8360.60
3	बीजापुर	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास चिन्नाकोडेपाल	महावीर स्टोर बीजापुर	8360.60
4	बीजापुर	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास चेरपाल	महावीर स्टोर बीजापुर	8360.60
5	बीजापुर	100 सीटर बालिका पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास नैमेड	महावीर स्टोर बीजापुर	8360.60
6	बीजापुर	100 सीटर बालिका पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास गंगालूर	महावीर स्टोर बीजापुर	8360.60
7	भोपालपट्टनम	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास तारलागुडा	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
8	भोपालपट्टनम	100 सीटर बालिका पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास संगमपल्ली	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
9	भोपालपट्टनम	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास सण्ड्रापल्ली	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
10	भोपालपट्टनम	50 सीटर बालिका पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास तारलागुडा	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
11	भोपालपट्टनम	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास पेगडापल्ली	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
12	भैरमगढ़	100 सीटर बालिका पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास पुसनार	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
13	भैरमगढ़	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास भटवाडा	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
14	भैरमगढ़	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास माटवाडा	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
15	भैरमगढ़	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास पिनकोण्डा	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
16	भैरमगढ़	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास केशकुतुल	महावीर स्टोर बीजापुर	8360.60
17	भैरमगढ़	100 सीटर बालिका पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास जांगला	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36

क्र.	विकासखण्ड का नाम	पोटा केबिन छात्रावासों का नाम	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं पता	व्यय राशि
1	2	3	4	5
18	भैरमगढ़	100 सीटर बालिका पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास नेलसनार	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
19	भैरमगढ़	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास सोमनपल्ली	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
20	भैरमगढ़	50 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास करकेली	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
21	उसूर	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास दुर्गागुडा	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
22	उसूर	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास बासागुडा	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
23	उसूर	50 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास पामेड	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
24	उसूर	50 सीटर बालिका पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास आवापल्ली	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
25	उसूर	50 सीटर बालिका पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास तिम्मापुर	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
26	उसूर	100 सीटर बालक पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास उसूर	महावीर स्टोर बीजापुर	8380.36
योग				217751.04


अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्य - पचहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 790) की जानकारी


प्रपत्र - अ

वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रावास एवं आश्रमों की स्वीकृति की जानकारी


(राशि रु. लाखों में)

क्रमांक	जिले का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत
1	2	3	4
1		पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - बलरामपुर	191.51
2		पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - महाराजगंज	191.51
3	बलरामपुर	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - शंकरगढ़	191.51
4		पो.मै. - आदिवासी बालक छात्रावास - डिण्डो	191.51
5		पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - राजपुर	191.51
6		पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - नर्मदापुर	191.51
7		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - कमलेश्वरपुर	152.97
8		पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - बतौली	191.51
9		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - बतौली	152.97
10		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - मंगरी	152.97
11		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - लुण्डा	152.97
12		नवीन प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास - धौरपुर	152.97
13	सरगुजा	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - देवाड	152.97
14		नवीन प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास - अंबिकापुर	152.97
15		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - लखनपुर	152.97
16		पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - लखनपुर	191.51
17		नवीन प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास - अंबिकापुर	152.97
18		नवीन प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास - करजी	152.97
19		नवीन प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास - बोदा	152.97
20		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - घाटवर्स	152.97
21		पो.मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास - कासाबेल	288.59
22		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - कासाबेल	152.97
23		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - बटईकेवा	152.97
24		पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - पण्डरीपानी	191.51
25		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - पण्डरीपानी	152.97
26		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - कुनकुरी-02	152.97
27	जशपुर	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - गाला	152.97
28		पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - कोतबा	191.51
29		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - कोतबा	152.97
30		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - दोकड़ा	152.97
31		पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - दोकड़ा	191.51
32		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - बागबहार	152.97
33		पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास - जशपुर नगर	191.51
34		पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - बगीचा	191.51

क्रमांक	जिले का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	
1	2	3	4	
35	जशपुर	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - लपकरा	191.51	
36		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - रौनी	152.97	
37		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - लवाकरा	152.97	
38		पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - दुलदुला	191.51	
39		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - दुलदुला	152.97	
40		पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - मनोरा	191.51	
41		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - पैकू	152.97	
42		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास - लोदाम	152.97	
43		महासमुन्द	पो.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास - महासमुन्द	191.51
44		खैरागढ़ - छुईखदान - गडई	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास - बाजार अतरिया	152.97
45	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास - कोरबा		152.97	
46	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास - करतला		152.97	
योग :-			7827.42	


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर

क्र.	कार्य का नाम एवं विवरण	आबंटित राशि	व्यय राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5
3	100 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पो0मै0 कन्या छात्रावास अम्बिकापुर	165.00	99.91	प्रथम तल का कार्य प्रगति पर
4	100 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पो0मै0 बालक छात्रावास अम्बिकापुर	165.00	0.00	भूमि का चिन्हांकन नहीं होने के कारण कार्य अप्रारंभ
5	एकलव्य आदर्श आवासीय परिसर मैनपाट में अहाता निर्माण	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर
6	पो0मै0 आदिवासी बालक छात्रावास लुण्ड्रा	0.00	0.00	
7	पो0मै0 आदिवासी बालक छात्रावास अम्बिकापुर	0.00	0.00	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
8	पो0मै0 नवीन आदिवासी कन्या छात्रावास (टी.सी.पी.सी.) अम्बिकापुर	0.00	0.00	
	योग :-	713.02	307.91	-
	महायोग :-	2243.08	1496.99	



 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

वर्ष 2022-23				
(राशि रु. लाखों में)				
क्रं.	कार्य का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5
1	बालक आश्रम बांसाझाल का वार्षिक मरम्मत एवं अन्य कार्य	1.20	1.18	पूर्ण
2	प्री मै.अजजा बालक छात्रावास बिलासपुर में विद्युतीकरण कार्य	1.70	1.67	पूर्ण
3	प्री मै.अजजा बालक छात्रावास बिलासपुर का वार्षिक मरम्मत	1.29	1.29	पूर्ण
4	प्री मै.अजजा बालक छात्रावास मंगारी का विद्युतीकरण कार्य	1.54	1.54	पूर्ण
5	पो.मै. अजजा बालक छात्रावास बतौली का वार्षिक मरम्मत	2.26	2.26	पूर्ण
6	प्री मै.अजजा बालक छात्रावास सरमना का जीर्णोद्धार कार्य भाग-2	4.80	4.80	पूर्ण
7	प.को.बा.आश्रम गोविन्दपुर का शौचालय में टाईल्स कार्य	1.35	1.35	पूर्ण
8	प.को.बा.आश्रम बैजनाथपुर में सेप्टिक टैंक निर्माण कार्य	2.00	2.00	पूर्ण
9	प.को.बा.आश्रम टिरंग के शौचालय में टाईल्स कार्य	1.35	1.35	पूर्ण
10	बालक आश्रम रजखेता का जीर्णोद्धार कार्य	3.67	3.67	पूर्ण
11	प.को.बा.आश्रम उड़मकेला का वार्षिक मरम्मत तथा अन्य कार्य	3.02	2.97	पूर्ण
12	प्री मै.अजजा बालक छात्रावास राजापुर का वार्षिक मरम्मत	2.00	1.96	पूर्ण
13	प्री मै.अजजा बालक छात्रावास जामढोढी का वार्षिक मरम्मत	1.92	1.92	पूर्ण
14	प्री मै.अजजा बालक छात्रावास राजापुर में पेयजल व्यवस्था	2.25	2.25	पूर्ण
15	एकलव्य आदर्श आवा.छात्रा.मैनपाट के शौचालय में टाईल्स तथा अन्य कार्य	4.62	4.47	पूर्ण
16	एकलव्य आदर्श आवा.छात्रा.मैनपाट में विद्युतीकरण सुधार कार्य	4.14	4.07	पूर्ण
17	आदिवासी बालक आश्रम असकरा का जीर्णोद्धार कार्य	3.67	3.60	पूर्ण
18	प्री मै.अजजा बालक छात्रावास देवगढ़ का जीर्णोद्धार	1.72	1.72	पूर्ण
19	प्री मै.अजजा कन्या छात्रावास उदयपुर का वार्षिक मरम्मत	2.00	2.00	पूर्ण
20	प्री मै.अजजा बालक छात्रावास घाटबर्बा का वार्षिक मरम्मत	1.82	1.75	पूर्ण
21	प्री मै.अजजा कन्या छात्रावास उदयपुर में शौचालय में टाईल्स कार्य	1.35	1.35	पूर्ण
22	प्री मै.अजजा कन्या छात्रावास लक्ष्मणगढ़ का वार्षिक मरम्मत	1.98	1.98	पूर्ण
23	प्री मै.अजजा बालक छात्रावास सलका का वार्षिक मरम्मत एवं अन्य कार्य	3.26	3.26	पूर्ण
24	प्री मै.अजजा कन्या छात्रावास सलका का वार्षिक मरम्मत एवं अन्य कार्य	2.85	2.85	पूर्ण
25	प्री मै.अजजा कन्या छात्रावास उदयपुर में विद्युतीकरण कार्य	1.72	1.69	पूर्ण
26	प्री मै.अजजा बालक छात्रावास खम्हरिया का जीर्णोद्धार कार्य	3.67	3.65	पूर्ण
27	प्री0मै0 अजजा बालक छात्रावास लक्ष्मणगढ़ का विद्युतीकरण कार्य	.98	.98	पूर्ण
28	कन्या क्रीडा परिसर छात्रावास अम्बिकापुर का वार्षिक मरम्मत	2.28	2.11	पूर्ण
29	परियोजना कॉलोनी अम्बिकापुर स्थित आवास गृह (05 नग) का वार्षिक मरम्मत एवं अन्य कार्य	1.78	1.78	पूर्ण

क्रं.	कार्य का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5
30	चौपाटी के सामने स्थित शासकीय आवास (03 नग) का वार्षिक मरम्मत एवं अन्य कार्य	1.78	1.77	पूर्ण
31	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय घंघरी में शेड निर्माण	5.76	5.76	पूर्ण
32	प.को.बालक आश्रम भवन भिट्ठीखुर्द में छत पर वियरिंग कोट एवं अन्य कार्य	3.81	3.81	पूर्ण
33	प्री मै.अजजा बालक छात्रावास नवापारा का वार्षिक मरम्मत एवं अन्य कार्य	1.99	1.99	पूर्ण
34	बालक छात्रावास प्रयास क्रमांक-01 अम्बिकापुर का वार्षिक मरम्मत	2.33	2.28	पूर्ण
35	पो.मै. अजजा बालक छात्रावास अम्बिकापुर के छत पर वियरिंग कोट एवं अन्य कार्य	3.81	3.81	पूर्ण
36	प्रयास बालिका छात्रावास क्र-02 अम्बिकापुर का वार्षिक मरम्मत	2.20	2.15	पूर्ण
37	बालक छात्रावास प्रयास क्रमांक-02 अम्बिकापुर का वार्षिक मरम्मत	2.75	2.67	पूर्ण
38	प्री मै.अजजा कन्या छात्रावास स्कूल रोड अ0पुर का वार्षिक मरम्मत	2.98	2.98	पूर्ण
39	प्रयास बालिका छात्रावास अम्बिकापुर के प्रथम तल में वियरिंग कोट एवं अन्य कार्य	3.81	3.72	पूर्ण
40	प्रयास बालक छात्रावास अम्बिकापुर में शौचालय मरम्मत	1.35	1.35	पूर्ण
41	प्री मै.अजजा कन्या छात्रावास टी.सी.पी.सी. अ0पुर का जीर्णोद्धार कार्य	2.26	2.26	पूर्ण
42	कन्या शिक्षा परिसर स्थित छात्रावास अम्बिकापुर का वार्षिक मरम्मत एवं अन्य कार्य	4.34	4.29	पूर्ण
43	कन्या शिक्षा परिसर स्थित छात्रावास अम्बिकापुर में पेयजल व्यवस्था	1.91	1.91	पूर्ण
44	पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास गंगापुर अम्बिकापुर में किचन शेड निर्माण कार्य	1.63	1.63	पूर्ण
45	पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास गंगापुर अम्बिकापुर में पेयजल व्यवस्था	2.25	2.25	पूर्ण
46	प्री0मै0 बालक अजा आदर्श छात्रावास अम्बिकापुर में विद्युत्तिकरण कार्य	1.80	1.76	पूर्ण
47	प्रयास बालिका छात्रावास क्रमांक-02 अम्बिकापुर के शौचालय मरम्मत	1.00	1.00	पूर्ण
48	कन्या आश्रम भवन बेलखरिखा में सेप्टिक टैंक निर्माण	2.00	2.00	पूर्ण
49	बालक आश्रम देवीटिकरा का वार्षिक मरम्मत एवं वियरिंग कोट कार्य	3.67	3.67	पूर्ण
50	बालक आश्रम भवन कुदर का जीर्णोद्धार कार्य भाग-2	2.49	2.49	पूर्ण
51	प.को.कन्या आश्रम भवन बरडीह के छत पर वियरिंग कोट एवं अन्य कार्य	3.81	3.77	पूर्ण
52	बालक आश्रम भवन करौली में शेड निर्माण कार्य	13.68	13.61	पूर्ण
53	बालक आश्रम कुंदीकला का जीर्णोद्धार कार्य भाग-2	5.00	5.00	पूर्ण
54	प्री मै.अजजा कन्या छात्रावास बरगीडीह का वार्षिक मरम्मत	5.00	4.99	पूर्ण

क्रं.	कार्य का नाम	आबटित राशि	व्यय राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5
योग :-		151.60	150.41	...
वर्ष 2023-24				
1	आदर्श अ.जा.प्री.मै.बालक छात्रावास, अम्बिकापुर भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	2.00	पूर्ण
2	पहाड़ी कोरवा बालक आश्रम, नानदमाली भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	1.99	पूर्ण
3	आदिवासी बालक आश्रम, गाजरभावना, पम्पापुर भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	2.00	पूर्ण
4	प्री.मै.बालक छात्रावास, खम्हरिया भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	2.00	पूर्ण
5	प्री.मै.कन्या छात्रावास, खम्हरिया भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	2.00	पूर्ण
6	प्री.मै.कन्या छात्रावास, लक्ष्मणगढ़ भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	2.00	पूर्ण
7	पहाड़ी कोरवा आश्रम, बैजनाथपुर भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	2.00	पूर्ण
8	प्री.मै.बालक छात्रावास, बतौली भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	1.99	पूर्ण
9	प्री.मै. कन्या छात्रावास, बतौली भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	1.99	पूर्ण
10	बालक आश्रम, रजखेता भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	1.99	पूर्ण
11	कन्या आश्रम, चिड़ापारा भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	1.98	पूर्ण
12	पहाड़ी कोरवा कन्या आश्रम, बरिमा भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	1.99	पूर्ण
13	पहाड़ी कोरवा बालक आश्रम, आमापानी भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	2.00	पूर्ण
14	प्री.मै. बालक छात्रावास, कुन्नी भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	2.00	पूर्ण
15	बालक आश्रम, बटवाही भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	1.99	पूर्ण
16	कन्या आश्रम, उदारी भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	1.99	पूर्ण
17	प्री.मै. बालक छात्रावास, धौरपुर भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	1.98	पूर्ण
18	पहाड़ी कोरवा कन्या आश्रम, बगडोली भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	1.99	पूर्ण
19	प्री.मै. बालक छात्रावास, सीतापुर भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	1.99	पूर्ण
20	प्री.मै. बालक छात्रावास, पेटला भवन की रंगाई पोताई (गोबर पेंट)	2.00	1.99	पूर्ण
21	नवीन प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास अम्बिकापुर का वार्षिक मरम्मत	2.75	2.75	पूर्ण
22	पहाड़ी कोरवा बालक आश्रम नान्दमाली का वार्षिक मरम्मत	2.98	2.97	पूर्ण
23	पहाड़ी कोरवा बालक छात्रावास घंघरी का वार्षिक मरम्मत	2.52	2.52	पूर्ण
24	प्रयास बालक छात्रावास क्रमांक-3 अम्बिकापुर का भवन जीर्णोद्धार	1.91	1.90	पूर्ण
25	प्रयास बालक छात्रावास क्रमांक-1 अम्बिकापुर का वार्षिक मरम्मत	4.50	4.50	पूर्ण
26	प्री0मै0 अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास अम्बिकापुर का वार्षिक मरम्मत	2.67	2.66	पूर्ण

क्रं.	कार्य का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5
27	बालक आश्रम केदमा का वार्षिक मरम्मत	2.05	2.04	पूर्ण
28	बालक आश्रम मरेया का वार्षिक मरम्मत	4.90	4.87	पूर्ण
29	प्री०मै० बालक छात्रावास डांडगाँव का वार्षिक मरम्मत	3.95	3.92	पूर्ण
30	प्री०मै० आदिवासी कन्या छात्रावास खम्हरिया का वार्षिक मरम्मत	7.90	7.88	पूर्ण
31	प्री०मै० आदिवासी कन्या छात्रावास लक्ष्मणगढ का भवन जीर्णोद्धार	4.38	4.38	पूर्ण
32	पहाडी कोरवा आश्रम गोविन्दपुर का वार्षिक मरम्मत	3.67	3.66	पूर्ण
33	प्री०मै० आदिवासी बालक छात्रावास सरमना का भवन	11.30	11.26	पूर्ण
34	प्री०मै० आदिवासी बालक छात्रावास बिलासपुर का वार्षिक मरम्मत	.00	4.25	पूर्ण
35	बालक आश्रम निम्हा का वार्षिक मरम्मत	1.36	1.36	पूर्ण
36	पो०मै० आदिवासी बालक छात्रावास लखनपुर का वार्षिक मरम्मत	1.22	1.21	पूर्ण
37	प्री०मै० आदिवासी बालक छात्रावास का वार्षिक मरम्मत	1.66	1.66	पूर्ण
38	बालक आश्रम तुनगुरी का भवन जीर्णोद्धार	8.44	8.44	पूर्ण
39	प्री०मै० आदिवासी बालक छात्रावास कुन्नी का वार्षिक मरम्मत	18.65	18.65	पूर्ण
40	प्री०मै० आदिवासी बालक छात्रावास नवापारा का वार्षिक	1.30	1.30	पूर्ण
41	बालक आश्रम बटवाही का वार्षिक मरम्मत	1.82	1.81	पूर्ण
42	बालक आश्रम ससौली का वार्षिक मरम्मत	2.89	2.87	पूर्ण
43	पहाडी कोरवा बालक आश्रम डुमरडीह का भवन जीर्णोद्धार	2.50	2.48	पूर्ण
44	प्री०मै० कन्या छात्रावास बरगीडीह का भवन जीर्णोद्धार	6.92	6.85	पूर्ण
45	कन्या आश्रम उदारी का वार्षिक मरम्मत	7.00	6.99	पूर्ण
46	प्री०मै० कन्या छात्रावास उदारी का वार्षिक मरम्मत	3.94	3.91	पूर्ण
47	बालक आश्रम आरा का वार्षिक मरम्मत	1.81	1.80	पूर्ण
48	कन्या आश्रम केरजू का वार्षिक मरम्मत	3.00	2.98	पूर्ण
49	कन्या आश्रम सीतापुर का वार्षिक मरम्मत	2.35	2.35	पूर्ण
50	कन्या आश्रम देवगढ का वार्षिक मरम्मत	1.41	1.41	पूर्ण
51	पहाडी कोरवा बालक आश्रम जामझरिया का वार्षिक मरम्मत	5.72	5.67	पूर्ण
52	पहाडी कोरवा कन्या आश्रम बगडौली का वार्षिक मरम्मत	3.57	3.56	पूर्ण
53	बालक आश्रम डांडपारा रजपुरी का वार्षिक मरम्मत	1.15	1.15	पूर्ण
54	प्री०मै० आदिवासी बालक छात्रावास पेटला का वार्षिक मरम्मत	4.73	4.72	पूर्ण
55	प्री०मै० आदिवासी कन्या छात्रावास गुतुरमा का वार्षिक मरम्मत	3.35	3.32	पूर्ण
56	पो०मै० आदिवासी बालक छात्रावास सीतापुर का भवन	7.37	5.54	पूर्ण
57	प्री०मै० आदिवासी कन्या छात्रावास वंदना का भवन जीर्णोद्धार	6.50	6.44	पूर्ण
58	पहाडी कोरवा आश्रम मालतीपुर का भवन जीर्णोद्धार	4.64	4.63	पूर्ण
59	कन्या आश्रम बरिमा का भवन जीर्णोद्धार	19.38	19.37	पूर्ण
योग :-		218.16	219.90	
महायोग :-		369.76	370.31	


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

लंबित कार्यों की सूची

जिला-सरगुजा		स्वीकृत वर्ष 2023-24		(राशि रु. लाखों में)
क्रं.	कार्य का नाम	स्वी० लागत	लंबित कार्य की अद्यतन स्थिति	
1	100 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पो०मै० बालक छात्रावास अम्बिकापुर	288.59	भूमि का चिन्हांकन नहीं होने के कारण कार्य अप्रारंभ	
2	पो०मै० आदिवासी बालक छात्रावास लुण्ड्रा	191.51		
3	पो०मै० आदिवासी बालक छात्रावास अम्बिकापुर	191.51	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
4	पो०मै० नवीन आदिवासी कन्या छात्रावास (टी.सी.पी.सी.) अम्बिकापुर	191.51		
योग :-		863.12		



अनुभाग अधिकारी
भूमि जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर


पारोक्ष - छिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 796) की जानकारी


प्रपत्र-अ

दिनांक 30/11/2024 की स्थिति में रेत खदानों को वर्तमान में वैध जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की जानकारी

क्र.	खदान का नाम एवं पता, जिसके पक्ष में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है	नदी	रकबा (हेक्टेयर)	अवधि
जिला-रायपुर				
1.	मेसर्स कागदेही सेण्ड माईन (प्रो.- श्री राजेश कुमार त्रिवेदी), ग्राम-कागदेही, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	महानदी	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
2.	मेसर्स कुम्हारी सेण्ड माईन (प्रो.- श्री दीपक कुमार चन्द्राकर), ग्राम-कुम्हारी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	महानदी	4.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
3.	मेसर्स हरदीडीह सेण्ड माईन (प्रो.- श्रीमती हेमा पाण्डेय), ग्राम-हरदीडीह, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	महानदी	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
4.	मेसर्स पारागांव सेण्ड माईन (प्रो.- श्री दिलहरण लाल यादव), ग्राम-पारागांव, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	महानदी	4.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
5.	मेसर्स लखना सेण्ड माईन (प्रो.- श्री अमित चंद्राकर), ग्राम-लखना, तहसील-गोबरा-नवापारा, जिला-रायपुर	महानदी	3.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
6.	मेसर्स कुरूद सेण्ड माईन (प्रो.- श्रीमती बसंती साहू), ग्राम-कुरूद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	महानदी	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
7.	मेसर्स चिखली सेण्ड कारी (प्रो.- श्री आदित्य कुमार वर्मा), ग्राम-चिखली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	महानदी	4.95	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
8.	मेसर्स चिखली (बी) सेण्ड माईन (प्रो.- श्री रोहित खेडिया), ग्राम-चिखली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	महानदी	4.95	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-महासमुंद				
9.	मेसर्स बरबसपुर सेण्ड माईन (प्रो.- श्रीमती अर्चना शर्मा), ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद	महानदी	4.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
10.	मेसर्स मुड़ियाडीह सेण्ड माईन (प्रो.- श्री सौरभ चंद्राकर), ग्राम-मुड़ियाडीह, तहसील व जिला-महासमुंद	महानदी	4.8	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
11.	मेसर्स बड़गांव सेण्ड माईन (1) (प्रो.- श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल), ग्राम-बड़गांव, तहसील व जिला-महासमुंद	महानदी	5	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
12.	मेसर्स बड़गांव सेण्ड माईन (2), (प्रो.- श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल), ग्राम-बड़गांव, तहसील व जिला-महासमुंद	महानदी	4.5	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
13.	मेसर्स लाफिनखुर्द सेण्ड माईन (प्रो.- श्रीमती शालिनी सिंह), ग्राम-लाफिनखुर्द, तहसील व जिला-महासमुंद	सूखा	5	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
14.	मेसर्स लामिसरार सेण्ड माईन (प्रो.- श्री अरविंद कुमार सिंह), ग्राम-लामिसरार, तहसील- बागबहरा, जिला-महासमुंद	खान्दझारी नाला	3.8	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
15.	बल्डीडीह सेण्ड कारी (प्रो.- श्री रोहित साहु), ग्राम-बल्डीडीह, तहसील-पिथौरा, जिला - महासमुंद	जोंक	5	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा				
16.	मेसर्स दतान(ख) सेण्ड माईन (प्रो.- श्री चन्द्रपाल बारगाह), ग्राम-दतान(ख), तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	महानदी	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
17.	मेसर्स रीवाडीह सेण्ड कारी (प्रो.- श्रीमती अनिता सलूजा), ग्राम-रीवाडीह, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	महानदी	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
18.	मेसर्स पिकरी सेण्ड माईन (प्रो.- श्री गणेश चन्द्र शुक्ला), ग्राम-पिकरी, तहसील-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	महानदी	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
19.	मेसर्स चंगोरी सेण्ड माईन (प्रो.- श्री ललित दास मानिकपुरी), ग्राम-चंगोरी, तहसील-लवन, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा	महानदी	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
20.	मेसर्स बलौदा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री मयंक मणि त्रिपाठी), ग्राम-बलौदा, तहसील-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	जोंक	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
21.	मेसर्स चकरवाय सेण्ड माईन (प्रो.- श्री उमादेव यादव), ग्राम-चकरवाय, तहसील-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	महानदी	3.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
22.	मेसर्स तुरमा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री अभिषेक सिंह ठाकुर), ग्राम-तुरमा, तहसील-लवन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	महानदी	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
23.	मेसर्स सिरियाडीह सेण्ड माईन (प्रो.- श्री आकाश छाबड़ा), ग्राम-सिरियाडीह, तहसील-लवन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	महानदी	4.99	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

24.	मेसर्स थरहीडीह सेण्ड माईन (प्रो.- श्री वेद कुमार वर्मा), ग्राम-थरहीडीह, तहसील-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	महानदी	4.99	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
25.	मेसर्स बम्हनी सेण्ड माईन (प्रो.- श्री पंकज कुमार चंद्राकर), ग्राम-बम्हनी, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	महानदी	4.99	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
26.	मेसर्स दतरेंगी सेण्ड माईन (प्रो.- श्री बिनय जायसवाल), ग्राम-दतरेंगी, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	महानदी	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
27.	मेसर्स कोट सेण्ड माईन (प्रो.- श्रीमती स्वाति बंजारे), ग्राम-कोट, तहसील-टुंड्रा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	जोंक	4.1	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
28.	मेसर्स खैरा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री राम लोचन यादव), ग्राम-खैरा, तहसील-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	जोंक	3.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
29.	मेसर्स एम.एस.के. यदु ब्रिक्स (प्रो.- श्री शत्रुहन यदु, नंदनिया सेण्ड माईन), ग्राम-नंदनिया, तहसील - कसडोल, जिला - बलौदाबाजार -भाटापारा	महानदी	4.99	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला- धमतरी				
30.	मेसर्स परेवाडीह सेण्ड माईन (प्रो.- श्री मुकेश पटेल), ग्राम-परेवाडीह, तहसील-मगरलोड़, जिला-धमतरी	पैरी	10.0	खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक
31.	मेसर्स दोनर सेण्ड माईन (प्रो.- श्री देवकांत पटेल), ग्राम-दोनर, तहसील व जिला-धमतरी	महानदी	4.95	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
32.	मेसर्स दर्री सेण्ड कारी प्रोजेक्ट (प्रो.- श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा), ग्राम-दर्री, तहसील व जिला-धमतरी	महानदी	16.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
33.	बुढ़ेनी सेण्ड माईन (प्रो. - श्री विजय साहब) ग्राम-बुढ़ेनी, तहसील-मगरलोड़, जिला-धमतरी	पैरी	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
34.	श्रीमती सुधा तिवारी, ग्राम-गाड़ाडीह, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	महानदी	4.99	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
35.	अरौद सेण्ड माईन (प्रो. - श्री हरी सोनवानी) ग्राम - अरौद, तहसील व जिला-धमतरी	महानदी	4.95	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
36.	लीलर सेण्ड माईन, (प्रो.- श्री हरी सोनवानी) ग्राम - लीलर, तहसील व जिला-धमतरी	महानदी	4	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
37.	चंद्रासुर सेण्ड माईन, (प्रो.- श्री धनेश चंदेल) ग्राम - चंद्रासुर, तहसील - मगरलोड़, जिला-धमतरी	महानदी	4	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
38.	गिरौद ग.1 सेण्ड माईन, (प्रो.- श्री प्रदीप बंसल) ग्राम - गिरौद, तहसील - मगरलोड़, जिला-धमतरी	महानदी	4.5	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
39.	गिरौद ग.2 सेण्ड माईन, (प्रो.- श्री प्रदीप बंसल) ग्राम - गिरौद, तहसील - मगरलोड़, जिला-धमतरी	महानदी	4	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
40.	मनरौद सेण्ड माईन, (प्रो.- श्री उमेश सिदार) ग्राम - मनरौद, तहसील - कुरूद, जिला-धमतरी	महानदी	4	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
41.	रिवर बेड सेण्ड माईन, (प्रो.- श्री कन्हैया दर्शन), ग्राम -परखण्डा तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	महानदी	4.99	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-गरियाबंद				
42.	मेसर्स पुरनापानी सेण्ड माईन (प्रो.- श्री देवशरण बघेल), ग्राम-पुरनापानी, तहसील-देवभोग, जिला-गरियाबंद	तेलनदी	4.1	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-दुर्ग				
43.	मेसर्स कोटनी सेण्ड माईन (प्रो.-श्री आर. आंड्रयू मनीराज), ग्राम-कोटनी, तहसील व जिला-दुर्ग	शिवनाथ	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-राजनांदगांव				
44.	मेसर्स धामनसरा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री वैभव सलूजा), ग्राम-धामनसरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव	शिवनाथ	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक"
जिला-बिलासपुर				
45.	मेसर्स लच्छनपुर सेण्ड माईन (प्रो.- श्री भुपेन्द्र सिंह ठाकुर), ग्राम-लच्छनपुर, तहसील व जिला-बिलासपुर	अरपा	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक"
46.	मेसर्स उदईबंद सेण्ड माईन (प्रो.- श्री पुरूषोत्तम यादव), ग्राम-उदईबंद, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर	शिवनाथ	4.09	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक"
47.	मेसर्स अमलडीहा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री निलेश चन्द्र भार्गव), ग्राम-अमलडीहा, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर	शिवनाथ	4.09	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक"
48.	मेसर्स करहीकछार सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत करहीकछार), ग्राम-करहीकछार, तहसील-बेलगहना, जिला-बिलासपुर	अरपा	4.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
49.	मेसर्स सोढ़ाखुर्द सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत छतौना), ग्राम-सोढ़ाखुर्द, तहसील-बेलगहना, जिला-बिलासपुर	अरपा	4.6	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-मुंगेली				
50.	मेसर्स जमुनाही सेण्ड माईन (ए-2) (प्रो- श्री शुभेन्द्र सिंह), ग्राम-जमुनाही, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली	मनियारी	3.7	28/03/2023 से 27/03/2025
51.	मेसर्स बघर्रा सेण्ड माईन ((ए-1) (प्रो- श्री सुभेन्द्र सिंह), ग्राम-बघर्रा, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली	मनियारी	1.263	29/03/2023 से 28/03/2025


अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

जिला-जांजगीर-चांपा				
52.	मेसर्स चांपा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री विनीत सिंह क्षत्रिय), नगरपालिका परिषद-चांपा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर चांपा	हसदेव	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
53.	मेसर्स बरबसपुर सेण्ड माईन (प्रो.- श्री शिवेश मिश्रा), ग्राम-बरबसपुर, तहसील-नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा	हसदेव	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
54.	मेसर्स घुठिया सेण्ड माईन (प्रो.- श्री शिशुपाल सिंह राजपूत), ग्राम-घुठिया, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	हसदेव	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
55.	मेसर्स नवागांव सेण्ड माईन (प्रो.- श्रीमती भारती खातरकर), ग्राम-नवागांव, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	हसदेव	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
56.	मेसर्स लच्छनपुर सेण्ड माईन (प्रो.- श्री बाबूलाल जायसवाल), ग्राम-लच्छनपुर, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	हसदेव	4.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-रायगढ़				
57.	मेसर्स उसरोट सेण्ड माईन (प्रो.- श्री नमोनारायण पटेल), ग्राम-उसरोट, तहसील व जिला-रायगढ़	माण्ड	2.0	25/09/2023 से 24/09/2025
58.	मेसर्स मुरा "अ" सेण्ड माईन (प्रो.- श्री महेश कुमार गर्ग), ग्राम-मुरा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	माण्ड	4.5	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
59.	मेसर्स टायंग सेण्ड माईन (प्रो.- श्री अहमद रजा), ग्राम-टायंग, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	माण्ड	4.5	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
60.	मेसर्स पामगढ़ सेण्ड माईन (प्रो.- श्री राहुल अग्रवाल), ग्राम-पामगढ़, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	माण्ड	4.88	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
61.	मेसर्स बरभौना सेण्ड माईन (प्रो.- श्री मदन लाल अग्रवाल), ग्राम-बरभौना, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	कुरकेट	4.881	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
62.	मेसर्स मुरा "ब" सेण्ड माईन (प्रो.- श्री दीपक कुमार अग्रवाल), ग्राम-मुरा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	माण्ड	4.5	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
63.	मेसर्स रक्शापाली सेण्ड माईन (प्रो.- श्री प्रभात लाट), ग्राम-रक्शापाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	माण्ड	2.045	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-जशपुर				
64.	मेसर्स एफ-1, रातामाटी सेण्ड कारी (प्रो.- श्री सुभाष कुमार गुप्ता), ग्राम-रातामाटी, तहसील व जिला-जशपुर	लावा	2.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
65.	मेसर्स बलुवाबहार सेण्ड कारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत अमडीहा), ग्राम-बलुवाबहार, तहसील-फरसाबहार, जिला-जशपुर	ईब	2.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
66.	मेसर्स साईटंगरटोली सेण्ड कारी, अध्यक्ष/सचिव, विकास स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत साईटंगरटोली, ग्राम-साईटंगरटोली, तहसील व जिला-जशपुर	शंख	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
67.	मेसर्स टांगरगांव सेण्ड कारी (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत टांगरगांव), ग्राम-टांगरगांव, तहसील-कांसाबेल, जिला - जशपुर	मैनी नदी	5.0	30/07/2024 से 29/07/2029
जिला-कोरबा				
68.	मेसर्स गेरवा-2 सेण्ड माईन (प्रो.- श्री गणेश राम श्रीवास), ग्राम-गेरवा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा	हसदो	3.0	27/03/2023 से 26/03/2025
69.	मेसर्स चुईया सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत चुईया), ग्राम-चुईया, तहसील व जिला-कोरबा	चुईया नाला	1.173	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
70.	मेसर्स कुदुरमाल सेण्ड माईन (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत कुदुरमाल), ग्राम-कुदुरमाल, तहसील व जिला-कोरबा	हसदेव	4.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
71.	मेसर्स धवईपुर सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत धवईपुर), ग्राम-धवईपुर, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा	अहिरन	4.5	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
72.	मेसर्स दुल्लापुर सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत दुल्लापुर), ग्राम-दुल्लापुर, तहसील-पसान, जिला-कोरबा	हसदेव	4.04	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
73.	मेसर्स सिरी सेण्ड कारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत सिरी), ग्राम-सिरी, तहसील-पसान, जिला-कोरबा	बमनी	3.035	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
74.	मेसर्स भैंसामुड़ा सेण्ड कारी(सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत भैंसामुड़ा), ग्राम-भैंसामुड़ा, तहसील-बरपाली, जिला-कोरबा	हसदेव	4.50	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
75.	मेसर्स घमोटा सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत धनरास), ग्राम-घमोटा, तहसील-दर्री, जिला-कोरबा	हसदेव	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
76.	मेसर्स तरदा सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत तरदा), ग्राम-तरदा, तहसील-बरपाली, जिला-कोरबा	हसदेव	4.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
77.	मेसर्स भिलाईखुर्द सेण्ड कारी (आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा), ग्राम-भिलाईखुर्द, तहसील व जिला-कोरबा	हसदेव	4.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
78.	मेसर्स जोगीपाली सेण्ड कारी(सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत जोगीपाली), ग्राम-जोगीपाली, तहसील-बरपाली, जिला-कोरबा	हसदेव	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
79.	मेसर्स गितारी सेण्ड माईन (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत महोरा), ग्राम-गितारी, तहसील-बरपाली, जिला-कोरबा	हसदो	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
80.	मेसर्स चारपारा सेण्ड कारी (आयुक्त, नगर निगम, कोरबा), ग्राम-चारपारा, तहसील-दर्री, जिला-कोरबा	हसदेव	4.5	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"

3
अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

81.	मेसर्स कुदमुरा-1 सेण्ड कारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कुदमुरा), ग्राम-कुदमुरा, तहसील-भेसमा, जिला-कोरबा	माण्ड	4.8	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
82.	सरपंच ग्राम पंचायत देवलापाठ (सरपंच - श्रीमती तीरस बाई), ग्राम - बगदर, तहसील - बरपाली, जिला - कोरबा	हसदेव	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-कोरिया				
83.	सरपंच ग्राम पंचायत हरचोका, ग्राम - हरचोका, तहसील - भरतपुर, जिला - कोरिया	मवाई	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-सरगुजा				
84.	मेसर्स जजगा सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत जजगा), ग्राम-जजगा, तहसील-उदयपुर, जिला-सरगुजा	रेहर	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
85.	मेसर्स प्रतापगढ़ सेण्ड कारी (सरपंच, ग्राम पंचायत प्रतापगढ़), ग्राम-प्रतापगढ़, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा	माण्ड	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
86.	मोहनपुर सेण्ड माईन, (प्रो. - श्रीमती अनीता) ग्राम - मोहनपुर, तहसील - उदयपुर, जिला-सरगुजा	रेहर	2.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर				
87.	मेसर्स मलकडोल सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत मलकडोल), ग्राम-मलकडोल, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	ओदारी	4.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
88.	सरपंच, ग्राम पंचायत घटई, ग्राम-घटई, तहसील- भरतपुर, जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	ओडारी	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला- बस्तर				
89.	मेसर्स तारापुर सेण्ड माईन (प्रो- श्रीमती सरोज अग्रवाल), ग्राम-तारापुर, तहसील-बकाव.ड, जिला-बस्तर	भसकली	2.0	23/12/2022 से 22/12/2024
90.	मेसर्स टलनार सेण्ड माईन (प्रो- श्री सुरेश परतागिरी, ग्राम-टलनार, तहसील-बकाव.ड, जिला-बस्तर	भसकली	1.60	23/12/2022 से 22/12/2024
91.	मेसर्स बजावण्ड सेण्ड कारी (श्रीमती कुसुमलता साहू - प्रो) (1-के), ग्राम-बजावण्ड, तहसीलबकावण्ड-, जिलाबस्तर-	भसकली	1.12	2023/10/06 से 2025/10/05
92.	मेसर्स बजावण्ड सेण्ड कारी (हृश्रीमती कुसुमलता सा - प्रो) (2-के), ग्राम-बजावण्ड, तहसीलबकावण्ड-, जिलाबस्तर-	भसकली	0.88	2023/10/06 से 2025/10/05
जिला- बीजापुर				
93.	मेसर्स कोण्डामौसम-1 सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत अटुकपल्ली), ग्राम-कोण्डामौसम, तहसील-भोपालपटनम, जिला-बीजापुर	इंद्रावती	2.023	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
94.	मेसर्स रेगुड़ा-1 सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत भद्रकाली), ग्राम-रेगुड़ा, तहसील-भोपालपटनम, जिला-बीजापुर	इंद्रावती	4.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
95.	मेसर्स तारलागुड़ा-1 सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कोतुर), ग्राम-तारलागुड़ा, तहसील-भोपालपटनम, जिला-बीजापुर	गोदावरी	3.15	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
96.	मेसर्स मिंगाचल-1 सेण्ड कारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत गदामली), ग्राम-मिंगाचल, तहसील-भैरमगढ़, जिला-बीजापुर	मिंगाचल	3.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर				
97.	मेसर्स भिरौद सेण्ड कारी (प्रो.- सुश्री सुमन बंजारे), ग्राम-भिरौद, तहसील-चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	महानदी	9.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक"
98.	मेसर्स माहुद सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत माहुद), ग्राम-माहुद, तहसील-चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	महानदी	4.99	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
99.	मेसर्स मोहब्बत महिला स्वसहायता समूह, तेलगुड़ा सोसायटी, अध्यक्ष-श्रीमती संगीता पॉल (तेलगुड़ा सेण्ड माईन-1), ग्राम-तेलगुड़ा, तहसील-चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	महानदी	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
100.	मेसर्स भुईगांव सेण्ड माईन (प्रो.- सरपंच, ग्राम पंचायत बासनवाही (श्री एमेश कुमार नेताम)), ग्राम-भुईगांव, तहसील-चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	महानदी	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
101.	मेसर्स भिरौद सेण्ड माईन-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत भिरौद), ग्राम-भिरौद, तहसील-चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	महानदी	4.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
102.	मेसर्स पितेफूलचूर सेण्ड कारी (सरपंच, ग्राम पंचायत गुदुम) ग्राम-पितेफूलचूर, तहसील-दुर्गकोंदल, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	कोन्दा कोडका खण्डी	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
103.	मेसर्स करिहा सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत करिहा), ग्राम-करिहा, तहसील-चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	महानदी	4.99	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
104.	मेसर्स किलेपार सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत किलेपार), ग्राम-किलेपार, तहसील-चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	महानदी	2.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 रायपुर (छ.ग.)

105.	मेसर्स भिलाई-1 सेण्ड कारी (सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई), ग्राम-भिलाई, तहसील-चरामा, जिला-कांकेर	महानदी	3.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
106.	मेसर्स पुरियारा सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत करप), ग्राम-पुरियारा, तहसील- नरहरपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	महानदी	4.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
107.	मेसर्स अरौद सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद), ग्राम-अरौद, तहसील-चरामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	महानदी	3.9	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
108.	भेलवापानी 1 सेण्ड कारी (प्रो.- श्रीमती अहिल्या पात्रा) ग्राम- भेलवापानी, तहसील- दुर्गुकोण्डल, जिला - उत्तर बस्तर कांकेर	खण्डी	3.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
109.	मेसर्स हाराडुला सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत हाराडुला), ग्राम-हाराडुला, तहसील-चरामा, जिला - उत्तर-बस्तर-कांकेर	महानदी	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
110.	डंगरा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री धनेश नरेती), ग्राम-डंगरा, तहसील - दुर्गुकोण्डल, जिला - उत्तर-बस्तर-कांकेर	खण्डी	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
111.	मचांदुर-1 सेण्ड कारी, (प्रो.- श्री फुलकुंवर सिवाना), ग्राम- मनचंदुर, तहसील - चरामा, जिला - उत्तर-बस्तर-कांकेर	महानदी	4.99	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
112.	तांसी 2 सेण्ड माईन, (प्रो.- श्री कैलाश हदगिया), ग्राम-तांसी, तहसील - चरामा, जिला - उत्तर-बस्तर-कांकेर	महानदी	4.99	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
113.	तांसी 3 सेण्ड माईन, (प्रो.- श्री कैलाश हदगिया), ग्राम-तांसी, तहसील - चरामा, जिला - उत्तर-बस्तर-कांकेर	महानदी	4.98	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-दंतेवाड़ा				
114.	मेसर्स बालूद सेण्ड कारी (डी-1) (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत बालूद), ग्राम-बालूद, तहसील व जिला-दंतेवाड़ा	डंकनी	3.84	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
115.	मेसर्स बड़े सुरोखी सेण्ड कारी (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी), ग्राम-बड़े सुरोखी, तहसील-गीदम, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	डंकनी	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
116.	मेसर्स बड़ेतुमनार सेण्ड कारी (डी-7) (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़ेतुमनार), ग्राम-बड़ेतुमनार, तहसील-गीदम, जिला-दंतेवाड़ा	डंकनी	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
117.	मेसर्स पोन्दूम सेण्ड कारी (डी-5) (सरपंच, ग्राम पंचायत पोन्दूम), ग्राम-पोन्दूम, तहसील-दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	डंकनी	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
118.	मेसर्स गुमड़ा (डी-4) सेण्ड कारी (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत गुमड़ा), ग्राम-गुमड़ा, तहसील-गीदम, जिला-साउथ बस्तर दंतेवाड़ा	डंकनी	5.0	"खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक"
जिला-नारायणपुर				
119.	मेसर्स भाटपाल सेण्ड माईन (श्री शुक्र कुमार निषाद -प्रो.), ग्रामभाटपाल-, तहसील व जिलानारायणपुर-	छेरीबेड़ा	4.9	17/01/2023 से 16/01/2025

५

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-ब

घोषित रेत खदानों में से प्रश्रंश 'क' के रेत खदानों को छोड़कर 05 रेत खदानों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता समाप्त रेत खदानों की जानकारी

क्र.	खदान एवं आवेदक का नाम एवं पता	नदी	रकबा (हेक्टेयर)	अवधि
जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा				
1.	मेसर्स सुनसुनिया सेण्ड माईन (प्रो.- श्री दीपक त्रिपाठी), ग्राम-सुनसुनिया, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	महानदी	4.9	27/07/2022 से 26/07/2024
जिला-धमतरी				
2.	मेसर्स बारना सेण्ड माईन (प्रो.- श्री राहुल वरदियानी), ग्राम-बारना, तहसील व जिला-धमतरी	महानदी	4.0	21/11/2022 से 20/11/2024
3.	मेसर्स सोनेवारा सेण्ड क्वारी (प्रो.- श्री राहुल वरदियानी), ग्राम-सोनेवारा, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	महानदी	4.9	21/11/2022 से 20/11/2024
जिला - कोरबा				
4.	मेसर्स जिल्गा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री टिकम चंद साहू), ग्राम-जिल्गा, तहसील व जिला-कोरबा	माण्ड	3.0	17/05/2022 से 16/05/2024
जिला-सूरजपुर				
5.	मेसर्स श्री राजाराम सिंह (टी-1, सल्का सेण्ड माईन), ग्राम-सल्का, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर	अटेम	3.55	20/09/2021 से 19/09/2023

३

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
सूत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-स

दिनांक 01/04/2019 से दिनांक 30/11/2024 तक की अवधि में रेत के अवैध उत्खनन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	रेत खदान का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
1.	मेसर्स उसरोट सेण्ड माईन (प्रो.- श्री नमोनारायण पटेल), ग्राम-उसरोट, तहसील व जिला-रायगढ़	24.07.2024	बिना वैध सम्मति के रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया।	पत्र दिनांक 14/08/2024 के माध्यम से राशि 6,90,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया।	खदान द्वारा दिनांक 20.08.2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 6,90,000.00/- मण्डल में जमा किया गया है। वर्तमान में खदान द्वारा मंडल से दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किया गया है।
2.	श्री मुरली साव आ. नृपोमणी, ग्राम-कन्दागढ़, तह.-पुसौर, जिला रायगढ़	24.07.2024	बिना वैध सम्मति के रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया।	पत्र दिनांक 25/10/2024 के माध्यम से राशि 3,62,680.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
3.	श्री अजीत सिंह गुरुदत्ता, धवन अपार्टमेंट 102 लश्कर बाग, नागपुर महाराष्ट्र	-	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र का दिनांक 25/01/2024 को जाँच तथा की गयी कार्यवाही बाबत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- धमतरी से प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पत्र दिनांक 27/08/2024 के माध्यम से राशि 54,384.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
4.	श्री मुकेश कुमार साहू, ग्राम- बरना, तहसील व जिला- धमतरी	-	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र का दिनांक 25/01/2024 को जाँच तथा की गयी कार्यवाही बाबत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- धमतरी से प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पत्र दिनांक 27/08/2024 के माध्यम से राशि 1,45,029.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
5.	श्री खिलावन धुव, ग्राम-दोनर, तहसील व जिला- धमतरी	-	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र का दिनांक 25/01/2024 को जाँच तथा की गयी कार्यवाही बाबत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- धमतरी से प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पत्र दिनांक 27/08/2024 के माध्यम से राशि 10,875.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

6.	श्री टाकेश्वर साहू, ग्राम-हीरापुर, तहसील व जिला- बालोद	-	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र का दिनांक 25/01/2024 को जाँच तथा की गयी कार्यवाही बाबत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- धमतरी से प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पत्र दिनांक 27/08/2024 के माध्यम से राशि 43,508.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
7.	श्री मनोहर साहू, ग्राम-दोनर बस्तीपारा, तहसील व जिला- धमतरी	-	ग्राम- डोनर में महानदी घाट एवं आसपास के क्षेत्र का दिनांक 25/01/2024 को जाँच तथा की गयी कार्यवाही बाबत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- धमतरी से प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पत्र दिनांक 27/08/2024 के माध्यम से राशि 10,875.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
8.	1) श्री रविकांत साहू, निवासी- शीतला पारा, गुरुर, जिला- बालोद, 2) श्री शंकर लाल, निवासी- जगन्नाथपुर, सांकरा, जिला- बालोद, 3) श्री हरीश सिन्हा, ग्राम- चैनगंज, गुण्डरदेही, जिला- बालोद	-	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- बालोद से दिनांक 28/06/2024 को प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पत्र दिनांक 13/09/2024 के माध्यम से राशि 2,85,548.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
9.	श्री देवव्रत ठाकुर, निवासी- खुटेरी, तहसील- गुण्डरदेही, जिला- बालोद,	-	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- बालोद से दिनांक 28/06/2024 को प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पत्र दिनांक 13/09/2024 के माध्यम से राशि 2,79,720.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
10.	1) श्री देवेन्द्र साहू, निवासी- जैसकरा, तहसील- चरामा, जिला- कांकेर, 2) श्री अलोक सिंह ठाकुर लाल, निवासी- जैसकरा, तहसील- चरामा, जिला- कांकेर, 3) श्री हितेश जैन, निवासी- रेलवे कॉलोनी, दल्लीराजहरा, तहसील- डौंडी, जिला- बालोद	-	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- बालोद से दिनांक 28/06/2024 को प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया।	पत्र दिनांक 13/09/2024 के माध्यम से राशि 2,91,375.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया।	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है।

3

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - सतततर
अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्र. 799) की जानकारी

प्रपत्र

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी

जनवरी 2023 दिसम्बर 2023 तक					
क्र.	ग्राम का नाम	स्वीकृत निर्माण कार्य	पूर्ण / अपूर्ण कार्य	पूर्णता की स्थिति	
1	2	3	4	5	
1	उपरवारा	01 पानी टंकी,	पूर्ण	-	
		01 सी.सी.रोड	पूर्ण		
		02 सी.सी.रोड सह नाली	पूर्ण		
		02 सामुदायिक भवन	पूर्ण		
		01 शेड	पूर्ण		
2	कुरु	01 सी.सी.रोड सह नाली	पूर्ण	-	
		01 शेड	पूर्ण		
3	खण्डवा	01 सी.सी.रोड सह नाली	पूर्ण	-	
		01 शेड एवं अहाता	अपूर्ण		01 महीने में पूर्ण होना संभावित
		01 भवन	अपूर्ण		01 महीने में पूर्ण होना संभावित
4	तेन्दुवा	02 सामुदायिक भवन	अपूर्ण	01 महीने में पूर्ण होना संभावित	
5	पचेड़ा	01 सी.सी.रोड,	पूर्ण	-	
		01 सी.सी.रोड सह नाली,	पूर्ण		
		01 शेड	पूर्ण		
6	भेलवाडीह	01 अहाता,	पूर्ण	-	
		02 शेड,	पूर्ण		
		01 सामुदायिक भवन	अपूर्ण		01 महीने में पूर्ण होना संभावित
7	तूता	01 सी.सी.रोड	पूर्ण	-	
		01 सामुदायिक भवन	पूर्ण		
		01 शेड	पूर्ण		
8	चेरिया एवं बंजारी	01 रंगमंच,	पूर्ण	-	
		01 सी.सी.रोड सह नाली,	पूर्ण		
		01 भवन	पूर्ण		
		01 सी.सी.रोड	अपूर्ण		01 महीने में पूर्ण होना संभावित
9	केन्द्री	01 सी.सी.रोड सह नाली,	पूर्ण	-	
		02 सी.सी.रोड	पूर्ण		
		04 शेड	पूर्ण		
10	झांकी	01 सी.सी.रोड,	पूर्ण	-	
		01 सामुदायिक भवन	पूर्ण		
11	निमोरा	02 सामुदायिक भवन	अपूर्ण	02 महीने में पूर्ण होना संभावित	
12	तांदुल आश्रित ग्राम पौता	02 सी.सी.रोड,	पूर्ण	-	
		01 रंगमंच	01 अपूर्ण		01 महीने में पूर्ण होना संभावित

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

13	चेरिया	01 चेरिया पौता पहुँच मार्ग	अपूर्ण	संभावित कार्य पूर्णता सितम्बर 2025
----	--------	----------------------------	--------	------------------------------------

जनवरी 2024 नवंबर 2024 तक				
क्र.	ग्राम का नाम	स्वीकृत निर्माण कार्य	पूर्ण / अपूर्ण कार्य	पूर्णता की स्थिति
1	2	3	4	5
1	उपरवारा	01 अहाता,	पूर्ण	-
		01 सोलर स्ट्रीट लाईट	पूर्ण	
		01 नाली	पूर्ण	
		02 सी.सी.रोड सह नाली	अपूर्ण	01 महीने में पूर्ण होना संभावित
		02 सी.सी.रोड	01 पूर्ण 01 अपूर्ण	01 महीने में पूर्ण होना संभावित
2	कुरु	01 सी.सी.रोड सह नाली	पूर्ण	-
3	भेलवाडीह	01 सी.सी.रोड सह नाली	अपूर्ण	01 महीने में पूर्ण होना संभावित
		01 पेवर ब्लॉक	अपूर्ण	01 महीने में पूर्ण होना संभावित
4	केन्द्री	01 शेड	पूर्ण	-
5	बेन्द्री परसडी	02 सी.सी.रोड सह नाली	पूर्ण	-

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी

जनवरी 2023 दिसम्बर 2023 तक				
क्र.	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	पूर्ण / अपूर्ण कार्य	पूर्णता की स्थिति
1	2	3	4	5
1	ग्राम-गोबरा नवापारा	अटल विहार योजनांतर्गत 17 नग आवासीय भवनों के निर्माण कार्य।	पूर्ण	-
2	ग्राम-गोबरा नवापारा	तहसील कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	पूर्ण	-

जनवरी 2024 नवंबर 2024 तक				
क्र.	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	पूर्ण / अपूर्ण कार्य	पूर्णता की स्थिति
1	2	3	4	5
1	ग्राम-बेलभाठा, अभनपुर	अटल आवास योजनांतर्गत 33 नग आवासीय भवनों के निर्माण कार्य।	अपूर्ण	आगामी 12 माह में पूर्ण किया जाना संभावित है।

पारोशेष्ट - अठहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्र. 802) की जानकारी

प्रपत्र-अ

कंपोनेंट क्रमांक-3 ट्रेक्टर हेतु देय अनुदान विवरण

क्र.	यंत्र का नाम	शक्ति का विवरण	अन्य वर्ग के हितग्राहियों हेतु		अजा/अजजा./लघु एवं सीमांत कृषक एवं महिलाओं हेतु
			न्यूनतम अनुदान	अधिकतम अनुदान सीमा	
1	2	3	4	5	6
1		(2 डब्ल्यू.डी) 8 से 20 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रु. 1,60,000/-)		(अधिकतम सीमा रु. 2,00,000/-)
2		(4 डब्ल्यू.डी) 8 से 20 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रु. 1,80,000/-)		(अधिकतम सीमा रु. 2,25,000/-)
3		(2 डब्ल्यू.डी) 20 से अधिक 40 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रु. 2,00,000/-)		(अधिकतम सीमा रु. 2,50,000/-)
4	ट्रेक्टर	(4 डब्ल्यू.डी) 20 से अधिक 40 पी.टी.ओ एच.पी. तक	40 प्रतिशत	50 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रु. 3,00,000/-)
5		(2 डब्ल्यू.डी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रु. 3,40,000/-)		(अधिकतम सीमा रु. 4,25,000/-)
6		(4 डब्ल्यू.डी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रु. 4,00,000/-)		(अधिकतम सीमा रु. 5,00,000/-)

कंपोनेंट क्रमांक-4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना

क्र.	विवरण	सभी वर्ग के हितग्राही हेतु	
		अधिकतम अनुदान सीमा	न्यूनतम अनुदान
1	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रु. 10.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	4.00 लाख	40%
2	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रु. 25.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	10.00 लाख	40%
3	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रु. 40.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	16.00 लाख	40%
4	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रु. 60.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	24.00 लाख	40%

कंपोनेंट क्रमांक-6 चयनित ग्रामों में फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना

क्र.	विवरण	सभी वर्ग के हितग्राही हेतु	
		अधिकतम अनुदान सीमा	न्यूनतम अनुदान
1	पंजीकृत समूहों द्वारा ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रु. 10.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	8.00 लाख	80%

(विकास भित्री)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना के तहत कंपोनेट क्रमांक-3, 4 एवं 6 अंतर्गत वर्ष 2021-22 से नवम्बर 2024 तक प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों की वर्षवार, योजनावार एवं जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	वर्ष 2021-22						वर्ष 2022-23					
		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-6) चयनित ग्रामों में कृषि यात्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेट क्रमांक-6) चयनित ग्रामों में कृषि यात्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना	
		प्राप्त आवेदन संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रायपुर	152	36	30	17	2	0	289	103	16	12	0	0
2	गरियाबंद	95	23	13	9	3	1	342	72	15	9	0	0
3	बलीदाबाजार	132	25	24	12	1	1	201	50	22	14	0	0
4	महारासमुंद	244	41	31	16	11	7	621	135	14	7	1	1
5	धमतरी	163	25	20	12	0	0	323	68	22	19	1	1
	संभाग योग	786	150	118	66	17	9	1776	428	89	61	2	2
6	दुर्ग	387	79	48	21	6	4	723	203	35	24	2	0
7	बालोद	149	22	26	10	0	0	228	72	15	9	0	0
8	बेनेतरा	556	113	38	24	6	2	1030	237	30	23	1	1
9	राजनांदगांव	323	46	54	22	4	4	725	123	21	9	1	1
10	खैरागढ़-छुईखदान	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0
11	मोहला मन्पुर अ चौकी	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
12	कबीरधाम	192	37	28	9	0	0	490	87	16	6	0	0
	संभाग योग	1607	297	194	86	16	10	3196	722	124	77	4	2
13	जगदलपुर	59	26	15	13	7	5	74	15	21	17	4	3
14	कोण्डागांव	56	18	12	10	8	7	73	42	25	23	3	2
15	काकर	63	20	12	9	6	4	149	46	11	8	2	1
16	दत्तेवाड़ा	59	15	4	3	1	0	14	6	5	5	4	3
17	सुकमा	4	1	2	0	5	3	13	7	2	2	6	3
18	नारायणपुर	11	3	5	3	1	1	13	7	10	8	0	0
19	बीजापुर	7	2	4	3	1	1	40	14	4	2	0	0
	संभाग योग	259	85	54	41	29	21	376	137	78	65	19	12

क्र.	जिला का नाम	वर्ष 2021-22										वर्ष 2022-23									
		योजना का नाम										योजना का नाम									
		कृषि यात्रिकीकरण सबिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान		कृषि यात्रिकीकरण सबिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना		कृषि यात्रिकीकरण सबिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-6) चयनित ग्रामों में कृषि यात्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना		कृषि यात्रिकीकरण सबिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान		कृषि यात्रिकीकरण सबिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना		कृषि यात्रिकीकरण सबिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-6) चयनित ग्रामों में कृषि यात्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना									
प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
20	बिलासपुर	101	48	20	12	2	2	199	63	25	18	0	0								
21	गौ.पे.म.	30	16	9	5	3	1	70	35	13	7	0	0								
22	मुंगेली	145	62	34	16	0	0	235	74	40	25	0	0								
23	जांजगीर	194	29	72	27	2	1	454	160	34	14	0	0								
24	सक्ती	0	0	0	0	0	0	0	0	64	17	1	0								
25	कोरबा	65	18	24	9	2	7	203	87	25	2	6	2								
26	रायगढ़	175	61	88	44	0	0	314	95	42	16	0	0								
27	सारगढ़-बिलासगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	60	27	0	0								
	संभाग योग	710	234	247	113	9	11	1475	514	303	126	7	2								
28	सरगुजा	20	11	15	8	0	0	12	6	14	7	0	0								
29	सुरजपुर	22	3	12	6	0	0	26	12	5	2	0	0								
30	बलसामपुर	24	7	6	5	0	0	26	7	0	0	0	0								
31	कोरिया	20	7	7	2	0	0	20	9	4	3	0	0								
32	मनंदरागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0								
33	जशपुर	11	6	9	7	0	0	12	6	6	1	0	0								
	संभाग योग	97	34	49	28	0	0	96	40	36	15	0	0								
	महायोग	3459	800	662	334	71	51	6919	1841	630	344	32	18								

प्रपत्र-ब

कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना के तहत कंपोनेंट क्रमांक-3, 4 एवं 6 अंतर्गत वर्ष 2021-22 से नवम्बर 2024 तक प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों की वर्षवार, योजनावार एवं जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	वर्ष 2023-24										वर्ष 2024-25 (नवम्बर 2024 तक)				
		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान					कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना					कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-6) चयनित ग्रामों में कृषि यात्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना				
		प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-6) चयनित ग्रामों में कृषि यात्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना	प्राप्त आवेदन की संख्या
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	रायपुर	338	47	3	3	1	1	413	21	22	15	7	0	0		
2	गरियाबंद	515	67	4	4	2	1	709	29	15	8	2	1			
3	बलौदाबाजार	396	38	5	4	1	1	488	36	11	2	1	1			
4	महासमुंद	993	122	5	5	2	1	1085	27	16	12	1	0			
5	धमतरी	592	66	7	6	0	0	707	23	16	9	2	1			
	संभाग योग	2834	340	24	22	6	4	3402	136	73	38	6	3			
6	दुर्ग	718	95	12	10	4	4	720	25	14	9	4	1			
7	बालोद	487	53	11	9	0	0	488	27	16	10	3	1			
8	बेतवा	1015	130	8	8	1	1	1103	37	15	11	3	0			
9	राजनांदगांव	848	80	7	7	2	1	912	21	14	9	4	2			
10	खैरागढ़-छुईखदान	418	70	7	7	2	2	401	14	14	10	2	0			
11	मोहला मानपुर अ.बैंकी	45	7	7	6	0	0	83	7	15	4	0	0			
12	कबीरसाम	681	60	6	5	0	0	1007	20	14	7	0	0			
	संभाग योग	4212	495	58	52	9	8	4714	151	102	60	16	4			
13	जगदलपुर	86	3	14	11	3	3	113	22	26	9	2	1			
14	कोण्डागांव	181	9	14	11	4	3	258	10	26	8	3	0			
15	कांकर	329	18	10	7	4	2	503	9	23	10	3	2			
16	दत्तेवाड़ा	49	2	2	2	5	3	52	8	3	1	3	1			
17	सुकमा	82	4	0	0	6	3	90	5	5	0	2	0			
18	नारायणपुर	23	1	10	7	0	0	56	6	15	5	0	0			
19	बीजापुर	68	2	2	2	0	0	81	12	6	1	1	1			
	संभाग योग	818	39	52	40	22	14	1153	72	104	34	14	5			

क्र.	जिला का नाम	वर्ष 2023-24										वर्ष 2024-25 (नवम्बर 2024 तक)									
		योजना का नाम																			
		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान की स्थापना		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-6) ब्यवहित ग्रामी में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान की स्थापना		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-6) ब्यवहित ग्रामी में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना									
प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या		
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
20	बिलासपुर	353	55	17	11	1	0	336	46	15	2	0	0								
21	गौ.पे.म.	70	10	8	7	2	2	141	42	11	3	0	0								
22	मुंगेली	260	43	27	18	1	0	406	26	44	8	0	0								
23	जांजगीर	483	82	12	8	0	0	424	45	24	10	0	0								
24	सक्ती	694	45	22	9	1	0	819	47	29	10	1	0								
25	कोरबा	462	79	12	7	2	2	723	54	16	8	2	1								
26	रायगढ़	664	66	39	11	0	0	717	31	48	5	0	0								
27	सारगढ़-बिलासगढ़	237	18	48	13	0	0	316	33	39	7	0	0								
	संभाग योग	3223	398	185	84	7	4	3882	324	226	53	3	1								
28	सरगुजा	27	1	6	3	0	0	178	27	7	2	1	0								
29	सुरजपुर	46	3	2	0	0	0	68	16	10	2	2	0								
30	बलरामपुर	19	2	7	3	0	0	303	23	6	1	0	0								
31	कोरिया	28	1	1	0	0	0	51	9	0	0	1	0								
32	मनंदगढ़	14	2	3	1	0	0	210	20	3	0	0	0								
33	जशपुर	43	2	9	2	0	0	174	18	12	0	1	0								
	संभाग योग	177	11	28	9	0	0	984	113	38	5	5	0								
	महायोग	11264	1283	347	207	44	30	14135	796	543	190	44	13								

A

प्रपत्र-ब

कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना के तहत कम्प्लेट क्रमांक-3, 4 एवं 6 अंतर्गत वर्ष 2021-22 से नवम्बर 2024 तक प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों की वर्षवार, योजनावार एवं जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	योग											
		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कम्प्लेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कम्प्लेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कम्प्लेट क्रमांक-6) वयनित ग्रामों में कृषि यात्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कम्प्लेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कम्प्लेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कम्प्लेट क्रमांक-6) वयनित ग्रामों में कृषि यात्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	
		प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या
1	2	27	28	29	30	31	32						
1	रायपुर	1192	207	64	39	3	1						
2	गरियाबंद	1661	191	47	30	7	3						
3	बलौदाबाजार	1217	149	62	32	3	3						
4	महासमुंद	2943	325	66	40	15	9						
5	धमतरी	1785	182	65	46	3	2						
	संभाग योग	8798	1054	304	187	31	18						
6	दुर्ग	2548	402	109	64	16	9						
7	बालोद	1352	174	68	38	3	1						
8	बेमेतरा	3704	517	91	66	11	4						
9	राजनांदगांव	2808	270	96	47	11	8						
10	खैरागढ़-छुईखदान	819	84	25	20	4	2						
11	मोहला मानपुर अ चौकी	128	14	25	13	0	0						
12	कबीरस्थान	2370	204	64	27	0	0						
	संभाग योग	13729	1665	478	275	45	24						
13	जगदलपुर	332	66	76	50	16	12						
14	कोण्डागांव	568	79	77	52	18	12						
15	कांकर	1044	93	56	34	15	9						
16	दत्तेवाड़ा	174	31	14	11	13	7						
17	सुकमा	189	17	9	2	19	9						
18	नारायणपुर	103	17	40	23	1	1						
19	बीजापुर	196	30	16	8	2	2						
	संभाग योग	2606	333	288	180	84	52						

क्र.	जिला का नाम	योग					
		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेट क्रमांक-6) चयनित ग्रामों में कृषि यात्रिकीकरण प्रस्तावित हेतु फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	
		प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या
1	2	27	28	29	30	31	32
20	बिलासपुर	989	212	77	43	3	2
21	गौ.पे.म.	311	103	41	22	5	3
22	मुगेली	1046	205	145	67	1	0
23	जांजगीर	1555	316	142	59	2	1
24	सक्ती	1513	92	115	36	3	0
25	कोरबा	1453	238	77	26	12	12
26	रायगढ़	1870	253	217	76	0	0
27	सारंगढ़-बिलासगढ़	553	51	147	47	0	0
	समाग योग	9290	1470	961	376	26	18
28	सरगुजा	237	45	42	20	1	0
29	सुरजपुर	162	34	29	10	2	0
30	बलसामपुर	372	39	19	9	0	0
31	कोरिया	119	26	12	5	1	0
32	मनैदगढ़	224	22	13	3	0	0
33	जशपुर	240	32	36	10	1	0
	समाग योग	1354	198	151	57	5	0
	महायोग	35777	4720	2182	1075	191	112

नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

(विकास भिन्ना)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
Page 6 of 6 रायपुर, अटल नगर
मंत्रालय

प्रपत्र-स

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	आबंटन (राशि रु. लाख में)	व्यय (राशि रु. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	2021-22	4558.25	2942.06	योजनांतर्गत केवल ट्रैक्टर के लिए पृथक वित्तीय लक्ष्य जारी नहीं किया जाता है।
		2022-23	9203.38	8153.27	
		2023-24	6158.39	3895.73	
		2024-25 (नवम्बर 2024 तक)	3935.52	3934.90	
योग			23855.537	18925.96	
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4 एवं 6) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	2021-22	2358.00	1952.00	योजनांतर्गत केवल ट्रैक्टर के लिए भौतिक लक्ष्य अथवा आबंटन जारी नहीं किया जाता है। अपितु खेत की तैयारी से लेकर कटाई/गहाई तक के यंत्र क्रय करने पर अनुदान दिया जाता है।
		2022-23	2604.00	2512.00	
		2023-24	1176.00	1176.00	
		2024-25 (नवम्बर 2024 तक)	908.00	908.00	
योग			7046.00	6548.00	
महायोग			30901.54	25473.96	

सही/-

नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - उन्पासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 71 (क्र. 804) की जानकारी


प्रपत्र

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 804 अतारांकित की विधानसमावार व विकासखण्डवार, पूर्ण, अपूर्ण व प्रस्तावित/लंबित कार्यों की जानकारी:-								
क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य		विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	लागत राशि (लाख में)	पूर्ण / अपूर्ण	प्रस्तावित / लंबित
		कार्य का नाम	कार्य स्थल					
1	2020-21	धान उपाजन केन्द्र कुल्हरिया में पूर्व निर्मित चबुतरा में 02 नग शोड एवं पूर्व निर्मित चबुतरा में 01 नग शोड कम गोदाम निर्माण कार्य	कुल्हरिया	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	24.53	पूर्ण	
2	2020-21	धान उपाजन केन्द्र में 02 नग 200 मिट्रिक टन गोदाम निर्माण कार्य	निरखी	पाली-तानाखार	पाली	24.60	पूर्ण	
3	2020-21	बाउन्डीवाल निर्माण कार्य	फल सब्जी उपमण्डी खरमोरा	कोरबा	कोरबा	61.60	पूर्ण	
4	2022-23	ग्राम पिपरिया में रामेश्वर घर तक 500 मी. सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	पिपरिया	पाली तानाखार	पोडी उपरोडा	25.65	पूर्ण	
5	2022-23	ग्राम भण्डारखोल में पुलिया से गोरे घर तक 500 मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	भण्डारखोल	पाली तानाखार	पाली	25.65	पूर्ण	
6	2022-23	ग्राम सिल्ली में कश्मीरी के घर से अनिल के घर तक 500 मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	सिल्ली	पाली तानाखार	पाली	25.65	पूर्ण	
7	2022-23	ग्राम पंचायत तानाखार में कवर्डशेड 10 नग, सी.सी. रोड, नल कूप खनन 01 नग,यूरिनल कूप 01 नग	तानाखार	पाली तानाखार	कटघोरा	58.24	पूर्ण	
8	2022-23	ग्राम पंचायत पिपरिया में कवर्डशेड 10 नग, सी.सी. रोड, नल कूप खनन 01 नग,यूरिनल कूप 01 नग	पिपरिया	पाली तानाखार	पोडी उपरोडा	58.24		निरस्त
9	2023-24	किसान कुटीर निर्माण कार्य	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति लाफा	पाली-तानाखार	पाली	13.59	पूर्ण	
10	2023-24	किसान कुटीर निर्माण कार्य	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति पाली	पाली-तानाखार	पाली	13.59	पूर्ण	
11	2023-24	किसान कुटीर निर्माण कार्य	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति मुढाली	पाली-तानाखार	पाली	13.59	पूर्ण	
12	2023-24	किसान कुटीर निर्माण कार्य	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति चैतमा	पाली-तानाखार	पाली	13.59	अपूर्ण	
13	2023-24	किसान कुटीर निर्माण कार्य	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति नुनेरा	पाली-तानाखार	पाली	13.59	पूर्ण	
14	2023-24	किसान कुटीर निर्माण कार्य	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति नोनबिरा	पाली-तानाखार	पाली	13.59	पूर्ण	
15	2023-24	किसान कुटीर निर्माण कार्य	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति पोडी (पाली)	पाली-तानाखार	पाली	13.59	पूर्ण	
16	2023-24	किसान कुटीर निर्माण कार्य	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति छपराहीपारा (रामपुर)	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	13.59	अपूर्ण	
17	2023-24	किसान कुटीर निर्माण कार्य	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति निरधि	पाली-तानाखार	पाली	13.59	पूर्ण	
18	2022-23	किसान कुटीर निर्माण कार्य	कार्यालय परिसर कृषि उपज मण्डी समिति कटघोरा	कटघोरा	कटघोरा	13.59	पूर्ण	
19	2023-24	पूर्व निर्मित खुला चबुतरा में 04 नग कवर्ड शोड निर्माण कार्य	धान उपाजन केन्द्र-पाली, विकास खण्ड-पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)	पाली-तानाखार	पाली	16.15	अपूर्ण	
20	2023-24	पूर्व निर्मित खुला चबुतरा में 04 नग कवर्ड शोड निर्माण कार्य	धान उपाजन केन्द्र-लाफा, विकास खण्ड-पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)	पाली-तानाखार	पाली	16.15	अपूर्ण	
21	2023-24	पूर्व निर्मित खुला चबुतरा में 04 नग कवर्ड शोड निर्माण कार्य	धान उपाजन केन्द्र-पोडी, विकास खण्ड-पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)	पाली-तानाखार	पाली	16.15	अपूर्ण	
22	2023-24	पूर्व निर्मित खुला चबुतरा में 04 नग कवर्ड शोड निर्माण कार्य	धान उपाजन केन्द्र-चैतमा, विकास खण्ड-पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)	पाली-तानाखार	पाली	16.15		लंबित

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य		विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	लागत राशि (लाख में)	पूर्ण / अपूर्ण	प्रस्तावित / लंबित
		कार्य का नाम	कार्य स्थल					
42	2023-24	पूर्व निर्मित खुला चबुतरा में 02 नग कवर्ड शेड निर्माण कार्य	धान उपार्जन केन्द्र-जवाली, विकास खण्ड-कटघोरा जिला-कोरबा (छ.ग.)	कटघोरा	कटघोरा	8.08	पूर्ण	
43	2023-24	पूर्व निर्मित खुला चबुतरा में 02 नग कवर्ड शेड निर्माण कार्य	धान उपार्जन केन्द्र-रंजना, विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	कटघोरा	कटघोरा	8.08	पूर्ण	
44	2023-24	पूर्व निर्मित खुला चबुतरा में 02 नग कवर्ड शेड निर्माण कार्य	धान उपार्जन केन्द्र-दुरपा, विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	कटघोरा	कटघोरा	8.08	पूर्ण	
45	2023-24	पूर्व निर्मित खुला चबुतरा में 02 नग कवर्ड शेड निर्माण कार्य	धान उपार्जन केन्द्र-सुमेधा, विकास खण्ड-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	कटघोरा	कटघोरा	8.08	अपूर्ण	
46	2023-24	पूर्व निर्मित खुला चबुतरा में 04 नग कवर्ड शेड निर्माण कार्य	धान उपार्जन केन्द्र-बरपाली, विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	रामपुर	कोरबा	16.15	पूर्ण	
47	2023-24	पूर्व निर्मित खुला चबुतरा में 02 नग कवर्ड शेड निर्माण कार्य	धान उपार्जन केन्द्र-लेमरु, विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	कोरबा	कोरबा	8.08	पूर्ण	
48	2023-24	04 नग खुला चबुतरा निर्माण कार्य	धान उपार्जन केन्द्र-खरमोरा, विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	कोरबा	कोरबा	9.85	पूर्ण	
49	2023-24	10 नग शेण्डीशॉप निर्माण	मुख्य मंडी प्रांगण कटघोरा	कटघोरा	कटघोरा	46.88	अपूर्ण	
50	2023-24	2 नग MIG स्टॉफ क्वार्टर निर्माण	मुख्य मंडी प्रांगण कटघोरा	कटघोरा	कटघोरा	25.37	पूर्ण	
51	2022-23	1 नग स्टॉफ क्वार्टर निर्माण	उपमण्डी प्रांगण खरमोरा	कोरबा	कोरबा	13.77	पूर्ण	
52	2023-24	MIG स्टॉफ क्वार्टर निर्माण (अ) निर्माण कार्य	मुख्य मंडी प्रांगण कटघोरा	कटघोरा	कटघोरा	13.77		प्रस्तावित
53	2023-24	MIG स्टॉफ क्वार्टर निर्माण (ब) निर्माण कार्य	मुख्य मंडी प्रांगण कटघोरा	कटघोरा	कटघोरा	13.77		प्रस्तावित
54	2023-24	1000 मेटन गोदाम मरम्मत कार्य	मुख्य मंडी प्रांगण कटघोरा	कटघोरा	कटघोरा	6.01		प्रस्तावित
55	2023-24	कांक्रिट सीमेंट रोड निर्माण कार्य	ग्राम अमलडीहा से सिद्धरामपुर पहुंच मार्ग में	रामपुर	कोरबा	12.58		प्रस्तावित
56	2023-24	पुलिया निर्माण कार्य	ग्राम पंचायत धरीपखना के आश्रित ग्राम घुंचापुर पहुंच मार्ग में	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	19.24		प्रस्तावित
57	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	कुल्हरिया	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	19.99		प्रस्तावित
58	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	कोरबी	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	18.77		प्रस्तावित
59	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	जटगा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	19.99		प्रस्तावित
60	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	तुमान	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	19.99		प्रस्तावित
61	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	लैगा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	19.37		प्रस्तावित
62	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	पिपरिया	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	18.77		प्रस्तावित
63	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	पोडी उपरोडा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	19.99		प्रस्तावित
64	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	बिंझरा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	19.99		प्रस्तावित
65	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	तानाखार	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	19.99		प्रस्तावित
66	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	मोरगा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	19.99		प्रस्तावित
67	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	सिरमिना	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	18.77		प्रस्तावित
68	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	रामपुर	रामपुर	करतला	18.77		प्रस्तावित

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य		विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	लागत राशि (लाख में)	पूर्ण / अपूर्ण	प्रस्तावित / लंबित
		कार्य का नाम	कार्य स्थल					
69	2024-25	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	भैसमा	रामपुर	करतला	19.99		प्रस्तावित
70	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	कुल्हरिया	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	19.99		प्रस्तावित
71	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	कोरबी	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	15.51		प्रस्तावित
72	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	जटगा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	15.51		प्रस्तावित
73	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	तुमान	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	15.51		प्रस्तावित
74	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	छुरीकला	कटघोरा	कटघोरा	15.51		प्रस्तावित
75	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	लैंगा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	15.51		प्रस्तावित
76	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	पिपरिया	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	15.51		प्रस्तावित
77	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	पोडी उपरोडा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	15.51		प्रस्तावित
78	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	बिंझरा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	15.51		प्रस्तावित
79	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	तानाखार	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	15.51		प्रस्तावित
80	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	मोरगा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	15.51		प्रस्तावित
81	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	कटघोरा	कटघोरा	कटघोरा	15.51		प्रस्तावित
82	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	पुटापानी	पाली-तानाखार	पाली	15.51		प्रस्तावित
83	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	पाली	पाली-तानाखार	पाली	15.51		प्रस्तावित
84	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	निरधि	पाली-तानाखार	पाली	15.51		प्रस्तावित
85	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	लाफा	पाली-तानाखार	पाली	15.51		प्रस्तावित
86	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	सपलवा	पाली-तानाखार	पाली	15.51		प्रस्तावित
87	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	नुनेरा	पाली-तानाखार	पाली	15.51		प्रस्तावित
88	2024-25	शौचालय, नलकूप पेयजल निर्माण कार्य	बकसाही	पाली-तानाखार	पाली	15.51		प्रस्तावित
89	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र तुमान मे 03 नग पक्का चबुतरा निर्माण कार्य	तुमान	पाली-तानाखार	पाली	4.96		प्रस्तावित
90	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र तुमान मे 01 नग पक्का फड	तुमान	पाली-तानाखार	पाली	8.81		प्रस्तावित
91	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र तुमान मे 01 नग कटहई शेड	तुमान	पाली-तानाखार	पाली	14.79		प्रस्तावित
92	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र तुमान मे 01 नग 200 मि.टन गोदाम निर्माण कार्य	तुमान	पाली-तानाखार	पाली	12.78		प्रस्तावित
93	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र लैंगा मे 04 नग पक्का चबुतरा निर्माण कार्य	लैंगा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	6.61		प्रस्तावित
94	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र लैंगा मे 01 नग पक्का फड	लैंगा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	8.81		प्रस्तावित
95	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र लैंगा मे 01 नग कटहई शेड	लैंगा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	14.79		प्रस्तावित
96	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र लैंगा मे 01 नग 200 मि.टन गोदाम निर्माण कार्य	लैंगा	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	12.78		प्रस्तावित

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य		विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	लागत राशि (लाख में)	पूर्ण / अपूर्ण	प्रस्तावित / लंबित
		कार्य का नाम	कार्य स्थल					
97	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र तानाखार मे 04 नग पक्का चबुतरा निर्माण कार्य	तानाखार	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	6.61		प्रस्तावित
98	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र तानाखार मे 01 नग पक्का फड	तानाखार	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	8.81		प्रस्तावित
99	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र तानाखार मे 01 नग कवर्ड शेड	तानाखार	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	14.79		प्रस्तावित
100	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र तानाखार मे 01 नग 200 मि.टन गोदाम निर्माण कार्य	तानाखार	पाली-तानाखार	पोडी उपरोडा	12.78		प्रस्तावित
101	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र नुनेरा मे 05 नग पक्का चबुतरा निर्माण कार्य	नुनेरा	पाली-तानाखार	पाली	8.26		प्रस्तावित
102	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र नुनेरा मे 01 नग पक्का फड निर्माण कार्य	नुनेरा	पाली-तानाखार	पाली	8.81		प्रस्तावित
103	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र नुनेरा मे 01 नग कवर्ड शेड निर्माण कार्य	नुनेरा	पाली-तानाखार	पाली	14.79		प्रस्तावित
104	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र नुनेरा मे 01 नग 200 मि.टन गोदाम निर्माण कार्य	नुनेरा	पाली-तानाखार	पाली	12.78		प्रस्तावित
105	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र बकसाही मे 05 नग पक्का चबुतरा निर्माण कार्य	बकसाही	पाली-तानाखार	पाली	8.26		प्रस्तावित
106	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र बकसाही मे 01 नग पक्का फड निर्माण कार्य	बकसाही	पाली-तानाखार	पाली	8.81		प्रस्तावित
107	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र बकसाही मे 01 नग कवर्ड शेड निर्माण कार्य	बकसाही	पाली-तानाखार	पाली	14.79		प्रस्तावित
108	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र बकसाही मे 01 नग 200 मि.टन गोदाम निर्माण कार्य	बकसाही	पाली-तानाखार	पाली	12.78		प्रस्तावित
109	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र पोटापानी मे 03 नग पक्का चबुतरा निर्माण कार्य	पोटापानी	पाली-तानाखार	पाली	4.96		प्रस्तावित
110	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र पोटापानी मे 01 नग पक्का फड निर्माण कार्य	पोटापानी	पाली-तानाखार	पाली	8.81		प्रस्तावित
111	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र पोटापानी मे 01 नग 200 मि.टन गोदाम निर्माण कार्य	पोटापानी	पाली-तानाखार	पाली	12.78		प्रस्तावित
112	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र सपलवा मे 05 नग पक्का चबुतरा निर्माण कार्य	सपलवा	पाली-तानाखार	पाली	8.26		प्रस्तावित
113	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र सपलवा मे 01 नग पक्का फड निर्माण कार्य	सपलवा	पाली-तानाखार	पाली	8.81		प्रस्तावित
114	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र सपलवा मे 01 नग कवर्ड शेड निर्माण कार्य	सपलवा	पाली-तानाखार	पाली	14.79		प्रस्तावित
115	2024-25	धान उपार्जन केन्द्र सपलवा मे 01 नग 200 मि.टन गोदाम निर्माण कार्य	सपलवा	पाली-तानाखार	पाली	12.78		प्रस्तावित
योग -						1766.04		


(विकास निभा)

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - अस्सी

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 (क्र. 807) की जानकारी

प्रपत्र –“अ”

वर्ष/अवधि	रजिस्ट्री हेतु प्राप्त आवेदन	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
2021-22	5016	5016	निरंक
2022-23	5963	5963	निरंक
2023-24	5917	5917	निरंक
अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक	3673	3673	निरंक
योग :-	20569	20569	—

प्रपत्र –“ब”

रजिस्ट्री में प्राप्त राजस्व की वर्षवार जानकारी

वर्ष/अवधि	राजस्व प्राप्ति (रु. में)
2021-22	21,10,50,735
2022-23	25,79,13,958
2023-24	25,91,78,070
अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक	18,86,35,986
योग :-	91,67,78,749

पारोशेष्ट - इक्यासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 76 (क्र. 814) की जानकारी


प्रपत्र

दिनांक 01/04/2023 से दिनांक 30/11/2024 तक की अवधि में पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्राप्त शिकायतें एवं की गई कार्यवाही की जानकारी


	शिकायतकर्ता का नाम	उद्योग का नाम	शिकायत का विषय	शिकायत प्राप्ति दिनांक	की गयी कार्यवाही
	2	3	4	5	8
1	श्री अजीत पाण्डेय, वार्ड नं.-05, बस स्टैण्ड, पोस्ट-चन्द्रपुर, जिला-सक्ती ।	1. मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, बड़ापाली, घीवरा एवं धोबनीपाली, पोस्ट धूरकोट, ब्लॉक एवं तहसील-डभरा, जिला-सक्ती 2. मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	धूल पत्थर के चूरे के अनियंत्रित परिवहन से उपजी असुविधा के संबंध में।	25/09/2023	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 04/04/2024 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगरीय निकाय क्षेत्र में सड़क एवं सड़क किनारे जमा हुये डस्ट के कारण वाहनों के परिवहन के दौरान फ्यूजिटिव उत्सर्जन अवलोकित किया गया। तत्संबंध में जिला परिवहन अधिकारी, सक्ती, नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया एवं नगर पंचायत चंद्रपुर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिनांक 06/04/2024 को लेख किया गया। साथ ही उद्योगों को फ्लाय ईश का परिवहन तारपोलिन से पूर्णतः ढंके वाहनों के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2	श्रीमती सोन कुंवर जगत एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम-नगझर, पोस्ट-चारपारा, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती	-	खदान में राबिस पाटने से नुकसान होने पर मुआवजा दिलाने बाबत।	11/04/2023	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 12/04/2023 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल में किसी प्रकार का राखड़ फैला हुआ नहीं पाया गया, जिससे फसल नुकसान हुआ हो। स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
3	श्री सुनिल कुमार बर्मन, अध्यक्ष हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन, निवासी-नवागांव, पोस्ट-आमनदुला, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती	मेसर्स चंद्रा स्टोन क्रशर, ग्राम-नगझर, जिला-सक्ती	ग्राम पंचायत नगझर में संचालित चन्द्रा स्टोन क्रेशर उद्योग के विरुद्ध शिकायत जांच बाबत।	11/04/2023	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 12/04/2023 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दिवस फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन हेतु जल छिड़काव किया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
4	श्रीमती कमलेश्वरी, उपसरपंच, ग्राम पंचायत, आडिल, जनपद पंचायत, मालखरौदा, जिला-सक्ती	मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट, दरमिड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	ग्राम पंचायत आडिल, खसरा नं.-369/1/क, रकबा 5.6700 हेक्टेयर खेल मैदान नाला के ऊपर डस्ट/राखड़ भराव पर रोक लगाने के संबंध में।	11/04/2023	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 12/04/2024 को स्थल का निरीक्षण कर मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट, दरमिड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को मंडल के पत्र दिनांक 13/03/2023 के माध्यम से फ्लाय ईश भराव हेतु जारी अनापत्ती प्रमाण पत्र मंडल के पत्र दिनांक 20/04/2023 के माध्यम से निरस्त किया गया।
5	श्री उमाशंकर बंजारे, ग्राम-फरसवानी, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती।	मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, बड़ापाली, घीवरा एवं धोबनीपाली, पोस्ट धूरकोट, ब्लॉक एवं तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम पंचायत फरसवानी, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती - के सरपंच श्री राजकुमार चंद्रा एवं पंच श्री हेतराम कहरा एवं श्री खगेश्वर चंद्रा द्वारा सरकारी जमीन में डस्ट कारखाने से निकला हुआ गिराने के संबंध में (राख शिकायत बाबत।	11/04/2023	शिकायत के परिपेक्ष्य में उद्योग को उक्त स्थल में फ्लाय ईश भराव हेतु जारी अनापत्ती प्रमाण पत्र को मंडल के पत्र दिनांक 16/05/2023 के माध्यम से निरस्त किया गया। साथ ही उद्योग को स्थल में फ्लाय ईश की डम्पिंग बंद करने एवं डंप किये गये फ्लाय ईश का नियमानुसार निपटान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 29/05/2023 को किये गये निरीक्षण में फ्लाय ईश का नियमानुसार निपटान किया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गयी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

6	श्री तुलसीदास एवं अन्य, ग्राम-अड़भार, जिला-सक्ती।	मेसर्स डीपावर बी लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-उभरा, जिला सक्ती-	ग्राम-अड़भार के शासकीय भूमि ख.नं. 02 रकबा 8.0900 हेक्टेयर में शासन के बिना अनुमति के राखड़ डस्ट गिराया जा रहा है। उस पर रोक लगाये जाने बाबत।	27/04/2023	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 26/05/2023 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर फ्यूजीटिव डस्ट का उड़ना अवलोकित किया गया। उद्योग को मंडल के पत्र दिनांक 16/06/2023 के माध्यम से फ्लाइ ऐश भराव का कार्य बंद करने एवं डंप किये गये फ्लाइ ऐश को समतल कर मिट्टी से कव्हर करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण दिनांक 20/06/2023 को स्थल पर समतल कर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
7	श्री हेमन्त कुमार पटेल, जिलाध्यक्ष, भारतीय युवा मोर्चा, ग्राम-पंचायत उभरा, जिला- सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, बड़ापाली, घीवरा एवं धोबनीपाली, पोस्ट धूरकोट, ब्लॉक एवं तहसील-उभरा, जिला-सक्ती	ग्राम पंचायत उपनी में महानदी के किनारे अवैध फ्लाइ ऐश राखड़ को डम्प कर जल प्रदूषण व थल प्रदूषण कर स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की शिकायत बाबत।	28/07/2023	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 01/08/2023 को निरीक्षण किया गया। स्थल पर फ्लाइ ऐश के बहाव को रोकने के लिये फ्लाइ ऐश डालने के पूर्व मिट्टी से बंड बनाया जाना पाया गया। उक्त स्थल पर डाले गये फ्लाइ ऐश को समतल कर मिट्टी से कव्हर किया जाना पाया गया। निरीक्षण दौरान फ्लाइ ऐश का अपवहन किया जाना नहीं पाया गया एवं शिकायत स्थल में जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
8	श्रीमती सरिता सवरा, ग्राम-सकर्गा, विकासखण्ड-मालखरौदा जिला- सक्ती,	मेसर्स सोनी राइस मिल, ग्राम-सकर्गा, जिला-सक्ती (छ.ग.)	सघन ग्रामीण घनत्व मध्य संचालित राइस मिल द्वारा वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध कार्यवाही बाबत।	01/05/2024	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 09/05/2024 को निरीक्षण किया गया। प्रदूषण की स्थिति नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
9	श्री संपतलाल पिता बुदलुराम साहू, सक्ती, जिला-सक्ती।	मेसर्स डीपावर बी लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-उभरा, जिला सक्ती-	केनापाली गांव में खरसिया से चन्द्रपुर मेन रोड के किनारे मेसर्स डी.बी.पावर लिमिटेड द्वारा कंसेंट टू आपरेट की शर्त एवं फ्लाइ ऐश उपयोगिता अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन कर भारी मात्रा में बिना अनुमति डंप किये गये फ्लाइ ऐश के मामले में उचित कार्यवाही के अभाव में पिछले पांच वर्षों से किसानों को लगातार हो रहे समस्या के संबंध में।	05/02/2024	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 07/02/2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केनापाली गांव में पूर्व डम्प किये गये राखड़ का पूर्णतः हटाया जाकर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
10	श्रीमती गौरीबाई, उप सरपंच एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत बेल्हाडीह, जनपद पंचायत सक्ती, जिला-सक्ती	मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छ.ग.) लि., ग्राम-बिजकोट दरामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ मेसर्स टी.आर.एन एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नवापारा (तेन्डा), तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा राखड़ के भराव हेतु की गई अनापत्ति दिनांक 07/03/2024 को तत्काल निरस्त करने तथा उक्त स्थल की डी.एफ.एफ. फण्ड से पिकनीक स्पाट तैयार किये जाने के संबंध में।	10/06/2024	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 10/07/2024 को निरीक्षण किया गया। स्थल में राखड़ से भराव होना नहीं पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 10/07/2024 को निरीक्षण किया गया। स्थल में राखड़ से भराव होना नहीं पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
11	समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत-पासीद सराईपाली, जिला- सक्ती,	मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, बड़ापाली, घीवरा एवं धोबनीपाली, पोस्ट धूरकोट, ब्लॉक एवं तहसील-उभरा, जिला-सक्ती	ग्राम सराईपाली पंचायत पासीद प.ह.नं. 09 तहसील नया बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. में फ्लाइ ऐश डम्प करने के संबंध में।	01/07/2024	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 27/08/2024 को निरीक्षण किया गया। स्थल में फ्लाइ ऐश भू-भराव उपरांत पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की परत से ढंककर समतलीकरण किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
12	ग्राम-कटौद, ग्रामवासी, तहसील-उभरा, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, बड़ापाली, घीवरा एवं धोबनीपाली, पोस्ट धूरकोट, ब्लॉक एवं तहसील-उभरा, जिला-सक्ती	अवैध राखड़ डंपिंग के संबंध में। (ग्राम-कटौद, तहसील-उभरा के खसरा नंबर 1695 में।)	04/07/2024	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 10/07/2024 को निरीक्षण किया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त निर्धारित स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल में राखड़ से भराव किया जाना नहीं पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

		मेसर्स डीपावर बी लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला सक्ती-	अवैध राखड़ डंपिंग के संबंध में। (ग्राम-कटौद, तहसील-डभरा के खसरा नंबर 296 में।)	04/07/2024	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 10/07/2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फ्लाइ ईश डंपिंग का कार्य किया जाना नहीं पाया गया। साथ ही पूर्व में स्थल पर डम्प फ्लाइ ईश पर मिट्टी की परत बिछा हुआ पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य अवलोकित की गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, बड़ापाली, घीवरा एवं धोबनीपाली, पोस्ट धूरकोट, ब्लॉक एवं तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	अवैध राखड़ डंपिंग के संबंध में। (ग्राम-चंदली, तहसील-डभरा के खसरा नंबर 372 में।)	04/07/2024	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 12/08/2024 को निरीक्षण किया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त निर्धारित स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल में राखड़ से भराव किया जाना नहीं पाया गया। स्थल पर समतल कर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य अवलोकित की गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
13	श्री सुनिल कुमार बर्मन, अध्यक्ष हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन, निवासी-नवागांव, पोस्ट-आमनदुला, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, बड़ापाली, घीवरा एवं धोबनीपाली, पोस्ट धूरकोट, ब्लॉक एवं तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	उपनी (डभरा) का जल स्रोत महानदी तट एवं तालाब समीप रहवासी ईलाका से जुड़े करीब 10 एकड़ क्षेत्र के भूमि में फ्लाइ ईश (डस्ट) डंप किये जाने का कार्य में पावर प्लांट का संबंधितों सहित संलिप्त समस्त व्यक्तियों के खिलाफ पर्यावरण विभाग की ओर से नियमानुसार उचित सख्त कार्यवाही करने के संबंध में पत्र।	21/10/2024	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 24/10/2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त स्थल पर राखड़ से भराव किया जाकर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया है। उक्त के अतिरिक्त अन्य स्थल पर राखड़ पर डम्प किया जाना नहीं पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।


अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)